

वर्तमान
जगत्प्रमाण
विज्ञान



जगदीश प्रसाद कौशिक

भारतीय भाषाओं का इतिहास
 भारतीय भाषाओं का इतिहास

भारतीय
 भाषाओं
 का

इतिहास

स्वर्गीया धर्मपत्नी
श्रीमती शान्ता कौशिक
को
सस्नेह समर्पित

प्रस्तावना

भाषा मानवीय जीवन का वह विधायक तत्त्व है जो सामाजिक, राजनैतिक धार्मिक एवं सांस्कृतिक उत्थान का कारण होता है। मानव भाषा का विकास करता है और भाषा मानव जीवन को उन्नति के पथ पर अग्रसर करती है। इस प्रकार बोना का विकास अयो-याश्रित है। अतः भाषाओं का विकासात्मक एवं तुलनात्मक अध्ययन एक प्रकार से जातीय जीवन विकास का ही अध्ययन कहा जा सकता है। यदि भाषाएँ नहीं होती तो विचारा का पारस्परिक आदान प्रदान संवधा अवरुद्ध हो जाता और सम्यता का जो रूप आज हमारे समक्ष वतमान है वह भी नहीं होता। भाषा की यह महत्ता ही विद्वानों को भाषा अध्ययन के प्रति प्रोत्साहित करती है।

भाषाओं का नियमन का काल तो सुदूर प्राचीन काल से ही प्रारम्भ हो गया था और प्रायः विश्व की समस्त समृद्ध भाषाओं का उनका अपना व्याकरण है परन्तु भाषाओं के विकासात्मक एवं तुलनात्मक अध्ययन का इतिहास अधिक प्राचीन नहीं है। लगभग सत्रहवीं और अठारहवीं शताब्दी में योरोप में इस प्रकार के अध्ययन का एक प्रवाह प्रस्फुटित हुआ था और उससे प्रायः समस्त विश्व आग्लावित हो उठा था। विश्व के चिन्तनशील मनीषियों ने अत्यन्त गम्भीर चिन्तन एवं मनन का पश्चात् वशानुक्रम के आधार पर विश्व की समस्त भाषाओं का वर्गीकरण किया। वशानुगत सम्बन्ध स्थापित करने के लिये अनेक तत्त्वों को सहायक रूप में ग्रहण किया गया है, यथा—

(१) शब्द साम्य जिनके अन्तर्गत उन शब्दों को लिया गया जो दैनिक जीवन में काम आते हैं जैसे—सम्बन्धियों अथवा वस्तुओं के नाम, संवनाम पद गिनती वाले शब्द और कम से कम परिवर्तित होने वाले क्रिया पद आदि।

(२) ध्वनि साम्य (३) व्याकरणगत विकास और भौगोलिक सन्निकटता।

उक्त साम्यों के आधार पर अधोलिखित भाषा परिवारों की स्थापना हुई, यथा—

(१) अमेरिकन परिवार (२) मलय इण्डोनेशियन परिवार (३) मलेशियन परिवार (४) पालिनेशियन परिवार (५) पापुआयन परिवार, (६) आस्ट्रेलियन परिवार (७) बुशमन परिवार (८) वाटू परिवार, (९) सूडानी परिवार, (१०) सामी हामी परिवार (११) उराल अल्ताई परिवार (१२) चीनी परिवार (१३) कानेशियन परिवार (१४) द्रविड भाषा परिवार और (१५) आय भाषा परिवार।

यद्यपि उपर्युक्त वर्गीकरण को विद्वान लोग अभी भी पूर्ण वर्गीकरण नहीं

माते ब्योक्ति विषय की अनन्त ऐसी बोलियाँ आज भी अदृश्य हैं जिन्का सुसनात्मक तो क्या केवल भाषा शास्त्रीय अध्ययन भी सम्पन्न नहीं हो पाया है तो भी यह वर्गीकरण विषय की प्रायः समस्त समृद्ध भाषाओं को अपने म सजोये हुए है ।

भारतवर्ष प्राचीन काल से ही अनेक ससृष्टियाँ का सगम-स्पर्श रहा है । अतः यहाँ पर अनन्त भाषा परिवारों की भाषाओं का अस्तित्व उपसम्भ होता है । आज तक विद्वानों ने भारत में अनेक विभिन्नमार्गी भाषाओं को संक्षिप्त किया है जिन्हें दो भागों में विभाजित किया जा सकता है—(क) आर्योत्तर परिवार की भाषाएँ और (ख) आर्य परिवार की भाषाएँ ।

(क) आर्योत्तर परिवार की भाषाएँ—भारत में अनेक ऐसी बोलियाँ हैं जिनका सम्बन्ध आर्य परिवार की भाषाओं से न होकर स्वतन्त्र अस्तित्व है, ये बोलियाँ इस प्रकार से हैं—(१) मुण्डा परिवार और (२) द्रविड परिवार ।

(१) मुण्डा परिवार—भारतवर्ष के विभिन्न स्थानों में फली हुई आदिम जातियाँ 'मुण्डा भाषा' की बोलियाँ बोलती हैं । ये जातियाँ छोटा नागपुर, मध्य भारत, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा के कुछ जिलों में मद्रास के कुछ भागों में, पश्चिमी बंगाल और बिहार के पहाड़ी एवं जंगली प्रदेशों में निवास करती हैं । श्री मन्मथमूर्ति पहले विद्वान् ये जिह्मि इन बोलियों को 'गमूह' की 'मुण्डा' नाम दिया, क्योंकि इसकी एक बोली 'मुण्डरी' है जिसका अर्थ मुतिया होता है । अतः इसी आधार पर इसे 'मुण्डा' नाम दिया गया है ।

'मुण्डा परिवार' की बोलियों की आस्ट्रिक परिवार की शाखा माना जाता है । इसकी लगभग ३०-३५ बोलियाँ भारतवर्ष में प्रचलित हैं और मुण्डा की सात बोलियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं जिनमें से सयाली और मुण्डारी का कुछ अध्ययन किया जा चुका है । इनके अतिरिक्त हो, कुबू सबर, कनावरी एवं खेरवारी बोलियों का ज्ञान भी प्राप्त किया जा चुका है, लेकिन उसके सूक्ष्म अध्ययन की अभी भी आवश्यकता है ।

विशेषताएँ—मुण्डा भाषाओं में विद्वानों ने अधोलिखित विशेषताओं को चिह्नित किया है—

(१) आर्य परिवार के सभी स्वर इस भाषा में मिलते हैं ।

(२) आर्य परिवार के व्यञ्जनो के साथ साथ ड तथा अर्ध-यञ्जन क, ख, त, प भी मिलते हैं । इनका उच्चारण स्पष्ट क, ख, त, प के उच्चारण से भिन्न होता है ।

(३) सयाली में समुक्त व्यञ्जन आदि में नहीं रखे जाते ।

(४) शब्दों को सना, सवनाम जैसे विभागों में विभाजित नहीं किया जाता है ।

(५) पद विभाग का पान प्रकरण से होता है। आवश्यकता के अनुसार एक ही शब्द सज्ञा, सबनाम, विशेषण, क्रिया आदि का काम दे देता है।

(६) इन भाषाओं में तीन वचन होते हैं।

(७) विभक्ति प्रत्ययों के स्थान पर आधुनिक भारतीय आय भाषाओं की तरह परसर्गों का प्रयोग किया जाता है।

(८) पुरुष के अनुसार क्रिया में रूप विभिन्नता नहीं होती।

(९) अव्यय स्वतंत्र शब्द के रूप में भी प्रयुक्त किये जाते हैं और अव्यय की तरह भी।

द्रविड परिवार

यह भाषा परिवार भारत का अत्यंत महत्त्वपूर्ण भाषा परिवार है। आय भाषाओं के बाद साहित्यिक समृद्धि और बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से इसी परिवार का स्थान है। 'द्रविड' शब्द का विकास संस्कृत 'द्रमिल' शब्द से हुआ है। भरत मुनि ने दक्षिण के एक प्रदेश के लिए 'द्रमिल' शब्द का प्रयोग किया है, यथा— द्रमिला धजा। इसका विकास दो दिशाओं में हुआ है। वराहमिहिर ने इसके लिए द्रमिड शब्द का प्रयोग किया है और पालि में इसका रूप दमिल मिलता है। 'द्रमिड' विकसित होकर 'द्रविड' बना और दमिल' इससे विकसित होकर बना 'तमिल' जा आजकल द्रविड परिवार की एक भाषा विशेष के लिए प्रयुक्त होता है। मद्रास प्रदेश को अब तमिलनाडु प्रदेश ही कहा जाता है।

उक्त परिवार की अनेक बोलियों का प्रयोग दक्षिण भारत में किया जाता है, किन्तु साहित्य की दृष्टि से इस परिवार की चार प्रमुख भाषाएँ हैं — (१) तमिल (२) तेलगु (३) मलयालम और (४) कन्नड।

(१) तमिल

यह भाषा तमिलनाडु राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग में और लका के उत्तरी भाग में बोली जाती है। इसके उत्तर में तेलगु पश्चिम में कन्नड और मलयालम भाषी क्षेत्र आते हैं। पूव में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में लका द्वीप आते हैं। इसमें आठवीं शताब्दी तक का साहित्य उपलब्ध होता है। साहित्य की दृष्टि से इस परिवार की यह सर्वाधिक समृद्ध भाषा है और आधुनिक भारतीय आयभाषाओं की किसी भी समृद्ध भाषा से टक्कर ले सकती है।

तेलगु

यह आंध्र प्रदेश की भाषा है। इसके बोलने वालों की संख्या द्रविड परिवार में सब से अधिक है। 'तिलगा' शब्द सनिक् का पर्यायवाची है। इस भाषा का साहित्य बारहवीं शताब्दी से मिलने लगता है। इसका आधुनिक साहित्य तमिल की टक्कर का है। प्राचीन काल में इस प्रदेश के लोग संस्कृत

के अप्रतिम पण्डित होते थे। अतः इस भाषा पर संस्कृत शब्दावली का बहुत अधिक प्रभाव है। विद्वानों का विचार है कि सत्तर स अस्सी प्रतिशत के लगभग संस्कृत शब्द तेलगु में लाए जा सकते हैं। इस कारण से हिन्दी, मराठी, बंगला आदि भाषा से अथवा द्रविड परिवार की भाषाओं की तुलना में इसका घनिष्ठ सम्बन्ध है। इसके उत्तर-पूर्व में उडिया भाषा उत्तर में पूर्वी हिन्दी, पश्चिम में कन्नड़ एवं मराठी और दक्षिण में तमिल भाषा के क्षेत्र आते हैं।

मलयालम
यह पश्चिमी घाट में स्थित कर्नाटक राज्य की भाषा है। यह वस्तुतः तमिल की ही एक शाखा है जो इससे नवीं शताब्दी के लगभग पृथक् हुई। तेलगु की तरह इसमें भी संस्कृत भाषा की शब्दावली की प्रचुरता है। द्रावण कोर और कोचीन के राजाओं के संरक्षण में इस भाषा ने पर्याप्त मात्रा में उन्नति की। इसमें तेरहवीं शताब्दी से साहित्य मिलना प्रारम्भ होता है। इसका पूर्व में तमिल भाषी क्षेत्र और उत्तर में कन्नड़ भाषा का क्षेत्र आता है। दक्षिण और पश्चिम में समुद्री क्षेत्र हैं।

कन्नड़

यह मैसूर राज्य की भाषा है। लिपि की दृष्टि से तेलगु के और भाषा गठन की दृष्टि से तमिल के समीप पड़ती है। प्राचीनता की दृष्टि से द्रविड परिवार में यह सब से प्राचीन भाषा है। इसमें पाँचवीं शताब्दी तक लक्ष उपलब्ध होते हैं। इसके दक्षिण में तमिल और मलयालम भाषाओं का क्षेत्र उत्तर में मराठी और पूर्व में तेलगु भाषा के क्षेत्र आते हैं। पश्चिम में अरब सागर लहराता है।

(ख) आर्य परिवार की भाषाएँ

विश्व भाषा परिवारों में आर्य भाषा परिवार सभी दृष्टियों से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण परिवार है। इस परिवार की भाषाएँ भारत, ईरान, रूस के कुछ भाग, समस्त योरोप महाद्वीप, समस्त अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण-पश्चिमी भाग और आस्ट्रेलिया महाद्वीप में बोली जाती हैं।

विश्व में तुलनात्मक भाषा विज्ञान के आविर्भाव का श्रेय भी इसी परिवार की भाषाओं को है। इस परिवार के लिए अनेक नामों का प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं। सब प्रथम जर्मन विद्वानों ने इस परिवार का नाम 'इण्डो जर्मनिक' परिवार रखा। उनका कथन था कि इस परिवार की पूर्वी सीमा भारत है और पश्चिमी सीमा जर्मनी। अतः उक्त नाम ही उपयुक्त है। कुछ समय पश्चात् यह अनुभव किया गया कि उक्त नाम से 'जायरलण्ड और वेल्ज की बोलियाँ जो क्लिटिक शायतः की हैं, इसमें नहीं आ पाती। अतः इसका नाम 'इण्डो-क्लिटिक' रखा गया, परन्तु यह नाम पहले नाम से भी

सकुचित होन के कारण, बिल्कुल नहीं चल पाया। इसके पश्चात् सांस्कृतिक, जफाइट' आदि नाम भी सुनाये गये, परन्तु विद्वानो द्वारा स्वीकृत नहीं हुए। तदनन्तर विद्वाना ने अत्यन्त विचार विमर्श के पश्चात् दो महत्त्वपूर्ण नाम प्रस्तुत किये—(१) 'आय परिवार' और (२) "इण्डो योरपियन परिवार। योरपियन विद्वाना न, मुख्यतः फ्रांस के मनीषियों ने इण्डो योरपियन नाम अत्यधिक पसन्द किया। इनका कहना है कि भारत और योरप ही दो ऐसे महादेश हैं जहाँ पर इस परिवार की भापाएँ अत्यन्त समृद्ध एवं गौरवमयी रही हैं। इसके साथ ही 'आय परिवार' नाम के विरोध में इनका यह कहना है कि 'आय' शब्द जाति का सूचक होने के कारण आर्योत्तर जातियाँ इससे बहिष्कृत हो जाती हैं और यह नाम केवल 'भारत और ईरान' की शाखा के लिए ही प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि ये ही लोग अपने आपको 'आय' कह कर गौरवावित होते हैं।

उपयुक्त सभी नामों में से 'आय परिवार' नाम मेरी दृष्टि में अधिक उपयुक्त है। प्रथम तो यहाँ पर लाघव है। 'इण्डो योरपियन' नाम की अपेक्षा 'आय' नाम छोटा है जो गुण दाशनिक दृष्टि से अच्छा समझा जाता है। दूसरे, इस तथ्य को भी दृष्टि से ओझल नहीं किया जा सकता कि मूलतः यह आर्यों (एक प्राचीन जाति विशेष) की ही भाषा थी और उनके शोध पराक्रम और बुद्धि बल के कारण विश्व के एक बहुत बड़े भूभाग पर फैल गयी। तीसरे, सामी हामी बाटू जैसे परिवारों के नाम के भी अनुकूल है। चौथे इसे शाखाओं प्रशाखों में विभाजित करने में सुविधा रहेगी, यथा—योरपीय आय परिवार, अमेरिकन आय परिवार, ईरानी आय परिवार, भारतीय आय परिवार आदि। अतः उक्त परिवार के लिए यही नाम अधिक उपयुक्त एवं समीचीन प्रतीत होता है।

सब प्रथम १८७० ई० में प्रसिद्ध विद्वान अस्कोली ने अनुभव किया कि आय परिवार की भाषाओं में कुछ ऐसी भाषाएँ हैं जिनके 'श, स, ज' के परिवार का अर्थ भाषाओं में कहा जाता है और उन्होंने इस प्रकार के कुछ उदाहरण भी प्रस्तुत किये। तदनन्तर इसे आधार मानते हुए 'फान ब्रेडके' ने आय परिवार की भाषाओं को दो वर्गों में विभाजित किया—(१) कट्टुम और (२) सतम्। कट्टुम वर्ग में आपन ग्रीक इटालिक केल्टी, जर्मनी हिन्दी और तुषारी उपपरिवारों को परिगणित किया और सतम् वर्ग में भारत ईरानी, अर्मेनी बाल्ती-स्लेवानी तथा अल्बानी उपपरिवारों को समाविष्ट किया। इनमें भारत ईरानी उपपरिवार अपनी विशिष्ट महत्ता रखता है। इस परिवार की तीन शाखाएँ हैं—(१) ईरानी (२) दरद और (३) भारतीय। भारतीय आय भाषा की प्राचीनतम भाषा 'छान्दस और

ईरानी शाखा की प्राचीनतम भाषा 'अवस्ता' में अभूतपूर्व सामञ्जस्य है। किञ्चित् परिवर्तन से अवस्ता छादस और छादस अवस्ता बन सकती है। इसीलिए विद्वानों ने इसे एक ही उपपरिवार की भाषा माना है।

ईरानी

'ईरानी' शाखा की भाषा की विद्वानों ने तीन अवस्थाएँ निर्धारित की हैं। एक पारसियों के घमघाँय अवस्ता की भाषा दूसरी अवस्ता पर की गयी टोका की भाषा और तीसरी, हख्मानी राजाओं के शिला लेखा की भाषा। इन तीनों अवस्थाओं को मिलाकर प्राचीन ईरानी भाषा कहा जा सकता है।

लगभग ईसा की दूसरी शताब्दी से सातवीं शताब्दी के बीच ईरानी भाषा के नये रूप का आविर्भाव होता है। इस समय की मुख्य साहित्यिक भाषा पहलवी है। इसके अतिरिक्त पश्चिम में ईरान में हूप्वारेण और पूर्वी ईरान में 'पाज्द' भाषाएँ भी प्रचलित थीं। इन्हें मध्यकालीन ईरानी कहा जा सकता है।

इस्लाम के प्रचार के साथ साथ ईरानी भाषा ने नया रूप ग्रहण किया और इस पर अरबी भाषा का प्रभाव पड़ा। मुसलमानों के साथ साथ यह भारत में आई और भारतीय परिवार के साथ इसका पुनः सम्पर्क हुआ। उस समय इस 'फारसी' के नाम से अभिहित किया जाता था। बीसवीं शताब्दी में इसे पुनः फारसी के स्थान पर अपना पुराना नाम प्राप्त हुआ और आज कल इसे 'ईरानी' ही कहा जाता है। यहाँ से ही ईरानी का आधुनिक काल प्रारम्भ होता है।

बरद

'बरद' का अर्थ होता है पर्वत। अतः भारत के सीमांत पर्वत प्रदेशों में बोली जाने वाली भाषाओं के समूह को बरद भाषाएँ कहा जाता है। पंजाब के पश्चिमोत्तर में और पामीर के पूर्व-दक्षिण में जो पर्वत प्रदेश हैं, वह इनका क्षेत्र माना जाता है। इन्हें पिशाच या भूत भाषाएँ कहने का भी प्रचलन है। काफिरी, खोवारी, शीना, कश्मीरी और कोहिस्तानी (अनेक बालिया के समूह का कल्पित नाम) आदि इसकी आधुनिक भाषाएँ हैं। कश्मीरी इनमें सबसे महत्त्वपूर्ण है और इसका क्षेत्र भी अपेक्षाकृत विस्तृत है। प्राचीन समय में कश्मीर संस्कृत का प्रधान केंद्र रहने के कारण इस पर संस्कृत शब्दावली का गहरा प्रभाव लक्षित होता है। इस्लाम के प्रवेश के बाद से इस भाषा पर अरबी और फारसी का प्रभाव बढ़ता गया और आजकल इसे फारसी लिपि में ही लिखा जाता है। अब तक विद्वानों यह निश्चित नहीं कर पाये हैं कि पिशाची प्राकृत और बरद भाषाओं का कोई पारस्परिक सम्बन्ध है अथवा दो भिन्न नामों वाली यह एक ही भाषा है। कश्मीरी स्वरो में

अत्यन्त सूक्ष्म अन्तर पाया जाता है। सघोष महाप्राण ध्वनियो का अभाव है जो पेशाची प्राकृत की भी एक विशेषता है।

भारतीय आय शाखा

भारतीय आय शाखा भारत ईरानी उपपरिवार की एक शाखा है, जो समस्त भारत में किसी न किसी रूप में प्रयोग में लाई जाती है। इसकी प्राचीनतम भाषा छादस है। यही से लेकर नव्य भारतीय आय भाषाओं तक के विकास को प्रस्तुत ग्रंथ में उपस्थित करने का उपक्रम किया गया है।

समस्त पुस्तक को चार अध्यायों में विभाजित किया गया है। प्रथम अध्याय में प्राचीन भारत की सांस्कृतिक गतिविधियों पर विचार विमर्श करने के लिये आर्यों के मूल निवास स्थान का अनुसंधान कर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि आर्यों की मूल जन्मभूमि सप्तसिंधु प्रदेश ही थी और आय वही बाहर से नहीं आये थे। इसकी पुष्टि प्रजातिवाद भाषा और पुरालेखों की दृष्टि से की गई है। तदनंतर भारत में आय संस्कृतियों के अस्तित्व को प्रस्तुत किया है।

द्वितीय अध्याय में छादस एवं संस्कृत भाषाओं की विकास प्रक्रिया और ध्वन्यात्मक एवं रूपात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है और दोनों भाषाओं के पारस्परिक सम्बन्ध को स्पष्ट किया गया है।

तृतीय अध्याय में मध्यकालीन भाषाओं के विकास के कारण प्रस्तुत करते हुए यह देखने का प्रयास किया गया है कि उनका विकास संस्कृत भाषा से सम्भव है अथवा छादस से। इसके साथ ही मध्यकालीन भारतीय आय भाषाओं की सामूहिक ध्वन्यात्मक एवं रूपात्मक विशेषताओं का निदर्शन किया गया है।

चौथे अध्याय में पालि एवं अशोकी शिला लेखों की भाषाओं पर विचार करते हुए पालि भाषा के नामकरण की और क्षेत्रीय बोली की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत किया गया है। इसके साथ ही 'पालि और छादस भाषा की उन विशेषताओं का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है जिनके रूप संस्कृत में उपलब्ध नहीं होते। अतः पालि भाषा की ध्वन्यात्मक एवं रूपात्मक विशेषताएँ प्रस्तुत की गयी हैं।

पाँचवें अध्याय में साहित्यिक प्राकृत भाषाओं के उदभव पर विचार करते हुए इनकी सामूहिक विशेषताओं को प्रस्तुत किया गया है। तदुपरांत प्रत्येक साहित्यिक प्राकृत पर पृथक पृथक प्राकृत वैयाकरणों के अनुसार ध्वन्यात्मक एवं रूपात्मक दृष्टि से विचार किया गया है।

छठे अध्याय में अपभ्रंश भाषा के उदभव उसका देशत्व और आभीरादि जातियों के साथ उसके सम्बन्ध पर विचार किया गया है। इसके साथ ही

साहित्यिक एवं परिशिष्ट अक्षरों के दोत्रीय भेदों को पुष्ट भाषा यज्ञानिक आधार भूमि पर निरस्त कर उसने एक ही रूप की स्थापना की गयी है। इसी बीच उसका ध्वन्यात्मक एवं रूपारमक स्वरूप भी स्पष्ट किया गया है।

सातवें अध्याय में 'अवहट्ट' अपभ्रंश संज्ञा के अक्षरों की भाषा पर विचार किया गया है और यह दिखाने का प्रयास किया है कि यह साहित्यिक अपभ्रंश से कितनी दूर पसी गयी थी और नव्य भारतीय आय भाषाओं के कितनी समीप आ गयी थी। इसने साथ ही इसकी ध्वन्यात्मक एवं रूपारमक विशेषताओं पर भी विचार किया गया है।

आठवें अध्याय में नव्य भारतीय आय भाषाओं पर विचार व्यक्त किये हैं और डॉ. प्रियमगा और डॉ. चाटुर्ज्या के वर्गीकरण पर विस्तार से विचार भी। इसके पश्चात् समस्त नव्य भारतीय आय भाषाओं का पृथक्-पृथक् गणित परिचय प्रस्तुत करते हुए इस अध्याय में मुख्यतः नामकरण क्षेत्र, सीमाएँ और ध्वन्यात्मक तथा रूपारमक विशेषताएँ उल्लिखित की गयी हैं।

नवें अध्याय में पश्चिमी हिन्दी के उद्भव और विकास पर विचार किया गया है तथा अपभ्रंश के साथ उगम सम्बन्ध को स्पष्ट किया गया है। इसके पश्चात् हिन्दी शब्द की निरवधि तथा हिन्दी उद्भव विवाद पर ऐतिहासिक दृष्टि से विचार किया गया है।

दसवें अध्याय में हिन्दी (गडो बोली) भाषा की ध्वनियों के स्वरूप और उनके विकास की प्रक्रिया को विस्तार से स्पष्ट किया गया है।

ग्यारहवें अध्याय में हिन्दी (सडो बोली) का रूपारमक विकास प्रस्तुत किया गया है। महामुनि यास्क के नामाख्याते घोषसगनिपाताश्व के आधार पर शब्द रूपा का विभाजन कर प्रत्येक विधा को पृथक् पृथक् रूप में स्पष्ट किया गया है।

अन्त में दो परिशिष्ट हैं जिनमें (१) हिन्दी राष्ट्रभाषा क्यों? तथा (२) पारिभाषिक शब्दावली का विवेचन है। इस प्रकार सधेप में यह प्रयास किया गया है कि भाषा विज्ञान के अध्ययेष्ण छात्र सरलता से भारतीय आय भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर सकें। यह प्रयास कितना सफल हुआ है यह निर्धारित करना विन पाठकों का अपना विषय है।

मानव के जीवन निर्माण में विभिन्न व्यक्तियों घटनाओं एवं परिस्थितियों का योगदान रहता है। मनुष्य उनसे प्रेरणाएँ ग्रहण करता है और तदनुरूप अपने पथ का निर्धारण करता है। अतः इस दृष्टि से मैं कह सकता हूँ कि भाषा अध्ययन के इस पथ को प्रशस्त करने का श्रेय मेरे दो पितृव्य स्व. रामस्वरूप शर्मा और स्व. प. कन्हैयालाल शर्मा को है जिनके साक्षिण्य में मैंने संस्कृत भाषा की पुरातन प्रणाली पर लघु और सिद्धांत बौमुदी तथा

सारस्वत और सिद्धांत चंद्रिका जैसे व्याकरण ग्रंथों का अध्ययन किया। आधुनिक प्रणाली पर भाषाओं के अध्ययन की ओर अग्रसर करने का श्रेय हिंदी के कतिपय ग्रंथों को है जिनमें डॉ. उदयनारायण तिवारी कृत 'हिन्दी भाषा का उत्पत्ति और विकास', डा. बाबूराम सक्सेना कृत 'सामान्य भाषा विज्ञान', डा. धीरेन्द्र वर्मा कृत 'हिन्दी भाषा का इतिहास' और डॉ. सुनीति कुमार चाटुर्ज्या कृत 'भारतीय आयभाषाएँ और हिन्दी' आदि प्रमुख हैं। उक्त ग्रंथों का मेरे भाषा जीवन में जो योगदान है उससे मैं शायद ही उम्हण हो सकूँ।

भाषाओं के अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करते रहने का श्रेय डॉ. सरनाम सिंह शर्मा 'अरुण' को है। किसी भी विषय पर किसी भी समय विचार विमर्श करने के लिए उनके द्वार मेरे लिए सदैव खुले रहते हैं। उसी का यह परिणाम है जिसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ।

मेरे लेखक जीवन का शुभारम्भ उन भाषा वैज्ञानिक लेखों से होता है जो समय समय पर हिंदी की प्रमुख शोध पत्रिकाओं—नागरी प्रचारिणी पत्रिका शोध पत्रिका, विश्वम्भरा, सप्त सिन्धु राजस्थान पत्रिका जनभारती रसवन्ती आदि में प्रकाशित होते रहे हैं। मेरे लेखों को पढ़कर मेरे विद्वान् मित्रों ने मुझे इस विषय पर कोई पुस्तक लिखने का परामर्श दिया जिससे मेरे विचार अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सकें। इसी बीच बी. ए. के छात्रों को भारतीय आय भाषाओं का इतिहास पढ़ाते समय मुझे यह अनुभव भी हुआ कि हिन्दी जगत में एक ऐसी पुस्तक की आवश्यकता है जो मौलिक होते हुए भी ऐसी शैली में लिखी हुई हो कि एम. ए. और बी. ए. के छात्रों के लिए समान रूप से उपादेय हो और वे अपनी आवश्यकतानुसार सामग्री अत्यंत सरलता से प्राप्त कर सकें। अतः पुस्तक लिखने का निश्चय कर उपर्युक्त प्रकार की रूपरेखा तैयार कर ली गयी।

उक्त रूपरेखा को साकार रूप प्रदान करने में मेरे अभिन्न मित्र डा. प्रभाकर शर्मा शास्त्री संस्कृत विभाग का जो अमूल्य सहयोग मिला वह मेरे हृदय की एक बहुमूल्य निधि बन गया है। समय समय पर मिले आपके सुझाव तो महत्वपूर्ण थे ही साथ ही आपके सशक्त 'प्रूफ रीडिंग' ने पुस्तक को अधिक निर्दोष बना दिया है।

मेरे जीवन निर्माण में मेरी स्वर्गीया धर्मपत्नी श्रीमती शांता कौशिक का बहुत बड़ा हाथ रहा। वह मेरी पत्नी ही नहीं एक माय-देशिका भी थीं। किशोरावस्था की वह मेरी जीवन सगिनी सदैव कहा करती थी कि अध्ययन काल में सुख की आकांक्षा करना असफलता को आमंत्रित करना है और अध्ययन तो अपने आप में एक सुख है। मैं नहीं समझती कि इससे आगे भी

दुनियाँ में कोई सुख होता है। आज वह इस ससार में नहीं है किन्तु उसके वाक्य आज भी मेरा माग-दर्शन करते हैं।

अतः मैं उन विद्वानों का कृतज्ञ हूँ जिनके ग्रन्थों का आधार लेकर मैं इस पुस्तक को प्रस्तुत कर सका हूँ। उनकी सूची पुस्तक के अन्त में प्रस्तुत कर दी गई है। यदि किसी ग्रन्थ का नाम अज्ञानवश उस सूची में नहीं आ पाया हो जिसका उपयोग इस पुस्तक में किया गया है तो सम्बद्ध विद्वान मुझे क्षमा करेंगे। सिद्धान्तों के प्रतिपादन में यदि किसी विद्वान के किसी सिद्धान्त का खण्डन करते समय कहीं कोई वाक्यस्खलन हो गया हो तो विद्वान् उसे बाल चाञ्चल्य समझकर क्षमा कर देंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। यह मेरा प्रथम प्रयास है। अतः बहुत सम्भव है अनेक स्थलों पर अनेक भूलें एवं अपूर्णताएँ रह गयी हों इसके लिए विद्वानों के सुझाव सादर आमन्त्रित हैं जिससे अग्रिम संस्करण में उनका उपयोग किया जा सके।

श्री कल्याण राजकीय महाविद्यालय,

सीकर

विजयदशमी २० १० ६६

जगदीशप्रसाद कौशिक

विषय-सूची

अध्याय

पृष्ठ

१ प्राचीन भारत का सांस्कृतिक वातावरण

१

बौद्धिक युग और उसके परिणाम, पाश्चात्य विद्वान और उनकी मनोवृत्ति, आयजन और उनके मूल निवास स्थान का भ्रम, विभिन्न मत, मतों का आधार, प्रजातिवाद, भाषावाद, प्राचीन शिला लेख एवं ग्रन्थ, प्राचीन भारत की मुख्य-मुख्य प्रजातियाँ—हथ्यी, आस्ट्रिक या निपाद, द्रविड, मंगोलियन या किरात, इनका प्रभाव, छान्दस/संस्कृत, अवेस्ता, पाली/प्राकृत की तुलना ।

२ प्राचीन भारतीय आय भाषा

३३

विकास शाश्वत होता है, बोली से भाषा का विकास, संस्कृत में ऐसे अन्तर पर विचार, बोलियों का लुप्त हो जाना, भाषा के अध्ययन में कठिनाइयों का साम्मुख्य, प्राचीन भारतीय आय भाषा का प्रारम्भ, ऋग्वेद प्राचीनतम कृति, आर्यों का आगमन, ऋग्वेद की भाषा का भाषा वैज्ञानिक विवेचन, ईरानी से साम्य, तालक्य भाव के नियम का प्रभाव, वैदिक संस्कृत का ध्व-यात्मक विवेचन, रूपात्मक विवेचन, कोप पर विचार, वैदिक काल में भाषा में विकास के चिह्न उस समय की भाषा एवं बोलियों की स्थिति, संस्कृत भाषा का प्रादुर्भाव, संस्कृत का चतुर्मुखी विकास, ध्व-यात्मक विवेचन, रूपात्मक विवेचन, उपसर्ग एवं निपातो का विवेचन ।

३ मध्यकालीन भारतीय आय भाषाएँ

५७

प्राच्या बोली का विकास, गौतम बुद्ध का अपनी मातृ भाषा में ही उपदेश देना, प्राकृतों का प्रादुर्भाव, मध्यकालीन भारतीय आय भाषाओं का काल विभाजन, प्राकृत भाषाओं की प्रकृति पर विचार विमर्श, क्षण्ड हेमचन्द्र दण्डी, वाग्भट्ट माकण्डेय पठ भाषा चन्द्रिका, धनिक प्राकृत चन्द्रिका पाश्चात्य एवं आधुनिक भाषा-वैज्ञानिक, वैदिक संस्कृत और प्राकृतों का सम्बन्ध, प्राकृतों का प्रादुर्भाव—छान्दस से अथवा संस्कृत से प्राकृतों की महत्ता का दिग्दर्शन, प्राकृतों की संख्या, कुवलय माल कहा तथा अन्य विचारण एवं डा चटर्जी का मत ।

४ पालि एव अशोक के शिला लेखों की भाषाएँ

७१

'पालि' शब्द की व्युत्पत्ति एवं इतिहास, पालि किस क्षेत्र की भाषा थी, विद्वानों के मतों की समीक्षा एवं निष्कर्ष, पालि का ध्व-यात्मक विवेचन, पालि की रूपात्मक स्थिति, पालि का शब्द कोष, अशोक की शिला लेखों की भाषा, पालि से छादस का साम्य और वैपम्य, ध्वनि और रूप ।

५ साहित्यिक प्राकृत भाषाएँ

६१

पालि के पश्चात् साहित्यिक प्राकृतों का प्रादुर्भाव, प्राकृत नाम यथो, प्राकृतों के भेदों पर प्राचीन बयाकरण एव काव्य शास्त्रियों के भिन्न भिन्न विचार, प्राकृत भाषाओं की सामान्य ध्व-यात्मक एवं रूपात्मक प्रवृत्तियाँ, मुख्यतः पाँच प्राकृतों की स्वीकृति—(१) शौरसेनी प्राकृत—ध्वनितत्त्व एवं रूपतत्त्व, (२) मागधी प्राकृत,—ध्वनितत्त्व तथा रूपतत्त्व, (३) अथ मागधी—ध्वनितत्त्व तथा रूपतत्त्व, (४) महाराष्ट्री—ध्वनितत्त्व और रूप तत्त्व, (५) पंजाबी प्राकृत—ध्वनितत्त्व और तत्त्वरूप ।

६ अपभ्रंश भाषा—अपभ्रंश का समय

११३

अपभ्रंश का समय, अपभ्रंश से तात्पर्य, अपभ्रंश और देशी शब्द, क्या अपभ्रंश देश्य भाषा थी अपभ्रंश का इतिहास, अपभ्रंश के अनेक भेदोपभेद, अपभ्रंश साहित्यिक भाषा के रूप में एक अथवा अनेक बोलियों के अवशेष मिलते हैं, अपभ्रंश के चारों भेद और उनका निराकरण अपभ्रंश के तीन भेद और उनका निराकरण अपभ्रंश के दो भेद और उनका निराकरण, एक शुद्ध साहित्यिक अपभ्रंश की पुष्टि ।

७ सक्रांति-काल की भाषा—अवहट्ट

१३६

अवहट्ट का प्रारम्भ अवहट्ट के ग्रंथ, अवहट्ट शब्द का भाषा के लिए प्रयोग का इतिहास अवहट्ट अवहट्य अवहट्ट आदि शब्दों की उत्पत्ति, संदेशरासक का परिचय—ध्व-यात्मक विशेषताएँ, रूपात्मक विशेषताएँ, प्राकृत पंङ्गलम की विशिष्ट प्रवृत्तियाँ—ध्व-यात्मक तथा रूपात्मक, कीर्तिलता का परिचय उक्ति-यक्ति प्रकरण का परिचय वण रत्नाकर का परिचय, तीना की भाषाओं की विशेषताओं का सम्मिलित परिचय, अवहट्ट की सामान्य विशेषताएँ—ध्व-यात्मक तथा रूपात्मक, अवहट्ट और मिथिलापभ्रंश, अवहट्ट और पंङ्गल,

अध्याय

पृष्ठ

- मगही, ओडिया बगला आदि, अवहट्ट और पुरानी हिन्दी, निष्कप ।
- ८ नव्य भारतीय आय भाषाएँ १५५
- क्रान्तिकारी परिवर्तन, अनेक बोलियों, विभाषाओं एवं भाषाओं का उदभव, अवहट्ट का अनेक बोलियों में विकास, सिन्धी, लहन्दा, पञ्जाबी मराठी गुजराती, राजस्थानी, बिहारी बगला असमी, उडिया, पश्चिमी हिन्दी पूर्वी हिन्दी, नेपाली, पहाड़ी, सिंहली ।
- ९ हिन्दी का उदभव और विकास १६७
- मध्यदेश का महत्त्व, राष्ट्रभाषा की समस्या, संस्कृत, पालि, प्राकृत, मध्यदेश से सम्बन्ध, अपभ्रंश में पश्चिमी हिन्दी के उपकरण, ध्वन्यात्मक उपकरण, रूपात्मक उपकरण, नाम, आख्यात उपसर्ग, प्रत्यय, हिन्दी शब्द का निवचन, हिन्दी के प्रयोग एवं प्रारम्भ की कहानी, हिन्दी उद्गम समानता, विषमता ।
- १० हिन्दी ध्वनियाँ : स्वरूप और विकास २२५
- ध्वनि से तात्पर्य, ध्वनि और स्फोट, ध्वनि की उचित परिभाषा, हिन्दी की स्वर और व्यञ्जन ध्वनियाँ स्वर ध्वनियों के वर्गीकरण की प्रणालियाँ स्वर ध्वनियों का स्वरूप व्यञ्जन ध्वनियों के वर्गीकरण की प्रणालियाँ, व्यञ्जन ध्वनियों का स्वरूप, स्वर ध्वनियों की उत्पत्ति, व्यञ्जन ध्वनियों की उत्पत्ति ।
- ११ हिन्दी भाषा का रूपात्मक विकास २६५
- प्राचीन भारत में भाषा-अध्ययन के प्रकार, नाम आख्यात उपसर्ग निपात सज्ञा वचन लिङ्ग, कारक परसर्ग, सर्वनाम, विशेषण आख्यात धातु सिद्ध और साधित, अकर्मक, सकर्मक प्रेरणाधक और नामधातुओं का विकास, काल विस्तार, कृदन्त काल और तिङन्त काल, पूर्वकालिक क्रियायें, क्रियारमक सनायें, संयुक्त क्रियायें, उपसर्ग से तात्पर्य तदभव उपसर्ग अव्यय क्रिया विशेषण और अन्य अव्यय ।
- परिशिष्ट १ ३१३
- परिशिष्ट २ ३२७

प्रथम अध्याय

प्राचीन भारत का सांस्कृतिक वातावरण

बौद्धिक युग और उससे परिणाम—पाश्चात्य विद्वान और उनकी मनोवृत्ति—आयजन और उनके मूल निवास स्थान का भ्रम—विभिन्न मत—मतों का आधार—प्रजातिवाद—भाषावाद—प्राचीन शिलालेख एवं ग्रन्थ—प्राचीन भारत की मुख्य मुख्य प्रजातियाँ—हव्शी—आस्ट्रिक या निपाद—द्रविड—मगोलियन या किरात—इनका प्रभाव—छात्रस/संस्कृत, अवेस्ता, पालि/प्राकृत की तुलना ।

वर्तमान युग बौद्धिक विकास एवं सम्यता के प्रसार में कितनी तत्परता से सलग्न है, यह स्वयं सिद्ध तथ्य है जो विस्तृत व्यञ्जना की अपेक्षा नहीं रखता। मानव मस्तिष्क उस उबरा भूमि की भाँति काय निरत है जो एक बीज के प्रतिदान में वपनकर्ता को अमृत्य बीजों से आपूरित निष्कप रूपी फल प्रदान करता है। आज एक विषय जैसे ही अकुरित होता है जैसे ही तुरत शाखाओं एवं प्रशाखाओं में प्रस्फुटित हो कर पुष्पित एवं पल्लवित हो जाता है। क्या घम क्या साहित्य क्या राजनीति क्या समाजशास्त्र क्या इतिहास क्या सस्कृति, सभी क्षेत्रों में मानव प्रतिभा ने जो कमाल कर दिखाए हैं व अप्रतिम है। ज्ञान के सभी अंगों का आलोडन विलोडन कर उन पर पड़े अज्ञान के पर्दों को फाड़कर विद्वत्समाज उस रहस्य के उदघाटन में तल्लीन है जो या तो मानव मस्तिष्क के लिए गहन गुत्थी बना हुआ था, या मानव समाज उसके विषय में पूणत अनभिज्ञ था। प्रकृति के एस कितन ही व्यापारों का उदघाटन किया जा चुका है और कितनों का ही किया जा रहा है किंतु इस प्रकार के कृत्यों का उत्तरदायित्व वहन करते समय विद्वान् पुरुष यदि किञ्चित् मात्र भी यहक जाता है (कारण चाहे राजनैतिक घातक व राष्ट्रीय कोई भी रहा हो) तो वह अपने आप का तो प्रवचना के गहन गह्वर में पतित करता ही है साथ ही भावी सतत के लिए गहन समस्याओं का आदाता भी हो जाता है। बौद्धिकता की शान पर चढ़े हुए तेज धार वाले अनुमान प्रसूत तक किस प्रकार युगों से प्रस्थापित मानव मस्तिष्क के विश्वास बिहगों के पक्ष छिन्न भिन्न कर देते हैं यह एक कल्पित विधान नहीं, अकाट्य सत्य है। अतएव बुद्धिप्रधान तक वितक के युग में कम से कम बुद्धिजीवी वर्ग से मेरी विनय है कि वह अपनी निष्कष प्रतिभा का परिचय दे। उसकी समस्त मायताएँ व निष्कष पम्पान रहित प्रतिभा की उज्ज्वलता से जाज्वल्यमान हो।

इस समस्त आकलन से मेरा तात्पर्य उस महान भ्रम को उदघाटित करना था जो पाश्चात्य विद्वानों द्वारा तथा उनके ही पदचिह्नों का अनुकरण करने वाले भारतीय मनीषियों द्वारा इस देश के विद्यालयों व विश्वविद्यालयों में ज्ञान की आराधना में निरत भारत के भावी वर्णधारों के अतिरिक्त शिक्षित वर्ग एवं सामान्य जनता के मस्तिष्क को दूषित करने के लिए फैलाया गया। यह भयावह भ्रम है—आर्यों का आदि देश सप्तसिन्धु में मानकर उसके लिए प्रकलित की गयी भिन्न भिन्न धारणाएँ। इस प्रश्न को लेकर भिन्न भिन्न प्रकार की मायताओं की स्थापना के लिए अनुमान के आधार पर दूर दूर की कौड़ी खोजने के प्रयास में जो बुद्धि विलास किया गया है वह यह स्पष्ट प्रमाणित

करता है कि मनुष्य सत्य के उद्घाटन में ही सक्षम नहीं वह सत्य को तमसा धत करने में तथा उसे अज्ञान के अनेक आच्छादनो से वेष्टित कर असत्य को सत्य के आवरण में उपस्थित करने में अधिक सक्षम है। किन्तु ज्ञान की यह अचना निश्चय ही चिन्ता का विषय है। जाज से लगभग दो सौ या चार सौ वर्ष पूर्व भारत की छोड़कर शायद ही कोई देश था जो अपने आपको आय नाम से अभिहित कर गौरव का अनुभव करता रहा हो। वे जानते तक न थे कि एक दिन वे भी आय बनकर न केवल उस जाति के आर्य पुरुष के निकटतम दशज होने का दम भरेंगे, बल्कि उसका आदि स्थान भी यही कही निश्चित कर देंगे और वह देश जो राजनतिक दृष्टिकोण से चाहे जैसा रहा हो पर धार्मिक दृष्टिकोण से हिमालय से कन्याकुमारी तक हिन्दूकुश से बर्मा तक एक सगठित इबाई था तथा जिसके निवासी अपने को आय कहकर सप्त सिन्धु प्रदेश पर सौजान निछावर थे अब उसकी सन्तानें न केवल अपने को विदेशी समझने लगेंगी बल्कि अपने में भी द्रविड आय मगोलियन हारी आदि का वग भेद कर एक दूसरे से दूर जाने का उपक्रम करने लगेंगी यह किसे ज्ञात था। विधि की विडम्बना विचित्र है।

सर विलियम जोन्स विश्व के प्रथम व्यक्ति थे, जिन्होंने यह घोषणा की थी कि योरप की पुरातन भाषाओं में एव सस्कृत में प्रकृति साम्य ही नहीं रूप साम्य भी है तथा इनका मूल उद्गम किसी एक मूल भाषा में हुआ है। परिणाम स्वरूप योरप में सस्कृत भाषा का अध्ययन प्रारम्भ हुआ। उन्नत प्रतिभाओं के अपार भण्डार को एक ही स्थान पर (सस्कृत भाषा में) प्राप्त कर पाश्चात्य विद्वानों की आँखें खुली की खुली रह गई और वे वाणी के इन वरद पुत्रों के साथ न केवल भाषा का ही बल्कि अपना सागोपाङ्ग सम्बन्ध स्थापित करने का लोभ सवरण न कर सके। जब यह अनुमान लगाया जाना प्रारम्भ हुआ कि इन भाषाओं के बोलने वाला क पूर्वज प्रारम्भ में कही एक स्थान पर एक ही परिवार से सम्बन्धित हो रहते रहे होंगे। यही वह समय था जब भारत, ईरान, रूस का एक बहुत बड़ा भू भाग फारस तथा समग्र योरप अपने आपको आय एव उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं को जाय परिवार की भाषाएँ कहने लगा। इन भाषाओं के प्राचीनतम ग्रन्थों में ऋग्वेद अवेस्ता तथा ईलियड ओडेसी आदि का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन ग्रन्थों में भी ऋग्वेद प्राचीनतम धर्मग्रन्थ है। इस प्रकार जब इतने बड़े भू भाग में रहने वाले व्यक्ति अपने आपको आयों की सन्तान समझने लगे तो उनकी प्रतिभाएँ अपने पूर्वजों के आदि स्थान का अनुसंधान करने में व्यस्त हो गई। किन्तु इन अनुसंधाताओं के साथ दुर्भाग्य यह था कि इनमें से कतिपय विद्वान् रक्त की विधुद्धता के दम्भ से ग्रस्त थे, कुछ राजनतिक

गरिमा के आवरण से आवृत थे। हा, एक वग अवश्य ऐसा था जो शुद्ध ज्ञान की वृद्धि और सरस्वती के मंदिर की पावन आराधना के लिए काय कर रहा था। इस वग द्वारा प्रस्तुत विचार निःसंदेह विचारणीय हैं। प्रस्तुत निबंध में संक्षेप से हम यह देखने का प्रयत्न करेंगे कि क्या आर्यों का आदि देश सप्तसिंधु प्रदेश है? इससे पूर्व कि हम मूल विषय के विधेयार्थक पक्ष का प्रतिपादन करने के लिए अग्रसर हों यह जान लेना आवश्यक ही नहीं अनिवार्य हो जाता है कि जो विद्वान "आर्यों का आदि देश" भारत के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान का निश्चित करते हैं उनके आधारभूत सिद्धांत क्या हैं? यह इसलिए आवश्यक है कि किसी भी पक्ष में किसी मायता को स्थापित करने के लिए उनके सभी पक्षों का अवलोकन करना पड़ेगा। यदि किसी एक पक्ष को ही आधार मानकर हम अग्रसर होंगे तो मना वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम कह सकते हैं कि ज्ञान में और अनजान में हम किसी प्रकार की कट्टरता से ग्रस्त हैं। वह कट्टरता चाहे राजनैतिक हो चाहे सामाजिक धार्मिक तथा किसी अन्य प्रकार की। इस समस्या के समाधानार्थ विद्वानों ने प्रधान रूप में तीन सिद्धांतों का आश्रय लिया है— (१) प्रजाति का सिद्धांत (२) भाषा का सिद्धान्त (३) प्राचीनतम ग्रन्थों में प्राप्त तत्सम्बन्धी सामग्री तथा कुछ प्राचीन स्थानों की खुदाई इत्यादि में प्राप्त उपान्त।

सब प्रथम हम प्रजातिवाद पर विचार कर यह जानने का प्रयत्न करेंगे कि इससे प्रस्तुत समस्या का समाधान कहां तक सम्भव है। विद्वानों का एक वग है जो प्रजाति के सिद्धांत के आधार पर इस समस्या की समीक्षा करता है। यह वग विश्व के समस्त नर समुदाय को उसकी आकृति, गठन एवं वग के आधार पर कतिपय भागों में विभाजित कर लेता है तथा फिर भूगोल की सहायता से जलवायु इत्यादि का अध्ययन करता हुआ किसी एक प्रजाति के लिए कोई एक भू खण्ड निश्चित करने का प्रयास करता है तथा अन्य स्थानों पर प्राप्त उसी प्रकार के गठन वाले मानव समुदाय को एक ही वंश का सिद्ध करने की चेष्टा करता है। वर्तमान समय में यह सिद्धांत धीरे धीरे अपनी महत्ता खो रहा है क्योंकि यह सिद्धांत वर्तमान समय के मानव शरीरों का अध्ययन करने के पश्चात् उनके पूर्वजों के लिए कतिपय मायताएं निश्चित करता है जो पूर्णतः अनुमान पर आधारित हैं अथवा भिन्न भिन्न स्थानों की खुदाई इत्यादि में प्राप्त कि ही गिन चुने नर कवलों का परीक्षण कर उस आधार पर अपने सिद्धांत का निमाण करता है। परन्तु ये दोनों ही आधार दुर्बल हैं। प्रसिद्ध मानव शास्त्री हावेल ने इस सम्बन्ध में उचित ही कहा है

“It is a fact that race conscious persons hold an image of racial types in their heads”¹

अतः हम कह सकते हैं कि यह शास्त्र इस काय में अपना किञ्चित् योगदान तो दे सकता है कि तु मूल आधार नहीं बन सकता क्योंकि मानव की आकृति गठन एवं वर्ण पर तद्देशीय जलवायु तथा अन्तर रक्त मिश्रण आदि का प्रभाव अवश्य पड़ता है। दो वस्तुएँ मिलकर तीसरी नवीन वस्तु को जन्म देती हैं—यह रसायन शास्त्र का प्रमुख नियम है। अतः स्पष्ट है कि एक प्रदेश विशेष के व्यक्ति के दूसरे प्रदेश में जा बसने पर उसकी कुछ पीढ़ियों के पश्चात् की पीढ़ियाँ उस प्रदेश के लोगों की नस्ल में मिलने जुलने लगती हैं। इसमें जलवायु के साथ साथ भोजन की अल्पता तथा अधिकता का भी प्रभाव पड़ता है। उत्तर योरोप के यहूदिया का इस आधार पर किया गया परीक्षण उक्त सिद्धांत का खोलसापन सिद्ध करता है। प्रसिद्ध मानव शास्त्री फ्रंज बाउस (Franz Bous) ने शीप देशना पर टिप्पणी करते हुए लिखा है कि पूर्वी योरोप के अमरीका में जा बसे यहूदियों की शीप देशना ८३० थी। उनके पुत्रों एवं पौत्रों की प्रमश ८१४ तथा ७८७ पाई गई।² अतः यह कहना कि अमुक जाति की नस्ल के लिए निश्चिन्त सीमा यह है और जहाँ भी इस प्रकार की शारीरिक सीमा में आवद्ध व्यक्ति मिलेंगे वे उस निश्चित नस्ल विशेष के होंगे गले नहीं उतरती। न बिनान वेत्ताआ ने नेपाल के अध्ययन के द्वारा जिसमें सबसे कम परिवर्तन देखा गया है उसकी तीन स्थितियाँ स्वीकार की हैं (१) लम्बा कपाल, (२) मध्यम कपाल—(३) चौड़ा कपाल। इनकी नाप-जोख इस प्रकार स्थापित की गई—लम्बा कपाल ७४.६६ तक मध्यम कपाल ७५.० से ७६.६६ तक चौड़ा कपाल ८०.० से अधिक। इस सिद्धांत पर यदि उक्त यहूदी परिवार का परीक्षण करें तो उसकी प्रथम पीढ़ी चौड़े कपाल व अन्तगत द्वितीय पीढ़ी मध्यम कपाल की ओर अग्रसर होती हुई तथा तृतीय पीढ़ी मध्यम कपाल के अन्तगत आती है। यह अध्ययन यह भी सिद्ध करता है कि सम्भवतः उस परिवार की अगली पीढ़ियाँ लम्बे कपाल की ओर बढ़ गई हों तथा यदि यह परिवार अमरीका की अपेक्षा अफ्रीका अथवा एशिया में जाता तो यह विकास सम्भवतः भिन्न प्रकार का होता। अतः प्रजातिवाद के सिद्धांत का आधार पर किसी एक नस्ल को अधिक मात्रा में उस स्थान विशेष में प्राप्त कर उसका मूल उत्पन्न भी उन्हीं स्थान को मान लेना उचित नहीं क्योंकि इंग्लैण्ड में रहने वाले कितने ही भारतीय परिवार अब

¹ Man in the Primitive World p 119

² General Anthropology p 115

शारीरिक गठन में, विशेषकर स्त्रियाँ अपने मूल परिवार से भिन्न दिखाई देती हैं, पर योरपियना के समीपस्थ। इस प्रकार एक समय ऐसा आ सकता है जब कि व योरप के लोगों के अधिक समीप और भारत के लोगों से आकृति की दृष्टि से बहुत दूर पड़ जाएँ। ऐसी स्थिति में कोई न विज्ञान वेत्ता प्रजाति के सिद्धांत के आधार पर उस परिवार का मूल उदगम योरप में वहीं खोजने का प्रयास करे तो यह प्रयास उतना ही हास्यास्पद होगा जितना किसी वनस्पति शास्त्र वेत्ता का नीम वृक्ष का उदगम वट वृक्ष में खोजने का प्रयत्न। उक्त विवेचन से सिद्ध होता है कि इस सिद्धांत में भौगोलिकता और जल्पाधिक आहार विहार अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं। समान जलवायु में रहने वाले निवासियों की नस्लें समान हो सकती हैं पर वे एक ही वंश के भी हो यह नहीं हो सकता। अतः केवल इसे आधार मानकर भारत के उत्तरी एवं दक्षिणी भाग के लोगों को आय एवं द्रविड दो प्रजातियों में बाँट देना प्रजातिवाद के सिद्धांत के खोलखलेपन का परिचय देना है। सम्भवतः इसी विचार से चिन्कर स्वामी विवेकानन्द जी ने कहा है— 'अब एक सिद्धांत निवला है कि मनुष्या की एक खास प्रजाति थी जिसका नाम द्रविड था, जो दक्षिण भारत में रहती थी और उत्तर भारत में रहने वाली आय जाति से सबथा भिन्न थी। यह भी कहा जाता है कि दक्षिण भारत में रहने वाले ब्राह्मण हैं वे केवल वही थोड़े से आय हैं जो उत्तर भारत से दक्षिण को गए। दक्षिण भारत के बाकी लोगों की जाति और प्रजाति ब्राह्मणों की जाति और प्रजाति से सबथा भिन्न है। श्रीमान भाषाशास्त्रीजी आप क्षमा करेंगे, ये सारी बातें निराधार हैं।'³

इस प्रजातिवाद की भावना ने मानव समाज में घृणा का जो बीजारोपण किया है वह अवश्य ही अत्यन्त चिन्तनीय है। इस सिद्धान्त का आधार मान कर कितने ही विद्वान इन गौराग महाप्रभुओं को सम्म्यता का अप्रदूत मानने लगे। 'शुद्ध वैभव के एक मात्र अधिकारी गौराग ही हैं कृष्णाग नहीं, इस विचार के प्रचार में प्रजातिवाद के सिद्धांत मानने वाले यह भूल जाते हैं कि भारत के ही नहीं विश्व के एक मात्र आराध्य कमयोग सिद्धांत के आविष्कर्ता भगवान् श्रीकृष्ण कृष्णाग थे। कूटनीति का अप्रतिम पंडित आचार्य चाणक्य भी कृष्णाग थे ऐसी किंवदन्तियाँ हैं। हिंदुओं के प्रधान आराध्य द्याधिदेव विष्णु के लिए भी नील वंश की वरपना की गई है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रजाति का यह सिद्धांत किञ्चित् सत्य पर भी चाह आधारित हो

³ दी पब्लिकर आफ इण्डिया—स्वामी विवेकानन्द— 'आजकल' में श्री राम चारीसिंह दिनकर द्वारा उद्धृत।

पर यह उद्गता एय कौशाट्ट बसा की भाँति विप्यसक होने का कारण सबका गहित तय परित्याग्य हैं ।

उपयुक्त विषयन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आर्यों की कोई एक निश्चित नस्ल का पता कर उसी के उपगुण जलवायु वाले प्रदेश की रोज कर उसे आर्यों के आदि स्थान का श्रेय देना सयथा अबोधित एव कुतव है । आज समस्त योरप जहाँ तक अपने को आय जाति से सम्बद्ध मानता है वहाँ तक हमें कोई आपत्ति नहीं पर जहाँ वह अपनी आवृत्ति विशेष की मस्तिष्क म रसकर उनके आधार पर एक प्रजाति का लक्षण निश्चित कर उसका आदि-स्थान वहीं कही योरप म रोजने का जो प्रयास कर रहा है, वह व्यय है । क्या यह सम्भव नहीं कि योरप आदि नीत प्रदेशों म जो भिन्न भिन्न नस्लें आईं व देश व काल के क्रम म परिष्कृत होती हुई प्रायः पर्याप्त अशा म समान होती गई और जो एक निश्चित नस्ल विशेष के व्यक्तियों का आधिक्य योरप में पाया जाता है वह भी अनेक भिन्न नस्लों का रासायनिक मिश्रण हो, जो अब आर्यों की एक नस्ल का लक्षण बनकर प्रफुल्लित हो रहा हो अथवा इसे या भी कहा जा सकता है कि हजारों वर्ष पहले जो आय परिवार भारत वष स जाकर योरप म बस गया था, वह जलवायु की मिश्रता एव अय समुदाय के मेरा से अपने मूल परिवार से भिन्न पठ गया और अब अवसर पाकर तथा राष्ट्रीय भावना से प्रभावित होकर भारत के स्थान पर योरप को ही अपना आदि स्थान कहने म गौरव का अनुभव करने लगा हो । भारत के लिए इसके अतिरिक्त अय पुष्ट प्रमाणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि आर्यों का आदि स्थान भारत ही है । पुरातत्त्व शास्त्र के प्रकाण्ड पंडित डॉ० बी० के० घोष ने बर्दिक एज के तृतीय भाग म एक स्थान पर लिखा है

'In spite of all the evidence to the contrary India was the original home of the Aryans for there is no definite proof of the existence of an Aryan race or language outside India previous to the age of the Mohanjo daro culture (The Vedic Age Vol I p 202)

यद्यपि डा घोष जब तक मोहन जो दरो के समस्त रहस्यों का उद्घाटन नहीं हो जाता तब तक पाश्चात्य मनीषियों द्वारा निर्धारित सिद्धान्तों के आधार पर इसी निश्चय पर पहुँचते हैं कि आय भारत म बाहर से आये पर आपके द्वारा लिखित इस अध्याय के अध्ययन से अन्त मे जा प्रभाव मस्तिष्क म तैरता सा शेष रह जाता है वह यह है कि घोष जी इस पूरे दिल से सहमति प्रदान नहीं करते, जसा कि अगले अनुच्छेद से स्पष्ट होता है

But why consider the Mohanjo daro civilization to be

the oldest traceable civilization of India ? What is there to prove that the Aryan culture of Rig vedic India was not older than the culture represented by the ruins of Mohanjo daro ? (Ibid)

श्री रामधारीसिंह दिनकर ने इस विचारधारा को अधिक स्पष्ट शब्दों में अभिव्यक्त किया है

“यह बात किसी भी प्रकार बुद्धि में नहीं आती है कि द्रविड एक समय सारे उत्तर भारत में फैले हुए थे और आर्यों ने उन्हें इस प्रकार खदेड़ कर दक्षिण पहुँचा दिया कि उत्तर में उनका कोई भी चिह्न बाकी नहीं रहा। उन दिनों लडाइया में जोश खरोश या प्रतिशाप की भावना बहुत अधिक नहीं रहती होगी। यह वह समय था जब लोग बसने की जगह भर चाहते थे, बैठने की जगह भर मिल जाने पर घनका मुक्की तो चलती होगी पर शत्रुता भयानक रूप धारण नहीं करती होगी और यदि यह मानें कि आर्यों ने प्रतिशोध-पूर्वक द्रविडों को खदेड़ कर विन्ध्य के पार पहुँचा दिया होगा तो आरम्भिक आय साहित्य में दक्षिण का उल्लेख क्यों नहीं मिलता ? वेद और ब्राह्मण ग्रन्थ केवल सप्तसिंधु का नाम लेकर रह जाते हैं। उसके बाद के साहित्य से ब्रह्मावत का भूगोल समझा जा सकता है। मध्य देश का भूगोल कुछ और वाद को उभरता है। स्वयं पाणिनि (सातवीं सदी ई० पू०) को दक्षिण का पता था या नहीं यह सन्देह का विषय है।”

उपयुक्त उद्धरणों के अध्ययन के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आय लोग प्रारम्भ से ही पुण्य-सलिला पावन भारत भू पर ही निवास करते थे। द्रविड शब्द देशज है जो तमिल का उदबोधक है। तमिल संस्कृति के संस्थापक मुनिवर अगस्त्य थे यह सब विदित है। अगस्त्य मुनि का समुद्र के साथ संधप तथा जाय जाति के अथ ऋषियों के साथ मतभेद केवल लोक प्रचलित कथन ही नहीं अपितु शास्त्र सम्मत तथ्य है। अतः भाषा विभेद को लेकर द्रविडों और आर्यों को जो इसी भारत भूमि पर निवसित एक ही परिवार के सदस्य हैं दो भिन्न भिन्न प्रजातियों में विभाजित कर देना पूर्णतः अशोभनीय है। यदि मोहन-जो-दड़ो की सभ्यता की स्थापना द्रविडों द्वारा हुई जो आजकल एक पुष्ट मायता है तो यह भी निश्चिन्त है कि उक्त सभ्यता का सागोपाग अध्ययन यह भी निष्कर्ष कर देगा कि इसमें जाय संस्कृति का योगदान भी नगण्य नहीं है। श्री रामधारीसिंह दिनकर ने एक ऐसे ऋषि का जिक्र किया है जो आर्यों को ही मोहन-जो-दड़ो सभ्यता का निर्माता मानता है। मैं इसे इस प्रकार स्पष्ट करना चाहता हूँ कि द्रविड आर्यों की वसी ही एक प्राचीन शाखा है जिस प्रकार आधुनिक समय में हिन्दुओं के बहीर पन्थ सिक्ख सम्प्रदाय, जैन तथा बौद्ध धर्म आदि। अतः प्रजाति के सिद्धान्त के आधार को मानकर किसी निश्चय

पर नहीं पहुँचा जा सकता। मेक्समूलर ने इसकी पुष्टि बड़े सशक्त शब्दों में की है

“Aryan in scientific language is utterly inapplicable to race it means language nothing but language

अतः मे इस सिद्धांत के लिए हम कह सकते हैं कि प्रजाति का यह सिद्धांत खोखला है। एक जैसी आकृति और गठन के दो व्यक्तियों को एक वंश के सूत्र में नहीं बाधा जा सकता और न ही भिन्न भिन्न जलवायु के निवासियों को अनेक भागों में बाटा जा सकता है। डा. एस. के. चटर्जी ने ठीक ही कहा है

This view adopted in official publications and accepted very largely both in India and outside India without any questioning divided the people of India quite arbitrarily with both insufficient data and immature science (not wholly free it might also be suspected from political bias) into seven broad groups

(The Vedic Age Vol I p 141)

द्वितीय सिद्धान्त भाषा का सिद्धांत है। सर विलियम जोन्स ने विद्वानों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि संस्कृत भाषा तथा ग्रीक लटिन जर्मन आदि योरोप की भाषाओं का मूल उदगम किसी एक स्रोत से ही हुआ है। इस आधार को लेकर विद्वानों ने विश्व के मानव समुदाय का पारिवारिक विभाजन भाषा के आधार पर करना आरम्भ किया। इस प्रकार भारत ईराक, ईरान तथा योरोप में बोली जाने वाली भाषाओं को इण्डो आर्यन वंश के अंतर्गत रखा गया और इन भाषाओं के बोलने वालों को आय या आर्यों का वंशज कहा जाने लगा। किंतु इस पर इस सिद्धांत की सृष्टि कर लेना कि इस भाषा परिवार को बोलने वाला जन-समुदाय आय है और एक ही वंश से सम्बद्ध है माय नहीं हो सकता। यद्यपि आज उर्दू भाषा मूल रूप में हिन्दी की आकृति और प्रकृति से पूर्णतया भिन्न नहीं है और वाक्यों की बनावट तथा क्रिया आदि के प्रयोग प्रायः हिन्दी के अनुसार हैं तथापि किंतु इस भाषा में अरबी और फारसी के शब्दों को बहुतायत से सम्मिलित कर एक जाति विशेष ने इसे अपने भावाँ एवं विचारों की अभिव्यक्ति का साधन बना लिया है। क्योंकि यह भाषा विजनाआ के द्वारा अपनाई गई थी अतः विजिन भी इस प्रकार का प्रयोग करने लगे। कहने का तात्पर्य यह है कि अब भारत एवं पाकिस्तान के समस्त मुसलमान (इनमें तुर्कों अफगानों अरबों एवं मुगलों की सन्तानें सम्मिलित हैं) तथा उत्तर प्रान्त, दिल्ली और राजस्थान के यह हिन्दू परिवार जिनके पूर्वज राजपराना या मुसलमानों के सम्पर्क में आय, प्रायः उर्दू भाषा का प्रयोग करते हैं। किंतु उपरिखणित ये भाषा प्रयोक्ता परिवार एक भाषा का तो प्रयोग करते हैं परन्तु एक परिवार या वंश के

आवद्ध नहीं हैं। इसी प्रकार संस्कृत, ग्रीक, लैटिन आदि भाषाओं में साम्य है अतः इनका उद्गम एक मूल भाषा से हुआ होगा, यहाँ तक तो कोई आपत्ति नहीं किन्तु इसके साथ जो दूसरा प्रश्न उपस्थित किया जाता है कि मूल भाषा के बोलने वाले जन भिन्न भिन्न प्रदेशों में फैल गये और अपनी भाषा भी साथ ले गये। काल-क्रमानुसार चाहे इनकी भाषाओं में भिन्नता आ गई हो परन्तु इन भाषाओं अथवा इनकी तदभव भाषाओं के बोलने वाले एक ही परिवार या वंश के रहें होंगे, नहीं माना जा सकता। स्पष्ट है कि जब कभी भी कोई विजेता अथवा व्यापारी वग (जैसे अग्नेज व्यापारियों का भारत आगमन) जहाँ नहीं जाता है वहाँ अपनी भाषा भी ले जाता है। उसका वहाँ के निवासियों पर प्रभाव पड़ता है। स्थिति यहाँ तक पहुँच जाती है कि वहाँ के समस्त निवासी (यदि अल्प हों, जैसा कि आदि में था भी) उसी भाषा का प्रयोग करने लग जाते हैं। तत्पश्चात् उनकी आने वाली सत्ततियाँ उसे ही अपनी मातृभाषा मानकर अपना लेती हैं। इस प्रकार वह भाषा उनके जीवन में इतनी घुल मिल जाती है कि उसे पृथक् नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में एक प्रश्न विशेष के निवासियों की भाषा के आधार पर विजेता के वंश का कहना उपहासास्पद ही होगा। अग्नेजी शासन काल के इस प्रकार कितने ही उदाहरण भारत अफ्रीका अमरीका तथा अजय एशियाई देशों से प्रस्तुत किए जा सकते हैं। भारत की आदिम नागा आदि जातियाँ केरल एवं दक्षिण की अजय ऐसी जातियाँ हैं जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आंग्ल भाषा का उसी प्रकार प्रयोग करती हैं जिस प्रकार इंग्लैण्ड आदि देशों के निवासी। परन्तु भाषा का इस प्रकार प्रयोग करने पर भी ये जातियाँ अग्नेजी जाति की वंशज नहीं बनी जा सकती। अतः भाषा को ध्यान में रखते हुए भी इस विषय पर गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा कि योरोप की इतनी बड़ी जनसंख्या आर्य परिवार की भाषा का प्रयोग करते हुए भी आय जाति की वंशज हैं अथवा नहीं। क्या यह सम्भव नहीं कि भाषा का यह प्रयोग उसी प्रकार प्रारम्भ हुआ, जिस प्रकार भारत की आदिम जातियों में अग्नेजी का और चीन जापान लका, कोरिया आदि में बौद्ध धर्म का तथा योरोप के एक बहुत बड़े भू-भाग पर मध्य एशिया, एशिया माइनर तथा भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार। एक धर्म, एक भाषा होने पर भी क्रमशः ईराक, ईरान के निवासी अरब वालों के वंशज नहीं हो सकते और भारत की आदिम जातियाँ अग्नेजी की नहीं। अतः भाषा को आधार मानकर तथा यह तक देखकर कि आय परिवार की भाषाओं का प्रयोग करने वाली एक बहुत बड़ी जनसंख्या, क्योंकि योरोप में रहती है अतः आर्यों का मूल स्थान भी यही नहीं योरोप में रहा होगा कहना ऐसा ही हास्यास्पद होगा जैसा किसी अपरिपक्व बुद्धि वाले विद्वान् का यह कहना है कि क्योंकि

विश्व में बौद्ध धर्म के मानने वाले सबसे बड़ी संख्या में चीन में पाये जाते हैं अतः बौद्ध धर्म का प्रणेता भी यही कही चीन में ही उत्पन्न हुआ होगा।

जब से तुलनात्मक भाषा विज्ञान का प्रारम्भ हुआ है उक्त मत बहुत अधिक मात्रा में शक्ति ग्रहण करता जा रहा है। यद्यपि प्रारम्भ में जब योरोप के विद्वानों का सम्पर्क संस्कृत भाषा से हुआ था तब सभी ने एक स्वर से यह स्वीकार किया था कि आर्य परिवार की सबसे प्राचीन भाषा जिसमें मूल योरोपीय परिवार की ध्वनियाँ सुरक्षित हैं तथा जो मूल भाषा के सबसे अधिक निकट है संस्कृत है परन्तु जब धीरे धीरे योरोप के विद्वानों ने विशिष्ट जर्मन और फ्रेंच विद्वानों ने अपनी भाषाओं का—ग्रीक लैटिन गार्थिक, जर्मन तथा फ्रेंच—तुलनात्मक अध्ययन प्रारम्भ किया तो उन्हें कुछ ऐसे मूलभूत परिवर्तन के नियम दिखाई पड़े, जिनके आधार पर ग्रीक लैटिन, ट्युटनिक आदि भाषाओं से उच्च जर्मन इटालियन तथा अंग्रेजी आदि भाषाओं ने विकास प्राप्त किया। इन्हीं नियमों के आधार पर उन विद्वानों ने संस्कृत पर भी एक विहंगम दृष्टि डाल ली तथा उक्त नियमों को पुष्ट करन वाले कतिपय शब्दों का चयन भी उसमें कर लिया और एक ऐसी भाषा की कल्पना की जिसमें वैदिक संस्कृत अवस्था ग्रीक, लैटिन आदि भाषाओं का उद्गम हुआ होगा ऐसा माना जाने लगा। किन्तु इसमें सबसे बड़ी त्रुटि जो मैं समझता हूँ वह यह रह गई कि उपरिक्थित विद्वानों का जितना संशय अधिकार योरोप की मुख्य मुख्य भाषाओं पर था उतना भारत की सभी भाषाओं पर तो क्या स्वयं वैदिक संस्कृत पर भी नहीं रहा होगा। दूसरे वैदिक संस्कृत की ध्वनियों के सही उच्चारण के लिए ग्रन्थ उपलब्ध हाथ हुए भी संस्कृत के उन प्रकाण्ड विद्वानों का सहयोग परम आवश्यक था जो गौ मातृभाषी अक्षरों को हेय दृष्टि से देखते थे तथा अंग्रेज जिन्हें पाया पसी बकवाड फुलिश कहकर जिनका उपहास करते थे। ऐसी स्थिति में योरोप के विद्वानों ने वैदिक संस्कृत का अध्ययन या तो उपलब्ध ग्रन्थों के आधार पर किया था या एम गुरुजनों की सेवा में समर्पण किया जा स्वयं संस्कृत के मध्यम श्रेणी के विद्वान् य और उच्च श्रेणी के विद्वानों के बीच बटने के उपयुक्त न होने के कारण उनका प्रति प्रतिवार की भावना से भरकर अक्षरों को संस्कृत पत्थन लगे। गर विलियम जोस के जीवन की घटना ही इसका उदाहरण है। बिना योग्य गुरु के उपनयन ग्रन्थों के आधार पर किया गया अध्ययन क्या ही पतनवशात् जान है जगा आजकल के प्राइवेट रूप से परीक्षा में सम्मिलित ज्ञान वाच विचारियों का। दूसरी ओर भारतीय भाषा वैज्ञानिकों का अध्ययन मुख्य रूप से अक्षरों भाषा तक ही सीमित है और उनके द्वारा सिद्ध हुई अक्षरों गुणों अक्षरों भाषा में सिद्ध हुई गुणों का अनुमान कथवा स्वरान्तर मात्र है। इन दोनों

हिन्दी में लिखित पुस्तकों तथा कतिपय आंग्ल भाषा में लिखी गई इस विषय की पुस्तकों को पढ़ने का अवसर मिला, तब कुछ ऐसा प्रतीत हुआ कि हिन्दी ग्रन्थों में प्रायः उही उदाहरणों से काम चला लिया गया है जिनका प्रयोग प्रायः अंग्रेजी ग्रन्थों में पाया जाता है। स्वयं यह अनुसंधान करने का प्रयत्न नहीं किया गया है कि क्या इस प्रकार के अन्य उदाहरण भी भारतीय भाषाओं में उपलब्ध हैं और यदि उपलब्ध हैं तो कितनी मात्रा में? क्या इन नियमों के अपवाद हैं? यदि हैं तो उनकी मात्रा कितनी है? तीसरे जिस प्रकार विकास की दृष्टि में रखकर योरपीय परिवार की मूल भाषा की कल्पना की गई है, क्या वह वदिक सस्कृत या लौकिक सस्कृत के अनुरूप है? भारत में भाषाओं के विकास में मुख्य रूप से कौन-कौन से नियम सक्रिय रहे हैं—आदि समस्त तत्वों की दृष्टि में रखकर ही हमें प्रिय नियम प्राप्त मान वनर तथा तालव्य भाव के नियम को स्वीकृति प्रदान करनी चाहिए, अथवा नहीं। भारतीय विद्वानों ने सम्भवतः ऐसा कष्ट नहीं उठाया। यदि उठाया होता तो निश्चय ही इन नियमों की विवेचना किसी ग्रन्थ में उपलब्ध होती जो कि नहीं मिल सकी।

मैं भाषा विज्ञान के इस अंतिम नियम पर कुछ अपने विचार प्रकट कर मूल विषय पर आने का प्रयत्न करूंगा। आजकल योरपीय परिवार के लिए सबसे प्रभावशाली नियम तालव्य भाव का नियम माना जाता है जिसके अनुसार—भारत योरपीय मूलभाषा के कण्ठ स्थानीय स्पर्श (मूल कण्ठ स्थानीय तथा साधारण) जिनके जागे कोई तालव्य स्वर (इ, ई आदि) आने पर भारत ईरानी भाषा वगैरे में तालव्य व्यञ्जन के रूप में परिवर्तित हो गये और जहाँ ऐसा नहीं था वहाँ साधारण कण्ठ स्थानीय स्पर्श ही रहे।

उन नियम की विवेचना में यह कहा गया है कि ग्रीक लैटिन आदि भाषाओं के माथ उन स्थलों की तुलना करने से प्रतीत हुआ कि जहाँ-जहाँ उक्त स्थलों में सस्कृत में तालव्य व्यञ्जन पाया जाता है वहाँ वहाँ ग्रीक और लैटिन भाषाओं में इ, ई आदि कोई तालव्य स्वर (मूल या साधारण) कण्ठय स्पर्श के आगे पाया जाता है। इससे यही समझा गया कि भारत योरपीय मूलभाषा के तालव्य स्वर से पूर्व में आने वाले कण्ठ स्थानीय स्पर्श के स्थान में तालव्य व्यञ्जन ही जाता है। परन्तु सस्कृत शब्दों में ऐसे स्थलों में तालव्य व्यञ्जन के आगे जहाँ तालव्य स्वर इ, ई होना चाहिए वहाँ अ ही दृष्टा जाता है। इससे यह अनुमान किया गया कि सस्कृत में उन शब्दों में कण्ठय स्पर्श के स्थान में तालव्य व्यञ्जन के पाये जाने का कारण केवल मौलिक शब्दों में उस स्पर्श के आगे आने वाला तालव्य-स्वर ही हो सकता है। साथ ही इसका यह अर्थ होता है कि हमको मानना चाहिए कि मौलिक भाषा के मूल स्वरों को

जहाँ ग्रीक और लैटिन ने अपने-अपने रूप में गुरदित रखा वहाँ सस्कृत में उदात्त को केवल 'अ' के ही रूप में रखा है।

यदि कोई भारतीय विद्वान् इस नियम की स्थापना करता तो प्रायः इस प्रकार करता कि यदि सस्कृत में जहाँ तात्पर्य व्यञ्जन के साथ 'अ' पाया जाता है वहाँ उगवा विनास ग्रीक लैटिन आदि भाषाओं में दो रूपों में विकसित हुआ। वहीं यह उच्चारण मध्य में होने के कारण आगे फिसल कर दृश्य हो गया और पीछे फिसल कर यह कण्ठ्य स्थानीय स्पष्ट। इस प्रकार 'अ', 'ए' (इ ई, E) के रूप में विकसित हो गया। भारतीय परिवार की भाषाओं के अध्ययन से पता होता है कि अनेक स्थानों पर अ सस्कृत ध्वनि 'ए ओ, तथा अ म विकसित हुई मिलती है। इस प्रकार मूल योरपीय भाषा की कल्पना में जो च वग का अभाव है वह कल्पनाकर्ताओं के मस्तिष्क में योरपीय भाषाओं की ध्वनियाँ ही पायीं कर रही थी। अतः इस सिद्धांत का नाम भी 'ताल-य भाव का नियम' रखा जा सकता है। किंतु इसकी व्याख्या के अनुसार मूल योरपीय भाषा में च वग की कल्पना करनी पड़ेगी तथा अ, ए, ओ को मूल स्वर मानने के स्थान पर केवल अ ध्वनि को ही मूल ध्वनि मानना पड़ेगा। शेष ध्वनियाँ अ ध्वनि की ही विकसित रूप होंगी।

उपयुक्त नियमों को उदाहरणों से इस प्रकार सिद्ध किया जा सकता है—

सस्कृत	ग्रीक	लैटिन	सस्कृत	पालि	हिन्दी
च	Tc	que	वाच	वाक	वाक
पञ्च	Pente	quinque	रज	रोग	रोग
चिद	Ti	quid	वणिज	वणिक	बनिया

यदि मूल ताल-य भाव के नियम की हम यहाँ पर आलोचना करें तो पता होगा कि ये मूल योरपीय भाषा के कण्ठ्य स्थानीय स्पष्ट सस्कृत में तो ताल-य स्थानीय हो जाते हैं क्योंकि E ताल-य स्वर का प्रभाव है पर ग्रीक में यह दृश्य बना हो जाते हैं इसका कोई उत्तर नहीं, जब कि हमारा सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि जिह्वा का फिसलन ही ध्वनि उच्चारण का परिवर्तन है। ताल-य ध्वनियाँ कण्ठ्य ध्वनियों और दृश्य ध्वनियों के मध्य में पड़ती हैं। अतः कुछ भाषाओं में ये पीछे को बिसर्क गई हैं और कुछ में आगे की ओर। यह क्रम ग्रीक में आगे की ओर है तथा लैटिन में पीछे की ओर।

अब थोड़ा स्वरों पर और विचार कर लेना चाहिए। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि यदि सस्कृत की अ ध्वनि योरपीय भाषा परिवार में

तथा इनकी तदभव भाषाओं में 'अ ए, आ' के रूप में मिलती है। अतः "अ ध्वनि ही मूल ध्वनि है।

संस्कृत	ग्रीक	लटिन	अवेस्ता	पालि	मागधी
अजामि	अगो	अगो	अजामि	—	—
अस्ति	एस्ति	एस्त	अस्ति/अस्त	अत्थि	अत्ति
धम	—	—	—	धम्मो	धम्मे
दम	डोमोम	डोमुस	—	—	—
फल्गु	—	—	—	फेगु	—
अत्र	—	—	—	एत्थ	—
जन	गेनोस	गेनस	—	—	जने
प्रिय	—	—	—	—	पिये

अन्त में यह कहा जा सकता है कि योरोप के भाषा विद्वानों ने अनेक स्थानों पर जिन्हें मूल स्वर और मूल व्यञ्जन मानकर मूल योरोपीय भाषा की कल्पना की है वे ही रूप हमें पालि और प्राकृत में संस्कृत की मूल ध्वनियों के विकसित रूप में प्राप्त होते हैं। जैसे अइ आई अऊ आऊ आदि। इसी प्रकार संस्कृत की य ध्वनि के स्थान पर समस्त योरोपीय परिवार में ज या ज्ञ पाया जाता है। अतः मूल ध्वनि ज न हाकर य ही माननी पड़ेगी। यथा—

संस्कृत	ग्रीक	अवेस्ता	हिन्दी
द्यौस	ज्यूस	—	—
द्यौमित्र	जूपीटर	—	—
यज	—	यजन	जग्य
यम	—	जम	जम

इस सम्पूर्ण आकलन से मेरा तात्पर्य यह है कि भाषा विद्वानों की दृष्टि में योरोपीय परिवार की भाषाओं में यै० संस्कृत यत्ति सब की जननी नहीं तो ज्येष्ठा अवश्य है और यदि मूल भाषा की कल्पना की ही जाये तो संस्कृत अथवा भाषाओं की अपेक्षा उससे समीपस्थ होगी। अतः इस दृष्टिकोण से आर्यों का मूल स्थान भारत ही सम्भव है योरोप नहीं। इसके लिए एक यह तक भी प्रस्तुत किया जा सकता है कि पूर्व काल में विशेषकर 'ऋग्वेदिक आर्य' भाषा की शुद्धता पर सबसे अधिक बल देते थे। भाषा की शुद्धता के प्रति इस प्रकार के मोह के उदाहरण योरोपीय परिवार की अन्य भाषाओं में उपलब्ध प्राचीन ग्रन्थों में नहीं मिलते, जैसे कि वेदिक संस्कृत में। वेदों के पद पाठ, स्वर पाठ तथा जटा पाठ, इत्यादि इसके उदात्त प्रमाण हैं। साथ ही

'शतपथ' ब्राह्मण में भाषा के अशुद्ध उच्चारण करने वाला को अमुर कहा गया है और उनके भाग जाने का उल्लेख भी मिलता है। यथा—

ते अमुरा आसवचसो ह अलवो ! ह अलव ! इति वदन्त परावभूयुः
सस्मान् ब्राह्मण म्लेच्छेन् । अमुषां हि गपा वाव । (ये अमुर, हे अलव ! हे
अलव ! ऐसा कहते हुए हार गए । इसलिए ब्राह्मण म्लेच्छता न करे (अशुद्ध
उच्चारण न करे) ऐसी वाणी अमुरी होती है ।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत के वे आय परिवार जो भाषा के शुद्ध उच्चारण करने में असमर्थ थे वे भारत छोड़कर ईरान की ओर चले गए और वहाँ पर उठाने विरोधी घम अमुर घम की स्थापना की। जरपूट्ट उसका धार्मिक नेता और यूनानमुर उस घम के पातक नेता बने। इन्द्र और यूनानमुर के युद्धों के आश्रयाना से ऋग्वेद भरा पड़ा है। ईरान से भारत में आयों का आगमन (जैसा कि कुछ विद्वान् मानते हैं) इसलिए युवितसगत नहीं लगता कि वह युग भाषा की शुद्धता पर पूरा ध्यान देने वाला युग था तथा वे ही व्यक्ति सत्ताधारी हो सकते थे जो भाषा और घम की दृष्टि से अत्यन्त शुद्ध होते थे। इससे यह निष्कर्ष निकला, क्योंकि शक्तिशाली व्यक्ति अपने स्थान को कभी भी छोड़कर नहीं भागता, बल्कि दुबल और शक्तिहीन ही ऐसा करते हैं। इसलिए आयों का वह वग जो भाषा के अशुद्ध उच्चारण के कारण बहुसंख्यक जनता का सहयोग न पाकर निबलता अनुभव कर रहा था भारत छोड़कर ईरान की ओर चला गया अथवा उसे सत्ताधारी वग ने ईरान की ओर सदेह दिया, दूसरे आयों ने जिन शब्दों को अशुद्ध शब्दों के उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किया है वे ही शब्द या तो यो वं यो या कुछ परिवर्तन के साथ अवस्तन भाषा तथा ग्रीक, लटिन आदि में उपलब्ध होते हैं। अतः यह स्पष्ट कहा जा सकता है कि आयों का जो वग भाषा की सुरक्षा न कर सका, भारत छोड़ आय स्थानों की ओर फलता चला गया। इतना होने पर भी जब आय ऋषि भाषा के इस स्वाभाविक विकास को न रोक सके तो धीरे धीरे इनकी कट्टरता भी कम होती चली गई और भगवान् बुद्ध ने तो अपने घम का उपदेश भी पालि (अशुद्ध भाषा आयों के शब्दों में) भाषा में देकर इस कट्टरता की जड़ हिला दी। अतः भाषा के दृष्टिकोण से भी यही सिद्ध होता है कि भारत और योरप के मूल जन चाहे साथ साथ न रहे हों पर भारत और ईरान के आयों में प्रेम और सघष दोनों रहे हैं तथा मूल रूप में वे एक वंश से ही सम्बद्ध थे। परन्तु भाषा की शुद्धता और अशुद्धता के क्रमशः दो प्रतीक मुर और अमुर इस परिवार के सघष के कारण बने। उक्त विवेचन से यह तो सिद्ध हो ही गया कि ईरान ईराक आदि स्थानों में बस जाय भारत से गए। साथ ही ग्रीस का इतिहास पश्चिम और ग्रीस के जिन सघषों का लेखा जोखा प्रस्तुत करता है, कालक्रम के अनुसार बर्दिक

युग के बाद के पड़ते हैं। अतः निश्चित है ग्रीस और रोम में फैले हुए आय भारत से नहीं बल्कि उसकी ईरानी शाखा से निकल कर फैले हैं क्योंकि ग्रीस सभ्यता का भारतीय सभ्यता की अपेक्षा अवेस्तन सभ्यता से अधिक साम्य है।

तृतीय सिद्धान्त है प्राचीनतम उपलब्ध धर्म ग्रन्थ और खुदाई इत्यादि में प्राप्त उपादान सामग्री में निहित सबेद जिनके आधार पर आयों के मूल निवास स्थान का अनुमान लगाया जा सकता है।

उपयुक्त ग्रन्थों के अध्ययन के फल स्वरूप विद्वान् इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि भारतीय आय, भारत में किसी अन्य स्थान से आए जो मध्य एशिया, एशिया माईनर या योरप में कोई भूखण्ड हो सकता है। उसके लिये मुख्य रूप से तीन मापताएँ स्थापित की गईं।

(१) ऋग्वेद में कुछ ऐसी नदियों और स्थलों के नाम आते हैं जिनका अस्तित्व वर्तमान भारत में नहीं है। हाँ कुछ नाम ईरान में अवश्य प्राप्त होने हैं। अतः आय ईरान से भारत आए। इसी प्रकार अवेस्ता में अहूरमज्द ने आयों के निवास योग्य जिन जिन प्रदेशों का वर्णन किया है उनमें सप्तसिन्धु का पन्द्रहवाँ स्थान है। अतः यह सिद्ध होता है कि भारत में आने से पूर्व आय अन्य चौदह प्रदेशों का भ्रमण कर चुके थे। अतः सप्तसिन्धु उनका मूल उद्गम स्थल नहीं हो सकता।

(२) ऋग्वेद दस्युराज शम्बर एवं उसके अनुयायियों तथा इन्द्र एवं उसके प्रशसकों के पारस्परिक संघर्ष के वर्णनों में भरा पड़ा है। इससे सिद्ध होता है कि आयों के भारत प्रवेश करने से पूर्व यहाँ कोई अन्य जाति रहती थी जिन्हें आयों ने दस्यु दास एवं शूद्र के नाम से अभिहित किया। इस प्रकार भारत में शांतिपूर्वक बसने के लिये आयों को इन आदि-वासियों के साथ बड़ा लोहा लेना पड़ा था। यह भी इनका वही बाहर से आना सिद्ध करता है।

(३) वेदों में विशेषकर ऋग्वेद में उपा के सौन्दर्य वर्णन तथा उपाकाल में करणीय वृत्तियों के विस्तृत विधान से यह ज्ञात होता है कि आय लगभग स्मृति रूप में उस प्रदेश की उपा का वर्णन करते हैं जहाँ की रानियाँ लम्बी होती हैं। क्योंकि सप्तसिन्धु की न तो रानियाँ ही लम्बी होती हैं और न ही दीर्घ उपा काल ही। अतः स्पष्ट ही आय वही बाहर से आए और साथ ही उस प्रदेश की लम्बी रानियाँ की स्मृति भी लाए।

उपयुक्त मापताओं का यदि गम्भीरतापूर्वक विवेचन किया जाय तो ज्ञान होगा कि ये मापताएँ केवल अनुमान प्रभूत हैं। यह तो स्वयं सिद्ध है कि अनुमान से प्रत्यक्ष अधिक सबल होता है। जब हमारे पास ऐसे विचारों की प्रत्यक्ष प्रमाण है जिनके आधार पर यह सिद्ध किया जा सकता है कि आयों का मूल निवास स्थान सप्तसिन्धु प्रदेश ही है, कोई अन्य स्थान नहीं, फिर हम यह

अनुमान करने की क्या आवश्यकता है कि आयों का आदि देश क्या है ? यह तो ऐसा ही हुआ कि कोई व्यक्ति अपने ही घर में उपस्थित है और वहाँ पर भी यह अनुमान कोई विद्वान् लगाये कि यह अपने घर में उपस्थित है भी अथवा नहीं। यह केवल बुद्धि का विलास एव दूर की कौड़ी लाने का प्रयास मात्र है।

अब हम उपरिर्कथित मायताओं में से प्रथम का अवलोकन करते हैं। यद्यपि ऋग्वेद में कुछ ऐसी नदियाँ एव स्थानों का नामोल्लेख है जिनका अस्तित्व या तो भारत (वर्तमान) में था ही नहीं और यदि था भी तो वह विस्मृति के गत में लीन हो गया। यथा—कुभा रसा आदि। परन्तु विद्वानों के अनुसंधान परक अध्ययन ने यह बताया है कि इन दोनों नदियों की स्थिति काबुल में देखी जा सकती है, जो पंजाब की ओर बहती हैं तथा यह भी सिद्ध हो गया है कि सप्तसिंधु प्रदेश में उस समय वर्तमान पंजाब ही नहीं काबुल, पेशावर से लेकर हिमालय पर्वत की तलहटी में वसे प्रदेश तथा कश्मीर भी सम्मिलित थे। ऋग्वेद में इस प्रकार का संकेत मिलता है। यथा—‘रोमशा गांधारीणामिवाविका’ यहाँ पर गांधार की भेडा की भाँति राएँ वाली उपमा देना ऋग्वैदिक आयों के गांधार प्रदेश के ज्ञान का सूचक है। अतः कुछ विद्वानों का कुभा रसा आदि नदियों की स्थिति इरान में कहीं खोजना उचित नहीं। यदि इन नामों वाली नदियाँ वहाँ पर वर्तमान भी हैं तो इससे यह अर्थ नहीं निकलता कि ऋग्वैदिक आय यह नाम वहाँ से लेकर जाएँ। बल्कि या कहना चाहिये कि भारत से ईरान को जान वाला आयों का असुर पूजक वगैरे अपने साथ यहाँ की भाषा ले गया और स्मृति रूप में वहाँ की नदियों का नामकरण सस्वार इसी भाषा में जाने पहचाने नामों के आधार पर कर लिया। यह मायता भारतीय आयों पर इसलिए भी लागू नहीं हो सकती कि ऋग्वेद ईरान आदि प्रदेशों के सम्बन्ध में सर्वथा मौन है जब कि ‘अवेस्ता सप्तसिंधु का स्पष्ट उल्लेख करता है। यथा—‘जित पद्मह्वे देश को मैं उत्पन्न किया है वह हप्तहिंदु था। (अवेस्ता वेदिदा प्रथम पत्र अनुवाद—श्री सम्पूर्णनिर्देश कृत आयों का आदि देश पृष्ठ ४६)।

जहाँ तक दूसरी मायता का सम्बन्ध है उसका उत्तर यही है कि आयों एव दस्युओं के सघप का वधन तो वेदा में मिलता है पर यह उल्लेख वहाँ पर मिलता है कि आयों ने वहाँ बाहर से आकर भारत में प्रवेश किया और यहाँ उन्हें इस देश के आदिवासियों से लोहा लना पड़ा। एव वत् भूभाग में दो आदिम जातियाँ भी बस सकती हैं। जब ये दोनों एक दूसरे के सम्पर्क में आएँगी तो उनमें प्रेम और सघप दोनों ही सम्भव हैं। इन दोनों जातियों में प्रारम्भ में सघप और वत् में कुछ प्रेम के सन्धन भी मिलते हैं। महर्षि

विश्वामित्र का शम्बर कथा से परिणय ही इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। महर्षि विश्वामित्र वैदिक ऋषियो में अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं तथा शाम्बरी और विश्वामित्र से उत्पन्न ऋषिवर 'शुन शेष भी आदर के पात्र रहे हैं। अतः बिना किसी पुष्ट प्रमाण के केवल अनुमान के आधार पर हम यह कहे कि आर्यों का दस्युओं के साथ सघप का उल्लेख वेदों में मिलता है, अतः आय वाहर से आए कोई तक सगत नहीं। इस विचार का अध्ययन इस प्रकार भी समीचीन होगा कि आदिवाल में आय सप्तसिंधु में निवास करते थे और दस्युजन भी सिंधु नदी के इधर उधर घने जंगलों में निवास करते थे जैसा कि श्री वे० एम० मुंशी के 'लोपामुद्रा उपन्यास में ध्वनित होता है। अतः आर्यों का दस्युओं के साथ सघप, विशेषकर शम्बरराज के साथ नवाम तुक जाति का जसा सघप नहीं लगता बल्कि यह लगता है कि दोनों ही जातियाँ प्रायः अपने आपको भली प्रकार उस प्रदेश में बसाये हुई हैं। इन जातियों का सघप भी प्रायः भूमि या राज्य-स्थापन के लिए नहीं, बल्कि धार्मिक विरोध के परिणाम स्वरूप होता रहा है। इसकी पुष्टि में ऋग्वेद में पुष्कल प्रमाण उपलब्ध होते हैं। यथा—'अकर्मा दस्युरभि नो अमत्तुरयत्रतो अमानुष । त्व तस्या मित्र हन्वघर्दासस्य दम्भय ।' कुछ स्थल तो ऐसे आते हैं जिनसे यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि आर्यों के अतिरिक्त सप्तसिंधु में बसने वाली जाति ही दस्यु नाम से अभिहित नहीं होती थी बल्कि वे जाय भी जो यज्ञादि कार्यों के प्रति उदासीन से थे दस्यु कहलाते थे। यथा—'अयमेभि वचाकशट्टि चिक्वदासमायम तथा न यो रर आयन्नामदस्यव । ऽसील्लिए म्योर और राय ने लिखा है— दस्यु शब्द का प्रयोग स्यात् ही अनार्यों के लिये प्रयुक्त हुआ प्रतीत होता है'। इस विचार को शत प्रतिशत तो सत्य नहीं माना जा सकता है किन्तु संशोधित रूप में यह कहा जा सकता है कि 'दस्यु वग म आर्योतर जातिया ही नहीं आती, बल्कि वे आयजन भी आते हैं जो जाय घम के प्रति उदासीन थे।

तृतीय सिद्धांत का तृतीय मन अपना अत्यधिक महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। इसकी स्थापना महात्मा तिलक ने की थी। आपके अनुसार आय उत्तरी घुब के पास निवास करते थे जहाँ छ महीने की रातें होनी थी। क्योंकि उपा का वणन तथा उपाकालीन करणीय कृत्या का वणन यह सिद्ध करता है कि भारत के अल्प सामयिक उपाकाल में उन समस्त कृत्यों की यथाविधि सम्पन्नता नितान्त मुश्किल है। अतः निश्चय ही आय प्रारम्भ में किसी ऐसे स्थान पर रहते थे जहाँ का उपाकाल दीर्घ सामयिक हो। यह स्थान उत्तरी

ध्रुव के अतिरिक्त कोई अन्य रखा नहीं जा सकता। इन मासों के विरोध में श्री अविनाशचन्द्र दास तथा डॉ. मंगलनिधि ने बहुत कुछ लिखा है। उन सबकी पुरावावृत्ति यहाँ पर अधिकांश नहीं है। मगर इन मतों के विरुद्ध बखत मान यह तब है कि आय साग जब छ महीने की रात्रि वाले प्रश्न को छोड़कर १२ घंटे की रात्रि वाले प्रश्न में आय हाग तब लिखा ही उनका शरीर और मत पर तबोत जलसाग एवं मधु रात्रि निवृत्त का दुप्रभाव पडा होगा और उन्हें अत्यधिक आश्चर्य हुआ होगा कि मूय दाता शीघ्र बिना प्रकार उन्नि हो रहा है। किन्तु आयों के किसी भी प्रकार के दुग एवं आशय की स्पष्ट एवं अस्पष्ट अभिव्यक्ति प्रश्न में तथा तत्कालीन विगी अन्य उपलब्ध ग्रंथ में प्राप्य नहीं होती। यदि आज हम १२ घंटे की रात्रि वाले प्रश्न के निवासी आयों की अनुमात्र रात्रि की तुलना में ८ मिनट की रात्रि वाले प्रश्न में पहुँच जायें (यदि कही है तो) तो हमारी अर्थाधिक जागृत्या पूर्णनिद्रा प्राप्ति के अभाव में—जिगरे हम आनी हो चुके हैं—मर जायेगी। जय जनसंख्या की जिवित एवं रुग्णप्राय हो जाने की सम्भावना की जा सकती है। यद्यपि यह निश्चित है कि सन्धी रात्रि वाले प्रश्न के निवासी भी अति दीघ समय तक शयन नहीं करत हाग। यह भी सम्भव है कि रात्रि में भी उनके काय मया व्यवस्था चलते हा। परन्तु यह तो एक अकाट्य तथ्य है कि उनकी जीवितार्था २४ घंटे की रात्रि और निवृत्त वाले प्रश्न की अपक्षा सबका भिन्न रही होगी। फिर भी आयों के तरकातीय साहित्य में इन परिवर्तित जीवन चर्या का किसी भी प्रकार का कोई संकेत क्या नहीं प्राप्त हाता? रुग्ण एवं शिथिल होने की अपेक्षा आयों का भारत प्रवेश करत ही (जैसा उक्त मता नुयायी मानते हैं) दस्युआ एवं शूद्रा से सघप उनकी शारीरिक पुष्टता एवं सुस्वस्थता की सूचना देता है। अतः इस प्रकार तो आरोग्यशास्त्र के सिद्धांत भी फेन हो जाते हैं जो निद्रा एवं आराम जादि पर अपना नियम देते हैं। दूसरे यह भी माय नहीं है कि आयों की स्मृति में ही कोई त्रुटि थी कि वे प्राचीन वार्ताओं की तो स्मरण रखने में समय और सद्य घटित घटनाओं को भूल जाते थे या उनका वणन करना आवश्यक नहीं समझते थे। जहाँ वे उपाकाल के विस्तृत रूप एवं दीघकालीन स्थिति का निरूपण उत्तरी ध्रुव प्रदेश की स्मृति में करते हैं तो इसी के समानान्तर छोटे दिनों एवं रात्रिया के प्रति आश्चर्य प्रकट करने में मौन क्यों हैं? अतः स्व० तिलक जी के द्वारा इस सन्दर्भ में उदधृत ऋचाओं का एवं प्रसंगों का निश्चय ही कोई भिन्न अर्थ होना चाहिए जो सप्तसिंधु प्रदेश के अनुरूप हो अथवा विधेयात्मक युक्ति के अभाव में इसकी सिद्धि अपूर्ण एवं असफल सी ही रहेगी। यदि हम यह मान कि 'तिलक जी द्वारा उदधृत ऋचाओं की रचना तो उत्तरी ध्रुव प्रदेश में

हो चुकी थी और आर्यों के भारत में प्रवेश करने में अनेक वर्ष लगे और रात्रियों के छोटे होने का क्रम एकदम नहीं धीरे धीरे आर्यों को अनुभव हुआ। अतः वे आश्चर्यचकित नहीं हुए तो दूसरा प्रश्न यह उपस्थित होता है कि उत्तरी ध्रुव से लेकर भारत तक आने के बीच में आर्यों ने जो अनुभव प्राप्त किए तथा जो अर्थ घटनाएँ इस बीच में घटित हुईं उनका किंचित मात्र भी विवरण वेना में क्या नहीं मिलता है? क्या वे उत्तरी ध्रुव की सम्बन्धी रात्रियों के पश्चात् एकदम सप्तसिंधु प्रदेश का ही गुणानुवाद करने लगते हैं? स्पष्ट ही इनका कोई उत्तर अब तक उपलब्ध नहीं हुआ है। अतः जब तक ऋग्वेद या अथर्ववेद की समकालीन ग्रंथ इस प्रकार के तर्कों का उत्तर नहीं दे देता तब तक आर्यों का मूलस्थान उत्तरी ध्रुव का प्रदेश नहीं माना जा सकता।

तृतीय सिद्धांत का उत्तराद्ध है—सुदाई इत्यादि में प्राप्त उपादान सामग्री जिसमें सबसे प्राचीन बोगाजकूई की सुदाई में प्राप्त व लेख हैं जो मिट्टी की पट्टिकाओं पर कीलाक्षरों में लिखे हुए हैं। इनमें से एक लेख में हत्तीराज सुपिलल्युमम तथा मित्तरीराज मतिराज की पुत्र ब्या के विवाह का उल्लेख है। यह एक प्रकार का संधि पत्र है। इसमें अनेक विशिष्ट वैदिक देवताओं के नामों का उल्लेख मिलता है जस—शुरिषश भस्तश ईदर मित्तर उम्वन अरन आदि। उक्त लेख से यह तो सिद्ध होता ही है कि ई० पू० १४००—१३०० वर्ष पूर्व आर्यों एवं आय भाषा की उपस्थिति वहाँ पर थी परंतु समस्या यह है कि वे भारत से गए जयवा वहाँ से भारत आए। जहाँ तक हिन्दी प्रदेश से आर्यों का भारत आगमन का प्रश्न है वहाँ दो प्रश्न हमारा समक्ष प्रस्तुत होने हैं—प्रथम यदि भारतीय जाय हिन्दी प्रदेश से भारत आए और उक्त संधिपत्र के पश्चात् जाए तो निश्चय ही वे इस कीलाक्षर लिपि का प्रभाव अपने साथ लेकर आए होंगे तब फिर भारत में प्राप्त ब्राह्मी लिपि का उक्त लिपि के साथ सम्बन्ध क्या नहीं है? जसा कि बहुत से यारपीय मनीषी मानते हैं कि भारत में लिपि का विकास ईसा से ५०० वर्ष पूर्व ही हुआ है तब बोगाजकूई में प्राप्त कीलाक्षर लिपि का क्या महत्त्व रह जाता है जबकि वहाँ के निवासियों का एक समुदाय उससे अनभिज्ञ नहीं है। या या कहिए कि उसी शाखा से विछुड़कर या उसके पास के किसी स्थान से जहाँ पर लिपि का विकास बहुत पहले हुआ चुका था—(जैसा कि ये लोग मानते हैं) आने वाले भारतीय आय सप्तसिंधु प्रदेश में प्रवेश करते ही कुछ ऐसे विकृत मस्तिष्क हो गए कि लिपि का प्रयोग करना भी भूल गए और लगभग ७००—८०० वर्षों के पश्चात् यह विकृति दूर हुई जबकि मनोविज्ञान के बश परम्परागत संस्कार के सिद्धांत के अधीन भारतीय आर्यों की सत्तानों के मस्तिष्क में वह लिपि कुछ भिन्न स्वरूप में अवतरित हो गई। अजब विचार

विद्यमान है ! यदि बोगाजकूर्ई के शिवालेग आय राजाभा की रिवाज रण की प्रवृत्ति के मूलक है तो फिर उसी शाखा के राजा लोग भारत में आकर इग प्रकार के शक्तियन मिलने के प्रति क्या रिक्ता हुआ गए ? इसी सम्भ में एक प्रश्न यह भी उठाना जा सकता है कि जिसे राजाभा ने इग प्रकार की शक्तियों का अन्त मिट्टी की इटा पर किया तो इग प्रकार की घटनाओं का आकलन आयों के अपने साहित्य में क्या नहीं किया ? अत स्पष्ट है कि भारत में हितिया की उपरि कथित शाखा से निकसकर अथवा इग शिवा एव उसके आसपास के किसी अन्य स्थान से भारतीय आय नहीं आए ।

दूसरे वैदिक देवताओं के नाम जो यहाँ पर प्राप्त हुए हैं और त्रिन शब्द रूपों में हिन्दी विद्वानों ने उन्हें अपने ऋषियों में उद्भूत किया है वे रूप वदिक भाषा में शब्द रूपों से पूर्व के न होकर परमात् के नाम होने हैं । यथा—वैदिक संहिता एव लौकिक संहिता के समुच्चय में से कभी अथ' को और कभी पशु को द्वित्व कर उनमें स्वरागम लकार उच्चारण करने की प्रवृत्ति उत्तर कालीन भारतीय आय भाषाओं में बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है । यथा—

संहृत	हितो	पाति	पजाओ
मित्र	मित्तर	—	मितर
पुत्र	(इसी आधार पर)	—	पुत्तर
पितरु	—	—	पित्तर
चक्र	—	चक्र	चक्कर
लग्न	—	लग्न	लग
ग्रय विग्रय	—	कय विक्कय	—
परियय	—	परिवक्कय	—

उक्त उदाहरण में बोगाजकूर्ई के लेख में प्राप्त मित्तर शब्द के अनुरूप लोज हैं जो उत्तरकालीन भाषाओं में प्राप्त होते हैं ।

इसी प्रकार वहाँ से प्राप्त दूसरा शब्द है—ईन्दर । इस शब्द में स्वर भक्ति के साथ साथ पूर्व स्वर को दीर्घ करने की प्रवृत्ति लक्षित होती है । जहाँ तक स्वर भक्ति का सम्बन्ध है भारतीय भाषाओं के विकास में भली प्रकार देखा जा सकता है । हाँ ! सम्भव है आरम्भ के स्वर को दीर्घ करने की प्रवृत्ति वहाँ पर न मिले । यह आवश्यक भी नहीं है कि प्रभाव एव विकास सर्वथा समान ही हो । किन्तु मूल रूप में ये शब्दरूप वदिक शब्द रूपों से पूर्व के नहीं पश्च के दृष्टिगत होते हैं । बोगाजकूर्ई के अहन शब्द को लीजिए जो संहृत के अरुण शब्द का दाची है । यहाँ पर ण के स्थान पर न का प्रयोग मिलता है । पाति से लेकर वर्तमान पजाओ तक यह प्रवृत्ति

दृष्टिगत होती है यथा—संस्कृत—गुण पञ्जाबी—गुन, इसी प्रकार संस्कृत—
अरुण हत्ती—अरुण पञ्जाबी—अरुन आदि । 'शुरियश' शब्द में भी भारतीय
'श' ध्वनि अपना प्रभुत्व, जमाए हुए है । श ऊष्म ध्वनि भारतीय आय भाषा
की अपनी विशेषता है । आय परिवार की अन्य भाषाओं में श के स्थान पर
या ता 'स' मिलता है अथवा 'न' मिलता है । यथा—

संस्कृत	अवेस्ता	ग्रीक	लटिन
शतम्	सतम्	कट	केटुम्

अतः यह कैसे माना जा सकता है कि भारतीय आय एशिया माईनर से
आए और आते ही 'शुरियश' के स्थान पर 'सूय' 'ई'दर' के स्थान पर इद्र
तथा मित्र के स्थान पर मित्र का प्रयोग करने लगे । यदि भारतीय आयों
की शाखा बहुत बड़ी शब्द सुधारक बन भी गई होगी तो भी यत्र-तत्र उनके
साहित्य में इन शब्दों के भी कतिपय प्रयोग उपलब्ध होने चाहिए । लेकिन
नहीं होते । मुख सुख की दृष्टि से इद्र मित्र आदि शब्दों का उच्चारण सहज
और सरल है । इसका प्रत्यक्ष प्रमाण इन शब्दों के उत्तरकालीन भाषाओं में
पाया जाता है । इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उक्त लेख का भाषा वैज्ञानिक
विवेचन यही सिद्ध करता है कि भारतीय आयों की ही कोई शाखा भारत से
एशिया माईनर की ओर गई न कि एशिया माईनर से भारत आई और यह
वह समय हो सकता है जब भाषा विकास की ओर अग्रसर थी ।

अतः म. प्रजातिवाद भाषावाद एवं प्राचीन ग्र. यो तथा खुदाई इत्यादि में
प्राप्त उपादान सामग्री के आलोचन से पता होता है कि सप्तसिंधु प्रदेश के
अतिरिक्त किसी अन्य स्थल की सिद्धि भारतीय आयों के मूल उद्गम के लिए
नहीं होती । अब तक की प्राप्त सामग्री में सप्तसिंधु के पक्ष में प्रत्यक्ष प्रमाण
हैं और अन्य स्थलों के पक्ष में अनुमान प्रसूत । अनुमान से प्रत्यक्ष सबूत सबल
होना है । अतः जब तक किसी अन्य प्रदेश के लिए प्रत्यक्ष कारण एवं सबल
सामग्री सप्तसिंधु प्रदेश की तुलना में प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक हम यह
मानने में किंचित् भी सकोच नहीं करना चाहिए कि आयों का या या कहिए
आय सम्पत्ता एवं संस्कृति के मूल उत्स का प्रस्रवण सप्तसिंधु प्रदेश की ही
पावन भूमि से हुआ जहाँ इद्र ने अवरोधक वृत्रासुर को मार कर इसका मार्ग
प्रशस्त किया । इस सम्बन्ध में यदि म. डा० बी० के० घोष के शब्दों को पुनः
उद्धृत कर दूँ तो अधिक उत्तम होगा

' In spite of all the evidence to the contrary India was the
origin home of the Aryans for there is no definite proof of the
existence of an Aryan Race or language outside India previous
to the age of the Mohon Jo daro culture

संस्कृति से सात्त्विक—जिस प्रकार व्यक्ति की पहचान उसकी बाह्य आकृति एवं आंतरिक गुणों से की जाती है, उसी प्रकार किसी जाति की पहचान उसकी सम्यता एवं संस्कृति से की जाती है। संस्कृति अनुभव ज्ञान के और सम्यता बुद्धि-ज्ञान के आधार पर निर्भर होती है। संस्कृति शब्द की व्युत्पत्ति सम् 'उपसर्गपूर्वक' 'कृ' धातु से 'कृत्' प्रत्यय लगाने से निष्पन्न होती है जिसका अर्थ संस्कार किया हुआ, निखरा हुआ या निखारा हुआ होता है। स्वामी ब्रह्मानन्द जी सरस्वती ने संस्कृति का अर्थ भूषणभूत सम्यक कृति इति संस्कृति' किया है। भूषणभूत सम्यक कृति का विश्लेषण करते हुए स्वामी जी इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि मनुष्य के लौकिक पारलौकिक सर्वाभ्युदय के अनुकूल आचार विचार ही संस्कृति है।⁵ बात वास्तव में यह है कि बाह्य अथवा भौतिक उत्पत्ति के वे अवशेष जो हमारे जीवन एवं चिन्तन की स्थायी निधि बनते जाते हैं वे ही समष्टि रूप में संस्कृति के द्योतक होते हैं।

पश्चात्त्य विद्वानों ने इस विषय का अत्यन्त विस्तृत विवेचन किया है। संस्कृति के लिए उनके यहाँ कल्चर (culture) शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रसिद्ध मानव शास्त्री हीबल संस्कृति शब्द की व्याख्या लगभग भारतीय दृष्टिकोण के अनुकूल ही करते हैं। आपके अनुसार संस्कृति समाज के समकालित विभिन्न व्यवहारों की समष्टि है जो, समाज के प्रत्येक व्यक्ति का लक्षण होता है तथा वह जीवशास्त्रीय विरासत का परिणाम नहीं होता।

Culture is the sum total of integrated learned behavior patterns which are characteristic of the members of a society and which are therefore not the result of Biological inheritance.⁶

प्राचीन भारत का सांस्कृतिक समन्वय

यद्यपि इतने विवेचन के पश्चात् भी यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि आर्यजनों की सही निवास भूमि कहाँ पर थी तो भी इतना तो पूर्णतः निश्चित है कि ऋग्वेद एवं शोष वेदिक साहित्य भारत भूमि की अपनी निराली निधि है। इस साहित्य के अध्ययन से यह पता होता है कि आर्यों का सम्पर्क कुछ अर्य संस्कृतियों के साथ भी हुआ है। उन संस्कृतियों से उन्होंने कुछ ग्रहण भी किया और बहुत कुछ दिया भी।

ऋग्वेद में ऐसे शत्रुओं का वर्णन आता है जो कृष्ण जर्जर काल रंग के थे। 'अनासा' चिपटी नाक वाले थे। शिशुदेवा लिङ्ग पूजक थे। अयज्वन् यज्ञ न करने वाले थे। दास दस्यु ठाकू थे। शम्बर दस्यु का उल्लेख अनेक

⁵ कल्याण हिन्दू-संस्कृति विशेषांक पृष्ठ १६४।

⁶ Man in the primitive world—Heebel page 7

बार हुआ है जिसके दुर्गों का ध्वस इन्द्र ने अनेक बार किया है। इस प्रकार के अनेक उल्लेखों एवं वर्तमान समय में प्राप्त अनेक जादिवासी कबीलों के आधार पर विद्वानों ने कुछ निष्कर्ष निकाले हैं, यथा—प्राचीन भारत में हृदयी प्रजाति वर्तमान थी जो अफ्रीका से घूमती घामती भारत में आई। डा. चाटुर्ज्या के अनुसार ये सर्वप्रथम मानव हो सकते हैं जिन्होंने भारत भूमि पर चरण रक्खे। आजकल इनके अवशेष अण्डमान निकोबार प्राय द्वीपों में उपलब्ध होते हैं जहाँ ये अपनी अविकसित भाषा का ही प्रयोग करते हैं।⁷ आय भाषा पर इनका प्रभाव नाम मात्र की ही मिलता है क्योंकि यह प्रजाति अधिकतर दक्षिण में रही। दूसरे, बाद में आने वाली प्रजातियों ने इनको अपने में पूर्णतः आत्मसात् कर लिया। भारत के निम्न वर्णों के लोगों में इनका यह मिश्रित रूप भली प्रकार चिह्नित किया जा सकता है।

द्वितीय अनाय जाति आस्ट्रिक परिवार की थी जिनके साथ आर्यों का सान्निध्य हुआ। यही प्रजाति आगे चलकर संस्कृत साहित्य में निपाद जाति के नाम से प्रसिद्ध हुई। विद्वानों का मत है कि निपाद संस्कृति ने आय संस्कृति को पर्याप्त सीमा तक प्रभावित किया। इनके अवशेष भारत में कोल और मुण्डा जातियाँ हैं।

तृतीय प्रजाति जिसका आय संस्कृति के अध्ययन में महत्त्वपूर्ण स्थान है वह द्रविड प्रजाति थी, वेदों में जिन्हें दास, दस्यु या शूद्र के नाम से अभिहित किया गया है। विद्वानों का मत है कि मोहन जो दड़ों और हड़प्पा में जिस संस्कृति के अवशेष उपलब्ध हुए हैं उसकी सस्यापक यही प्रजाति थी। कुछ विद्वान् इस मत की तब तक स्वीकार करने की तैयार नहीं हैं जब तक उसमें प्राप्त सामग्री एवं सिक्कों पर प्राप्त लेखों का पूर्ण विश्लेषण एवं अध्ययन सम्पन्न नहीं हो जाता। दक्षिण भारत में बोली जाने वाली तमिल तैलगु आदि भाषाएँ उसी कबीले की भाषा या बालियों के विकसित रूप हैं। चाहे जो कुछ हो, पर इतना तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि आर्यों के सम्पर्क में आने वाली प्रजातियों में से इस प्रजाति की संस्कृति अत्यधिक समृद्ध एवं सुदृढ़ थी और इन्हें जीतने के लिए आर्यों को सर्वस अधिक कठिनाई का साम्मुख्य करना पड़ा था।

चतुर्थ प्रजाति जिसका आय संस्कृति के निर्माण में कम योगदान नहीं रहा वह है मगोल प्रजाति, जो बाद में किरात जाति कहलाई। पौराणिक साहित्य में अनेक स्थानों पर इन्हें अथ-देव या अलौकिक जनों के रूप में वर्णित किया गया है। डॉ. चाटुर्ज्या के अनुसार वैदिक काल में ही य किरात के नाम से

⁷ भारतीय आय भाषा और हिंदी पृष्ठ ४६ ४७।

संस्कृति से सम्बन्ध—जिस प्रकार ध्वनि की पहचान उमरी बाह्य आकृति एवं आंतरिक गुणा से की जाती है, उसी प्रकार किसी जाति की पहचान उमरी सम्पत्ता एवं संस्कृति से की जाती है। संस्कृति अनुभव ज्ञान के और सम्पत्ता बुद्धि-ज्ञान के आधार पर निर्भर होती है। संस्कृति शब्द की व्युत्पत्ति सम' उपगमपूरक शृ पायु से चित्त प्रत्यय समान से निष्पन्न होती है जिसका अर्थ संसार विना हुआ निगरा हुआ या निगारा हुआ होता है। स्वामी ब्रह्माजी संस्कृतियों से संस्कृति का अर्थ भूषणभूत सम्पत्कृति इति संस्कृति किया है। भूषणभूत सम्पत्कृति का विश्लेषण करत हुए स्वामी जो इस निष्पत्त पर पहुँचे हैं कि मनुष्य के लौकिक पारलौकिक सर्वाभ्युदय के अनुकूल आधार विचार ही संस्कृति है।⁵ यान् वास्तव में यह है कि बाह्य अथवा भौतिक उत्पत्ति के अर्थों में जो हमारे जीवन एवं चिन्तन की स्थायी निधि बनते जाते हैं वे ही समष्टि रूप में संस्कृति के स्वरूप होते हैं।

पश्चात्कालीन विद्वानों ने इस विषय का अर्थ तद्विषय विवेचन किया है। संस्कृति के लिए उनका यहाँ कल्चर (culture) शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रसिद्ध मातृ शास्त्री हीबल संस्कृति शब्द की व्याख्या समग्र भारतीय दृष्टिकोण के अनुकूल ही करत हैं। आपने अनुसार संस्कृति समाज के समाहित विषय व्यवहारों की समष्टि है जो समाज के प्रत्येक व्यक्ति का सम्पन्न होता है तथा वह जीव शास्त्रीय विरासत का परिणाम नहीं होता

Culture is the sum total of integrated learned behavior patterns which are characteristic of the members of a society and which are therefore not the result of Biological inheritance.⁶

प्राचीन भारत का सांस्कृतिक सम वय

यद्यपि इतने विवेचन के पश्चात् भी यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि आयजनों की सही निवास भूमि कहीं पर थी तो भी इतना तो पूर्णतः निश्चित है कि ऋग्वेद एवं शेष वैदिक साहित्य भारत भूमि की अपनी निराली निधि है। इस साहित्य के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि आयों का सम्पत्क कुछ अर्थ संस्कृतियों के साथ भी हुआ है। उन संस्कृतियों से इन्होंने कुछ ग्रहण भी किया और बहुत कुछ दिया भी।

ऋग्वेद में ऐसे शत्रुओं का वर्णन जाता है जो कृष्ण अर्थात् काले रंग के थे। अनासा चिपटी नाक वाले थे। शिशुदेवा लिङ्ग पूजक थे। अयस्वन् यज्ञ न करने वाले थे। दास दस्यु डाकू थे। शम्बर दस्यु का उल्लेख अनेक

⁵ कल्याण हिंदू संस्कृति विशेषांक पृष्ठ १६४।

⁶ Man in the primitive world—Heebel page 7

बार हुआ है जिसके दुर्गों का घबस इन्द्र ने अनेक बार किया है। इस प्रकार के अनेक उल्लेखों एवं वर्तमान समय में प्राप्त अनेक आदिवासी कबीलों के आधार पर विद्वानों ने कुछ निष्कर्ष निकाले हैं यथा—प्राचीन भारत में 'हवशी' प्रजाति वर्तमान थी जो अफ्रीका से घूमती घामती भारत में आई। डॉ. चाटुर्ज्या के अनुसार ये सर्वप्रथम मानव हो सकते हैं जिन्होंने भारत भूमि पर चरण रखे। आजकल इनके अवशेष अण्डमान निकोबार प्राय-द्वीपों में उपलब्ध होते हैं जहाँ ये अपनी अविकसित भाषा का ही प्रयोग करते हैं।^१ आय भाषा पर इनका प्रभाव नाम मात्र को ही मिलता है क्योंकि यह प्रजाति अधिकतर दक्षिण में रही। दूसरे, बाद में आने वाली प्रजातियाँ ने इनको अपने में पूर्णतः आत्मसात् कर लिया। भारत के निम्न वर्णों के लोगों में इनका यह मिश्रित रूप भली प्रकार चिह्नित किया जा सकता है।

द्वितीय, अनाय जाति आस्ट्रिक परिवार की थी जिनके साथ आर्यों का सान्निध्य हुआ। यही प्रजाति आगे चलकर संस्कृत साहित्य में निपाद जाति के नाम से प्रसिद्ध हुई। विद्वानों का मत है कि निपाद संस्कृति ने आर्य संस्कृति का पर्याप्त सीमा तक प्रभावित किया। इनके अवशेष भारत में काल और मुण्डा जातियाँ हैं।

तृतीय प्रजाति जिनका आर्य संस्कृति के अध्ययन में महत्वपूर्ण स्थान है वह द्रविड प्रजाति थी, वेदों में जिन्हे दास, दस्यु या शूद्र के नाम से अभिहित किया गया है। विद्वानों का मत है कि मोहन जो दड़ो और हड़प्पा में जिस संस्कृति के अवशेष उपलब्ध हुए हैं उसकी संस्थापक यही प्रजाति थी। कुछ विद्वान् इस मत को तब तक स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं जब तक उसमें प्राप्त सामग्री एवं सिक्कों पर प्राप्त लेखा का पूर्ण विप्लेपण एवं अध्ययन सम्पन्न नहीं हो जाता। दक्षिण भारत में बोली जाने वाली तमिल तलगु आदि भाषाएँ जमी कबीले की भाषा या बालियों के विकसित रूप हैं। चाहे जो कुछ हो पर इतना तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि आर्यों के सम्पर्क में आने वाली प्रजातियों में से इस प्रजाति की संस्कृति अत्यधिक समृद्ध एवं सुदृढ़ थी और इन्हें जीतने के लिए आर्यों को सबसे अधिक कठिनाई का साम्मुख्य करना पड़ा था।

चतुर्थ प्रजाति जिसका आर्य संस्कृति के निर्माण में कम योगदान नहीं रहा वह है मगोल प्रजाति जो बाद में किरात जाति कहलाई। पौराणिक साहित्य में अनेक स्थानों पर इन्हें अश्व-देव या अलीनिक जनों के रूप में वर्णित किया गया है। डॉ. चाटुर्ज्या के अनुसार वैदिक काल में ही ये किरात के नाम से

^१ भारतीय भाषा भाषा और हिन्दी पृष्ठ ४६ ४७।

जाने लगे थे ।^४ इस जाति का भारत के सांस्कृतिक निर्माण [अचन पूजा] में बहुत अधिक योगदान रहा है ।

संस्कृति के अथ उपपादानों को छोड़कर हम यहाँ पर केवल भाषा की दृष्टि से ही इनके पारस्परिक आदान प्रदान का अवलोकन करने का प्रयत्न करेंगे । पिछले तीन चार सौ वर्षों के अनथक प्रयास के फलस्वरूप विद्वान् भाषा विषय एक सबसेसम्मत निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि योरप, रूस, ईरान, भारत आदि में बोली जाने वाली भाषाओं का मूल उत्स कोई एक भाषा है जिससे छाँदस, ग्रीक, लैटिन, जर्मनिक, वेल्डिक, अवेस्तन आदि विश्व की समस्त भाषाएँ प्रस्फुटित हुई हैं । इनमें कौनसी भाषा प्राचीन है तथा आदि भाषा के अधिक समीप है, इस उलझन में न पड़कर यह तो स्वीकार किया ही जा सकता है कि उक्त भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन इस बात के लिए हमारा मांग प्रशस्त कर सकता है कि हम एक मूल भाषा का अनुमान कर सकें तथा उसकी ध्वनियों एवं रूपों का निर्धारण कर सकें और यह कार्य पाश्चात्य भाषा वैज्ञानिक सम्पन्न करने का प्रयास कर चुके हैं किन्तु उनका यह कार्य वहाँ तक वैज्ञानिक है, यह नहीं कहा जा सकता । इसके विरोध में डा. राम विलास शर्मा के तब जल्यंत विचारणीय हैं, जैसा कि उन्होंने कदुम और शतम के सिद्धांत के सम्बन्ध में कहा है एक समस्या और है यदि आर्यों की पश्चिमी शाखा मूल कण्ठ्य ध्वनियाँ को सुरक्षित रखे हुए शत' व म्यान पर केतुम् का व्यवहार करती थी, तो जमन और अग्नेजी में वेण्टुम् की जगह हण्डेट और हण्ड्रेड का व्यवहार कैसे होने लगा ? जमन में कसर कापिटाल, काल्ट, कार्टे, केनेन, केन, केनावे, किट आदि ढेरों शब्द हैं जो व से आरम्भ होते हैं जिनके मध्य या अन्त में व हो उनका जिक्र नहीं । फिर जमन आर्यों ने वेण्टुम् के 'क' से क्यों परहेज किया ?^५ इसी प्रकार भारतीय आय परिवार की ओर भी आपन सवेत किया है कि विद्वानों के अनुसार आर्यों की पश्चिमी शाखा ने मूल कण्ठ्य ध्वनियाँ को सुरक्षित रखा है भारत और रूस की शाखा ने उन्हें ऊष्म बना दिया है । लैटिन 'केतुम्' संस्कृत शत' इनमें लैटिन ने मूल ध्वनि का सुरक्षित रखा, संस्कृत आदि पूर्व की भाषाओं ने उस श या स का रूप दे दिया । प्रश्न यह है कि किम् व, कुत, कुत्र आदि व-मुक्त शब्दों का विशाल भण्डार रखने वाली भाषा ने 'केतुम्' के 'क' को ही क्यों अछूत समझा ?^{१०}

^४ भारतीय आय भाषा और हिन्दी, पृष्ठ ६२ ।

^५ भाषा और समाज, पृष्ठ ३८ ।

^{१०} वही, पृष्ठ ३८ ।

उपयुक्त सन्दर्भ इसका पर्याप्त प्रमाण है कि पाश्चात्य भाषा विज्ञ इस सिद्धांत के साथ पूर्ण तय्यारी नहीं कर पाये। आवश्यकता इस बात की है कि आय-परिवार की सभी भाषाओं के प्रवाण्ड पंडित मिलकर सम्पूर्ण शब्द कोष एवं ध्वनि सामग्री का विश्लेषण करें तथा बहुमाय नियम पर पहुँचने का यत्न करें। कुछ शब्दों को चुन कर किसी एक व्यक्ति के द्वारा प्रस्थापित सिद्धांत त्रुटिविहीन हो जाए इसकी बहुत कम सम्भावना है। भाषा पाण्डित्य के साथ साथ समाज शास्त्र, राजनीति शास्त्र तथा मनोविज्ञान का ज्ञान भी उस मण्डली के लिए परम अपेक्षित है।

उपयुक्त मूल भाषा की कल्पना का संकेत देने के पश्चात् हम अपने विषय पर आते हैं। भारतीय आय परिवार जो अय आम परिवारों से भिन्न दृष्टिगत होता है उसमें सबसे महत्त्वपूर्ण 'मूधय ध्वनियाँ' हैं। ये ध्वनियाँ या तो भारतीय आय-परिवार में प्राप्त होती हैं या जर्मनिक परिवार में। कुछ मात्रा में विद्वानों का विचार है कि लैटिन में उनका प्रवेश हो चुका था। इस पर यदि हम गम्भीरता से विचार करें तो स्पष्ट हो जाएगा—पाश्चात्य रंग में रने विद्वानों को यह चाहे न सके—कि जर्मनिक शाखा भारतीय शाखा से मूधय ध्वनियों के विकास के बाद अलग हुई है जिसने जाकर रोमन संस्कृत पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। ग्रीक और रोमन संस्कृति तथा परशियन संस्कृति के बाद जर्मन संस्कृति का अम्युदय इसका प्रमाण है। यह निश्चित सा है और मान लेना चाहिए कि आय परिवार में मूधय ध्वनियाँ विजातीय तत्त्व हैं और बहुत सम्भव है कि भारत में अनाय संस्कृति का सम्पर्क ही इनका प्रदाता रहा हो। आस्ट्रिक प्रजाति की तथा द्रविडों की भाषाएँ मूधन्य ध्वनि प्रधान होने के कारण इस मायता की ओर भी बल मिल जाता है। आय, क्योंकि विजेता थे अतः उन्होंने अपनी भाषा की प्रकृति और प्रत्यय की सुरक्षा करते हुए विजितों द्वारा दिए गए सिधिल एवं अशुद्ध उच्चारणों को न चाहते हुए भी स्वीकार कर लिया। अनेक स्थानों पर 'र' के स्थान पर 'ल' का प्रवेश भी आर्योत्तर भारतीय कबीला का ही प्रभाव कहा जा सकता है। यद्यपि इस पर भी डा. रामविलास शर्मा के एक अकाट्य तर्क है तो भी यह स्वीकार करना पड़ेगा कि 'र' के स्थान पर ल का उच्चारण विजातीय प्रभाव है जिसके लिए पाणिनि को 'डलयो रलयो रभेद' कहना पड़ा। इसके अतिरिक्त अनेक ऐसे शब्द हैं जिनकी व्युत्पत्ति छान्दस के प्रकृति और प्रत्ययों के अनुरूप नहीं बैठती। डॉ. चाटुर्ज्या न ऐसे अनेक शब्दों की सूची प्रस्तुत की है।

भाषा के अतिरिक्त अनेक अय सांस्कृतिक उपादान भी आर्यों न इन आर्योत्तर जातियों से ग्रहण किए। यथा—लिङ्ग (शिव) पूजा, नाग पूजा, मातृका पूजन शक्ति पूजन वृक्ष पूजन ग्राम के बाहर पत्थर पर सँदूर या लाल रंग से रने

हुए परस्पर की पूजा, गाण्पव विवाह गौ पूजा, शिव पूजन, वृषि म धान की रोती अनेक शाक सन्जियो का उत्पादन तथा योगविद्या आदि ।

उपर्युक्त विश्लेषण से मरा तात्पर्य केवल यह बता देना है कि छान्दस युग म ही भाषा ने अनेक विजातीय तत्त्वों को ग्रहण करना प्रारम्भ कर दिया था । यह स्वाभाविक था, क्योंकि आज की भारतीय भाषाएँ अरबी फारसी पुतगीज आंग्ल आदि भाषाओं के प्रभाव स अपने को वचित न कर सकी तो फिर उस समय की छान्दस उस भाषा के बोलने वालों के सम्पर्क म आई, अथ भाषाओं के प्रभाव से मुक्त रह सकी होगी, कुछ जँचता नहीं है । य प्रभाव कौन कौन से हो सकते हैं किस प्रकार के हैं तथा कौन सी भाषाओं के हैं यह स्वतन्त्र रूप से विचार के विषय हैं और पृथक ग्रन्थ की अपेक्षा रखते हैं । अत म समझता हूँ यहाँ पर इतने सकेत ही पर्याप्त हैं ।

प्राचीन भारतीय आय भाषा पर विचार करने से पूर्व एक महत्वपूर्ण विषय पर विचार कर लेना असगत न होगा । विद्वानों का विचार है कि छान्दस और अवेस्ता की भाषा म इतना साम्य है कि केवल कुछ ध्वनियों के परिवर्तन कर देने पर दोनों भाषाओं का स्वरूप समान हो जाता है । उनके निष्कर्ष हैं कि ध्वनियों का यह अन्तर भारत ईरानी शाखा स पृथक होने पर छान्दस ने विकसित कर लिया और ऋग्वेद की भाषा अवेस्ता की भाषा का पश्चकालीन विकसित रूप है किन्तु दोनों भाषाओं की तुलना के पश्चात मन यह मायता स्वीकार करने को तयार नहीं होता । यदि छान्दस से विकसित भाषाओं—पालि प्राकृत आदि—का मिलान अवेस्ता की भाषा से करें तो इन मे पर्याप्त मात्रा मे समानता दृष्टिगत होती है । कितने ही ध्वनि परिवर्तनों के आधार के ही तत्त्व हैं जो पालि या साहित्यिक प्राकृतों के भी हैं । सस्कृत/छान्दस अवेस्ता/ प्रा० फारसी पालि/ प्राकृत आदि भाषाओं के कुछ चुने हुए उदाहरणों के द्वारा म अपने मत की पुष्टि करने का प्रयत्न करूँगा

१ सस्कृत/छान्दस के अत्य 'अ' के स्थान पर अवेस्ता म ओ, प्राचीन फारसी मे अ, ओ पालि मे ओ तथा मागधी म ए मिलता है—

छान्दस/सस्कृत	अवेस्ता	प्रा० फारसी	पालि	प्राकृत
जात	जातो	जात	जातो	जातो/जाते
पुत्र	पुत्रो	पुत्र	पुत्तो	पुत्तो/पुत्ते

२ छान्दस या सस्कृत के ज के स्थान पर अवेस्ता म ए ओ इ मिलते हैं । ठीक इसी प्रकार पालि तथा अथ प्राकृतों म भी 'ए ओ इ मिलते हैं—

छादस/संस्कृत	अवेस्ता ¹¹
अजति	अजेति
पनि	पेतिस
सतम	हँन्तम्
यम	यिम
वसु	वोहु
छादस/संस्कृत	पालि/प्राकृत
अत्र	एत्थ
अघस्तात्	हेट्टा
तमस	तिमस
त्रिपु	तिपु
अतर्	अतो
तिरस्क	तिरोक्ख

३ छादस/संस्कृत 'ऋ' के स्थान पर अवेस्ता 'ऐर' प्रा० फारसी 'र पालि/प्राकृत इ उ, अ तथा रि ईर मिलते हैं—

छादस/संस्कृत	अवेस्ता/प्रा० फारसी	पालि	प्राकृत
वृणोति	केरेनओइति —	—	वीय्णोति
वृक्षम	वरेशम —	रक्ख	रुक्ख
मृगाङ्ग	— —	मयक	मियक
छादस/संस्कृत	अवेस्ता/प्रा० फारसी	पालि	प्राकृत
ऋपि	— खइस	इसि	रिसि
ऋणम	— —	इण	रिण

४ छादस/संस्कृत के ऐ/औ का अवस्ता म 'आइ तथा आउ होते हैं परंतु पालि/प्राकृत में अइ तथा अउ' हाते हैं—

छादस/संस्कृत	अवेस्ता	पालि	प्राकृत
पौर	—	पउरो	पउरो
गोड	—	—	गउड
वस्म	वहमाइ	—	—
चत्यम्	—	चइत्त	—

¹¹ अवेस्ता/प्रा० फारसी के नियम 'हिन्दी भाषा का उद्भव और विकास', पृष्ठ २४-३८ से लिए गए हैं।

हुए पत्थर की पूजा, गांधय विवाह, गौ पूजा, शिव पूजन, वृषि म धान की रोती अनेक शाक सन्धियों का उत्पादन तथा योगविद्या आदि ।

उपर्युक्त विश्लेषण से मरा तात्पर्य केवल यह बता देना है कि छान्दस युग में ही भाषा में अनेक विजातीय तत्त्वों की ग्रहण करना प्रारम्भ कर दिया था । यह स्वाभाविक था, क्योंकि आज की भारतीय भाषाएँ अरबी फारसी, पुनगीज, अंग्ल आदि भाषाओं के प्रभाव से अपने को संचित न कर सकी तो फिर उस समय की छान्दस उस भाषा के बोलने वालों के सम्पर्क में आईं, अथवा भाषाओं के प्रभाव से मुक्त रह सकी होगी कुछ जँचना नहीं है । य प्रभाव कौन कौन से हो सकते हैं किस प्रकार के हैं तथा कौन-सी भाषाओं के हैं यह स्वतंत्र रूप से विचार के विषय हैं और पृथक् ग्रन्थ की अपेक्षा रखते हैं । अतः मैं समझता हूँ यहाँ पर इतने सबेते ही पर्याप्त हैं ।

प्राचीन भारतीय आय भाषा पर विचार करने से पूर्व एक महत्वपूर्ण विषय पर विचार कर लेना असंगत न होगा । विद्वानों का विचार है कि छान्दस और अवेस्ता की भाषा में इतना साम्य है कि केवल कुछ ध्वनियों के परिवर्तन कर देने पर दोनों भाषाओं का स्वरूप समान हो जाता है । उनके निष्कर्ष हैं कि ध्वनियों का यह अन्तर भारत ईरानी शाखा से पृथक् होने पर छान्दस ने विकसित कर लिया और ऋग्वेद की भाषा अवेस्ता की भाषा का पश्चकालीन विकसित रूप है किन्तु दोनों भाषाओं की तुलना के पश्चात् मन यह मायता स्वीकार करने को तैयार नहीं होना । यदि छान्दस से विकसित भाषाओं—पालि प्राकृत आदि—का मिलान अवेस्ता की भाषा से करें तो इन में पर्याप्त मात्रा में समानता दृष्टिगत होती है । कितने ही ध्वनि परिवर्तनों के आधार वे ही तत्त्व हैं जो पालि या साहित्यिक प्राकृतों के भी हैं । सस्कृत/छान्दस अवेस्ता/ प्रा० फारसी पालि/ प्राकृत आदि भाषाओं के कुछ चुने हुए उदाहरणों के द्वारा मैं अपने मत की पुष्टि करने का प्रयत्न करूँगा

१ सस्कृत/छान्दस के अत्य 'अ' के स्थान पर अवेस्ता में ओ, प्राचीन फारसी में अ, ओ पालि में 'ओ' तथा मागधी में 'ए' मिलता है—

छान्दस/सस्कृत	अवेस्ता	प्रा० फारसी	पालि	प्राकृत
जात	जातो	जात	जातो	जातो/जाते
पुत्र	पुत्रो	पुत्र	पुत्तो	पुत्तो/पुत्ते

२ छान्दस या सस्कृत के अ के स्थान पर अवेस्ता में ए ओ, इ मिलते हैं । ठीक इसी प्रकार पालि तथा अथवा प्राकृतों में भी 'ए ओ, इ मिलते हैं—

छादस/संस्कृत	अवेस्ता ¹¹
अजति	अजेति
पति	पेनिस्
सतम	हँन्तम
यम	यिम
वसु	वोहु
छादस/संस्कृत	पालि/प्राकृत
अत्र	एत्थ
अघस्तात्	हेट्ठा
तमस	तिमस
त्रिपु	तिपु
अतर्	अतो
तिरस्क	तिरोक्ख

३ छादस/संस्कृत 'ऋ' के स्थान पर अवेस्ता 'ऐर' प्रा० फारसी 'र', पालि/प्राकृत इ, उ, अ तथा रि ईर मिलते हैं—

छादस/संस्कृत	अवेस्ता/प्रा० फारसी	पालि	प्राकृत
कृणोति	केरेनओइति —	—	कीय्णोति
वृधम्	वरेशम —	रक्का	रुक्का
भृगाङ्क	— —	भयक्	भियक्
छादस/संस्कृत	अवेस्ता/प्रा० फारसी	पालि	प्राकृत
ऋपि	— खइस	इसि	रिसि
ऋणम	— —	इण	रिण

४ छादस/संस्कृत के ऐ/ओ का अवेस्ता म आइ तथा आउ' होने हैं परन्तु पालि/प्राकृत म अइ तथा अउ हाते हैं—

छादस/संस्कृत	अवेस्ता	पालि	प्राकृत
पौर	—	पउरो	पउरो
गौड	—	—	गउड
कस्म	कहमाइ	—	—
चरयम्	—	चइत्त	—

¹¹ अवेस्ता/प्रा० फारसी के नियम 'हिन्दी भाषा का उदभव और विकास', पृष्ठ २४-३८ से लिए गए हैं।

व्यञ्जन—

१ व्यञ्जना से अनुगमित सञ्ज्ञित 'क, त, प' अवेस्ता में 'त, य, फ' हो जाते हैं। ठीक यही नियम पालि एवं प्राकृतानि (साहित्यिक) भाषाओं में सञ्ज्ञित किया जा सकता है—

छादस/सञ्ज्ञित	अवेस्ता/प्रा० फारसी	पालि	प्राकृत
प्रतु	धतुस	—	—
स्वप्नम्	ह्वप्नेम	—	—
फलितम्	—	फलितम्	फलितम्
पनस	—	—	फणसो
परिणा	—	—	फलिहा
परुप	—	—	फरुसो
स्तन	—	—	धणो
स्तम्भ	—	—	यम्भो
स्त्री	—	—	यी
क्षण	—	—	खणो
कपरम्	—	—	खप्पर
खद	—	—	खद

२ छादस/सञ्ज्ञित 'घ ध भ' अवेस्ता में 'ग द व' में परिवर्तित हो जाते हैं। प्राकृतों में भी इन महाप्राण ध्वनियों के महाप्राणत्व के स्थान पर अल्पप्राणत्व के दर्शन होते हैं—

छादस/सञ्ज्ञित	अवेस्ता/प्रा० फारसी	पालि	प्राकृत
दीघम्	दरे मे म्	—	—
अघ	अदा	—	—
भाता	बाता	—	—
भगिनी	—	वहिणी	वहिणी
घास	—	—	गस (नि० प्रा०)
सघ	—	सद (नि० प्रा०)	—
भूमि	—	—	भूम (नि० प्रा०)

३ छादस/सञ्ज्ञित 'श' के स्थान पर 'स' और 'श' के स्थान पर 'ह' अवेस्ता/प्रा० फारसी की महत्त्वपूर्ण विशेषताएँ हैं। पालि और अन्य प्राकृतों की यह सबसे प्रमुख विशेषताएँ मानी गई हैं—

छादस/संस्कृत	अवेस्ता/प्रा० फारसी	पालि	प्राकृत
सप्त	हपत	—	—
शरद	हरुद	—	—
शाक	हाख	—	—
सोम	होमु	—	—
शत	हथ	—	—
द्वांश	—	—	बारह
दश	—	—	दह
वार्षापण	—	—	काहावणो
असि	अहि	अहि	अहि
दशमुख	—	—	दहमुखा
अस्माकम	—	—	अम्हाण
शाप	—	—	सावो
शपय	—	—	सवहो

इनके अतिरिक्त अवेस्ता में पाया जाने वाला 'ज' कश्मीरी में अभी तक सुरक्षित है। कश्मीरी में संस्कृत 'श' के स्थान पर 'छ' और मागधी में 'श्च' उपलब्ध होते हैं। यदि भारत की सम्पूर्ण आय परिवार की भाषाओं का विश्लेषण कर उनका अवेस्ता के साथ तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो पात होगा कि कुछ परिस्थिति विशेष में हुए ध्वन्यात्मक परिवर्तनों के अतिरिक्त अवेस्ता की भाषा में भा आ का ही अनुमरण करती है।

द्वितीय अध्याय

प्राचीन भारतीय आर्य भाषा

विकास शाश्वत होता है—बोली से भाषा का विकास—
संस्कृत में ऐसे अंतर पर विचार—बोलियों का लुप्त हो
जाना—भाषा के अध्ययन में कठिनाइयों का साम्मुख्य—प्राचीन
भारतीय आर्य भाषा का प्रारम्भ—ऋग्वेद प्राचीनतम कृति—
आर्यों का आगमन—ऋग्वेद की भाषा का भाषा वैज्ञानिक
विवेचन—ईरानी से सम्बन्ध—तालव्य भाव के नियम का
प्रभाव—वदिक संस्कृत का ध्वन्यात्मक विवेचन—रूपात्मक
विवेचन—कोष पर विचार—वैदिक काल में भाषा में विकास
के चिह्न—उस समय की भाषा एवं बोलियों की स्थिति—
संस्कृत भाषा का प्रादुर्भाव—संस्कृत का चहुँमुखी विकास—
ध्वन्यात्मक विवेचन—रूपात्मक विवेचन—उपसर्ग एवं निपातों
का विवेचन ।

भाषा और बोली

विकास प्रकृति का एक चिरन्तन और शाश्वत सिद्धांत है। जाज डार्विन (Darwin) के विकासवाद का चाहे उसके वतमान समय में महत्ता न दी जाती हो, किन्तु विश्व के गण माय मनीषी शास्त्रवेत्ता पण्डित, चिन्तनशील दार्शनिक एवं प्रयोगनिरत सत्याचेपी वैज्ञानिक जाज इस तथ्य से पूणत अभिज्ञ हो चुके हैं कि प्रकृति का कण-कण विकासशील है। जाज से हजारों अथवा लाखों वर्ष पूर्व (विषय वस्तु के अनुरूप) जो प्राकृतिक उपादान जिस स्थान एवं स्थिति में थे, आज उस स्थान एवं स्थिति से आगे या पीछे प्रसत निसत या अपसत हो चुके हैं। यह इतर वाता है कि घर्माधिकारी उनमें से किसी को ह्रास और किसी को विकास की सत्ता से अभिहित करें परंतु वैज्ञानिक विस्तृत अर्थ में उह विकास की श्रेणी में ही अधिष्ठित करेंगे। दार्शनिक परिभाषा में प्रकृति जड और चेतन के समस्त काय-कलापी गति विधियों, उत्थान पतनो एवं गुण अवगुणों को अपने में समाविष्ट किए हुए है। मानव, प्रकृति का एक महत्त्वपूर्ण अंग है। मानव की क्रियाओं का नाम है जीवन। भाषा इसी जीवन के भली प्रकार यापन का महत्त्वपूर्ण साधन है। इस प्रकार मानव जीवन और भाषा का परस्पर गहन सम्बन्ध है।

साक्ष्य-दर्शन के सिद्धांत के अनुसार काय-भूनाधिक रूप में कारण के गुण और घम से समवेत होता है।¹ अतः हम कह सकते हैं कि प्रकृति के विकासशील गुण की उपलब्धि भाषा में भी होनी चाहिए। यदि हम भाषा का विश्लेषण करने बैठें तो जात होगा कि भाषा के दो स्वरूप प्रायः प्रत्येक युग में वतमान रहते हैं। एक, उसका शुद्ध प्राकृतिक स्वरूप जिसे बोली, देशभाषा अथवा जनसाधारण के दैनिक जीवन में काम जाने वाले वस्तु-यापारा एवं भाव व्यापारों के लिए प्रयुक्त की जाने वाली आभ्य भाषा कहा जा सकता है जिसका कोई लिखित व्याकरण नहीं होता। लोक रचि ही जिसका व्याकरण प्रमाण या शास्त्र होता है। भाषा का दूसरा स्वरूप उपरिक्थित स्वरूप का शुद्ध, सस्कृत एवं परिमार्जित बिया हुआ साहित्यिक अथवा कृत्रिम रूप है जिसे विद्वत्समाज या शिष्ट-जनो की भाषा कहा जाता है। उसे व्याकरण के नियमों में आवद्ध कर, आवश्यकतानुसार उसमें नवीन शब्दों का उसकी पूर्ववर्ती भाषा से या अन्य किसी समृद्ध भाषा से प्रवेश करवा कर

¹ साक्ष्य-कारिवावलि एवं 'याय दर्शन।

अथवा निर्माण कर जीवन के उदात्त एवं गम्भीर भावों विचारा एवं तथ्या की अभिव्यक्ति का साधन बनाया जाता है। इस अन्तर को मला प्रकार चिह्नित करने के लिए ही विद्वानों ने प्रथम रूप की बोली की ओर दूसरे रूप को भाषा की सजा दी है। संस्कृत वैयाकरणों एवं कायशास्त्रियों ने इस वाणी भाषा और विभाषा जैसे वर्गों में भी विभाजित करने का प्रयास किया है। अन्तर केवल इतना है कि ये वैयाकरण शुद्ध शिष्ट परिभाषित किन्तु कृत्रिम भाषा को मूल मान कर जनसाधारण की भाषा की ओर प्रयाण करते हैं, जैसे भरत ने लिखा है—

‘मागध्यवतिजा प्राच्या शौरसेनयाधमागधी ।

वाल्हीका दाक्षिणात्या च सप्तभाषा प्रकीर्तिता ॥ ^२

मागधी अवतिजा प्राच्या, शौरसेनी, अधमागधी वाल्हीका तथा दाक्षिणात्या ये सात भाषाएँ हैं। आगे ये लिखते हैं—

‘शकाराभीर चाण्डाला शबर द्रमिलाधजा ।

हीना वनचराणाञ्च विभाषा नाटके स्मृता ॥ ^३

जगली लोगों द्वारा बोली जाने वाली शकारा आभीर चाण्डाला शबर द्रमिल आ धजा आदि हीन बोलियाँ ही नाटक में विभाषाएँ कही जाती हैं। भाषा से लेखक का क्या तात्पर्य था तथा विभाषा’ शब्द किस प्रकार की बोली के लिए प्रयुक्त होना था, इसे स्पष्ट करत हुए अपन भाष्य में अभिनव गुप्तपादाचार्य लिखते हैं—

भाषा संस्कृतापभ्रश, भाषापभ्रशस्तु विभाषा सा तत्तद्देश एव गह्वरवा सिनाम च एता एव नाटये तु ।^४

उपयुक्त विवृति में संस्कृत को वाणी अथवा देववाणी मान कर भाषा को संस्कृत का अपभ्रष्ट स्वरूप कहा है तथा भाषा के अपभ्रष्ट स्वरूप को विभाषा कहा है। इसीलिए भाषा के अन्तर्गत उपरिबोधित सात प्राकृत भाषाओं की ओर विभाषा के अन्तर्गत जगली गुफाओं में रहने वाले हीन यकिन्यों की बोलियों को जो भिन्न भिन्न प्रदेशों में भिन्न भिन्न तरीकों से बोली जाती थी किन्तु विकास की ओर अग्रसर थी लिया गया है। इन विभाषाओं का प्रयोग नाटकों में हीन पात्रों के मुख से करवाना बंध माना जाता था। इस प्रकार हमारे सामने भाषा के तीन रूप आ जाते हैं। जहाँ तक भाषा के लिए ‘वाणी शब्द का प्रयोग का सम्बन्ध है वह केवल अतिधार्मिक भावना का ही

^२ भरत का नाट्यशास्त्र १७/४६ ।

^३ वही १७/४० ।

^४ भरत नाट्यशास्त्र की टीका, पृष्ठ ३७६ ।

परिणाम है। जहाँ तक विभाषा का सम्बन्ध है वह बोली और भाषा के बीच की स्थिति है। इसमें थोड़ा बहुत साहित्य भी होता है। ग्राम्य प्रयोगों की अनुना के साथ-साथ व्याकरण के नियमों का बर्चन भी रहता है। अतः यह स्पष्ट है कि भाषा की मुख्य स्थितियाँ बोली और भाषा ही हैं।

उपयुक्त विवेचन से हम सरलता से इस निष्कर्ष पर पहुँच जाते हैं कि लोक में भाषा के दो रूपों की समानांतर स्थिति प्रत्येक अवस्था में बनी रहती है। हाँ! यह अवश्य है कि एक बोली की अनेक भाषाएँ चाहे न हाँ परन्तु एक भाषा की अनेक बोलियाँ अवश्य होती हैं यथा—हिन्दी की—ब्रज कन्नौजी, बघेली बुंदेली, छत्तीसगढ़ी अवधी, खड़ी बोली बागरू आदि। बोली का ही परिमार्जित एवं परिष्कृत रूप भाषा बनता है साथ ही भाषा का अपभ्रंश रूप भी बोली के कोप को समृद्ध करता है। डॉ० रामविलास शर्मा का यह मत कि परिनिष्ठित भाषाओं से बोलियाँ उत्पन्न ही नहीं होती⁵ माय नहीं है। यदि यह मत मान भी लिया जाए तो आज भारत में आय परिवार की भाषाओं के अधीन बोली जाने वाली तीन चार सौ बोलियाँ का अस्तित्व छान्दस युग में भी मानना पड़ेगा, जो कि सम्भव नहीं है। जैसा कि डा० रामविलास स्वीकार करते हैं कि सामाजिक उत्थान पतन एवं उसकी स्थिति का भाषा के साथ प्रगाढ़ सम्बन्ध होता है तो उन्हें यह स्वीकार करने में नहीं हिचकिचाना चाहिए कि प्रारम्भ में जाय लोग एक कबीले के ही रूप में थे। समाजशास्त्र के अनुसार प्राचीन काल का वह समुदाय जो एक सांस्कृतिक इकाई में आवद्ध था कबीला कहलाता था। कबीले के सभी लोग उस समय निश्चय ही किसी एक बोली का प्रयोग करते रहे होंगे। जैसे जैसे उनमें विस्तार हुआ होगा, त्यो यो समय और परिस्थिति के अनुसार उनकी बोलियों में भी अंतर आया होगा और इस प्रकार एक बोली अनेक में परिवर्तित हुई होगी पर मूल आधार उसके कबीले की भाषा ही रही होगी। संभवतः डॉ० रामविलास के साथ मूल कठिनाई यह रही है कि इन्होंने आर्यों के जन अथवा गोत्र का कबीला मान लिया है और हिन्दी का सम्बन्ध भी छान्दस के समय की किसी भिन्न बोली के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। मज्जेदार बात तो यह है कि डाक्टर साहब इसी अध्याय में भोजपुरी सम्बन्धी वर्गों को प्रियमन के मत से ही काटते नज़र आते हैं। बोली के विकास का मूल आधार बोली ही नहीं अन्य कारण भी होते हैं। यथा—उसी से परिष्कृत परिनिष्ठित रूप अन्य परिवारों की भाषाएँ सामाजिक धार्मिक राजनैतिक परिस्थितियाँ आदि। बात वास्तव में यह है कि बोली का रूप जब परिष्कृत होकर भाषा का बाना

⁵ भाषा और समाज पृष्ठ ३६७।

धारण कर लेता है तो यह रूप अधिक से अधिक समृद्ध होने में तत्सम हो जाता है। विद्वान् लोग नवीन ध्वनिया, नवीन शब्दों एवं नवीन प्रयोगों द्वारा उसे अधिक से अधिक सशक्त एवं अभिव्यञ्जिका बनाने में दक्षचित्त हो जाते हैं और वही बोली विशेष, दिन-दूनी रात-धीगुनी फलने-पूलने लगती है। उसमें अर्थ-भाषाओं के शब्दों एवं प्रयोगों भी ग्रहण किये जाने लगते हैं। ऐसी स्थिति में जन-सामान्य दो सिद्धांतों के अधीन—१ अनुकरण व २ मुसमुस—नवीन बोली को धीरे-धीरे पतपाने लगता है। अनुकरण के सिद्धांत के अनुसार वह विद्वानों के शब्दों और ध्वनियों का उच्चारण करने का प्रयत्न करता है और 'मुस मुस' के अधीन उसे अशुद्ध बना देता है तथा उसके समकक्षी अपने प्राचीन शब्दों का त्याग करने लगता है। धीरे-धीरे जो भाषा का प्रभुत्व बढ़ता जाता है, बोली भी जाने-अनजाने में परिवर्तित होती रहती है और इस प्रकार एक ऐसी स्थिति आती है कि बोली एकदम नया रूप में आ उपस्थित होती है। उदाहरण के लिए आज से ५०-६० वर्ष पूर्व गाँव के लोग, विद्यार्थियों के लिए चट्टा और विद्यालय के लिए चटसाल का प्रयोग करते थे। अब इन दोनों शब्दों का स्थान विद्यार्थी और विद्यालय (स्कूल) ने ले लिया है। इसी तरह अहीरवाटी में गेहूँ की रोटी के लिए 'माण्डो' शब्द का प्रयोग होता था पर अब अधिकांश ग्रामीण भी माण्डो कहने से लजाने लगें हैं और उसके स्थान पर शिष्ट शब्द पुलक का प्रयोग करते हैं। सहायक क्रिया स का स्थान हिन्दी सहायक क्रिया है ने ले लिया है। राजभाषा भाषी ग्रामीण जन भी अब हाँ कहना उचित नहीं समझते बल्कि मैं का प्रयोग करते हैं। 'हिन्दी के प्रभाव के कारण अहीरवाटी का प्रवाह आकारात होता जा रहा है। अब काकोजी के स्थान पर काकाजी' कहना अधिक शिष्ट समझा जाता है। यो सहायक क्रिया (भूतकाल) का भी यही हाल है। ऐसी स्थिति में यह कहना कि परिनिष्ठित भाषा से बोली का विकास हो ही नहीं सकता उचित नहीं है। अतः संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि एक बोली के पश्चात् जो दूसरी बोली का प्रचलन लोक में देखा जाता है वह उस पूर्ववर्ती बोली का विकसित रूप ही नहीं होता, बल्कि शिष्टजनों द्वारा व्यवहृत परिनिष्ठित भाषा के अनुभूत क्लिष्ट उच्चारणों एवं रूप-प्रयोगों का सरलीकृत स्वरूप भी होता है। इससे यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि पूर्ववर्ती बोली का उसके परिमार्जित स्वरूप के प्रकाश में आने पर पूणतया देहात हो जाता है परन्तु इतना आवश्यक है कि वह बोली परिनिष्ठित भाषा के कोप से अपना भण्डार भरती रहती है तथा उसके प्रकाश में अपने कुछ प्रयोगों का त्याग करती हुई नवीन बोली का आवरण धारण कर लेती है। इस प्रकार नवीन बोली पुरानी बोली और परिनिष्ठित भाषा का सम्मिलित परिणाम होती है।

किसी भी भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन के समय एक बड़ी कठिनाई जो आती है, वह यह कि साहित्य में उसकी पूर्ववर्ती बोली का रूप प्रायः अलक्षित हो जाता है। कितन ही ग्राम्य प्रयोगों एवं रूपों पर वैधाकरण प्रतिबंध लगा देते हैं और हमारे सामने केवल उसका परिमार्जित एवं परिष्कृत रूप, जो ग्राम्य में प्रयुक्त हुआ होता है उपस्थित होता है तब यह जानना कठिन हो जाता है कि अभुक्त भाषा जिसका अध्ययन किया जा रहा है किसी बोली से समुत्पन्न है अथवा शिष्ट एवं साहित्यिक भाषा का विकृत रूप है। इसी प्रश्न को लेकर भारतीय आय परिवार की भाषाओं के विकास के सम्बन्ध में विद्वानों में अत्यधिक विवाद चल रहा है, विशेषकर संस्कृत एवं प्राकृतों के विषय में। डा. चाटुर्ज्या ने लिखा है कि 'प्राच्य बोली छान्दस एवं ब्राह्मण ग्रन्थों की संस्कृत से इतनी अधिक दूर जा चुकी थी कि उदीच्य प्रदेश से आने वाले व्यक्ति को प्राच्यों की भाषा समझने में कुछ कठिनाई का अनुभव होता था।'^६ उक्त कथन से यह सिद्ध होता है कि आय लोग मूलतः अर्थात् जब सप्तसिंधु प्रदेश में थे, छान्दस अथवा ब्राह्मण ग्रन्थों की भाषा बोलते थे, परन्तु धीरे-धीरे जब वे पू्व की ओर अग्रसर होते गए उनका उच्चारण शिथिल होता गया। इस शिथिलता के कारण जो अन्तर आया वही अन्तर नवीन बोली का उत्पादक सिद्ध हुआ। यदि डॉ. रामविलास शर्मा के अनुसार यह मानें कि वे भिन्न बोली पहले से ही बोलते थे तो बोली को समझना बाद में कठिन क्यों हुआ? तथा प्राचीन ग्रन्थों में बाद के ब्राह्मणों में ही इसका उल्लेख क्यों हुआ? अतः स्पष्ट है कि छान्दस का अशुद्ध उच्चारण, 'छान्दस' की बोली के अवशेष (जिसे वे पहले बोलते रहे होंगे) तथा अनाथों के सम्पर्क ने प्राच्या को जन्म दिया, जिसमें छान्दस के अपभ्रष्ट रूप का योग सर्वाधिक था।

प्राचीन भारतीय आय भाषा

बोली और भाषा का अन्तर स्पष्ट हो जान पर अब हम यह देखने का प्रयत्न करेंगे कि किस प्रकार छान्दस तथा उसकी बोलिया ने क्रमशः विकसित होकर प्राकृतों एवं अपभ्रंशों के रास्ते से आधुनिक भारतीय आय भाषाओं को जन्म दिया। यद्यपि यह चाहे विवादास्पद विषय है कि आयों का मूल निवास स्थान भारत है अथवा वे लोग कहीं बाहर से यहाँ आए पर यह सर्वमान्य मत है कि ऋग्वेद आयों का छान्दस भाषा में लिखित आय परिवार की भाषाओं का प्राचीनतम लिखित ग्रन्थ है। छान्दस की यदि भारतीय आय परिवार की भाषाओं का मूल उत्स मान कर चलें तो भारतीय आय परिवार की भाषाओं

^६ भारतीय आय भाषा और हिंदी, पृष्ठ ७५।

का विभाजन प्रथम की दृष्टि से काल विभाजन एवं यग विभाजन इस प्रकार किया जा सकता है—⁷

(१) प्राचीन भारतीय आय भाषाएँ (प्रा० भा० आ० भा०)—छादस एवं सप्तृत्त ।

समय—१५०० ई० पूव से ५०० ई० पूव तक ।

(२) मध्यकालीन भारतीय आय भाषाएँ (म० भा० आ० भा०)—
(अ) पालि अशोक के शिलालेखों की भाषा, (ब) साहित्यिक प्राकृतों
(स) अपभ्रंश ।

समय—५०० ई० पूव से १०००-१२०० ई० तक ।

(३) आधुनिक भारतीय आय भाषाएँ (आ० भा० आ० भा०)—हिन्दी गुजराती, मराठी आदि ।

समय—१०००-१२०० ई० से आज तक ।

उपर्युक्त वर्गीकरण का नामकरण सस्वार विद्वानों ने भिन्न भिन्न रूप में किया है, यथा—डा. चाटुर्ज्या प्रथम को आ० भा० आ० की भाषाएँ द्वितीय को म० भा० आ० की भाषाएँ तथा तृतीय को न० भा० आ० की भाषाएँ कहते हैं तो डा. उदयनारायण तिवारी तृतीय को आधुनिक भारतीय आय भाषा परिवार की सजा देते हैं पर इससे मूल विषय में कोई अंतर नहीं आता ।

छादस भाषा के वैज्ञानिक विवेचन का मूल आधार मुख्यतः ऋग्वेद और गौणत ऋग्वेद साहित्य हो सकता है । यद्यपि इस समय छादस भाषा की बोली का कोई भी रूप हमारे सामने नहीं है तो भी विद्वानों ने अनुमानतः उसके रूप निर्धारण का प्रयत्न किया है । डा. चाटुर्ज्या का मत है कि वेदों के सकलन काल और लेखन काल की भाषा में अवश्य अंतर रहा होगा, क्योंकि लेखन के द्वारा वष पश्चात् वेदों का सकलन किया गया है । अतः मूल रूप में जो ऋचाएँ लिखी गई होंगी वे सम्भवतः वर्तमान स्वरूप से कुछ अशों में भिन्न रही होंगी । आपने अनुमान का आधार स्वयं ऋग्वेद साहित्य के प्रथम मण्डल और दसवें मण्डल की भाषा का अथवा मण्डलों की भाषा से भिन्न होना है । आपने इस आधार पर दो ऋचाओं के अनुमानित रूप इस प्रकार दिये हैं—⁸

⁷ उक्त विभाजन का आधार डा. चाटुर्ज्या द्वारा दिया गया विभाजन है जो भारतीय आय भाषा और हिन्दी पृष्ठ १५ १६ पर अंकित है । अभी तक विद्वान् किञ्चित् मत भेद के बाद भी इसे ही मान कर चलते हैं ।

भारतीय आय भाषा और हिन्दी पृष्ठ ७० ।

सहिता रूप— “अग्निम ईले (ईडे) पुरोहितम
यनस्य देवम् ऋत्विजम्
होतारम रत्न घातमम ॥’ (ऋग्वेद १/१)

मूल अथवा अनुमानित रूप—

अग्निम इजदइ पुरज धितम्
यजजस्य दइवम् ऋत्विजम्
वह उतारम् रत्न घा तमम्

इसी प्रकार लोक प्रचलित प्रसिद्ध गायत्री मन्त्र का भी अनुमानित रूप डॉ० चाटुर्ज्या ने प्रस्तुत किया है^०—

सहिता रूप— तत सवितुर् वरणियम
भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो न प्रचोदयात् ।”

मूल या अनुमानित रूप—

तत सवितृस वरइ निअम
भगज दइवस्य धीमधि ।
धियज यज नस प्र क उदयात् ॥

यह मानत हुए कि भाषा विकासशील है और ऋग्वेदिक ऋषिया ने प्रारम्भ मे भाषा के जिस रूप में ऋचाएँ लिखी होगी उस समय की भाषा में और ऋचाओं के सकलन काल तक की भाषा में अवश्य अंतर आया होगा, परन्तु उपयुक्त जो सम्भावित रूप डॉ० चाटुर्ज्या ने दिए हैं उनमें ऐसा लगता है कि पाश्चात्य विद्वानों द्वारा ही आविष्कृत ‘ताल’य भाव का नियम’ तथा अवेस्ता की भाषा को छादस से प्राचीन मानने की भावना ही काम कर रही है। कण्ठ्य स्थानीय क वग का ‘अ इ ई’ स्वर के कारण तालव्य स्थानीय च वग में परिवर्तित हो जाना ताल’य भाव का एक नियम है। इसीलिए डॉ० साहू को चोदयात् का प्राचीन रूप ‘क उदयात्’ खोजना पडा। साथ ही पाश्चात्यो ने समान ध्वनि और समान शब्द का सिद्धांत भी बनाया। इस आधार पर कुछ समान शब्दों एवं ध्वनियों को प्राचीन मान कर मूल भाषा का अनुमान लगाया गया। इसके अर्थात् विद्वानों ‘ज’ की अपेक्षा ‘ज’ ध्वनि को प्राचीन मानते हैं। क्योंकि यह अवेस्ता और ग्रीक में भी मिलती है। इसीलिए इह भर्गो > भग > भगस के स्थान पर भगज करना पडा। इस सिद्धांत को कठोर आलोचना डा रामविलास शर्मा ने की है जो अत्यंत पाण्डित्यपूर्ण एवं

^० भारतीय भाषा भाषा और हिन्दी पृष्ठ ७१ ।

प्रशसनीय है।¹⁰ अवेस्ता में 'द ध तथा ह्' की पूर्ववर्ती ध्वनि ए के स्थान पर 'अज प्राप्त होता है तथा 'गुप्' प्रत्यया के 'स्' के स्थान पर भी वही ज प्राप्त होता है तथा साथ ही 'य, व, ह' के पूर्ववर्ती ओ को 'अज' का स्थानी स्वीकार कर उक्त ऋचाभा का अनुमानित रूप प्रस्तुत किया गया है। यदि छांदस एधि के स्थान पर अवेस्ता में अजधि मिलता है तो इस का यह तात्पर्य नहीं कि 'ए सवत्र अज' ही बन जाए जसा कि इन्होंने उपस्थित किया है।

उपयुक्त विवेचन के पश्चात् यदि हम छांदस के पश्चरालीन विकास का विश्लेषण करें तो पात होगा कि पारचात्य विद्वान जिन विकास सूत्रों का अवलोकन मूल भाषा से ग्रीक और उससे संस्कृत तक करते हैं वे सूत्र संस्कृत से उत्तरोत्तर विकसित हुई भाषाओं में उपलब्ध होते हैं। इसका विस्तृत विवेचन हम पूर्व पृष्ठों में कर चुके हैं।

अस्तु हम इस विवाद में न उलझ कर कि सक्लन की भाषा मूल छांदस है अथवा लेखन समय की भाषा का विकसित रूप है यह देखने का प्रयास करेंगे कि इस समय जो भाषा का प्राचीनतम प्रमाणित रूप ऋग्वेद संहिता में उपलब्ध है, उसकी क्या-क्या प्रवृत्तियाँ हैं और उसका उत्तरोत्तर विकास किस प्रकार हुआ है? भाषा के वपानिक विश्लेषण में उसकी ध्वनिया पद विन्यासों कोप तथा वाक्य गठन आदि पर विचार किया जाता है। अतः हम सवप्रथम छांदस की ध्वनियों का विवेचन प्रस्तुत करते हैं—

ध्वनितत्त्व—

छांदस भाषा में निम्नलिखित ध्वनियाँ विद्वानों ने चिह्नित की हैं—

(१) स्वर ध्वनियाँ—अ, आ, इ ई उ, ऊ ऋ, ॠ ल ए ऐ ओ औ तथा अनुस्वार।

स्वरों की मुख्य प्रवृत्ति है उनका बलाघात। यह तीन प्रकार का होता है—(१) उदात्त (२) अनुदात्त, (३) स्वरित। इस बलाघात से शब्दों के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। छांदस में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जहाँ एक ही शब्द बलाघात के कारण भिन्न भिन्न अर्थ देने लगता है यथा—

इन्द्र शत्रु से द्र का उच्चारण यदि स्वरित किया जायेगा तो इसका अर्थ होगा इन्द्र है शत्रु जिसका और यदि अत्य स्वर को उदात्त और प्रारम्भिक स्वरों को अनुदात्त उच्चारण करें तो इन्द्रशत्रु का अर्थ होगा इन्द्र का शत्रु। प्रथम में बहुव्रीहि समास हो जाता है और द्वितीय में तत्पुरुष समास। अपथ्यति

¹⁰ भाषा और समाज पृष्ठ, ११६-१४०।

का नियम भी उपलब्ध होता है पर इसकी पुष्टि अभी भी पूव कथित "अवेस्ता की भाषा प्राचीन है" सिद्धांत के आधार पर की जाती है।

(२) व्यञ्जन ध्वनियाँ—क वग, च वग ट वग, त वग, प वग आदि स्पश ध्वनियाँ य, र, ल व श, प स, ह, विसग, जिह्वा मूलीय,^{1 1} उपध्मानीय^{1 2} तथा ट वग के अन्तगत ल, र्ह ध्वनियाँ जो 'ड और ड' की स्थानी कहा जा सकती हैं, मिलती हैं।

प्रवृत्तियाँ—वर्गांत पांच अनुनासिक ध्वनियो मे से केवल 'न और म का अर्थ व्यञ्जनो के समान स्वतंत्र प्रयाग मिलता है। पदान्त मे कही कही 'ङ' ध्वनि भी उपलब्ध होती है, यथा—प्रत्यङ् कीदृङ् आदि। ससृत (छादस) मे भ' को ह' का आदेश हो जाता है तथा 'घ' के स्थान पर 'ह' के उदाहरण मिलते हैं। ऋग्वेद के प का यजुर्वेद म ख' उच्चारण किया जाता है। पदादि 'य' का उच्चारण भी 'ज' होता है, यज्ञस्य > जज्ञस्य। ऋग्वेद के र का उच्चारण यजुर्वेद म ए युत होता है, यथा—सहस्रशीर्षा > सहस्रशीरेपा, आदि श, स, ह' से पूव के अनुस्वार का उच्चारण एक विशेष प्रकार का होता है जिसका लिपि चिह्न ७ पाया जाता है।

रूप तत्त्व—

वैदिक शब्द रूपा को चार भागो म बाटा जा सकता है—१ नाम २ आख्यात ३ उपसग, ४ निपात। महर्षि यास्क ने नामाख्याते चोपसग निपाताश्च' के द्वारा एसा ही वर्गीकरण किया है। नाम और आख्यात स्वतंत्र चलते हैं और उपसग तथा निपात उनके साथ जुड कर अर्थ देते हैं।

(१) नाम—(क) इसके अंतगत छादस के स्वरांत तथा व्यञ्जनांत समस्त सना सबनाम तथा विशेषण शब्द आते हैं।

(ख) इसमे तीन वचन—१ एक वचन २ द्विवचन, ३ बहुवचन, तीन लिङ्ग—१ स्त्रीलिङ्ग, २ पुल्लिङ्ग ३ नपुसक लिङ्ग, आठ कारक—कर्ता कर्म, करण, सम्प्रदान अपादान सम्बन्ध अधिकरण तथा सम्बोधन—पाए जाते हैं। प्रत्येक शब्द का प्रयोग लिङ्गानुसार तीनों वचनो एव आठो कारको म सुबत प्रत्यय लगाकर किया जाता है।

विशेषण शब्दो—सत्यावाचक शब्दो सहित—का प्रयाग भी सुबत प्रत्यय लगा कर ही किया जाता है।

सबनाम शब्दो की रूप निष्पत्ति सना शब्दो से कुछ भिन्न रूप म होती है।

^{1 1} क तथा ख से पूव अद्ध विसग सदृश × चिह्न।

^{1 2} प तथा फ के पूव अद्ध विसग सदृश × चिह्न।

नाम के अन्तर्गत महाप्रयोगकार पञ्चमि ने पाणिनि की वैदिक प्रक्रिया के अनुसार भोज स्थापना का उद्देश दिया है। गुणोपसर्ग के अन्तर्गत चतुर्थी के अर्थ में लची का प्रयोग पाठ्य के स्थान पर प्रथमा और लची का प्रयोग निविमतिरुक्त प्रयोग उपरुक्त होते हैं।¹³ निविमतिरुक्त प्रयोग—पद्ये व्योमत् (व्योमनि के स्थान पर) लच् ल्यां में विरुक्त की अपेक्षा प्रथमा बटवचन में देवा तथा देवाग गृहीया बटवचन में भर्त्ते गेभि लची बटवचन में गो लच् का लोताम् लताम् आदि प्रा १ होते हैं। समास प्रक्रिया में भी स्वच्छन्दा बरती जाती थी।

(२) आख्यायिका—समस्त धातुओं का विवरण को दृष्टि में रक्षित गणा में विभाजित किया गया है, यथा—खादि विधादि स्वादि गुादि चुरादि आदि।

दृष्टि उपपारायण तिबारी ने यन्त्र धातुओं की तीव्र प्रवृत्तियों की ओर लक्ष्य दिया है¹⁴—

१ धातु से मूल अक्षर आगम का प्रयोग।

२ धातु का स्थान।

३ धातु एवं तिष्ठ प्राप्त्य के मध्य विवरण का सप्रवृत्त। पाणिनि ने यन्त्र प्रक्रिया में क्रिया के नाम एवं भाषा के रूप प्रकारों को यन्त्रित किया है, यथा—लच् तिष्ठ लुट् लुट् लट् लच् लच् तिष्ठ लुच् तथा लच्। अन्तर्गत भाषा में इनके समासार्थी लच् तिष्ठ प्रकार से हैं—

लट् (Present) तिष्ठ (Perfect Past) लुट् (Periphrastic Future), लट् (Simple Future) लच् (Subjunctive) लच् (Imperative) लच् (Imperfect Past) तिष्ठ (Potential) लुट् (Aorist), लुट् (Conditional)।

धातुओं को स्व और पर की दृष्टि से तीन भागों में विभाजित किया गया है—१ आत्मनो २ परस्मै ३ उभयस्मै।

वैदिक भाषा की मुख्य प्रवृत्ति-स्वच्छन्दा तिष्ठन्तो के प्रयोग और धातु लोको म दत्तन को मिसती है—

१ सस्वृत्त की परस्मै धातुओं का प्रयोग आत्मनो म भी प्रयुक्त हुआ है यथा इच्छते इच्छति।

¹³ यच्छी मुक्तरच्छदसि वा चतुष्पथे बहल छदसि पठ्यथे चतुर्थी यत्नव्या यज्ञेश्वर करणे, आदि—वैदिक व्याकरण पृष्ठ १६।

¹⁴ हिन्दी भाषा का उद्गम और विकास, पृष्ठ ४६।

२ बहुवचन के लिए कही-कही एक वचन सहायक क्रियाओं का प्रयोग किया गया है—चपाल ये अश्व यूपाय तक्षति ('तक्षति' के स्थान पर) ।

३ तिङ्' प्रत्यय जोड़ते समय सावधातुक और आधधातुक का ध्यान नहीं रखा जाता । इसलिए 'वधातु और वधयतु' दोनों रूपा का प्रयोग वेद में मिलता है ।

४ विकरण का व्यत्यय भी मिलता है, यथा—भिद धातु के साथ वही विकरण मिलता है और कही नहीं मिलता है । इसलिए वेद में भेदति जसा रूप भी मिलता है और भिदति भिनत्ति जस रूप भी मिलते हैं ।

५ कृदन्त प्रत्ययों का प्रयोग में भी नियमा की परवाह नहीं की गई है । 'त्वा और ल्यप् का प्रायोगिक जो अंतर संस्कृत में मिलता है, वह छादस में नहीं । 'त्वा के स्थान पर ल्यप्' का प्रयोग धातु से पूर्व उपसर्ग जोड़ने पर ही किया जाता है किंतु छादस में उपसर्ग युक्त धातु के साथ भी 'त्वा' का प्रयोग कर दिया जाता है जबकि संस्कृत में वहाँ पर त्वा का प्रयोग निषिद्ध है यथा—परिधापयित्वा आगत्वा आदि ।

३४ उपसर्ग और निपात—छादस में उपसर्गों तथा निपातों का प्रयोग बहुतायत से पाया जाता है । हाँ ! कही कहीं उपसर्ग को मूल शब्द से पृथक् लिखने की शैली भी दृष्टिगत होती है । कितने ही उपसर्ग तो ऐसे हैं कि जिनकी 'युत्पत्ति भी सदिग्ध है । निपाता में अकेले 'तुमुन्' अथवा प्रयुक्त होने वाले १८ प्रत्ययों का (निपात) विधान छादस में उपलब्ध होता है ।

कोय शब्द भण्डार के सम्बन्ध में विद्वानों का मत है कि छादस के साहित्यिक भाषा होने पर भी तत्कालीन बोलिया का प्रभाव उस पर देखा जा सकता है । अतः अनेक ग्राम्य शब्द वदिक साहित्य में खोजे जा सकते हैं । तैत्तिरीय संहिता में प्रयुक्त सुवग (स्वग) शब्द का प्रयोग सामयिक वाली का ही लगता है ।^{१५} न केवल छादस की बोलिया के ही शब्द, बल्कि तत्कालीन प्रचलित अनाथ भाषाओं के शब्दों को भी छादस में ग्रहण किया गया है । कदली नाग, कुण्डतूल नीर आदि शब्द द्रविड भाषा परिवार और आस्ट्रिक भाषा परिवार के अधिक समीप हैं । इसी प्रकार लिङ्ग और लगुड शब्दों की व्युत्पत्ति भी डा० चाटुर्ज्या ने आस्ट्रिक भाषा के शब्दों के आधार पर की है—लक् मूल शब्द लक् > लङ्क > लिङ्क ।^{१६}

^{१५} डॉ० भोलानाथ तिवारी कृत भाषा विज्ञान, पृष्ठ १६६ ।

^{१६} भारतीय आय भाषा और हिंदी पृष्ठ ५० ।

नाम के अतगत महाभाष्यकार पतञ्जलि ने पाणिनि की वृत्तिक प्रक्रिया के अनुसार अनेक व्यत्यय का उल्लेख किया है। सुपा व्यत्यय के अतगत चतुर्थी के अय मे पष्ठी का प्रयोग सप्तमी के स्थान पर प्रथमा और पष्ठी का प्रयोग निविभक्तिक प्रयोग उपलब्ध होते हैं।¹³ निविभक्तिक प्रयोग—परमे व्यामन (व्यामनि के स्थान पर) शब्द रूपा मे विकल्प की अधिकता, प्रथमा बहुवचन मे देवा तथा दवास तृतीया बहुवचन मे अर्के पदभि पष्ठी बहुवचन मे गा शब्द का 'गोनाम् गवाम आदि प्राप्त होते हैं। समास प्रक्रिया मे भी स्वच्छन्दता बरती जाती थी।

(२) आस्थात—समस्त धातुओं का विकरण की दृष्टि से दस गणा मे विभाजित किया गया है, यथा—भ्वादि दिवादि स्वादि तुदादि, चुरादि आदि।

डा० उदयनारायण तिवारी ने वदिक धातुओं की तीन प्रवृत्तियों की ओर संकेत किया है¹⁴—

१ धातु से पूर्व 'अ' के आगम का प्रयोग।

२ धातु का द्वित्व।

३ धातु एव तिङ् प्रत्यय के मध्य विकरण का सन्निवेश। पाणिनि ने वदिक प्रक्रिया मे क्रिया के काल एव भावों के दस प्रकारों को वर्णित किया है, यथा—लट् लिट् लुट् लृट् लेट् लोट्, लड्, लिड्, लुड् तथा लड्। आग्ल भाषा मे इनके समानार्थी शब्द निम्न प्रकार से हैं—

लट् (Present), लिट् (Perfect Past), लुट् (Periphrastic Future), लृट् (Simple Future), लेट् (Subjunctive), लाट् (Imperative) लड् (Imperfect Past), लिड् (Potential), लुड् (Aorist), लड् (Conditional)।

धातुओं की 'स्व और पर' की दृष्टि से तीन भागों मे विभाजित किया गया है—१ आत्मनेपदी २ परस्मपदी ३ उभयपदी।

वैदिक भाषा की मुख्य प्रवृत्ति-स्वच्छन्दता तिङ्-तो क प्रयोग और धातु पदा मे देखने की मिलती है—

१ सस्कृत की परस्मैपदी धातुओं का प्रयोग आत्मनपद मे भी प्रयुक्त हुआ है यथा इच्छत इच्छति।

¹³ पष्ठी युक्तशब्दसि वा चतुर्थ्यर्थे बहुल छन्दसि पष्ठ्यर्थे चतुर्थी वक्तव्या, यजेश्च करणे, आदि—वदिक व्याकरण पृष्ठ १६।

¹⁴ हिन्दी भाषा का उदगम और विकास, पृष्ठ ४६।

२ बहुवचन के लिए वही-वही एक वचन सहायक प्रियाया का प्रयोग विधा गया है—चपान य अश्व युपाय तक्षति ('तक्षति' के स्थान पर) ।

३ तिङ् प्रत्यय जोड़ते समय साधधातुक और आधधातुक का ध्यान नहीं रखा जाता । इसलिए 'वध-तु' और 'वधय-तु' दोनों रूपों का प्रयोग वेद में मिलता है ।

४ विकरण का व्यत्यय भी मिलता है, यथा—भिद धातु के साथ वही विकरण मिलता है और वही नहीं मिलता है । इसलिए वेद में 'भेदति' जसा रूप भी मिलता है और भिदति भिनत्ति जैसे रूप भी मिलते हैं ।

५ कृदन्त प्रत्ययों के प्रयोग में भी नियमों की परवाह नहीं की गई है । 'त्वा' और 'त्यप्' का प्रायोगिक जो अंतर सस्कृत में मिलता है वह छांदस में नहीं । 'त्वा' के स्थान पर 'त्यप्' का प्रयोग धातु से पूर्व उपसर्ग जाड़न पर ही किया जाता है किंतु छांदस में उपसर्ग युक्त धातु के साथ भी 'त्वा' का प्रयोग कर दिया जाता है जबकि सस्कृत में वहाँ पर 'त्वा' का प्रयोग निषिद्ध है, यथा—परिधापयित्वा आगत्वा आदि ।

३४ उपसर्ग और निपात—छांदस में उपसर्गों तथा निपातों का प्रयोग बहुतायत से पाया जाता है । ही^१ कहीं कहीं उपसर्ग को मूल शब्द से पृथक् लिखने की शली भी दृष्टिगत होती है । बितने ही उपसर्ग तो ऐसे हैं कि जिनकी व्युत्पत्ति भी सदिग्ध है । निपातों में अनेक 'तुमुनू' अर्थ में प्रयुक्त होने वाले १८ प्रत्ययों का (निपात) विधान छांदस में उपलब्ध होता है ।

कोष शास्त्र भण्डार के सम्बन्ध में विद्वानों का मत है कि छांदस के साहित्यिक भाषा होने पर भी तत्कालीन बोलिया का प्रभाव उस पर डला जा सकता है । अतः अनेक ग्राम्य शब्द बल्कि साहित्य में छात्र जा सकते हैं । तस्तिरीय साहित्य में प्रयुक्त सुवर्ण (स्वर्ण) शब्द का प्रयोग सामान्य शब्दों में ही लगता है ।^{१५} न केवल छांदस की बोलिया क ही शब्द दृष्टि में प्रचलित अनाय भाषाओं के शब्दों को भी छांदस में दृष्टि में लेना है । 'वदन्ती नाम, कुण्डतूल नीर' आदि शब्द दृष्टि में भाषा परिवार का 'वदन्ति' भाषा परिवार के अधिक समीप है । इसी प्रकार 'लक' शब्द का 'लक' की व्युत्पत्ति भी डा० चाट्टर्जी ने आस्ट्रेलिया भाषा के शब्दों के रूप में है—'लक' मूल शब्द लक > लकम् > लिङ्ग ।^{१६}

^{१५} डा० भोलानाथ तिवारी वृत्त भाषा शिष्ट, पृष्ठ १०१ ।

^{१६} भारतीय वाय भाषा और हिन्दी, पृष्ठ १० ।

संस्कृत भाषा के उदभव से पूय की स्थिति

उपर्युक्त विशेषताएँ उस भाषा विशेष से उद्भूत की गई हैं जिसका रूप ऋग्वेदादि संहिताओं, ब्राह्मण ग्रन्थों एवं उपनिषदां में वर्तमान है। आय जब सप्तसिंधु प्रदेश में थे तब ये इन ऋषियों का निर्माण कर रहे थे और बहुत सम्भव है कि बोलचाल में भी ये लोग इसी भाषा का प्रयोग करते थे। छान्दस में शब्दों की अनेकरूपता ही इस अनुमान का प्रमाण हो सकती है। प्रारम्भ में आयों में अटनशीलता एक विशेष प्रवृत्ति थी जो उस समय की परिस्थितियों के अनुकूल भी थी। तत्कालीन प्रायः सभी कबील एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर अपसर होते रहते थे। डॉ. चाट्टर्जी का मत है कि आस्ट्रेल परिवार के जन मूलतः भारतीय थे जो यहाँ से इण्डोनेशिया आदि स्थानों से हात हुए आस्ट्रेलिया पहुँचे और उनमें से कुछ पुनः भारत लौट आए।¹⁷ आय तो प्रायः मगस्त मध्य एशिया और समस्त योरप में फैल गये। अतः आय-जन धीरे धीरे सप्तसिंधु प्रदेश से मध्य देश के भाग से पूर्वी प्रदेशों की ओर बढ़ने लगे। इस अभियान में इनका अनेक अनाम कबीलों से सम्पर्क हुआ। आयों ने उन पर विजय प्राप्त कर अपनी प्रभुता स्थापित की। वेदों में इस प्रकार के अनेक संकेत उपलब्ध होते हैं। इन जातियों ने विजेताओं से मधुर सम्बन्ध स्थापित करने हेतु आयों की भाषा सीखना प्रारम्भ किया। ब्राह्मण ग्रन्थों में इस प्रकार के अनेक उल्लेख मिलते हैं परन्तु अनाथ जातियों के लिए आय भाषा की कतिपय ध्वनियों, यथा—ऋ ए ऐ ओ औ संयुक्त व्यञ्जन तथा ज्य ध्वनियाँ—का उच्चारण दुष्कर था परन्तु फिर भी वे बड़े मनोयोग से इस भाषा को ग्रहण करने का प्रयत्न करते रहे होंगे। यह स्वाभाविक भी है। आज के भारतीय तो गौराङ्ग महाप्रभुओं के महा प्रयाण करने के पश्चात् भी उनकी भाषा को सीखने पढ़ने का प्रयत्न छोड़ने को तयार नहीं हैं बल्कि अभी तक उस राजभाषा का गौरवमय पद प्रदान किए हुए हैं परन्तु उस समय की स्थिति कुछ भिन्न थी आय लोगों को यह रचिकर था कि अशिक्षित लोग आय भाषा का अशुद्ध उच्चारण कर। अतः अनेक स्थानों पर आय ऋषियों ने उनके प्रति क्षोभ प्रकट किया है तथा उन्हें आसुय राक्षस, चर्वर तथा श्रगडालू वृत्ति वाला कहा गया है। ताण्डय या पञ्चविंश ब्राह्मण में इसका स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि शारथ्य लोग उच्चारण में सरल एवं वाक्य की कठिनता से उच्चारण किया जाने वाला कहते हैं। आद्यम में दीक्षा प्राप्त किए बिना ही दीक्षित आयों की भाषा बोलने का उपक्रम

¹⁷ भारतीय आय भाषा और हिन्दी, पृष्ठ ४८-४९।

करते हैं।¹⁸ डॉ० चाटुर्ज्या ने प्रात्य जाति के मन्बन्ध में लिखा है कि प्रात्य जाति से आयों का तात्पर्य उस अटनशील जाति विशेष से था जो वैदिक अग्निहोत्र और ब्राह्मणों की सामाजिक एवं धार्मिक व्यवस्था को नहीं मानने वाले थे।¹⁹

जहाँ एक ओर इन ब्राह्मण ऋषियों ने भाषा के अशुद्ध उच्चारण करने वालों का उल्लेख किया है वहाँ भाषा के शुद्ध एवं सही उच्चारण करने वालों के लिए किया गया निर्देशन भी स्थान स्थान पर उपलब्ध होता है। भाषा के शुद्ध उच्चारण करने वालों में उदीच्य जनो का नाम विशेष रूप से लिया गया है। उदीच्य प्रदेश में भाषा बड़ी जानकारी से बोली जाती है भाषा सीखने के लिए लोग उदीच्य जना के पास ही जाते हैं जो भी वहाँ से लौटता है उससे सुनने की इच्छा करते हैं।²⁰

उपयुक्त उद्धरणों से यह स्पष्ट होता है कि वैदिक युग में ही छादस भाषा विकास की ओर अग्रसर थी तथा ब्राह्मण ऋषि इस अवाञ्छित विकास को रोकने के प्रति पर्याप्त मात्रा में सतक थे, किन्तु भाषा का प्रवाह कभी बन्धन स्वीकार नहीं करता लाख प्रयत्न करने पर भी वह अपनी गति से अग्रसर रहती है। विद्वान लोग उसे स्थायी एवं एकरूप बनाने के लिए व्याकरण के नियमों का निर्माण करते हैं भाषा की शुद्धता की दुहाई देते हैं किन्तु जन साधारण अपनी सुविधा के अनुसार भाषा का विस्तार एवं प्रसार रूपात्मक एवं ध्वयात्मक परिवर्तनों द्वारा करता चला जाता है। ब्राह्मण ग्रन्थों में इस प्रकार के उल्लेख मिलने के कारण हम इस निष्कर्ष पर सरलता से पहुँच सकते हैं कि भाषा का यह परिवर्तन ब्राह्मण ग्रन्थों के लेखन काल तक पर्याप्त मात्रा में प्रकाश में आ चुका था। ब्राह्मण ग्रन्थों के रचना काल तक आय सस्कृति और भाषा आधुनिक बिहार प्रदेश तक पहुँच चुकी थी, क्योंकि ब्राह्मणों से इनका सम्पर्क लगभग पूर्वी प्रदेशों में ही हुआ है। अतः हम कह सकते हैं कि इस समय में दो बोलियाँ तो कम से कम ऐसी थीं जिन्हें ब्राह्मण ऋषियों ने पूणत चिह्नित कर लिया था—एक तो उन लोगों की बोली, जो अशुद्ध उच्चारण करते थे अर्थात् पूर्वी प्रदेशों की बोली, दूसरी उन लोगों की बोली जो कट्टरतावादी थे और भाषा का पूण रूप से शुद्ध उच्चारण करते थे

¹⁸ अदुक्कत वाक्य दुस्वनम आहु अदीक्षिता दीक्षितवाचम वदति । (ताण्डय ब्राह्मण, १७/४) ।

¹⁹ भारतीय आय भाषा और हिन्दी पृष्ठ ७२ ।

²⁰ भारतीय आय भाषा और हिन्दी पृष्ठ ७२ से उद्धृत—तस्माद् उदीच्याम् प्रनाततरा वाग उद्यते, उदञ्च उ एव यन्ति वाचम शिक्षितम्, यो वा तत् आगच्छति तस्य वा शुश्रूषन्त इति । (कौपीतकी ब्राह्मण ७/६)

अर्थात् पश्चिमोत्तरी प्रदेश के उदीच्य जना की । ब्राह्मण ग्रन्थों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष केवल इन दो बोलियों का ही उल्लेख मिलता है किन्तु डा० चाटुर्ज्या का मत है कि इन दोनों के बीच एक ऐसी भाषा अवश्य रही होगी जो न तो पश्चिमोत्तर उदीच्य की भाँति ऋद्विद्य ही रही होगी और न पूरव की प्राच्या की तरह शिथिल और स्थलित ही । अर्थात् वह दोनों के बीच के भाग का अनुसरण करती रही होगी ।²¹ उक्त दोनों प्रदेशों के बीच में बोली जाने वाली बोली की कल्पना विद्वानों ने मध्य देशीय बोली के नाम से की है जिससे आगे चल कर अनेक प्राकृतों अपभ्रंशों एवं आधुनिक भाषाओं का प्रादुर्भाव हुआ । इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ब्राह्मण ग्रन्थों के काल में निम्नलिखित तीन बोलियाँ जन साधारण में प्रचलित थी—

(१) उदीच्या—इसके क्षेत्र में आधुनिक पंजाब एवं पश्चिमोत्तर प्रदेश अर्थात् अफगानिस्तान तक का भू भाग समाविष्ट किया जा सकता है ।

(२) मध्यदेशीया—इसमें वर्तमान उत्तर प्रदेश आ जाता है ।

(३) प्राच्या—प्राच्य देश के अंतर्गत वर्तमान बिहार और बंगाल आते हैं ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि छान्दस भाषा के साथ साथ उपयुक्त तीनों बोलियाँ धीरे धीरे पनपती जा रही थी । इसके अतिरिक्त यदि हम समस्त वैदिक साहित्य का सूक्ष्म भाषा वैज्ञानिक विश्लेषण करें तो प्रतीत होगा कि ऋग्वेदिक भाषा और ब्राह्मण ग्रन्थों की भाषा परस्पर पूरा साम्य को व्यक्त करने में सक्षम नहीं है । विशेषकर रूप की दृष्टि से कुछ भिन्नता दृष्टिगोचर होती है । ऐसा लगता है कि यह रूप छान्दस से अपेक्षाकृत कुछ सरल है । अतः बहुत सम्भव है कि ब्राह्मण ग्रन्थों का प्रणयन ऋषियों ने परस्पर की बोलचाल एवं शिक्षण काय के लिए प्रयुक्त की जाने वाली भाषा में किया हो । डा० चाटुर्ज्या ने इसकी उत्पत्ति दो प्रकार से दिखाई है या तो उस भाषा का नवीन रूप जो प्राचीनतम भारतीय आय भाषा का साहित्यिक रूप था और ब्राह्मण लोग पाठशालाओं में अध्ययन करते थे अथवा मध्यदेशीय और प्राच्या के उपादानों से युक्त उदीच्या का एक पुराना रूप ।²²

वास्तविक बात तो यह है कि गौतम बुद्ध के रगमञ्च पर उपस्थित होने से पूर्व भारतीय आय भाषा अति तीव्र गति से विकास की ओर अग्रसर थी । इसका रूप अनेक शाखाओं और प्रशाखाओं में बढ़ता जा रहा था । अनाय जातियाँ इस विकास में अत्यंत महत्त्वपूर्ण योगदान कर रही थी एक तो

²¹ भारतीय आय भाषा और हिन्दी पृष्ठ ७३ ।

²² वही, पृष्ठ ७५ ।

द्व उच्चारणो एव प्रयोगा द्वारा आय भाषा की श दावली को नवीन रूप र—भत का भक्त या भट्ट उच्चारण करके—द्वितीय जाने और अनजाने मे 'रेकेल और हरिद्रा' जैसे अपने शब्दा का प्रवेश करवा कर । उधर भाषा की असशील प्रवृत्ति भी काय निरत थी ।

उपर्युक्त प्रत्यालोचन क पश्चात् छात्स युग की भाषागत स्थिति पूणत हो जाती है । इस समय भाषा तीन रूपा मे विकसित हुई सी दृष्टिगत है । इस विकास को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है—

(१) 'छात्स की तीन बोलिया—(क) प्राच्या (ख) मध्यदेशीया (ग) उदीच्या—पूणत प्रकाश म आ चुकी थी ।

(२) ऋग्वेद की साहित्यिक भाषा जिसे पाठशालाओ मे पढाया जाता था ।

(३) परस्पर बातचीत की विद्वाना की भाषा जो छा दस की पढान का ध्यम थी तथा जिसमे ब्राह्मण ग्रंथो का सजन हुआ था ।

यह तो सिद्ध हो गया कि बुद्ध से पूव उत्तर भारत मे तीन बोलियों का भव हो चुका था किन्तु यह सिद्धि ब्राह्मण ग्रंथो मे उल्लिखित सन्दर्भों पर आधारित है । आज हमारे समक्ष उन बोलियों का कोई भी रूप नहीं है । इसे उसका सूक्ष्म विश्लेषण कर नवीन तथ्यों को खोज निकाला जाए । धक से अधिक इन प्रदेशों की बाद की साहित्यिक भाषाओ क आधार पर बोलियों के रूपो एव ध्वनियों का अनुमान लगाया जा सकता है । प्राचीन धारो मे महाभाष्यकार पतञ्जलि ने ध्वनि परिवर्तन का संकेत दिया है जो चाटुर्ज्या की दृष्टि मे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । व्याकरण अध्ययन की महत्ता प्रकाश डालते हुए इन्होंने लिखा है—

“तस्मुरा हेअलयो हेअलय इति कुव त परावभूवु । तस्माद् ब्राह्मणेन न च्छिनर्धे नापभाषितव म्लेच्छो ह वा एव यदपशब्द ।”^३

वे असुर हेअलय । हेअलय । कहते हुए हार गए । अत ब्राह्मण लोग अशुद्ध उच्चारण से म्लेच्छ भाषा बोलने वाले न बनें । इससे पात होता है कि नाय जन छान्दस 'र के स्थान पर ल का उच्चारण करते थे द्वितीय

^३ गद्य परिजात—स० डा० मूयकान्त पृष्ठ १६ । टीका मे शतपथ को उल्लिखित किया है— माध्यदिनाना शतपथब्राह्मणे तु हृन्वो हेवल इति वदन्त । वही पृष्ठ २० । आयों की मूल जन्म भूमि मे यह पाठ इस प्रकार है—ते असुरा अत्त वचमो हेअलयो । हेअलय । इति वदत परावभूवु तस्मान् ब्राह्मण म्लेच्छेन ।

अर्थात् पश्चिमोत्तरी प्रदेश के उदीच्य जनो की । ब्राह्मण ग्रन्थों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष केवल इन दो बोलियों का ही उल्लेख मिलता है किन्तु डा० चाटुर्ज्या का मत है कि इन दोनों के बीच एक ऐसी भाषा अवश्य रही होगी जो न तो पश्चिमोत्तर उदीच्य की भाँति रुढ़िबद्ध ही रही होगी और न पूव की प्राच्या की तरह शिथिल और स्थलित ही । अर्थात् वह दोनों के बीच के माग का अनुसरण करती रही होगी ।²¹ उक्त दोनों प्रदेशों के बीच में बोली जाने वाली बोली की कल्पना विद्वानों ने मध्य देशीय बोली के नाम से की है जिससे आगे चल कर अनेक प्राकृतों अपभ्रंशों एवं आधुनिक भाषाओं का प्रादुर्भाव हुआ । इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ब्राह्मण ग्रन्थों के काल में निम्नलिखित तीन बोलियाँ जन साधारण में प्रचलित थी—

(१) उदीच्या—इसके क्षेत्र में आधुनिक पंजाब एवं पश्चिमोत्तर प्रदेश अर्थात् अफगानिस्तान तक का भू भाग समाविष्ट किया जा सकता है ।

(२) मध्यदेशीया—इसमें वर्तमान उत्तर प्रदेश आ जाता है ।

(३) प्राच्या—प्राच्य देश के अतगत वर्तमान बिहार और बंगाल आते हैं ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि छान्दस भाषा के साथ साथ उपयुक्त तीनों बोलियाँ धीरे धीरे पनपती जा रही थी । इसके अतिरिक्त यदि हम समस्त वैदिक साहित्य का सूक्ष्म भाषा वैज्ञानिक विश्लेषण करें तो प्रतीत होगा कि ऋग्वेदिक भाषा और ब्राह्मण ग्रन्थों की भाषा परस्पर पूर्ण साम्य को व्यक्त करने में सक्षम नहीं है । विशेषकर रूप की दृष्टि से कुछ भिन्नता दृष्टिगोचर होती है । ऐसा लगता है कि यह रूप छान्दस से अपेक्षाकृत कुछ सरल है । अतः बहुत सम्भव है कि ब्राह्मण ग्रन्थों का प्रणयन ऋषियों ने परस्पर की बोलचाल एवं शिक्षण काय के लिए प्रयुक्त की जाने वाली भाषा में किया हो । डा० चाटुर्ज्या ने इसकी उत्पत्ति दो प्रकार से दिखाई है या तो उस भाषा का मधीन रूप जो प्राचीनतम भारतीय आय भाषा का साहित्यिक रूप था और ब्राह्मण लोग पाठशालाओं में अध्ययन करते थे अथवा मध्यदेशीय और प्राच्या के उपादानों से युक्त उदीच्या का एक पुराना रूप ।²²

वास्तविक बात तो यह है कि गीतम बुद्ध के रगमञ्च पर उपस्थित होने से पूव भारतीय आय भाषा अति तीव्र गति से विकास की ओर अग्रसर थी । इसका रूप अनेक शाखाओं और प्रशाखाओं में बढ़ता जा रहा था । अनाय जातियाँ इस विकास में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण योगदान कर रही थीं एक तो

²¹ भारतीय आय भाषा और हिन्दी पृष्ठ ७३ ।

²² वही पृष्ठ ७५ ।

अशुद्ध उच्चारणों एवं प्रयोगों द्वारा आय भाषा की श दाबली को नवीन रूप देकर—भर्तृ का भक्त या भट्ट उच्चारण करके—द्वितीय जाने और अनजाने में 'नारिकेल और हरिद्रा' जैसे अपने शब्दों का प्रवेश करवा कर। उधर भाषा की विकासशील प्रवृत्ति भी काय निरत थी।

उपयुक्त प्रत्यालोचन के पश्चात् छादस युग की भाषागत स्थिति पूणत स्पष्ट हो जाती है। इस समय भाषा तीन रूपों में विकसित हुई सी दृष्टिगत होती है। इस विकास को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है—

(१) 'छादस की तीन बोलियाँ—(क) प्राच्या, (ख) मध्यदेशीया (ग) उदीच्या—पूणत प्रकाश में आ चुकी थी।

(२) ऋग्वेद की साहित्यिक भाषा जिसे पाठशालाओं में पढ़ाया जाता था।

(३) परस्पर बातचीत की विद्वाना की भाषा जो छादस को पढ़ाने का माध्यम थी तथा जिसमें ब्राह्मण ग्रंथों का सजन हुआ था।

यह तो सिद्ध हो गया कि बुद्ध से पूर्व उत्तर भारत में तीन बोलियों का उदभव हुआ था किन्तु यह सिद्धि ब्राह्मण ग्रंथों में उल्लिखित सन्दर्भों पर ही आधारित है। आज हमारे समक्ष उन बोलियों का कोई भी रूप नहीं है जिससे उनका सूक्ष्म विश्लेषण कर नवीन तथ्यों को खोज निकाला जाए। अधिक से अधिक इन प्रदेशों की बाद की साहित्यिक भाषाओं के आधार पर उन बोलियों के रूपों एवं ध्वनियों का अनुमान लगाया जा सकता है। प्राचीन आधारों में महाभाष्यकार पतञ्जलि ने ध्वनि परिवर्तन का संकेत दिया है जो डा चाटुर्ज्या की दृष्टि में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। "याकरण अध्ययन की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए इन्होंने लिखा है—

'तिसुरा हेऽलयो हेऽलय इति कुष त पराबभूवु । तस्माद् ब्राह्मणेन न म्लेच्छितव नापभाषितव म्लेच्छो ह वा एव यदपशद ।"²³

वे असुर हेऽलय । हेऽलय । बहत्त ह्य हार गए । अत ब्राह्मण लोग अशुद्ध उच्चारण से म्लेच्छ भाषा बोलने वाले न बनें । इससे ज्ञात होता है कि अनाय जन छादस र के स्था पर 'ल' का उच्चारण करते थे द्वितीय

²³ गद्य परिजात—स० डा० सूयकान्त पृष्ठ १६। टीका में शतपथ को उल्लिखित किया है—माध्यदिनाना शतपथब्राह्मणे तु हेनवा हेवल इति वदन्त । वही पृष्ठ २०। आर्यों की मूल जन्म भूमि में यह पाठ इस प्रकार है—ते असुरा अत वचसो ह अलयो । हे अलय । इति वदन्त पराबभूवु तस्माद् ब्राह्मण म्लेच्छेन ।

शतपथ ब्राह्मण में पाठ भेद से 'हेलव' के स्थान पर 'हेलव भी मिलता है।²⁴ इससे निष्पन्न निश्चलता है कि ये 'य' के स्थान पर य का उच्चारण करते थे। इनके अतिरिक्त अन्य कोई उल्लेख तत्कालीन बोली की प्रवृत्तियों का नहीं मिलता। इस आधार पर जब यान् की साहित्यिक भाषाओं का अध्ययन करते हैं तो प्राचीन मयान 'र' के स्थान पर 'ल' पाया जाता है, यथा—

राजा > साजा शोर > सोल, मर्ता > भल्ला, दुद्र > दुल्ल ।

अब यदि प्राचीन की प्राच्या का साहित्यिक रूप इस आधार पर मान लें तो कुछ ऐसी प्रवृत्तियों को भी स्वीकार किया जा सकता है जिनका प्रयोग प्राच्या में होता रहा होगा, यथा— र त के संयोग पर दोनों का मूषयीकरण हो गया है—वि > वृत् > विवट भत् > भट्ट वत् > वट्ट वृत् > वट, नि > नृत् > निवट—मध्य-देशीय में ये रूप प्रमथ भत्त वत्त आदि हुए होंगे।

डॉ० उदयनारायण तिवारी का मत है कि प्राच्या की यह प्रकृति इतनी चलवती हा गई थी कि परवर्ती भाषा का शोक दशम मण्डल उसे अपनाए हुए है।²⁵ यथा—रम् > लम्, रोमन > लोमन् झुच् > म्लुच् । आपके अनुसार अय मण्डलो में प्रमथ रम्, रोमन झुच् का प्रयोग हुआ है।

इन सब में उनीच्या में ये ध्व-यात्मक परिवर्तन नहीं हुए होंगे। उदीच्या की यह मुख्य प्रकृति लक्षित की गई है कि वह परिवर्तन व प्रति विशेष रचि नहीं रखती। अतः वह रुन्वादी एव वट्टरतावादी है। डा चाटुर्ज्या भी तिवारी जी के उपरिक्थित मत से सहमत हैं।²⁶ आपन अनेक उदाहरणों द्वारा इस मत की पुष्टि की है।

भाषागत यह स्थिति अधिक से अधिक उल्लसनदार होती जा रही थी। ब्राह्मण ऋषि भाषागत शुद्धता के हामी होते हुए भी दिन प्रति दिन छादस में प्रवेश पा रहे ग्राम्य बोलियों के शब्दों एव निपातों को रोक नहीं पा रहे थे। बहुत सम्भव है कि वेदों की ऋचाओं के रचयिता ऋषि उत्तर भारत के विभिन्न प्रदेशों के निवासी रहे हा तथा उनमें से कुछ भाषा-नीति में उदार भी रहे हों और प्राचीन बोलियों के शब्दों को अपनापन में हिचकचाहट न करते हों। परिणाम स्वरूप छादस में विकल्पा की भरमार होती जा रही थी और

²⁴ वयाकरण महाभाष्य पृष्ठ २२—शास्त्रांतरे हेलव हेतवो इति ।

²⁵ हिन्दी भाषा का उदभव और विकास, पृष्ठ ५५ ।

²⁶ भारतीय आय भाषा और हिन्दी, पृष्ठ १०७—११० ।

व्याकरण के नियम शिथिल होते जा रहे थे।²⁷ उधर प्राच्य लोग बर्दिक कम काण्ड के प्रति अपनी अनास्था प्रकट करने लगे थे। फलतः छादस को स्वीकार करने को तत्पर न थे। गौतम बुद्ध और उनके दो शिष्यो का छादस के सम्बन्ध में संवाद ही इसका प्रमाण है। उस समय इस बढ़ती हुई भाषा की रूपात्मक एवं ध्वन्यात्मक अव्यवस्था को अवरुद्ध कर देने के लिए तथा समस्त उत्तर भारत के समस्त जनो के लिए माय उदीच्या बोली को आधार बना कर शालानुरीय विद्वान पाणिनि ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ अष्टाध्यायी का प्रणयन किया और लगभग ई० पू० ५०० में सस्कृत नाम की नवीन भाषा अस्तित्व में आई।

पाणिनि ने छादस के रूप बहिष्कार के प्रथम हेतु अपने व्याकरण का सज्जन किया तथा इसी भाषा-संस्कार के कारण इसे 'सस्कृत' कहा जाने लगा। इस सस्कृत भाषा में कुछ ऐसी विशेषताएँ थीं कि तुरन्त ही अफगानिस्तान से लेकर बंगाल तक के ब्राह्मणों द्वारा अपना ली गई। अपना देने के पीछे स्पष्ट ही दो कारण थे एक तो सस्कृत छादस की स्वच्छता पर अकुश का काम करने के लिए प्रकाश में आई थी और ब्राह्मण ग्रन्थों एवं उपनिषदों के प्रणेता ऋषि भाषा की इस अनेक रूपता से परेशान थे। अतः सस्कृत से उन्हें एक प्रकार का सुख मिला। दूसरे संस्कार वर्ता ब्राह्मण उस प्रदेश से सम्बन्ध रखता था जहाँ की बोली समस्त आयजन एक आश बोली के रूप में स्वीकार करते थे। सस्कृत की सब से बड़ी महत्ता यह है कि छादस के कट्टर विरोधी बौद्धा ने भी अपने अनेक ग्रन्थों का प्रणयन इस भाषा में किया। इस प्रकार छादस के पश्चात् भारतीय आय भाषा का दूसरा महत्वपूर्ण साहित्यिक रूप सस्कृत के नाम से रगमञ्च पर जन्म गया और आज तक यूनाधिक रूप में भारतीय हिन्दू समाज

²⁷ डॉ० श्यामसुन्दर दास ने इस अव्यवस्था का अच्छा निदर्शन किया है— विभिन्न स्थानों के आय भाषा में विभिन्न प्रकार के प्रयोग काम में लाते थे। 'तुम दोनों के लिए कोई युवाम' बोलता था, कोई 'युवम' और कोई केवल 'वाम' से ही काम चला लेता था। इसके अतिरिक्त पश्चात् और 'पश्चा' 'युष्मासु और युष्मे, देवा और देवास' श्रवण और श्रोणा अवचोनयति और अवज्योतयति, देवै और देवभि आदि दोहर प्रयोग चलते थे। कुछ लोग विभक्ति न लगा कर केवल प्रातिपदिक का ही प्रयोग कर डालते थे (यथा—परमे व्योमन) तो कुछ शब्द का अग भग करने पर सन्नद्ध थे। आत्मना—त्मना इसका अच्छा उदाहरण है। कोई व्यक्ति किसी अक्षर को एक रूप में बोलता था तो दूसरा दूसरे रूप में। एक ड कहीं ल, ल' कहीं ड तथा कहीं रू बोलता जाता था। (हिन्दी भाषा और साहित्य पृष्ठ ६)।

के हृदयों पर जमी हुई है। हिंदुओं के समस्त सांस्कृतिक कार्यक्रम इसी भाषा के माध्यम से सम्पन्न होते हैं। संस्कृत पठना एक पुण्य काय समझा जाता है। डॉ० चाटुर्ज्या ने संस्कृत के उदभव के सम्बन्ध में लिखा है—“उसके तथा उसकी भाषा के सौभाग्य से इसी समय एक महान वयाकरण का पश्चिमोत्तर प्रदेश में उदय हुआ जहाँ के जनसाधारण की बोलियाँ अब तक भी छा दस और ब्राह्मण ग्रन्थों की भाषा के रूप तत्त्व ध्वनि विनान तथा व्याकरण की दृष्टि से इतनी निकट थी कि उनसे भिन्न प्रतीत न होकर केवल उसका एक लौकिक या प्रचलित रूप बनी हुई थी। इस लौकिक रूप पर स्थानीय जन भाषाओं की शब्दावली और मुहावरों का प्रभाव पड़ चुका था तब भी पाणिनि ने अपने व्याकरण से हमेशा के लिए साहित्यिक संस्कृत के रूप में नियम बद्ध कर लिया। इस प्रकार बर्दिक भाषा और ब्राह्मण ग्रन्थों की साहित्यिक भाषा के पश्चात् भारतीय आय भाषा का तीसरा रूप साहित्यिक संस्कृत प्रतिष्ठित हुआ। मूलतः यह उदीच्य बोलियाँ पर आधारित था और मध्य देश पूर्व तथा दक्षिण के भी अखिल ब्राह्मण जगत ने इसे सह्य स्वीकार कर लिया।”²⁶

पूर्व कथित तीन बोलियों में से उदीच्या ने साहित्यिक बाना पहन कर बोली स भाषा के पद पर अपने को अधिष्ठित कर अपनी पदवृद्धि का शक्यता किया। यद्यपि इन दिनों गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी अपने प्रवचनों की अभिव्यक्ति छांदस के माध्यम से न कर उनका प्रचार एवं प्रसार तत्कालीन लोक भाषाओं में कर रहे थे तो भी वे संस्कृत के चतुर्मुखी विकास को रोक न सके और भाषागत इस सघष में बौद्धों एवं जिनियों को पराजय का मुखाव लोचन करना पड़ा।

संस्कृत का भाषा तात्त्विक विवेचन

ध्वनि तत्त्व

छान्दस की अति समीपी बोली उदीच्या पर आधारित होने पर भी संस्कृत में ध्वन्यात्मक दृष्टि से अनेक स्थानों पर भिन्नता दृष्टिगत है। अनेक ध्वनियों को छोड़ दिया गया अनेक व उच्चारण में अंतर आ गया।

स्वर—संस्कृत में छान्दस के प्रायः समस्त स्वर मिनत हैं। केवल दीध क्र और ल का त्याग कर लिया गया। ह्रस्व ल केवल वनपू घातु में ही प्रयुक्त हुई है। अइ (ऐ) अउ (औ) के उच्चारण निश्चित हो गए। डॉ० सरनामसिंह ने स्वरा व्यञ्जनो के उच्चारण में हुए परिवर्तनों की भी

सूचना दी है।^{२७} श स ह' से पूर्व म अनुस्वार के विशेष उच्चारण को भी छोड़ दिया गया।

व्यञ्जन—१ ल और ल्ह' ध्वनिया सस्कृत म नहीं मिलती।

२ उपध्मानीय और जिह्वामूलीय विसर्गों का प्रयोग और उच्चारण समाप्त हो गया।

३ मूधय ध्वनिया का विकास बढ़ गया।

४ अघोप अल्प प्राण ध्वनियाँ सघोप अल्प प्राण ध्वनिया मे घटले से परिवर्तित होने लगीं।

५ बलाघात की प्रवृत्ति समाप्त हो गई पर उच्चारण के प्रति सतकता अधिक बढ़ गई। शेष समस्त छा'दस व्यञ्जन उपलब्ध होते हैं।

रूपतत्त्व

सस्कृत म छा'दस की भांति ही तीन वचन, तीन लिङ्ग तथा आठ कारका का विधान मिलता है। छा'दस मे जहाँ कारका मे शब्दों के अनेक रूपा का विधान था उनमे से प्राय एक को स्वीकार कर शेष रूपा को छोड़ दिया गया। देवा और देवास मे से प्रथमा बहुवचन म केवल देवा को ही स्वीकार किया गया। इसी प्रकार देवै और देवेभि' मे स केवल देव' 'पतिना और पत्या में से केवल पत्या को रख लिया गया। प्रथमा के द्विवचन मे अश्विन् और देवी' के सस्कृत मे अश्विनौ और दव्यौ रूप ही उपलब्ध होने है। गुह्या और गुह्यानि' मे से केवल 'गुह्यानि' प्रयोग ही स्थिर किया गया। कारक व्यत्यय और निर्विभक्तिक प्रयोगों को पूण रूप स नहीं रोका जा सका।

आख्यात—छा'दस के आधार पर ही सस्कृत मे भी सभी घातुओं को दस गणा मे विभाजित किया गया है। घातुओं की तीना वैदिक विशेषताएँ सस्कृत म सुरक्षित हैं।

सस्कृत म भी घातुआ का प्रयोग तीनों पदा—१ आत्मनेपद, २ परस्मै पद ३ उभयपद—म किया जाता है। छा'दस की अव्यवस्था को यहाँ पर रोक दिया गया, यथा—इच्छ छा'दस म आत्मनेपद मे भी प्रयुक्त होती है और परस्मपद म भी पर सस्कृत म इसे परस्मपद के लिए ही स्थिर कर दिया गया। इस प्रकार अनेक घातु रूपों का स्थिरीकरण हम सस्कृत म मिलता है।

सस्कृत म लेट' लकार को छोड़ कर छा'दस के शेष नौ लकारों का प्रयोग उपलब्ध होता है पर डॉ उदयनारायण तिवारी का मत है कि शेष

^{२७} डॉ सरनामसिंह शर्मा 'अरण' कृत पालि साहित्य और समीक्षा।

संज्ञा भी छांदस भाषा में जित जित भाषा की अभिव्यक्ति करते थे उतनी सस्कृत में नहीं करते। आगे अपने मतम्य को इस प्रकार स्पष्ट किया है— 'यदि स्या सस्कृतं म साय से अधिक भिन्नता धातु रूपों में दिखाई देती है। सस्कृत में 'अभिप्राय' (सट Subjunctive तथा निषेध Injunctive) भाषा के रूप सुप्त हो गए हैं। अभिप्राय के उत्तम पुरुष के रूप सस्कृत में अनुज्ञा (सोट Imparative) में मिला लिए गए और नियम भाषा का प्रयोग केवल निषेधात्मक मा अव्यय के साथ ही रह गया है। सस्कृत में केवल यत्मान काल में ही धातु के विभिन्न भाषा के रूप उपसर्ग होते हैं तथा सामान्य अतीत के विधि (आशीर्षि) के रूप में मिलते हैं। यदि भाषा के वर्तमान सम्पन्न तथा सामान्य भविष्यत् के भी कुछ-कुछ भाषा के रूप मिलते हैं।' २४

सस्कृति में अनेक नवीन धातुओं की सृष्टि हुई है।

सस्कृत में कृत्ता के प्रयोग के प्रति तो अभिप्राय अधिक है किन्तु अनेक रूप प्रतिबद्ध हैं, यथा—छांदस में स्वा और त्यप् के प्रयोग में कोई नियम नहीं जबकि सस्कृत में उपसर्ग रहित धातु के साथ स्वा और उपसर्ग सहित धातु के साथ त्यप् का प्रयोग मिलता है।

सस्कृत में श्रियाजात विशेषणों तथा असमायक पदों का उतना प्राचुर्य नहीं है जितना छांदस भाषा में है।

उपसर्ग और निपात—छांदस में उपसर्गों को शब्द से पृथक् लिखने की जो प्रथा थी वह प्रायः समाप्त हो गई। निपातों की संख्या में और भी अधिक वृद्धि हुई, साथ ही यदि सस्कृत के ते, तवै तात् ताति त्वन् आदि कृदन्त तथा तद्धित प्रत्यय लुप्त हो गए। छांदस में समास पद्धति तो पाई जाती है, पर सस्कृत में विशेषकर उत्तर काल में जितनी जटिल है वैसी नहीं। छांदस में द्वन्द्व समास में दो प्रणालियाँ काम में लाई जाती हैं—पहली प्रणाली में दोनों पद विशेषण होते हैं, यथा—नील लोहित ताम्र धूम्र आदि। द्वितीय प्रणाली में दोनों पद द्विवचन में होते हैं यथा—मित्रा वरुणौ सूर्या चंद्रमसौ, इंद्रवायू पर सस्कृत में इन सब के स्थान पर द्वन्द्व समास में केवल अर्थ पद के लिए द्विवचन का विधान कर उसका रूप स्थिर कर दिया गया, यथा—रामसक्ष्मणी मातापितरौ।

कोष—सस्कृत के शब्द भण्डार को सर्वाधिक मात्रा में प्राकृत भाषाओं ने प्रभावित किया। वट निबट, विकट, नापित जैसे शब्द प्राकृत हैं। तदुपरान्त

द्रविड भाषाओं के शब्दों को भी संस्कृत में विद्वानों ने चिह्नित किया है, यथा—नारिकेल, कदली, तदुल, ताम्बूल, हरिद्रा आदि ।

साहित्य—संस्कृत साहित्य विश्व की किसी भी भाषा के साहित्य के साथ तुलना के लिए रखा जा सकता है । वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, माधव दण्डी जैसे महाकाव्यकार, कालिदास भवभूति जैसे नाटककार तथा भरत, दण्डी मम्मट विश्वनाथ और पण्डितराज जगन्नाथ जैसे कायमज्ञ आचार्य पाणिनि पतञ्जलि, वररुचि जैसे वैयाकरण और चरक तथा सुश्रुत जैसे आयुर्वेदाचार्य संस्कृत भाषा ने पदा किए । दशमो का सूक्ष्म विश्लेषण संस्कृत भाषा की अपनी निधि है । गीता जैसी कम सिद्धान्त की पुस्तिका और वदात्त जसा अध्यात्म सिद्धान्त विश्व में वेजोड हैं । इनके अतिरिक्त संस्कृत भाषा में ज्योतिष, गणित, बीजगणित, रेखागणित जैसे विषयों का भी सूक्ष्म निदर्शन है । कहने का तात्पर्य यह है कि वाङ्मय के सभी रूपों का विवेचन संस्कृत में उपलब्ध होता है और वह भी उच्चकोटि का ।

तृतीय अध्याय

मध्य कालीन भारतीय आर्य भाषाएँ

प्राच्या बोली का विकास—गौतम बुद्ध का अपनी मात भाषा में ही उपदेश देना—प्राकृतों का प्रादुर्भाव—मध्यकालीन भारतीय आय भाषाओं का काल विभाजन—प्राकृत भाषाओं की प्रकृति पर विचार विमर्श—चण्ड, हेमचन्द्र, दण्डी याग्भट्ट, माकण्डेय, पद्मभाषा-चन्द्रिका, धनिक, प्राकृत-चन्द्रिका, पारचात्य एवं आधुनिक भाषा यज्ञानिक—वैदिक सस्कृत और प्राकृतों का सम्बन्ध—प्राकृतों का प्रादुर्भाव—छादस से अथवा सस्कृत से—प्राकृतों की महत्ता का दिग्दर्शन—प्राकृतों की सत्या—कुवलयमाल क्या तथा अन्य व्याकरण एवं डा चटर्जी का मत ।

तृतीय अध्याय

मध्य कालीन भारतीय आर्य भाषाएँ

प्राच्या बोली का विकास—गौतम बुद्ध का अपनी मातृ भाषा में ही उपदेश देना—प्राकृतों का प्रादुर्भाव—मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का काल विभाजन—प्राकृत भाषाओं की प्रकृति पर विचार विमर्श—चण्ड हेमचन्द्र, बण्डी वाग्भट्ट, माकण्डेय, यडभाषा-चन्द्रिका, धनिक, प्राकृत-चन्द्रिका, पारचात्य एवं आधुनिक भाषा धनानिक—वदिक संस्कृत और प्राकृतों का सम्बन्ध—प्राकृतों का प्रादुर्भाव—छांदस से अथवा संस्कृत से—प्राकृतों की महत्ता का दिग्दर्शन—प्राकृतों की संख्या—कुवल्लभमाल तथा अन्य व्याकरण एवं डॉ. घटर्जी का मत ।

संस्कृत को यद्यपि समस्त उत्तर भारत ने एक साहित्यिक एव सांस्कृतिक भाषा के रूप में अपना लिया था, फिर भी भाषा का यह सघन गौतम बुद्ध के काय क्षेत्र में अवतरित होने तक गम्भीर रूप धारण कर चुका था। जैसा कि पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि अनायों के सम्पर्क में आने से छादस भाषा अपना स्वरूप सुरक्षित नहीं रख सकी थी और प्राच्य प्रदेश की भाषा छादस से इतनी दूर जा चुकी थी कि उदीच्य निवासी को उसे समझने में कठिनाई होती थी। अतः भगवान् बुद्ध ने अपने उपदेशों के प्रसार एव प्रचार के लिये अपनी मातृभाषा को ही साधन बनाया और परिणाम स्वरूप प्राकृतों का प्रादुर्भाव हुआ। अब यह महत्त्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या संस्कृत के समान प्राकृत भी कोई एक साहित्यिक भाषा थी जो समस्त भू-खण्ड पर अपना एकछत्र प्रभुत्व जमाए हुए थी, अथवा भिन्न भिन्न प्रदेशों में भिन्न भिन्न नाम वाली प्राकृतें अपने साहित्य सृजन में लीन थीं। यदि साहित्य की प्राचीनता की दृष्टि से उपयुक्त बोलियों के अम्युरत्यान के इतिहास पर दृष्टिपात करें तो ऐसा लगता है कि मध्यकालीन भारतीय आय भाषा को तीन मुख्य वर्गों में पर्वी अथवा अवस्थाओं में विभाजित करना पड़ेगा, क्योंकि ये तीनों वर्ग अपनी विशेषताओं एव प्रवृत्तियों की दृष्टि अपने आप में आदिकालीन भारतीय आय भाषा के तीन वर्गों की अपेक्षा अधिक अंतर एव गहन विकास के चिह्नों को धारण किए हुए हैं।

इस विभाजन को डा. चाटुर्ज्या ने अपनी पुस्तक, 'भारतीय आय भाषा और हिन्दी (पृष्ठ १०८ पर)', में चार अवस्थाओं में प्रदर्शित किया है—
 म भा आ की विभिन्न अवस्थाओं—प्राथमिक म भा आ परिवर्तन कालीन म भा आ द्वितीय या माध्यमिक म भा आ तथा अन्त्य म भा आ या अपभ्रंश—किन्तु कुछ आगे चलकर आपने केवल उसे तीन तक ही सीमित कर दिया है—एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्न आद्य, मध्य तथा अन्त्य म भा आ की विभिन्न बोलियों के प्रादेशिक सम्बन्धों का निरूपण करना है।^१ डॉ. उदय नारायण तिवारी ने इसे पर्वी की सज्ञा दी है किन्तु अवस्थाएँ तीन ही निरूपित की हैं—जनपदीय भाषाओं का स्वरूप निरंतर परिवर्तित परिवर्धित होता रहा। ६०० ई० पू० से १००० ई० तक के १६०० वर्षों तक भारतीय आय भाषा विभिन्न प्राकृतों तथा तत्पश्चात् अपभ्रंश के रूप में विकसित होती हुई आधुनिक भारतीय आय भाषाओं की जननी बनी। आय भाषा के मध्य-

^१ भारतीय आय भाषा और हिन्दी, पृष्ठ १०८-१०९।

कालीन स्वरूप के विकास का ठीक ठीक विवेचन करने के लिये १६०० वर्षों के इस काल को निम्न पवों में बाँटा जा सकता है—

१ प्रथम पव, जिसमें लगभग २०० ई० पू तक प्रारम्भिक परिवर्तन तथा २०० ई० पूव से २०० ई० तक का विकास अतभूत है ।

२ २०० ई० से ६०० ई० तक द्वितीय पव ।

३ ६०० ई० से १००० ई० तक तृतीय पव ।

कुछ विद्वान् इहे—१ प्रथम प्राकृत २ द्वितीय प्राकृत व ३ तृतीय प्राकृत कहकर भी अपना काय सम्पन्न कर लेते हैं । हम इह इन सभी अप्रत्यक्ष नामों से अभिव्यक्त न कर प्रत्यक्ष एव स्पष्ट रूप में—१ पालि तथा अशोक के शिला लेखों की भाषा २ साहित्यिक प्राकृतें तथा ३ अपभ्रंश—अभिहित करना ही उचित समझते हैं । वस्तुतः विद्वानों ने मध्य भारतीय आय भाषा काल की समस्त भाषाओं को ही प्राकृत माना है और देश भेद के अनुसार ही व इनका वर्गीकरण करते हैं जो उचित नहीं है । इससे पूव कि हम मध्यकालीन भारतीय आय भाषा की तीन अवस्थाओं का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन करें यह आवश्यक हो जाता है कि हम प्राकृत शब्द का स्वरूप की समझ लें कि मध्यकालीन भाषा का नाम 'प्राकृत क्यों पडा ? प्राकृत शब्द पर विचार करते हुए प्राकृत वयाकरणों ने इसकी व्युत्पत्ति प्रकृति' शब्द से सम्पन्न की है । वे इसकी व्याख्या इस प्रकार करते हैं कि किसी न किसी भाषा की प्रकृति होती है तथा उस प्रकृति से उत्पन्न रूप ही प्राकृत कहलाता है । प्रकृति शब्द का निवचन है—प्रक्रियते उत्पद्यते यथा सा प्रकृति । सबप्रथम प्राकृत सबस्व के रचियता 'चण्ड न प्राकृत के लक्षण में बताया है कि प्राकृत वह भाषा विशेष है जिसकी योनि (उद्भूयते मस्या सा योनि) सस्कृत है । सस्कृत योनि इति प्राकृतस्य प्रकार लक्षितवान् ।^१ प्राकृत भाषा के महान् वयाकरण हेमचन्द्र ने भी अपने 'प्राकृत शब्दानुशासन में 'अथ प्राकृतम् (८११) सूत्र की व्याख्या करते हुए लिखा है— प्रकृति सस्कृत है उससे उत्पन्न अथवा विकसित भाषा ही प्राकृत है । (अथ प्राकृतम् ८११) प्रकृति सस्कृतम् । तत्र भवति आगत वा प्राकृतम् ।

दण्डी ने अपने काव्यालोक में भी इसी प्रकार के विचार व्यक्त किये हैं । आपके अनुसार महर्षिणा ने सस्कृत को देववाणी कहकर उगरी व्याख्या की है । इसी देववाणी से विकसित अथवा इसी का समान शब्दों वाली अनन्य प्राकृता

* अपभ्रंश नाम्य त्रयी भूमिचा, पृष्ठ ८२ ।

का क्रम है ('संस्कृत नाम देवी—वाग्वाच्याता महर्षिभि । तद् भवस्तत्समो देशीत्यनेक प्राकृत क्रम) ।^३

वाग्भट्ट ने भी लगभग दण्डी से मिलते जुलते विचारा की ही, इस विषय पर अभिव्यक्ति की है। आपके अनुसार भी संस्कृत देवताओं की भाषा है तथा शब्द शास्त्र में उसका स्वरूप भी स्थिर कर दिया गया है। प्राकृत तो संस्कृत से विरसित तथा उही 'समान देशी शब्दा' से युक्त अनेक प्रकार की है।

यथा—'संस्कृत स्वर्णिगा भाषा शब्द शास्त्रेषु निश्चिता । प्राकृत तज्ज तत्तस्य दश्यादिकमनेकधा ।^४ कथारूपवपरिभाषा म भी प्राकृत को संस्कृत की विवृति ही माना है। (प्रवृत्ते संस्कृतायास्तु विवृति प्राकृती मता । तद्भवा संस्कृतमवा सिद्धा साध्येति सा द्विपा ।) । (पडभाषा चन्द्रिकायाम्)

प्रवृत्ति संस्कृत । तत्र भव प्राकृतमुच्यते ।' (माकण्डेय—पृष्ठ १)

'प्रवृत्तेरागत प्राकृत, प्रवृत्ति संस्कृतम् । (धनिव दशरूपक—वृत्ति २/६०)

'प्रवृत्ति संस्कृत तत्र भवत्वात् प्राकृत स्मृतम् । (प्राकृत चन्द्रिका)

प्राकृतस्य सवभव संस्कृतम् योनि । (वासुदेव कपूरमञ्जरी टीका)

उपयुक्त उद्धरणों के अध्ययन के पश्चात् हमारे सामने दो प्रश्न उपस्थित होते हैं—

१ क्या मध्यकालीन प्राकृत भाषाएँ संस्कृत भाषा का विवृत रूप हैं ?

२ क्या प्राकृता की अपनी कोई लोक बोली थी ? यदि हाँ, तो उस वाली का उदभव क्या है ?

हम इससे पूर्व यह दख चुके हैं कि अनायों के सम्पर्क में आने से छांदस भाषा में विकार उत्पन्न होते जा रहे थे, इसका उल्लेख स्थान स्थान पर ब्राह्मण ग्रन्थों में उपलब्ध होता है। 'र और 'ल का अभेद जिसकी ओर शतपथ-ब्राह्मण में ह अरय के स्थान पर हे अलय का उच्चारण देकर निर्दिशित किया है। वह प्राच्य भाषाओं की विशेषता मागधी प्राकृत में भी उपलब्ध होती है। दूसरे प्राकृत भाषा में प्राप्त अनेक तद्भव शब्दों की व्युत्पत्ति संस्कृत भाषा से सिद्ध नहीं होती। विद्वानों का मत है कि उक्त शब्द छांदस भाषा के उन शब्दों के तद्भव रूप हैं जिनका प्रयोग संस्कृत में बंद हो गया था। ऋग्वेद में अकारांत शब्दों के प्रथमा एवं तृतीया के बहुवचन में देवा और देव रूपा के साथ साथ देवास और देवेभि' रूप भी उपलब्ध होते हैं। संस्कृत में अकारांत शब्दों के त्रमश प्रथमा बहुवचन एवं तृतीया बहुवचन क

^३ का यादश १/३३ ।

^४ वाग्भट्टालङ्कार २/२ ।

कालीन स्वरूप का विकास का ठीक ठीक विवेचन करने के लिये १६०० वर्षों के इस काल को निम्न पर्वों में बाँटा जा सकता है—

१ प्रथम पर्व जिसमें लगभग २०० ई० पू० तक प्रारम्भिक परिवर्तन तथा २०० ई० पू० से २०० ई० तक का विकास अंतर्भूत है ।

२ २०० ई० से ६०० ई० तक द्वितीय पर्व ।

३ ६०० ई० से १००० ई० तक तृतीय पर्व ।

कुछ विद्वान् इह—१ प्रथम प्राकृत २ द्वितीय प्राकृत व ३ तृतीय प्राकृत कहकर भी अपना काय सम्पन्न कर लेते हैं । हम इह इन सभी अप्रत्यक्ष नामों से अभिव्यक्त न कर प्रत्यक्ष एव स्पष्ट रूप में—१ पालि तथा अशोक के शिला लेखा की भाषा २ साहित्यिक प्राकृतें, तथा ३ अपभ्रंश—अभिहित करना ही उचित समझते हैं । वस्तुतः विद्वानों ने मध्य भारतीय आय भाषा काल की समस्त भाषाओं को ही प्राकृत माना है और देश भेद के अनुसार ही व इनका वर्गीकरण करते हैं, जो उचित नहीं है । इससे पूर्व कि हम मध्यकालीन भारतीय आय भाषा की तीन अवस्थाओं का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन करें, यह आवश्यक हो जाता है कि हम 'प्राकृत शब्द' के स्वरूप को समझ लें कि मध्यकालीन भाषा का नाम 'प्राकृत' क्यों पड़ा ? प्राकृत शब्द पर विचार करते हुए प्राकृत व्याकरणों ने इसकी 'युत्पत्ति प्रकृति' शब्द से सम्पन्न की है । वे इसकी व्याख्या इस प्रकार करते हैं कि किसी न किसी भाषा की प्रकृति होती है तथा उस प्रकृति से उत्पन्न रूप ही प्राकृत कहलाता है । प्रकृति शब्द का निवचन है—प्रक्रियते उत्पद्यते यथा सा प्रकृति । सर्वप्रथम 'प्राकृत' सर्वस्व के रचियता 'चण्ड' न प्राकृत के लक्षण में बताया है कि प्राकृत वह भाषा विशेष है जिसकी योनि (उद्भूयते यस्या सा योनि) ससृष्ट है । 'ससृष्ट योनि इति प्राकृतस्य प्रकार लक्षितवान् ।^२ प्राकृत भाषा के महान व्याकरण हेमचन्द्र ने भी अपने 'प्राकृत शब्दानुशासन' में 'अथ प्राकृतम् (८११) सूत्र की व्याख्या करते हुए लिखा है—'प्रकृति ससृष्ट है, उससे उत्पन्न अथवा विकसित भाषा ही प्राकृत है ।' (अथ प्राकृतम् ८११) प्रकृति ससृष्टम् । तत्र भव तत आगत वा प्राकृतम् ।

दण्डी ने अपने 'वाचस्पत्य' में भी इसी प्रकार के विचार व्यक्त किये हैं । अपने अनुसार महर्षिणा ने ससृष्ट को देववाणी कहकर उसकी व्याख्या की है । इसी देववाणी से विकसित अथवा इसी के समान शब्दों वाली अनक प्राकृता

^२ अपभ्रंश काव्य त्रयी भूमिका, पृष्ठ ८२ ।

का क्रम है ('संस्कृत नाम देवी—वाग्वास्याता महर्षिभि । तद् भवस्तत्समो देशीरयनक प्राकृत क्रम') ।^३

वाग्भट्ट न भी लगभग दण्डी से मिलते जुलते विचारा की ही, इस विषय पर अभिव्यक्ति की है। आपने अनुसार भी संस्कृत देवताओं की भाषा है तथा शब्द शास्त्र में उसका स्वरूप भी स्थिर कर लिया गया है। प्राकृत तो संस्कृत से विकसित तथा उन्हीं के समान देशी शब्दों से युक्त अनेक प्रकार की है।

यथा— संस्कृत स्वर्गिणां भाषा शब्द शास्त्रेषु निश्चिन्ता । प्राकृत तज्ज तत्तुल्य देश्यादिवमनेकधा ।^४ कथारूपवपरिभाषा म भी प्राकृत को संस्कृत की विकृति ही माना है। (प्राकृत संस्कृतायास्तु विकृति प्राकृती मता । तद्भवा मस्कृतभवा सिद्धा साध्यति सा द्विधा ।) । (पठभाषा चन्द्रिकायाम्)

प्राकृति संस्कृत । तत्र भव प्राकृतमुच्यते । (माकण्डेय—पृष्ठ १)

'प्राकृतेरागत प्राकृत, प्राकृति संस्कृतम्' । (धनिव दशरूपक—वृत्ति २/६०)

'प्राकृति संस्कृत तत्र भवत्वात् प्राकृत स्मृतम्' । (प्राकृत चन्द्रिका)

'प्राकृतस्य सबमेव संस्कृतम् योनि । (वामुदेव-कपूरभञ्जरी टीका)

उपयुक्त उद्धरणों के अध्ययन के पश्चात् हमारे सामने दो प्रश्न उपस्थित होते हैं—

१ क्या मध्यकालीन प्राकृत भाषाएँ संस्कृत भाषा का विकृत रूप हैं ?

२ क्या प्राकृता की अपनी कोई लोक बोली थी ? यदि हाँ तो उस बोली का उदभव क्या है ?

हम इससे पूर्व यह देख चुके हैं कि अनाथों के सम्पर्क में आने से छाँदस भाषा में विकार उत्पन्न होते जा रहे थे इसका उल्लेख स्थान स्थान पर ब्राह्मण ग्रन्थों में उपलब्ध होता है। र और 'ल का अभेद जिसकी जोर शतपथ-ब्राह्मण में हे अरय के स्थान पर ह अलय का उदाहरण देकर निर्देशित किया है। वह प्राच्य भाषाओं की विशेषता मागधी प्राकृत में भी उपलब्ध है। दूसरे प्राकृत भाषा में प्राप्त अनेक तदभव शब्दों की व्युत्पत्ति संस्कृत भाषा से मिद्ध नहीं होती। विद्वानों का मत है कि उन शब्दों का छाँदस भाषा में उन शब्दों के तदभव रूप हैं जिनका प्रयोग संस्कृत में बन्द हो गया था। ऋग्वेद में अकारान्त शब्दों के प्रथमा एवं तृतीया के बहुवचन में 'वा' और 'देव' रूपों के साथ साथ 'देवाम' और 'देवेभि' रूप भी उपलब्ध होते हैं। संस्कृत में अकारान्त शब्दों के क्रमशः प्रथमा बहुवचन एवं तृतीया बहुवचन क

^३ कात्यायन १/३३ ।

^४ वाग्भट्टालङ्कार २/० ।

'आस और एभि' वाले रूपों का प्रयोग प्राप्त नहीं होता है। पालि में प्रथमा बहुवचन 'आ और आसे'^६ अन्त वाले रूप (दोनों) उपलब्ध होते हैं, यथा— देवा और देवासे'। तृतीया बहुवचन म सस्वृत में स्वीकृत 'देवि' रूप का अनुकरण न कर छादस के 'दवेभि' के आधार पर बुद्धेहि और बुद्धेभि' रूपों के प्रयोग का प्रचलन दृष्टिगत होता है। आगे चलकर अम प्राकृतता ने भी छादस के 'एभि' वाले रूप को ही अपनाया है यथा—देवेहि, देवेहिं, देवेहि। इन रूपों को देखते हुए लगता है कि मध्यकालीन आय भाषाओं का विकास सस्वृत की सरणि पर न होकर स्वतंत्र रूप से हुआ है। अतः सस्वृत को इन भाषाओं की योनि कहना औचित्य की सीमा में नहीं आता।

यदि हम यह बात मान लें कि छादस भाषा से ही अनेक प्रादेशिक बोलियों का विकास हुआ और इन्हीं बोलियों का विकसित एवं परिमार्जित रूप साहित्यिक प्राकृतों हैं तो हमारे सामने दूसरा प्रश्न यह उपस्थित होता है कि फिर तत्कालीन प्राकृत व्याकरणों ने (जो इन भाषाओं को बोलते भी थे तथा इनके पण्डित भी थे) प्राकृतों का उद्भव सस्वृत से क्यों माना है? यथा वे गलती पर थे? प्राकृत के इन महान् पण्डितों को गलत कहना ऐसा ही होगा जसा कि पाणिनि जैसे विद्वान् को सस्वृत का अल्प ज्ञाता कहना। क्योंकि जो स्थान सस्वृत में पाणिनि का है, वही स्थान प्राकृतों में हेमचन्द्र चण्ड तथा माकण्डेय आदि का भी है। तो फिर हमें मान लेना चाहिए कि प्राकृतों का उद्भव सस्वृत से ही हुआ है। कतिपय पश्चात्य विद्वानों ने भी इस स्वीकार किया है। यदि हम इसे स्वीकार करते हैं तो हमारे सामने यह समस्या आती है कि ब्राह्मण ग्रंथों में जिसे भ्रष्ट भाषा कहा गया है उसका क्या हुआ? या तो वे अपनी मौत स्वयं मर गई या फिर उनका लिखित साहित्य उपलब्ध नहीं है। परन्तु बात ऐसी नहीं है। प्राकृत व्याकरणकारों ने जो कुछ कहा है उसको यदि हम गहराई से विचारें तो हमारी समस्या का समाधान हो जाता है। बात यह है कि व्याकरण तब लिखा जाता है जब कोई भाषा पूर्ण प्रकाश में आ जाती है तथा कवि और साहित्यकार उसे अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए अपना लेते हैं। लक्षण ग्रंथों की रचना हमेशा लक्ष्य ग्रंथों के आधार पर होती है। जब चण्ड अपना 'प्राकृत-सवस्व' और हेमचन्द्र प्राकृत शब्दानुशासन लिख रहे थे सस्वृत उस समय सर्वोच्च वग की एक समृद्ध भाषा थी जिसके सभी रूप स्थिर एवं सिद्ध थे। भाषा का

^६ 'प्रथमा के बहुवचन म कभी-कभी जासे प्रत्यय भी देता जाता है और यह वैदिक रूप देवास' की छाया पर पात होता है।'

एक अपना नियम और सिद्धांत था। पठन और पाठन की वह भाषा थी तथा समाज की सर्वाधिक जनसंख्या वा वह सांस्कृतिक निरूपण करती थी। अतः ये विद्वान भी संस्कृत के गहन अध्ययन के पश्चात् ही देशी भाषाओं की ओर अप्रसर हुए होंगे और उन सिद्ध शब्दों के साथ ही देशी भाषा में प्राप्त शब्दों की सगति बैठाने में अपने कृतव्य की 'इति श्री' समझते रहे होंगे। क्योंकि इन वयाकरणों द्वारा अपनाई गई शैली ठीक वसी ही है, जैसी कि संस्कृत वयाकरणों की थी। उसी प्रकार से लोप, आगम, आदेश आदि का विधान इन लोगों ने अपनी व्याकरणों में किया है। अतः हो सकता है इस प्रकार से इन्होंने प्रत्येक शब्द की सगति संस्कृत शब्दों के साथ बिठा कर इन्हें 'संस्कृतजा' कह कर छुड़ी ले ली हो। फिर एक बात यह भी है कि संस्कृत अधिकांशतः छांदसु जसी ही है। केवल छांदसु में जो अनक रूपता पाई जाती थी उस पर ही विशेष प्रतिबंध संस्कृत में दृष्टिगोचर होता है। अतः उन अनेक रूपी शब्दों को छोड़कर प्राकृत के अय रूपों एवं ध्वनियों की सिद्धि संस्कृत के आधार पर सरलता से की जा सकती है। अतः बहुत कुछ सम्भव है कि प्राकृत वयाकरणों में उन रूपों की ओर ध्यान न देकर केवल शेष रूपों की सिद्धि संस्कृत से सम्भव देखकर उन्हें संस्कृतजा कह दिया हो।

यद्यपि कतिपय स्थानों पर इस बात का विरोध भी प्राचीन ग्रंथों में उपलब्ध होता है किन्तु जहाँ कहीं इस बात का विरोध भी हुआ है तो वह भाषा वचनिक न होकर पूणतः धार्मिक रहा है। सौभाग्य या दुर्भाग्य से प्राकृत के अधिकांश वयाकरण जन विद्वान हुए हैं। इन्होंने प्राकृतों को 'संस्कृतजा' मान कर भी, अधमागधी की आदिम भाषा सिद्ध करने का खोखला प्रयास किया है। उस पशु एवं पक्षियों द्वारा समझी जाने वाली भाषा कह कर शायद इन्होंने अधिक गौरवाचित करना चाहा है पर वैज्ञानिक दृष्टि से कहीं पर भी यह सिद्ध करने का प्रयत्न नहीं किया गया कि अधमागधी संस्कृत या छांदसु की पूर्वजा किस प्रकार से सम्भव है? वाकपतिराज ने प्राकृत को एक महासमुद्र कहा है जिससे सभी भाषाएँ उत्पन्न होती हैं^६—

सकलाश्चेमा वाच प्राकृतमहाणवाद् निर्यान्ति तत्रैव च प्रविशन्ति ।^७

राजशेखर ने इसे संस्कृत की योनि कहा है—'तद् योनिं किल संस्कृतस्य'^७ अतः जन विद्वानों या अय प्राकृत वयाकरणों या काव्य शास्त्रियों ने कहने को तो कह दिया कि प्राकृत अधमागधी संस्कृत की योनि है पर क्यों? और कैसे? यह बताने का कष्ट नहीं किया। अतः इन विद्वानों के उक्त भाषाओं के

^६ गड्ड बहो (गौडवध) सयलाओ इम वाया विसन्ति एतो य जेति वायाओ ।

^७ काव्य भीमामा—भूमिका, पृष्ठ १६ ।

लिए जो प्रशस्ति-यावय उपलब्ध होते हैं वे केवल मात्र धार्मिक बट्टरता के ही सूचक हैं शुद्ध भाषा-वैज्ञानिक तथ्य नहीं। अतः उन्हें सिद्धांत सूत्र नहीं कहा जा सकता। इसके अतिरिक्त उन प्राकृत वैयाकरणों की मायता कि प्राकृतों का उद्भव सस्कृत से हुआ है, सही नहीं प्रतीत होती, क्योंकि भाषा-वैज्ञानिक तथ्य एवं पुरातन सकेत यह घोषित करते हैं कि मध्यदेशीय एवं प्राच्य बोलियाँ सस्कृत के अस्तित्व में आने से पहले ही प्रकाश में आ चुकी थी। उक्त बोलियाँ ही वस्तुतः मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं के विकास का आधार हैं। अतः समझ में नहीं आता कि सस्कृत प्राकृत भाषाओं की योनि कैसे कही गई? डॉ. श्यामसुन्दर ने साहित्यिक प्राकृतों से अनेक ऐसे शब्दों को उद्धृत किया है जिनकी व्युत्पत्ति सस्कृत-वैयाकरण से सिद्ध नहीं की जा सकती। इनके मत से ऐसे शब्दों का उद्भव सस्कृत से नहीं छादस से हुआ है।^६ किसी भाषा में प्राचीन भाषा के उद्भव रूपों की प्राप्ति भी इस बात की पुष्टि नहीं करती कि वह उसकी ज मदात्री है और इसका तात्पर्य यह भी नहीं निकाल लेना चाहिए कि उस भाषा विशेष का उद्भव उसकी पूर्ववर्ती भाषा से न होकर पूर्ववर्ती भाषा की पूर्ववर्ती भाषा से हुआ है। यदि इसे सिद्धांततः स्वीकार कर लेंगे तो कम से कम हिंदी और बंगला का उद्भव तो सीधे सस्कृत से स्वीकार करना पड़ेगा।

सिद्धांततः जिस भाषा के सुबन्त एवं तिङन्त रूप अपनी पूर्ववर्ती भाषा के सुबन्तों एवं तिङन्तों के उद्भव रूप हैं तथा जिस भाषा की प्रारम्भिक प्रवृत्तियाँ उस भाषा की अंतिम प्रवृत्तियों—ध्वन्यात्मक रूपात्मक आदि—के साथ साम्य प्रकट करती हैं, तभी कहा जा सकता है कि अमुक भाषा का विकसित रूप अमुक भाषा है। सक्षेप में कह सकते हैं कि दोनों के प्रवृत्ति और प्रत्ययों में सम्यक्ति होनी चाहिए जो विकास के सूत्र से सवलित हो।

उपयुक्त मायता के आधार पर यदि हम प्राकृत भाषाओं का परीक्षण करें तो परिणाम स्पष्ट है कि सस्कृत-वैयाकरण के नियमों में इतनी निबद्ध कर दी गई थी कि उसका तुरन्त विकास होना सम्भव नहीं था। यद्यपि विकास के इस प्रवाह को पाणिनि की अष्टाध्यायी भी पूणतया अवरुद्ध करने में सफल न हो सकी क्योंकि पूर्ववर्ती सस्कृत और परवर्ती सस्कृत की प्रवृत्ति में एक मूढम विकास का सूत्र देखा जा सकता है और पतञ्जलि का महाभाष्य पाणिनि की अष्टाध्यायी के सूत्रों की व्याख्या ही नहीं है, बल्कि सस्कृत के विकसित नवीन रूपों की सिद्धि का प्रस्तुतीकरण भी है। दूसरे यदि हम डॉ. चाटुर्ज्या के प्रमाण मानें तो सस्कृत का उदय ई० से ५०० वर्ष पूर्व स्वीकार करना

^६ हिंदी भाषा और साहित्य पृष्ठ ११ १२।

पड़ेगा। इन्होंने डा० हेमचन्द्र राय चौधरी द्वारा प्रदत्त पाणिनि के ज म काल की तिथि ही अधिकृत एक सही रूप में स्वीकार की है।⁹ ठीक इसी तिथि के आस पास तथा कुछ इसमें भी पहले आयों में प्राकृतों की आधारभूत बोलिया प्रकाश में आ चुकी थी। अतः वे प्राकृतों जो संस्कृत के साथ साथ साहित्यिक क्षेत्र में अवतरित हो चुकी थी कभी भी संस्कृत से विकसित भाषाएँ नहीं कही जा सकती। जब हम यह मायता स्वीकार कर लेते हैं तो हमारे समक्ष एक प्रश्न और उपस्थित होता है जिसका उत्तर अवश्यम्भावी है और वह यह कि फिर प्राकृत वैयाकरणों ने संस्कृत को प्राकृत भाषाओं की प्रकृति योनि अथवा उत्पादिका आदि क्या कहा है? इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि संस्कृत और छांदस का अंतर अत्यंत सूक्ष्म है और वह अंतर यह है कि छांदस के कतिपय प्रयोगों और शब्द रूपों का संस्कृत में लोप हो गया। शेष प्रयोगों और शब्द रूपों में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन दृष्टिगत नहीं होता जिससे कि प्राकृत शब्दों की तरह संस्कृत शब्दों को भी तदभावदि शब्दों की कोटि में रखा जा सके। संक्षेप में इस यो भी स्पष्ट किया जा सकता है कि संस्कृत छांदस का ही वह व्यवस्थित रूप है जिसमें व्यक्तिगत स्वच्छन्दता के लिए कोई स्थान नहीं रहा। दूसरे इस तथ्य से भी हम दूर नहीं जा सकते कि प्राकृत वैयाकरणों के निर्माण काल के समय संस्कृत का प्रभाव उल्लेखनीय था। वह न केवल भारत के एक बहुत बड़े शिक्षित और अशिक्षित समुदाय की ही समादत्त भाषा थी बल्कि प्रायः समस्त एशिया में इसका महत्त्वपूर्ण प्रभाव था। डॉ० सुनीतिकुमार चाटुर्ज्या ने इसे 'संस्कृत की दिग्विजय' घोषित किया है—'संस्कृत की भारत और भारत से बाहर दिग्विजय की उपरिलिखित कुछ अप्रसिद्धि गवः चर्चा का उद्देश्य चार संस्कृतियाँ—एक आय और तीन अनाय (द्रविड निपाद एवं किरात) के भारत में हुए एकीकरण का महत्त्व दिखलाना था।¹⁰ अतः ऐसी स्थिति में प्राकृत वैयाकरण भी संस्कृत की इस चकाचीक में छांदस भाषा के स्वरूप को न पहचान सके हों तो कोई आश्चर्य नहीं तथा दूसरे प्राकृत के अधिकांश शब्द रूप इस प्रकार के हैं जो संस्कृत शब्दों के तदभाव रूप कहे जा सकते हैं क्योंकि संस्कृत में वे शब्द छांदस भाषा से तत्सम रूप में आ गए थे और उन्हें ज्या का त्या ग्रहण कर लिया गया था। अतः प्राकृत शब्दावली समान रूप से छांदस भाषा की शब्दावली और संस्कृत भाषा की शब्दावली का तदभाव रूप कही जा सकती है। यदि ऐसी बात है तो फिर प्राकृत वैयाकरणों ने प्राकृत भाषाओं का सम्बन्ध छांदस भाषा से क्यों नहीं

⁹ भारतीय आयभाषा और हिन्दी पृष्ठ ७७।

¹⁰ वही, पृष्ठ ६५।

स्थापित किया, सस्कृत से ही क्या किया ? उत्तर स्पष्ट है कि बौद्धों एवं जनों का, जिन्हें घम का अम्मुत्प ही पदिक श्रुतियाँ एव ब्राह्मणों की यज्ञ प्रधान सस्कृति के विरोध में हुआ था तथा इन भाषाओं पर जिज्ञासापूर्ण आधिपत्य था, छान्दस भाषा के प्रति आंतरिक घमनस्य ही सक्तता है। भगवान् तथागत का अपने शिष्यों को उनके उपदेशों को छान्दस में अनूदित करने की अनुमति न देना ही इसका प्रमाण है। “जब प्राच्या बोली छान्दस तथा ब्राह्मण ग्रन्थों की भाषा से इतनी दूर चली गई कि उदीच्य प्रदेश से आने वाले व्यक्ति के लिए प्राच्या की भाषा को समझने में कठिनाई होने लगी, तो बुद्ध के दो ब्राह्मण शिष्यों ने यह प्रस्ताव रखा था कि तथागत के आदेशों को प्राचीन भाषा छान्दस अर्थात् गुणितो की साधुभाषा में अनूदित कर लिया जाए, परन्तु बुद्ध ने इसे अस्वीकृत कर दिया और साधारण मानवों की बोली को ही अपने प्रवचन प्रसार का माध्यम रखा। उनका यह अनुरोध रहा कि समस्त जन उनके उपदेशों को अपनी मातृभाषा में ही ग्रहण करें।¹¹ इससे सिद्ध होता है कि वे लोग छान्दस को किसी भी तरह का महत्त्व देने के लिए तत्पर न थे। एक महत्त्व भी कारण हो सकता है कि बौद्ध और जैन विद्वान् सस्कृत के प्रकाण्ड विद्वान् होते थे तथा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में सस्कृत के लिए उनके हृदय में भी आदर की भावना थी। इसीलिए इन्होंने सस्कृत भाषा को प्राकृतों का मूल माना जो कि वास्तव में नहीं है।

अतः हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि सस्कृत भाषा से प्राकृतों का उदभव किसी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्राकृतों का उदभव छान्दस भाषा और उसकी बोली (यदि कोई थी तो) के ही विकसित रूप का परिणाम है। ये प्राकृतों देश भेद के अनुसार अर्थात् भिन्न प्रदेशों में कुछ अन्तर से बोली जाने के कारण अनेक थीं। ‘कुवलयमाल कथा’¹² राज प्रश्नीय सूत्र,¹³

¹¹ भारतीय आय भाषा और हिन्दी (‘सकाय निरुक्तियाँ से उद्धृत अवतरण के अनुसार) पृष्ठ ७६।

¹² जाव घो अ तरे दिट्ठ इमिणा आवेयय । (व) णि अपसारया बुद्धकय विक्कय पयत्त वट्टमाण कलयरव हट्टमग्ग ति । तत्थय पवि समाणेठ दिट्ठ अणेय देस भासा लक्खिए देस वणिए इअ अट्टारस देसी भासाउ पुलहकण सिरि अत्तो । अण्णाइ अ पुल एई खस पारस व वरादीए । (कुवलयमाल कथा—अपभ्रंश का यत्रयी की भूमिका, पृष्ठ ६१ तथा ६४ से उद्धृत)

¹³ तए ण से दढ पतिण्णे दारए उम्मुक वान भावे विण्णाय परिणयमित्ते जोवण गमणुपत्ते वावत्तरि कला पडिए अट्टारस विह देसिप्पगार भासा विसारिए णवग सुत्त पडि बोहए गीय रई गधव नट्ट कुसले सिमारगार चारु वेसे । (राज प्रश्नीय सूत्र—आ० समिति० प्र०, पृष्ठ १४८)

औपपातिक सूत्र,¹⁴ विपाक सूत्र,¹⁵ ज्ञान सूत्र¹⁶ जन सिद्धांत, जिनदास महत्तरेण¹⁷ आदि में अठारह प्राकृतों का वर्णन आता है जिन्हें देशी भाषा के नाम से व्यवहृत किया गया है। कुवलयमाल' ग्रंथ में एक वृत्तांत आता है कि श्रीदत्त ने घोड़े से अंतर पर अनेक व्यापारियां से आपूरित पण्य बीधि को देखा जहाँ पर व्यापारी लोग अपनी-अपनी भाषा में वार्तालाप कर रहे थे। इस प्रकार श्रीदत्त ने अठारह देशी भाषाओं के बोलने वालों को वहाँ पर देखा। इसके अतिरिक्त पारस खस बम्बरी आदि भाषा भाषी जनो को भी देखा। कुछ ऐसी ही कथाएँ जन सूत्र ग्रंथों में भी मिलती हैं।

जैन सूत्र ग्रंथों में जो अधिकांशतः अधमागधी भाषा में लिखे गए हैं, ऐसे अनेक वृत्त आते हैं जिनमें अठारह देशीय भाषाओं का प्रसङ्ग आता है। कहीं किसी राजकुमार को अठारह भाषाओं का पंडित बताया गया है, तो कहीं गणिकाओं को अष्टादश भाषा विशारदा कह कर सम्बोधित किया गया है। सूत्र ग्रंथों की अधमागधी, साहित्यिक अधमागधी, जिसकी गणना महाराष्ट्री आदि के साथ की जाती है से अत्यंत प्राचीन है। इसलिए डॉ. सक्सेना ने इसे प्राचीन अधमागधी नाम से अभिहित किया है। इस तरह हम कह सकते हैं कि पालि के समय में ही समानान्तर रूप से उक्त अधमागधी भी विकसित हो चुकी थी और उसमें सूत्र ग्रंथ लिखे जाने प्रारम्भ हो गए थे। इन ग्रंथों में अठारह देश्य भाषाओं का वर्णन यह सिद्ध करता है कि उस समय में (चाहे भाषाओं के रूप में नहीं) ये बोलियाँ निश्चय ही प्रकाश में आ चुकी होंगी।

¹⁴ तए ण से दढ पइण्णो दारए बावत्तरि कला पडिए नवग सुत्त पडि बोहिए अट्टारस देसि भासा विसारिए गीय रत्ती गधब्बणट्ट कुसले।

(औपपातिक सूत्र—आ० समिति प्र० पृष्ठ ६८)

¹⁵ तत्थ ण वाणिय गामे कामज्झया नाम गणिया होत्था। बावत्तरि कला पडिया चउसट्ठी द्विगणिया गुणोववेया एणुणतीस विसेसे, रमयणि एक्कवीस रति गुणप्पहाणा वत्तीस पुरिसोवचार कुसला णवग सुत्त पडिबोहिया अट्टारस देसि भासा विसारिया सिगारागार चार वेसा गीय रई गध'व नट्ट कुसला।
(विपाक सूत्रे—अ० २, सू० ८ आ० समिति० प्र०, पृष्ठ ४५)

¹⁶ त तेण से ये हे कुमारे बावत्तरि कला पडिए णव गध सुयत्त पडि बोहिए, अट्टारस विहिप्पयार देसि भासा विसारिए गीय रई गध'व नट्ट कुसले।
(ओ० ६० ता० १० २५ आ० समिति प्र०, पृष्ठ ३८)

¹⁷ तत्थ ण चपाए णयरीए देवदत्ता णाम गणिया परिवसइ चउसट्ठी कला पडिया चउसट्ठी गणिया गुणोववेया अउण्णीस विसेसर ममाणो एक्कवीस रइगुण प्पाहाणा वत्तीस पुरिसोवचार कुसला, णवग सुत्त पडिबोहिया अट्टारस देसि भासा विसारया सिगारागार चार वेसा। (ओ० ६० ता० १० ७१ आ० समिति प्र० पृष्ठ ६२)

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि देशी भाषाएँ छान्दस युग से ही पनप रही थीं जिनमें समय-प्रथम उदीच्य वाला न अपनी बोली के आधार पर सस्कृत का स्वरूप निर्धारण कर उसे साहित्यिक रंगमञ्च पर प्रतिष्ठित किया। इसके पश्चात् मध्यदेशीय बोली से विकसित पालि भाषा न साहित्यिक बेश भूषा धारण की और इसके साथ ही साथ प्राच्या बोली ने मागधी का नाम से साहित्य सासार में प्रवेश किया। इन दोनों प्रदेशों के मध्य जन-साधारण में एक अन्य बोली भी प्रचलित थी जिसमें मध्यदेशीयों एवं प्राच्या के तत्त्व मिश्रित थे। इस बोली के विकसित साहित्यिक रूप को वैयाकरणों ने अधमागधी भाषा के नाम से अभिहित किया। जन घम के प्रचारकों ने इस ही अपनी धार्मिक भाषा स्वीकार कर इसके माध्यम से अपन घम का प्रचार किया। जब मागधी और अधमागधी लगभग साहित्यिक स्वरूप या परिनिष्ठित रूप ग्रहण कर चुकी थी, उस समय अपनी पूर्ण शक्ति के साथ मध्यदेश में एक अन्य भाषा पनप रही थी जिसका प्राचीन रूप पालि कहा जा सकता है (यद्यपि अभी सभी विद्वान् इस पर एक मत नहीं हैं), उसे विद्वानों ने शौरसेनी प्राकृत के नाम से अभिहित किया। उपयुक्त प्राकृतों के साथ साथ प्राकृत वैयाकरणों ने एक अन्य प्राकृत भाषा का नाम गिनाया है जिसे महाराष्ट्री कहा जाता है। महाराष्ट्री जैसा कि इसके नाम से भी व्यञ्जित होता है तथा प्राकृत वैयाकरणों ने भी स्वीकार किया है कि यह महाराष्ट्र प्रदेश की बोली का विकसित साहित्यिक रूप है परन्तु आधुनिक भाषा विज्ञ इससे सहमत नहीं हैं। ये इसे शौरसेनी प्राकृत का पश्चकालीन विकसित रूप मान कर चरते हैं। यह भाषा अपने समय की सर्वाधिक लोक प्रिय भाषा रही है। प्राकृत वैयाकरणों ने तो प्राकृत शब्द को महाराष्ट्री का पर्यायवाची ही बना दिया है।

उपयुक्त विश्लेषण के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि मध्यकाल में प्राकृत भाषाएँ जिनका मूलनामिक साहित्य आज भी उपलब्ध है देश भेद के अनुसार सात रूपों में प्रचलित थी—(१) पालि (२) शौरसेनी (३) मागधी (४) अधमागधी (५) महाराष्ट्री, (६) पञ्जाबी तथा (७) अपभ्रंश।

इन सभी भाषाओं को सस्कृत की छोटी बहन कहा जा सकता है क्योंकि इनका विकास भी सस्कृत के सम्मानांतर छांदस भाषा से सम्भूत लगता है। डा० चाटुर्ज्या के मत से भी ^{होती है कि सस्कृत के पश्चात् वे} ^{उसी के कनीयस रूप कह सकते}

प्राचीन वैदिक भाषा से ही प्राकृतों की उत्पत्ति हुई है, अर्वाचीन संस्कृत से नहीं।¹⁹ डा. बाबूराम सक्सेना ने भी पालि भाषा के विकास पर विचार करते हुए यही मायता स्थापित की है कि पालि में कुछ लक्षण ऐसे मिलते हैं जिनसे हम यह निश्चयपूर्वक कह सकते हैं कि इसका विकास उत्तरकालीन संस्कृत की अपेक्षा वैदिक संस्कृत और तत्कालीन बोलिया से मानना अधिक उचित है। तृतीय बहुवचन में अकारान्त सज्ञाओं का एभि प्रत्यय और प्रथमा बहुवचन में आस के विकल्प में आस धातु (यथा गम) और धात्वादेश (यथा अच्छ) के प्रयोग में भेद का अभाव, अडागम (हसीत=अहसीत्) का प्रायः अभाव आदि बातें उदाहरण हैं। संस्कृत के 'इह' के स्थान में पालि इघ पाया जाता है जो वैदिक-पूर्व भाषा का अवशेष समझा जाता है।²⁰

¹⁹ हिन्दी भाषा और साहित्य, पृष्ठ ११-१२।

²⁰ सामान्य भाषा विज्ञान, पृष्ठ २६३।

चतुर्थ अध्याय

पालि एवं अशोक के शिला- लेखों की भाषाएँ

'पालि' शब्द की व्युत्पत्ति एवं इतिहास—पालि किस क्षेत्र की भाषा थी—विद्वानों के मतों की समीक्षा एवं निष्कर्ष—पालि का ध्व-यात्मक विवेचन—पालि की रूपात्मक स्थिति—पालि का शब्द कोष—अशोकी शिला लेखों की भाषा—पालि से छादस का साम्य और भयम्य—ध्वनि और रूप ।

‘पालि’ शब्द का निर्वचन और उसका भाषा के अर्थ में प्रयोग

संस्कृत भाषा को छोड़ कर प्रायः अथ समस्त भारतीय भाषाओं का नाम किसी न किसी प्रदेश विशेष के नाम पर पाया जाता है। अतः पालि के नामकरण के रहस्य को जानने की अभिरुचि उत्पन्न होना स्वाभाविक ही है। ‘अभिधानपदीपिका’ में पालि शब्द की निरुक्ति तत्रि बुद्ध वचन तथा पक्ति अर्थ देते हुए पा रक्षणे धातु से की गई है—‘पा पालेति रक्खतीति पालि’। कुछ विद्वान् इसी को आधार मान कर इसे भाषा रूप में स्वीकार कर लेते हैं, किन्तु भिक्षु जगदीश काश्यप इससे सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि यह निरुक्ति उस समय की गई है जब पलियाय और पालि का सम्बन्ध विच्छेद हो चुका था। पालि शब्द की व्युत्पत्ति के लिए तीन विद्वानों के मत विचारणीय हैं—

(१) भिक्षु जगदीश काश्यप का मत—पालि शब्द का विकास ‘परियाय पलियाय’ शब्द से हुआ है। इसके लिए आपने दो तक दिए हैं। एक तो यह कि परियाय शब्द का अर्थ बुद्ध वचन होता है और इस अर्थ में इस शब्द का प्रयोग ‘दीघनिकाय’ ‘अगुत्तर निकाय’ तथा ‘भद्रु शिला लेख’ में बुद्ध देसना के अर्थ में प्रयोग किया गया है। मुझे इस विचार के लिए यही कहना है कि र के स्थान पर ल’ का आदेश मागधी भाषा की विशेषता है अतः ‘पालि’ मागधी भाषा का शब्द ठहरता है पालि भाषा में इसके स्थान पर ‘पारि’ शब्द का प्रयोग मिलता है, यथा—‘अथ धम्म परियायेति —(‘अगुत्तर निकाय’)। इस धम्म परियाय अर्थ —(दीघनिकाय—द्रुहजाल सुत्त)। अतः यह बात समझ में नहीं आती कि पालि के अनुयायियों ने इसके लिए ‘पारि’ शब्द को न अपनाकर ‘पालि’ मागधी शब्द को क्या अपनाया ?

(२) भिक्षु सिद्धाय का मत—आपका कथन है कि पालि शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत ‘पाठ’ शब्द से हुई है। आपके अनुसार बहूत से वदपाठी ब्राह्मण भी बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए और अपने साथ अनेक वैदिक शब्दों को भी लेकर आए। बौद्ध धर्म ने उ हे स्वीकार भी कर लिया। अतः पाठ शब्द वेदों के पाठ स्वाध्याय के लिए प्रयुक्त होता था और इसी अर्थ में यह यहाँ भी अर्थात् बुद्ध वचना के पाठ के अर्थ में प्रयुक्त होने लगा और धीरे धीरे भाषावाची हो गया। आपके अनुसार संस्कृत मूधय ध्वनियाँ पालि भाषा में ल’ में बदल जाती हैं। अतः पाठ का पालि में हुआ पाल और मिथ्या सादृश्य के आधार पर पाल का हो गया ‘पालि’। मैं समझता हूँ कि एक शब्द को केवल सिद्धान्त

उपयुक्त दोषों के होते हुए भी यह मत विचारणीय है। यदि पालि का अर्थ एक 'जमायत' की अथवा सभ की भाषा लिया जाए तो इस शब्द का उपयुक्त साक्षणिक अर्थ 'पवित्र' शब्द के साथ असंगत न होगा। इन तीन मतों के अतिरिक्त एक अर्थ मतानुसार 'पालि' शब्द का अर्थ किया जाता है—'पाटलिपुत्र की भाषा'। यह 'पाटलि' शब्द के मध्यस्थ 'ट' लोप कर पालि शब्द निष्पन्न करते हैं। दूसरा एक मत और प्रचलित है जिसके अनुसार 'पल्लि' (ग्राम) शब्द से 'पालि' की व्युत्पत्ति हुई मानी जाती है। उक्त दोनों मत पुष्ट भाषा वैज्ञानिक एवं ऐतिहासिक तथ्यों के अभाव से प्रस्त होन के कारण विशेष महत्त्व नहीं रखते।

फिर पालि से क्या तात्पर्य है? प्रश्न विचारणीय ही रहता है। बात वास्तव में यह है कि प्रारम्भिक समय में मूल त्रिपिटक ग्रन्थों के लिए पालि शब्द का प्रयोग उसी प्रकार किया जाता था जिस प्रकार वेदों के लिए 'संहिता' शब्द का। अमुक बात ऋग्वेद संहिता में है, अमुक यजुर्वेद संहिता में इसी प्रकार बौद्ध साहित्य में पालि शब्द का प्रयोग हुआ है—'पालि मत्त इध आनीत, नत्थि अट्ठकथा इध'—यहाँ केवल पालि सार्ई गई है यहाँ अर्थ क्या नहीं है—उक्त पद में पालि शब्द का प्रयोग 'मूल त्रिपिटकों' के लिए किया गया है। अत्र भी ऐसा ही प्रयोग देखिये—नेव पालिय न अट्ठकथाय दिस्सति, इमिस्सा पन पालिया एवमत्थो वेदितव्यो। इस वाक्य में 'पालि' शब्द का प्रयोग मूल ग्रन्थों के लिए ही हुआ है। कालांतर में 'मूल ग्रन्थों की भाषा के लिए भी 'पालि की भाषा'—इस प्रकार का प्रयोग भी अवश्य चलता रहा होगा और बाद में केवल भाषा का द्योतक बनकर रह गया होगा। अब दूसरा प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या फिर 'पालि' से तात्पर्य मागधी भाषा होगा? क्योंकि मूल त्रिपिटकों की भाषा मागधी थी। अब इसमें किसी भ्रम के लिए स्थान नहीं है कि त्रिपिटकों में जो प्रवचन लिपिबद्ध हैं, उनकी मूल अभि-यक्ति गौतम बुद्ध ने अपनी मातृ भाषा में की थी। वह मातृ भाषा कोई और नहीं मागधी ही थी। साथ ही गौतम बुद्ध के शिष्यों की इस भावना को कि भगवान् तयागत के प्रवचनों को छद्म में लिपि बद्ध कर दिया जाए यो ही टाला नहीं जा सकता। मध्यदेश के प्रति उस समय के लोगों का जो लगाव था, वह असाधारण नहीं था। अपनी प्राथमिक पुण्य भूमि के प्रति जो लगाव होता है वह असाधारण नहीं होता। अतः मैं ऐसा अनुमान करता हूँ कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात् जब इन प्रवचनों को, जो पहले मौखिक थे, लिपि बद्ध करने का प्रश्न आया होगा, तो निश्चय जनमत मध्यदेश की भाषा के पक्ष में रहा होगा। कारण स्पष्ट है कि उस बोली के बोलने वालों की संख्या अधिक रही होगी। साथ ही कुछ लोगों के मन में मध्यदेश की भाषा के प्रति विद्वेष की भावना भी रही होगी।

रूप में सिद्ध करने हेतु भिक्षु सिद्धाय को इतनी विलम्ब कल्पना करने की क्या आवश्यकता पड़ गई थी ? कुछ विद्वानों के मस्तिष्क में अनेक भाषा वैज्ञानिक भ्रम हैं, जिनका निराकरण परम वाञ्छनीय है। पहला तो यह कि भाषाओं का विकास किसी सिद्धान्त विशेष को सम्मुख रखकर नहीं किया जाता, बल्कि विकास (इस अर्थ में) किया नहीं जाता है हो जाता है। जनसाधारण अपनी गति से चलता रहता है और भाषा का विकास भी होता रहता है। अतः विकास के किसी एक नियम को, विशेष कर ध्वन्यात्मक परिवर्तन के क्षेत्र में, सवत्र लागू कर, देखना उचित नहीं है। उदाहरण के लिए कुछ नव्य भारतीय आय भाषाओं में 'स' के स्थान पर 'ह' पाया जाता है। पर यह आदेश सवत्र नहीं देखा जाता, यथा—'दसले को हिंदी में 'दहला तो हो जाता है पर दस का 'दह' नहीं होता। सिंधी में 'डह' हो जाता है। इसी प्रकार मुख का 'मुह' हो जाता है पर सुख का 'सुह' या दुख का 'दुह' नहीं होता। अतः 'ठ' का 'ल' और फिर 'लि' और पुनः 'लि' हो जाए, इतना विकास भाषा में हुआ ही ऐसा लगता नहीं। दूसरे इन विकास के स्तरों का प्रयोग भाषा में उपलब्ध तो होना ही चाहिए या घर बंटे ही विकास होता रहता है। मैं समझता हूँ नियमवाद में बनता है और विकास पहले हो जाता है। सिद्धाय महोदय ने विकास सूत्र की कड़ियों का ऐतिहासिक विवरण कही पर भी प्रकट नहीं किया।

(३) प० विद्युशेखर भट्टाचार्य का मत—आपके कथनानुसार पालि शब्द का एक अर्थ 'अभिधानपदीपिका' में पकित भी दिया है—'तन्ति बुद्धवचन पति पालि'। अतः पहले पालि शब्द पकित के अर्थ में प्रयुक्त होता था, बाद में ग्रन्थ की पकित के अर्थ में प्रयुक्त होने लगा। बुद्धघोष ने पालि शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में किया है। श्री भिक्षु जगदीश काश्यप ने इसका उल्लेख किया है तथा इसमें तीन दोष बताए हैं—

(१) पकित के लिए लिखित ग्रन्थ का होना आवश्यक है। त्रिपिटक प्रथम शतक ई० पू० से पहले लिखा नहीं गया था। अतः उस समय के लिए त्रिपिटक के उदघरण के लिए पालि या पकित शब्द का व्यवहार करना जचता नहीं है।

(२) पालि साहित्य में कहीं भी पालि शब्द का ग्रन्थ की पकित के अर्थ में प्रयोग नहीं किया गया। मूल त्रिपिटक में ग्रन्थों के अन्दर कहीं भी पालि शब्द का प्रयोग नहीं देखा जाता। हाँ ग्रन्थ के नाम के साथ अवश्य ही पालि शब्द जोड़ दिया जाता है। ऐसी स्थिति में पालि शब्द का अर्थ पकित लें तो "उदान पालि" से 'उदान पकित' शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलता।

(३) पालि शब्द का प्रयोग पकित के अर्थ में है तो उसे सवत्र बहवचन में प्रयुक्त होना चाहिये था जबकि इस शब्द का सवत्र एक वचन में प्रयोग हुआ है।

उपयुक्त दोषों के होते हुए भी यह मत विचारणीय है। यदि पालि का अर्थ एक 'जमायत' की अथवा साथ की भाषा लिया जाए तो इस शब्द का उपयुक्त लाक्षणिक अर्थ 'पवित्र' शब्द के साथ असंगत न होगा। इन तीन मतों के अतिरिक्त एक अर्थ मतानुसार पालि शब्द का अर्थ किया जाता है—'पाटलिपुत्र की भाषा'। ये 'पाटलि' शब्द के मध्यस्थ 'ट' लोप कर पालि शब्द निष्पन्न करते हैं। दूसरा एक मत और प्रचलित है जिसके अनुसार 'पल्लि' (ग्राम) शब्द से 'पालि' की व्युत्पत्ति हुई मानी जाती है। उक्त दोनों मत पुष्ट भाषा-वैज्ञानिक एवं ऐतिहासिक तथ्यों के अभाव से प्रस्त होन के कारण विशेष महत्त्व नहीं रखते।

फिर 'पालि' से क्या तात्पर्य है? प्रश्न विचारणीय ही रहता है। बात वास्तव में यह है कि प्रारम्भिक समय में मूल त्रिपिटक ग्रन्थों के लिए 'पालि' शब्द का प्रयोग उसी प्रकार किया जाता था जिस प्रकार वेदों के लिए 'संहिता' शब्द का। अमुक बात ऋग्वेद संहिता में है, अमुक यजुर्वेद संहिता में, इसी प्रकार बौद्ध साहित्य में 'पालि' शब्द का प्रयोग हुआ है—'पालि मत्त इध आनीत, नत्थि अट्ठकथा इध'—यहाँ केवल पालि लाई गई है, यहाँ अर्थ कथा नहीं है—उक्त पद में 'पालि' शब्द का प्रयोग 'मूल त्रिपिटको के लिए किया गया है। अन्यत्र भी ऐसा ही प्रयोग देखिये—'नेव पालिय न अट्ठकथाय दिस्सति, इमिस्सा पन पालिया एवमत्थो वेदित्तो'। इस वाक्य में 'पालि' शब्द का प्रयोग मूल ग्रन्थों के लिए ही हुआ है। कालांतर में मूल ग्रन्थों की भाषा के लिए भी 'पालि' की भाषा—इस प्रकार का प्रयोग भी अवश्य चलता रहा होगा और बाद में केवल भाषा का द्योतक बनकर रह गया होगा। अब दूसरा प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या फिर 'पालि' से तात्पर्य मागधी भाषा होगा? क्योंकि मूल त्रिपिटको की भाषा मागधी थी। अब इसमें किसी भ्रम के लिए स्थान नहीं है कि त्रिपिटको में जो प्रवचन लिपिबद्ध हैं, उनकी मूल अभिव्यक्ति गौतम बुद्ध ने अपनी मातृ भाषा में की थी। वह मातृ भाषा कोई और नहीं, मागधी ही थी। साथ ही गौतम बुद्ध के शिष्यों की इस भावना को, कि भगवान् तथागत के प्रवचन को छद्म में लिपिबद्ध कर दिया जाए, यो ही टाला नहीं जा सकता। मध्यदेश के प्रति उस समय के लोगों का जो लगाव था, वह असाधारण नहीं था। अपनी प्राथमिक पुण्य भूमि के प्रति जो लगाव होता है वह असाधारण नहीं होता। अतः मैं ऐसा अनुमान करता हूँ कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात् जब इन प्रवचनों को, जो पहले मौखिक थे, लिपिबद्ध करने का प्रश्न आया होगा तो निश्चय जनमत मध्यदेश की भाषा के पक्ष में रहा होगा। कारण स्पष्ट है कि उस बोली के बोलने वालों की संख्या अधिक रही होगी। साथ ही कुछ लोगों के मन में मध्यदेश की भाषा के प्रति विद्वेष की भावना भी रही होगी।

परिणामत इसका नाम मध्य देश की बोली का जो कुछ नाम उस समय रहा होगा—जो अब काल-व्यलित हो गया—के स्थान पर पालि अर्थात् पक्ति या 'जमायत' की भाषा रख दिया गया होगा। पालि मध्यदेश की भाषा का पूण प्रतिनिधित्व करने में असमर्थ है अर्थात् यो कहिए उस समय की भाषाओं की खिचड़ी है। इस समस्या का समाधान नीचे किया गया है।

पालि भाषा और उसका क्षेत्र

मध्यकालीन भारतीय आय भाषा के विवेचन में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि विकास की दृष्टि से इस युग की भाषाओं को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। इनमें सबसे प्रथम पालि भाषा ने परिनिष्ठित स्वरूप धारण किया। बौद्ध धर्म के प्रायः समस्त प्रमुख धार्मिक ग्रन्थ इसी भाषा में निबद्ध हैं। गौतम बुद्ध मगध में। अतः बौद्ध मतानुयायी इस भाषा का उद्भव स्थल मगध प्रदेश को मान कर चलते हैं, किन्तु भाषा वैज्ञानिक निष्कर्ष इसके विरुद्ध पड़ता है। वस्तुतः पालि भाषा का, जो बौद्ध ग्रन्थों में मिलती है, गठन कुछ इस प्रकार का है कि उसे किसी निश्चित प्रदेश की भाषा घोषित कर देना सरल कार्य नहीं है। यही कारण है कि विद्वानों की इस विषय पर भिन्न भिन्न धारणाएँ हैं। डा. सरनामसिंह ने इन सब विद्वानों को मत की दृष्टि से छ वर्गों में विभाजित किया है जो इस प्रकार हैं—¹

प्रथम वर्ग—इस वर्ग में वे विद्वान आते हैं जो पालि भाषा का सम्बन्ध मगधी भाषा से स्थापित करते हैं तथा इसे मगध प्रदेश की बोली पर आधारित बताते हैं। इन विद्वानों में सबसे बड़े जेम्स आलविस ई. जाज प्रियसन श्रीमती डेविडस विटरनिट्ज आदि का नाम उल्लेखनीय है।

द्वितीय वर्ग—ये लोग पालि भाषा को पूव की बोली के अनुवाद की साहित्यिक भाषा मानते हैं जो मध्यदेश की बोलियाँ पर आधारित थी। इसमें ये लोग पश्चिमी हिन्दी की पूवजा मानते हैं। इनमें सबसे बड़े लूडस सिलवाँ लेवी डा. कीथ प्रो० टनर डा. सुनीतिकुमार चाटुर्ज्या आदि का नाम विशेष रूप से लिया जा सकता है।

तृतीय वर्ग—ये वर्ग पालि को कर्लिंग बोली के आधार पर विकसित भाषा मानते हैं। इनमें सबसे बड़ी ओल्डनबर्ग और डा. मूलर का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

चतुर्थ वर्ग—इस वर्ग के विद्वान पालि को विद्याचल क्षेत्र की भाषा मान कर चलते हैं। इनमें डा. स्टेनकोनो तथा आर० आ० फ्रक के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

¹ डॉ. सरनामसिंह शर्मा अरुण कृत पालि साहित्य और समीक्षा।

पचम वग—इस वग के विद्वान पालि का मूल उदगम कौशल प्रदेश की बोली से मानते हैं। इस मत के एक मात्र पोषक प्रो० रायस डेविस ही हैं।

षष्ठ वग—इस वग के विद्वान पालि का उदगम स्थल उज्जैन प्रदेश बतलाते हैं। इस मत को मानने वाले श्री वेस्टरगार्ड और ई० कुट्टन हैं।

उपयुक्त सभी विद्वानों की मायताओं का कोई न कोई निश्चित आधार अवश्य रहा है। यह बात इतर है कि इनमें से किसी की मायता में कल्पना और अनुमान को अधिक प्रथम दिया हो और किसी की आधार भूमि ठोस भाषा वैज्ञानिक होते हुए भी अतिव्यापित दोष या अव्यापित दोष से ग्रस्त रही हो। बात वास्तव में यह है कि पालि भाषा एक इतने बड़े धर्म सम्प्रदाय की भाषा थी जो समस्त एशिया भूखण्ड का धर्म बन गया था। अतः उसमें विकृति एवं मिश्रण आना अवश्यम्भावी था। ऐसी स्थिति में उस पर किसी निश्चित मायता की स्थापना करना खतरे से खाली नहीं है। यद्यपि यह आवश्यक तो नहीं है कि पालि भाषा का सम्बन्ध किसी प्रदेश विशेष के साथ जोड़ा जाए क्योंकि स्वयं बौद्ध धर्म जिसकी यह धर्म भाषा थी, किसी प्रदेश विशेष के लिए सीमित नहीं था फिर भी यह शुद्ध भाषा वैज्ञानिक माँग है कि हम यह देखने का प्रयास करें कि पालि भाषा की प्रमुख प्रवृत्तियाँ भारत के किस प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम हैं जिससे बाद में विकसित भाषाओं का सम्बन्ध सूत्र खोजा जा सके। इस महत्त्वपूर्ण प्रश्न को सुलझाने के लिए हमें दो महत्त्वपूर्ण बातों पर दृष्टि रखनी होगी कि—(१) बौद्ध धर्म जनभाषा के प्रयोग का समयक था (प्रारम्भ में) परिनिष्ठित भाषा का प्रयोग करना स्वयं गौतम बुद्ध की भावनाओं के विरुद्ध पड़ता था।^२ (२) दूसरे क्या बौद्ध धर्म में प्राच्य प्रतीच्य उदीच्य और दक्षिणात्य सभी लोग दीक्षित थे? य सभी लोग भगवान बुद्ध की अमृतमयी वाणी का रसपान उनकी भाषा में करते रहें होंगे। इसने लिए निश्चय ही उह गौतम बुद्ध की मातृभाषा मागधी पढ़नी पड़ती होगी और स्वयं भगवान तथागत ने भिन्न भिन्न प्रान्तों में उनकी मातृ भाषा में ही प्रवचन करने हेतु उन प्रादेशिक भाषाओं का अध्ययन किया होगा। ऐसी स्थिति में उपासकों के मन में निश्चय ही दो प्रकार की भावनाएँ काम करती रही होंगी। एक तो यह कि भगवान् बुद्ध की वाणी की अभिव्यक्ति वे अपनी मातृभाषा में करें। द्वितीय, भगवान बुद्ध के कुछ मुख्य मुख्य शब्दों को वे उद्यो के ल्यो ग्रहण कर लें। अपनी बोली को भी पावन करने हेतु किसी भी धर्मगुरु की वाणी के प्रति उसके अनुयायियों की अमित श्रद्धा होती है। ऐसी परिस्थिति में भगवान तथागत ने

^२ सहाय निरुक्ति—भारतीय आर्य भाषा और हिन्दी, पृष्ठ ७६।

उपदेश भिन्न भिन्न व्यक्तियों के पास उनकी भिन्न भिन्न बोलियों में सुरक्षित रहे होंगे। इसके साथ ही हम यह भी देखते हैं कि गौतम बुद्ध के जीवन काल में ही विशाल बौद्ध विहारों का निर्माण प्रारम्भ हो गया था। इनमें हजारों की संख्या में एक एक बौद्ध विहार में भिन्न भिन्न भाषा भाषी बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है। बौद्ध धर्म प्रयोगों से इस प्रकार का कोई भी उल्लेखनीय संकेत नहीं मिलता कि तीसरी सगति से पूर्व बौद्ध धर्म की कोई सामान्य सम्पत्ति भाषा थी। अतः निश्चित है कि बुद्ध उपदेश जो उस समय मौखिक रूप में ही सुरक्षित रखे जाते थे, मिश्रित भाषाओं में पृथक्-पृथक् रूप से ही सुरक्षित थे। एक भाषा में ही इन प्रवचनों को रखा जाए, यह बात साधारण रूप में तो तथागत के जीवनकाल में ही उठाई जा चुकी थी, पर उनकी मृत्यु के पश्चात् यह प्रश्न अत्यन्त गम्भीर रूप में उपासकों के समक्ष आया होगा। इसके दो कारण हो सकते हैं—एक यह कि बौद्ध धर्म का प्रचार एवं प्रसार भारत के बाहर करने के लिए एक ही भाषा का प्रयोग होना चाहिए। दूसरे संस्कृत की लोकप्रियता अतितीव्र गति से बढ़ रही थी, उसकी टक्कर में कोई एक निश्चित भाषा परिनिष्ठित रूप धारण कर ही ठहर सकती थी। अभी तक सम्भवतः उदीच्यों के प्रति जो आक्रोश था वह शांत नहीं हुआ था। अतः बौद्ध धर्म की तीसरी सगति में यह प्रश्न गम्भीर रूप से उठाया गया कि अब समय आ गया है कि भगवान् बुद्ध के प्रवचनों को लिपिबद्ध किया जाए। ऐसे समय में अनुमान करता हूँ कि बौद्ध भिक्षुओं ने अपनी अपनी भाषाओं को इस पुण्य कार्य के लिए प्रस्तुत किया होगा और समस्या आज की राष्ट्रभाषा समस्या के समान गम्भीर हो गई होगी। मैं जहाँ तक विचार सका हूँ वह यह है कि गौतम बुद्ध के प्रवचनों को मूल मागधी भाषा में सुरक्षित मानना उचित नहीं है। ऐसा मानने से दो कठिनाइयाँ आती हैं जिनका उचित समाधान नहीं मिलता। प्रथम तो यह कि जब मूल प्रवचन मागधी भाषा में सुरक्षित थे तो उन्हें मध्यदेशीय भाषा में अनुवाद करने की क्या आवश्यकता हो गई थी? जहाँ तक जन प्रियता का सम्बन्ध है उस समय पूर्वी बोलियाँ मध्यदेश की बोली से अधिक लोक प्रिय रही होंगी क्योंकि मध्यदेश एवं उदीच्य में ब्राह्मणों का बोलवाला था जो बालिया की अपेक्षा परिनिष्ठित संस्कृत को अधिक सम्मान देता था। अतः उस समय उन बोलियों का अधिक व्यापक या समृद्ध होने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। दूसरे इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता कि बुद्ध वचन मागधी भाषा में ही व्यक्त किए गये थे और सुरक्षित थे। यह शक्य मात्र अनुमान है क्योंकि गौतम बुद्ध मागधी थे इसलिए उन्होंने मागधी में ही प्रवचन दिया होगा और उसी में वे सुरक्षित रहेंगे। यदि हम महात्मा

गाँधी का उदाहरण लें तो इस बात में कोई सार नहीं रह जाता, क्योंकि गाँधीजी गुजराती थे पर उनके प्रवचन अधिकांशतः हिन्दी में और आगल भाषा में हैं। इसलिए यह मानना उचित प्रतीत नहीं होता कि पालि साहित्य अनूदित साहित्य है।

अब प्रश्न उपस्थित होता है कि फिर पालि से क्या तात्पर्य लें। क्या बुद्ध वचन मूलतः ही पालि में थे? उत्तर है—नहीं। फिर पालि में ये ग्रन्थ क्यों मिलते हैं तथा पालि किस प्रदेश की बोली है? आदि प्रश्न खड़े के खड़े रह जाते हैं। जसा कि मैं पहले निवेदन कर चुका हूँ कि भगवान् बुद्ध ने अपनी प्रवृत्ति के अनुसार भिन्न भिन्न प्रादेशिक बोलियों में ही अपनी वाणी का उत्स प्रवाहित किया होगा और वे प्रवचन भिन्न भिन्न विद्वानों के पास उनकी ही बोली में सुरक्षित रहे होंगे। इसके कारण हैं एक तो वेदों को सुरक्षित रखने की यह प्रणाली पहले से ही प्रचलित थी, वेदी द्विवेदी त्रिवेदी आदि शब्द इसके प्रमाण हैं। अन्तर केवल इतना ही है कि वेद एक परिनिष्ठित भाषा में लिखे गए थे तथा उन्हें उसी भाषा में सुरक्षित रखना था, जबकि बौद्ध प्रवचन भिन्न भिन्न बोलियों में थे और उन्हीं में सुरक्षित रखने थे। स्वयं गौतम बुद्ध का आदेश इसका प्रमाण है उन्होंने कहा है—समस्त जन उनके उपदेश को अपनी मातृ भाषा में ही ग्रहण करें। यहाँ 'अपनी शब्द का प्रयोग द्रष्टव्य है। भिन्न भिन्न बोलियों में इनका होना ही एक कारण है कि तीसरी सगति में उन्हें किसी एक सर्वसम्मत भाषा में लाने का प्रश्न उपस्थित हुआ।

बौद्ध धर्म का ऐतिहासिक विश्लेषण यह स्पष्ट कर देगा कि बौद्ध भिक्षुओं पर विद्वत्ता की दृष्टि से मध्यदेश के निवासियों का प्रभुत्व था। बौद्ध भिक्षु प्रायः सस्कृत के पण्डित भी होते थे। जसा कि मैंने पहले संकेत दिया है—भिन्न भिन्न भाषा भाषी भिक्षु एक ही स्थान पर बौद्ध विहारों में रहते थे। इन सब से हम इस निष्कर्ष पर सरलता से पहुँच सकते हैं कि मध्यदेश की भाषा की प्रधानता के साथ विहारों में एक मिश्रित भाषा बन रही थी जिसकी ओर विद्वानों का ध्यान अभी तक सम्भवतः नहीं गया था। जब प्रादेशिक बोलियों के स्वायत्त रूप धारण किया होगा उस समय निश्चय ही इस नवीन बनपती बौद्ध विहारों की भाषा की ओर विद्वानों का ध्यान अवश्य गया होगा और समस्त अंतर विरोधा से बचने के लिए इसी भाषा को धर्मग्रन्थों के सबंधा उपयुक्त समझा गया होगा। पर इस नहीं मुझी विन्तु तेज तरराक वाली की नाम क्या किया जाए यह प्रश्न भी बौद्ध स्वविरोध के समक्ष आया होगा पर उन्होंने इस पर क्या नियम लिया इसका कोई उल्लेख हम नहीं मिलता। बाद में विद्वान इस भाषा के लिए 'पालि शब्द का प्रयोग घटले

से करते सगे। इसका क्या कारण है? मैं सोचता हूँ, जब याज्ञ के विद्वानों को इसका कोई प्रादेशिक नाम (शुद्ध प्रादेशिकता न होने के कारण) न मिला होगा तो उन्होंने 'पालि' अर्थात् एक ही पवित्र म आरुद्र होकर 'शास्ता' का अनुशासना का अनुगमन करने वालों की भाषा—नाम दे दिया होगा और इस प्रकार बौद्ध विहारों की इस मिश्र भाषा के लिए 'पालि' शब्द लोकप्रसिद्ध हो गया होगा। 'पालि' का अर्थ पिटक आदि सँ तो भी पिटकों की भाषा को पालि कहना अनुचित न होगा।

उपयुक्त विवेचन के पश्चात् यह स्पष्ट हो जाता है कि पालि को किसी प्रयोग विशेष के साथ सम्बद्ध करने के लिए दूर की कौड़ी लाने में कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। पालि एक मिश्र भाषा है जिगम प्रधानता मध्यदेश की बोलियों की प्रवृत्तियों की है और कुछ अंश अथवा प्रादेशिक बोलियों का है अवश्य चाहे वह कम मात्रा में ही क्या न हो। अतः मेरा विश्वास है कि पालि भाषा का उदगम किसी एक बोली विशेष से नहीं हुआ है।

पालिभाषा की प्रवृत्तियाँ

ध्वनि तत्त्व

स्वर—अ आ इ ई उ ऊ ए ओ तथा ह्रस्व एँ ओ

ध्वन्यजन—कवग चवग, टवग तवग पवग य र ल, व स, ह मिलते हैं। इनके अतिरिक्त बर्दिक ध्वनियाँ 'ल ल्ह' भी मिलती हैं।

प्रवृत्तियाँ—स्वरों में ऋ ऋ ल लृ स्वर पूणत लुप्त हो गए। ऋ ऋ के स्थान पर प्रायः 'अ इ या उ' मिलते हैं, यथा—ऋणम् > इण ऋपि > इसि ऋतु > उतु ऋपभ > उसभ गहम् > गह नत्यम् > नच्च आदि।

ल ल के स्थान पर ल हो गया। ऐ के स्थान पर ए, यथा—ऐरावण > एरावण वमानिक-वमानिक तथा वयाकरण > वेय्याकरण। कहीं कहीं 'ए' के स्थान पर इ और ई भी उपलब्ध होता है। यथा—प्रवेय > गीवेय, सधव > सिधव। ओ के स्थान पर ओ और कहीं कहीं उ मिलते हैं, यथा—ओदरिक् > ओदरिक् दोवारिक् > दोवारिक्, (उ) मौवितक् > मुत्तिक औद्धत्य > उदच्च आदि।

उपयुक्त ध्वनियों के लोप के साथ साथ नवीन ह्रस्व ए और ह्रस्व ओ ध्वनियों का उच्चारण पालि में प्रारम्भ हो गया था। यद्यपि पालि वयाकरणों ने इसका कोई संकेत नहीं दिया तथा न ही इस प्रकार का कोई लिपि चिह्न पालि में था, फिर भी याज्ञ के आधुनिक भाषा विज्ञों के अनुसंधानों ने यह सिद्ध कर दिया है कि पालि में उक्त दोनों ध्वनियाँ प्रकाश में आ गई थीं। बहुत वर्षों के पश्चात् हेमचन्द्र ने अपभ्रंश के प्रसङ्ग में फिर

इसका लोप दिया है।^३ दो स्वरों के साथ साथ आने पर एक स्वर के लोप हो जाने के उदाहरण मिलते हैं।

जहाँ तक व्यञ्जनो का सम्बन्ध है प्रायः समस्त सस्कृत व्यञ्जन इसमें मिलते हैं। अनुनासिकों में 'ण' ध्वनि, पद के आदि में भी मिलती है और इस प्रकार 'न' और 'म' की समकक्षी बन गई है। छा'दस ल' और 'लह' ध्वनियाँ पालि में सुरक्षित हैं जब कि सस्कृत में ये लुप्त हो गई हैं। स्वर मध्यस्थ 'ड' के स्थान पर ल और ढ के स्थान पर लह ध्वनियाँ मिलती हैं, यथा—पोडश > सोलस, क्रीडाम् > कील, (ढ > लह) दडस्य > दलहसस, आरूढ > आरूल्ह, आदि। कहीं-कहीं 'ल' के स्थान पर भी 'ल' मिथ्या सादृश्य के आधार पर प्रयुक्त हुआ मिलता है, यथा—मणिगुलसदृशे > मणिगुलसदिसानि।

मू' सबत्र अनुस्वार हो गया है। पदात्त 'न' म' में बदल जाता है। ऊष्म ध्वनियों में 'श, प' के स्थान पर स मिलता है। इस प्रकार सस्कृत 'श प' का प्रायः लोप हो गया। कुछ पालि श्रुतियों में 'श' भी मिलता है। वह नहीं सकते, यह लिपिकारों के प्रमाद का परिणाम है अथवा यह ध्वनि भाषा में थी। 'ह' ध्वनि का उच्चारण पालि में दो रूपों में मिलता है। जब यह स्वतंत्र रूप में प्रयुक्त होता है तब इसका उच्चारण स्वतंत्र प्राण ध्वनि के रूप में होता है किन्तु जब यह अंतस्यो या अनुनासिकों से संयुक्त होकर आता है तब इसका उच्चारण भिन्न रूप में होता है। पालि वैयाकरणों ने इसे ओरस या हृदय से उत्पन्न ध्वनि कहा है। विसर्ग ध्वनि का पूणतया लोप हो गया। डा उदयनारायण तिवारी के अनुसार पदात्त क ट न् प तथा र का प्रायः लोप हो गया है।^४ इसे यों भी कहा जा सकता है कि व्यञ्जनात् प्रातिपदिक स्वरात् हो गए। यह क्रिया दो प्रकार से सम्पन्न हुई है या तो स्वर का आगम कर अथवा पदात्त व्यञ्जन का लोप कर। बलाघात के सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। कुछ विद्वानों के मत से पालि में बलाघात था और कुछ के मत से नहीं था।

रूप तत्त्व

(१) कारक रूपों को निष्पन्न करने के लिए पालि भाषा ने छा'दस और सस्कृत रूपों जैसी विविधता का परित्याग कर दिया। पालि भाषा में मिथ्या सादृश्य के आधार पर अधिकतर अकारात् पुल्लिङ्ग प्रातिपदिक के रूपों और कुछ रूपों में जैसे अपात्तान और अविकरण में सबनाम के रूपों को अपना लिया गया, यथा—बुद्धस्मा बुद्धम्हा [अस्मात् के आधार पर] बुद्धम्हि

^३ अपभ्रंश का व्याकरण—वैशयाराम का यशास्त्री द्वारा सम्पादित।

^४ हिन्दी भाषा का उदगम और विकास पृष्ठ ६८।

बुद्धस्मि [अस्मिन् के आधार पर] मुनिस्स, बुद्धस्स (चतुर्थी, पष्ठी) 'देवस्य' के आधार पर। इसी प्रकार दण्डस्स, भिक्खुस्स, पितुस्स गवस्स, आदि। इस प्रकार समस्त स्वरात् प्रातिपदिकों के रूप कुछ भिन्नताओं को छोड़ कर समान रूप से सम्पन्न होने लगे। डा० सुनीतिकुमार चाटुर्ज्या ने इसे धय का नियम कहा है—रूप तत्त्व की दृष्टि से 'म भा आ का इतिहास एक क्रम वधमान धय का ही इतिहास है।'^६

(२) कारको और लिङ्गो म छादस की भांति पालि भाषा म पर्याप्त मात्रा में यत्यय देखा जाता है, यथा—चतुर्थी के स्थान पर पष्ठी का प्रयोग—ब्राह्मस्स (ब्राह्मणाय) धन ददाति। तृतीया के स्थान पर पञ्चमी का प्रयोग बल्कि यो कहना चाहिए कि ये दोनों मिलकर एकरूपा हो गई। यथा—मुनिया—तृतीया एव पञ्चमी। परंतु अकारात् शब्दों के रूपों में यह एक रूपता नहीं पाई जाती। सप्तमी के स्थान पर प्रथमा का प्रयोग पाया जाता है, यथा—एक दिवसे—एकस्मिन् दिवसे।

(३) लिङ्ग के क्षेत्र में धय के चिह्न प्रत्यक्ष रूप में नहीं मिलते, किंतु नपुंसक लिङ्ग के रूपा के स्थान पर पुल्लिङ्ग रूपा का प्रयोग देखने को मिलता है। डा० उदयनारायण तिवारी ने लिखा है—इसी प्रकार नपुंसक लिङ्ग के रूप पुल्लिङ्ग के समान बनने लगे। यथा—मे निरतो मनो होना चाहिए था मे निरत मनो। इसी प्रकार तबो सुखो में 'सुख रूप होना चाहिए।'^७

(४) वचनों में द्विवचन का लोप हो गया। पालि में द्विवचन का काम बहुवचन रूपों से लिया जाने लगा। हाँ कुछ शब्दों यथा—द्व द्वुवे उभे आदि में अभी भी द्विवचन के अवशेष मिलते हैं।

(५) व्यञ्जनात् प्रातिपदिकों को समाप्त कर दिया गया। सभी प्रातिपदिक स्वरात् हो गए। इनमें कहीं-कहीं अरम व्यञ्जन का लोप हो गया, यथा—सुमेधस > सुमेध आपद् > आपा कहीं कहीं अन्त में अ ध्वनि का विशिष्ट और 'आ' ध्वनि का गौण रूप में आगम करके स्वरात् प्रातिपदिक बनाये गये। यथा—आपद् > आपद सुमेधस > सुमेधस शरत् > शरद (आ) विद्युत् > विज्जुता। इस प्रक्रिया में स्वरभक्ति के भी दशन होते हैं, यथा—वहिय > वरिहिस।

धातु रूप—(१) धातुआ का विभाजन छादस एवं ससृत्त की तरह गणों में किया गया है किंतु इन गणों की संख्या दस से घटकर सात रह गई। डॉ० सरनामसिंह के अनुसार पालि में केवल (१) श्वादिगण (२) रूपा

^६ भारतीय आय भाषा और हिन्दी, पृष्ठ १०४।

^७ हिन्दी भाषा का उद्गम और विकास, पृष्ठ ८१।

दिगण, (३) दिवादिगण, (४) स्वादिगण, (५) क्रयादिगण, (६) तनादिगण (७) चुरादिगण ही उपलब्ध होते हैं।⁷

(२) यद्यपि घातुओं का प्रयोग दो पदों में ही किया गया है, किन्तु आत्मनेपद के प्रयोग अत्यल्प मात्रा में मिलते हैं। अनेक ऐसे स्थल हैं जहाँ पर आत्मनेपदी घातुओं का परस्मैपद में प्रयोग किया गया है और परस्मैपद की घातुओं को आत्मनेपद में प्रयुक्त किया गया है।⁸ कहने का तात्पर्य यह है कि पालि भाषा में पद-सम्बन्धी अव्यवस्था ही दृष्टिगत होती है।

(३) पालि में लकारों की संख्या दस से घटकर आठ रह गई। पालि में लकारों के नाम छा'दस या संस्कृत के आधार पर न होकर कुछ भिन्न प्रकार से हैं, यथा—(१) वत्तमाना, (२) पचमी, (३) सत्तमी (४) परोवखा, (५) हीयत्तनी, (६) अज्जतनी, (७) भविस्सति, (८) कालत्तिपत्ति।

(४) घातुओं के रूप तीन पुरुषों और दो वचनों में मिलते हैं। इस प्रकार इन रूपा की संख्या नौ से घटकर केवल छ रह गई।

(५) पालि में स नत्त यडत्त, यडलुगत तथा णिजत्त रूपों के प्रयोग भी हुए हैं।

(६) पालि में कृदन्त रूप भी उपलब्ध होते हैं। पूर्वकालिक क्रिया के रूपों में छा'दस का अनुकरण किया गया है क्योंकि 'त्यप और त्वा' का प्रयोग नियम विहीन अपनी इच्छा के अनुकूल किया गया है। निमित्तायक प्रत्ययों में तुमन के साथ साथ तवै का प्रयोग भी उपलब्ध होता है। छा'दस के त्वाय के स्थान पर त्वान मिलता है जिसे संस्कृत में छोड़ दिया गया था, यथा—गत्वान दस्वान आदि।

(७) नामघातु के रूप भी पालि में उपलब्ध होते हैं, यथा—अत्तनो पत्त इच्छति=पत्तीयति, दलह करोति=दलयति, पम्बतायति आदि।

(८) उपसर्गों और निपातों के प्रयोग भी पालि में उपलब्ध होते हैं। प, पटि पति, परा, वि, स, आदि अनेक उपसर्ग पालि में प्रयुक्त हुए हैं। निपातों में च, न व, वा मा, हि आदि प्रयुक्त हुए हैं।

कोष—देशी शब्दों का प्रयोग बहुतायत से किया जाने लगा। इसके अतिरिक्त तत्सम एव तदभव शब्द भी पालि की निधि हैं। अनाय भाषाओं के शब्द भी पालि में मिलते हैं।

साहित्य—पालि में भगवान् बुद्ध के वचना का संग्रह त्रिपिटक (त्रिपिटक) के नाम से प्रसिद्ध है। इनमें सुत्त पिटक, विनय पिटक तथा अभिधम्म पिटक

⁷ पालि साहित्य और समीक्षा, पृष्ठ ८२ ८३।

⁸ उदाहरण आगे पालि और छा'दस शीपक में दिए हैं।

आते हैं। इनके पश्चात् इन पिटकों पर लिखी गई टीकाओं का साहित्य आता है जिन्हें अनुपालि या अनुपिटक कहते हैं। इसके अतिरिक्त इन पिटकों के पथक अग आते हैं, यथा—विनय पिटक में तीन प्रकार के ग्रन्थ हैं—सुत्त विभाग खण्डक, परिवार पाठ। सुत्त पिटक के पाँच निकाय हैं—दीर्घ निकाय मज्झिम निकाय सयुत्त निकाय, अगुत्तर निकाय तथा खुद्दक निकाय। खुद्दक निकाय का धम्मपद अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भाग है। जातक साहित्य भी पालि भाषा की महत्त्वपूर्ण निधि है। अभिघम्म पिटक में धम्म सगणी विभाग, कथा वस्तु पुग्गल पच्चति घातु कथा, यमक, पट्टानप्यकरण आदि सात ग्रन्थ आते हैं जिनमें बौद्ध धर्म के दार्शनिक पक्ष का विवेचन मिलता है। अनुपिटक का अधिकांश भाग सिंहली विद्वानों ने लिखा है। इन ग्रन्थों में भी सवाद या कथा रूप में धर्म की दार्शनिक विवेचना की गई है अथवा कोई शिक्षा या उपदेश दिया गया है।

इन सब के अतिरिक्त पालि में छन्द शास्त्र, व्याकरण तथा कोप ग्रन्थ भी लिखे गए हैं। कञ्चान व्याकरण पालि का प्राचीन एवं महत्त्वपूर्ण व्याकरण है।

अशोक के शिलालेखों की भाषा

अशोक के शिलालेख भारत के प्रत्येक भाग में उपलब्ध होते हैं। विद्वानों का मत है कि अशोक के शिलालेखों की सामग्री मूलतः मागधी भाषा में निबद्ध की गई है और पुनः जिस स्थान पर उस लेख को भजना होता था उसमें उसे अनूदित कर दिया जाता था। अतः अनेक मुख्य शब्दों में उन्मेषों के लिये रख दिए गये हैं। यदि इन प्रभावों को या प्रादेशिक स्फूर्ति को हटा कर देख तो लगता है कि अशोक के शिलालेखों की भाषा भी मागधी की अपेक्षा पालि के अधिक समीप है। ध्वन्यात्मक अक्षरों तथा दिशाओं की ध्यान में रख कर अशोक के शिलालेखों को तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। शाहबाज गढ़ी और मानसेरा वाले लेख उत्तर पश्चिमी भाषा के रूप को व्यक्त करते हैं। गिरनार का शिलालेख दक्षिण पश्चिम की जन भाषा में लिखे गए प्रतीत होते हैं। घोली जीगा रामपुरवा सारनाथ के शिलालेखों की भाषा प्राच्य भाषा के अधिक समीप जान पड़ती है। यह तीनों निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि किसी भी स्थान के शिलालेखों की भाषा किसी निश्चित भाषा के तत्त्वों से परिपूर्ण नहीं है। कुछ एक तत्त्व दूमरी भाषा के भी उपलब्ध हो ही जाते हैं। इसीलिए केवल कुछ तत्त्वों की प्रधानता एवं स्थान विशेषों के आधार पर ही यह विभाजन किया गया है। डॉ० आला शंकर व्यास ने इनमें चार विभाषाओं की प्रवृत्तियों का अवलोकन किया है— इनमें सहायक की चार विभाषिक प्रवृत्तियाँ परिलक्षित होती हैं—उत्तर

पश्चिमी प्राकृत (या उदीच्य प्राकृत), पश्चिमी प्राकृत, मध्य पूर्वी प्राकृत तथा पूर्वी प्राकृत ।^{१०}

यदि इन सभी शिलालेखों की भाषाओं का सम्मिलित रूप में अवलोकन कर उनकी प्रवृत्तियों का विवेचन करें तो अगले पृष्ठा में विवेचन की जाने वाली प्राकृता की सभी प्रवृत्तियाँ उपलब्ध हो जायेंगी परन्तु पालि की तुलना में शब्द रूपों की क्रम-वर्धमान क्षय प्रवृत्ति अधिक मात्रा में विकास के चिह्न से सवलित है। प्रातिपदिका की संख्या भी बढ़ी हुई है। आत्मनेपद के प्रयोग विरल ही मिलते हैं। शेष पालि की विशेषताएँ ही अधिकतर पायी जाती हैं।

जैसा कि विवेचन से स्पष्ट है—प्राकृत वैयाकरणों ने प्राकृत भाषाओं का उदभव संस्कृत से माना है जब कि पाश्चात्य विद्वानों का मत इसके विपरीत है। विचारणीय बातें इसमें ये हैं कि उन प्राकृत वैयाकरणों ने वही पर भी पालि को इसमें समाविष्ट नहीं किया है तो क्या पालि का विकास स्वतंत्र रूप से हुआ है? क्या पालि का परवर्ती मध्यदेशीय प्राकृत शौरसेनी से कोई सम्बन्ध है? यदि है तो शौरसेनी और पालि के बीच संस्कृत कैसे आ खड़ी हुई? उपयुक्त सभी प्रश्नों पर स्वतंत्र रूप से विचार करना ही अपेक्षित है। यहाँ पर हम केवल पालि और बर्दिक संस्कृत अथवा छादस का परस्पर क्या सम्बन्ध है तथा पालि संस्कृत के अधिक समीप है अथवा छादस के, इस विषय पर ही विचार करेंगे।

यदि हम वेदा की भाषा का विश्लेषण करें तो प्रतीत होगा कि वेदों में प्रयोगों की अत्यधिक स्वतंत्रता थी। एक ही शब्द का अनेक रूपों में प्रयोग मिलता है। एक ही अर्थ को व्यक्त करने वाले अनेक प्रत्ययों का विधान पाठकों को हतप्रभ कर देता है। सम्भवतः इन्हीं आधारों पर भाषाविज्ञ यह अनुमान लगाते हैं कि वेदों का निर्माण जनसाधारण की भाषा में हुआ है। कारण स्पष्ट है—जिस प्रकार जनसाधारण व्याकरण के नियमों की परवाह किए बिना भाषा का प्रयोग करता चला जाता है उसी प्रकार वेदा में भी किसी व्याकरण के निश्चित नियमों का बंधन दृष्टिगोचर नहीं होता। अथनाम करवा देना मात्र शायद ऋषियों का अभीष्ट था। यहाँ पर यह प्रश्न अवश्य उठता है कि शिक्षा, व्याकरण और प्रातिशास्त्र आदि उस समय क्या थे? 'कौपीतकी ब्राह्मण' में वार्यों के अशुद्ध उच्चारण का उल्लेख क्या सिद्ध करता है? इन प्रश्नों पर विचार विमिश्र गम्भीरता से अभीष्ट है। अतः अब तो हमें केवल इतना ही देखना है कि ऐसे कौनसे प्रयोग हैं जो संस्कृत में तो हैं नहीं किन्तु पालि में उपलब्ध होते हैं जिससे वह संस्कृत की पुत्री न

* हिन्दी साहित्य का बृहत् इतिहास खण्ड २ अध्याय २ पृष्ठ २७३।

आते हैं। इनके पश्चात् इन पिठको पर लिखी गई टीकाओं का साहित्य आता है जिन्हें अनुपालि या अनुपिटक कहते हैं। इसका अतिरिक्त इन पिठको के पथक अग आते हैं, यथा—वितय पिठक में तीन प्रकार के ग्रन्थ हैं—सुत्त विभाग खषक, परिवार पाठ। सुत्त पिठक के पाँच निकाय हैं—दीघ निकाय, मज्झिम निकाय सयुत्त निकाय अगुत्तर निकाय तथा खुद्दक निकाय। खुद्दक निकाय का 'धम्मपद अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भाग है। जातक साहित्य भी पालि भाषा की महत्त्वपूर्ण निधि है। अभिघम्म पिठक में धम्म सगणी विभाग कथा वत्थु, पुग्गल पचत्ति धातु कथा, यमक, पट्टानप्यकरण आदि सात ग्रन्थ आते हैं जिनमें बौद्ध धर्म के दार्शनिक पक्ष का विवेचन मिलता है। अनुपिटक का अधिकांश भाग सिंहली विद्वानों ने लिखा है। इन ग्रन्थों में भी सवाद या कथा रूप में धर्म की दार्शनिक विवेचना की गई है अथवा कोई शिक्षा या उपदेश दिया गया है।

इन सब के अतिरिक्त पालि में छन्द शास्त्र व्याकरण तथा कोप ग्रन्थ भी लिखे गए हैं। कञ्चान व्याकरण पालि का प्राचीन एवं महत्त्वपूर्ण व्याकरण है।

अशोक के शिलालेखों की भाषा

अशोक के शिलालेख भारत के प्रत्येक भाग में उपलब्ध होने हैं। विद्वानों का मत है कि अशोक के शिलालेखों की सामग्री मूलतः मागधी भाषा में निबद्ध की गई है और पुनः जिस स्थान पर उस लेख को भजना होता था, उसमें उसे अनूदित कर दिया जाता था। अतः अनेक मुख्य शब्द उनमें ज्यों के त्यों रख दिए गये हैं। यदि इन प्रभावों को या प्रादेशिक रूपान्तर को हटा कर देखें तो लगता है कि अशोक के शिलालेखों की भाषा भी मागधी की अपेक्षा पालि के अधिक समीप है। ध्वन्यात्मक अन्तर का तथा दिशाओं को ध्यान में रख कर अशोक के शिलालेखों को तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। शाहबाज गढ़ी और मानसरा बाल सत उत्तर पश्चिमी भाषा के रूप को व्यक्त करते हैं। गिरनार का शिलालेख दक्षिण पश्चिम की ओर भाषा में लिख गण प्रतीत होने हैं। घोली जोगा रामपुरवा, सारनाथ के शिलालेखों की भाषा प्राच्य भाषा के अधिक समीप जान पड़ती है। यह तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि किसी भी स्थान के शिलालेखों की भाषा किसी निश्चित भाषा के तत्त्वा से परिपूर्ण नहीं है। कुछ एक तत्त्व दूसरी भाषा के भी उपलब्ध हो ही जाते हैं। इसीलिए केवल कुछ तत्त्वों की प्रधानता एवं स्थान विशेषों के आधार पर ही यह विभाजन किया गया है। डॉ० भोला शंकर व्यास ने इनमें चार विभाषाओं की प्रवृत्तियों का अवलोकन किया है— इन तत्त्वों में प्राकृत की चार वैभाषिक प्रवृत्तियाँ परिलक्षित होती हैं—उत्तर

पश्चिमी प्राकृत (या उदीच्य प्राकृत), पश्चिमी प्राकृत, मध्य पूर्वी प्राकृत तथा पूर्वी प्राकृत ।^{१०}

यदि इन सभी शिलालेखा की भाषाओं का सम्मिलित रूप में अवलोकन कर उनकी प्रवृत्तियों का विवेचन करें तो अगले पृष्ठों में विवेचन की जाने वाली प्राकृता की सभी प्रवृत्तियाँ उपलब्ध हो जायेंगी, परन्तु पालि की तुलना में शब्द रूपों की क्रम-वर्धमान क्षय प्रवृत्ति अधिक मात्रा में विकास के चिह्नों से सवलित है। प्रातिपदिकों की संख्या भी बढ़ी हुई है। आत्मनेपद के प्रयोग विरल ही मिलते हैं। शेष पालि की विशेषताएँ ही अधिकतर पायी जाती हैं।

जसा कि विवेचन से स्पष्ट है—प्राकृत वैयाकरणों ने प्राकृत भाषाओं का उदभव संस्कृत से माना है जब कि पाश्चात्य विद्वानों का मत इसके विपरीत है। विचारणीय बातें इसमें ये हैं कि उन प्राकृत वैयाकरणों ने कही पर भी पालि को इसमें समाविष्ट नहीं किया है तो क्या पालि का विकास स्वतंत्र रूप से हुआ है? क्या पालि का परवर्ती मध्यदेशीय प्राकृत शौरसेनी से कोई सम्बन्ध है? यदि है तो शौरसेनी और पालि के बीच संस्कृत कैसे आ खड़ी हुई? उपयुक्त सभी प्रश्नों पर स्वतंत्र रूप से विचार करना ही अपेक्षित है। यहाँ पर हम केवल पालि और बर्दिक संस्कृत अथवा छादस का परस्पर क्या सम्बन्ध है तथा पालि संस्कृत के अधिक समीप है अथवा छादस के, इस विषय पर ही विचार करेंगे।

यदि हम वक्ता की भाषा का विश्लेषण करें तो प्रतीत होगा कि वेदों में प्रयोगों की अत्यधिक स्वतंत्रता थी। एक ही शब्द का अनेक रूपों में प्रयोग मिलता है। एक ही अर्थ को व्यक्त करने वाले अनेक प्रत्ययों का विधान पाठकों को हतप्रभ कर देता है। सम्भवतः इन्हीं आधारों पर भाषा विज्ञ यह अनुमान लगाते हैं कि वेदा का निर्माण जनसाधारण की भाषा में हुआ है। कारण स्पष्ट है—जिस प्रकार जनसाधारण व्याकरण के नियमों की परवाह किए बिना भाषा का प्रयोग करता चला जाता है उसी प्रकार वेदों में भी किसी व्याकरण के निश्चित नियमों का अद्यतन दृष्टिगोचर नहीं होता। अज्ञान करवा देना मात्र शायद ऋषियों को अभीष्ट था। यहाँ पर यह प्रश्न अवश्य उठता है कि शिक्षा व्याकरण और प्रातिशास्त्र आदि उस समय क्या थे? कोपीतकी ब्राह्मण में ब्राह्मणों के अशुद्ध उच्चारण का उल्लेख क्या सिद्ध करता है? इन प्रश्नों पर विचार विमिश्र गम्भीरता से अभीष्ट है। अतः अब तो हम केवल इतना ही देखना है कि एस कौनसे प्रयोग हैं जो संस्कृत में तो हैं नहीं, किन्तु पालि में उपलब्ध होते हैं जिससे वह संस्कृत की पुत्री न

^{१०} हिन्दी साहित्य का बृहत् इतिहास, खण्ड २, अध्याय २, पृष्ठ २७३।

बन कर उसकी छोटी या बड़ी बहन का स्थान ग्रहण करने की अधिकारिणी हो जाती है।

महाभाष्यकार पतञ्जलि ने छान्दस के व्यत्ययो के सम्बन्ध में लिखा है—
'यत्ययो बहुलम् । ३/१/८५ योग विभाग कतव्य । छान्दसि विषये सर्वे विधयो भवन्तीति । सुपा यत्यय । तिडा यत्यय । वण व्यत्यय । तिङ्ग व्यत्यय । पुरुष व्यत्यय । काल व्यत्यय । आत्मनेपद यत्यय । परस्मैपद व्यत्यय इति ।'

उपर्युक्त उदघरण से तो यही प्रतीत होता है कि छान्दस में कोई नियम नहीं था। ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसमें उलट फेर न हुआ हो। इसके साथ जब सस्कृत का मिलान करते हैं तो पात होता है कि छान्दस में जिसनी स्वच्छन्दता थी, सस्कृत में उतना ही अकुश। सम्भवतः पाणिनि ने इसी स्वच्छन्दता के नियमन हेतु कठोर परिश्रम से लोक विभ्रुत अप्टाध्यायी का प्रणयन किया होगा और जो कुछ कमियाँ रह भी गई होंगी उनकी पूर्ति महाभाष्यकार ने कर डाली होगी।

महाभाष्य और सिद्धान्त कौमुदी में कुछ व्यत्ययो के उदाहरण दिए गये हैं जिनके आधार पर हम देखते हैं कि कितने प्रयोग सस्कृत में मिलते हैं तथा कितने पालि में और कितने केवल छान्दस तक ही सीमित रह गए हैं। इनमें सबसे प्रथम नाम व्यत्यय आता है। नाम व्यत्यय से तात्पर्य है शब्दों की अनेक रूपता अर्थात् इसने अतगत एक ही शब्द के किसी विभक्तिविशेष के वचन विशेष में एक से अधिक रूप बनते हैं। इन रूपों में से सस्कृत ने कौन से रूपों को अपनाया और पालि ने कौन से, यह दर्शनीय है। प्रथमा बहुवचन में प्रकारात् पुल्लिङ्ग शब्दों के 'देवा और देवास' दो रूपों का प्रयोग वेद में मिलता है—

देवास — ये महो रजसो विदुर्विश्वे देवासो अद्भुह । मरुभिरग्नि आ गहि ।

देवा — अद्या देवा उदिता मूयस्य निरहस पिपृता निरवचात ।

(ऋ० सू० सू०, ३ व ३२)

सस्कृत में इसके स्थान पर केवल देवा शब्द का ही प्रयोग होता है, परन्तु पालि में दोनों रूपों का विधान किया गया है—'प्रथमा व बहुवचन में कभी-कभी आसे प्रथम भी दसा जाता है और यह वदिक रूप 'देवास' की छाया पर जात होता है। देवासे घम्मास बुद्धास'।^{१०}

इसी प्रकार छान्दस में अकारात् पुल्लिङ्ग शब्दों के तृतीया बहुवचन में दो रूप उपलब्ध होने हैं (१) देव (२) देवेभिः। इनमें से सस्कृत ने केवल देव' रूप चुना जबकि पालि में देवभिः और देवहि रूप मिलते हैं—

^{१०} पालि महाध्याकरण पृष्ठ २५ ।

- (१) पदेभि —य इद दीर्घं प्रयत सधस्य एको विममे त्रिभिरित्पदेभि ।
(ऋ० सग्रह पृष्ठ ४८)
- (२) अकं —ऋतावरी दिवो अकंरबोया रेवती रोदसी चित्रमस्थात ।
(ऋ० सग्रह, पृष्ठ ८०) ।

पालि—

- (१) कम्महि—सेहि कम्महि दुम्भघो अग्गिदण्डो व तप्पति ।
(धम्मपद, पृष्ठ ६२)

‘भि’ प्रत्यय का विधान तृतीया बहुवचन में पालि वैयाकरणों ने किया है, किंतु साहित्य में इसके प्रयोग सामान्यतया प्राप्त नहीं होते । भोग्गलान ने पालि महाव्याकरण में स्माहि स्मिन्न महाभिम्हि—२/६६ सूत्र दिया है, जिसके अनुसार तृतीया में ‘भि’ भी विकल्प से हो जाता है ।

संस्कृत में ‘गो’ शब्द की पंठी के बहुवचन का ‘गवाम’ रूप बनता है जबकि छांदस में ‘गोनाम’ रूप भी उपलब्ध होता है । पालि में इसके तीन रूप मिलते हैं—गव गुन, गोन ।¹ यहाँ पर पुन पालि के रूपों में छांदस रूपों की छाया उसे वैदिक भाषा के समीप ले जाकर बिठा देती है ।

गोनाम—शत कक्षीवा असुरस्य गौनां दिविश्वोऽजामाततान ।

(ऋ० १/१२६/२)

गवाम—गवामप व्रज वृधि कृणुष्व राधो अद्रिव । (ऋ० १ १० ७)

इसी प्रकार वेदों में ‘पति’ शब्द के तृतीया एकवचन में ‘पतिना और पत्या’ दो रूप मिलते हैं जबकि संस्कृत में केवल ‘पत्या’ रूप ही बनता है । ‘पतिना’ केवल अय शब्द के साथ समस्त होने पर ही बनता है, यथा—भूपतिना श्रीपतिना ।

पतिना—वेत्रस्य पतिना वय हितेनेव जयामसि । (ऋ० ४ ५७ १)

पत्या—ऋतस्य योनौ सुकृतस्य लोकेऽरिष्टां स्वा सह पत्या दधामि ।

(ऋ० १० ८५ २२)

पालि में पति शब्द के लिए तृतीया एकवचन में संस्कृत के अनुसार ‘पत्या’ को स्वीकार न कर पतिना को ही ग्रहण किया है ।

संस्कृत में ‘इष (इच्छ) धातु’ केवल परस्मैपदी है जबकि छांदस में यह उभयपदी धातु के रूप में प्रयुक्त हुई है । इसी प्रकार पालि में लभ धातु का प्रयोग दोना पदा में उपलब्ध होता है । इस प्रकार महाभाष्यकार के तिङा-प्रत्यय को पालि में स्वीकार कर लिया गया है—

¹ गुप्त च नै ना २/७२ भोग्गल्लान व्याकरण ।

(१) इच्छते अभ्रातृयो अना त्वमनापिरिन्द्र जनुपा सनादसि युधेदापि त्वमिच्छते । (ऋ० ८ २१ २)

(२) इच्छन्ति—अपि सानो नि जिघ्नते वप्येण शतपवणा । मदान इद्रो अपस ससिम्यो गातुमिच्छत्यचन्न नु स्वराज्यम् । (ऋग्वेद, १ ८० ६)

पालि—

(१) सम्भति—समुद् देवता तुग्ह यव सम्भति । (सोला निसस जातकम्)

(२) सम्भते—अत्तनो सुखमेत्तानो पेच्चसो न सम्भते सुखम् ।

(घ प द व ३)

इसी प्रकार वद मे सावधातुक और आधधातुक दोना नियमा से ही प्रत्यय जोड़े जाते हैं । अतः लोट मे वधन्तु और वधयतु (वृध) दोनो ही रूप बन जाते हैं । संस्कृत मे इस प्रकार के प्रयोगा का परित्याग कर उन्हें एक नियम के अधीन बाँध दिया गया है । अतः संस्कृत मे केवल 'वध'ताम रूप ही निष्पन्न होता है—

(१) वध तु—तुभ्य वधतु त्व सोम पेयाय धृष्णो ।

(ऋग्वेद ३ ५२ ८)

(२) वधयतु—पृण तस्ते कुक्षो वधयत्वित्या सुत पौर इद्रभाव ।

(ऋ० २ ११ ११)

इसी प्रकार वेदो मे विकरण व्यत्यय भी हुआ है, यथा भिद का भेदति, मृ का मरति और हन का हनति रूप भी मिलते हैं तथा भिनति भिन्ते, भिन्दति, मारयति, हति आदि रूप भी मिलते हैं ।

उपरिक्थित दोनो रूपो मे वचना का तथा कारको का व्यत्यय भी मिलता है । वेदो मे अनक स्थानो पर बहुवचन शब्दा क साथ एकवचन क्रियायें प्रयुक्त की गई हैं जबकि संस्कृत मे ऐसा कदापि सम्भव नहीं है, किन्तु पालि मे ऐसे प्रयोग मिलते हैं ।

छादस—चपाल ये अश्वयूपाय तक्षति । (तक्षति के स्थान पर तक्षति का प्रयोग)

पालि—न ससस्स तिला अट्ठि न मुग्गा नापि तण्डुला ।

(पा जा ससजातकम्)

इसी प्रकार कारको मे भी सप्तमी के स्थान पर प्रथमा का प्रयोग तथा सप्तमी के स्थान पर षष्ठी चतुर्थी के स्थान पर षष्ठी द्वितीया के स्थान पर षष्ठी आदि के व्यत्यय वेदों मे उपलब्ध होते हैं, जबकि संस्कृत मे इस प्रकार के व्यत्ययो को रोक दिया गया है परन्तु पालि मे ये अबाध-गति से प्रयुक्त हुए हैं ।

छादस—ऋजव सन्तु पथा (पथान के स्थान पर)

'चतुर्थयें बहुल छादसि' तथा पष्ठयर्थे चतुर्थी वक्तव्या । 'यजेश्च करणे आदि सूत्र वेद की भाषा के व्यत्यय को स्पष्ट कर देते हैं । पालि में भी इस प्रकार के प्रयोग मिलते हैं—

पालि—द्वितीया के स्थान पर चतुर्थी—

(१) पूरति बालो पापस्स थोक थोकपि आचिन् ।

(घम्मपद पाप वग्गो ६)

चतुर्थी के स्थान पर पष्ठी तथा द्वितीया के स्थान पर पष्ठी—

(१) यो अप्पदुट्ठस्स (अल्पदुष्टाय) नरस्स (नरान) दुस्सति । सुद्धस्स (सुद्धाय) पोसस्स अनगणस्स (अनगणाय) ।

(ध प पा व १०)

सप्तमी के स्थान पर प्रथमा—

(१) सो एव वत्वा त दिवसमेव (तस्मिन् दिवसे) रज्ज पहाय ।

(जा म देव)

सप्तमी के स्थान पर द्वितीया—

(१) अधो गग भस्सि ।

(पालि जातकावली—सस जातकम् पृ० ३५)

कृदन्त प्रत्ययों के प्रयोग की दृष्टि से पालि और छादस में बहुत साम्य है, विशेषकर पूर्वकालिक प्रत्यय 'त्वा' और निमित्तापक प्रत्ययों के क्षेत्र में । संस्कृत में 'त्वा' प्रत्यय केवल उपसर्ग रहित धातु के साथ प्रयुक्त है, जब धातु से पूर्व कोई उपसर्ग जुड़ जाता है तो संस्कृत में 'त्वा' के स्थान पर ल्यप प्रत्यय का विधान है यथा—गत्वा, आगत्य । छान्दस में भी दोनों प्रत्ययों का विधान है, पर इसमें उपसर्गयुक्त धातुओं के साथ भी 'त्वा' प्रत्यय का प्रयोग किया जाता रहा है, यथा—परिधापयित्वा पालि में यह प्रयोग अत्यन्त साधारण है—

(१) एक दिवस बोधिसत्तो आकास ओलोकेत्वा (अवलोक्य) च द दिस्वा ।

(पालि जातकावली, पृष्ठ ३५)

(२) यो च पुब्बे पमज्जित्वा (प्रमाद्य) पच्छा सो नप्प भज्जति ।

(ध प लोकवग्गो ६) ।

वेद में 'वत्वा' प्रत्यय के साथ कभी-कभी 'य' और वडा दिया जाता है, पालि में उसका स्थानापन्न 'न' मिलता है—

(१) दिव सुपर्णो गत्वाय सोम वच्चिण आभरत् ।

(ऋ० ८ १०० ८) ।

(२) बाधोत्तर्जानि अट्टीणि तानि वित्तान (दृष्ट्वा) का रति ।

(घ प ज व, ४)¹²

सगमग १८ निमित्तायं प्रत्ययों का प्रयोग वेद में मिलता है जिनमें से सबसे 'तुमुन्' प्रत्यय का ही प्रयोग सस्कृत में किया गया है शेष छोड़ दिए गए हैं। पालि में सगमग दो तो स्पष्टतः प्रयुक्त हुए हैं—तुमुन् और तवे ।

श्लोक—(१) आ च नो वहि सद तावित्ता घ न स्पार्हाणि वातवे वमु ।

(ऋ० ७ १६ ६)

(२) स आ गमदिद्री यो वगूनां चिचेतद्दातु दामनो रयीणाम् ।

(ऋ० इन्द्रमूकन)

पालि—(१) परिफदति द वित्त मारघेय्य पहातवे । (प्रहातुम्) ।

(घ प चि व २)

(२) न सक्का पुञ्ज सखातु इमेत्तमपि वेनचि ।

(घ प बुद्धवगो १८)

निपातो के कतिपय परिवर्तनो में भी पालि और छांदस में पर्याप्त साम्य दिखाई देता है छांदस में निपातस्य च सूत्र से यह बताया गया है कि निपातो में प्रायः अन्तिम स्वर दीर्घ हो जाता करता है, पालि में विकल्प से निपात का अन्तिम स्वर दीर्घ मिलता है—

(१) श्लोक—सो अयं पुष्टीविज इवा मिनाति भदस्मै घत्त स जनास इन्द्र ।

(ऋ सू स, ६०)

(२) पालि—अपा बाधत च फामु विहालत च । (अ शि ले भ्रू)

अतः में यही कहा जा सकता है कि छांदस के अनेक प्रयोग जो सस्कृत में या तो छोड़ दिए गए अथवा लुप्त हो गए, वे पालि में पूणतः सुरक्षित हैं। ये सुरक्षित प्रयोग सरलता से पालि और छांदस का सम्बन्ध प्रस्थापित कर देते हैं। महाभाष्यकार ने व्यत्यय के प्रमाण स्वरूप जो मात्र उद्धृत किया है उसके समस्त प्रयोग पालि में प्रचलित हैं—

ऋजव सन्तु पथा (पथान), परमे व्योमन (यामनि), लोहित चमन् (चमणि), आद्रं चमन् (चमणि), धीती (धीत्या), मती (मत्या) या गुरथा रथी-त्तमा दिवि स्पृशा अश्विना (यौ गुरथो रथीतमो दिविस्पृशो अश्विनो), मताद् ब्राह्मण (नत ब्राह्मणम्), यादेव (यमेव) विघ्नतात्त्वा (त्त्वा), युष्मे (युष्मासु), अस्म (अस्मभ्यम्), उरुया (उरुणा) घृष्णुया (घृष्णुना), नाभा (नाभौ), आदि ।

¹² एव घम्मानि सुत्वान विप्पसीदन्ति पण्डिता । (घ प पण्डित वगो ७) ।

छेत्वान (छित्त्वा) भारतस्य पपुपककानि । (घम्मपद पुष्प वग, ३) ।

साहित्यिक प्राकृत भाषाएँ

पालि के पश्चात् साहित्यिक प्राकृतों का प्राबुर्भाव—प्राकृत नाम
वर्णों—प्राकृतों के भेदों पर प्राचीन व्याकरणों एवं काव्य
शास्त्रियों के भिन्न भिन्न विचार—प्राकृत भाषाओं की सामान्य
ध्व-यात्मक एवं रूपात्मक प्रवृत्तियाँ—मुख्यतः पाँच प्राकृतों
की स्वीकृति—(१) शौरसेनी प्राकृत—ध्वनितत्त्व एवं रूप
तत्त्व, (२) मागधी प्राकृत—ध्वनितत्त्व तथा रूपतत्त्व—
(३) अषमागधी—ध्वनितत्त्व तथा रूपतत्त्व—(४) महा
राष्ट्री—ध्वनितत्त्व और रूपतत्त्व—(५) पेशाची प्राकृत—
ध्वनि तत्त्व और रूप तत्त्व ।

पालि एव अशोकी शिलालेखों की भाषा जब साहित्य एव राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त की जा रही थी उस समय भिन्न भिन्न क्षेत्रों की बोलियाँ घम गुरुओं एव साहित्यकारों के सहयोग से विकास की ओर अपसर थी। ये ही बोलियाँ विकसित होकर साहित्यिक प्राकृतों के नाम से आगे चलकर प्रसिद्ध हुई।

जैसा कि पहले स्पष्ट किया जा चुका है प्राकृत वैयाकरणों ने मध्य कालीन भारतीय आर्य भाषाओं की प्रकृति संस्कृत बताई है। इसीलिए इस काल की भाषाओं को प्राकृत नाम से अभिहित किया गया है क्योंकि ये भाषाएँ किसी न किसी प्रकृति का आधार लेकर विकसित हुई हैं 'यत् प्रकृत्या जातं तत् प्राकृतम्' सिद्धांत के आधार पर ही यह नामकरण संस्कार हुआ ज्ञात होना है। इन भाषाओं के लिए यह शब्दा प्राकृत वैयाकरणों की ही देन है। छान्दस एव संस्कृत ग्रंथों में इन भाषाओं को देशी भाषाया एव अपभ्रंश भाषाओं के नाम से ही अधिकांशतः अभिहित किया गया है। यदि उत्तरकालीन किसी संस्कृत ग्रंथ में इन भाषाओं के लिए 'प्राकृत' शब्द का प्रयोग हुआ भी है तो वह प्राकृत भाषा प्रया का प्रभाव कहा जा सकता है।

मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएँ शीघ्र के अंतर्गत सामान्य रूप से इन भाषाओं का अध्ययन करते समय हम बतला चुके हैं कि साहित्यिक प्राकृतों के पूर्ण रूप से अस्तित्व में आ जाने तक अनेक देशी जन बोलियाँ का प्रचलन भारतवर्ष में हो चुका था। भिन्न भिन्न विद्वानों ने इनकी सख्या देश काल के अनुसार भिन्न भिन्न बताई है। अब तक प्राप्त सकेतों के आधार पर कहा जा सकता है कि इनकी सख्या अठारह तक पहुँच चुकी थी और विद्वानों का उनके स्वरूप से परिचय था। उस समय आधुनिक भाषा वैज्ञानिक पद्धति का अभाव होने के कारण विद्वानों ने इन बोलियों का नाम का उल्लेख तो कर दिया किन्तु उनके स्वरूप का विवेचन करने का कष्ट नहीं उठाया। कारण स्पष्ट है कि ये बोलियाँ इस रूप में समुपस्थित न होंगी और न ही वैयाकरणों को इनके लिए शास्त्र निर्माण की आवश्यकता अनुभव हुई होगी तथा लिखित साहित्य का सम्भवतः अभाव होने के कारण काव्य शास्त्रियों को इन बोलियों के लिए किसी प्रकार के साहित्यिक नियमों के निर्बन्धन की आवश्यकता नहीं हुई होगी। अतः इनके स्वरूप का विवेचन उस समय सम्भव न हो सका होगा।

प्राकृत भाषा के सर्वप्रथम वैयाकरण 'वररचि' ने अपने व्याकरण ग्रंथ प्राकृत प्रकाश में चार प्राकृत भाषाओं का शास्त्रीय विवेचन प्रस्तुत किया है—

(१) महाराष्ट्री, (२) पशाची, (३) मागधी, (४) शौरसेनी । उक्त ग्रन्थ के नौ परिच्छेदों में महाराष्ट्री का, दसवें परिच्छेद में पशाची का, ग्यारहवें में मागधी का और बारहवें में शौरसेनी भाषा का व्याकरण प्रस्तुत किया गया है । इस प्रकार के विवेचन से महाराष्ट्री प्राकृत का सर्वोपरि होना स्वयं सिद्ध हो जाता है । हेमचन्द्र के अतिरिक्त अन्य ध्याकरणों ने धररुचि की ही पद्धति का अनुसरण किया है तथा प्राकृतता की यही सख्या और यही नाम मानकर उनका व्याकरण एवं तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है । हेमचन्द्र ने उक्त चार प्राकृतों के अतिरिक्त अन्य तीन प्राकृतों का व्याकरण भी अपने ग्रन्थ 'हेम शब्दानुशासन' में प्रस्तुत किया है । इस प्रकार सात प्राकृत भाषाओं का अस्तित्व हमारे सामने उपस्थित होता है यथा—(१) महाराष्ट्री अथवा प्राकृत, (२) शौरसेनी, (३) पशाची, (४) चूलिका पशाची, (५) मागधी, (६) आप या अधमागधी (७) अपभ्रंश । हेमचन्द्र ने जैन होने के कारण अधमागधी को, अधिक महत्त्वपूर्ण भाषा सिद्ध करने हेतु आप सजा से अभिहित किया है ।

इनके अतिरिक्त नामोल्लेख के रूप में अन्य अनेक प्राकृतों उपलब्ध होती हैं जिनका विवरण एवं समाधान डा. भोलानाथ तिवारी ने अपने 'भाषा विज्ञान ग्रन्थ' में इस प्रकार दिया है— 'अथ प्राकृत व्याकरणों एवं इतर स्रोतों से कुछ और प्राकृत भाषाओं के नाम भी मिलते हैं, जैसे बाल्हीकी शाकरी टक्की शाबरी, चाण्डाली, आभीरिका अबन्ती, दाक्षिणात्या भूतभाषा तथा गौडी आदि । इनमें प्रथम पाँच तो मागधी के ही भौगोलिक या जातीय उपभेद हैं । आभीरिका शौरसेनी का जातीय रूप थी और अबन्ती उज्जैन के पास की बदाचित महाराष्ट्री से प्रभावित शौरसेनी थी । दाक्षिणात्या भी शौरसेनी का ही एक रूप है । हेमचन्द्र की चूलिका पशाची को ही दण्डी ने भूतभाषा कहा है (गलती से पशाची का अर्थ पिशाच या भूत समझकर) । कुछ लोगो ने लिखा है कि हेमचन्द्र ने पशाची को ही चूलिका पशाची कहा है, किन्तु वस्तुतः बात ऐसी नहीं है । हेमचन्द्र ने ये दोनों नाम अलग अलग दिए हैं । दूसरी पहली की ही एक उपबोली है । गौडी का अर्थ है गौड देश की । इसका आशय यह है कि यह मागधी का ही नाम है ।^१

इनके अतिरिक्त पश्चिमी प्राकृत कैकेय प्राकृत, टक्क या माद्री प्राकृत नागर प्राकृत या खस प्राकृत आदि की कल्पना भी कतिपय आधुनिक भारतीय विद्वान् एवं पाश्चात्य भाषा विज्ञानकारों ने की है परन्तु इस प्रकार की कल्पना बदापि समीचीन नहीं कही जा सकती । मेरे विचार में छात्रों के परिनिष्ठित स्वरूप

^१ भाषा विज्ञान, पृष्ठ ११७ ।

धारण करने तक यह बहुत सम्भव है कि समस्त उत्तर भारत में सप्त सिंधु प्रदेश से लेकर मगध तक अनेक जन बोलियाँ यूनानाधिक अंतर के साथ विकसित हो चली हो और व्याकरणों को उनका ज्ञान भी रहा हो, परंतु इन बोलियाँ का—केवल साहित्यिक रूपों को छोड़कर—केवल नामोल्लेख मात्र उपलब्ध होता है। अतः इन पर किसी भी प्रकार का कोई निगम देना खतरे से खाली नहीं है। इसलिए हम भी केवल उनके पुनरालेखन मात्र से ही सन्तुष्ट होना पड़ा। प्रस्तुत ग्रन्थ में हम उही प्राकृत भाषाओं पर विचार विमर्श करने का प्रयत्न करेंगे, जिन प्राकृतों का साहित्य उपलब्ध होता है अथवा जिनके साहित्य का अथवा व्याकरणिक विशेषताओं का वर्णन प्राचीन ग्रन्थों में मिलता है। अधोलिखित प्राकृत भाषाएँ इन भाषाओं के अंतर्गत आती हैं—(१) शौरसेनी (२) मागधी, (३) अधमागधी (४) महाराष्ट्री तथा (५) पशाची।

अब हम सबप्रथम उन सामान्य विशेषताओं का अवलोकन करने का यत्न करेंगे जो उस समय की प्रचलित समस्त भाषाओं में उपलब्ध होती हैं। तत्पश्चात् उन भाषाओं की पृथक् पृथक् विवेचना प्रस्तुत कर उनकी अपनी मौलिक प्रवृत्तियों का दिग्दर्शन करायेंगे।

ध्वनितत्त्व—(१) मध्यकाल तक आते-आते व्यञ्जन ध्वनियों में दो स्वरों के मध्य आने वाली सघोष स्पृश व्यञ्जन ध्वनियों का उच्चारण शिथिल हो गया तथा उनका उच्चारण ऊष्म ध्वनिवत् होने लगा। धीरे धीरे शिथिलता को प्राप्त ये ध्वनियाँ लुप्त होने लगी। यह प्रक्रिया कुछ इसी प्रकार सम्पन्न हुई जैसे किसी पदार्थ को रगड़ रगड़ कर घिसना प्रारम्भ कर दें और अतः में घिसते घिसते पदार्थ की वह अवस्था आ जाय कि उसका उस रूप में अस्तित्व ही समाप्त हो जाय है। इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि मध्य कालीन आय भाषाओं में स्वर मध्यग अल्पप्राण अधोष एव सघोष ध्वनि का लोप हो जाता है—

शची > सई, रजक् > रअओ मयनम् > णअण, शुक > मुग > सुअ, हत > हिद > हिअ (हि हिया), अपर > अवर > अउर (और) सागर > साअर (सायर) रिपु > रिउ।

(२) स्वरों के मध्य में जब अधोष तथा सघोष महाप्राण ध्वनियाँ आती हैं तो प्रायः उसके स्थान पर 'ह' का आदेश कर दिया जाता है। अपभ्रंश भाषा में यह प्रवृत्ति विशेष रूप से लक्षित की गई है। अपभ्रंश एव शौरसेनी प्राकृत में सघोष अल्पप्राण के लोप के पश्चात् 'य' श्रुति का आगम भी विशेष रूप से लक्षित किया गया है जिसके अवशेष अब भी ब्रजभाषा एव राजस्थानी में लोजे जा सकते हैं—

मुखम् > मुह मेखला > मेहला, मेघ > मेहो, माघ > माहो, नाथ > नाहो, मियुन > मिहण, साधु > साहु राधा > राहा, सभा > सहा, नम > णह ।

'य' श्रुति के उदाहरण^२—नगरम् > नयर, मृगाक > मयको, रसातल > रसायल, मदन > मयणो, प्रजापति > पयावद् ।

(१) 'ऋ' ध्वनि लिखित रूप में तो नहीं मिलती है किन्तु उसका उच्चारण 'रि' की तरह होने लगा था । अधिकतर 'ऋ' का विकास 'अ इ उ, और ए' के रूप में उपलब्ध होता है—

ऋणम् > रिण, ऋजु > रिजु, ऋषभ > रिषहो, ऋषि > रिषि, एता दशम् > एआरिस तादश > तारिसा सदश > सरिसो यादश > एरिसो, कीदृश > केरिसो, घृतम् > घअ, तृणम् > तण, कृत > कअ मृत > मओ, कृपा > किवा, दृष्टम् > दिट्ठ, कृश > किसो, वृषि > विसी ऋतु > उदु प्रावप् > पाउसो पृष्ठम् > पुट्ठ, मातृ > माऊ गृहम् > गेह ।

(४) 'न' ध्वनि का विकास ण में होने लगा था—

नाराच > नाराओ, नगरम् > णअर निशाचर > णिसाअरो ।

रूप तत्त्व—(१) व्यञ्जनात् शब्दों का प्रायः लोप हो गया । व्यञ्जनात् शब्दों के अन्त्य हल् व्यञ्जन का या तो लोप कर उसे स्वरात् बना लिया गया या उसके साथ 'अ' का आगम कर उसे अजन्त बनाया गया है—

राजन् > राजा आत्मन् > अत्मा ।

(२) शब्द रूपों में ङय की प्रवृत्ति का प्रारम्भ जो अप्रत्यक्ष रूप में छादस से ही प्रारम्भ हो गया था, इस काल तक आते-आते इस के चिह्न स्पष्ट दृष्टिगोचर होने लगे । पुल्लिङ्ग कर्ता बहुवचन और ङम, बहुवचन के रूप समान होने लगे—

सन्त्रे— सन्त्रे गिरिणो—गिरिणो, देवा— देवा

(कर्ता) (ङम) (कर्ता) (ङम) (कर्ता) (ङम)

चतुर्थी के रूप लगभग समाप्त से हो गए और उसका काम पठ्ठी से लिया जाने लगा ।

(३) लिङ्ग—लिङ्ग के स्थान पर किसी प्रकार ङ ङय के चिह्न दृष्टिगत नहीं होते । मध्यकाल में संस्कृत की तरह तीनों ही लिङ्गों का प्रयोग प्राप्त होता है । हाँ लिङ्ग व्यत्यय के उदाहरण अवश्य मिलने लगते हैं जिनके लिए अपभ्रंश के अध्ययन में हेमचन्द्र की लिङ्गमन्त्रम्^३ सूत्र की रचना करनी पड़ी ।

^२ समस्त उदाहरण हेम व्याकरण से उद्धृत हैं ।

^३ हेमचन्द्र शब्दानुगामन ८/४/४४२वाँ सूत्र ।

(४) सज्ञा शब्दों के साथ सावनामिक विभक्ति प्रत्ययों का प्रयोग हाने लगा, यथा—'लोक' के स्थान पर लोकम्हि देवे > देवेम्मि, गुरो > गुरुत्तो गुरुम्य > गुरुसुतो ।

(५) कारक और क्रियाओं का सम्बन्ध व्यक्त करने के लिए सज्ञा शब्द के साथ कारकाव्यय एवं कृदन्त क्रियाओं का प्रयोग भी इस काल में प्रारम्भ हो गया । यही वह प्रवृत्ति है जिसने आगे चल कर आधुनिक भारतीय आय भाषाओं के अनुसर्गों अथवा परसर्गों को जन्म दिया । यद्यपि इस प्रवृत्ति के संकेत उत्तरकालीन मस्कृत से मिलने प्रारम्भ हो गए थे किन्तु प्राकृतों में इस प्रवृत्ति का विकास विशेष रूप से हुआ और अपभ्रंश में तो ऐसा प्रयोग घटले के साथ होने लगे—रामस्स कए दत्त रामस्स केरक घर ।

(६) आत्मनेपदा के प्रयोग क्रमशः घटते जा रहे थे धातुओं का प्रयोग प्रायः परस्मैपद में ही होने लगा ।

(७) लट् लिट् तथा लुट् के प्रयोग बढ़ हो गए । लोट् लकार का प्रयोग बहुत पहले ही (मस्कृत से ही) बढ़ हो चुका था । मध्यकालीन भारतीय आय भाषाओं के काल रूपों एवं भाव रूपों का विवेचन करते समय डा० चाटर्ज्या लिखते हैं—आभाआ के अधिकांश सूक्ष्म काल तथा रूप घीरे घीरे नष्ट हो गए और अंत में द्वितीय मभाआ अवस्था में केवल कतरि वतमान, एक कमणि वतमान एक भविष्यत् (निर्देशक रूप में) एक अनुज्ञाय तथा एक विधिलिट् वतमान रूप प्रचलित रहे, साथ ही कुछ विभक्ति साधित भूत रूप भी बचे रहे यथा—भूतकाल का निर्देश साधारणतया त इत् ('यान्') साधित कमणि कृत या निष्ठा द्वारा होने लगा । 'लट् लुट् लिट्' के स्थान पर मभाआ भूतकाल भावे या कमणि कृदन्त गत लगा कर बनाया जाने लगा ।⁴

(८) मिथ्या सादृश्य के आधार पर भुवन्त और तिष्ठन्त रूप कम होकर भाषा को सरल बनाने में सहायक मिट्टा हो रहे थे ।

सम्मिलित रूप से साहित्यिक प्राकृतों की भाषात्मक सामान्य प्रवृत्तियों के विश्लेषण के पश्चात् अब उपयुक्त भाषाओं की उन विशेषताओं का अवलोकन करने का प्रयत्न करेंगे जिनके कारण ये भाषाएँ एक ही स्रोत से निम्न होने पर भी अपना भिन्न अस्तित्व बनाए हुए हैं—

शौरसेनी—मध्यदेश में बोली जाने वाली भाषा का नाम शौरसेनी है । इसका यह नाम शूरसेन प्रदेश के आधार पर पड़ा । आधुनिक मधुरा प्रदेश ही उस समय शूरसेन प्रदेश कहलाता था ।

⁴ भारतीय आयभाषा और हिंदी पृष्ठ १०७ ।

इस पर उन्नीष्य घोसी का प्रभाव पर्याप्त मात्रा में लक्षित होता है, परन्तु साथ ही मागधी भाषा की कतिपय विशेषताएँ अपन में सम्मिलित हुई हैं। शौरसेनी प्राकृत का प्रयोग संस्कृत नाटकों में नाटककारों ने हीन पात्रों और नारी पात्रों में प्रयोग में करवाया है। कपूरमञ्जरी नाटक का और अश्वघोष के नाटकों का मध्य अधिकतर शौरसेनी में ही उपलब्ध होता है। अश्वघोष के प्रायः तीन नाटक बताए जाते हैं जिनमें से दो के नामादि का—सङ्घटित होने के कारण—पता नहीं चलता। एक प्रकरण रूपक सम्पूर्ण उपलब्ध है जिसका नाम शारिपुत्र प्रकरण है। इन नाटकों की सृष्टि लूडस महादय ने की थी। गौतम और उनका शिष्या भी छोड़ कर शेष पात्र प्राकृत भाषा का ही प्रयोग करते हैं। डॉ. बलदेव उपाध्याय उस महाराष्ट्री की सहायता देते हैं^६ किन्तु प्रसिद्ध भाषाविद डॉ. वायूराम सक्सेना ने उसे शौरसेनी प्राकृत कहा है।^७ शौरसेनी और महाराष्ट्री में पर्याप्त मात्रा में साम्य होते हुए भी कतिपय ऐसी विशेषताएँ हैं जो इनको पृथक्-पृथक् भाषाएँ स्वीकार करने पर बल देती हैं। विद्वानों का मत है कि शौरसेनी का उद्भव पालि भाषा से हुआ है। शौरसेनी का ही विकसित रूप महाराष्ट्री है—इस बात का समर्थन आजकल भाषा मन्त्रालय विशेष रूप से कर रहे हैं।

ध्वन्यात्मक विशेषताएँ—(१) शौरसेनी में प्रायः वे सभी ध्वनियाँ उपलब्ध होती हैं जो पालि में हैं। स्वरों में ए, 'औ' 'ऋ' ध्वनियाँ नहीं हैं। व्यञ्जनो में स, श, ष तीनों के स्थान पर केवल स मिलता है। न और य के स्थान पर प्रायः 'ण' और 'ज' मिलते हैं यथा—

ईदृशम् > ईदिस एप > एसो, यत्सेन > जणसेणो पृतना > पिदणा
मानव > भाणओ, अभिमयु > अहिमणू अब्रह्मण्यम् > अब्रह्मज्ज, यथा > जथा
यादृश > जादिस।

(२) शौरसेनी भाषा के अनादि में वर्तमान असंयुक्त त और 'थ' के क्रमशः द और ध हो जाते हैं, यथा—

गच्छति > गच्छदि आगत > आगदो यथा > जथा कथय > कथेहि एत
स्मात् > एत्तिहि कौतूहलम् > कौतूहल।

(३) जहाँ 'त' या 'थ' आदि में वर्तमान हा वही पर यह परिवर्तन नहीं देखा जाता, यथा—

तथा > तप्पा तस्मिन् > तस्स तस्मिन् > तत्थ तादृशम् > तादिस।

(४) त जब अथ व्यञ्जन के साथ मिला हुआ होता है तब भी इसे

^६ संस्कृत साहित्य का इतिहास, पृष्ठ ५०६।

^७ सामान्य भाषा विज्ञान, पृ० २६५।

‘द’ का आदेश नहीं होता। य को भी सम्युक्त होने पर ‘घ’ आदेश नहीं होता, यथा—

शबुन्तले > सजन्तले आयपुत्र > अञ्जउत्त, त्वया > तए उत्थित > उत्थिदो
स्थूलम् > थूल उद + स्था > उत्थ ।

(५) ‘य’ को सवधा घ का आदेश नहीं होता वहीं कही य का य ही रहता है और कही वही ‘य’ को ‘ह’ आदेश भी देखा जाता है यथा—

नाथ > णाघो/णाहो कथम् > कह/कघ राजपथ > राजपहो दशरथ >
दसरहो ।

(६) डॉ० उदयनारायण तिवारी के अनुसार संस्कृत ‘द घ ध्वनियों की शौरसेनी में पूण सुरक्षा पाई जाती है ? पर यह सवत्र दष्टिगत नहीं होता, अनेक स्थानों पर इनमें विकार देखा जाता है, यथा—

वधू > बहू युधिष्ठिर > जुहुष्ठिरो नदी > नई दुहिता > धूदा रुघ > रोव,
वदरम > वअर ।

(७) क्ष के स्थान पर शौरसेनी ‘क्ख’ मिलता है, यथा—

इक्षु > इक्खु कुक्षि > कुक्खि वृक्ष > व्खखो ।

(८) शौरसेनी में कही-कही ‘ञ्ज’ के स्थान पर ‘ण’ भी मिलता है यथा—सवञ्ज > सवण्णो इगितञ्ज > इगिअणो विन > विण्णो ‘न’ को विकल्प से ‘ञ्ज’ भी होता है। यथा—क्रमश ब्रह्मञ्ज > ब्रह्मअञ्जो विञ्ज > विअञ्जो ।

(९) सम्युक्त व्यञ्जनों में से एक का तिरोभाव कर पूर्ववर्ती स्वर को दीघ करने की प्रवृत्ति शौरसेनी में अधिक नहीं मिलती।

रूपात्मक विशेषताएँ—(१) शौरसेनी में अदत्त शब्दों पर ‘डसि’ के स्थान पर (पंचमी एक वचन में) आदो और आदु आदेश न होकर केवल ‘दो’ आदेश होता है, यथा—देवादो ।

(२) शौरसेनी में स्त्रीलिंग में ‘जस’ (प्रथमा बहुवचन) को ‘उत आदेश नहीं होता, यथा—प्राकृत—मालाओ शौरसेनी—माला ।

(३) शौरसेनी में नपुंसकलिङ्ग में ‘जस’ और ‘शस’ (प्रथमा और द्वितीया बहुवचन) के स्थान पर केवल ‘णि’ आदेश होता है और पूर्व स्वर का दीघ हो जाता है, यथा—वणाणि, घणाणि, आदि ।

(४) शौरसेनी में केवल परस्मैपद के प्रयोग ही अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। आत्मनेपद के प्रयोग नहीं के बराबर हैं ।

(५) शौरसेनी में तिङ् प्रत्ययों के आने पर ‘भू धातु’ भी में परिवर्तित हो जाती है यथा—भोदि, भोमि ।

^१ हिन्दी भाषा का उदगम और विकास, पृष्ठ ११५ ।

(६) शौरसेनी में विधि के रूपों में मागधी और अधमागधी की तरह 'एञ्ज' न लगाकर सस्वृत के आधार को ही ग्रहण किया गया है, यथा—
वर्तेत > वटेटे ।

(७) सस्वृत के कमवाच्य के सूचक 'य' प्रत्यय के स्थान पर शौरसेनी में 'इअ' आदेश होता है, यथा—पृच्छयते > पुच्छीअदि गम्यते > गमीअदि ।

(८) शौरसेनी में धातु और तिङ के मध्य में वहीं वही 'ए' और 'आ' होते हैं । यथा—कथयति > कथेदि, शेते > सुआदि ।

(९) शौरसेनी में 'कृ' गम् धातुओं के साथ 'क्त' प्रत्यय को 'अडुअ' आदेश होता है, यथा—कडुअ गडुअ । इसके अतिरिक्त करिय करिदूण गच्छिय, गच्छिदूण रूप भी मिलते हैं ।

मागधी

यह भाषा छांदस से विकसित प्राच्या बोली का साहित्यिक एवं परिष्कृत रूप है जिसे भगवान बुद्ध ने अपने प्रवचनों की अभि यञ्जना का माध्यम चुना था । वर्तमान अवधि से लेकर बंगाल तक का प्रदेश इस भाषा के अन्तर्गत आता था । डा चाटुर्ज्या के अनुसार प्राच्या उपभाषा सम्भवत आधुनिक अवधि पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा शायद बिहार प्रदेश की भाषा थी ।^४

मागधी प्राकृत के साहित्यिक रूप में आने तक आर्यों का यह बग निश्चित रूप से आधुनिक बंगाल तक पहुँच चुका होगा । मागधी का ऐसा साहित्य अब तक उपलब्ध नहीं हो सका है जो पूरे का पूरा मागधी भाषा में लिखा गया हो । संस्कृत नाटकों में हीन पात्रों के मुख से इस भाषा का प्रयोग करवाया गया है । विद्वानों का मत है कि ध्वनि विकार की दृष्टि से मागधी तत्कालीन भाषाओं की अग्रणी रही है ।

ध्वन्यात्मक विशेषताएँ—(१) पालि में प्राप्त प्राय सभी स्वर मागधी में उपलब्ध होते हैं । यञ्जना के क्षेत्र में पालि का अनुसरण न कर स्वतंत्र पथ का अनुगमन किया गया है । ऊष्म ध्वनियाँ में पालि में 'श ष स' तीनों के स्थान पर 'स' का प्रयोग मिलता है वहाँ मागधी में उक्त तीनों ध्वनियों के स्थान पर केवल 'श' ही मिलता है । यथा—

हस > हशे सारस > शासशे, पुरुष > पुलिशे ।

(२) हेमचन्द्र के अनुसार 'स ष' को असंयुक्त अवस्था में ही 'श' आदेश होता है संयुक्त रहने पर 'स' को 'स' और 'ष' को 'स' आदेश हो जाता है ^५ यथा—

^४ भारतीय आयभाषा और हिन्दी के अनुसार ।

^५ आचार्य मधुसूदन प्रसाद मिश्र कृत, प्राकृत-याकरण पृष्ठ १६५ ।

हस्ती>हस्ती, बहस्पति>बुहस्पदी, कष्टम>कस्ट विष्णुम्>विस्नु,
निष्फलम>निस्फल, ऊष्मा>उस्मा ।

(३) मागधी में 'र' के स्थान पर 'ल' मिलता है, यथा—

नर>नले, वर>वले मस्करी>मस्कली वासर>वासले, राजा>लाजा
समर>शमल आदि ।

(४) मागधी में स्थ और थ के स्थान पर स्त आदेश होता है,
यथा—

अथवती>अस्तवदी, साथवाह>शस्तवाहे उपस्थित>उबस्तिदे,
सुस्थित>शुस्तिदे ।

(५) ज च, और घ' के स्थान पर मागधी में 'य' का आदेश होता है,
यथा—

जानाति>याणादि, जनपद>यणपदे गज्जति>गय्यदि, मद्यम>मय्य
अच>अय्य, याति>यादि ।

(६) क्ष' के स्थान पर शौरसेनी में जहाँ वख या ख मिलते हैं वहाँ
मागधी में स्क्' का आदेश होता है यथा—

पक्ष>पस्के प्रेक्षते>पेस्क्दि आचक्षते>आचस्कदि ।

(७) मागधी में त' के स्थान पर द' का आदेश होता है, यथा—

गच्छति>गच्छदि अथवती>अस्तवदी, आगत>आगद ।

(८) द्वित्व 'ट' और 'प' से युक्त ठ (ष्ट) के स्थान पर मागधी में 'स्ट'
का आदेश होता है यथा—

पट्ट>पस्टे भट्टारिका>भस्टालिका, भट्टिनी>भस्टणी सुष्ठ>शुस्टु
कोष्ठागारम>कोस्टागाल ।

(९) मागधी में अनादि में वर्तमान 'छ' के स्थान पर श्च का आदेश
होता है यथा—

गच्छ गच्छ>गश्च गश्च उच्छलति>उश्चलदि पिच्छिल>पिश्चिले ।

(१०) य, ष्य, न 'ञ्ज' सयुक्ताक्षरो के स्थान पर मागधी में ज्ज
ध्वनि उपलब्ध होती है, यथा—

अभिमयु>अहिमञ्जु कया>कञ्जा, अब्रह्मप्यम>अब्रह्मञ्ज पुण्या
हम>पुञ्जाह अचना>अवञ्जा सवन>शवञ्जे पञ्जर>पञ्जले ।

(६) समीकरण की प्रवृत्ति जो सामान्य रूप से सभी प्राकृतों में उपलब्ध
होती है वहाँ मागधी में यदि ऊष्म ध्वनि पूर्ववर्ती हो तो समीकरण नहीं होता,
यथा—हस्त>हुस्त शुष्क>शुस्क ।

(१२) च ज य के स्थान पर प्रायः य्य' ध्वनि पाई जाती है यथा—
अच>अय्य आय>अय्य, काय>कय्य, अजुन>अय्युण ।

इय तस्य

(१) शौरसेनी म जहाँ कर्ता कारक के प्रत्यय 'अ' के स्थान पर 'ओ' होता है वहाँ मागधी में 'ए' मिलता है, यथा—

स >से, क >के, देव >देवे, वक्त >वुक्ते मय >मगे, भदत्त >भते ।

(२) अकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दों म वररुचि^{१०} के मत म विकल्प से 'सु' प्रत्यय के आने पर अ को इ और प्रत्यय का सुक् होता है, यथा—

एशि साआ <एय राजा, एशि पुत्तिशे <एय पुरुष ।

(३) क्त प्रत्ययात् शब्दों म प्रथमा विभक्ति के एकवचन म अ' को उ' भी होता है, ^{११} यथा—

हशिदु <हसित, धतिदु <धलित खादिदु <खादित ।

(४) पष्ठी म 'स्य' क स्थान पर अह' का प्रयोग होता है, यथा—चार दत्तस्य >चानुदत्ताह रामस्य >लामाह फलस्य >फलाह ।

(५) मागधी म पष्ठी के बहुवचन आम को भी विकल्प से 'आह' आदेश होता है यथा—

शअणाह <स्वजनानाम् तुम्हाह >युस्माकम् अम्हाह >अस्माकम् ।

(६) सप्तमी में इ' के स्थान पर 'अहि उपलघ होता है, यथा—प्रवहणे >पवहणाहि ।

(७) मागधी में अहम् और वयम् के स्थान पर हगे' आदेश होता है, यथा—हगे शकवावदालतिस्तण्णिवाशो धीवले । (प्राकृत व्याकरण पृष्ठ १६८) ।

(८) मागधी में स्या धातु के तिष्ठ के स्थान पर चिष्ठ आदेश होता है, यथा—चिष्ठदि चिष्ठदे । कुछ विद्वानों के मतानुसार चिट्ठ भी आदेश होता है, यथा—चिट्ठदि आदि ।

(९) गम्ल मृड हुक्क' धातुओं म क्त प्रत्यय को डे आदेश होता है, यथा—गडे <गत मडे <मृत, कड <कृत ।

(१०) मागधी में क्त्वा प्रत्यय को दाणि आदेश होता है — शहिदाणि गडे >सोत्वा गत करिदाणि आअडे >कृत्वा आगत । अघमागधी

यह भाषा शूरसेन प्रदेश (आधुनिक मधुरा) के पूव म और मगध (आधुनिक दक्षिण बिहार) के पश्चिम म बोली जाती थी । इहे आजकल कौशल एव बनारस प्रदेश के नाम से अभिहित करते हैं । आधुनिक विद्वान इसे पुरानी कौशली की पूवजा और प्राकृत वयाकरण मगध के पश्चिम म बोली

^{१०} 'अत इदेती सुक् च ११/१० (वररुचि प्राकृतप्रकाश) ।

^{११} क्त्वात्तादुरच ११/११ (वही) ।

जाने के कारण इसे पश्चिमी प्राच्या' भी कहते हैं। महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध की मातृभाषा होने के कारण बौद्धा और जैनो की साहित्यिक भाषा बनी। बाद में बौद्धों द्वारा मागधी और पुन पालि को धार्मिक भाषा के रूप में स्वीकार कर लिया जाने पर जन धर्म की एक मात्र निधि बन गई। जना ने इस छादस से भी प्राचीन भाषा बताया है तथा वे न केवल इसे भारत की भाषाओं का अपितु विश्व की समस्त भाषाओं का उद्गम स्थल बताते हैं। हेमचन्द्र तथा अन्य जन विद्वान इसे 'आप भी कहते हैं।

भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से अधमागधी में मागधी और महाराष्ट्री दोनों भाषाओं के तत्त्व देखने में आते हैं। कुछ प्राकृत वैयाकरण इसे शौरसेनी और मागधी का मिश्रित रूप कहते हैं।

डा. मनमोहन घोष के महत्त्वपूर्ण अनुसंधान के पश्चात् दोनों वर्गों के विद्वान सही उतरते हैं। डॉ. घोष के अनुसार शौरसेनी का विकसित रूप ही महाराष्ट्री है, न कि महाराष्ट्र प्रदेश की कोई भिन्न प्राकृत। आपके अनुसार शौरसेनी प्राकृत का पोषण एवं विकास महाराष्ट्र प्रदेश में महाराष्ट्री के नाम से इसी प्रकार हुआ है जिस प्रकार खड़ी बोली हिन्दी का दखनी हिन्दी के नाम से दक्षिण में।

प्राकृत वैयाकरणा एवं विद्वानों ने महाराष्ट्री का प्रभाव लक्षित करते हुए कहा है— 'रसो लशो मागध्याम् इत्यादि यमागधभाषा लक्षण तेन परिपूर्णा प्राकृत (महाराष्ट्री) बह्वला अधमागधी इत्युच्यते' (औपपातिक सूत्रवत्ती)।

'भगवती सूत्र' में अधमागधी का लक्षण इस प्रकार बतलाया गया है— मागधभाषा लक्षण किञ्चित् किञ्चिच्च प्राकृतभाषालक्षण यस्यामस्ति सा अधमागध्या इति युत्पत्त्या अधमागधी। (भगवती सूत्रवत्ती)

ब्रह्मदीश्वर ने प्राकृत के स्थान पर स्पष्ट ही महाराष्ट्री शब्द का प्रयोग करते हुए लिखा है—महाराष्ट्री मिथ्याऽधमागधी।

(संक्षिप्तसारे पृष्ठ ३८, सूत्र ६७)

माकण्डेय महाराष्ट्री के स्थान पर शौरसेनी का प्रभाव बताते हुए लिखते हैं— शौरसे या अदूरत्वाद इयमवाधमागधी'। (प्रा० सवस्व, पृष्ठ १०३)

मलयगिरि ने केवल मागधी का प्रभाव मानते हुए स्वतंत्र रूप से अधमागधी का विवेचन किया है। यथा—'अतः सौ पुंसि इति मागधिक भाषा लक्षणावत् सवमपि हि प्रवचनमधमागधिक भाषाऽऽत्मकम् अधमागधी भाषया तीयकृता देशना प्रवृत्ते। (नदी सूत्रवत्ती)

उप्युक्त उद्धरणों से प्रतीत होता है कि कुछ विद्वान् मागधी का अधिक

प्रभाव मानते हैं और कुछ महाराष्ट्री अथवा शौरसेनी का। प्रभावा की 'मूलाधिकता' को प्रथम न देते हुए हम कह सकते हैं कि अधमागधी ने मागधी और मध्यदेशीय भाषाओं से कुछ ग्रहण कर तथा जनाचार्यों की उच्चतम प्रतिभाओं की सेवावृत्ति को लेकर अपने समय की सर्वोत्तम साहित्यिक भाषा बनने का गौरव प्राप्त किया है। समस्त जन धार्मिक साहित्य अधमागधी भाषा में लिखा गया है। शौरसेनी भाषा के प्रकाश में (साहित्यिक) आने से पूर्व ही इसमें पर्याप्त मात्रा में धार्मिक ग्रन्थ लिखे जा चुके थे। अधमागधी में उपरिर्कषित दोनों भाषाओं की विशेषताओं के साथ साथ अपनी भी मौलिक विशेषताएँ हैं जो निम्न प्रकार से हैं—

ध्वनि तत्त्व—(१) स्वर और 'यञ्जनो' की दृष्टि से यहाँ मागधी और शौरसेनी के माग का ही अनुसरण किया है। अतः केवल इतना है कि ऊष्म ध्वनियों में से मागधी के शकार के स्थान पर शौरसेनी के सकार के प्रति अपनी अभिरुचि प्रकट की है—

संस्कृत	मागधी	अधमागधी
श्रावक	शावके	सावके
वेश	वेशे	वेसे
शृंगार	शिगारे	सिगारे

(२) अधमागधी में मागधी की तरह र का ल में परिवर्तन नहीं होता—कला > कला दारक > दारक।

(३) ऋकारांत धातुओं के अंत में आये व्त प्रत्यय के त के स्थान पर ड का आदेश होता है—

मृत > मड वृत > वड।

(४) दो स्वरो के मध्य आने वाले सघोष अल्पप्राण स्पर्श के लोप हो जाने पर उसके स्थान पर य श्रुति का आगम होता है—सागर > साअर > साअर वृत > कअ > कम गत > गअ > गय विशारद > विशारअ > विसारिय।

(५) कहीं कहीं स्वर मध्यस्थ अल्पप्राण धातु ध्वनि अल्पप्राण सघोष ध्वनि में परिवर्तित हो जाती है यथा—लाकस्मिन (लोक) > लोगसि।

(६) क के स्थान पर ग का आगम होता है—

श्रावक > सावक अशोक > असोक अहक > हगे।

(७) दत्त ध्वनियों को भूध-यादेश की प्रवृत्ति अधमागधी की विशेषताओं में एक मानी जाती है—

मृत > मडे वृत > वडे।

रूप तत्त्व—(१) कर्ता कारक के एकवचन में शौरसेनी और महाराष्ट्री की तरह अन्त में ओ तथा मागधी के समान ए' होता है—

सकृत	मागधी	शौरसेनी	अधमागधी
श्रावक	शावके	सावको	सावके/सावको
भद त	भ'त	भदन्तो	भदन्ते/मदन्तो
श्रमण	शमणे	समणो	समणे/समणो

(२) सप्तमी के एकवचन के 'स्मिन् के स्थान पर असि का प्रयोग मिलता है—

लोकस्मिन् > लोगसि/लोगसि,
तस्मिन् > तसि, अस्मिन् > असि ।

(३) कम्म' धम्म के तृतीया एकवचन में उणा प्रत्यय का प्रयोग मिलता है—कम्मणा, धम्मणा ।

(४) उपसर्गों में कही कही अत्य वण तथा कही केवल अन्त्य स्वर का लोप देखा जाता है—

इति > ई प्रति > पत ।

(५) त्वा और ल्यप् के स्थान पर अधमागधी में क्रमश इत्तु और टट्टु का प्रयोग होता है—

श्रुत्वा > सुणित्तु पात्वा > जाणित्तु,
कृत्वा > कटट्टु अपहृत्य > अवहट्टट्टु ।

(६) 'तुमुन्न'त प्रत्ययों का प्रयोग अधमागधी में पूर्वकालिक क्रिया के समान होता है—कर्तुम > कारुं का प्रयोग कृत्वा' के स्थान पर मिलता है ।

(७) डा उदयनारायण तिवारी ने पूर्वकालिक क्रिया के लिए 'त्ता और च्चा प्रत्ययों के प्रयोग का उल्लेख भी किया है ।

महाराष्ट्री

प्राचीन व्याकरणों का यह अभिमत था कि दक्षिण की ओर अग्रसर होने वाले आय जिस वाली का प्रयोग करते थे, उसका साहित्यिक रूप ही महाराष्ट्री प्राकृत है और इसी से आधुनिक विद्वान् मराठी भाषा का उदभव भी सिद्ध करने का यत्न करते हैं । हाल ही में डॉ मनमोहन घोष की खोज के पश्चात् आधुनिक विद्वद्बग की प्रवृत्ति इस दिशा की ओर भी चिन्तन करने लगी है कि महाराष्ट्री प्राकृत पूर्वकथित तत्कालीन प्राकृत भाषाओं के समानान्तर चलने वाली स्वतंत्र रूप से विकसित भाषा विशेष न होकर शौरसेनी प्राकृत से विकसित या उसका पश्चकालीन स्वरूप है और इस भाषा का विकास शूरसेन प्रदेश में न होकर उसी प्रकार महाराष्ट्र प्रदेश में हुआ जिस प्रकार खड़ी बोली दक्खणी हिंदी' या 'रिस्ता' के नाम से दक्षिण में विकसित होनी रही और

प्रभाव मानते हैं और कुछ महाराष्ट्री अथवा शौरसेनी का। प्रभावों की यूनाधिकता का प्रथम न दते हुए हम कह सकते हैं कि अधमागधी ने मागधी और मध्यदशीय भाषाओं से कुछ ग्रहण कर तथा जनाचार्यों की उच्चतम प्रतिभाओं की सहायता को लेकर अपने समय की सर्वोन्नत साहित्यिक भाषा बनने का गौरव प्राप्त किया है। समस्त जैन धार्मिक साहित्य अधमागधी भाषा में लिखा गया है। शौरसेनी भाषा के प्रकाश में (साहित्यिक) आने से पूर्व ही इसमें पर्याप्त मात्रा में धार्मिक ग्रंथ लिखे जा चुके थे। अधमागधी में उपरिर्कथित दाना भाषाओं की विशेषताओं के साथ साथ अपनी भी मौलिक विशेषताएँ हैं जो निम्न प्रकार से हैं—

ध्वनि तत्त्व—(१) स्वर और व्यञ्जनो की दृष्टि से यहाँ मागधी और शौरसेनी के माग का ही अनुसरण किया है। अतः केवल इतना है कि ऊष्म ध्वनियाँ में से मागधी के शकार के स्थान पर शौरसेनी के सकार के प्रति अपनी अभिरुचि प्रकट की है—

सस्कृत	मागधी	अधमागधी
श्रावक	शावके	सावके
वेश	वेशे	वेसे
शृगार	शिंगारे	सिंगारे

(२) अधमागधी में मागधी की तरह र का ल में परिवर्तन नहीं होता—बला > कला दारक > दारय।

(३) ऋकारात् धातुओं के अन्त में आये क्त प्रत्यय के त के स्थान पर ड का आदेश होता है—

मृत > मड कृत > कड।

(४) दो स्वरों के मध्य आने वाले सघोष अल्पप्राण स्पर्श के सौप हा जाने पर उसके स्थान पर य श्रुति का आगम होता है—सागर > साअर > सायर कृत > बअ > बय गत > गअ > गय विशारद > विशारअ > विसारिय।

(५) वही-वही स्वर मध्यस्थ अल्पप्राण घोष ध्वनि, अल्पप्राण सघोष ध्वनि में परिवर्तित हो जाती है यथा—साक्स्मिन् (लाक्) > लोगसि।

(६) व' के स्थान पर ग का आगम होता है—

श्रावक > मावग, अशाक् > अमोग अहक् > हग।

(७) ऋत्य ध्वनियाँ को मूध-यादेश की प्रवृत्ति अधमागधी की विशेषताओं में एक मानी जाती है—

मृत > मडे कृत > कडे।

रूप तत्त्व—(१) कर्ता वारक के एकवचन में शौरसेनी और महाराष्ट्री की तरह अन्त में ओ तथा मागधी के समान ए' होता है—

सकृत्	मागधी	शौरसेनी	अधमागधी
श्रावक	शावके	सावको	सावके/सावको
भदत्	भते	भदन्तो	भदन्ते/भदन्तो
श्रमण	शमणे	समणो	समणे/समणो

(२) सप्तमी के एकवचन के 'स्मिन् के स्थान पर अस्ति' का प्रयोग मिलता है—

लोकस्मिन् > लोगसि/लोकसि,
तस्मिन् > तसि, अस्मिन् > अस्ति ।

(३) कम्म' धम्म के तृतीया एकवचन में उणा प्रत्यय का प्रयोग मिलता है—कम्मुणा धम्मणा ।

(४) उपसर्गों में कहीं कहीं अत्य घण तथा कही केवल अत्य स्वर का लोप देखा जाता है—

इति > ई, प्रति > पत ।

(५) त्वा और ल्यप के स्थान पर अधमागधी में क्रमश इत्तु और टटु' का प्रयोग होता है—

श्रुत्वा > सुणित्तु नात्वा > जाणित्तु,
कृत्वा > कटटु अपहृत्य > अवहटटु ।

(६) तुमुन'त प्रत्ययों का प्रयोग अधमागधी में पूर्वकालिक क्रिया के समान होता है—कतुम > काउं का प्रयोग कृत्वा' के स्थान पर मिलता है ।

(७) डॉ उदयनारायण तिवारी ने पूर्वकालिक क्रिया के लिए ता और च्चा प्रत्ययों के प्रयोग का उत्सर्ग भी किया है ।

महाराष्ट्री

प्राचीन वैयाकरणों का यह अभिमत था कि दक्षिण की ओर अग्रसर होने वाले आय जिस वाणी का प्रयोग करते थे उसका साहित्यिक रूप ही महाराष्ट्री प्राकृत है और इसी से आधुनिक विद्वान मराठी भाषा का उदभव भी सिद्ध करने का यत्न करते हैं । हाल ही में डॉ मनमोहन घोष की खोज के पश्चात् आधुनिक विद्वद्बग की प्रवृत्ति इस दिशा की ओर भी चिन्तन करने लगी है कि महाराष्ट्री प्राकृत पूर्ववर्षित तत्कालीन प्राकृत भाषाओं के समानान्तर चलन वाली स्वतंत्र रूप से विकसित भाषा विशेष न होकर शौरसेनी प्राकृत से विकसित या उसका पश्चकालीन स्वरूप है और इस भाषा का विकास मूरसन प्रदेश में न होकर उसी प्रकार महाराष्ट्र प्रदेश में हुआ, जिस प्रकार खड़ी बोली, दक्षिणी हिंदी या रेस्ता के नाम से दक्षिण में विकसित होती रहा और

पुन यह भाषा सही बोली हिन्दी की तरह अपनी जन्मभूमि में लौट आई तथा जिस प्रकार आज हिन्दी को स्वतंत्र भारत की राष्ट्रभाषा बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ठीक उसी प्रकार शौरसेनी के इस विकसित रूप को भी तत्कालीन समग्र भारत की साहित्यिक भाषा बनाने का गौरवमय पद प्राप्त हुआ। इसीलिए इसका नामकरण सस्वार अथ प्राकृतों की भाँति किसी प्रदेश विशेष के नाम पर न कर समस्त भारत के सूत्र 'राष्ट्र' शब्द के साथ महत् विशेषण पद का प्रयोग कर 'महाराष्ट्री' के नाम से किया गया। कतिपय विद्वानों का यह मत भी है कि डा. मनमोहन घोष ने जिस आधार पर महाराष्ट्री को शौरसेनी का पश्चकालीन विकसित रूप कहा है वह शौरसेनी की तुलना में उसकी अगली सीढ़ी को सूचना मात्र है। अतः इससे यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि यह भाषा भी अथ प्राकृतों की भाँति स्वतंत्र भाषा रही हो परन्तु किन्हीं कारणों से इसका विकास द्रुतगति से होता रहा हो और यह विकास अथ प्राकृतों की अवस्थाओं से कुछ त्वरित गति से गुजर कर आया हो।¹² इसी आधार को मानते हुये डा. चाटुर्ज्या ने भी स्वीकार किया है कि 'उपयुक्त दृष्टि से महाराष्ट्री प्राकृत एक प्रकार से शौरसेनी प्राकृत (जिसमें एकन स्थित स्वर मध्यस्थ स्पश केवल सघोष रूप में विद्यमान है) तथा शौरसेनी अपभ्रंश के बीच की ही एक अवस्था का नाम है।'¹³

मध्यकाल में महाराष्ट्री प्राकृत का अथ तत्कालीन प्राकृतों की तुलना में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है। प्राकृत वैयाकरणों ने महाराष्ट्री को ही आदर्श भाषा मान कर अथ प्राकृत भाषाओं की विवेचना प्रस्तुत की है क्योंकि उन भाषाओं का विशेषण प्रस्तुत कर अतः में लिख दिया गया है शेष महाराष्ट्रीवन्। सत्य तो यह है कि उस समय के काव्य शास्त्रज्ञों और वैयाकरणों ने प्राकृत शब्द का प्रयोग ही महाराष्ट्री भाषा के लिए किया है तथा अथ भाषाओं का शौरसेनी मागधी आदि नामों से उल्लेख किया गया है। इस भाषा की एक यह भी विशेषता है कि जब अथ प्राकृत भाषाओं का प्रयोग केवल सस्कृत नाटकों में ही मिलता है और वह भी निम्न या हीन वय के और स्त्री पात्रों के मुख से करवाया गया है वहाँ महाराष्ट्री का प्रयोग अनेक स्थानों पर उच्चवर्गीय पात्र भी करते हैं। सस्कृत नाटकों में गद्य के लिए शौरसेनी प्राकृत और पद्य के लिए महाराष्ट्री प्राकृत का प्रयोग हुआ है।

¹² अधिक विस्तार के लिए देखें डा० मनमोहन घोष—*Journal of The Department of letters* बलकृता विश्वविद्यालय अंक 23 1933 पृष्ठ 1-24 का उद्धरण—भारतीय अथभाषा और हिन्दी, पृष्ठ १०४।

¹³ वही पृष्ठ १०४।

दूसरी विशेषता यह है कि अथ प्राकृत भाषाओं में स्वतंत्र साहित्य का अभाव है, वहाँ महाराष्ट्री में अपना स्वतंत्र साहित्य भी है। 'रावण वही अथवा दहमुह वही और 'गड्ड वही जैसे प्रबन्ध काव्य तथा गाथा सतसई जैसे सरस मुक्तका की भाषा महाराष्ट्री प्राकृत ही है।

मसृष्ट को महाराष्ट्री की प्रकृति मान कर बंध्याकरणों ने इसकी निम्न लिखित विशेषताएँ निर्धारित की हैं—

ध्वयात्मक विशेषताएँ—(१) शौरसेनी प्राकृत में पाई जाने वाली प्रायः समस्त स्वर और व्यञ्जन ध्वनियाँ इस भाषा में भी प्राप्त होती हैं।

(२) स्वर मध्यस्थ अनादिभूत तथा असयुक्त क, त प च ग, द ब तथा य' का लाप महाराष्ट्री भाषा में पाया जाता है—

लोक > लोओ मुकुलम् > मउलो नकुल > णउलो, नौका > णीआ शची > सई, कचग्रह > कअग्रहो वचनम् > वअण सूची > सूई, वितानम् > विअण रसातलम् > रसा-अल, कतम् > किअ रिपु > रिऊ सुपुरुष > सुउरिसो कपि > कई विपुल > विउल नग > णओ नगरम् > णअरम् मृगाक > मअको सागर > साअर, यदि > जइ नदी > नई गदा > गआ मदन > मअणो, दयालु > दआलु, नयनम् > णअण वियोग > विआओ, वायुना > वाउओ दिवस > दिअहो, लावण्यम् > लाअण विवोध > विओहो जीव > जीओ।

(३) महाराष्ट्री प्राकृत में स्वर मध्यस्थ महाप्राण ध्वनियो— ख, थ फ घ ष, भ के स्थान पर ह का आदेश होता है, यथा—

मख > महो, मुखम् > मुह मेखला > मेहला नाथ > नाहो, गाथा > गाहा मियुनम् > मिहूण मुक्ताफलम् > मुत्ताहल, शेफालिका > सेहालिआ शफरी > सहरी मेघ > महो, जघनम् > जहण माघ > माहो साधु > साहू राधा > राहा, वधिर > वहिरो समा > माहा, आभरणम् > आहरण, शोभनम् > सोहण।

(४) महाराष्ट्री प्राकृत में स्वर मध्यस्थ मसृष्ट ट, ठ, ड के स्थान पर प्रमश ड ढ, ल' आदेश होते हैं, यथा—

नट > णटा भट > मडो घट > घडो मठ > मठो शठ > सडो कुठार > कुठारो, गरुड > गरुलो, तडाग > तलाओ क्रीडति > कीलइ।

(५) अनुस्वार स पर होने पर और कभी-कभी अनुस्वार के अभाव में भी ह को 'घ' आदेश होता है, यथा—

सिह > सिघो सहार > सघारो दाह > दाघो।

(६) प ब के स्थान पर महाराष्ट्री में 'व' देखा जाता है—

शापय > सवहो, शाप > सावो अलावू > अलावू, शबल > सबलो।

पुन यह भाषा सही बोली हिन्दी की तरह अपनी जन्मभूमि में लीट आई तब जिस प्रकार आज हिन्दी को स्वतंत्र भारत की राष्ट्रभाषा बनने का सीमा प्राप्त हुआ है, ठीक उसी प्रकार शौरसेनी के इस विकसित रूप को भी तत्कालीन समग्र भारत की साहित्यिक भाषा बनने का गौरवमय पद प्राप्त हुआ इसीलिए इसका नामकरण सस्कार अथ प्राकृतों की भाँति किसी प्रदेश विशेष के नाम पर न कर समस्त भारत के सूचक 'राष्ट्र' शब्द के साथ महत् विशेषण पद का प्रयोग कर 'महाराष्ट्री' के नाम से किया गया। कतिपय विद्वानों का यह मत भी है कि डा. मनमोहन घोष ने जिस आधार पर महाराष्ट्री को शौरसेनी का पश्चकालीन विकसित रूप कहा है, यह शौरसेनी की तुलना में उसकी अगली सीढ़ी की सूचना मात्र है। अतः इससे यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि यह भाषा भी अथ प्राकृतों की भाँति स्वतंत्र भाषा रही हो, परन्तु किन्हीं कारणों से इसका विकास द्रुतगति से होता रहा हो और यह विकास अथ प्राकृतों की अवस्थाओं से कुछ त्वरित गति से गुजर कर आया हो।¹² इसी आधार को मानते हुये डा. चाटुर्ज्या ने भी स्वीकार किया है कि 'उपर्युक्त दृष्टि से महाराष्ट्री प्राकृत एक प्रकार से शौरसेनी प्राकृत (जिसमें एकक स्थित स्वर मध्यस्थ स्पश केवल सघोष रूप में विद्यमान हैं) तथा शौरसेनी अपभ्रंश के बीच की ही एक अवस्था का नाम है।'¹³

मध्यकाल में महाराष्ट्री प्राकृत का अथ तत्कालीन प्राकृतों की तुलना में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है। प्राकृत समाकरणा ने महाराष्ट्री को ही आदर्श भाषा मान कर अथ प्राकृत भाषाओं की विवेचना प्रस्तुत की है क्योंकि उन भाषाओं का विश्लेषण प्रस्तुत कर अतः में लिख दिया गया है 'शेष महाराष्ट्रीवत्'। सत्य तो यह है कि उस समय के काव्य शास्त्रज्ञों और वैयाकरणों ने प्राकृत शब्द का प्रयोग ही महाराष्ट्री भाषा के लिए किया है तथा अथ भाषाओं का शौरसेनी, मागधी आदि नामों से उल्लेख किया गया है। इस भाषा की एक यह भी विशेषता है कि जब अथ प्राकृत भाषाओं का प्रयोग केवल ससृष्ट नाटकों में ही मिलता है और वह भी निम्न या हीन वर्ग के और स्त्री पात्रों के मुख से करवाया गया है, वहाँ महाराष्ट्री का प्रयोग अनेक स्थानों पर उच्चवर्गीय पात्र भी करते हैं। ससृष्ट नाटकों में गद्य के लिए शौरसेनी प्राकृत और पद्य के लिए महाराष्ट्री प्राकृत का प्रयोग हुआ है।

¹² अधिक विस्तार के लिए देखें डा० मनमोहन घोष—Journal of The Department of letters कलकत्ता विश्वविद्यालय अंक 23 1933 पृष्ठ 1-24 का उद्धरण—भारतीय आयभाषा और हिन्दी, पृष्ठ १०४।

¹³ वही पृष्ठ १०४।

दूसरी विशेषता यह है कि अथ प्राकृत भाषाओं में स्वतंत्र साहित्य का अभाव है, वहाँ महाराष्ट्री में अपना स्वतंत्र साहित्य भी है। रावण वहो' अथवा 'दहमुह वहो' और 'गण्ड वहो' जैसे प्रबन्ध काय तथा 'गाथा सतसई' जैसे सरस मुक्तको की भाषा महाराष्ट्री प्राकृत ही है।

संस्कृत को महाराष्ट्री की प्रकृति मान कर बँयाकरणों ने इसकी निम्न लिखित विशेषताएँ निर्धारित की हैं—

ध्व-यात्मक विशेषताएँ—(१) शौरसेनी प्राकृत में पाई जाने वाली प्रायः समस्त स्वर और व्यञ्जन ध्वनियाँ इस भाषा में भी प्राप्त होती हैं।

(२) स्वर मध्यस्थ, अनादिभूत तथा असंयुक्त क, त प च, ग द, ब तथा य का लोप महाराष्ट्री भाषा में पाया जाता है—

लोक > लोओ, मुकुलम् > मउलो, नकुल > णउलो, नोका > णोआ, शची > सई कचग्रह > कअगग्रहो, धवनम > वअण सूची > सूई, वितानम > विआण रसातलम् > रसा-अल कतम > किअ, रिपु > रिऊ सुपुष्प > सुउरिसो वपि > वई विपुल > विउल, नग > णओ नगरम > णअरम् मृगाक > मअको सागर > साअर, यदि > जइ, नदी > नई गदा > गआ मदन > मअणो, दयालु > दयालू नयनम > णअण, वियोग > विओओ, वायुना > वाउओ दिवस > दिअहो, लावण्यम > लाअण्ण, विबोध > विओहो जीव > जीओ।

(३) महाराष्ट्री प्राकृत में स्वर मध्यस्थ महाप्राण ध्वनियो— ख, थ, फ घ, ध, भ के स्थान पर 'ह' का आदेश होता है, यथा—

मख > महो, मुखम > मुह मेखला > मेहला नाथ > नाहो गाथा > गाहा मिथुनम > मिहुण मुक्ताफलम > मुत्ताहल, शोफालिका > शेहालिआ, शफरी > सहरी, मेघ > मेहो जघनम > जहण माघ > माहो साधु > साहू राधा > राहा, वधिर > वहिरो, सभा > साहा, आभरणम् > आहरण, शोभनम > सोहण।

(४) महाराष्ट्री प्राकृत में स्वर मध्यस्थ संस्कृत ट ठ, ड के स्थान पर प्रमश ड ढ ल' आदेश होते हैं, यथा—

नट > णडो, भट > मडो घट > घडो, मठ > मठा शठ > सडो कुठार > कुठारो गरुड > गरुलो तडाग > तलाओ क्रीडति > कीलड।

(५) अनुस्वार से पर होने पर और कभी-कभी अनुस्वार के अभाव में भी 'ह' को 'घ' आदेश होता है यथा—

सिह > सिघो सहार > सघारो, दाह > दाघो।

(६) 'प व के स्थान पर महाराष्ट्री में व देखा जाता है—

शपय > सबहो, शाप > सावो, अलावू > अलावू, शबल > सबलो।

(७) महाराष्ट्री म ऋकार के स्थान पर ऋमश अ, इ उ तीनों ही मिलते हैं, यथा—

पृतम् > पअ, तृणम् > तण, वपभ > वसहो, कृपा > किवा, दुष्टम् > दिठठ
सुष्टि > सिट्टी, ऋतु > उट्ट, ऋपभ > उसहो, पृष्ठम > पुठठ ।

रूपात्मक विशेषताएँ—(१) महाराष्ट्री प्राकृत म तीन लिङ्ग तथा दो वचन उपलब्ध होते हैं । ऋकारको म चतुर्थी को छोड़ कर सभी ऋकारको का प्रयोग उपलब्ध होता है । चतुर्थी के स्थान पर पृष्ठी विभक्ति का प्रयोग दक्षन में आता है ।

(२) प्रथमा विभक्ति के एकवचन म मागधी म ए अपभ्रंश में उ का जहाँ पर आदेश होता है वहाँ पर महाराष्ट्री म ओ' उपलब्ध होता है, यथा—

देवो, हरिअदो नभो आदि ।

(३) अपादान एकवचन म अहि विभक्ति प्रत्यय का विकास महाराष्ट्री की अपनी मौलिक विशेषता है, यथा—

दूरात > दुराहि देवात > देवाहि भतु > भत्ताराहि । (हेमचन्द्रानुसार)

(४) अधिकरण कारक के एकवचन के रूप 'म्' अथवा ए विभक्ति प्रत्यय से निष्पन्न होते हैं, यथा—

देव > देवेम्मि, गिरी > गिरिम्मि गुरो > गुहम्मि लोकस्मिन् > लोअम्मि/
सोए भतरि > भत्तारम्मि/भत्तारे ।

(५) 'आत्मन' का विकास शौरसेनी में जहाँ 'अत्ता के रूप में होता है वहाँ महाराष्ट्री म अप्पा के रूप में हुआ है ।

(६) महाराष्ट्री म गणभेद की व्यवस्था नहीं की जाती । अदत्त धातुओं को छोड़ कर शेष धातुओं के लिए 'आत्मनेपदी और परस्मपदी' का भेद नहीं माना जाता ।

(७) कृ धातु रूपों पर सीधा छादस का प्रभाव लक्षित होता है, यथा—

कृणोति > कुणई । सस्वृत 'करोति' ।

(८) कमवाच्य में जहाँ शौरसेनी में 'ए मिलता है वहाँ महाराष्ट्री म 'इज्ज मिलता है यथा—

पृच्छयते > पुच्छिज्जइ गम्यते > गमिज्जइ ।

(९) पूर्वकालिक क्रिया का रूप क्त्वा के स्थान पर तूण (ऊण) आदेश होता है यथा—

पृष्ट्वा > पुच्छिऊण कृत्वा > काऊण, गृहीत्वा > घेतूण ।

(१०) 'इदमथ' में प्रयुक्त प्रत्ययो के स्थान पर महाराष्ट्री में 'केर' शब्द का प्रयोग मिलता है, यथा—

मुष्मदीय > तुम्हकेरो, अस्मदीय > एम्हकेरो ।

पशाची

पैशाची किस प्रदेश विशेष में बोली जाती थी विद्वान् मण्डली अभी तक किसी पुष्ट णिणय पर नहीं पहुँच पाई है । प्राचीन संस्कृत साहित्य में पिशाच प्रदेश के नाम से अनेक स्थानों का उल्लेख उपलब्ध होता है, यथा—

पाण्डय ककय बाल्लीक, सिंह नेपाल कुतला ।

सुदेष्ण-वीट गघार हैव कनौजनास्तथा ।

एते पिशाचणेशा स्युस्तद्देश्यस्तद गुणो भवेत् ॥¹⁴

उपयुक्त श्लोक में वर्णित प्रदेशों में कई नाम ऐसे भी हैं जिनकी पहचान अब तक नहीं हो सकी ।¹⁵

हानल इसे दक्षिण में द्रविड परिवारों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा बताते हैं । ग्रियसन इसे कश्मीर प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा का पुराना रूप मानते हैं । राजशेखर ने 'कायमीमासा' में एक पुराना श्लोक उद्धृत किया है, जिसमें उस समय किस प्रदेश में कौनसी भाषा बोली जाती थी का उल्लेख है । उक्त श्लोक में 'मरुभूमि टक्क' (दक्षिण-पश्चिम पंजाब) और भादानक के प्रदेश पैशाची भाषा भाषी कह गये हैं । प्राचीन आचार्यों ने पैशाची के लिए भूतभाषा शब्द का (सम्भवतः पिशाच के मिथ्या सादृश्य के कारण) प्रयोग भी किया है । प्राकृत वैयाकरणों ने पिशाची के अनेक भेदों का उल्लेख किया है । डॉ. ग्रियसन ने राम शर्मा का उल्लेख करते हुए अपने भाषा सर्वेक्षण ग्रन्थ में इसके सात भेद दिए हैं । हेमचन्द्र ने केवल 'चूलिका' पशाची का ही उल्लेख किया है । माकण्डेय ने तीन भेद किए हैं । इस प्रकार विभिन्न वैयाकरणों ने भिन्न भिन्न प्रकार से इसके भेद किए हैं । इसका कारण सम्भवतः यही हो सकता है कि यह भाषा मूल रूप में तो एक ही रही होगी पर इसका प्रभाव समीपस्थ अन्य बोलियों पर गम्भीर रूप से पड़ा है और इसी आधार पर प्राकृत वैयाकरणों ने उन प्रांता के नाम पर उसे पैशाची का भेद मान लिया । यह अनुमान अभी तक किया जा सकता है जब तक इस भाषा का कोई लिखित साहित्य उपलब्ध नहीं हो जाता । अब तक यह भी सम्भावना की जा सकती है कि यह अपने समय की एक प्रभावशाली साहित्यिक भाषा

¹⁴ हिंदी भाषा और साहित्य, पृष्ठ १८ ।

¹⁵ वही, पृष्ठ १८ ।

रही हो और इसकी अनेक विभाषाएँ भी हो। यह सब निश्चित रूप से तभी कहा जा सकता है जबकि इसका कोई किसी प्रकार का साहित्य भी उपलब्ध हो सके। विद्वानों का अनुमान है कि सस्वृत में अनूदित 'गुणाढ्य' की बृहत् कथा' मूलतः पँशाची भाषा में ही लिखी गई थी जो किन्हीं कारणों से काल-व्यवहित हो गई लगती है। प्राकृत व्याकरणों के अनुसार इसकी निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएँ हैं—

ध्व-पाठमक विशेषताएँ—(१) दो स्वरों के मध्य आने वाले सघोष स्पश व्यञ्जनो को अघोष स्पश व्यञ्जनो का आदेश हो जाता है यथा—

गगनम् > गवन, मेघ > मेघो वारिद > वारितो राजा > राचा, निशर > निच्छरो वडिशम > वटिस माधव > माधवो सरभसम् > सरफस दामोदर > तामोदरो।

(२) पँशाची में सयुक्त व्यञ्जनो को सस्वर कर देने की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। हिन्दी में इस प्रवृत्ति को 'स्वर भक्ति' के नाम से व्यवहृत करते हैं, यथा—

स्नानम् > सनान स्नेह > सनेहो कष्ट > कसट भार्या > भारिया हृदयकम् > हितपक, क्रियते > कीरते।

(३) पँशाची में 'ल' के स्थान पर ल आदेश की बात प्राकृत-व्याकरण में बही गई है, यथा—

सलिलम् > सलिल कमलम् > कमल।^{१०}

(४) पँशाची में 'श ष' के स्थान पर कही स और कही कही श भी उपलब्ध होता है यथा—

शोभते > सोभति शशि > ससि, दशवदन > दसवतनो विपम विसमो विपाण > विसानो, वष्टम् > वसट। वडिशम > वटिशम्।

(५) पँशाची में कही-कही र के स्थान पर ल भी मिलता है। बहुत सम्भव है कि यह प्रभाव इस पर मागधी का रहा हो, यथा—

रुद्रम् > लुद्र तक्षणी > तलुनी कुमार > कुमालो।

(६) पँशाची में ण के स्थान पर न का आदेश होता है, यथा—
गुणपण > गुणगुनो गुणेन > गुनेन।

रूप-पाठमक विशेषताएँ—(१) पँशाची में पचमी एकवचन के 'इति के स्थान पर 'आतो और आतु का आदेश अकारणत शब्दों के साथ होता है, यथा—
तुमातो, तुमातु (त्वत्) ममातो ममातु (मत्)।

^{१०} प्राकृत व्याकरण, पृष्ठ २००।

(२) पशाची मे 'तेन' तथा 'अनेन' दोनो के स्थान पर केवल 'नेन' उपलब्ध होता है। स्त्रीलिङ्ग मे 'नाए' मिलता है।

(३) पँशाची मे कर्मवाक्य मे 'इय्य' का आदेश किया जाता है, यथा—
रम्यते > रमिष्यते पठयते > पठिष्यते।

(४) पँशाची मे क्त्वा के स्थान पर तून का आदेश किया जाता है, यथा—

गत्वा > गतून हसित्वा > हसितून चलित्वा > चलितून।

(५) पशाची मे भविष्यत् काल मे स्सि का आदेश न होकर एय्य का आदेश होता है, यथा—

भविष्यति > ह्वेय्य पठिष्यति > पठेय्य।

अपभ्रंश भाषा

अपभ्रंश का समय—अपभ्रंश से तात्पर्य—अपभ्रंश और देशी शब्द—क्या अपभ्रंश देशी भाषा थी—अपभ्रंश का इतिहास—अपभ्रंश के अनेक भेदोपभेद—अपभ्रंश साहित्यिक भाषा के रूप में एक जगह अनेक धोलियों के अवशेष मिलते हैं—अपभ्रंश के चार भेद और उनका निराकरण, अपभ्रंश के तीन भेद और उनका निराकरण, अपभ्रंश के दो भेद और उनका निराकरण—एक शुद्ध साहित्यिक अपभ्रंश की पुष्टि ।

अपभ्रंश का समय

अपभ्रंश शब्द का प्रयोग दो अर्थों में उपलब्ध होता है—एक तो संस्कृत से विवृत तदभव शब्दावली के लिए द्वितीय एव भाषा विशेष के अर्थ में। जहां तक तदभव रूपा के लिए इसके प्रयोग का सम्बन्ध है सबप्रथम महाभाष्यकार पतञ्जलि ने इसका प्रयोग किया है—भूयासोऽपशब्दा जल्पीयास शब्दा इति। एकवस्य हि शब्दस्य बहुवाऽपभ्रंशा। तद्यथा गौरित्यस्य शब्दस्य गावी गोणी गोता गोपोतलिवेरयादयो बहुवोपभ्रंशा।¹ विद्वानो ने पतञ्जलि का समय ई० पू० दूसरी शताब्दी माना है। यदि पतञ्जलि को प्रमाण मानें तो उन्होंने एक सग्रहकार व्याडि का उल्लेख किया है जिसने अपभ्रंश की प्रवृत्ति संस्कृत को माना है²—पर उसका कोई ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है—अपभ्रंश का इस अर्थ में प्रयोग और भी पहले ले जाया जा सकता है। यहाँ पर यह स्पष्ट करना वाञ्छनीय होगा कि जिस भाषा विशेष का समय हम निश्चित करना चाहते हैं उससे इन प्रमाणों का कोई सम्बन्ध नहीं है।

अपभ्रंश भाषा का माकेतिक अर्थ में प्रयोग सबप्रथम तृतीय शताब्दी में भरत मुनि ने नाटयशास्त्र में किया है। भरत मुनि ने जिस उच्चारण बहुला भाषा का उल्लेख किया है वह अपभ्रंश भाषा ही है पर भरत मुनि ने इसे अपभ्रंश न कहकर 'उच्चारण बहुला भाषा' कहकर ही काम निवाला लिया है।³ हाँ, विभ्रष्ट शब्द का प्रयोग अवश्य ही लक्षणीय है।⁴ इससे स्पष्ट है कि भरत मुनि के समय में अपभ्रंश भाषा प्रकाश में आ चुकी थी पर उसका नामकरण संस्कार अब तक नहीं हो पाया था। इस हीन एव जगली लोगों की ही भाषा कहा जाता था पर नाटका में उसके प्रयोग का अधिकार अवश्य सुरक्षित हो गया था।⁵ भरत मुनि का उच्चारण बहुला भाषा से जिस भाषा का तात्पर्य था यदि इसका सूक्ष्म विश्लेषण करें तो प्रतीत होगा कि आभीरादि लोगों की भाषा को ही वे इस लक्षण से लक्षित

¹ महाभाष्य—१११

² शब्दप्रवृत्तिरपभ्रंश इति सग्रहकार । (वाक्यपदीयम्—वाण्ड १, कारिका १४८) ।

³ हिमवत्सिधु-सौवीरान येऽप्येभान् समाश्रिताः । (ये जनाः समुपाश्रिताः) । उच्चारण बहुला तेषु नित्यं भाषा प्रयोजयत् । (भरत नाटयशास्त्र १७/६२) ।

⁴ समानशब्द विभ्रष्ट देशीगतमयापि च । (भरत नाटयशास्त्र १०/३) ।

⁵ भरत नाटयशास्त्र १७।५० ।

करते हैं क्योंकि विभाषाओं की गणना करते समय द्वा. आभीरी की भी गणना की है—

‘शकाराभीर पाण्डाल शबर द्रमिलाधजा ।

हीना वनेचराणा ष विभाषा नाटके स्मृता ॥’^०

अब यदि हम उन विद्वानों के विचारों का विश्लेषण करें जिन्होंने स्पष्ट रूप से अपभ्रंश भाषा का उल्लेख किया है, तो विदित होगा कि वह कोई अन्य भाषा नहीं है बल्कि भरत मुनि द्वारा उल्लिखित उकार बहुता भाषा ही है। अपभ्रंश शब्द का भाषा विशेष के लिए स्पष्ट उल्लेख सप्रथम व्याकरण में ‘चण्ड ने’ तथा काव्यशास्त्रियों में भामह^६ ने किया है। इनका समय विद्वानों १ छठी शताब्दी ई० माना है। अतः स्पष्ट है कि छठी शताब्दी में अपभ्रंश का प्रयोग एक भाषा विशेष के लिए प्रारम्भ हो गया था। चण्ड १ उसके रूप सम्बद्ध लक्षण को बताते हुए उल्लेख किया है और भामह ने भाषाओं की गणना करते समय सस्मृत और प्राकृत के पश्चात् उसका उल्लेख किया है। इन दोनों ही महानुभावों ने विस्तार से कुछ नहीं कहा बस केवल संकेत मात्र ही दिया है।

सातवीं शताब्दी में दण्डी ने अपभ्रंश का उल्लेख करते हुए दो विशेषणों का प्रयोग किया है—(१) आभीरादि गिर और (२) सस्मृतादयत् । इनका यदि विश्लेषण करें तो अचानक ही दण्डी से चार सौ वर्ष पूर्व उत्पन्न भरत मुनि की स्मृति आ जाती है जिन्होंने इनकी भाषा का उल्लेख किया है और अप्रत्यक्ष रूप से नाटका में उसके प्रयोग का संकेत भी। दण्डी का सम्पूर्ण पद इस प्रकार है^७—

आभीरादि गिर कायेष्वपभ्रंश इति स्मृता ।

शास्त्रेषु सस्मृतादयदपभ्रंश तमोन्तितम् ॥

उक्त पद में दण्डी की आभीरादि गिर भरत मुनि की शकाराभीर^८ आदि विभाषाओं से भिन्न कुछ नहीं है। नाट्यशास्त्र के भाष्यकार अभिनव गुप्तपाद प्राकृतों से अपभ्रंश रूप की विभाषा कहते हैं^९ ऐसा बताकर स्पष्ट कर देते हैं कि भरत मुनि का विभाषाओं से तात्पर्य अपभ्रंश और उसकी

^० भरत नाट्यशास्त्र १७।५० ।

^७ (क) न लोपोऽपभ्रंशोऽधोरेफस्य (प्रा ल ३ ३७) (ख) सस्मृत प्राकृत धेवापभ्रंशोऽथ पिशाचिकी ।

^८ सस्मृत प्राकृत चायदपभ्रंश इति त्रिधा । (कायालकार १/१६)

^९ श्री दण्डी कृत कायादश १/३६ ।

^{१०} भाषा सम्भूतापभ्रंशो भाषापभ्रंशस्तु विभाषा, १७/४६ ५० की विवृति ।

पर अधिकार प्राप्त करने में अपना गौरव समझने लगे थे। राजा घरसेन द्वितीय का ताम्रपत्र इसका प्रमाण है जिसमें उसने अपने पिता गुहगेन को संस्कृत प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं की प्रवृत्तताओं में निपुण कहा है।¹³ इसी शताब्दी में चण्ड को अपभ्रंश की व्याकरणात्मक विशेषता पर कुछ लिखना पड़ा। उस समय से लेकर ई० की बारहवीं शताब्दी तक अपभ्रंश भारत की एकमात्र साहित्यिक भाषा के रूप में विद्वज्जना के गलत हार बनो रही। अनेक प्राकृत व्याकरणा ने इसका व्याकरण लिखकर निमग्न बंध किया। इनमें हेमचंद्र का लिखा हुआ व्याकरण सबसे अधिक लोकप्रिय हुआ तथा उसमें बारहवीं शताब्दी तक की अपभ्रंश भाषा की सभी प्रवृत्तियों को समाविष्ट किया गया है। इसमें कोई दावा नहीं है कि हेमचंद्र जब अपभ्रंश का व्याकरण लिख रहे थे उस समय अपभ्रंश पूर्ण परिनिष्ठित शिष्टा की भाषा¹⁴ का स्थान ग्रहण कर चुकी थी और अपने चरमोत्कर्ष पर थी।

इसी काल के आस पास विद्वानों एवं कलाकारों का ध्यान बोलिया की ओर आकर्षित होता हुआ सा लगता है तथा अनेक ग्राम्य प्रयोग भाषा में प्रवेश पाने लगते हैं।

अपभ्रंश साहित्य का भ्रम

जहाँ तक अपभ्रंश भाषा का सम्बन्ध है उसका कोई भी प्रणालीबद्ध भाषा वैज्ञानिक अध्ययन हम उपलब्ध नहीं है। परिनिष्ठित अपभ्रंश का साहित्य तो मिलता है पर उसकी बोलिया के किसी प्रकार के भी विश्वस्त प्रमाण उपलब्ध नहीं होते। अतः प्राप्त साहित्य के आधार पर ही जहाँ कहीं उसमें जनपदीय बोलियों का पुट आ गया है उससे ही हम उसकी बोलियों का अनुमान लगाना पड़ता है जिसकी प्रामाणिकता को कभी भी सिद्ध नहीं कहा जा सकता। यही कारण है कि विद्वान् लोग आज तक किसी सवभाष्य नियम पर नहीं पहुँच सके हैं कि साहित्यिक अपभ्रंश कितने रूपों में प्रचलित थी और उसकी कितनी बोलिया उस समय अस्तित्व में थी। अतः कुछ विद्वान केवल एक परिनिष्ठित अपभ्रंश को ही स्वीकार करते हैं और बोलियों का अथवा विभाषाओं का अस्तित्व स्वीकार करने को तयार नहीं हैं। कुछ विद्वान परिनिष्ठित अपभ्रंश के जो ग्रन्थ अब तक खोजे जा सके हैं, उन्हीं की भाषा को यत्किञ्चित् क्षेत्रीय प्रभाव के कारण कोई चार में कोई तीन में तथा कोई दो रूपों में विभाजित कर अपने कतव्य की इतिश्री समझ लेते हैं और कुछ

¹³ संस्कृत प्राकृत-अपभ्रंश—भाषात्रय प्रतिबद्ध, प्रवृत्त रचना—निपुणात्करण (हि वि अ यो, पृष्ठ २३ से उद्धृत)।

¹⁴ शेष शिष्टप्रयोगात् (पुरुषोत्तम १७/६१)।

विद्वान् वतमान समय तक प्राप्त प्रायः की भाषा को कृत्रिम अथवा विद्वज्जन निमित्त भाषा कह कर उस पर सदेह वा जावरण डाल, विषय को अधिक दुर्लभ बना देते हैं। यह मत वैभिय केवल आधुनिक भाषा शास्त्रियों में ही हो, ऐसी बात नहीं है। संस्कृत काव्य शास्त्रियों एवं साहित्यकारों तथा प्राकृत व्याकरणों में भी जिन्होंने प्राकृत भाषा के साथ साथ अपभ्रंश पर भी अपने विचार प्रकट किए हैं, यह मत भिन्नता उपलब्ध होती है।

‘देशी’ शब्द का प्रचलन

इस मत वैभिय का सबसे बड़ा कारण, जो मैं समझता हूँ वह पूर्व परम्परा से चला आता हुआ संस्कृत काव्य शास्त्रियों एवं व्याकरणों द्वारा प्रयुक्त ‘देशी’ शब्द है। पतञ्जलि के अनुयायियों ने इसका प्रयोग केवल उन शब्दों के लिए किया है जिनका उदगम संस्कृत से नहीं हुआ तथा जिन्हें संस्कृत व्याकरण के नियमों के द्वारा सिद्ध न किया जा सके तथा जो न तत्सम हैं और न तद्भव। इस स्पष्ट होता है कि ये व शब्द थे जो आभभाषाओं से उदगत न होकर साहचर्य के कारण अनाय भाषाओं से प्राकृतादि भाषाओं में आ गए थे। डा तगारे ने विद्वानों का उद्धरण देते हुए इस सम्बन्ध में लिखा है—

As Pischel points out the term Desi, Desya Desimata, Desiprasidh denote heterogeneous element (Pischel Grammatika §9) It is used for a class of vocabulary as distinct from Tss and Tbhs in Bharat 173 In 6th century A D Canda uses the words Desiprasidh for a class of non Sanskrit words and not for a dialect (Historical Grammar of Apbhraṅsh, page 5)

कुछ समय पश्चात् काव्य शास्त्रियों एवं प्राकृत व्याकरणों द्वारा इसका प्रयोग इतने घटल एव स्वच्छ दत्ता के साथ किया जाने लगा कि यह अपनी एकाधत्व शक्ति खो बठा। वही इसका प्रयोग उपरिक्थित शब्द विशेष के लिए हुआ तो कहीं इसका प्रयोग देश में प्रचलित समस्त आय एवं अनाय बालियों के लिए और कहीं इसका प्रयोग केवल आय भाषाओं से उदगत बालियों के लिए हुआ है। माकण्डेय द्वारा अपभ्रंश को देशी भाषा मानकर उसके भेदा का परिगणन करते समय उनमें द्राविडी की भी शामिल करना यह प्रकट करता है कि वह संस्कृत प्राकृतेतर भरत खण्ड में बोली जाने वाली सभी बोलियाँ एवं भाषाओं को देशी भाषा मानकर चक्षता है।¹⁵ भरत का

¹⁵ हिन्दी के विकास में अपभ्रंश का योग—डा० नामवरसिंह, पृ० ५०।

संस्कृततर प्राकृत अपभ्रंशदि भाषाभाषा को देश भाषा मानना तथा शाबरी एव द्राविडी को भी देश भाषा कहकर उनका अपभ्रंश स अ तर स्पष्ट करना यही सूचित करता है कि यह भी संस्कृततर सभी बोलिया जोर भाषा विभाषाभाषा (आय अनाय) को जो उस समय प्रचलित थी, समान दर्जा देता है।¹⁶

पट्टरतावादी विद्वान् शिष्ट जन प्रयुक्त साहित्य की भाषा को वाणी और जनसाधारण द्वारा व्यवहृत भाषा को लोक भाषा के नाम से अभिहित करते थे। पाणिनि और पतञ्जलि ने संस्कृत को लोक भाषा कहा है।¹⁷ इस पश्चात् हुये भरतादि विद्वानो ने प्राकृत को भाषा (लोक) कहा है।¹⁸ तत्पश्चात् के विद्वानो ने अपभ्रंश का भाषा (लोक) के नाम से अभिहित किया।¹⁹ यही तक आते आते 'लोक' शब्द का स्थान देशी या देश शब्द ने ले लिया और इस प्रकार प्राकृत एव अपभ्रंश तथा इसके बाद अपभ्रंश की बोलिया क लिए देशी भाषा अथवा देश भाषा का प्रयोग किया जाने लगा।²⁰ अतः इससे

¹⁶ अत ऊर्ध्व प्रवक्ष्यामि देशभाषाविकल्पनम् (भरत नाट्यशास्त्र, १७।२३)। शौरसेन समाश्रित्य भाषा कार्या तु नाटक।

(अथवाच्छदत कार्या देशभाषा प्रयोक्तृभिः । नाना देशसमुक्त हि काव्य भवति नाटके) आभीरोक्ति शाबरी स्यात् द्राविडी द्राविडादिषु (भरत नाट्यशास्त्र १७।२४-४६ ४७-५५)

¹⁷ केपा शब्दानाम् ? लौकिकानाम् वदिकानाम् च । तत्र लौकिकास्तावद— गौरश्व पूरुषो हस्ती ब्राह्मण इति । वदिका सत्वपि श नो देवीरभिष्टये । आगे लिखते हैं—तेऽसुरा । इत्यादि (महाभाष्य १।१।१) ।

¹⁸ एतदेव विषयस्त गुण-संस्कार विवर्जितम् । विनेय प्राकृत पाठय नानावस्थातरत्तमम् ॥ त्रिविध तच्च विज्ञय नाट्ययोगे समासत । समान शब्द विभ्रष्ट देशी गतमथापि च ॥ मागध्यवर्तिजा प्राच्या शौर सेयधमागधी । बाह्लीका दाक्षिणात्या च सप्तभाषा प्रकीर्तिता ॥

(भरत नाट्यशास्त्र, १७।२३ ४६)

भरत नाट्यशास्त्र के व्याख्याता अभिनव गुप्तपाद ने भाषा का लक्षण इस प्रकार दिया है—भाषा संस्कृतापभ्रंशस्तु विभाषा सा तत्तद्देश एव गह्वर वासिना प्राकृतवासिना च एता एव नाटय तु । (भरत नाट्यशास्त्र १७ २ ४६)

¹⁹ प्राकृत संस्कृत मागध पिशाच भाषाश्च शूरसेनी च । पठोत्र भूरिभेदो देश विशेषादपभ्रंश ॥ (काव्यालंकार, २।१२)

²⁰ नाट्यत संस्कृतेनव नाट्यत देशभाषया । कथा गोष्ठीषु कथयन् लोके बहुमतो भवेत् । (वात का सू, १४।५०)

पठोऽन भूरि भेदो देश विशेषादपभ्रंश । (काव्यालंकार २।१२) [इन दोनो म क्रमश प्रातापभ्रंश की देशभाषा कहा गया है।]

स्पष्ट है कि देशी शब्द के अर्थ के इस अन्तर्मिश्रण ने इन सभी समस्याओं का जन्म दिया। क्योंकि कट्टरतावादी विद्वान् देशी शब्दों एवं उनके प्रयोगों को बड़ी ही दृष्टि से देखते थे, साथ ही इनके प्रयोक्ताओं का भी।^१

अपभ्रंश की बोलियाँ

उपयुक्त विवेचन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि उन विद्वानों के दो वग थे। एक वह था जो केवल परिनिष्ठित विद्वज्जन ग्राह्य भाषा को ही श्रद्धेय समझता था तथा तत्समय प्रचलित बोलियों को (माय भाषा के स्वरूप से विकृत रूप वाली अथवा अशुद्ध होने के कारण) उतनी ही हेय दृष्टि से देखना था जितनी हेय दृष्टि से विजातीय अनाय भाषाओं का। जतएव बोलियों पर विचार विमर्श करना वह हीनता समझता था। दूसरा वग आधुनिक भाषा शास्त्रियों के अधिक समीप था जो बोलियों को महत्ता देना चाहता था, किन्तु यह दूसरा वग अपने काय के साथ 'याय' इसलिए महा कर पाया कि एक तो भाषा विज्ञान की वर्तमान पद्धति ने उस समय पूर्ण स्वरूप धारण नहीं किया था जिस ओर श्री हरिवल्लभ भाषाणी ने भाँ सकत किया है।^२ दूसरे भाषा की शुद्धता के पक्षपातियों का भारत में सत्ता से बाहुल्य रहा है और वे शुद्धतावादियों का साम्मुख्य करने में असमर्थ रहे हैं। अतः वे बोलियाँ का संकेत मात्र तो प्रस्तुत कर सके हैं किन्तु उनका पूर्ण विवेचन नहीं। छद्म ने नवीं शताब्दी में अपभ्रंश की अनेक बोलियों की सूचना दी है जो देश विशेष के कारण अनेक रूपों वाली थी, यथा—

प्राकृत-संस्कृत मागध पिशाच भाषाश्च शूरसेनी च ।

पठोऽत्र भूरि भेदो देश विपादपभ्रंश । (कात्यायनकार २।१२)

किन्तु ठीक इसके बाद ग्यारहवीं शताब्दी में नमि'साधु ने अपनी कट्टरता वाली प्रवृत्ति के कारण उसका निराकरण करने के लिए साहित्य में प्रयुक्त अपभ्रंश भाषा को ही प्रमाण मानकर छद्म द्वारा संकेतित बोलियों को निमूल

^१ तेषुरा । तेषुरा हेलयो हेनय (हेऽरयो हेऽरय) इति कुवत परावभूवु स्तस्मात् श्राद्धानेन न म्लच्छित्तव नापभाषितव मलच्छो ह वा एष यदपशब्द । म्लच्छा मा भूमेदिध्ये 'याकरणम् । (महाभाष्य १।१।१) हीना बनेचराणां च विभाषा नाटके स्मृता (भरत नाट्यशास्त्र, १७।५०)

^२ हेमचन्द्र गुजरात ना हता पण ते मणे रचेला अपभ्रंश 'याकरण ने गुजरात अपभ्रंश साथे प्रत्यक्ष पणे कशी लेवा देवा नची । वेम के पूर्वाचार्यों अथवा पूर्व प्रणाली अनुसारी तो मणे बहुभाष्य साहित्य प्रयुक्त घोरण सरना अपभ्रंश नु 'याकरण रचे लु छ । बोलचाल की भाषा नु चलण आधुनिक छै । (वाक्यापार भारतीय विद्या भवन १६५५, पृष्ठ १७० सूत्र-पूर्व राजभाषा और उसका साहित्य—डॉ. शिवप्रतापसह पृष्ठ ४६ स उद्धृत) ।

ठहराने का सफल किंतु अयथाय प्रयास किया और इससे उमरी एक सन्तोष का अनुभव हुआ जो यह बताने से व्यजित होता है कि इस प्रकार भूरि भेदा का निरगम हो जाता है। फिर भी यह उस तीन से नीचे नहीं तो जा सका—

स धार्यैरुपनागराभीर-ग्राम्यैरभेदेन त्रिधावतस्तन्निरासाद्यमुक्त भूरिभ्र-
इति । (वाय्याल० सूत्र सू० नमि सा० २।१२) ।

माकण्ड्य न अपने प्राकृत सवम्भ्र म भी इसके तीन भेद किए हैं किन्तु नमि साधु से भिन्न, यथा—

नागरी प्राचडश्चोपनागरश्चेति त्रय ।^{२३}

किन्तु साथ ही यह भी स्वीकार किया है कि मूकम अन्तर से विद्वान इसका अनेक भेद मानते हैं, यथा ^{२४}—अपभ्रश परे मूकम भेदत्वान्न पृथङ् मता । इहोत्र उन भेदा की संख्या २७ दी है। यथा —

(१) प्राचड (२) लाट (३) वदभ (४) उपनागर (५) नागर (६) वावर, (७) अवत्य (८) मागध (९) पाञ्चाल (१०) टक्क (११) मालव (१२) कवेय (१३) गोड (१४) ओडी (१५) ववपश्चात्य (१६) पाण्ड्य (१७) की तल (१८) सहल (१९) कालिङ्ग, (२०) प्राच्य (२१) कर्णाट (२२) काञ्चघ, (२३) द्राविड (२४) गोजर, (२५) आभीर (२६) मध्यदेशीय (२७) वताल ।^{२५} माकण्ड्य से पूर्व आठवीं शताब्दी में उद्योतनाचाय अपनी कुवलयमाल बहा म अपभ्रश की बोलियों पर प्रकाश डाल चुके थे। उनके अनुसार अपभ्रश के जठारह भेद हैं, यथा—(१) गोत्त (२) मध्यदेशीय, (३) मागध (४) जतर्वेदी (५) कीर (६) टक्क (७) सिध, (८) मरु, (९) गुजर, (१०) लाट, (११) मालव (१२) कर्णाटक (१३) तायिक, (१४) कोसल, (१५) महाराष्ट्र (१६) आ ध्र (१७) लस (१८) ववरादिक ।^{२६} छठी शताब्दी तक आते आते का प्रशास्त्रिया द्वारा अपभ्रश का य भाषा के पद पर आसीन करा दी जा चुकी थी चाहे उसने परिनिष्ठित स्वरूप धारण न किया हो। अतः इसके उपरांत

^{२३} प्राकृत सवस्व ७ ।

^{२४} वही ७ ।

^{२५} हिन्दी भाषा के विकास में अपभ्रश का योग पृष्ठ ५० ।

^{२६} ही देवी प्रसाद सम्भवायामत्र कथायान् प्रसंगतोऽष्टादश देशी भाषाणा मध्याद् गोत्त, मध्यदश, मागधातर्वेदी कीर, टक्क सिध मरु गुजर लाट मालव कर्णाट तोयिक, कोसल महाराष्ट्रा ध्र भवाना पोडशदेश्याना चणिज नपुवण वेशप्रकृति पूवभाषाश्च रूप प्रदर्शितमित्यमवलाक्यते । (अपभ्रश काव्यत्रयी, भूमिका, पृष्ठ ६१)

ज्ञानो द्वारा देशी भाषाओं के नाम से उल्लिखित भाषाएँ या तो अपभ्रंश की लैया रही होगी अथवा उसकी भगिनी विभाषाएँ। ये बोलियाँ अपभ्रंश उदगता ही थीं इस प्रकार का संकेत श्री लालधर गांधी ने दिया है।
 ॥—परिचितं य खलु प्राक् कुत्रलय मालकहाकृतं—समयादिसम्बन्धा
 ऽवमीयतेऽपभ्रंश देशीभाषादीना विशिष्टस्वरूप इत्यादि।²⁷

अपभ्रंश की देशानुसार अनेकता का संकेत विष्णुधर्मोत्तर पुराण वाग्भटा
 ञ्कारादि ग्रन्थों में भी उपलब्ध होता है, यथा—

देशेषु देशेषु पद्यम् विभिन्नं न शक्यते लक्षणतस्तु वक्तुम् ।

लोकेषु यत स्याद अपभ्रष्टस्य नैय हि तद्देशविदोऽधिकारम् ॥

देश भाषा विशेषेण तस्या त नैव विद्यते।²⁸

अपभ्रंशस्तु यच्छुद्धं तत्तद्देशेषु भाषितम्।²⁹

किन्तु हेमचन्द्र तक आते आते अपभ्रंश ने पूर्ण परिनिष्ठित स्वरूप धारण कर लिया था³⁰ और इसे शिष्टो की भाषा भी स्वीकार कर लिया गया था।³¹ रिणाम स्वरूप कट्टरतावाद के अनुयायी हेमचन्द्र और उनके समकालीन याकरणा ने लिखित साहित्य की परिनिष्ठित अपभ्रंश को ही अपना आधार नाकर इसके लिए आवश्यक नियमों की स्थापना कर दी और मज्जेदार तात यह है कि उनमें अपभ्रंश की तत्समय प्रचलित बोलियों यहाँ तक कि विभाषाओं तक का भी संकेत नहीं लिया। केवल इन वैयाकरणों को आधार मानकर यह निष्कर्ष निकालना कदापि समीचीन न होगा कि उस समय समग्र भारत में विचारों के आदान प्रदान की केवल एक ही सावजनिक भाषा थी जिसका नियमन हेमचन्द्रादि वैयाकरणों ने किया है बल्कि यह कहना चाहिए कि उस समय अपभ्रंश की अनेक बोलियाँ प्रचलित थीं, पर तत्कालीन वैयाकरण तस्मत् व्यञ्जन प्रणाली के अनुयायी होने के कारण बोलियों पर लेखनी चलाना पूर्ववत् अपनी हीनता समझत थे। अतः उनका लिखित साहित्य उपलब्ध न होने पर भी नव्य आयभाषाओं का विकास उनके अस्तित्व की सिद्धि उनके की चोट कर रहा है कि वर्तमान भारतीय भाषाओं का विकास

²⁷ अपभ्रंश काव्यग्रन्थी भूमिका पृष्ठ ८२।

²⁸ विष्णुधर्मोत्तर पुराण ३।७।३।

²⁹ वाग्भटालंकार २।३।

³⁰ And finally Hemachandra the great Pk grammarian unan-
 imously agrees in regarding the Apbhraṅśh as literary
 dialect equal in status to Sanskrit and Prakrit
 (H G AP Page 3)

शेषम् शिष्ट प्रयोगात् (पुरुषोत्तम १७।६१)।

किसी एक अपभ्रंश से न होकर उसकी विभिन्न बालियाँ के ही विकसित स्वरूप हैं।

जहाँ प्राचीन विद्वानों में केवल एक भाषा की स्वीकृति और बालियाँ के निरसन के प्रति सक्षम था वहाँ आधुनिक भाषा शास्त्रियों में कुछ भिन्न विचारों के कारण मतभेद पाया जाता है। इसका मूल कारण यह है कि आधुनिक काल के भाषाशास्त्रियों ने इस समय विद्यमान ग्रन्थों में सुरक्षित भाषा के आधार पर अपभ्रंश भाषा को वर्गीकृत करने का प्रयत्न किया है। दुर्भाग्य यह रहा है कि ऐसा करते समय भाषा की प्रकृति और प्रत्यय पर इतना ध्यान नहीं रखा गया जितना रचना के स्थान विशेष पर और उसके स्थानीय प्रभावों के कतिपय उद्धरण चुनकर भाषा को विभाजित कर डाला, यह उचित नहीं है। यहाँ पर यह स्पष्ट कर देना समीचीन होगा कि अपभ्रंश की बोलियों की गवयणा के मैं विरुद्ध नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो स्वीकार करता हूँ कि अपभ्रंश की अनक बोलियाँ अस्तित्व में थीं। मेरा मतभेद परनिष्ठित अपभ्रंश के क्षेत्रीय भेदों से है। मेरी समझ में एक ही परनिष्ठित अपभ्रंश है उसका रचयिता चाहे दक्षिण में या उत्तर में और चाहे पूव या पश्चिम में बैठकर अपनी कला की साधना करता रहा हो उसकी भाषा में कोई अंतर नहीं है।

सनत कुमार चरिउ की भूमिका में डा. याकोबी ने इसे चार भागों—उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी में विभाजित किया है। डा. याकोबी के वर्गीकरण को भाषा ब्रह्मज्ञानिक सुदृढ़ भित्ति के अभाव से प्रस्तुत बताकर डा. तगारे ने इस तीन ही—पश्चिमी, दक्षिणी तथा पूर्वी भागों में विभाजित किया है और इस प्रकार उत्तरी अपभ्रंश के अस्तित्व का स्वीकार नहीं किया।³²

डा. ग्रियसन ने अवश्य ही भारत का आधुनिक भाषाओं का विकास

³² Here in Jacobi gives his regional division of Apbhraṅśh literature into Eastern, Western, Southern and Northern groups. He seems to believe that Eastern Apbhraṅśh works follow the rules of eastern Pk grammarians. A comparison between the dialects of D K K and D K S and that Apbhraṅśh of Pu Rt and Mk disapproves the theory. The only work in Northern Ap is a 15th century poetic composition. As will be seen later on the §8 the regional classification of Ap literature followed in this work is different and more natural. §8 Apbhraṅśh literature is regionally classified in three main divisions according to the place of composition of the particular work. They are roughly as follows—Western, Southern and Eastern (H G Ap Page 13-15)

दिखाते हुए अपने 'भाषा सर्वेक्षण' में अपभ्रंश की बोलियाँ का विवरण दिया है, यथा—ब्राज्ड, दाक्षिणात्य (इसकी अनेक विभाषाएँ रही होगी) औड औत्कल मागध गौड अधमागधी प्राकृत से विकसित अपभ्रंश, (सम्भवत मध्यदेशीय—ले०) नागर शौरसेनी, टक्क उपनागर, आबत्य गोजर आदि।^{३३} कितने ही स्थानों पर डा ग्रियसन यह कहकर सतोप कर लेते हैं कि यहाँ पर भी कोई जनपदीय अपभ्रंश रही होगी पर उसका नाम अज्ञात है।^{३४} यद्यपि डा तगारे ने उपयुक्त विचारधारा का सण्डन किया है तथापि भाषाओं के विकास का इतिहास दिखाने के लिए इस कल्पना को (ग्रंथो एव उद्धारणो के अभाव में कल्पना) स्वीकार करना पड़ेगा। क्योंकि यह तो वर्तमान प्रचलित बोलियाँ के ध्वन्यात्मक एव रूपात्मक तत्वों पर दृष्टिपात करने से स्वतः सिद्ध है कि इनका विकास न केवल एक परिनिष्ठित अपभ्रंश में बल्कि डॉ तगारे द्वारा प्रस्थापित तीन अपभ्रंशों में भी सम्भव नहीं है।^{३५} नभाषा की भाषाओं का विकास कुछेव को छोड़कर जैसे राजस्थानी और गुजराती (इस पर भी विद्वानों में कुछ मात्रा में मत भिन्नता हो सकती है) सबका विकास पथक पथक स्रोतों से हुआ है चाहे इसका अलगाव अत्यन्त रहा हो। डा चाटुर्ज्या के भारतीय आयभाषा और हिन्दी तथा राजस्थानी भाषा आदि ग्रंथों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि वे अपभ्रंश की अनेक बोलियाँ को स्वीकार करते हैं।

अपभ्रंश साहित्य के आधार पर भाषा भेदों की स्थापना

आधुनिक भारतीय आयभाषाओं के भाषावैज्ञानिक अध्ययन के निम्ने अपभ्रंश भाषा का अध्ययन परमावश्यक है किन्तु अपभ्रंश का अध्ययन जिस रूप में (कुछ श्रेणियों में) किया जाना चाहिए था, किया न जा सका। विद्वान लोग अपभ्रंश के सूक्ष्म विश्लेषण के स्थान पर उसके भेदापभेदों के चक्कर में पड़ गए। मजदूर बात यह है कि वे किसी सीमा तक सही होने हुए भी अपनी बात को उस रूप में नहीं रख सके जिस रूप में रखा जाना चाहिए था। परिणामस्वरूप एक अच्छा खासा विवाद उपस्थित हो गया। उदाहरण के लिए विद्वानों ने यह स्वीकार किया कि अपभ्रंश अनेक रूपों में प्रचलित थी अथवा यह कहिए कि एक समय ऐसा था जब अपभ्रंश की अनेक उपभाषाएँ तथा बोलियाँ

^{३३} भारत का भाषा सर्वेक्षण—डा ग्रियसन, अनु० हेमचन्द्र, पृष्ठ २४७।

^{३४} वही पृष्ठ २४६-२४८।

^{३५} We do not subscribe to Grierson's theory of postulating one Ap per every NIA languages. This hypothesis is unsupported by the evidence discovered so far (H G Ap by Dr Tagare page 16)

प्रचलित थी, यहाँ तक तो ठीक है, पर विवादास्पद उस समय उपस्थित है जब विद्वानों ने प्राप्त साहित्यिक अपभ्रंश के ग्रन्थों की भाषा को रचयिताओं की शैली अथवा उनके निवासस्थान के आधार पर ही बिना किसी भाषावैज्ञानिक अन्तरे के अनेक भेदों में विभाजित करने का यत्न किया और इतना ही नहीं उन अन्तरे सूचक नियमों की भी स्थापना कर दी गई जो पूर्णतः निराधार हैं। अच्छा यह होता कि विद्वान् लोग भारत की आधुनिक आमभाषाओं के आधार पर अपभ्रंश की उन बोलियों का स्वरूप जानने का प्रयत्न करते, इस विपरीत कि वे साहित्यिक अपभ्रंश में भिन्न भिन्न क्षेत्रों की भाषा का दायरे कर रहे हैं जो केवल साहित्यिक अपभ्रंश में सम्भव नहीं है।

'सन्तु कुमारचरित' की भूमिका में डा. याकोबी ने अपभ्रंश (परिनिष्ठित साहित्यिक) को पूर्वी पश्चिमी दक्षिणी तथा उत्तरी इन चार भागों में विभाजित किया है जिसके उत्तरी भेद का विरोध डा. तगारे ने सशक शब्दों में कर अपभ्रंश के तीन भेद निश्चित किए हैं।^{३०} कुछ विद्वान् अपभ्रंश की बोलियों को भी स्वीकार करने को तयार नहीं हैं जिनमें डा. तगारे का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है।^{३१} ज्यूल नाक और उनके अनुयायियों की धारणा तो बिल्कुल ही भिन्न है। वे अपभ्रंश का जनभाषा मानने को ही उद्यत नहीं हैं।

उपयुक्त संकेत देने का तात्पर्य केवल यह है कि विद्वानों द्वारा लिखित उपलब्ध साहित्य के आधार पर निश्चित किए गए मतों का और जनपदादि के उस समय बोली जाने वाली बोलियों के आधार पर निश्चित किए गए मतों का ऐसा अन्तर्मिथ्यता हुआ है कि दोनों ही मतों की सत्यता सदिग्ध हो गई है। वास्तविकता यह है कि अपभ्रंश का जो साहित्य अब तक उपलब्ध हो सका है उसके आधार पर बिना किसी हिचकिचाहट यह कहा जा सकता है कि इसकी भाषा शौरसेनी अपभ्रंश या नागर अपभ्रंश अथवा आधुनिक शब्दावली में पश्चिमी अपभ्रंश है जो उस समय के साहित्यकारों एक शिष्टजनों की भाषा थी तथा तत्समय प्रचलित अनेक बोलियों में से इनमें प्रतिभाशाली व्यक्तियों के सहयोग से परिनिष्ठित भाषा का स्वरूप धारण कर लिया था। इस प्रकार इसमें विपुल साहित्य की सज्जा हुई और यही कारण है कि शौरसेनी अपभ्रंश का स्वरूप तो सुरक्षित रह गया और यह अपना अमूल्य बालियाँ सन्निहित नहीं भाषाओं को जन्म देकर स्वयं कालकृति हो गई और साथ ही आम आन बात भाषाशास्त्रियों के लिए एक समस्या की उत्पत्ति का निद

३० हिस्टोरिकल ग्रामर ऑफ अपभ्रंश पृष्ठ १३-१५।

३१ वही पृष्ठ १६।

हृइ कि अमुक आधुनिक भाषा का जन्म कहाँ से, कैसे तथा कौन सी अपभ्रंश बोली से हुआ। संभवत इसी विचार को दृष्टिगत रखते हुए ज्यूल ब्लॉक ने लिखा है—^{३४}

आवर नालेज आफ इटस (इडियन) लम्बेजेज, ऐट लीस्ट इन देअर मोस्ट ऐंशियट स्टेजेज, दज वेस्ट ओली आर तीअरली सो, आन लिटरेरी लम्बेजेज आफ ह्लिच वी ना नाइदर द लोकन वेसिस नार द डिग्री आफ कनेक्शन विद द वर्नियूलस दे डू नाट गिव एक्सप्रेसशन टु द घाट एण्ड फीलिग्स आफ द पीपुल ऐट द मोस्ट द गिव एन आइडिअल पिक्चर आफ द कल्चर आफ ए स्माल कम्प्यूनिटी, दे मे डिफर इन कौरेक्टर सम हाईली रिलीजम एण्ड एरिस्टोक्रैटिक सम पापुलर बट रिनिजस टू, द मजारिटी आर मेनली अडाप्टेड फार प्यारली लिटरेरी मूसजस द लिग्विस्ट हैज टु वी केअरफुल इन गिर्विग देअर एविडेस इटस प्रापर वेल्सू विफार ट्राइग टु कौंस्टक्ट द डिटेरम आफ द हिस्टरी आफ इडोएयन ।'

अपभ्रंश भाषा का आधुनिकतम एवं अधिक स्वाभाविक वर्गीकरण डॉ तगार का माना जाता है अतः उस पर क्रिचित दृष्टिपात कर लेना प्रामाणिक ही होगा। आपने उसे तीन वर्गों में विभाजित किया है। डा नाम वर सिंह ने इनमें से दक्षिणी अपभ्रंश का विराघ बडे ही सशक्त शब्दों में किया है। यथा—

'उपयुक्त विशेषताओं की छानबीन करने से पता चलता है कि ये स्थानगत उतनी नहीं हैं जितनी शालीगत। डा तगारे ने पुष्पदत्त और कनकामर की भाषा में जिन्हें दक्षिण अपभ्रंश की अपनी विशेषताएँ कहा है वे वस्तुतः बहुत कुछ प्राच्य प्रभाव हैं। विविध कल्पिक रूपा में से प्राचीन और नवीन रूपों को अलगकर करके किसी निणय पर पहुँचना अधिक लाभदायक होता लेकिन डा तगारे ने यहाँ इस विचार का परिचय नहीं किया। पुष्पदत्त की भाषा को मराठी की जननी प्रमाणित करके आवेश में डॉ तगारे की दृष्टि से यह तथ्य ओझल हो गया कि पश्चिमी अपभ्रंश नाम से अभिहित भविसयत्त कहा और दक्षिणी अपभ्रंश नाम से अभिहित महापुराण की भाषा में कोई मौलिक अंतर नहीं है। दोनों ही की रचना परिनिष्ठित अपभ्रंश में हुई है, घोडा बहुत जो अंतर है वह भी केवल शैली-सवर्षी है और रचयिता भेद से इतना सा भेद आ जाना स्वाभाविक भी है।

^{३४} ज्यूल ब्लॉक—लॉग लेक्चर फार १९२६ सम प्रोब्लम्स आफ इडोएयन फाइलोलाजी १९३० कौटेट फ्राम हिस्टारिकल ग्रामर आफ अपभ्रंश डॉ तगारे, पृष्ठ० १५।

(२) मा मरुजें बालु, मइ गिलुजें कालु । (पुष्पदत्त उ० रा० ६४ वा०, पृष्ठ २२२) ।^{४६}

चतुर्थ विशेषता के प्रतिरोधी प्रमाण, परिनिष्ठित अपभ्रंश में 'ति' परक प्रयोग—(१) ण णच्चति मोर खल दुज्जण । (स्वयभू रामा० २८।३ का० पृष्ठ २८) ।

(२) जहि पयिय तनु छायाहि भमति । (घन० भविस० पृष्ठ २ का० घा० पृष्ठ २६२) ।^{४७}

पंचम विशेषता के प्रतिरोधी प्रमाण, परिनिष्ठित अपभ्रंश में 'सइ' परक प्रयोग—(१) पइ विणु को कुवेर भजसइ । (स्वयभू रा० ७६।७) ।

(२) इधन होसइ (रामसिंह पा० दो० २५३ वा० पृष्ठ २४८) ।^{४८}

दक्षिणी अपभ्रंश में 'हि' परक प्रयोग (पुष्पदत्त और वनवकामर के ग्रंथों में)—

(१) ण कीलहि अवहडण पराइ (पुष्पद० ज० च० पृष्ठ ४० वा० पृष्ठ १८६) ।

(२) पुक्करहि उथा कर करेवि । (वनव० ष० च० पृष्ठ ५१ वा० पृष्ठ ३३६) ।^{४९}

छठी विशेषता के प्रतिरोधी प्रमाण दक्षिणी अपभ्रंश में 'इ अतवात्त पूर्वकालिक क्रिया के प्रयोग उपलब्ध होते हैं—

(१) करि सर वहिरिय दिच्चक्कवाल । (पुष्पदत्त णा० च० पृष्ठ ४ वा० प० १७६) ।

(२) त पेलि जणु तिण्णु (वनवामर ष० च० ३।१८।३) ।

उपर्युक्त विवचन से हम इस निष्कर्ष पर सरसता से पहुँच जाते हैं कि दक्षिणी भाषा की जो विशेषताएँ डॉ० तगारे ने निश्चित की हैं वे सबथा आधारहीन हैं । ये विशेषताएँ अपभ्रंश के प्रायः सभी ग्रंथों में पर्याप्त मात्रा में लोजी जा सकती हैं चाहे उनकी रचना उत्तर में हुई हो अथवा पूर्व, पश्चिम या दक्षिण में ।

^{४६} सरउ सोमिउ, आकरिसिउं (पु० उत्तरा० ६४ ८६) गरउ (क० वा० च०, पृष्ठ ६७) ।

^{४७} परिचलन्ति विपन्ति, (स्वयभू रा० १।६) हानि मगति (यागि दु २६३ ३२३ प० प०) गुप्पति भमति (रा० पा० दा० २१७) गमति करति (घनपा० भविस० २।३, १०।११) ।

^{४८} वारेमइ होम पात्तमइ हामइ (स्वयभू रा० ७६।६) ।

^{४९} करहि सचमहि (क० वा० ष० च० ३५, २६, ४ २) ।

डॉ तगारे द्वारा प्रस्तुत अपभ्रंश के क्षेत्रीय भेदों की आलोचना करते हुए डॉ नामवर सिंह ने लिखा है— वस्तुतः भारतीय आयभाषा की पूर्ववर्ती परम्परा के अनुसार अपभ्रंश के भी केवल दो क्षेत्रीय भेद थे—पश्चिमी और पूर्वी, जिनमें पश्चिमी परिनिष्ठित थी तथा पूर्वी अपभ्रंश उसकी विभाषा मात्र थी। अपभ्रंश को इससे अधिक सत्ता मानने की इस समय कोई गुंजाइश नहीं है।⁴⁸

उपयुक्त उद्धरण से प्रकट होता है कि डा नामवर सिंह अपभ्रंश के पूर्वी भेद को बनाए रखना चाहते हैं, पर डगमगाते कदमों के साथ क्योंकि वे सरह, कण्ठपा आदि के दोहाकोशों को तो परिनिष्ठित अपभ्रंश की रचना मानते हैं किन्तु चर्यापदों की भाषा में उन्हें पूर्वी अपभ्रंश की विशेषताएँ दृष्टिगत होती हैं। यदि चर्यापदों की भाषा का सूक्ष्म अध्ययन किया जाय तो पता होगा कि डा साहब ने जिन लक्षणों को इनके पूर्वोपन की विशेषताएँ कहा है वे समस्त लक्षण पर्याप्त मात्रा में सुदूर पश्चिम एवं दक्षिण के साहित्यकारों की रचनाओं में भी उपलब्ध होते हैं। अतः अपभ्रंश के पूर्वी भेद को बनाए रखने में इनका भी क्षेत्रीय मोह ही दृष्टिगत होता है। इसमें अधिक कुछ नहीं। डॉ नामवर सिंह ने डा तगारे के द्वारा प्रस्थापित निम्न लक्षणों को पूर्वी अपभ्रंश की विशेषताएँ माना है—

(१) पूर्वी अपभ्रंश में कुछ समुक्त ध्वनियों का परिवर्तन इस प्रकार होता है—

क्ष > वक्ष, ख

त्व > त्त

द्व > दु

व > व

प स > श

(२) संस्कृत श' सुरक्षित रहता है।

(३) आद्य महाप्रणत्व नहीं होता।

(४) निर्विभक्ति क मनापद बहुत मिलते हैं।

(५) लिंग अतन्त्रता बहुत अधिक है।

(६) क्रियायक सज्ञा और पूर्वकालिक क्रिया का मिश्रण नहीं हुआ। पूर्वकालिक क्रिया प्रत्यय अइ का प्रयोग क्रियायक सज्ञा के लिए भी हुआ है।

(७) परिनिष्ठित अपभ्रंश की क्रियायक सज्ञा के लिए प्रयुक्त 'अण' प्रत्यय का यहाँ पर अभाव है।

⁴⁸ हिन्दी के विकास में अपभ्रंश का योग, पृष्ठ ५६।

उपयुक्त विशेषताओं व प्रतिरोध में अपने मत की पुष्टि व लिए यहाँ क्रमशः उदाहरण प्रस्तुत हैं—

प्रथम विशेषता के प्रतिरोधी प्रमाण, परिनिष्ठित अपभ्रंश में 'क्ष' के स्थान पर बल, ख—

(१) णउ मरहूण लखणु (लक्षण) छदु सब्बु । (स्वयंभू रा० १।३ का० पृष्ठ २४) ।

(२) जहि दकता (द्राक्षा) मडपि दुहु मुयत्ति । (पुण्यदत्त गा० च० पृष्ठ ६)^{६९} ।

परिनिष्ठित अपभ्रंश में 'त्व' के स्थान पर 'त्त'—

(१) अवररिह मिकर्हीह वइत्तणउ (वत्तित्व) । (स्वयंभू हरिव० का० १ पृष्ठ २४) ।

(२) ते वयणें रोपणियत्तणउ रो(पयित्व) । (पुण्यदत्त आदि पु० पृष्ठ ५६१)^{६०} ।

परिनिष्ठित अपभ्रंश में 'द्व' के स्थान पर 'डु' का प्रयोग—

(१) चउ डुवार (द्वार) चउ गोजर । (स्वयंभू रा० ४६।२ का० पृष्ठ २४)

(२) डु (द्व) ति वव' सत्त मो मई पराई । (पुण्यदत्त जसहर च० पृष्ठ ४ का० पृष्ठ १६२)^{६१} ।

परिनिष्ठित अपभ्रंश में भी 'व' के स्थान पर 'व' का प्रयोग—

) गोला णइ दिट्टु (समुद्रहति) । (स्वयंभू रा० ३।३।३ ३८) ।

वासिणीस

। (पुण्यदत्त आदि पु० २३०

स्वयंभू
पृष्ठ
१८

७८।२०) जकिय
पृष्ठ ६), खनिय
पोवसु (रा
दि (घनपा
स० रा०
च० पृष्ठ

पूर्वी अपभ्रंश मे व के स्थान पर 'व' भी पाया जाता है (चर्यापद)—

(१) आगम वेअ पुराणें पण्डअ माण वहति । (कण्हपा का० २ पृष्ठ १४६) ।

(२) सो कइम आगम वएँ वरवाणी । (लुइपा चर्याप० २६) ।

इसके अतिरिक्त इनके द्वारा प्रस्थापित परिनिष्ठित अपभ्रंश के ध्वनि परिवर्तन के लक्षण भी तथाकथित पूर्वी अपभ्रंश के ग्रंथो मे पाए जाते हैं, यथा—क्ष' के स्थान पर च्छ, छ—

(१) मोरगिपिच्छ (पक्ष) वरिहिण शबरी गीवत गुजरी । (शबरपा चर्या० २८) ।

(२) राग दोष मोहे लाइआ छार (क्षार) । (कण्हपा चर्यापद ११) ।

पूर्वी अपभ्रंश मे 'ढ' के स्थान पर 'व' (चर्यापदों मे)

(१) चाद सूरज वेणि (द्वी) परवाफल । (गुडरिया चर्या० ४) ।

(२) वेणि (द्वी) रहिअ तमु णिच्चलठाइ । (कण्हपा दो० १३) ।

प्रथम विशेषता के अंतिम भाग अर्थात् 'प स' के स्थान पर श तथा द्वितीय विशेषता संस्कृत श की सुरक्षा तथाकथित पूर्वी अपभ्रंश के ग्रंथा मे 'यवस्थित रूप मे नहीं पाई जाती । यद्यपि दोहाकोशा और चर्यापदो की भाषा मे श ध्वनि का अस्तित्व पाया जाता है तथापि इसका यह तात्पर्य कदापि नहीं कि यह उन ग्रंथा की भाषा की विशेषता है क्योंकि इस नियम का पालन सबत्र नहीं किया गया है । जहा कही क्षेत्रीय प्रभाव है वहा श प स' के स्थान पर स पाया जाता है अथवा इन तीनों स्थान पर 'स' (परिनिष्ठित अपभ्रंश परंपरा के अनुसार) कर दिया गया है और वहीं कही ती तीना का ही अस्तित्व पाया जाता है । कुछ ऐसे भी उदाहरण इन ग्रंथा मे पाए जाते हैं जहा पर 'श, स के स्थान पर प भी पाया जाता है । अपने तथ्या की पुष्टि के लिये नीचे उदाहरण प्रस्तुत है—

'श' के स्थान पर 'स'—

ऊँचा ऊँचा पावत तहि वसइ सबरी (शबरी) बाली बाली ।

मोरगिपिच्छ वरिहिण सबरी (शबरी) गिवत गुजरी माली ।

उमत सबरी (शबरी) पागल शबरो माकर गुलीगुहाडा ।

एकेली सबरी (शबरी) ए वण हिडइ कण बुडल बच्चधारी ।

निउ घाउ खाट पडिला सबरो (शबरो) महासुखे सेज (शय्या) छाडली ।

सबरो (शबर) भुजग णइरामणिदारी पेहा राति पोहाइला ।

सून (शूय) निशमणि कण्ठे लइआ महसुहे राति पोहाइ ।

उमग सबरो (शबर) गरुआ रोपे एके शर सघाने व'घह विचइ परम-

पिवाणे गिरवर सिंह (शिलर) सधि पइस ते सबरो (शबरो) सोडिव कइसे (कीदुश) । (शबरपा, चर्यापद २८ पु० त० नि० १४१ ४२) ।

उपयुक्त पद म १४ ऐसे शब्द हैं जिनम सस्वृत मे 'श वण आता है, उनमे से कवि ने १२ स्थाना पर 'श' के स्थान 'स' का प्रयोग किया है तथा केवल दो स्थाना पर 'श' की सुरक्षा की है । समझना कठिन है कि विद्वान लेखका ने उन कोन से पदों को लक्षित किया है जहाँ पर 'स, प' के स्थान पर 'श तथा श' की सुरक्षा की देखा है । जहा वही पर श सुरक्षित तथा 'स' के स्थान पर श पाया जाता है वहाँ केवल क्षेत्रीय प्रभाव ही माना जा सकता है भाषा की विशिष्टता नहीं । इसके अतिरिक्त निम्नांकित उदाहरण भी द्रष्टव्य हैं—णिरासे पइसइ (कणरीपा० च० प० ३१) आस, पास (लुईपा० च० प० १), दिस कइसे (वही २६), बतिस णसिउ, मुघ (भूसुकपा० चर्यापद, २७), सेस (वही, ४६) ससि (वोणापा० च० प० १७) पइसइ महेसर असुद (डोम्बिपा० च० प० १४), उवेसे, कइसे, चउदिस कम्बपा० चर्यापद ८), सरद, प्रकासित (जालघरपा० च० प० ७६) समुरा (कुनकुरिपा० च० प० २) सामु (गुठरिपा० च० प० ४), सिरिफल, कसण (कृष्ण) (मदिपा० च० प० १६) ।

दोहाकोशा म तो इस नियम की बिलकुल ही परवाह नहीं की गई है । पूर्वी अपभ्रंश मे 'स' के स्थान पर प्रायः स ही पाया जाता है । चर्यापदा म—

सरहपा सहावे सोइ (सरहपा० चर्यापद ३२), सहज, सुदरी मुहे विलसति, रस (शबरपा० चर्यापद २८, ३०) पतिमासइ, सअल (कणरी पा० ३१), सज, सबअण, सरअ (शातिपाद च० प० ५०), मुस सच (लुईपाद च० पा० १ २६), विक्सउ, सहजानद, सपा (भूसुकपा० च० प० २७ ४६), सम, रस, विसम, (वोणापा०, च० प० १७) सभावे, सरवस (डाबिपा० च० प० १०), समय, मुगत सभव (जालघरपा० च० प० ७६), सोइ सएँ (शातिपा० च० प० ५ २६) ।

पूर्वी अपभ्रंश म प के स्थान पर स का प्रयोग—

सस (शेष) (भूसुकपा० २७) ।^{६३}

इसके विपरीत चर्यापदा म स तथा श के स्थान पर प का प्रयोग भी देसन को मिलता है, यथा—

पहजे । (भूसुकपा० चर्याप० २७)

जो पो (सो) चार साइ साथी (तनिपा० चर्याप० ३३)

^{६३} समस्त उद्धरण राट्टन सांख्यायन द्वारा संपादित हिंदी काव्य धारा और 'पुरातत्त्व निबन्धावलि' स उद्धृत है ।

भिते निते पियाला (शृगाल) पीहे (मिह) पम (सम) जुझज ।
(वही, ३३) ।

श' के स्थान पर 'ध'—

पियाला पडवेपी (प्रतिवेशी) (ततिपाद च० प० ३३), पपहर (शशघर)
(भूमुकपाद चर्यापद २७), पबराली (शबर) (शबरपाद चर्यापद ५०) ।

तृतीय लक्षण के परिवेश म कतिपय शब्दों को छोड़कर यहाँ पर शब्द के
आद्य महाप्राणत्व को वही भी परिवर्तित नहीं किया गया है । मैं प्रत्येक महाप्राण
ध्वनि के, जो प्रायः शब्दा के आदि म प्रयुक्त होती आ रही है, एक एक, दो दो
उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ, वैसे ऐसे शब्दों को हज़ारों की संख्या म वहाँ से
चयन किया जा सकता है । उदाहरण क्रमशः प्रस्तुत हैं^{६४}—

खाण्टवि खरे (सरहपाद च० प० ३८) खाइ (शबरपाद २८) , खाले
(भूमुकपाद ४६), छडि (सरहपा० ३२), छाइली (शबरपाद २८), छाड
छाड (शा० ५०), छादक (लुइपाद १), घमण (लुइपाद १) घटा (कणहपा०
११), घोरिअ घुमइ (कणहपा० ३६) घर (ततिपा ४३), झाण (दारिक
पा० ३४), ठान (दारिकपा० ३४), ठावी (कबलपाद ३०), डेडण (ततिपा०
३३), धिर (सरहपा० ३८), धाकिउ (भूमुकपा० २७), धाहे (शा० १५),
घर (सरहपा० ३८) धनि (वीणापा० १७), घुणी (शातिपा० २६), घाए
(लुइपा० २६), फिटेलि, फुलिआ (शबरपाद ५०), फाल (गुडरिपाद ४),
भिति (लुइपाद १), मणइ भाइला (सरहपाद ३८), भेला भुजग (शबरपाद
२८, ५०), भात (ततिपा० १३), हायेरे (सरहपा० ३२), हेली (शबरपाद
५०) ।

जहाँ तक पूर्वी अपभ्रंश की चतुर्थ विशेषता का सम्बन्ध है वह विशेष नहीं
सामान्य है, क्योंकि हेमचन्द्र ने इसे परिनिष्ठित (इनके अनुसार पश्चिमी)
अपभ्रंश की विशेषता लक्षित की है यथा—लिङ्गमत त्रम (८ ४४५)—अपभ्रंशो
लिङ्गमत त्रम व्यभिचारि प्राय भवति ।^{६५} कम अधिक प्रयोगों की उपलब्धि
के आधार पर किसी लक्षण को किसी भाषा की विशेषता कहना कदापि समी-
चीन नहीं कहा जा सकता ।

यही स्थिति पश्चिम विशेषता की भी है क्योंकि संस्कृत की पुत्रियों और
विशेषकर अपभ्रंश भाषा की यह विशेषता रही है कि वह अधिक से अधिक
वियोगात्मक होनी गई और यही कारण है कि उसमें सबसे अधिक मात्रा म

^{६४} ये सभी उद्धरण केवल चर्यापदा से लिए गए हैं । दोहा कोशों का कोई
उदाहरण नहीं दिया गया है ।

^{६५} हेमचन्द्र शब्दानुशासन ८/४४५ ।

पिवाणे गिरवर सिहर (शिलर) सधि पइसते सबरो (शबरा) लाडिव
 नइसे (कीदुश) । (शबरपा, चर्यापद २८ पु० तं० नि० १०१४२) ।

उपयुक्त पद मे १४ ऐसे शब्द है जिनमे सस्त्व म 'श' वण आता है, उनमे से कवि न १२ स्थानो पर 'श' के स्थान 'स' का प्रयोग किया है तथा केवल दो स्थानो पर 'श' की सुरक्षा की है । समझना कठिन है कि विद्वान् लेखको ने उन कौन से पदो को लक्षित किया है जहा पर 'स, प' के स्थान पर 'श' तथा 'श' की सुरक्षा को देखा है । जहाँ कहीं पर 'श' सुरक्षित तथा 'स' के स्थान पर 'श' पाया जाता है वहाँ केवल क्षेत्रीय प्रभाव ही माना जा सकता है, भाषा की विशिष्टता नहीं । इसके अतिरिक्त निम्नांकित उदाहरण भी द्रष्टव्य हैं—गिरास, पइसइ (कणरीपा० च० प० ३१), आस, पास (तुईपा० च० प० १), दिस नइसे (वही २६), बत्तिस, गसिउ, मुष (भूसुक्पा० चर्यापद, २७), सस (वही, ४६), ससि (वीणापा० च० प० १७), पइसइ महेसर अमुद्ध (डोम्बिपा० च० प० १४), उवेसे, कइसे, चउदिस कम्बपा० चर्यापद ८), सरद प्रकासित (जालघरपा० च० प० ७६) समुरा (कुक्कुरिपा० च० प० २) सासु (गुडरिपा० च० प० ४), सिरिकल, कसण (कण्ण) (मदिपा० च० प० १६) ।

दोहाकोशा म तो इस नियम की बिलकुल ही परवाह नहीं की गई है । पूर्वी अपभ्रंश मे 'स' के स्थान पर प्रायः 'श' ही पाया जाता है । चर्यापदा म—

सरहपा, सहावे सोइ (सरहपा० चर्यापद ३२), सहज सुदरी मुहे बिलसति रसे (शबरपाद चर्यापद २८, ३०) पतिमासइ, सअल (कणरी पाद ३१), सअ, सवेअण सरअ (शातिपाद च० प० ५०), सुल सच (तुईपाद च० पा० १ २६), विकसउ, सहजानद, सजा (भूसुक्पा० च० प० २७ ४६), सम, रस विसम, (वीणापाद, च० प० १७), सभावे सरवस (डोम्बिपा० च० प० १०), समय सुगत समव (जालघरपा० च० प० ७६), सोइ सर् (शातिपा० च० प० ५ २६) ।

पूर्वी अपभ्रंश म 'प' के स्थान पर 'स' का प्रयोग—

सस (शेष) (भूसुक्पा० २७) ।^{५३}

इसके विपरीत चर्यापदो म 'स' तथा 'श' के स्थान पर 'प' का प्रयोग भी देखने को मिलता है, यथा—

पहज । (भूसुक्पा० चर्यापद २७)

जो पो (सो) चोर सोइ साथी (ततिपाद चर्यापद ३३)

^{५३} समस्त उद्धरण राहुल सांख्ययान द्वारा संपादित हिन्दी भाष्य धारा और 'पुरातत्त्व निबन्धावलि' से उद्धृत है ।

मिते निते पियाला (शृगाल) वोहे (सिंह) पम (सम) जुझअ ।
वही ३३) ।

श' के स्थान पर 'ध'—

पियाला, पठवेपी (प्रतिवशी) (ततिपाद च० प० ३३), पपहर (शशघर)
भूसुकपाद चर्यापद २७), पबराली (शगर) (शवरपाद चर्यापद ५०) ।

तृतीय लक्षण के परिवेश में कतिपय शब्दों को छोड़कर यहाँ पर शब्द के
आगे महाप्राणत्व को कहीं भी परिवर्तित नहीं किया गया है । मैं प्रत्येक महाप्राण
वर्ण के जो प्रायः शब्दों के आदि में प्रयुक्त होती आ रही है, एक एक, दो-दो
उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ, वैसे ऐसे शब्दों को हजारों की संख्या में यहाँ से
चयन किया जा सकता है । उदाहरण क्रमशः प्रस्तुत हैं^{५४}—

पाण्डवि धरे (सरहपाद च० प० ३८) खाइ (शबरपाद २८) , खाले
(भूसुकपाद ४६) छडि (सरहपाद ३२), छाइली (शबरपाद २८), छाड
छाड (शा० ५०), छादक (लूइपाद १), घमण (लूइपाद १) घटा (कणहपा०
११), घोरिअ, घुमइ (कणहपा० ३६) घर (ततिपा ४३), झाण (दारिक
पा० ३४), ठान (दारिकपा० ३४), ठावी (कबलपाद ३०), ठेठण (ततिपा०
३३), धिर (सरहपा० ३८), धाकिउ (भूसुकपा० २७), धाहे (शा० १५),
धर (सरहपा० ३८) धनि (धीणापा० १७), धुणी (शातिपा० ०६), धाए
(सुइपा० २६), फिलेलि फुलिआ (शबरपाद ५०), फाल (गुडरिपाद ४),
भिति (लूइपाद १), भणइ भाइला (सरहपाद ३८), भेला भुजग (शबरपाद
२८, ५०), भात (ततिपा० १३) हाथेरे (सरहपा० ३२), हेली (शबरपाद
५०) ।

जहाँ तक पूर्वी अपभ्रंश की चतुर्थ विशेषता का सम्बन्ध है वह विशेष नहीं
सामान्य है, क्योंकि हेमचन्द्र ने इसे परिनिष्ठित (इनके अनुसार पश्चिमी)
अपभ्रंश की विशेषता लक्षित की है यथा—लिङ्गमतत्रय (८ ४४५)—अपभ्रंशो
लिङ्गम अतत्रय व्यभिचारि प्राय भवति ।^{५५} कम अधिक प्रयोगों की उपलब्धि
के आधार पर किसी लक्षण को किसी भाषा की विशेषता कहना कदापि समी-
चीन नहीं कहा जा सकता ।

यही स्थिति पश्चिम विशेषता की भी है क्योंकि संस्कृत की पुत्रियों और
विशेषकर अपभ्रंश भाषा की यह विशेषता रही है कि वह अधिक से अधिक
विवेकात्मक होती गई और यही कारण है कि उसमें सबसे अधिक मात्रा में

^{५४} ये सभी उदाहरण कबल चर्यापदों से लिए गए हैं । दोहा कोशों का कोई
उदाहरण नहीं दिया गया है ।

^{५५} हेमचन्द्र शब्दानुशासन ८/४४५ ।

परसर्गों का प्रयोग किया गया है। एक बात यहाँ पर स्पष्ट कर देना अयुक्ति सगत न होगा कि उक्त विद्वानी से हमारा मतभेद इस बात पर नहीं है कि पूर्वी अपभ्रंश का अस्तित्व था अथवा नहीं, बल्कि मतभेद इस बात पर है कि सिद्धा की रचना—चर्यापदो एव दोहाकोपो की भाषा पूर्वी अपभ्रंश है अथवा परिनिष्ठित अपभ्रंश? हमारी दृष्टि में परिनिष्ठित अपभ्रंश है। इनका यह लक्षण तो हमारे मत को और भी अधिक पुष्ट करता है क्योंकि पश्चिमी अपभ्रंश से निम्न आधुनिक भारतीय भाषाएँ पूर्वी अपभ्रंश से उद्भूत असमी, बंगाली उडिया आदि भाषाओं से अधिक मात्रा में निविभक्तिक हैं। अतः सिद्ध है कि पूर्वी अपभ्रंश बोली अपेक्षाकृत कम निविभक्तिक रही होगी। यदि चर्यापदो में निविभक्तिक प्रयोग अधिक है तो वे निश्चय ही परिनिष्ठित अपभ्रंश के ही बोधक हैं।

जहाँ तक छोटे लक्षण का सम्बन्ध है लेखक ने लक्षण के उत्तरार्ध में स्वयं स्वीकार किया है कि एक प्रत्यय का अतर्मिथन हुआ है। अतः किसी रचना में एक प्रत्यय के अतर्मिथन पर और किसी रचना में दो प्रत्ययों का अतर्मिथन पर दोनों की भिन्न भिन्न भाषा की क्लिष्ट कल्पना को किसी भी प्रकार शयस्कर एवं तकसगत नहीं कहा जा सकता। फिर इस अतर्मिथन के प्रारम्भ की ओर हेमचन्द्र ने संकेत भी किया है यथा—व्यत्ययश्च (८ ४४७)—प्राकृतादि भाषा लक्षणानां व्यत्ययश्च भवति।^{६०} किसी लेखक ने इसे स्वच्छता से ग्रहण किया और कुछ प्राचीनता के पक्षपाती रहे। अतः इस आधार पर भी भाषा भिन्नता को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

सप्तम विशेषता के प्रतिरोधी प्रमाण—दोहाकोपो और चर्यापदो में 'अण' प्रत्यय मोठी की भाँति बिल्लरे पड़े हैं आवश्यकता है अक्षरवर्तनों की। इस विषय के कुछ उदाहरण प्रस्तुत कर देने से इस लक्षण की भी निराधारता सिद्ध हो जाती है।

पूर्वी अपभ्रंश में 'अण' प्रत्यय—

(१) मोहोर विगोआ कहण न जाइ। (गुडरिपा० च० प० २० का० घा० पृष्ठ १४४)।

(२) घोसिअ अण गवण विहण। (कण्हापा० च० प० ३६ का० घा० पृष्ठ १५२)।

जलण (सरहपा० दो० को० ४) जलण गत्रण (कण्हापा० दो० को० १७) कहण (कुवकुरिपा० चर्यापद २०), अण, गवण (भूमुक्तापा० चर्यापद २१)।

^{६०} हेमचन्द्र शब्दानुशासन ८/४४७।

उपयुक्त आकलन एवं विचार विमर्श के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर सरलता से पहुँच जाते हैं कि लेखका के लेखनस्थान (निवास स्थान) के आधार पर उनकी कृतियों की भाषाओं को उन क्षेत्रों की भाषाओं के नाम से अभिहित नहीं किया जा सकता। ये लेखक चाहे पूव के निवासी रहे हों चाहे इनकी जन्मभूमि पश्चिमी प्रदेश रही हो, चाहे उहाँने उत्तरी क्षेत्र में बँठकर काव्य सृजन किया हो, चाहे दक्षिणी प्रदेश में बँठकर अपनी वाणी को साकार किया हो, इन सबके प्रयो की भाषा एक ही है और वह परिनिष्ठित अपभ्रंश है जिसे य विद्वान् पश्चिमी अपभ्रंश के नाम से अभिहित करते हैं। पूर्वी अपभ्रंश का विवेचन करत समय डॉ. घोषाल ने ठीक ही कहा है—

‘इस प्रकार पूर्वी अपभ्रंश का अर्थ पूर्वी प्रया की साहित्यिक भाषा है तो निश्चय ही पूर्वी अपभ्रंश नाम की कोई चीज नहीं है। लेकिन यदि पूर्वी अपभ्रंश का तात्पर्य मागधी अपभ्रंश से है जो आधुनिक पूर्वी बोलियों का मूल स्रोत है, तो निश्चय ही उसका अस्तित्व था और वह एक जीवित सत्य की भाँति वास्तविक थी।’^{६७}

ये ही पंक्तियाँ दक्षिणी अपभ्रंश के लिए भी [केवल पूर्वी अपभ्रंश शब्द के स्थान पर दक्षिणी अपभ्रंश शब्द का प्रयोग कर] उद्धृत की जा सकती हैं। इस प्रकार सिद्ध है कि उस समय की साहित्यिक भाषा केवल एक थी, अनेक नहीं।

^{६७} हिन्दी के विकास में अपभ्रंश का योग, पृष्ठ २४।



सप्तम अध्याय

संक्रान्ति-काल की भाषा —अवहट्ट

अवहट्ट का प्रारम्भ—अवहट्ट के ग्रन्थ—अवहट्ट शब्द का भाषा के लिए प्रयोग का इतिहास—अवहस, अवहृत्य, अवहट्ट आदि शब्दों की व्युत्पत्ति—सदेशरासक का परिचय—ध्व-यात्मक विशेषताएँ—रूपात्मक विशेषताएँ—प्राकृतपगलम की विशिष्ट प्रवृत्तियाँ—ध्व-यात्मक तथा रूपात्मक—कीर्तिलता का परिचय—उक्ति व्यंजित प्रकरण का परिचय—वण रत्नाकर का परिचय—तीनों की भाषाओं की विशेषताओं का सम्मिलित परिचय—अवहट्ट की सामान्य विशेषताएँ—ध्व-यात्मक तथा रूपात्मक—अवहट्ट और मिथिलापञ्च श—अवहट्ट और पिङ्गल—मगही, ओडिया, बंगला आदि—अवहट्ट और पुरानी हिंदी—निष्कर्ष ।

पिछले पृष्ठों में हम इस बात पर अपने विचार प्रकट कर चुके हैं कि ५०० ई० से १००० ई० तक अपभ्रंश एक अखिल भारतीय साहित्यिक एवं सांस्कृतिक भाषा के पद पर प्रतिष्ठित रही। अद्यावधि उपलब्ध ग्रन्थों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह भाषा मध्यदेशीय शौरसेनी भाषा का ही विकसित रूप है जिसमें यत्र-तत्र कुछ प्रांतीय प्रभाव भी दृष्टिगोचर होता है किन्तु इसका यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि न भा आ की समस्त भाषाओं का उदगम एक इसी भाषा से हुआ है। वास्तविकता तो यह है कि साहित्यकार जब एक परिनिष्ठित भाषा का प्रयोग कला की साधना में कर रहे थे उस समय भी भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जन साधारण अपने दैनिक व्यवहार एवं कायकलाओं के लिए भिन्न भिन्न शैलियों का प्रयोग कर रहा था। ये ही शैलियाँ आगे चल कर आधुनिक भारतीय आयभाषाओं की जन्मदात्री सिद्ध हुई।

जब उपरिखणित शैलियाँ विकसित होकर साहित्यिक भाषाएँ बनने का उपक्रम कर रही थीं उस समय साहित्यकारों की परिनिष्ठित अपभ्रंश में एक विशेष परिवर्तन के लक्षण दृष्टिगत होने लगे थे। ऐसा लगता है कि कोई एक भाषा स्थानीय प्रभाव ग्रहण कर अपभ्रंश भाषा की भूमि पर अपना नवीन अस्तित्व उदघाटित करने में तल्लीन थी। कुछ समय तक तो प्राचीन परम्परा के अनुसार इसे देशी भाषा कहा जाता रहा, किन्तु जब इसमें साहित्य का सजन बहुलता से होने लगा तो तत्कालीन कलाकारों एवं वैयाकरणों ने इसे 'अवहट्ट' की सजा प्रदान की। यह भाषा वस्तुतः अपभ्रंश के अंतिम छोर और नये भारतीय आयभाषाओं की प्रारम्भिक सीमा की सूचिका सिद्ध हुई अथवा या कहिए कि इसने दोनों भाषाओं के बीच की कड़ी का काम दिया। उक्त भाषा का नाम हम निम्नलिखित ग्रन्थों के आधार पर होता है—

क्रम	रचना	लेखक व स्थान	रचना काल
(१)	सन्देश रासक	—श्री अ दुलरहमान मुल्तान	—बारहवीं सदी
(२)	प्राकृतपद्मम्	—श्री विङ्गल वाराणसी	—चौदहवीं सदी
(३)	उक्ति व्यक्ति प्रकरण	—श्री पण्डित दामोदर बाणी	—बारहवीं सदी
(४)	कीर्तिलता	—श्री विद्यापति मिथिला	—चौदहवीं सदी
(५)	वणरत्नाकर	—श्री ज्योतिरीश्वर मिथिला	—चौदहवीं सदी
(६)	चर्यापद	—विभिन्न सिद्ध एवं नाय	पूर्वी प्रदेश —चौदहवीं सदी
(७)	ज्ञानेश्वरी	—सन्त ज्ञानेश्वर लम्बिण प्रदेश	—तेरहवीं सदी
(८)	पुरातन प्रबंध मगध	—सम्पादक मुनि जिनविजय	—बारहवीं सदी

अवहट्ट भाषा के भाषा वैज्ञानिक विवेचन से पूरा यह देना सेना आवश्यक होगा कि उक्त शब्द का प्रयोग एक भाषा विशेष के लिए कब और कबसे हुआ तथा यह शब्द क्या कभी किसी भाषा विशेष के लिए प्रयुक्त हुआ है ? यदि हाँ, तो वह कौनसी भाषा थी ? अवहट्ट शब्द के प्रायोगिक इतिहास का अनुसन्धान करने पर ज्ञात होगा है कि इगला सबप्रथम प्रयोग 'सादेन सातन मागन अपभ्रंश पुटिका' में हुआ है त्रितरा रचनाकाल धारहवीं शती है—

अवहट्टय-मावजय पाइयमि पेसाइयमि भासाम ।

सतगण छ-साहरणें गुणइत भूतिय जेहि ॥ (स रा १६)

उक्त पं० में 'अवहट्ट शब्द' का प्रयोग अपभ्रंश भाषा से भिन्न किसी भाषा के लिए प्रयुक्त हुआ दृष्टिगत नहीं होता । यहाँ पर भिन्न भिन्न भाषाओं—संस्कृत, प्राकृत, पशाची—के प्रयोग में अवहट्ट शब्द का प्रयोग हुआ है । यदि हम इसे अपभ्रंश से भिन्न एक भाषा स्वीकार करें तो पद में अयदोष आ जायगा । कवि ने प्रायः प्राचीन समस्त परिनिष्ठित साहित्यिक भाषाओं को गिनाया है । ऐसी स्थिति में अपभ्रंश का परिगणन न करना किसी भी सीमा तक स्वीकार्य नहीं हो सकता । अतः स्पष्ट है कि उक्त पद में प्रयुक्त अवहट्ट शब्द अपभ्रंश का ही द्योतक है ।

सत्पश्चात् 'प्राकृत पगलम्' के टीकाकार लक्ष्मीधर ने उक्त प्रथम भाषा के लिए अवहट्ट शब्द का प्रयोग किया है—

“प्रथम भाषाया अवहट्ट (अपभ्रंश) भाषायास्तरण्डस्तरणिरित्यथ ।

इसी प्रकार टीकाकार लक्ष्मीधर ने भी प्राकृतपगलम् की भाषा को अवहट्ट बताया है—प्रथम भाषा तरण्ड । प्रथम आद्य भाषा अवहट्ट भाषा यथा भाषया अय प्रथो रचित । सा अवहट्ट भाषा तस्या इत्यथ । दोनों टीकाओं का समय क्रमशः १६५७ तथा १६६६ स० है । इस समय तक ऐसा प्रतीत होता है कि 'अपभ्रंश भाषा अवहट्ट भाषा के नाम से ख्याति प्राप्त कर चुकी थी । टीकाकार लक्ष्मीधर ने कोष्ठक में अपभ्रंश शब्द देकर सम्भवतः इस बात की पुष्टि की है कि वह अपभ्रंश और अवहट्ट को भिन्न भाषाएँ लेकर नहीं चलता । साथ ही अपभ्रंश या अवहट्ट (जो अधिक प्राचीन शब्द है) के स्थान पर अकस्मात् 'अवहट्ट शब्द का प्रयोग निश्चय ही विचारणीय है । तथ्यों के अभाव में इस सम्बन्ध में कुछ भी कहना उचित नहीं है ।

चौदहवीं शताब्दी में ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने भी अवहट्ट शब्द का प्रयोग भाषा विशेष के लिए किया है—पुनु कईसन भाट संस्कृत पराकृत, अवहट्ट पशाची शौरसेनी, मागधी छद्म भाषा तत्त्वज्ञ शकारी आभीरी चाण्डाली सावली द्राविला औतकली विजातीया सातहु उपभाषाक कुशलह । (व र, पृ ५५ ख) ।

चौदहवीं सदी में विद्यापति ने कीर्तिलता में 'अवहट्ट' शब्द का प्रयोग भाषा के अर्थ में किया है—

सक्कअ वाणी बहुअ न भावइ ।

पाउअ रस को मम न पावइ ॥

देसिल बअना सब जन मिट्टा ।

त तैसन जपिअ अवहट्टा ॥ (की० ल० प्रथम पल्लव)

उक्त पद का भी जब हम सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं तो लगता है कि विद्यापति भी अवहट्ट से अपभ्रंश अर्थ ही ग्रहण करता था क्योंकि संस्कृत और प्राकृत के पश्चात् उसने अवहट्ट शब्द का प्रयोग किया है जो अपभ्रंश का ही मूकक है। द्वितीय, उसने देशी वाणी को सरस बताकर 'त तैसन' शब्द द्वारा यह बताया है कि वह वैसी ही अवहट्ट अर्थात् देश्य वचनो से युक्त न कि परिनिष्ठित अपभ्रंश में लिखेगा। इसमें स्पष्ट व्यञ्जित होता है कि विद्यापति का अवहट्ट से तात्पर्य अपभ्रंश से ही था, परन्तु उसके ग्रंथ की भाषा अवहट्ट+देसिल बअना है। कीर्तिलता का भाषावैज्ञानिक विश्लेषण भी यह सिद्ध करता है कि उसमें देश्य प्रयोगों का आधिपत्य है पर मूल भूमि अपभ्रंश की ही है।

उपयुक्त उद्धरणों से यह कही भी सिद्ध नहीं होता कि तत्कालीन लेखका या टीकाकारों ने अवहट्ट शब्द का प्रयोग अपभ्रंश भाषा से भिन्न किसी भाषा के लिए किया है, बल्कि यों कहना चाहिये कि उक्त शब्द का प्रयोग जहाँ कहीं भी हुआ है वहाँ अपभ्रंश का ही वाचक बनकर आया है। मध्य कालीन भाषाओं के लिए संस्कृत के वयाकरणों एवं काव्य शास्त्रियों ने प्राकृत एवं अपभ्रंश शब्दों का प्रयोग किया है। प्राकृत भाषा के कवियों ने इनके तदभ्य रूप 'पाउअ तथा अवहस' जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। ठीक इसी प्रकार अपभ्रंश के कवियों ने अपभ्रंश के लिए 'अवहस' अवभ्रंश एवं अवहट्ट शब्दों का प्रयोग किया है। इस दृष्टि से अवहट्ट को अपभ्रंश से भिन्न भाषा के लिए प्रयुक्त शब्द मानना किमी भी सीमा तक स्वीकार्य नहीं है। 'अवहट्ट' को अपभ्रंश से भिन्न मानना उसी प्रकार तर्कसंगत नहीं है जिस प्रकार पाउअ को 'प्राकृत भाषा से भिन्न भाषा के लिए प्रयुक्त शब्द मानना। हाँ, एक बात अवश्य विचारणीय है कि बारहवीं शताब्दी से पूर्व के अपभ्रंश कवियों और लेखकों ने 'अवहट्ट' शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया और उक्त शताब्दी के पश्चात् यह शब्द क्यों इतना लोकप्रिय हो गया? विद्वानों का मत है कि 'अवहट्ट' शब्द संस्कृत 'अपभ्रष्ट' का तद्भव है। संस्कृत के एक-आध विद्वानों को छोड़कर भाषा विशेष के लिए किसी ने भी 'अपभ्रष्ट' शब्द का प्रयोग

नहीं किया। विष्णुधर्मोत्तर पुराण में दो स्थानों पर इस शब्द का प्रयोग मिलता है।¹

भरतमुनि ने एक स्थान पर नाटयशास्त्र में 'विभ्रष्ट' शब्द का प्रयोग किया है।² यह प्रयोग अपभ्रष्ट के स्थान पर किया गया है, वह भी सामान्य अर्थ में न कि भाषा विशेष के अर्थ में। इसके अतिरिक्त प्रायः समस्त विद्वानों ने अपभ्रंश शब्द का ही प्रयोग अधिकृत किया है। प्राकृत एवं अपभ्रंश के कवियों एवं व्याकरणों ने इसके रूपांतर अवहस, अवहभश आदि शब्दों का प्रयोग ही अधिकांश मात्रा में किया है।³ प्राचीन अथवा पूर्ववर्ती अपभ्रंश के विद्वानों में स्वयम्भू ने रामायण में अवहृत्य शब्द का प्रयोग किया है जिसे डा नामवर सिंह ने अपभ्रंश शब्द का विवक्षित रूप बनलाया है।⁴ परंतु अवहृत्य शब्द की व्युत्पत्ति अपभ्रष्ट से सिद्ध नहीं होती। हेमचन्द्र ने प्राकृत भाषा में सस्मृत 'ष्ट' के स्थान पर 'दृ' का विधान किया है।⁵ तदनुसार अपभ्रष्ट से अवहदृ बन जाता है किंतु अवहृत्य नहीं। साथ ही यह भी लक्षणीय है कि 'अवहृत्य' शब्द का प्रयोग 'पउमचरिउ' (रामायण) में अपहस्त के अर्थ में हुआ है, न कि अवहस्त के अर्थ में। जब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि अपभ्रंश के परवर्ती कवियों ने अपने पूर्ववर्ती कवियों द्वारा प्रयुक्त शब्दावली का प्रयोग क्यों नहीं किया तथा उसके स्थान पर अवहदृ शब्द उन्हें एकत्र रचिकर भी क्यों लगा? मैं जहाँ तक समझता हूँ भारतीय भाषाओं के नामकरण की पृष्ठभूमि में एक प्रवृत्ति सर्वत्र लक्षित होती है कि जिस भाषा का वे प्रयोग करते थे उस भाषा कहते थे और जो जनसाधारण में प्रचलित बोली होती थी उसे हेय दृष्टि से देखते थे कि तु जब वह बोली कतिपय प्रतिभाओं का सम्बल प्राप्त कर ऊपर उठने का उपक्रम करती तो बट्टर व्याकरणों का उसका अस्तित्व स्वीकार करना पड़ता था पर वह भी कुछ हीन दृष्टि के साथ। अतः वे उसे देश्य कहने लगते। जब वह देश्य भाषा समृद्धवती होने लगती तो उसकी परिनिष्ठिता भाषा से भिन्न नाम देकर उसे शिष्ट भाषा का गौरवमय

¹ अपभ्रष्ट तृतीयञ्च तदन त नराधिप । (वि० घ० पु० ३ ३)
लोकेषु यत् स्यादपभ्रष्ट सप्त तेष हि तदृशविदो धिक्वारम ।

(वि० घ० पु० ३ ७)

² समानशब्द विभ्रष्ट देशीगतमथापि च । (नाटयशास्त्र ३।१०)

³ सक्वय पायउ पुण अवहसउ । (कु० न० ५।१८) वि च अबभसउ ।
(अपभ्रंश का० याग पृ० १)

ता वि अवहस होदि । (अ० का० प्र० भूमिका पृ० १७)

⁴ अग्रहृदे वि० गन—यणु गिरवममु । पउमचरिउ १।१।४ ।

⁵ प्राकृत व्याकरण पृष्ठ ६४ सूत्र ३ १८ ।

पद प्रदान कर देते थे। यह प्रवृत्ति सस्कृत में लेकर आज तक भली प्रकार लक्षित की जा सकती है। कितने ही समय तक प्राकृत देश भाषाएँ रही तदुपरान्त अपभ्रंश की पर्याप्त समय तक देश भाषा कहा जाता रहा। स्वयम् आज की नागरी हिन्दी कितने दिनों तक 'भासा का भार बहन करती रही। कहने का तात्पर्य यह है कि देशी भाषा की साहित्य में प्रधानता होत ही उसका नामकरण सस्कार प्रारम्भ हो जाता था। यही स्थिति अवहट्ट की भी हो सकती है। जब अपभ्रंश में देशी शब्दों की प्रधानता हुई, जैसा कि विद्यापति ने सकेत किया है अपभ्रंश को अवहट्ट कहना प्रारम्भ कर दिया होगा पर भिन्न भाषा के रूप में नहीं।

यदि सूक्ष्मता से देखा जाए तो प्रतीत होगा कि पूर्वकालीन अपभ्रंश के कवियों ने अपनी भाषा को देश भाषा मानकर उसके लिए अवभ्रम तथा अवहंस शब्दों का प्रयोग किया है जो सस्कृत अपभ्रंश शब्द के विकसित रूप ही हैं किन्तु उत्तरकालीन लेखकों ने यद्यपि अपभ्रंश के ही पर्याय के रूप में—अवहट्ट, अवहट्ट अवहट्ट तथा अवहट्ट शब्दों का प्रयोग किया है किन्तु ये 'अपभ्रष्ट' शब्द के ही विकसित रूप हैं। अब विचारणीय बबल यही है कि इन्होंने पुरातन शब्द का परित्याग क्या किया? क्या वे विकास के इस चिह्न में अवगत थे? यदि य तो फिर 'प्राकृत' के बाद इसका प्रयोग क्या? अवहम के पश्चात् यदि अवहट्ट का प्रयोग किया जाता तो ऐसा लगता कि मन्भवत वे नवीन भाषा के सम्बन्ध में जानते होते। पर प्रयोग से ऐसा विदित नहीं होता। इस समस्या का समाधान अवश्यम्भावी है। अब तक अवहट्ट भाषा की सभा जिन ग्रन्थों की भाषा को गी गई है उनमें सनेह्य रासक (सदेश रासक) प्राकृतपैंगलम् पुरातन प्रबन्ध संग्रह उक्ति व्यक्ति प्रकरणम वण रत्नाकर कीर्तिलता चर्यापद तथा पानेश्वरी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन ग्रन्थों में यदि भाषा की दृष्टि से अवलोकन किया जाए तो पात होगा कि इनमें जहाँ कुछ सामान्य प्रवृत्तियाँ प्राप्त होती हैं वहाँ पर इन पर वहाँ की प्राचीन बोलियाँ का प्रभाव भी कम मात्रा में नहीं है। अतः इन सामान्य प्रवृत्तियों के आधार पर ही विद्वानों ने इन ग्रन्थों की भाषा का नामकरण सस्कार अवहट्ट किया है। फिर भी इनकी भाषा पर पृथक्-पृथक् रूप से विचार करनी आवश्यकता है। सर्वप्रथम सदेश रासक को लीजिये—

सदेश रासक के रचयिता का नाम अब्दुल रहमान है। ये मुल्तान के निवासी थे। ग्रन्थ में एक विरहिणी नायिका के हृदय की मार्मिक अनुभूति की अभिव्यञ्जना की गई है। इसमें उस स्थिति में उत्पन्न होने वाले सभी हावा एव भावों का बड़ा ही सुन्दर प्रस्फुटन हुआ है। नागरिक सस्कृति की तरह का वाक्चातुर्य न होकर प्राचीण भावों का निश्छन्न अभिव्यक्ति दर्शनीय है।

इस ग्रंथ का जहाँ का य की दृष्टि से महत्त्व है वहाँ भाषा की दृष्टि से भी यह एक महत्त्वपूर्ण रचना है। भाषा की दृष्टि से यह परवर्ती अपभ्रंश है और न भाषा की मध्यस्थीय भाषाओ के प्रारम्भ की सूचक भी।

ध्वनितत्त्व—(१) दो स्वरों के मध्य में आने वाले म के स्थान पर 'व' अथवा वें ध्वनि उपलब्ध होती है। यह प्रवृत्ति राजस्थानी भाषा में भी पाई जाती है, यथा—दमन > डवण रमणीय > रवणिञ्ज।

(२) जहाँ अपभ्रंश में निरनुनासिक ध्वनियों को सानुनासिक कर देने की प्रवृत्ति को अपभ्रंश में विद्वानों ने चिह्नित किया है वहाँ सन्देश रासक इसके परित्याग की प्रवृत्ति को सूचित करता है—

अधिकरण कारक में—हि के स्थान पर हि'।

नपुंसक लिङ्ग कर्ता और कर्म में—अइ > अइ।

अय उदाहरण—

हउ > हउ, तुहु > तुहु मइ > मइ, विवि > विवि काइ > काइ।

(३) 'इ' के स्थान पर 'य' के आदेश की प्रवृत्ति—

कविवर > कइवर > कयवर वियोगी > विउइ > विउय केतकी > केवइ >

केवय।

(४) 'अ' के स्थान पर 'इ' कर देने की प्रवृत्ति—

गदगद > गग्गर > गगिर, शशधर > ससहर > ससिहर।

(५) 'इ' के स्थान पर अ कर दिया जाता है—

विरहिणी > विरहणी धरित्री > धरति विविध > विवह।

(६) उ के स्थान पर 'अ' पाया जाता है—

उत्तुङ्ग > उत्तग कुसुम > कुसम।

(७) उ' के स्थान पर व भी मिलता है—

गोपुर > गोउर > गोवर।

(८) ए के स्थान पर 'इ'—शम्पा > सज्जा > सिज्ज।

(९) ओ के स्थान पर उ—यथा मौक्त्तिक > मोक्त्तिअ > मुक्त्तिय।

(१०) समीपस्थ दो स्वरों की सन्धि कर देने की जो प्रवृत्ति नव्य भारतीय आयभाषाओं में उपलब्ध होती है उसका प्रारम्भ सन्देश रासक में पर्याप्त मात्रा में देखा जा सकता है—

स्वणकार > मुन्नार > मुनार, अघकार > अघआर > अघार।

(११) स' को ह का आदेश जो अधिकांश भारतीय आयभाषाओं में पाया जाता है विशेषकर राजस्थान की पश्चिमी शाखा पंजाबी एवं सिंधी में मिलता है उसका प्रारम्भ भी सन्देश रासक में हुआ था—

सदेश > सनेस > सनेह दिवस > न्हिह दश > दस > दह।

(१२) पदान्त दीघ स्वर को ह्रस्व कर देने की प्रवृत्ति—इस प्रवृत्ति की सूचना हमघट्ट ने भी अपभ्रंश के लिए दी है जहाँ ह्रस्व को दीघ और दीघ को ह्रस्व कर दिया जाता है, यथा—

ढोल्ला सामला घण चम्पावण्णा । गाइ सुवण्णरेह कसवट्टइ दिण्णी—उक्त उदाहरण में सामल ढोल्ल ये दोनों दीघ कर दिए गए हैं तथा स्वणरेखा > सुवण्णरेह में पदान्त दीघ को ह्रस्व कर दिया गया है। पर यहाँ पर यह प्रवृत्ति विशेष सक्रिय है—

दोहा > दोहअ, गाथा > गाहा > गाहअ ।

रूपतत्त्व—(१) निर्विभक्तिक प्रयोग स्वच्छन्दता से किए जाने लगे । यद्यपि इस प्रवृत्ति का प्रारम्भ संस्कृत से ही हो गया था पर अपभ्रंश तक केवल कतिपय कारक रूपों तक ही सीमित रहा । संदेश रासक और प्राकृत पङ्गलम् में प्रायः सभी कारकों के निर्विभक्तिक प्रयोग उपलब्ध हो जाते हैं, साथ ही विभक्तिक प्रत्ययों का प्रयोग भी प्रचलन में था ।

(२) परसर्गों की संख्या बढ़ने लगती है । कवि या लेखक सविभक्तिक प्रयोगों के स्थान पर परसर्ग-युक्त प्रातिपदिका का प्रयोग अधिक रुचि के साथ करने लगे । संदेश रासक में सत्थिहि सम, सरिसु, हुत्तउ, ठिउ द्वियउ रेसि, लग्गि, तणि, महि आदि अनेक परसर्गों का प्रयोग किया गया है ।

(३) संदेश रासक तक आते-आते पूर्वकालिक क्रिया के प्रत्ययों के साथ 'कर और करि' जैसे परसर्गों का प्रयोग भी देखने को मिलता है, यथा—
दहेवि करि ।

उपयुक्त प्रवृत्तियों के साथ जब प्राकृतपङ्गलम् की भाषा प्रवृत्तियों की तुलना करते हैं तो छोटी बहुत भिन्नता के साथ प्रायः ये सभी प्रवृत्तियाँ उपलब्ध हो जाती हैं, यथा—

(१) प्राकृतपङ्गलम् में य श्रुति का प्रायः अभाव ही पाया जाता है इसका यह भी कारण हो सकता है कि लेखक ने प्राकृत शब्दों के प्रयोगों को विशेष महत्ता दी हो, जैसे—

सागर > साअर (११) (संदेश रासक में 'सायर' प्रयुक्त हुआ है) ।
युगल > जुअल (१८६) स ग जुअल ।

(२) 'म' के स्थान पर 'व' व्' का आदेश अत्यन्त कम मिलता है ।

(३) संदेश रासक की तुलना में प्राकृतपङ्गलम् में द्वित्व का प्रयोग अधिकता से पाया जाता है जिसे शायद राजस्थान की डिगल शाली में और पंजाबी ने अब तक अपना रखा है ।

उदाहरण—दीपक > दीपक्क (११८१) चमक् > जमक् > जमक्का (११२०), नियम > णिअम > णिम > णिमम (११८६) ।

इस प्रय का जहाँ बाव्य की दृष्टि से महत्त्व है वहाँ भाषा की दृष्टि से भी यह एक महत्त्वपूर्ण रचना है। भाषा की दृष्टि से यह परवर्ती अपभ्रंश है और न भाषा की मध्यदशिय भाषाओं के प्रारम्भ की सूचक भी।

ध्वनितत्त्व—(१) दो स्वरो के मध्य में आने वाले म के स्थान पर व अथवा व ध्वनि उपलब्ध होती है। यह प्रवृत्ति राजस्थानी भाषा में भी पाई जाती है, यथा—दमन > डवण रमणीय > रवणिज्ज।

(२) जहाँ अपभ्रंश में निरनुनासिक ध्वनियों को सानुनासिक कर देने की प्रवृत्ति को अपभ्रंश में विद्वानों ने चिह्नित किया है वहाँ सदेश रासक इसके परित्याग की प्रवृत्ति को सूचित करता है—

अधिकरण वारव में—हि के स्थान पर हि।

नपुंसक लिङ्ग कर्ता और कर्म में—अइ > अइ।

अथ उदाहरण—

हउ > हउ, तुहु > तुहु मइ > मइ किवि > किवि काइ > काइ।

(३) 'इ' के स्थान पर 'य' के आदेश की प्रवृत्ति—

कविवर > कइवर > कयवर वियोगी > विउइ > विउय केनकी > केवइ >

केवय।

(४) 'अ' के स्थान पर इ कर देने की प्रवृत्ति—

गदगद > गग्गर > गगिर शशधर > ससहर > ससिहर।

(५) 'इ' के स्थान पर अ कर दिया जाता है—

विरहिणी > विरहणी धरित्री > धरति विविध > विवह।

(६) उ के स्थान पर 'अ' पाया जाता है—

उत्तुङ्ग > उत्तग, कुसुम > कुसम।

(७) उ के स्थान पर व भी मिलता है—

गोपुर > गोउर > गोवर।

(८) ए के स्थान पर इ—शय्या > सेज्जा > सिज्ज।

(९) औ के स्थान पर उ—यथा मौक्तिक > मोक्तिअ > मुक्तिय।

(१०) समीपस्थ दो स्वरो की संधि कर देने की जो प्रवृत्ति नव्य भारतीय आयभाषाओं में उपलब्ध होती है उसका प्रारम्भ सदेश रासक में पर्याप्त मात्रा में देखा जा सकता है—

स्वणकार > मुन्नआर > मुनार अघकार > अघआर > अघार।

(११) 'स' को 'ह' का आदेश जो अधिवाश भारतीय आयभाषाओं में पाया जाता है विशेषकर राजस्थान की पश्चिमी भाषा पंजाबी एवं सिंधी में मिलता है उसका प्रारम्भ भी सदेश रासक में ही गया था—

सत्तेश > सनेम > सनेह दिवस > न्हियह, दश > दस > दह।

(१२) पदान्त दीप स्वर को ह्रस्व कर देने की प्रवृत्ति—इस प्रवृत्ति की सूचना हेमचन्द्र ने भी अपभ्रंश के लिए दी है जहाँ ह्रस्व का दीप और दीप को ह्रस्व कर दिया जाता है, यथा—

दोहा सामला घण चम्पावती । पाइ मुदरह कन्ददृड गिनी—उक्त उदाहरण में सामन दोन्न य दोनों दीप कर दिए गए हैं यथा स्वर्गला > सुवर्णरेह में पदान्त दीप को ह्रस्व कर दिया गया है। परन्तु यह वह प्रवृत्ति विशेष सक्रिय है—

दोहा > दोहअ, गाथा > गाहा > गह्र ।

रूपतत्त्व—(१) निविभक्ति प्रयोग स्वच्छन्द्य के लिए किये गये । यद्यपि इस प्रवृत्ति का प्रारम्भ मन्वृत से ही हुआ था परन्तु अत्र केवल कतिपय कारक रूपों तक ही सीमित रहा । मन्वृत युग और प्राकृत पञ्चम में प्रायः सभी कारकों के निविभक्ति प्रयोग उदाहरण के लिए, साथ ही विभक्ति प्रत्ययों का प्रयोग भी प्रचलन में था ।

(२) परसर्गों की सख्या बढन लगती है। इन्हीं के स्थान पर परसर्ग युक्त प्रातिपदिकों का प्रयोग अधिक संख्य के रूप करने लगे । सदेश रासक म सतिपहि, मन मन्दि, हुंन्य रि हुंन्य, रेसि, लगि तगि, महि आदि अनेक परसर्गों का प्रयोग हुआ है ।

(३) सदेश रासक तक आते-आते पूर्वकार्यक क्रिया के प्रयोगों का प्रयोग 'कर' और करि जैसे परसर्गों का प्रयोग नगण्य हो गया, यथा—
दहेवि करि ।

उपर्युक्त प्रवृत्तियों के साथ जब प्राकृतपञ्चम का प्रयोग प्रवृत्तियों का तुलना करते हैं तो थोड़ी बहुत भिन्नता के साथ प्रायः य मन्वृत प्रवृत्तियों उपलब्ध हो जाती हैं, यथा—

(१) प्राकृतपञ्चम में य श्रुति का प्रायः अभाव ही पाया जाता है इसका यह भी कारण हो सकता है कि लेखक ने प्राकृत प्रवृत्तियों के प्रयोगों का विशेष महत्ता दी हो, जैसे—

सागर > सायर (११) (सदेश रासक में 'सायर' प्रयुक्त हुआ है) ।
युगल > जुअल (१८६) स रा जुअल ।

(२) 'म्' के स्थान पर 'व्' व् का आदेश अत्यन्त कम मिलता है ।

(३) सदेश रासक की तुलना में प्राकृतपञ्चम में द्विवचन का प्रयोग अधिकता से पाया जाता है जिसे शायद राजस्थान की हिमालय में और पञ्जाबी ने अब तक अपना रखा है ।

उदाहरण—दीपक > दीपक (११८१), चमक > जमक > जमका (११२०), नियम > गिअम > गिम > गिमम (११८६) ।

रूप रचना में केर और परि का प्रयोग विशेष रूप से उल्लेखनीय है तथा साथ ही भविष्यकाल में 'ह' के साथ-साथ 'ग' प्रत्यय का प्रयोग द्रष्टव्य है जिसे पश्चिमी राजस्थानी अब तक अपनाए हुए है—कहूँ पीठि अहूँ जास्युँ आज (भा० प्र० ४ १६८)

हाँ 'गामवर सिंह' ने उक्त दोनों ग्रंथों का पश्चिमी प्रदेशों की भाषाओं का आरम्भिक रूप माना है। द्वाविंशति उद्गोत्र हिंदी के विभाग में अथ रण का योग पुस्तक में परवर्ती पश्चिमी भयभंग शीपक के अंतगत इनका विवेचन किया है। किंतु उक्त दोनों ग्रंथ पश्चिम की मानियो एवं भाषा के प्रारम्भिक रूप का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता वहाँ तक रखते हैं यह अभी भी अध्ययन एवं अनुसंधान का विषय है। प्राकृतपद्मसम् में वित्तो ही ऐसे प्रयोग हैं जो पूव की भाषाओं की याद दिलाते हैं।

उक्ति व्यक्त प्रकरण कीतिलता तथा वण रत्नाकर की भाषाएँ यूनाधिक साम्य वैषम्य के होते हुए भी पर्याप्त मात्रा में समान प्रवृत्तियाँ की होती हैं। साथ ही अनन्य स्थला पर पूर्ववर्णित ग्रंथों की भाषा से ये अतया उत्तमता भी सिद्ध करते हैं जसा कि आगे चलकर इनके भाषावैज्ञानिक विवेचन से स्पष्ट होगा। 'उक्ति व्यक्त प्रकरण' ग्रंथ की रचना दामाशर पण्डित न काशीकम्रोज के नरेश गोविंदचंद्र के पुत्रों को लोक भाषा सिखाने हेतु की थी। डा सुनीति कुमार चटर्जी का इसका भाषावैज्ञानिक विवेचन अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। इनके आधार पर यह सरलता से कहा जा सकता है कि उक्त ग्रंथ की भाषा पूर्वो हिंदी के पुराने रूप का अच्छा प्रतिनिधित्व कर सकती है। 'कीतिलता' प्रसिद्ध मैथिल कवि विद्यापति की रचना है। इसकी भाषा को स्वयं कवि ने अवहट्ट कहा है। यद्यपि यह अब तक सिद्ध नहीं हो पाया है कि कवि का अवहट्ट से क्या तात्पर्य था। ग्रंथ का प्रणयन महाराज कीर्तिसिंह जो तिरहुत के राज कुमार थे की कीर्ति को प्रतिष्ठित करने हेतु किया गया है। मलिक असलान द्वारा उनके पिता की हत्या किये जाने पर दोनों भाई किस प्रकार जौनपुर के नवाब की सहायता से असलान को बंदी बनाकर भी जीवनदान देते हुए पुनः अपने राज्य को हस्तगत करते हैं। इसमें मुस्लिम संस्कृति जौनपुर का प्राकृतिक चित्रण एवं कीर्तिसिंह की वीरता का वर्णन अत्यंत हृदयग्राही है। साथ ही पूर्वो प्रदेशों की बोलियों के बीज खोजने वाले अनुसंधित्पुत्रों के लिए इसकी भाषा अत्यंत उपयोगी है। वण रत्नाकर की रचना श्री ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने 'कवि समयों का संग्रह करने हेतु की थी। य मैथिला के नरेश हरिसिंह देव के आश्रित कवि थे। इनकी भाषा पुरानी मैथिली का उत्कृष्टतम नमूना है। साथ ही मगही भोजपुरी एवं बगला के भाषा रूपों को भी अपने में सजोए हुए है।

उपयुक्त तीनों ग्रन्थों की यूनाधिक अन्तर के साथ भाषा की निम्नलिखित विशेषताएँ अंकित की जा सकती हैं। उचित ध्वनित प्रवरण की भाषा जहाँ अवधी भाषा के पुराने रूप का नमूना बही जा सकती है वहाँ शेष दोना ग्रन्थ अधिक पूर्व तक भाषाआ के तत्त्वा को भी अपन म लिए हुए हैं। सम्भवत इसीलिए श्री नामदर सिंह न इस मध्यदेशीय भाषाआ का पूर्वरूप कहा है।

ध्वनितत्त्व—(१) अउ और ओउ के स्थान पर 'ओ तथा अइ और अइ क स्थान पर ऐ मिलते हैं—

करोतु>करउ>करो (कीतिलता १७७), रक्षति>रक्सइ>राख (अङ्ग न राख राउ—कीतिलता ७६), भवति>भइ>भ (३८६)।

किन्तु उचित यकिन प्रवरण म इनके स्थान पर 'अ' भी मिलता है—

करोति>करइ>कर पठिति>पठइ>पठ^७ पर यह प्रयोग कीतिलता म भी उपलब्ध होते हैं—कथयति>कहइ>कह (२११७), इच्छति>चाहइ>चाह (२/१६७)।

(२) सरलीकरण हेतु द्वित्व यञ्जनो को हटाकर क्षतिपूरक दीर्घाकरण की प्रवृत्ति—भक्त>भक्त>भान, पक्व>पक्व>पाक।

(३) स्वर भक्ति के उदाहरण भी देखने को मिलते हैं—

वृश>किरिस (३१०८, की ल), वप>वरिस (उ व्य प्र)^७, श्री>सिरि (की ल ३११८) आदश>आरिस (उ व्य प्र)^८।

(४) जकारण सानुनासिकता की ओर रक्षान—

करिअउ>करिअउँ (की ल १४१), गोचरिअउ>गोचरिअउँ (की ल ३८१४)।

(५) क्ष का स्पातर 'प्ल या केवल 'प मिलता है—

प्रेक्षते>पेक्वते (की ल २५३), यक्षिणी>जापणी (की ल २१८६), लक्ष>लय (की ल ३७३)।

रूपतत्त्व—(१) निर्विभक्तिक प्रयोग पश्चिमी परवर्ति अपभ्रंश की अपेक्षा इन ग्रन्थों म अधिक मात्रा एवं अधिक स्वच्छदता स हुए हैं—

जुआर—सत्रो (व र ३८)।

जुअह—देखह कारण (की ल १०६)।

(२) सम्भव कारक मे 'कर' और 'क' प्रयोग लक्षणीय हैं—

ताहि करी कुटिल बटा छटा (की ल), राज कर पुरप (उ व्य प्र

^७ हिंदी के विकास म अपभ्रंश का योग-पृष्ठ ७६ से उद्धृत।

^७ वही पृष्ठ ८०।

^८ वही पृष्ठ ८०।

१६११), गभ्याहो करी येसा (की ल), पढवती कर घर (उ व्य प्र २२३)।

(३) भूतवास के लिए अत' प्रत्यय का प्रयोग इन प्राचा की प्रमुख विशेषता है जो आज भी मगही मपिली भोजपुरी तथा बगला म प्रयुक्त होते हैं—

भमर पुणोदेने चलल (व र २६ ल)।

गए नेसर भारल (की ल २७)।

नायके पएर पछालल (व र)।

(४) सहायक क्रियाओं के प्रयोग का साहचर्य—

होइते अछ (व र १३ व), करइते अछ (व र ३७ ल)।

तहो अछए मसि (की ल ३१३१)।

(५) भविष्यत्काल म स्स और 'ह की अपेक्षा व का प्रयोग अधिकता से देखने को मिलता है।

पुराण देखब—घम करब (उ व्य प्र १२ १६ १७) कीतिलता म 'व वाले रूप की अपेक्षा 'स्स, ह' वाले रूपों की अधिकता है। डॉ शिवप्रसाद सिंह को केवल एक ही 'व्वउ अत वाला उदाहरण मिला है—'सख करि'वउ काह' (३ ५१)।

(७) पूर्वकालिक क्रियाओं मे अ य प्रत्ययों के साथ साथ 'इ प्रत्यय भी देखने को मिलता है।

इसके अतिरिक्त चर्यापदों मे बगला भाषा के प्राचीन रूप मिलते हैं। चर्यापदों को अवहट्ट की सजा देना कहीं तक उचित है—यह विद्वानों के लिए विचारणीय विषय है। नानेश्वरी पुरानी मराठी का उत्कृष्टतम नमूना है जिसमे पश्चिमी परवर्ती अपभ्रंश के लक्षण भी बहुतायत से पाये जाते हैं।

पृथक् पृथक् पुस्तकों के भाषावैज्ञानिक अध्ययन क पश्चात् समग्र रूप म अवहट्ट की निम्नलिखित विशेषताएँ हो सकती हैं—

ध्व-धात्मक विशेषताएँ—(१) द्वित्व की प्रवृत्ति का परित्याग कर उक्त व्यञ्जन की क्षतिपूर्ति करने हेतु पूव स्वर को दीघ कर दिया जाता है—

ठक्कुर>ठाक्कुर (की ल २१०), काय>कज्ज>काज (की ल ३१३४) घम>घम्म>घाम (की ल २१०), कम>कम्म>काम, दश्यम्>दिस्स>दीसद (स रा ६८) मित्र>मित्त>मीत निश्वास>निस्सास>नीसास(स रा ८३), उच्छवास>उस्सास>ऊसास(स रा ६७)।

अवहट्ट म उक्त नियम सबत्र लागू नहीं होता यथा—सव>सव>सव, सत्य>सच्च>सच।

(२) स्वरो के साथ साथ आने पर उनमें सन्धि कर दी जाती है—

सहकार>सहआर>सहार स्वणकार>सुष्णआर>सुष्णार, अघकार>अघआर>अघार (की ल ४२०), मयूर>मउर>मीर मोर (स रा २१२), क्रियते>क्रिज्जइ>कीज, कारयते>करिज्जइ>करिज ।

(३) अकारण अनुनासिकता ल आने की प्रवृत्ति भी दृष्टिगोचर होती है—

उत्साह>उँच्छाह (की ल १२६), द्यूत>जुआँ (की ल २१४६) दुजन>दूजणँ (उक्ति-य ४६६), गात्र>गँत्ते (प्रा पैङ्गलम ४३६३), कास्य>कास (की ल २१०१) ब्राह्मण>बभण (की ल २१२१) ।

(४) 'य' तथा 'व' श्रुति का आदेश यूताधिक रूप में प्राय सभी अवहट्ट के ग्रन्थों में उपलब्ध होना है। प्राकृतपैङ्गलम् में तथा सन्देश रासक में यह प्रवृत्ति अपेक्षाकृत कम मात्रा में मिलती है।

(५) 'म' के स्थान पर 'व' का प्रयोग अवहट्ट में मिलता है जिनके अवशेष ब्रज और राजस्थानी में अब भी मिल जाते हैं।

(६) अ ध्वनि अभी तक विशेषकर कीर्तिलता में आदि मध्य और अंत तीनों स्थानों पर मिलती है।

(७) अवहट्ट के सभी ग्रन्थों में 'श, प' के स्थान पर 'स' मिलता है तथा प्रत्ययों में प्राप्त अपभ्रंश की 'ह' ध्वनि का लोप भी यहाँ पर प्रारम्भ हो जाता है जो जागे चलकर ब्रज और अग्रधी के कुछ रूपों को छोड़कर प्राय समाप्त हो गया।

रूपात्मक विशेषताएँ—(१) प्राय सभी कारकों में निर्विभक्तिक प्रयोग प्रारम्भ हो गए। कर्ता और क्रम में यह प्रवृत्ति अधिक मात्रा में पाई जाती है।

(२) अपभ्रंश के विभक्तित्वात् प्रत्ययों का प्रयोग अभी प्रचलित था।

(३) अपभ्रंश में बताए गए परसर्गों के साथ साथ नवीन परसर्गों का प्रयोग स्वच्छन्दता के साथ किया जाने लगा था। नवीन परसर्गों में कुछ तो अपभ्रंश के परसर्गों के रूपांतर मात्र हैं और कुछ नवीन विकसित रूप, यथा—रा रे री, चा चे ची ना ने नी, दा दे दी।

(४) समुक्त पूर्वकालिक प्रत्ययों का प्रारम्भ—अपभ्रंश में इ इवि आदि प्रत्ययों का जो विधान है उसके स्थान पर 'वर या करि' आदि शब्दों का प्रयोग प्रारम्भ हो गया था जो आजकल लड़ी बोली हिन्दी की प्रमुख विशेषता है।

(५) समुक्त कालों का प्रारम्भ भी अवहट्ट भाषा की विशेषता है। 'भू और अस घातुआ के घिसे हुए रूपा का प्रयोग मूल क्रिया शब्द के साथ किया जाने लगा। बाद में 'नभाआ' की यह प्रमुख विशेषता बन गया।

(६) भूतकाल म 'ल', भविष्यत् म गा ग गी (वाद् मे विकसित) के स्थान पर स और ह' परक तथा 'व परक प्रत्ययो का प्रयोग ।

कोष—(१) मुसलमानों के आगमन के कारण फारसी शब्दों का प्रवेश ।

(२) हिंदू पुनर्जागरण के कारण तत्सम शब्दावली का बाहुल्य ।

अवहट्ट भाषा वस्तुतः सक्रांति काल की साहित्यिक भाषा थी । जिस समय यह परिनिष्ठित रूप धारण कर रही थी उसी समय से ही आधुनिक भारतीय आयभाषाएँ बड़ी तेजी से अपना साज सँवार कर रही थी और चौदहवीं सदी के प्रारम्भ होते होने सभी नभाषा की भाषाओं ने अपना अपना स्वरूप निर्धारित कर लिया था । इस प्रकार इनकी ध्वनिगत एवं रूपगत विशेषताओं के कारण अवहट्ट से भिन्न भाषाओं के रूप में इन्हें स्वीकृति प्रदान कर दी गई । कुछक क्षत्रों में ये परस्पर समान होते हुए कुछ ऐसी भिन्नताएँ सजोए हुए हैं कि ये भिन्न भिन्न क्षत्रों का प्रतिनिधित्व करने की पूरा क्षमता रखती हैं ।

अवहट्ट और पुरानी हिंदी

अवहट्ट का स्वरूप विवचन करते समय यह स्पष्ट कर दिया गया था कि उस समय के सागो का इस शब्द का प्रयोग करने का अभिप्राय अपभ्रंश से भिन्न किसी भाषा विशेष के लिए नहीं था । अतः जैसे ही परवर्ती अपभ्रंश के ग्रन्थों की उपलब्धि हुई विद्वानों ने उन ग्रन्थों की भाषा का भिन्न भिन्न नाम देने प्रारम्भ किए । सर्वप्रथम डा. बाबूराम सक्सेना ने कीर्तिलता की भूमिका में उसकी भाषा को मिथिलापभ्रंश की संज्ञा दी है । बाद में डा. उमेश मिश्र एवं डा. जयकांत मिश्र ने भी इसे मिथिलापभ्रंश की ही संज्ञा दी और स्व० प० शिवनन्दन ठाकुर ने तो अनेक तथ्यों के आधार पर इसे मिथिलापभ्रंश सिद्ध करने का अत्यधिक प्रयत्न किया । इनका कहना है कि लोचन कवि ने राजतरंगिणी में विद्यापति की भाषा को मिथिलापभ्रंश कहा है । यथा—

देश्यामपि स्वदेशीयत्वात् प्रथम मिथिलापभ्रंशभाषाया श्री विद्यापति निवद्धास्ता मयिनीगीत गतयः प्रदशते ।

किन्तु उक्त पंक्तियों से कीर्तिलता की भाषा का आभास न होकर उसकी पदावली का सक्त मिलता है जिस आजकल के विद्वान् भी स्वीकार करते हैं कि पदावली और कीर्तिलता की भाषाएँ भिन्न हैं । इसके अतिरिक्त अम भाषावैज्ञानिक तथ्य भी जो ठाकुर साहब ने प्रस्तुत किए पश्चात् में ही सूचक हैं । कीर्तिलता की भाषा में जितने तत्त्व पूर्वी प्रश्नों की भाषाओं के उपलब्ध होते हैं उनसे वहीं अधिक पश्चिमी प्रश्नों की भाषाओं के प्रारम्भिक लक्षण भी उसमें प्राप्त होते हैं । अतः कीर्तिलता की भाषा को मिथिलापभ्रंश कहना उचित नहीं और यही स्थिति वणरत्नावर की भाषा की भी है ।

डॉ. चाटुर्ज्या ने अवहट्ट को पिद्म भी कहा है । आपने लिखा है सातवर

राजस्थान में अवहट्ट पिङ्गल नाम से प्रख्यात था और स्थानीय चारण समान रूप से इस पिङ्गल और अपनी देशी भाषा डिङ्गल में रचनाएँ करते थे।^{१०} डाक्टर साहब के मत का आधार सम्भवतः प्राकृतपिङ्गलम के टीकाकारों द्वारा अवहट्ट एव पिङ्गल का पर्याय रूप में प्रयोग करना है। यदि प्राकृतपिङ्गलम की भाषा का सूक्ष्म विश्लेषण किया जाए तो स्पष्ट हो जाता है कि उसकी भाषा में अनेक स्थानों पर पूर्वी प्रदेशों की भाषागत विशेषताओं का भी प्रयोग किया गया है। साथ ही यदि पिङ्गल से तात्पर्य शुद्ध पुरानी ब्रजभाषा है तो कुछ सोचा जा सकता है किन्तु यदि राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा है तो अवहट्ट कदापि पिङ्गल का पर्यायवाची नहीं हो सकती।

अवहट्ट से केवल पुरानी राजस्थानी या गुजराती अथ लेना भी उचित नहीं जिसे श्री टैसिटरी लेकर चलते हैं तथा डोलामारू रा दूहा के सम्पादकों ने भी ऐसा माना है। किन्तु यह मत भी उसी प्रकार दोषग्रस्त है जिस प्रकार श्री राहुल साकृत्यायन का इसे मगही तक सीमित कर देना या अथ विद्वानों द्वारा अपने मतलब की सामग्री का चयन कर उसे किसी प्रांत विशेष तक सीमित कर देना।

इस विषय पर सबसे अधिक विचारणीय मत श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है जिसमें इन्होंने अवहट्ट को पुरानी हिंदी कहा है—पुरानी अपभ्रंश सस्कृत और प्राकृत से मिलती है पिछली पुरानी हिंदी से।^{१०} श्री गुलेरीजी का पुरानी हिंदी से क्या तात्पर्य था कुछ स्पष्ट नहीं है। यदि वह हिंदी को श्री साकृत्यायन की तरह भौगोलिक सीमाओं में बाँधकर चलते हैं, यथा—'सूबा हिंदुस्तान हिमालय पहाड़ तथा पंजाबी, सिन्धी गुजराती मराठी तैलंग ओडिया बंगला भाषाओं से घिरे प्रदेश की आठवीं शताब्दी की वाद की भाषाओं को हिंदी कहते हैं। इसके पुराने रूप को प्राचीन मगही, मथिली ब्रजभाषा आदि कहते हैं और आजकल के रूप को सावदेशिक और स्थानीय दो भागों में विभक्त कर आधुनिक सावदेशिक रूप का खड़ी बोली और मगही, मथिली भोजपुरी, बनारसी अवधी आदि को आधुनिक स्थानीय भाषाएँ कहते हैं।^{११} तो निश्चय ही अवहट्ट को पुरानी हिंदी नहीं कहा जा सकता। कारण स्पष्ट है कि परवर्ती अपभ्रंश के जो ग्रंथ अब तक मिले हैं वे न्यूनताधिक रूप में प्रायः समस्त प्रांतीय भाषाओं के तत्त्वों से संविलित हैं। अतः उन्हें किसी

^{१०} बंगला भाषा का उदभव और विकास पृष्ठ ११४, कीर्तिसना जीर अवहट्ट पृष्ठ १२ से उद्धृत।

^{१०} पुरानी हिंदी—चंद्रधर शर्मा गुलेरी।

^{११} प्राकृतपिङ्गलम—डॉ० भालाशंकर व्यास।

प्रायः विनियम तब सीमित नहीं किया जा सकता। तबसे के आधार पर यह कहा जा सकता है कि पश्चिमी अर्धभाग एक समय समय भारत की साहित्यिक भाषा थी जो अपनी समीचीन सभी विभागाओं के तथ्यों को भी दर्शन किए हुए थी तथा इन तथ्यों को दर्शन करने में परवर्ती अर्धभाग ने और भी अधिक स्वच्छता का परिचय दिया। अतः एकीकृत म परवर्ती अर्धभाग में जो प्रायः अब तक उपलब्ध हुए हैं उनका भाषाओं को भिन्न भिन्न प्रांतीय नामों से पुकारा जाकर यदि एक ही नाम से सम्बोधित किया जाए तो यह अधिक भाषावैज्ञानिक और अधिक राष्ट्रीय होगा और यह नाम अवश्य ही अधिक उपयुक्त अथवा कोई नहीं हो सकता।

मेरे द्वारा उक्त प्रयोगों की ध्वनिदा एक पत्र रचना का किया गया विश्लेषण का विशेषताओं के आधिक्य पर ही आधारित है। साथ ही सादेन रासक, उक्ति-व्यक्ति प्रकरण प्राकृतपङ्क्तम् धनरनाकर कीतिसता चर्यापत्र एक ज्ञानेश्वरी की अनेक निजी विशेषताएँ परस्पर एक-दूसरे प्रायः म सरलता से खोजी जा सकती हैं। अतः विशेषताओं के बाहुल्य के आधार पर किसी प्रायः विशेष को किसी क्षेत्र विशेष के साथ सम्बद्ध करने का प्रयास प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता। अध्ययन की सुविधा के लिए यदि यह वर्गीकरण किया जाता है तो कोई हानि नहीं किन्तु उसे वहाँ के लिए ही सीमित कर देना किसी भी भाषा में उचित नहीं है। यदि भाषावैज्ञानिक इन प्रायों के आधार पर एक अच्छा सा सामान्य व्याकरण तयार कर सकें तो वे अपनी भाषाओं की ही नहीं अपितु राष्ट्र की महत्त्वपूर्ण सेवा कर सकेंगे, अपेक्षाकृत इसके कि वे इसे प्रायः विशेष की भाषा सिद्ध करने में अपनी प्रतिभा एवं शक्ति का उपयोग करें।

अष्टम अध्याय

नव्य भारतीय आर्यभाषाएँ

क्रांतिकारी परिवर्तन—अनेक बोलियों, विभाषाओं एवं भाषाओं का उदभव—अथर्व का अनेक बोलियों में विकास—सिन्धी—लहन्दा—पञ्जाबी—मराठी—गुजराती—राजस्थानी—बिहारी—बंगला—असमी—उडिया—पश्चिमी हिन्दी—पूर्वी हिन्दी—नपाली—पहाडी—सिंहली ।

विद्वानों में अपनी बोलियाँ के प्रति मोह जागृत होता जा रहा था। परिणाम स्वरूप षोडशवी एव पन्द्रहवीं शताब्दी के मध्य अनेक नये भारतीय आय भाषाएँ प्रकाश में आ गईं जिनमें अनेक साहित्यकार उन्हें विकासमान बनाने में दक्षिण दिशा दी। विद्वान् अनवरत प्रयत्न एवं अनुसंधानों के पश्चात् एक सर्वसम्मत निष्कर्ष पर पहुँचे कि इस काल में निम्नलिखित बोलियाँ भाषाओं का रूप धारण कर चुकी थीं और उनमें तीव्र गति से साहित्य का सृजन भी हो रहा था। वे हैं—पश्चिमी हिन्दी राजस्थानी गुजराती, पंजाबी, पहाड़ी भाषाएँ लहन्दा, सिन्धी पूर्वी हिन्दी मराठी, बंगला असमी, उडिया बिहारी आदि।

नव्य भारतीय आयभाषाओं में पर्याप्त साम्य वपम्य है। अतः इन्हीं आधारों पर विद्वानों ने इन भाषाओं को वर्गीकृत करने का प्रयत्न किया। सर्वप्रथम जाज प्रियसन ने नये भारतीय आयभाषाओं का वर्गीकरण बहिरग और अन्तरग सिद्धांत के आधार पर किया। जाज प्रियसन तथा अन्य पाश्चात्य इतिहासकारों का मत यह है कि भारत में आर्यों का प्रवेश दो बार दो भिन्न भिन्न दलों में हुआ। अतः पहले आया हुआ दल जब सप्तसिन्धु प्रदेश से लेकर मगध तक फैल चुका था, तब इस जाति के दूसरे दल ने प्रवेश किया और इन नवागत आर्यों ने पूर्वागत आर्यों को उनके प्रदेश से बहिष्कृत कर लिया और स्वयं मध्य देश पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। ये नवागत आय भी अपने साथ एक भाषा लेकर आये थे वह यद्यपि पूर्वागत आर्यों की भाषा से भिन्न तो नहीं थी पर कुछ विकास के चिह्नों से सबलित होने के कारण अपना पृथक्त्व भी रखती थी। अतः नये भारतीय आयभाषाओं में से कुछ का सम्बन्ध पूर्वागत आर्यों की भाषा से है जो मध्य देश के चारों ओर फैली हुई है और कुछ का सम्बन्ध नवागत आर्यों की भाषा से है जो मध्य देश और उसके आसपास के प्रदेशों में फैली हुई है। अपने मत की पुष्टि के हेतु प्रियसन महोदय ने कुछ भाषावैज्ञानिक तर्क भी प्रस्तुत किये हैं—

(१) नये भारतीय आयभाषाओं को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जा सकता है—(१) अन्तरग (२) बहिरग। एक विभाग वह भी है जो इन दोनों की विशेषताओं से यूनाधिक रूप में प्रभावित है इसे बीच का समुदाय की संज्ञा दी गई है।

विभाजन के आधारभूत तत्त्व—(१) बहिरग शाखा की उत्तर पश्चिमी तथा पूर्वी शाखा की बोलियाँ में अन्तिम स्वर इ, उ ए वतमान हैं किन्तु अन्तरग की पश्चिमी हिन्दी उपशाखा में ये स्वर लुप्त हो गए हैं, यथा—

संस्कृत	वा	सिन्धी	बिहारी	हिन्दी
अशि	अधि	अति	अति	अधि

(२) बहिरग की शाखाओ, विशेषकर वगला, मे इ का ए' तथा 'उ को आ' हो जाता है तथा बहिरग की पूर्वी उपशाखा मे 'उ के स्थान पर इ' मिलता है।

(३) बहिरग भाषाओ में ऐ तथा औ' के स्थान पर 'ए और ओ' मिलते हैं।

(४) बहिरग भाषाओ मे तथा अ तरग भाषाओ मे र ल' तथा ड ढ' की उच्चारण भिन्नता उनके पृथक्त्व का सूचक है।

(५) पूव तथा पश्चिम की भाषाओ म द तथा ड परस्पर परिवर्तित हुए हैं किन्तु मध्यदेशीय भाषाओ मे ऐसा परिवर्तन नहीं देखा जाता है।

(६) बहिरग शाखा की भाषाओ में म्ब म' म परिवर्तित होता है जबकि अतरग शाखा की भाषाओ मे यह ब हा जाता है।

(७) बहिरग शाखा की भाषाओ मे स्वर मध्यस्थ स के स्थान पर ह का आदेश हो जाता है।

(८) महाप्राण वर्णों के अल्पप्राण वर्णों में परिवर्तित हो जान के आधार पर भी अतरग और बहिरग विभाजन किया जा सकता है। बहिरग शाखा म इस प्रकार का परिवर्तन उपलब्ध होता है जबकि पश्चिमी हिन्दी मे यह प्राप्त नहीं होता।

रूपतत्त्व—(१) स्त्री प्रत्यय के रूप मे 'ई' बहिरग शाखा की पश्चिमी एव पूर्वी दोनों भाषाओ मे मिलती है।

(२) बहिरग शाखा की भाषाएँ पुन श्लिष्टावस्था मे प्रविष्ट हो रही हैं जबकि अतरग शाखा की भाषाएँ विश्लेषावस्था मे है।

(३) बहिरग शाखा की भाषाओ मे योरोपीय से आगत विशेषणीय प्रत्यय ल' वर्तमान है, किन्तु मध्य देश की भाषाओ तथा बोलियों म इसका अभाव है।

(४) बहिरग शाखा की भाषाओ की भूतकालिक क्रियाओ के साधारण रूपा से ही उसका पचन और पुग्घ मालूम हो जाता है जबकि अतरग शाखा की भाषाओ म क्रिया का यह रूप सचन समान रहता है—

हिन्दी—मँ गया तू गया वह गया

मराठी—गेलो गेला

उपयुक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए श्री प्रियसन ने आधुनिक भारतीय आयभाषाओ का बहिरग, अतरग तथा मध्यदेशीय विभागा मे जो विभाजन किया है वह निम्न प्रकार से है—

बहिरग शाखा—

(क) पश्चिमोत्तरी समुदाय

(१) सिन्धी

(२) लहन्दा

(स) दक्षिणी समुदाय

(१) मराठी

(ग) पूर्वी समुदाय

(१) उडिया

(२) बिहारी

(३) बंगला

(४) अरमिया

मध्यदेशीय शाखा—

(क) बीच का समुदाय

(१) पूर्वी हि ी

अन्तरग शाखा—

(क) केन्द्रीय अथवा भीतरी समुदाय

(१) पश्चिमी हिन्दी

(२) पंजाबी

(३) गुजराती

(४) भीली

(५) छानदेशी

(६) राजस्थानी

(ख) पहाड़ी समुदाय

(१) पूर्वी पहाडी अथवा नपासी

(२) मध्य या केन्द्रीय पहाडी

(३) पश्चिमी पहाडी

उपयुक्त रूप में किया गया यह वर्गीकरण विशुद्ध भाषावैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित न होने के कारण विद्वानों द्वारा इसका विरोध प्रारम्भ हुआ। डा. सुरीति कुमार चाटुर्ज्या ने श्री प्रियमन द्वारा दिए गए कारणों को आधार हीन, गम्भीर अध्ययन शून्य तथा सूक्ष्म विश्लेषण की प्रणाली से रहित बताया है और इनके एक एक कारण को लेकर उनकी अशुद्धताओं एवं दुर्बलताओं का विद्वत्समाज के समक्ष प्रस्तुत किया है जिसे बाद में स्वयं डॉ. प्रियमन ने भी स्वीकार किया है। इसके अतिरिक्त डा. चाटुर्ज्या का एक यह भी तर्क है कि सुदूर पश्चिम की भाषा को सुदूर पूर्व की भाषा के साथ एक समुदाय में रखना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। अतः डा. चाटुर्ज्या ने नव्य भारतीय आयभाषाओं का अपने दृष्टिकोण से वर्गीकरण किया जिसे विद्वानों ने बड़े आदर से स्वीकार किया और आज तक यही वर्गीकरण एक वैज्ञानिक वर्गीकरण के रूप में स्वीकृत है।

(क) उदीच्य (उत्तरी) भाषाएँ

(१) मिथी

(२) लहन्दा

(३) पजाबी

(ख) प्रतीच्य (पश्चिमी) भाषाएँ

(१) गुजराती

(२) राजस्थानी

(ग) मध्यदेशीय भाषा

(१) पश्चिमी हिन्दी

(घ) प्राच्य भाषाएँ (पूर्वी)

(१) पूर्वी हिन्दी

(२) बिहारी

(३) उडिया

(४) बंगला

(५) असमिया

(ङ) दक्षिणात्य (दक्षिणी) भाषाएँ

(१) मराठी

नोट—कश्मीरी तथा पहाडी भाषाओं की उत्पत्ति दरम भाषाओं से मानी जाती है ।

नव्य भारतीय आय भाषाओं की सामान्य प्रवृत्तियाँ—

ध्वन्यात्मक विशेषताएँ—(१) नव्य भारतीय आय भाषाओं में प्रायः वे सभी ध्वनियाँ मिलती हैं जो अपभ्रंश में प्रचलित थीं । पश्चिम में ऐ ध्वनि का उच्चारण 'अ' वत् होता है तो मराठी में इसका शुद्ध उच्चारण मिलता है । अ के उच्चारण में भी पूर्व और पश्चिम की भाषाओं में अंतर दृष्टिगत होता है । यथा—बंगला असमिया तथा उडिया में यह वृत्तौष्ठ तिम्र-मध्य पञ्च स्वर है परन्तु मराठी में विस्तृतौष्ठ उच्च मध्य पञ्च स्वर है । इसके अतिरिक्त आम्न भाषा के 'O' के सही उच्चारण हेतु 'आ' ध्वनि का नवीन प्रवेश हुआ । जहाँ तक व्यञ्जन ध्वनियों का सम्बन्ध है प्राचीन ध्वनियों के साथ साथ क, ख, ग, ज, फ, असौ नवीन ध्वनियाँ विदेशी शब्दों के उच्चारण हेतु आविष्कृत का गइ ।

(२) डॉ. चाटुर्ज्या के मतानुसार भारतीय परिवार की भाषाओं की महाप्राण ध्वनियों के अधोपीकरण एवं सधोपीकरण के आधार पर तथा 'ह' के शुद्ध सधोप उच्चारण एवं अधोपवत् उच्चारण और ह लोप के आधार पर भी वर्गीकृत किया जा सकता है ।

(३) एक या दो भाषाओं को छोड़कर नव्य भारतीय आयभाषाओं में अपभ्रंश की द्वित्व शैली का सरलीकरण पाया जाता है तथा द्वित्व को हटाकर उसने पूर्ववर्ती स्वर को शक्तिपूरक के रूप में दीप कर लिया जाता है—

मम	मम्म	माम,	माय	मज्ज	माज
अद्य	अज्ज	आज	धम	धम्म	धाम
धम	धम्म	धाम	चम	चम्म	चाम

इसके अपवाद भी देखने को मिलते हैं, यथा—सत्य सच्च का साच होना चाहिये था किन्तु सच' शब्द का प्रयोग देखा जाता है। ग्रामीण लोग अब भी 'साच' शब्द का ही प्रयोग करते देखे जाते हैं। इसी प्रकार पक्व' के तीन रूप मिलते हैं पक्वा पाक, पका, पर तीनों ही भिन्नापक एवं भिन्न प्रयोग्य हैं।

(४) सङ्घृत के विसर्गों का 'ओ' जो पालि से लेकर अपभ्रंश तक चलता रहा वह नव्य भारतीय आयभाषाओं में तीन चार रूपा में मिलता है—
राजस्थानी—ओ, ब्रज—ओ सड़ी बोली तथा पंजाबी—आ एवं भोजपुरी वगला आदि 'अ' यथा घोटक > घोड़ओ > घोड़ो (राज) घोड़ी (ब्रज) घोड़ घोर (अवधी भोजपुरी) > मैथिली)।

(५) स्थान विषय के भी उदाहरण नव्य भारतीय आयभाषाओं में देखने को मिलते हैं। काय का केर इसका अच्छा उदाहरण है। विदेशी भाषा के शब्दों में यह नियम अधिक सक्रिय है, सिग्नल > सिगल हास्पिटल > अस्पताल।

(६) स्वरभक्ति का प्रारम्भ हमें उक्ति-यक्ति प्रकरण एवं कीर्तिलता की भाषा अवहट्ट में मिलता है। इसका विकास नभाआ में हुआ। पंजाबी भाषा तो इसके लिए प्रसिद्ध ही है। भक्त > भगत स्कूल > सकुल, इद्र > इदर कृष्ण > किशन रत्न > रतन।

(७) एक आश्चर्यजनक ध्वन्यात्मक विकास जो हिंदी में विशेष रूप से लक्षित किया जा सकता है, वह है उच्चारण में अकारांत शब्दों के अत्यंत अकार का लोप—लिखा जाता है—राम और बोला जाता है राम्, इसी प्रकार काम—काम चल चल पढ़ पढ़। शब्द के मध्य 'अ' के लोप के चिह्न भी उच्चारण में प्रारम्भ हो गए हैं यथा—सफलता सफल्ता जनता—जता करता कर्ता गिनती गिन्ती आदि।

रूपतत्त्व—नव्य भारतीय आयभाषाओं ने ध्वनि की अपेक्षा रूप के क्षेत्र में अधिक विकास का परिषय दिया है। विकास के क्षेत्र में ध्वनि के जो चिह्न मध्यकालीन भारतीय आयभाषाओं में देखने को मिलते हैं, वे नभाआ में अपने चरम पर पहुँचे हुए हैं। विभक्ति प्रत्यय जो अपभ्रंश में अवशिष्ट थे,

वे भी घिस गए तिङन्त प्रत्यया का भी यही हाल हुआ। परसर्गों की सख्या बढ़ने लगी। इस प्रकार बहुभुवी प्रवृत्तियाँ के दशन पद रचना के क्षेत्र में होते हैं—

(१) प्रायः समस्त नव्य भारतीय आयभाषाओं में सभी कारकों में निर-विभक्तिव प्रयोग प्रारम्भ हो गए। परिणामस्वरूप भाषाएँ विश्लिष्टावस्था में आ उपस्थित हुईं। सवनाम शब्दों को पष्ठी विभक्ति में केवल सुबत प्रत्ययों के दशन होते हैं। हमारा नाम, य पधारो (राज), यमी जाओ (बागरु), आदि प्रयोग निरविभक्तिव हैं।

(२) विभक्ति प्रत्यया के स्थान पर परसर्गों का प्रयोग घडल्ले वे साथ होने लगा। इनमें भी कम परसर्ग और सम्बन्ध परसर्ग अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। न कम परसर्ग राजस्थानी और गुजराती की अपनी विशेषता है तो 'नूँ' पजाबी और लहन्दा की, तथा 'को पश्चिमी हिन्दी की। इसी प्रकार 'रा, रो, री राजस्थानी के सम्बन्ध कारक हैं तो 'दा दे दी' पजाबी के, 'चा चे ची मराठी के 'का के की पश्चिमी हिन्दी के, 'क' मैथिली एवं भोजपुरी केर पूर्वी हिन्दी एवं 'एर पूर्वी भाषाओं की विशेषता है।

(३) कारक रूप जो प्राचीन भारतीय आयभाषाओं में सख्या में २४ थे, मध्यकालीन भारतीय आयभाषा में घिस कर ५/६ रह गए। जबकि नव्य भारतीय आयभाषाओं में केवल दो ही रह गए—१ ऋजु, २ तियक। यद्यपि कुछ रूपों में यह सख्या सस्वृत में घटने लग गई थी, पर अब यह अपनी पूर्णता पर है। लिङ्ग विधान जो जैसे तैसे करता हुआ अपभ्रंश तक तीन रूपों में ही—पुल्लिङ्ग, स्त्रीलिङ्ग तथा नपुंसकलिङ्ग—चला आ रहा था। अब केवल गुजराती एवं मराठी को छोडकर दो भेदों—पुल्लिङ्ग स्त्रीलिङ्ग—में ही सीमित हो गया।

(४) नभाआ की भाषाआ में वियोगात्मकता आ जाने के कारण वाक्य में शब्द का स्थान निश्चित हो गया। पहले कर्ता, फिर कर्म तत्पश्चात् क्रिया। विशेषण का प्रयोग विशेष्य में पूव तथा क्रिया विशेषण का प्रयोग क्रिया से पूव किया जाने लगा।

(५) क्रिया रूपों में यह विकास अधिक सक्रिय दिखाई देता है। निङन्त प्रत्ययों में केवल लट लकार के दशन होते हैं। इसके दो रूप हैं—एक 'सस' साधित जो पश्चिमी राजस्थानी में अब तक वतमान है, दूसरा 'ह' साधित जिसे पूर्वी हिन्दी में लक्षित किया जा सकता है। शेष भाषाओं में कुछ एक स्थला को छोडकर या तो 'गा गे गी सहायक क्रियाओं से निम्पन्न किय जाते हैं अथवा 'य वृदन्त प्रत्यय का आश्रय लेकर या कुछ भाषाओं में शत प्रत्ययात् भविष्यत् काल के भी दशन होते हैं। पूर्वी राजस्थानी में 'ला ले ली सहायक

प्रत्ययों को भी देखा जाता है। शेष कालों की व्युत्पत्ति 'वृद्धत' रूपों के साथ सहायक क्रियाओं, 'था घे घी', 'हैं हूँ हैं', 'छा छे छी', आदि के योग से निष्पन्न की जाती हैं। भूतकाल में कर्मणि प्रयोग में केवल 'वृद्धन्त' रूप ही प्रायः देखा जाता है। वृद्धत प्रयोगों के प्रति आक्षेप उत्तरकालीन संस्कृत से ही प्रारम्भ हो गया था। पूर्वी भाषाओं का भूतकाल के लिए प्रयुक्त अल' प्रत्यय इनका अपना स्वतंत्र विकास कहा जा सकता है।

(७) नव्य भारतीय आयभाषाओं ने संस्कृत उपसर्ग एवं प्रत्ययों के साथ साथ नवीन प्रत्ययों एवं उपसर्गों का विकास किया। साथ ही विदेशी उपसर्गों एवं प्रत्ययों का भी पूरा पूरा उपयोग किया। जहाँ दयालु बनाया वहाँ फारसी उपसर्ग की सहायता से घरेलू, पहलू जैसे शब्दों का निर्माण भी हुआ।

(८) बहुवचन में लिंग वगण, वद जैसे शब्दों का प्रयोग प्रायः समस्त नवभाषा भाषाओं में यूनानाधिक रूप से देखा जा सकता है।

(९) नव्य भारतीय आयपरिवार की भाषाओं में प्रायः चार प्रकार के शब्द देखने को मिलते हैं—१ तत्सम २ तद्भव ३ देशज ४ विदेशज।

कुछ तद्भव शब्दों का प्रान्तानुसार भिन्न भिन्न अर्थ बोध होने लगा। यथा—'स्थान का तद्भव ठाण' तथा स्थान। राजस्थान में प्रथम का अर्थ स्थान और द्वितीय का पवित्र स्थान। इसी प्रकार हरियाणा प्रदेश में प्रथम के लिए पशुओं के बाँधने का स्थान द्वितीय का सामान्य स्थान तथा पवित्र स्थान अर्थ लिया जाने लगा। गल्प वगला में कथा साहित्य और इसके तद्भव गप्प का राजस्थान में झूठा अर्थ लेते हैं।

नव्य भारतीय आय भाषाओं का परिचय

सिंधी

यह सिंध प्रदेश की भाषा है। इसका सम्बन्ध आर्य अपभ्रंश के साथ जोड़ा जाता है किन्तु विद्वान् अभी आर्य अपभ्रंश का उत्पत्ति नहीं तोड़ पाये हैं। यह सिंध प्रदेश में जो अब पाकिस्तान में है बोली जाती है। इस भाषा के बोलने वाले अधिकांश हिन्दू भारत में आ गए हैं जो बम्बई दिल्ली और राजस्थान में अधिकांश बसे गए हैं। १९६१ की जनगणना के अनुसार इस भाषा के बोलने वालों की संख्या बीस लाख है। अब इसे संविधान में स्वीकृत भारतीय भाषाओं की सूची में स्थान दे दिया गया है।

सोमार्ण्य—सिंधी भाषा के एक ओर गुजराती दूसरी ओर मराठी और एक ओर महाराष्ट्र भाषा बोली जाती है। आठवीं शताब्दी के परचान् सिंध और मुजानान के एक प्रांत हो जाने के कारण इनकी भाषाएँ—सिंधी और महाराष्ट्र—आपस में एक दूसरी पर प्रभाव ग्रहण करती रही हैं।

बोलीयाँ—सिंधी भाषा की तीन बोलीयाँ प्रमुख हैं—प्रथम गिराकी जो

सिंध के ऊपरी भाग में बोली जाती है। द्वितीय, लाड या लाट जो इसके नीचे के प्रदेश की बोली है। तृतीय विचोली जो इसके मध्य भाग में बोली जाती है। विचोली बोली सिंध की सामान्य एवं साहित्यिक भाषा है। गुजरात और सिंधी के बीच कच्छ प्रामदीप की बोली कच्छी है जो गुजराती और सिंधी की मिश्रित भाषा है। सिंधी में बाईं उच्चारण कोटि का साहित्य तो नहीं लिखा गया, पर जो कुछ मिलता है उसमें शाह लतीफ का 'रिसालो' लोकप्रिय काव्य है। अठारहवीं शताब्दी में हुए अनापत शाह मल्लूम मुहम्मद जमान का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सिंधी लिपि अरबी के आधार पर बनाई गई थी, किंतु विभाजन के पश्चात् सिंधी भाषियों ने देवनागरी लिपि को ही अपना लिया है। मुसलमानों का आधिक्य होने के कारण भाषा में अरबी, फारसी के शब्दों की अधिकता है।

भाषागत विशेषणार्थ—सिंधी भाषा में समस्त शब्द स्वरात् हैं। ग ज ड ब अतिरिक्त ध्वनियाँ हैं। इनका उच्चारण स्वर त्रिभ्यो का कपाट सवार कर एक विशेष प्रकार से किया जाता है। द क स्थान पर ड उच्चारण पाया जाता है, यथा—दक्ष > दश > डह। स को ह का आदेश भी सिंधी भाषा की विशेषता है। पदात्त अ का उच्चारण स्पष्ट रूप से पाया जाता है। ध्वनिया का उच्चारण एवं तदभव शब्दावली संस्कृत के काफी समीप है। ड प्रत्यय का प्रयोग भी सिंधी में पाया जाता है, यथा—हँकडो टुकडो इत्यादि। इ क स्थान पर य पाया जाता है। व वग के स्थान पर च वग के प्रयोग के उदाहरण भी खोजे जा सकते हैं यथा—आदरार्थे अचो, आओ के अर्थ में आ + गम् धातु का ही विकसित रूप है। नाम शब्द के लिए नालो का प्रयोग भी लक्षणीय है।

रूप तत्त्व—सिंधी में दो ही लिङ्ग और दो ही वचन पाये जाते हैं। सिंधी की पुल्लिङ्ग सजाएँ प्रायः उकारात् एवं ओकारात् तथा स्त्रीलिङ्ग सजाएँ प्रायः अकारात् एवं आकारात् हैं। कम में के और अधिकरण में माँ परसग हिंदी (अवधी) से मिलते जुलते हैं तो सम्बंध कारक में जा जो जी का प्रयोग किया जाता है यथा—शाहजी रिसालो। सिंधी में वर्तमान में 'द' अत् क्रिया का प्रयोग होना है और भूतकाल में पूर्वी भाषाओं के समान 'त' प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। भविष्यत् काल में म, साम प्रत्ययों का प्रयोग होता है। क्रियायत् सजा के लिए 'णु' प्रत्यय का प्रयोग उल्लेखनीय है यथा—चलणु हलणु (चलन के अर्थ में) पिटणु आदि।

लहदा

यह पश्चिमी पंजाब में बोली जाती है। इसी से इसे 'लहदे (सूर्यास्त) की बोली' कहा जाता है। पंजाब का यह भाग अब पाकिस्तान में चला गया है।

इसके बोलने वाली की संख्या एक करोड़ के लगभग है। मुसलमान और हिंदू समान रूप से इस भाषा का प्रयोग दैनिक काय-कलापों के लिए करते हैं। इसका उद्भव कवय अपभ्रंश से माना जाता है।

सीमाएँ—लाहौर और स्यालवाट के जिला का छाडकर प्रायः समस्त पश्चिमी पंजाब में बोली जाती है। इसके एक ओर पश्तो और सिंधी बोली जाती है। एक ओर पूर्वी पंजाबी और कश्मीरी तथा एक ओर राजस्थानी बोली जाती है।

बोलियाँ और साहित्य—मुल्तानी डेरावाली पोठावारी तथा अवाणकारी इसकी प्रमुख बोलियाँ हैं जिनमें मुल्तानी बोली सामान्यतः साहित्यिक भाषा के रूप में प्रयुक्त होती है। मुल्तानी का साहित्य चौदहवीं शताब्दी से मिलना प्रारम्भ हो जाता है। मुसलमान फकीरो का प्रारम्भ से निवास-स्थान रहने के कारण अधिकांश साहित्य उन फकीरो का लिखा हुआ ही उपलब्ध होता है। परीद, वारिस शाह अहमद यार तथा कादर यार आदि लेखकों के साथ साथ नानक का नाम भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। बाद में पंजाबी भाषा के सामने इंग्लिश घुटन टेश दिए और पंजाबी भाषा की ही इन्होंने भी साहित्य के लिए स्वीकार कर लिया। डा. हरदेव बाहरी के मतानुसार लहन्दा कोई स्वतंत्र भाषा न होकर पंजाबी की ही एक उपभाषा है।¹

भाषागत विशेषताएँ—पंजाबी की प्रायः सभी ध्वनियाँ इसमें मिलती हैं। महाप्राण ध्वनियों का उच्चारण स्पष्ट एवं शुद्ध होता है। भारतीय भाषाओं में सब से अधिक ककश एवं परप भाषा है। द्वित्व प्रणाली ज्यों की त्यों बनी हुई है।

लहन्दा की कुछ बोलियों में ल ध्वनि भी उपलब्ध होती है। पंजाबी (लहन्दा) में य व ध्वनियाँ पदादि में सुरक्षित मिलती हैं। मध्यदेशीय भाषाओं के समान 'ज और उ' में परिवर्तित नहीं होती, यथा—बेल > बेल वत > वट्ट > बोट (हिंदी) बंड (लहन्दा)। अल्पप्राण अधोप वण अल्पप्राण सधोप में परिवर्तित पाया जाता है, जसा कि ऊपर के उदाहरण से स्पष्ट है। 'ह' ध्वनि विवृत अधोपवत उच्चरित होती है।

रूप तत्त्व—लिङ्ग और वचन दो दो ही हैं—स्त्रीलिङ्ग और पुल्लिङ्ग एक वचन और बहुवचन। कारक परसग पंजाबी के समान हैं। कम कारक में 'नू' परसग और सम्बन्धकारक में 'दा दे दी' परसगों का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान काल में ता के स्थान पर दा का प्रयोग पंजाबी के अनुरूप है। भविष्यत् काल में राजस्थानी की तरह स परक रूप दृष्टिगत होते हैं।

¹ डा. हरदेव बाहरी—हिंदी उद्भव विकास और रूप पृष्ठ ४६।

क्रियावा के द्वारा सवनाम उत्तम पुरुष का बोध हो जाना सिंधी के प्रभाव को सूचित करता है। गुरुमुखी और फारसी लिपियों का प्रयोग समान रूप से पाया जाता है।

पजाबी

यह भारत के आधुनिक पजाब प्रांत की भाषा है। महाराजा रणजीतसिंह के शासन काल के पश्चात् इस भाषा ने आश्चर्यजनक उन्नति की है। हरियाणा प्रांत पृथक बन जाने के पश्चात् यह प्रांत विशुद्ध पजाबी भाषा भाषी प्रांत बन गया है। इसका उदगम टक्क नामक अपभ्रंश से माना जाता है।

सीमाएँ—इसका क्षेत्र अम्बाला जिले की कुछ तहसीलों से लेकर जो अब तक जम्बू शिमला से लेकर भटिण्डा के कुछ गाँवों तक फैली हुई है, माना जाता है। इसके उत्तर में हिमाचल प्रदेश, दक्षिण में सिंधी, पूर्व में पश्चिमी हिंदी तथा पश्चिम में हरियाणा प्रदेश की बाँधू भाषा बाली जाती है। इसके बोलने वालों की संख्या १६६१ की जनगणना के अनुसार १ करोड़ से अधिक के लगभग है। इस पर हिंदी भाषा का प्रभाव यत्र तत्र नष्टिगोचर होता है।

बोलियाँ और साहित्य—पजाबी की चार प्रमुख बोलियाँ हैं—१ जम्बू और कागडा की डोगरी २ पटियाणा और उसके आसपास की मालवई, ३ लुधियाना या पूर्वी क्षेत्र की पोवाधी, ४ लाहौर और अमृतसर की माझी। इन सब में 'माझी' सामान्यतः साहित्यिक भाषा के रूप में प्रयुक्त होती है। इसमें साहित्य का निर्माण महाराजा रणजीतसिंह के शासन काल से ही प्रारम्भ हो गया था, यथा—नाटक की गुरुवाणी और फतेहपुर (राजस्थान) के शाहजादे यामतखा (उपनाम जान कवि) द्वारा लिखित अजीफखा की पड़ी विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। पिछली एक डेढ़ शताब्दी से पजाबी में भरपूर साहित्य लिखा जा रहा है। पटियाला में स्थापित पजाबी विश्वविद्यालय में एम ए (पजाबी) की कक्षाओं का प्रारम्भ, भाषाभिमान के साथ साथ साहित्य की अनुल समृद्धि का भी सूचक है। आजकल पजाबी भाषा में शोध-काय भी तीव्र गति से हो रहा है। आधुनिक लेखकों में भाई बीरसिंह, धनीराम चात्रिक, माहनसिंह अमृता प्रीतम, सेखी पूरनसिंह दुग्गल तथा गार्गी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। पजाबी साहित्य को हिंदी में अनूदित करने में अनेक विद्वानों का काय विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

भाषागत विशेषताएँ—पजाबी में सघोष महाप्राण ध्वनियों का उच्चारण अल्पप्राण के साथ 'ह' मिले हुए के समान होता है। डा चाटुर्ग्या के अनुसार पजाबी में 'ह' का उच्चारण भी सघोषवत् न होकर विसर्गवत् उच्चरित किया जाता है। १ स्वर भक्ति पजाबी भाषा का विशिष्ट लक्षण है यथा—

प्रसाद > परसाद धम > धरम आदि। अपभ्रंश की द्वितन प्रणाली का पजाबी आज तक पल्ला पकड़े हुए है। वास्तव में पजाब प्रांत की यह प्रारम्भ से ही विशेषता रही है कि उसे प्राचीनता में अधिक मोह रहता है। यही कारण है कि पजाबी में अय भाषाओं की तुलना में विकास के चिह्न कम दिखाई देते हैं। कम्म का हिन्दी भाषी प्रदेशों में कभी का काम 'क' हो चुका है पजाबी में अब भी कम्म' शब्द का प्रयोग ही प्रचलित है। पुत्तर इधरो अक्ख, अज्ज, कज्ज भज्ज इत्यादि का प्रयोग होता है। पजाबी भाषा में स्वर मध्यस्थ 'उ' तथा इ के स्थान पर अ करने की प्रवृत्ति भी दृष्टिगोचर होती है यथा—
 मायुर > मायर कौशिक > कोशक। न और ण का अंतर नहीं दिखाई देता है। हिन्दी भाषी प्रदेशों में जहाँ न' मिलता है वहाँ पजाबी में ण क दशन हो जायेंगे और जहाँ ण मिलता है वहाँ न का प्रयोग हो सकता है। पदादि स्वर के साथ 'ह' के आगम के उदाहरण भी पजाबी भाषा में मिल जायेंगे यथा—
 एक > हिक और > होर। 'व' श्रुति का आगम भी पजाबी की अपनी विशेषता है, यथा—
 हुआ > हुवा थाला > बोला। पजाबी में यद्यपि 'ल' ध्वनि लिखी नहीं जाती फिर भी बोलने में इसका प्रयोग धडल्ल से होता है।

रूप तत्त्व—पजाबी भाषा में एकवचन और बहुवचन दो वचन तथा स्त्रीलिङ्ग और पुल्लिङ्ग दो लिङ्ग मिलते हैं। कारको में केवल श्रजु और तियक रूप मिलते हैं। एकवचन से बहुवचन बनाते समय पुल्लिङ्ग में आँ और स्त्रीलिङ्ग में कही कही 'म' भी देखा जाता है। तियक में आकारात् शब्दों के आ को ए कर दिया जाता है। पुल्लिङ्ग से स्त्रीलिङ्ग बनाते समय जन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अनेक स्थानों पर इसे अण भी कर दिया जाता है, यथा—
 मालिन > मालण आदि। कारकीय परसगों में यह अपना स्वतंत्र पथ ग्रहण कर अग्रसर होती है। कर्ता प्रायः निर्विभक्ति रहता है। भूतकाल में 'ने' परसग का प्रयोग मिलता है। कम में 'नूँ' का प्रयोग, सम्प्रदान में 'यो' सम्बन्ध में 'दा दे दी तथा अधिकरण में विच/विच्च का प्रयोग पजाबी भाषा की अपनी विशेषता है। विशेषणों के प्रयोग में संस्कृत की तरह विशेष्य के अनुरूप लिङ्ग और वचन चल जाते हैं। पर यह नियम जिनना स्त्रीलिङ्ग शब्दों में पोषित किया जाता है वहाँ व्यञ्जनात्

इसकी शिथिलता।

सुदर लडकि-

। ८
 ८ ८

यथा—सुत्तर लडका सुदर लडकी

ही अच्छा लडका सुत्ती लडकी

। म 'ट' सानू

आदि डा

यथा—

मराठी

वर्तमान महाराष्ट्र में बोली जाने वाली भाषा महाराष्ट्री या मराठी कहलाती है। डॉ. तगाने के अनुसार दक्षिणी अपभ्रंश से जिसमें पुष्पदन्त और मुनि वनकामर न अपनी रचनाएँ की हैं महाराष्ट्री भाषा का उदगम हुआ है। यह मिद्वान्त प्रायः अमाय्य हो गया है क्योंकि पुष्पदन्त और मुनि वनकामर की रचनाओं की भाषा पश्चिमी अपभ्रंश ही है। इस भ्रम का निराकरण अपभ्रंश के क्षेत्रीय भेद, समस्या और समाधान शीपक में पुष्ट प्रमाणों के द्वारा किया है। महाराष्ट्री का उद्भव महाराष्ट्री में प्रचलित किसी अपभ्रंश बोली में हुआ होगा, जिसका कोई भी नमूना इस समय उपलब्ध नहीं है। इस पर वैदर्भी अपभ्रंश तथा पूर्वी भाषाओं का प्रभाव पर्याप्त मात्रा में देखा जा सकता है।

सीमाएँ—भारत के पश्चिम में 'दमण' से लेकर दक्षिण की ओर गोमन्तक तथा उत्तर में नागपुर का प्रदेश महाराष्ट्र कहलाता है। इसमें प्रमुख रूप से चम्बई पूना बरार तथा नागपुर का प्रदेश लिया जा सकता है। इसके एक ओर राजस्थानी दूसरी ओर पूर्वी भाषाएँ तथा एक ओर मध्य देशीय भाषाएँ आती हैं। गुजराती इसके सब से अधिक समीप वाली जाने वाली भाषा है। दक्षिण में कन्नड़ एक तेलगु भाषी प्रदेश हैं।

बोषिया एवं साहित्य—कोंकणी बरारी हल्बी, खडी बोली तथा मराठी इसकी प्रमुख बोलियाँ हैं। मराठी (खडी) ही सामान्यतः साहित्यिक भाषा के रूप में प्रयुक्त की जाती है। कोंकणी को कुछ विद्वान् स्वतंत्र भाषा कहते हैं। हल्बी पर पूर्वी हिन्दी का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है। मराठी में बहुत पहले ही साहित्य लिखा जाना प्रारम्भ हो गया था। मराठी के साहित्यिक एक शिला लेख १२३ ई० में मिलते हैं। मराठी साहित्य में सत्त नामदेव और ज्ञानेश्वर का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ज्ञानेश्वरी मराठी साहित्य का ही नहीं अपितु समस्त भारत का गौरव बिन्दु है। इसी समय की मुकुन्द राम रचित विवेक सिन्धु एक उल्लेखनीय रचना है। मध्यकालीन लेखकों में दासोपत, एकनाथ सत्त तुकाराम समय रामदास, मोरोपत और अमृतराय का नाम विशेष रूप से लिया जा सकता है। इन सत्ता की कविता का प्रभाव हिन्दी साहित्य पर अत्यधिक मात्रा में पड़ा है। आधुनिक काल में प्रायः साहित्य की समस्त विधाओं पर रचनाएँ की जाती हैं। आधुनिक काल के अनेक लेखकों के साथ महात्मा तिलक और सातवलेकर एवं सायबकर का नाम भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। मराठी की लिपि देवनागरी है और हिन्दी के प्रति इनका अगाध प्रेम है।

भाषागत विशेषताएँ—श्रु के स्थान पर 'ह', 'न' के स्थान पर 'ण',

'स' के स्थान पर 'श' तथा 'र' के स्थान पर 'ल' पाया जाता है। य ध्वनिगत परिवर्तन महाराष्ट्री को भागधी प्राकृत की भाषाओं की श्रेणी में ल जाकर बिठा देते हैं। महाराष्ट्री में 'व' और 'ब' में तथा 'ड' और 'ढ' में स्पष्ट अंतर किया जाता है। महाराष्ट्री में 'ल' ध्वनि का अभाव है। सज्ञा शब्द जो राजस्थानी और ब्रज में ब्रमण ओकारात् एव ओकारात् हैं व यहाँ पर हिन्दी की तरह आकारान्त पाये जाते हैं।

रूप संस्कार—मराठी में दो वचन और तीन लिङ्ग हैं। नपुंसक लिङ्ग में त्रियक प्रयोग से अ को आ और 'उ को ऊ हो जाता है यथा—घर > घरा जीभ > जीभा मधु > मधु आदि। ऋजु रूप में समान स्थिति में रहते हैं। 'य-जनात् और अकारात् शब्दों को एक वचन में 'अ' और बहुवचन में आन आदेश होते हैं। नपुंसकलिङ्ग और स्त्रीलिङ्ग में इकारात् तथा उकारात् शब्द दीर्घ हो जाते हैं। एक वचन में और बहुवचन में न् जोड़ दिया जाता है। सज्ञाओं में कुछ स्थला पर अब भी विभक्ति प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। मराठी में दो प्रकार के ऋजु और त्रियक कारक मिलते हैं। परसर्गों में भी यह स्वतंत्र अस्तित्व की द्योतक है। करण में ने और शी परसर्ग सम्प्रदान में ता तें अपादान से ऊन और हून (सम्भवत राजस्थानी द्रुत का विकसित रूप) है और सम्बन्धकारक में चा चे ची का प्रयोग मराठी की विशेषताएँ हैं। क्रिया के क्षेत्र में वर्तमान काल में 'त अन्त, भूतकाल ल प्रत्यययुक्त और भविष्यत् 'ल प्रत्यय युक्त रूप पाये जाते हैं। क्रियायक सज्ञा ण न के स्थान पर 'ण' का प्रयोग उपलब्ध होता है। पुष्प वाचक सवनाम सरल एव सामान्य है। लिङ्ग प्रक्षिया जटिल है। विशेषण विशेष्य के वचन के अनुसार नहीं बदलता।

गुजराती

गुजरात प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा को गुजराती कहते हैं। इसका उदभव गुजर अपभ्रंश से माना जाता है। विद्वानों का विचार है कि प्रारम्भ में पश्चिमी राजस्थानी और गुजराती एक ही भाषाएँ थीं। लगभग १५वीं अथवा १६वीं शताब्दी में ये दो भागों में बंट गई—गुजराती और मारवाड़ी। गुजर जाति के नाम पर ही इस प्रदेश का नाम गुजरात पड़ा। १९६१ की जनगणना के आधार पर इस भाषा को बोलने वालों की संख्या दो करोड़ चार लाख के लगभग थी।

सीमाएँ—इसका उत्तर पूब में सिंधी एवं राजस्थानी तथा दक्षिण में मराठी बोली जाती है। बम्बई अहमदाबाद, काठियावाड़ आदि इसके प्रमुख केन्द्र हैं। जूनागढ़ प्रदेश में गुजराती ही बोली जाती है।

बोलियाँ और साहित्य—गुजराती की कोई उल्लेखनीय बोली नहीं है। अहमदाबाद के आसपास की बोली ही प्रायः समस्त प्रदेश में बोली जाती है।

साहित्य के लिए भी इसी बोली का प्रयोग किया जाता है। वध्य गुजराती और साहित्यिक गुजराती में अंतर पाया जाता है। गुजराती में मराठी की तरह विपुल साहित्य है। लगभग बारहवीं शताब्दी से ही इसका साहित्य उपलब्ध है। नरसिंह महता अपने समय के लोकप्रिय कवि हैं। अधुना गुजराती में कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि सभी विधाएँ अपने चरमोत्कर्ष पर हैं। गोवधनराम त्रिपाठी, के एम मुंशी तथा काका कालेलकर का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

भाषागत विशेषताएँ—गुजराती में 'द्वित्व' व्यञ्जन प्रणाली का परित्याग कर सरलीकरण का परिचय दिया है। द्वित्व को समाप्त कर प्रथम स्वर को दीर्घ कर दिया जाता है। 'क ख ग के स्थान पर 'च छ ज का क्रमशः आदेश हो जाता है, यथा—लाग्यो > लाज्यो। 'च छ' के स्थान पर 'स' तथा 'स' का 'ह' में परिवर्तन भी गुजराती की विशेषता है। दत्य और मूधन्य व्यञ्जन भी परस्पर परिवर्तित होते रहते हैं।

रूप तत्त्व—गुजराती में दो वचन और तीन लिङ्ग पाये जाते हैं। ऊँकारान्त ऋषुसक लिङ्ग उभय लिङ्गी होता है। गुजराती में बहुवचन में आ और ओ सगाया जाता है। 'ह' ध्वनि तथा महाप्राण ध्वनियों का उच्चारण विकृत होता है। गुजराती में कर्ता निर्विभक्ति रहता है। कम में 'न', करण 'थी', सम्प्रदान' में माटे अपादान में थी, सम्बन्ध 'नी ना नी' 'पर' परसर्गों का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान काल में सहायक क्रिया छ छे छी, भूतकाल में 'हतो' तथा भविष्यत काल में 'श' परक होता है। क्रियायुक्त सज्ञा में 'वु' प्रत्यय लगता है। विशेषण में विशेष्य के वचन के अनुसार परिवर्तन नहीं होता।

राजस्थानी

राजस्थान प्रांत में बोली जाने वाली भाषा को राजस्थानी कहते हैं। भीलो का भाषा एवं पहाड़ी भाषाओं का सम्बन्ध भी राजस्थानी के साथ जोड़ा जाता है। इसे 'राजस्थानी' नाम आजकल ही में दिया गया है। पहले इसे मारु सोरठ या मारु भाषा तथा डिंगल कहा जाता था। इसका उत्पन्न कुछ विद्वान शौरसेनी से और कुछ गुजर अपभ्रंश से मानते हैं। वस्तुतः राजस्थान की बोलियाँ एक धारा से उद्भूत होकर दो धाराओं की सगम भूमि हैं। इसलिए दोनों ही विद्वान अपने अपने विचार से सही हैं। १९६१ की जनगणना के अनुसार राजस्थानी बोलने वालों की संख्या एक करोड़ उनञ्चास लाख है।

सीमाएँ—राजस्थानी के पूव में मध्यदेशीय भाषाएँ पश्चिम में सिन्धी उत्तर में लहन्दा एवं पंजाबी तथा दक्षिण में मराठी एवं मध्यदेशीय भाषाओं का कुछ भाग आता है। राजस्थानी भाषा जोधपुर, बीकानेर, शेखावाटी

सिरोही जयपुर आदि प्रदेशों में बोली जाती है। वैसे राजस्थानी को बरोली, भरतपुर, अलवर, गुडगाँव एवं उधर मालवा तक ले जाया जाता है जो कि उचित नहीं है।

बोलियाँ एवं साहित्य—राजस्थानी भाषा का सबसे प्रथम सर्वेक्षण जाज अब्राहम ग्रियसन ने किया था। उन्होंने राजस्थान की बोलियों को निम्न प्रकार से विभाजित किया—

(१) पश्चिमी राजस्थानी—जोधपुर की खड़ी राजस्थानी अथवा शुद्ध पश्चिमी मारवाड़ी, डबकी थली बीकानरी आदि।

(२) उत्तर पूर्वी राजस्थानी—अहीरवाटी और मवाती।

(३) मध्यपूर्व राजस्थानी—डूँडाडी एवं हाडोती।

(४) दक्षिण पूर्व राजस्थानी—मालवी।

(५) दक्षिण राजस्थानी—नीमाडी।

यद्यपि राजस्थानी विद्वान् अभी तक इसी वर्गीकरण को स्वीकार कर चल रहे हैं तथापि राजस्थानी के अंतर्गत केवल सस्या एक और तीन को ही लिया जा सकता है। शेष २ ४ ५ का उदगम मध्यदेशीय अपभ्रंश होने के कारण राजस्थानी शीयक के अन्तर्गत रखना ठीक नहीं है। राजस्थानी का प्रारम्भिक साहित्य विपुल मात्रा में उपलब्ध होता है। जैसे—डोलामारु रा दूहा बेलि क्रिसण रुक्मिणी री तथा चारणो एवं भाटो द्वारा लिखे गए रामो एवं बेल ग्रंथ तथा गद्य में लिखित वार्ताएँ आदि। राजस्थानी में जितना साहित्य जादिकाल और मध्यकाल में लिखा गया उतना आजकल नहीं लिखा जा रहा है फिर भी श्री नानूराम सस्कर्ता श्री सत्यप्रकाश जोशी श्री श्रीगोपाल नथमल जोशी श्री मुरलीधर यास, श्री नारायणसिंह भाटी तथा श्री रामेश्वरदयाल श्रीमाली का नाम उल्लेखनीय है।

भाषागत विशेषताएँ—राजस्थानी में 'अ' के स्थान पर 'इ' तथा 'इ' के स्थान पर 'अ' पाया जाता है। अब > इब मनुष्य > मिनख। पूर्वी राजस्थानी में अल्पप्राण अघोष के स्थान पर महाप्राण अघोष मिनत है, यथा—कहाँ गया है > षाँ गिया है या छे। ण और ल राजस्थानी की विशिष्ट ध्वनियाँ हैं। ड ढ ध्वनियों के प्रति विशेष मोह लक्षित होता है। महाप्राण सघोष ध्वनियों तथा 'ह' का उच्चारण विकृत हो गया है। ह अनेक स्थानों पर अपना स्थान परित्याग कर चुका है। ऐ और ओ के स्थान पर ए तथा ओ मिलते हैं। ए के स्थान पर ख तथा छ दोनों ध्वनियाँ मिलती हैं। स के स्थान पर ह मिलता है।

रूप तत्त्व—आधुनिक राजस्थानी में दो लिङ्ग और दो वचन ही मिलते हैं। कुछ विद्वान् नपुंसक लिङ्ग का अस्तित्व भी राजस्थानी में मानते हैं। उसमें

अनुस्वार के चिह्न का जो कारण श्री टसिटरी ने दिया है, वह अत्यन्त दुबल है। हाँ, कम कारक मे नपुसक लिङ्ग मे परसग का प्रयोग नहीं होता। यह कारण अवश्य महत्त्वपूर्ण है, यथा—माली न बुलाओ, (स्त्री०) बलीतो लाओ मे (नपु०)। यहाँ 'बलीता' का प्रयोग परसग रहित है। फिर भी यह लिङ्ग राजस्थानी मे स्पष्ट नहीं है। कारक ऋजु और त्रियक रूप मे ही मिलते हैं। कम कारक मे 'न' तथा सम्बन्ध कारक मे 'रा रो री' आदि परसग इसकी विशेषताएँ हैं। वर्तमान काल मे 'है हा हँ' और भूतकाल मे 'हो हा ही सहायक' क्रियाओ का प्रयोग किया जाता है। भविष्यत काल प्राकृत निङ्गत प्रत्यय 'स्' को ही लेकर बनता है। पूर्वी राजस्थानी मे 'ला लो ली' का प्रयोग भी भविष्यत काल के लिए किया जाता है। वचन परिवर्तन मे बहुवचन मे 'आ' का प्रयोग होता है। स्त्रीलिङ्ग मे 'याँ' भी मिलता है। स्त्रीलिङ्ग बनाने मे 'ई और अण' दोनो प्रत्ययों का प्रयोग मिलता है।

बिहारी

यह पूर्वी भाषा समुदाय मे आती है और समस्त बिहार प्रदेश मे बोली जाती है। इसका उदगम अध भागधी प्राकृत से विकसित अपभ्रंश से माना जाता है। मध्यप्रदेशीय अपभ्रंश का प्रभाव अत्यधिक मात्रा मे पाया जाता है। १९६१ की जनगणना के अनुसार इसके बोलने वालो की मग्या चार करोड पनालीस लाख है।

सीमाएँ—पश्चिम मे बिहारी, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर तथा बनारस के जिला मे बोनी जाती है। पश्चिम मे यह छोटे नागपुर के आस पास बोली जाती है। उत्तर मे नेपाल के आप पास से लेकर दक्षिण में उड़ीसा की सीमाओ का स्पश करनी है। इसके उत्तर मे नेपाली, ति बती तथा बर्मी भाषाएँ बोली जाती हैं। पूव मे बगला भाषा बोली जाती है तथा दक्षिण मे उडिया भाषा का क्षेत्र है। पश्चिम मे पूर्वी हिन्दी बोली जानी है।

बोलियाँ और साहित्य—बिहारी की तीन प्रमुख बोलियाँ हैं १ भोजपुरी २ मगही, ३ मैथिली। तीनो ही बोलियाँ स्वतंत्र रूप से साहित्य का माध्यम रही हैं। मगही मे अत्यन्त कम साहित्य लिखा गया है। भोजपुरी और मैथिली मे पुराना साहित्य पर्याप्त मात्रा मे मिलता है। मथिल कोकिल विद्यापति की प्रसिद्ध पदावली इसी भाषा मे है। कुछ विद्वान भोजपुरी का बिहारी की उपभाषा स्वीकार करने मे हिचकिचाते हैं किन्तु डॉ उदयनारायण निधारी ने पुष्ट भाषा वज्ञानिक प्रमाणों द्वारा इन तीना भाषाओ की आन्तरिक एकता सिद्ध कर इह बिहारी का ही बोलियाँ बताया है। आजकल बिहार मे साहित्य एवं राजकाज की भाषा के रूप मे खड़ी बोली हिन्दी को ही स्वीकार कर लिया गया है। अत इन बोलियों में तबिन साहित्य का प्राय अभाव सा ही है।

असमी

यह असम प्रदेश की भाषा है। असम में अनेक आदिवासी कबीले हैं। वे अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं। ईसाई मिशनरियों का अधिक प्रभाव उस क्षेत्र में होने के कारण आर्य भाषा का प्रभाव भी देखा जा सकता है। असमी और बंगला का घनिष्ठ सम्बन्ध है। कहा जाता है कि शिक्षित असमी और बंगाली सरलता से एक दूसरे की भाषा समझ सकते हैं। इसका उद्गम गौड़ी और औड़ के बीच की किसी अपभ्रंश से माना जाता है। १६६१ की जनगणना के अनुसार इसके बोलने वालों की संख्या अठसठ लाख है।

सीमाएँ—यह भाषा दक्षिणी असम, लखीमपुर से गालपारा प्रदेश तक बोली जाती है। इसके पूर्व में बर्मी भाषा पश्चिम में बंगला भाषा उत्तर में पहाड़ी भाषाएँ तथा तिब्बत बर्मों परिवार की भाषाएँ एक दक्षिण में बंगला भाषा बोली जाती हैं। साहित्य अत्यंत कम है। आजकल इसमें साहित्य लिखा जाने लगा है। हेम बरुआ और चंद्रनुवार अग्रवाल का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

भाषागत विशेषताएँ—असमी में 'च', 'छ' का 'स' और 'स' का स्थान पर 'ह' या 'ख' पाया जाता है। मयुक्त व्यञ्जनो में द्वित्व का आभास होता है। 'य व का ज ब' तथा 'ण' को न बंगला के समान ही होते हैं। 'ट ड का उच्चारण त, द की तरह सुनाई देता है। 'ड के स्थान पर 'र' तथा 'ज का 'ञ' उच्चारण सुनाई देता है।

रूपगत विशेषताएँ—असमी में दो लिङ्ग और दो वचन होते हैं। बंगला की अपेक्षा अधिक संयोगात्मक है। परसर्गों में 'क' म 'य' वरण में 'ए, ऐ' सम्प्रदान में ल लवे सम्बन्ध में 'अर, अरे' और अधिकरण में अत अते रूप होते हैं। लिङ्ग और वचन का अनुसार क्रियाओं में कोई अंतर नहीं आता। भूतकाल में त प्रत्यय का तथा भविष्यकाल में प्रायः व प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। वतमा काल में उ गया वा का प्रयोग किया जाता है।

उद्भवा

तमिल जोद शब्द (कृषि करना) के नाम पर हिन्दी आड़+सा = जोड़ीम = उड़ीमा नाम से यह प्रदेश विख्यात है। इसका प्राचीन नाम कलिङ्ग तथा उत्कल भी मिलते हैं। सम्भवतः इन्हीं आधारा पर औड़ और उत्तरी अपभ्रंशों का यह नाम पड़ा है। उद्भवा का असमी की तरह बंगला से घनिष्ठ सम्बन्ध है। कुछ विद्वान्ता प्राग्भ में इनका एक ही रूप रहा होगा एगा स्वीकार कर चलते हैं। इसका उद्गम औड़ अपभ्रंश से माना जाता है। १६६१ की जनगणना के आधार पर इसका बोलने वालों की संख्या एक करोड़ सत्तावन लाख है।

सोभाएँ—वर्तमान समस्त उड़ीसा प्रदेश इसके अंतगत आता है। इसके पूर्व में बंगला भाषा का तथा पश्चिम में मध्यदेशीय भाषा का क्षेत्र आता है। उत्तर में बिहारी भाषा बोली जाती है तथा दक्षिण में तेलगु का प्रभाव-क्षेत्र आता है। उड़ीसा बहुत दिनों तक मराठी एवं तेलगु के अधीन रहा। अतः उड़िया में मराठी एवं तेलगु भाषाओं का बहुत अधिक प्रभाव पाया जाता है।

बोलियाँ और साहित्य—उड़िया में प्रायः एक ही भाषा का सबत्र प्रयोग किया जाता है। इसमें केवल एक मञ्जी बोली है जो मराठी तेलगु और उड़िया का मिश्रित रूप है। ग्यारहवीं तथा बागहवीं शताब्दी के कुछ शिलालेख प्राप्त हुए हैं, जिससे लगता है कि उस समय उड़िया भाषा विकसित हो गई थी। प्राचीन काल का कृष्ण साहित्य और लोकगीत उड़ीसा में अत्यन्त लोकप्रिय हैं। आधुनिक युग में उड़िया में साहित्य लिखा जा रहा है। श्री रघुनाथ राय, नन्दकिशोर बल कुंतल कुमारी देवी नीलकण्ठ दास आदि लेखकों का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

भाषागत विशेषताएँ—अधिकांश ध्व यात्मक विशेषताएँ बंगला से मिलती जुलती हैं। ऋ के स्थान पर रु श प के स्थान पर स' तथा ण ल' 'ब ट ष आदि ध्वनियों का कुछ महाप्राणवत् उच्चारण सुनाई देता है।

रूपगत विशेषताएँ—इसमें भी दो वचन और दो लिङ्ग हैं। लिङ्ग का प्रयोग स्वाभाविक एवं सरल है। बहुवचन बनाने के लिए एक वचन के साथ मन लोक, गण आदि शब्द जोड़े जाते हैं। कुछ विभक्ति प्रत्यय अभी भी अवशिष्ट हैं। करण, अपादान और अधिकरण में क्रमशः 'ए उ और ए विभक्ति प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। परसर्गों में कम व सम्प्रदान में 'कु और वे करण में रे, अपादान में रु नु सम्बन्ध में र तथा न और अधिकरण में रे तथा ने का प्रयोग किया जाता है। 'र का विभिन्न रूपों में परसर्गों के लिए प्रयोग उड़िया की लक्षणीय विशेषता है। उत्तम पुरुष सबनाम के रूप सरल एवं स्पष्ट हैं। भूतकाल में 'ल तथा भविष्यत् काल में व प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान काल का विधान राजस्थानी एवं वजभाषा के अनुरूप है। कुछ स्थलों पर 'उ का प्रयोग द्रष्टव्य है।

पश्चिमी हिन्दी

यह भाषा एक बहुत बड़े भूभाग पर बोली जाती है। इसी की एक विभाषा खड़ी बोली को सबिधान में राष्ट्रभाषा का गौरवमय स्थान दिया गया है। अभी इसे व्यावहारिक रूप देना अवशिष्ट है। कुछ निहित स्वार्थी व्यक्ति अवरोध स्वरूप आगे आए हुए हैं जो शरीर से भारतीय और मस्तिष्क से अभी भी अंग्रेज़ी एवं अंग्रेज़ी के दास हैं। इस भाषा का उदभव शौरसनी अपभ्रंश से माना जाता है। उद्गू, अग्रजी आदि भाषाओं का इसकी शब्दावली पर तथा

साहित्य पर पड़ा प्रभाव द्रष्टव्य है। इसके बोलने वालों की संख्या १९६१ की जनगणना के अनुसार चार करोड़ बावन लाख के लगभग है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक प्रदेश एवं भिन्न भाषा भाषी साधारण रूप में इसे समझ और बोल सकता है।

सीमाएँ—पश्चिमी हिन्दी उत्तर प्रदेश का सम्पूर्ण पश्चिमी क्षेत्र तथा भोजपुरी से मुक्त पूर्वी भाग, समस्त हरियाणा प्रांत में मेवाती एवं अहीरवाटी क्षेत्र को छोड़कर जो अभी विवादग्रस्त क्षेत्र है, बोली जाती है। इसके अतिरिक्त भारत के अनेक प्रदेशों में बस मुसलमान और हिन्दू पश्चिमी हिन्दी का प्रयोग करते हैं। डा. चाटुर्ज्या के अनुसार हिन्दीतर भाषा भाषी प्रांतों में १०% लोग हिन्दी बोल लिख पढ़ और समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त विदेशी लोग भी भारतीयों के साथ वार्तालाप के लिए खड़ी बोली हिन्दी का ही प्रयोग करते हैं। वैसे इसकी सीमाएँ इस प्रकार अंकित की जा सकती हैं—पश्चिम में राजस्थानी और पंजाबी से लेकर पूर्व में बघेली और अवधी की सीमा तक एवं उत्तर में पहाड़ी भाषाओं की सीमा से लेकर दक्षिण में मराठी भाषा की सीमा तक पहुँच जाती है।

बोलियाँ एवं साहित्य—पश्चिमी हिन्दी की अनेक बोलियाँ एवं विभाषाएँ हैं। मुख्यतः बागह या हरियाणवी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा बुंदेली या बुंदेलखण्डी और कन्नौजी आदि हैं। इन बोलियों को दो भागों में बाँटा जा सकता है—१ हरियाणवी और खड़ी बोली—आकार बहुला २ ब्रजभाषा बुंदेली और कन्नौजी आकार बहुला। इनमें मुख्यतः ब्रजभाषा और खड़ी बोली में विपुल साहित्य मिलता है। विद्वानों का मत है कि इस भाषा का प्रारम्भ सातवीं शताब्दी से ही उपलब्ध है जिसे वे पुरानी हिन्दी कहते हैं। चन्द्र वरदायी से लेकर आज तक हिन्दी साहित्य ने वाङ्मय के सभी क्षेत्रों में आश्चर्यजनक उन्नति की है। कबीर, सूरदास आदि कवि तो समस्त भारत के लिए श्रेष्ठ हैं।

भाषागत विशेषताएँ—पश्चिमी हिन्दी में प्रायः अपभ्रंशगत सभी ध्वनियाँ उपलब्ध हैं। स्वरों में आ ध्वनि का नवीन विकास आर्य भाषा के कुछ शब्दों के सही उच्चारण करने के हेतु हुआ। 'ऐ' का उच्चारण तदभव शब्दों के लिए विशेष प्रकार से किया जाता है, यथा—जसा ऐसा > जँसा। इनका उच्चारण श्लेष में प्रयुक्त ऐ से भिन्न है। ब्रज इत्यादि भाषाओं में ह्रस्व 'ए' और ह्रस्व ओ भी मिलते हैं। महाप्राणा (सघोष) तथा ह का उच्चारण अविकृत रहता है खड़ी बोली आदि वगैरे में 'श, ष, स' आदि तीनों ध्वनियाँ मिलती हैं जबकि ब्रजभाषा वाले वगैरे में तीनों के स्थान पर केवल स ही मिलता है। 'स' का 'ह' हो जाने के भी कुछ उदाहरण मिल जाते हैं विशेषकर संख्यावाचक शब्दों में। खड़ी बोली वगैरे में 'ड' की जगह 'ढ' और ब्रजभाषा

वग मे 'ड की जगह र उच्चारण किया जाता है। इसी प्रकार औकारांत भाषाओं मे विशेषकर ब्रजभाषा म 'ण की जगह 'न बोला जाता है। कुछ विद्वानों के मतानुसार महाप्राण ध्वनियां का अल्पप्राणीकृत उच्चारण भी पश्चिमी हिंदी की विशेषता है। तत्सम शब्दावली का आधिक्य होने के कारण संस्कृत उच्चारणों को सुरक्षित रखने की प्रवृत्ति भी लक्षित होती है।

रूप तत्त्व—पश्चिमी हिंदी म दो लिङ्ग और दो वचन पाय जाते हैं। खड़ी बोली वग म बहुवचन के लिए मुन्यत ए आ या तथा यो प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। ब्रजभाषा वग म 'तँ और अन' का प्रयोग किया जाता है। कहीं-कहीं इन का प्रयोग भी लिखाई गेना है। स्त्रीलिङ्ग वचन के लिए इन ई, आ, तथा इया' प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। कारक ऋजु और तियक अवस्थाओं मे मिलते हैं। पश्चिमी हिंदी के परसग अत्यंत सरल हैं—वर्ता ने, कम् व सम्प्रदान 'को सम्बन्ध का, के की जादि परसग विशिष्ट हैं। स्वरांत विशेषण विशय क लिङ्ग के अनुगार तो बदलते हैं किंतु वचन के कारण उन पर सबन प्रभाव नहीं पडता। ब्रजभाषा क हों को छोडकर समस्त प्रदेश मे प्राय समान शब्द रूपा का प्रयोग होता है। क्रिया मे सहायक क्रियाओं से विशेष काम लिया जाता है। वतमान काल म हैं हूँ हे के साथ भूतकाल म 'था थे थी तथा हनो एव भविष्यत काल म गा गे गी लगाए जाते हैं। पूर्वकालिक क्रिया में 'इ और क्रियाथक सना म अन अण प्रत्यय लगाए जाते है। सभी कालों की निष्पत्ति प्राय कृत त रूपा से की जाती है। सवनाओं के प्रयोग म क्रिया मे परिवर्तन नहीं देखा जाना। जैसे—वह गया मैं गया, तू गया। संक्षेप मे कह सकते ह कि पश्चिमी हिंदी का व्याकरण अय नभाआ की भाषाओं की तुलना मे अत्यंत सरल एव सन्निप्त है। डा चाटुज्या के अनुमार हिंदी का व्याकरण एक पोस्ट काउ पर सरलता से आ सता है।

पूर्वी हिंदी

मध्यदेश की भाषा को विद्वाना ने दो भागों मे विभाजित किया है— १ पश्चिमी हिन्दी २ पूर्वी हिन्दी। विद्वान पूर्वी हिंदी को कतिपय कारणों से पश्चिमी हिंदी के अंतगत न रखकर उसे उसके समाना तर रखते है। इसका कारण सम्भवत भिन्न उदगम स्थल तथा अय भाषा वैज्ञानिक अंतर ही हो सकता है। पूर्वी हिंदी का उदगम अध मागधी अपभ्रंश स माना जाता है। १९६१ की जागणना के अनुसार इसके बोलने वालों की संख्या चार करोड के लगभग है।

सोमाएँ—पूर्वी हिंदी उत्तर प्रदेश बघेल खण्ड छोटा नागपुर तथा मध्य प्रदेश तक फला हुई है। हरदोई तथा फजाबाद के कुछ भाग को छोडकर समस्त अधध प्रदेश पूर्वी हिंदी के अंतगत आता है। बनारस तथा हमीरपुर

के कुछ भागों में भी यह बोली जाती है। इसके पूर्व में बिहारी पश्चिम में पश्चिमी हिंदी, उत्तर में पहाड़ी भाषाएँ तथा दक्षिण में उड़िया बोली जाती है।

बोलियाँ और साहित्य—पूर्वी हिंदी के अंतर्गत तीन बोलियाँ आती हैं—अवधी बघेली और छत्तीस गढ़ी। इनमें अवधी सामान्यतः साहित्य के लिए प्रयुक्त की जाती है। कुछ विद्वान बघेली को स्वतंत्र बोली स्वीकार करने को तयार नहीं हैं। डा. प्रियसन ने इसे पृथक् बोली माना है। डा. उदयनारायण तिवारी ने इसे पृथक् नहीं माना है। इसमें पर्याप्त मात्रा में साहित्य मिलता है। सूफ़ी सांता का हिंदी साहित्य प्रायः कथ्य अवधी में ही उपलब्ध होता है। तुलसीदास या रामचरणदास और महाराजा रघुराजसिंह का राम भक्ति साहित्य साहित्यिक अवधी में लिखा गया है जिसमें तत्सम शब्दावली की बहुलता है। आजकल अवधी में साहित्य नहीं के बराबर लिखा जाता है। यहाँ के लोगों ने छोटी बोली हिन्दी को साहित्यिक भाषा के रूप में स्वीकार कर लिया है।

भाषागत विशेषताएँ—अपभ्रंशगत ण, ट ध्वनियाँ को छोड़कर प्रायः सभी ध्वनियाँ अवधी में मिलती हैं। 'ए और ओ' का ह्रस्व उच्चारण यहाँ मिलता है। 'ण' के स्थान पर न तथा 'ड' के स्थान पर र मिलता है। 'स' को सुरक्षित रखा गया है। 'श' 'ष' के स्थान पर सवत्र 'स' मिलता है। हिन्दी 'ल' के स्थान पर भी प्रायः 'र' देवने को मिलता है। 'य' का उच्चारण 'ज' तथा 'ए' की तरह और 'व' का उच्चारण 'ब' तथा 'उ' की तरह किया जाता है। 'ऐ' और 'औ' का उच्चारण 'अइ' और 'अउ' की तरह किया जाता है। महाप्राण सधोप ध्वनियाँ और 'ह' का उच्चारण शुद्ध एवं स्पष्ट होता है। 'ज' 'क' स्थान पर 'ग' मिलता है। 'क्ष' के लिए 'छ' और 'स' दोनों का प्रयोग किया जाता है।

रूपगत विशेषताएँ—दो वचन और दो लिंग मिलते हैं। वचन बनते समय बहुवचन में 'ए' लगाया जाता है। कुछ भागों में 'अन' का प्रयोग भी देरने में आता है। 'कारक' शब्द और 'तियक' रूप में मिलते हैं। कर्ता में परमग का प्रयोग नहीं किया जाता। 'कम' में 'का' 'क' तथा सम्बन्ध में 'क' और अधिष्करण में 'माँ' परमग का प्रयोग किया जाता है। अवधी में अभी भी विज्ञान प्रत्यय शेष बच हुए हैं। 'गवनामा' में अन्तर्धा में 'मर' तेरे 'क' स्थान पर 'मोर' तार का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार 'हमार' का निम्न रूप 'हमार' होता है। 'वनमान' नाम की महापत्र किया 'क' रूप में है 'क' स्थान पर 'अइ' 'बा' या 'ट' मिलता है। भूतकाल में 'कहीं-कहीं' इ. सगता है तथा अपटमान अतीत के माप 'इगि' प्रत्यय लगाया जाता है। 'भविष्यत्' नाम में 'ह' और 'ब' दोनों प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। विगपण और 'त्रिया' का लिंग भिन्न भिन्न है।

नेपाली

नेपाल के शासक वर्ग की भाषा नेपाली या गोरखाली नाम से प्रसिद्ध है। गोरखक राजपूत जन्म वहाँ पहुँचे तो अपन साथ अपनी भाषा भी ले गए। इसमें बहुत अधिक साहित्य तो अब तक उपलब्ध नहीं हुआ है, पर भानुभट्ट की रामायण नेपाली काव्य में है। आजकल इसे विकसित करने की ओर शासकों का भी ध्यान गया है। आजकल के लेखकों में देवकोटा, चापा पाण्डेय रुद्रराज बालकृष्ण तथा भीमनिधि तिवारी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। नेपाली में ध्वनिभाषा की ध्वनियाँ पाई जाती हैं। सानुनासिकता अधिक पाई जाती है। पता त 'अ' का शुद्ध एव स्पष्ट उच्चारण किया जाता है। कुमायूना के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है।

पहाड़ी हिन्दी

पहाड़ी हिन्दी की दो प्रमुख भाषाएँ हैं—१ कुमायूनी २ गढ़वाली। कुमायूनी नैनीताल अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ के जिलों में तथा गढ़वाली गढ़वाल, टिहरा, चमोली के जिलों तथा उत्तर काशी के दक्षिणी भाग में बोली जाती है। इन दोनों भाषाओं पर ही अनाम भाषाओं का गम्भीर प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। सूक्ष्म भाषा वैज्ञानिक विश्लेषण के पश्चात् विद्वान इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि कुमायूनी राजस्थानी मारवाड़ी के और गढ़वाली पूर्वी राजस्थानी के समीप है। अतः डा सुनीतिकुमार चाटुर्ज्या न प्रियसन के विरुद्ध इसे स्वतन्त्र न मान कर राजस्थानी के अन्तर्गत ही गिना है। राजस्थानी की दो प्रमुख ध्वनियाँ 'ण' 'स' इसमें मिलती हैं। पुल्लिङ्ग शब्द भी औकारान्त ही मिलते हैं। ये परसम का करणकारक में प्रयोग राजस्थानी का ही प्रभाव है। इसके साथ ही भविष्यत काल प्रत्यय और वर्तमान काल की छ सहायक क्रिया राजस्थानी के ही परिवार की सूचना देती है। इसका अतिरिक्त 'ने' के स्थान पर 'ले' और 'को' के स्थान पर 'कणि' का प्रयोग इसकी अपनी विशेषता है। गढ़वाली में सम्बन्धकारक में 'रो, रा री' का प्रयोग होता है। 'का के की' 'आ, ई इत्यादि भी मिलते हैं। करणकारक में 'से, ती ते' का अतिरिक्त 'चै' चुल विट के प्रयोग भी मिलते हैं। दोनों ही भाषाओं में केवल लोकोपयोग ही मिलते हैं।

कश्मीरी

कश्मीर भारतीय संस्कृत के पण्डितों का गढ़ रहा है। कश्मीरी भाषा का उदभव दरद भाषाओं से माना जाता है। लोगों का विश्वास है कि कश्मीरी का उदभव पश्चात् अपभ्रंश से हुआ है। 'गुणाढ्य की बृहत् कथा' सम्भवतः पुरानी कश्मीरी में ही लिखी गई हो। साहित्य नाम मात्र का ही मिलता है। मुसलमानों का आधिपत्य होने के कारण यहाँ पर उर्दू भाषा का ही अधिकतर

प्रयोग किया जाता है। श्री ग्रियसन 'सत्स वयि तु सत्ता वाक्यानि' का उक्तन से प्रभावित करवाया था। यह कश्मीरी भाषा में है। विद्वानों का विश्वास है कि प्राचीन समय में कश्मीरी में साहित्य लिखा तो गया था, पर यह विलुप्त हो गया। आजकल भी इस भाषा में विकास पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

सिंहली

डा. हरदेव वाहरो ने सिंहली भाषा का भी भारतीय आर्य परिवार की भाषा बनाया है। उनके अनुसार तमिल और पालि से घुन मिलकर जिस भाषा का विकास हुआ वह सिंहली प्राकृत थी। इसका साहित्य दसवीं सताब्दी से मिलता है। अभी इस भाषा पर पूर्ण अनुसंधान करने की आवश्यकता है कि यह भाषा मूलतः द्रविड परिवार की है अथवा आर्य परिवार की।

हिंदी और इसकी विभाषाएँ

जैसा कि पूर्व पृष्ठों में स्पष्ट किया जा चुका है हिंदी शब्दों का प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है एक संकुचित अर्थ में और दूसरा विस्तृत अर्थ में। संकुचित अर्थ में हिंदी से अभिप्राय केवल खड़ी बोली हिंदी या नागरी हिंदी से है किन्तु जब विस्तृत अर्थ में शब्दों का प्रयोग किया जाता है तब इससे अभिप्राय डा. ग्रियसन के शब्दों में उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में तमिल तक के प्रदेश की साहित्यिक भाषा से है जिसकी अनेक विभाषाएँ तथा बोलियाँ हैं। गुजरात की दृष्टि से इसे पश्चिमी और पूर्वी हिंदी बर्गों में विभाजित करते हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत १ खड़ी बोली २ ब्रजभाषा ३ बुंदेली ४ बांगरू ५ कन्नोजी आदि विभाषाएँ एवं बोलियाँ आती हैं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत १ अवधी, २ वज्जेली ३ छत्तीसगढ़ी आदि आती हैं। कतिपय विद्वानों के मतानुसार राजस्थानी एवं बिहारी को भोजपुरी, मगही तथा मयिली भी हिंदी की विभाषाएँ हैं। उपर्युक्त विभाषाओं एवं बोलियों में खड़ी बोली, ब्रजभाषा तथा अवधी में विपुल साहित्य है। जतन इनका भाषा बनाने में महत्त्व भी निर्विवाद है। खड़ी बोली का परिचय हम अग्रिम पृष्ठों में विस्तार से दे रहे हैं। अतः यहाँ पर शेष विभाषाओं पर विचार करेंगे।

ब्रजभाषा

यह ब्रज प्रदेश की भाषा है। ब्रज शब्द संस्कृत ब्रज शब्द का तदभव रूप है जिसका व्युत्पत्ति ब्रज धातु के गमन अर्थ से निष्पन्न होती है। बंदरू माहिय में इस शब्द का गाया का गमन अर्थात् चरगाहा या वाड़े के अर्थ में प्रयोग हुआ है यथा— गाव उष्णामिव ब्रज।^२ हरिवंश पुराण में इसका

^२ ब्रजभाषा और खड़ी बोली का तुलनात्मक अध्ययन पृष्ठ ७८।

प्रयोग प्रदेश विशेष के अर्थ में हुआ है, यथा— तद् ब्रजस्थानमधिकम् 'शुशुभ वाननावृत्ताम् ।' ^३ आजकल मयुरा प्रदेश के आस पास के प्रदेशों का ब्रज मण्डल कहा जाता है ।

सीमाएँ—ब्रजभाषा भाषी क्षेत्र के उत्तर में खड़ी बोली तथा दक्षिण में बुदली बोली जाती है । इसके पूर्व में अवधी भाषा बोली जाती है तथा पश्चिम में राजस्थान की दो बोलियाँ मेवाती और जयपुरी का क्षेत्र है । ब्रजभाषाभाषी क्षेत्र में मयुरा, अलीगढ़, आगरा बुलन्दशहर एटा, मनपुरी, बदायूँ तथा बरेली के जिले आते हैं । हरियाणा के गुडगाँव जिले का पूर्वी भाग तथा राजस्थान के घोलपुर भरतपुर करौली एवं जयपुर जिले का पूर्वी भाग और मध्यप्रदेश के ग्वालियर जिले का पश्चिमी भाग भी ब्रजभाषा क्षेत्र में आते हैं । ब्रजभाषा अनुमानतः डेढ़ करोड़ जनता के द्वारा बोली जाती है ।

बोलियाँ और साहित्य—ब्रजभाषा की लगभग पाँच प्रमुख बोलियाँ हैं । तैनीताल की भुवसा, एटा मैनपुरी, बदायूँ तथा बरेली की अतर्वेदी घोलपुर और पूर्वी जयपुर की डाँगी गुडगाँव एवं भरतपुर की मिथित तथा करौली की जादोवाटी आदि प्रमुख हैं ।

ब्रजभाषा साहित्य का इतिहास अत्यन्त विस्तृत है । प्रवृत्तियों की दृष्टि से इस तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है ।

(१) प्राचीन काल—१४०० ई० से पूर्व का साहित्य ।

(२) मध्यकाल—१४०० ई० से १८०० ई० तक ।

(३) आधुनिक काल—१८०० ई० से आजतक ।

प्राचीन काल में कुछ विद्वानों के अनुसार बीसलदेव रासो सबसे प्राचीन कृति है जिस कवि नरपति नाल्ह ने लिखी है । डा धीरेन्द्र वर्मा इसे कतिपय भाषा वचनिक तथ्यों के आधार पर राजस्थानी की कृति बताते हैं । द्वितीय पृथ्वीराज रासो है पर उसकी प्रामाणिकता अभी तक सदिग्ध है । यही स्थिति जयमयक और जस चन्द्रिका तथा आल्ह खण्ड की है । संस्कृत पुस्तकों में कुछ ब्रजभाषा के नमूने मिले हैं जिनका उल्लेख प० चन्द्रधर शर्मा गुलरी ने पुरानी हिन्दी नामक पुस्तिका में किया है । इसी समय का गुरु गोरक्षनाथ लिखित ग्रन्थ भी ब्रजभाषा में उपलब्ध होता है किन्तु उसे भी पूर्ण रूप से प्रामाणिक नहीं कहा जा सकता ।

मध्यकाल में पद्महवी शताब्दी के बाद से लेकर अठारहवीं शताब्दी के अन्त तक का ब्रजभाषा का इतिहास अत्यन्त समृद्ध है । पुष्टिभाग के दो महान कवि सुरदास और नन्ददास इसी समय में हुए हैं । ग्रन्थ के क्षेत्र में चौरासी

^३ ब्रजभाषा और खड़ी बोली का तुलनात्मक अध्ययन पृष्ठ ७८ ।

घण्टा की घांटी गोताइ गोकुलाय वृत्त ब्रजभाषा का सबसे प्रथम प्रामाणिक गद्य कहा जा सकता है। इनके अतिरिक्त अष्टछाप के शेष छ कवियों का भी काम महत्त्व नहीं है। स्वामी हितहरियण तुलसीदास गभाणाम नरोत्तमदास आदि ने ब्रजभाषा में रचनाएँ की हैं। हिन्दी साहित्य के इतिहास में जो समय रीतिकाल के नाम से अभिहित किया जाता है उसमें प्रायः समस्त कवियों ने ब्रजभाषा में ही साहित्य साधना की है। बिहारी दस भूपण चित्तामणि भित्तारीदास आदि का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

आधुनिक काल में ब्रजभाषा में साहित्य साधना तो होनी है पर कोई उल्लेखनीय कृति या कृतिकार अब तक उत्पन्न नहीं हो पाया है।

ब्रजभाषा का भाषावैज्ञानिक विवचन—

ध्वन्यामय विशेषताएँ—(१) ब्रजभाषा में अपभ्रंश भाषा में प्राप्त सभी स्वर उपलब्ध होते हैं। इनके अतिरिक्त ए और ओ ध्वनियाँ भी मिलती हैं। इन सभी ध्वनियों के सानुनासिक और निरनुनासिक दोनों रूप ब्रजभाषा में मिलते हैं।

(२) प्रायः सभी अपभ्रंश कालीन व्यञ्जन ब्रजभाषा में मिलते हैं। इनके अतिरिक्त रह, ङ्ह तथा ङ्ह ध्वनियाँ और भी हैं। तीन सकारा— 'श, ष, स'—में से केवल स मिलता है।

(३) ए और ओ के ह्रस्व रूपों का प्रयोग भी ब्रजभाषा में हुआ है। ऋ के स्थान पर रि अथवा इर मिलते हैं।

(४) आदि व मध्यस्थ अ' के स्थान पर कभी कभी इ मिलता है यथा—

तम्य > तिस्म > तिसु
कपाट > कवाड > क्वाड
कायस्थ > X > काइय

(५) ब्रजभाषा में व' के स्थान पर म का आदेश मिलता है।

पावगे > पामेगे, आवतु > जाम्तु।^४

(६) आधुनिक ब्रजभाषा में ण के स्थान पर न मिलता है। यदि ण लिखते भी हैं तो उसका उच्चारण न जसा ही होता है।

प्रवीण > प्रवीन (घ क १) वेणु > वन (घ क ४)

तरुणी > तरुनि (वि स ८१) चरण > वरन (वि स ११३)

(७) हिन्दी में शः के अंत में जहाँ ड, ङ ध्वनियाँ मिलती हैं, वहाँ ब्रजभाषा में र ध्वनि मिलती है।

पडा > परयो (वि स ६५), उघडी > उघरी (घ क १७)

^४ ब्रजभाषा—डा घीरेद्र वर्मा, पृष्ठ ४२।

(८) व्रजभाषा में 'ल' के स्थान पर 'र' का आदेश पाया जाता है—
उलझना > उरझत (वि स १६२), जलती > जरति (वि स १८४)
रूपात्मक विशेषताएँ—(१) व्रजभाषा में दो लिङ्ग—पुल्लिङ्ग, स्त्रीलिङ्ग—
तथा दो वचन—एक वचन और बहुवचन—मिलते हैं।

(२) सड़ी बोली हिन्दी की आकारात्त सज्ञाओं के स्थान पर व्रजभाषा में ओकारात्त सज्ञाएँ मिलती हैं।

लडका > लडको, तिनका > तिनको (मू म ७) काला > कारो (सू)

(३) व्रजभाषा में कर्ता बहुवचन में 'न, नि', कम एक वचन और बहुवचन में 'हि हि' करण एक वचन में 'हि', सम्बन्ध एक वचन में 'ह' तथा अधिकरण में 'हि इ, ए' आदि विभक्ति प्रत्यय अवशिष्ट हैं।

दगनि (वि स ८१), पुजनि (घ क ४२), श्वनन (भ्रमर गीतसार ७२) कैमासहि (रा वार्ता ५), तिहहि (छि वा १४१) ताहि (भ्र गी सा १७) तिनहि (वि स ३४)।

(४) व्रजभाषा में कर्ता के लिए 'ने, कम—'कौ कू', करण—'सों सन, तई त, सम्प्रदान—'वहँ ताई हेत लगि कारण आदि, अपादान—'हुँती, तँ सँ, सम्बन्ध—'उ वा के की, अधिकरण—'माहि, मांसि में माँ आदि अनुसर्गों का प्रयोग किया जाता है।

(५) व्रजभाषा में प्रेरणाथक क्रिया बनाने के लिए 'अ, आ, आउ व आदि प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है—चलइओ, चलाइ, चलाइहै चलाउँगो चलवाइ चल्वाओ।'^६

(६) वर्तमानकालिक कृदन्त में 'त त' प्रत्यय लगाए जाते हैं तथा भूतकालिक कृदन्त में ओ, यो, ए प्रत्यय लगाए जाते हैं।

(७) व्रजभाषा में क्रियाथक सज्ञा के लिए 'ब तथा न प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है।

बुंदेली

बुंदेली समस्त बुंदेलखण्ड की भाषा है। इसीलिए कुछ विद्वान् इसे बुंदलखण्डी भी कहते हैं। डा उदयनारायण तिवारी के अनुसार इण्डिया गजेटियर में बुंदेलखण्ड की जो सीमाएँ निर्धारित की गई हैं वे भाषा की दृष्टि से ठीक नहीं उतरती। उक्त सीमा में आवद्ध कुछ स्थानों में बुंदेली नहीं बोली जाती और कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ बुंदेली बोली जाती है किन्तु उह बुंदेलखण्ड में सम्मिलित नहीं किया गया।

सीमाएँ—बुंदेली के पूव में पूर्वी हिंदी की बघेली बोली बोली जाती है।

^६ डा धीरेन्द्र वमा—व्रजभाषा पृष्ठ ६२।

इसके उत्तर पश्चिम में पश्चिमी हिन्दी की ब्रजभाषा और कन्नौजी बोली जाती हैं। इसके दक्षिण में मराठी और दक्षिण-पश्चिम में राजस्थानी भाषा का क्षेत्र है। बुन्देली भाषा भाषी जनो की संख्या लगभग एक करोड़ है।

बोलियाँ और साहित्य—बुन्देली की कोई विशिष्ट बोलियाँ नहीं हैं। मूनाधिक अन्तर के साथ सारे प्रदेश में प्रायः एक ही भाषा का समान रूप से प्रयोग किया जाता है फिर भी स्थानीय प्रभावों से युक्त बोलियाँ इस प्रकार हैं—पँवारी बाली ग्वालियर के उत्तर पूर्व, दतिया तथा उसके पड़ोस में बोली जाती है। पँवार राजपूता की प्रधानता के कारण इसे पँवारी कहते हैं। लोधाती अथवा राठोडी, हमीरपुर के राठ परगन तथा जालोन के आस पास में बोली जाती है। बुन्देली की खटोला बुन्देलखण्ड के आस-पास बोली जाती है। ब्रजभाषा का साहित्य में प्राणाय हा जान के कारण बुन्देली में साहित्य नहीं लिखा गया। बुन्देलखण्ड के प्रतिभाशाली कवियाँ ने ब्रज अथवा अवधी में ही साहित्य सृजन किया है, यथा—तुलसी, केशव मतिराम ठाकुर पद्माकर आदि। विद्वानों का विश्वास है कि आल्हखण्ड मूलतः बुन्देली में ही लिखा गया होगा किन्तु वर्तमान समय में उसका अत्यन्त विकृत रूप उपलब्ध होता है। केशव की रामचरित्रिका में बुन्देली का प्रभाव यत्र तत्र दृष्टिगत होता है। लाल कवि के छत्रप्रकाश में बुन्देली का पर्याप्त मात्रा में प्रभाव देखने को मिलता है। वैसे बुन्देली भाषा का प्रभाव महाराष्ट्र प्रदेश तक भली भाँति चिह्नित किया जा सकता है।

ध्वन्यात्मक विशेषताएँ—(१) ब्रजभाषा में पाए जाने वाले सभी स्वर बुन्देली में मिलते हैं। जब प्यार सूचक 'या पा प्रत्यय शब्द' का जोड़ा जाता है तब आद्य 'ए' का 'इ' और ओ का उ हो जाता है, यथा—वटी > बिटिया धोरा > धुरवा।

(२) ब्रजभाषा के ऐ तथा ओ क्रमशः ए तथा ओ में परिणत हो जाते हैं।

(३) ध्वन्युत्पत्ति के क्षेत्र में ब्रजभाषा की ठ ध्वनि बुन्देली में नहीं मिलती इसका स्थान पर 'ट' मिलता है, यथा—

पडो > परो, दीड > दोर झगडो > झगरो, छोडो > छोरा।

(४) डा तिवारी के अनुसार बुन्देली में जब आ का वाच्य हो जाता है तो ह का सौप हो जाता है तथा अवशिष्ट 'अ उ म' शब्द जाना है, यथा—बाहूत > बाहुत। अर्थात् स्थानांतरण पर ह का ताप पाया जाता है, यथा—रहि-ने > रह-ने, बहुत > भउत, रहती है > रजना है।

(५) शब्द के आदि में स्थान में जो ज का आदेश पाया जाता है, यथा—य > जे।

(६) पद के आदि म आने वाला 'ध' 'ब' म परिणित ही जाता है ।

रूपात्मक विशेषताएँ—(१) बुन्देली में ब्रजभाषा की इकरात और उकारान्त सनाओ का अभाव है, तथा—घरु>पर, सीति>सीत ।

(२) ब्रजभाषा के ओकारात सना शब्द वाकारात और इकारात सना शब्द याकारान्त मिलते हैं, यथा—

घोडो>घुरवा घेटी>घिटिया । कही कही इवा' अन्त शब्द भी मिलते हैं, यथा—बिल्लो>बिलइवा, चिडिया>चिरइवा ।

(३) बुन्देली म त्रियक बहुवचन मे ब्रजभाषा की तरह इन, इनि के स्थान पर केवल 'न' का प्रयोग मिलता है, यथा—घोडे>घोरन, चाकर>चाकरन लोरो>लोरन ।

(४) बुन्देली में कर्ता के लिए 'ने, नें, कम मे को, खो सम्प्रदान मे को, खो, अपादान मे से सें तो, सम्बन्ध मे का के की खा' तथा अधिकरण मे म, म' आदि अनुसर्गों का प्रयोग किया जाता है ।

(५) उत्तम पुरुष सवताम मे मैं के साथ साथ हा का प्रयोग भी किया जाता है तथा 'अपना के स्थान पर अपनी एव आप के स्थान पर सम्प्रदान म अपन खा का प्रयोग मिलता है ।

(६) वतमान कालिक सहायक क्रिया हू के लिए आऊँ, आव तथा हैं के लिए आँव का एव है के लिए आय का प्रयोग किया जाता है ।

(७) भूतकालिक सहायक क्रिया 'था' के लिए 'हतो, तो', 'थी के लिए हती, ती, थ' के लिए हते, ते तथा थी के लिए 'हती' ती का प्रयोग किया जाता है ।

(८) भविष्यत कालिक सहायक क्रिया गा के लिए 'हो' मे' के लिए ह (उत्तम पुरुष) मध्यम पुरुष म 'गा के लिए हे, गे के लिए हो तथा अय पुरुष मे गा के लिए हे' और गे के लिए 'ह' का प्रयोग किया जाता है । इसक अतिरिक्त भविष्यत काल म गो मे, गी और गी' के प्रयोग भी मिलते हैं ।

(९) पूर्वकालिक क्रियाओ का निमाण क्रिया (मूलधातु) के साथ क लगाकर किया जाता है, यथा—करवे मारके, चलके ।

(१०) अकमक भूतकालिक क्रियाओ के साथ भी बुन्देली मे न अनुसर्ग का प्रयोग किया जाता है जबकि खड़ी बोली हिन्दी म एसी स्थिति मे ने का प्रयोग नहीं होता, यथा—वह चाहता था>वा ने चाउत-तो, वह बैठा>वा ने बठा ।

(११) क्रियायक सना के लिए दो प्रत्ययो वी, न का प्रयोग किया जाता है यथा—मारवो, मारन आदि ।

कोष—हिन्दी के अनेक ऐसे शब्द हैं जिन्का बुन्देली म भिन्न अर्थों मे

प्रयोग किया जाता है, यथा—दादा पितामह (हिन्दी) पिता (बुंदेली),
बुवा—पिता की बहन (हिन्दी)—मौसी (बुंदेली) ।

कन्नोजी

का पदुच्छ किसी समय प्रदेश विशेष का ही नाम था । अब कन्नोज क्वचल एक सीमित स्थान का ही सूचक है । डा घोरद्वर वमा डा प्रियसा क इस मत से सहमत नहीं हैं कि कन्नोजी ब्रजभाषा से कोई भिन्न भाषा है । अतः उ होन ब्रजभाषा ग्रंथ मे कन्नोजी का विवेचन ब्रजभाषा के ही अंतगत रिया है ।

सीमाएँ—कन्नोजी के पूव म कानपुर दक्षिण म यमुना नदी उत्तर म गंगा पार हरदोई, शाहजहापुर तथा पीलीभीत और पश्चिम मे मथुरा मण्डल तक इसका क्षेत्र है । कन्नोजी के उत्तर पश्चिम म ब्रजभाषा तथा दक्षिण म बुंदेली बोली जाती है और पूव म अवधी भाषा का क्षेत्र है । इसके बोलने वालों की संख्या लगभग साठ-मसठ लाख है ।

बोलियाँ और साहित्य—कन्नोजी का क्षेत्र सीमित होने के कारण अधिक बोलियों के लिए इसमें अवकाश नहीं है फिर भी तिरहारी इसकी प्रमुख बोली है । इसमें साहित्य नाम मात्र को भी नहीं है । हाँ, लोक साहित्य का प्रकाशन अवश्य अभी-अभी किया गया है ।

ध्वन्यात्मक विशेषताएँ—(१) ब्रजभाषा और कन्नोजी की वणमाला म कोई अंतर नहीं है । ब्रजभाषा के सभी स्वर और व्यञ्जन इसमें उपलब्ध हैं ।

(२) ब्रजभाषा की तुलना कन्नोजी म ऐ ओ की अपेक्षा ए ओ का प्रयोग अधिक मिलता है, यथा—बडो गया, चलो ।

(३) कन्नोजी म स्वर मध्यस्थ ह का लोप हो जाता है यथा—
कहिहीं > कहीं ।

(४) कन्नोजी म ब्रजभाषा की 'य व ध्रुतियों का अभाव पाया जाता है,
यथा—गयो (ब्रज) गओ (कन्नोजी) भवो/भवो (ब्र०) भओ ।

रूपात्मक विशेषताएँ—(१) कन्नोजी म दो लिङ्ग तथा दो वचन हान हैं । इसमें आकारान्त शब्द बहुवचन म त्रिवचन रूप मे एकारान्त न होकर आकारान्त ही रहते हैं यथा—सरिका सरिका को (बहु० व०) ।

(२) कन्नोजी म कर्ता म ने वम सम्प्रदान म को, का वरण अपादान म से सती सन तें करि करिक सम्बन्ध म 'को के की तथा अधिकरण म माँ में मौं, पर लो जाति परसगों का प्रयोग किया जाता है ।

(३) वतमानकालिक सहायक क्रिया हिन्दी की तरह हूँ ते है आदि ही हैं ।

(४) भूतकालिक सहायक क्रिया क रूप म या य, थी थ गाय साय 'हती हती हते, हती का प्रयोग भी मिलता है ।

(५) भविष्यत् कालिक सहायक क्रियाओं में गा, ग गी के साथ साथ 'है' युक्त क्रियाओं का प्रयोग भी वग्नौजी में किया जाता है।

(६) पूर्वकालिक क्रिया की निष्पन्नता के' का धातु के साथ प्रयोग कर की जाती है यथा—मारके/मारिके।

बांगरू अथवा हरियाणवी

यह बांगरू प्रदेश की बोली है। इस क्षेत्र में बांगरू' शब्द का प्रचलन अधिक नहीं है। इस प्रदेश के लिए हरियाणा शब्द अधिक लोक प्रिय है। राजनतिक दृष्टि से हरियाणा में गुडगांव तथा महेन्द्रगढ़ जिला भी सम्मिलित है पर भाषा की दृष्टि से ये दोनों जिले राजस्थानी भाषा की मेघाती और अहीरवादी' के अंतर्गत आते हैं।

सीमाएँ—बांगरू के अंतर्गत दिल्ली प्रदेश, रोहतक और करनाल के पूरे जिले, जींद हिसार का पूर्वी भाग, नाभा और पटियाला के दक्षिण भाग आते हैं। इसके उत्तर में अम्बाला दक्षिण में गुडगांव पश्चिम में पटियाला और पूव में यमुना नदी का दोआब आता है। इस प्रकार इसका उत्तर पश्चिम में पञ्जाबी भाषा पूव में खड़ी बोली और दक्षिण पश्चिम में मेघाती एवं राजस्थानी (मारवाडी) आदि भाषाएँ बोली जाती हैं। इस भाषा के बोलने वाला की जनसंख्या लगभग ४०-४५ लाख है।

बोलियाँ और साहित्य—हरियाणवी/बांगरू क्षेत्र सीमित हान के कारण इसमें अधिक बोलियाँ नहीं हैं। राहतक के आस पास की बोली को जाटू' या हरियाणवी कहते हैं। चरखी दादरी के आस-पास की बोली में अहीरवादी का मिश्रण देखने को मिलता है। वास्तव में हरियाणा प्रदेश की बोलियाँ जाति गति विशेषताओं से अधिक प्रभावित हैं। (१) जाटों की बोली—जो बांगरू की प्रमुख बोली नहीं जा सकती है। (२) अहीरों की बोली—जो जाटू और अहीरवादी का अच्छा मिश्रण नहीं जा सकती है, यथा—रोहतक के आस पास का व्यक्ति 'कहाँ के लिए' 'कड़ शब्द का प्रयोग करेगा अहीर वित और ब्राह्मण, वैश्य प्रायः कठ शब्द का जो राजस्थानी मारवाडी शब्द है प्रयोग करेगा। अजमेर के आस पास के लोग 'किधै' शब्द का इसके लिए प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ चमारों की बोली इनमें भिन्न है। ये लोग ड के स्थान पर ल का प्रयोग करते हैं। तोडेगा क्या? वाक्य जाट लाग कहेंगे तोडेगा के अहीर तोडेगा के और चमार आदि जातियाँ तोलागा के' आदि कहेंगे। अतः 'हरियाणवी' का समाज शास्त्रीय अथवा जातीय परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करना परमावश्यक है। मजेंदार बात तो यह है कि रेवाडी महेन्द्रगढ़ और नारनील दोनों स्थानों की बोलियाँ में एक तात्त्विक अंतर है जिसका अध्ययन भाषा वैज्ञानिकों के लिए बड़ा मनोरञ्जक हो सकता है।

हरियाणवी में उल्टा साहित्य का नितांत अभाव है पर इनके सोच गीत एव सोच बघाएँ अपना महत्वपूर्ण रखा करते हैं। श्री रणघाया ने हरियाणा के सोच गीता का एक अच्छा सङ्कलन प्रकाशित किया है तथा श्री शंकरलाल यादव का सोच गीता पर लिखा गया शोध ग्रन्थ उल्लेखनीय रचना है। आधुनिक साव गीतकारों में श्री रामानन्द प० सराभायण तथा भीष्म माय के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। सोच गीत का एक उदाहरण लोजिये जिसमें एक सनिक का अपनी पत्नी के प्रति बसा मामिक उदगार है—

‘छूटी के स्नि पूरे हो मे, सिहापुर न जाणा होगी।

मेरे नाम की घूटी करदे मेरा न क आणा होगा ॥

ध्यात्मक विशेषताएँ—(१) वांगरू में प्रायः वे सब धरनियाँ बतमान हैं जो खड़ी बोली हिन्दी में पायी जाती हैं।

(२) खड़ी बोली हिन्दी के अन्त्य में ‘ण’ उच्चारण करने की प्रवृत्ति वांगरू में उपलब्ध होती है यथा—अपना > अपणा आना > आणा जाना > जाणा।

(३) वांगरू में ‘ल’ का उच्चारण ‘ल’ की तरह होता है पर जब ‘ल’ द्वित्व होकर आता है तो इसका उच्चारण ‘ल्ल’ ही होता है। वांगरू की एक बात और विचारणीय है कि ‘ल’ की सवत्र ‘ल्ल’ नहीं होता यथा—घोलना में ल की ल का उच्चारण किया जाता है यथा—‘घोलना पर चलना’ का ‘चलना’ उच्चारण वांगरू में नहीं होता। इसी प्रकार ‘पालना’ का ‘पालना’ हो जाता है पर ‘हालना’ का हालना ही उच्चरित किया जाता है।

(४) ‘ड’ का वांगरू में अधिकशत ड उच्चारण किया जाता है, यथा—बडा > बह्ना गडना > गडणा आदि। स्वाधिक ड प्रत्यय (राजस्थानी) वांगरू में मिलता है। तद्धित में ‘ड’ प्रत्यय का प्रयोग वांगरू में मिलता है यथा—बडह्योडो बडयोडो। इसी प्रत्यय का प्रयोग वृद्धत रूप में भी मिलता है यथा—कह्योडा/डा घडयाडा।

(५) वांगरू में हिन्दी त्रियाओं के त के स्थान पर पञ्जाबी के अनुस्वरण पर ‘द’ मिलता है। भिवानी के आस पास के गाँवों में इसका विशेष प्रयोग देखा जाता है यथा—खाता > खाँदा, जाता < जाँदा, पर कहता का कहँदा नहीं होता।

रूपात्मक विशेषताएँ—(१) हरियाणवी/वांगरू में सज्ञा शब्द ब्रजभाषा की तरह ओकारात्त न होकर आकारात्त ही होते हैं, यथा—घोडा लडका पसा आदि।

(२) वांगरू में तिमक बहुवचन के रूपों में खड़ी बोली हिन्दी के ‘ओका रात्त’ रूपा का अनुसरण न करके राजस्थानी आकारात्त रूपों का ही

अनुकरण दृष्टिगत होता है, यथा—(एकवचन) घोडा > घोडा (बहुवचन) जंभा घोडा क मारो, न कि घोडा की मारो ।

(एकवचन) शिन > शिनी, (बहुवचन), जस कई शिनी त बोरी मिल्या ।

(३) वाग्व्यय म कर्ता म ने, 'न' क्य मे ने, न, की, करण म 'स सेती, स', सम्प्रदान म 'न सातिर', अपादान म ती, सै, त (ये परसग करण में भी प्रयुक्त होते हैं) सम्बन्ध में 'वा, वे की की तथा अधिकरण में 'मै, में, माँ, माँह, पर' आदि परसगों का प्रयोग किया जाता है ।

(४) यत्प्रमाणवत् सहायक क्रिया है क स्थान पर 'हो' के स्थान पर 'सो' 'है' के स्थान पर 'स माँ तथा हूँ' के स्थान पर 'तू' के प्रयोग विशेष रूप में उल्लेखनीय हैं ।

(५) भूतकालिक सहायक क्रिया म लड़ी बोली के घो, या थी थ यों आदि का ही प्रयोग किया जाता है ।

(६) भविष्यत् कालिक क्रिया के रूप भी हिन्दी की तरह गा ने गी स सम्पन्न होते हैं ।

(७) क्रियायक राना की निष्पन्नता 'अण' प्रत्यय की सहायता से ही की जाती है, यथा—मरणा > मरण, रोणा > रोण चलना > चलण ।

पूर्वी हिन्दी

पश्चिमी हिन्दी और बिहारी के बीच के भू भाग में जो बोलियाँ बोली जाती हैं 'उन्हें पूर्वी हिन्दी शीषक के अन्तर्गत परिगणित किया जाता है । पूर्वी हिन्दी का उत्तर में पहाड़ी भाषाएँ, पश्चिम में बुन्देली एवं कन्नौजी, पूव में बिहारी एवं नागपुर की बोलियाँ तथा दक्षिण में महाराष्ट्री भाषाएँ बोली जाती हैं । इन प्रकार पूर्वी हिन्दी के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश का भू भाग, बघेलखण्ड बुन्देल का कुछ भाग छाटा नागपुर तथा मध्यप्रदेश के कुछ भाग आते हैं । मध्यप्रदेश के जबलपुर मण्डला तथा छत्तीसगढ़ के जिले पूर्वी हिन्दी के अन्तर्गत आते हैं । पूर्वी हिन्दी की तीन प्रमुख बोलियाँ हैं—(१) अवधी (२) बघेली तथा (३) छत्तीसगढ़ी । डॉ. उदयनारायण तिवारी के अनुसार भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से अवधी और बघेली में कोई विशेष अन्तर नहीं है । डॉ. प्रियसन ने केवल जनना की भावना के आधार पर ही इसे पृथक् बोली के रूप में स्वीकार किया है । छत्तीसगढ़ी को आपने महाराष्ट्री के प्रभाव के कारण अवश्य पृथक् बोली स्वीकार किया है ।^६ इन तीनों विभाषाओं में अवधी ही एक सुसम्पन्न विभाषा है ।

^६ हिन्दी भाषा का उद्गम और विकास, पृष्ठ २६४ ।

अवधी

अवधी से अवग गगर की भाषा का तात्पर्य क्या नहीं लेना चाहिए । अवधी का अर्थ अथवा अवध है । यह नगर इस भाषा क्षेत्र का केन्द्र स्थल होने के कारण इस अवधी कहते हैं । कुछ विद्वान् इस कौशसी तथा कुछ वैगवादी भी कहते हैं । अधिकांश विद्वानों के मत से इस भाषा का अवधी नाम ही अधिक उपयुक्त है ।

सीमाएँ—अवधी के उत्तर में पहाड़ी भाषाएँ, दक्षिण में महाराष्ट्री पूर्व में बिहारी की उपभाषा भोजपुरी तथा पश्चिम में बुन्देली और कन्नौजी बोलियाँ बोलनी जाती हैं । इस प्रकार हरदोई जिले को छोड़ कर समस्त अवध का क्षेत्र अर्थात् लखीमपुर सीरी बहराइच गाढ़ा बाराबंकी लगनऊ सीतापुर उन्नाव फैजाबाद मुलतानपुर, रायबरेली के इलाके आते हैं । जौनपुर और मिर्जापुर के पश्चिमी भाग तथा फतेहपुर और इलाहाबाद में भी अवधी बोलनी जाती है । इसके बोलने वालों को संख्या लगभग दो करोड़ है ।

बोलियाँ और साहित्य—डा बाबूराम सबसना ने अवधी की तीन विभाषाएँ बताई हैं—(१) पश्चिमी (२) केन्द्रीय और (३) पूर्वी । सीरी, सीतापुर लगनऊ उन्नाव फतेहपुर की अवधी को पश्चिमी विभाषा कहते । बहराइच बाराबंकी तथा रायबरेली की अवधी को केन्द्रीय विभाषा कहते हैं । गाढ़ा फजाबाद मुलतानपुर इलाहाबाद जौनपुर तथा मिर्जापुर की अवधी को पूर्वी विभाषा कहेंगे ।

जहाँ तक अवधी के साहित्य का सम्बन्ध है यह प्रचुर मात्रा में है । हिन्दी साहित्य के भक्तिकाल की दो शाखाएँ—प्रेममार्गी शाखा और राम भक्ति शाखा का समस्त साहित्य इसी भाषा में लिखा गया है । प्रेममार्गी शाखा के कुतबन मयन जायसी और उसमान और नूर मुहम्मद उत्कृष्ट कवि के कलाकार हैं । इनमें भी जायसी कृत पञ्चावत महाकाव्य हिन्दी साहित्य के महाकाव्यों में अपना तृतीय स्थान रखता है । रामभक्ति शाखा में हिन्दी साहित्य के कवि शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है । लोक विश्रुत तथा भारतीय जनता के गले का हार 'रामचरित मानस' तुलसीदासजी द्वारा इसी भाषा में लिखा गया है । बात यह है कि इस भाषा में साहित्य रचना आधी की तरह प्रारम्भ हुई और तूफान की तरह बढ़ हो गई । आज तक पुनः अवधी में साहित्य लिखने की ओर कुछ लोग उन्मुख हुए हैं जिनमें बशीर और रमई बाका के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं ।

ध्वन्यात्मक विशेषताएँ—(१) अवधी में प्रायः वे सभी स्वर ध्वनियाँ पाई जाती हैं जो खड़ी बोली में हैं परंतु अवधी में ए आ का ह्रस्व रूप भी

मिलता है जो खड़ी बोली में नहीं है, यथा—एतना कहत नीति रस भूला ।
(रामचरित मानस, अयो का २२६/३)

केहि सोहाति रथ बाजि गजाली । (मानस अ का २२८/४)

(२) 'ऐ और औ' को 'अइ तथा अउ' लिखने एवं उच्चारण करने की प्रवृत्ति अवधी भाषा में लक्षित होती है, यथा—जइसे अउरत, सराहइ (मा अ १६/०), परउ (मा अ २१), सकउ (मा अ २१) ।

(३) अवधी में 'य और व' श्रुतियों का अभाव मिलता है, यथा—जिआवत (मा अ २०/१) (हिन्नी जिवाना), छुअत (मा अ २८/२), छुवत (हि), करिअ (मा अ ३६/३), करिये (हि), गनिअ (मा अ का ४१/१), गिणिये (हि) ।

(४) अवधी में ण के स्थान पर 'न' पाया जाता है । यद्यपि तत्सम शब्दावली में 'ण' लिखा जाता है तो भी उसका उच्चारण अवधी में 'न' की तरह ही किया जाता है, यथा—चरण>चरन (मा अ ४३/१), मणि>मनि (मा अ का ४३/१), प्राण>प्रान (मा अ का ४५/१) ।

(५) अवधी में 'ड' के स्थान पर प्राय 'र' मिलता है । कुछ विद्वानों के मत में अवधी में 'ड' के स्थान पर 'ड, ढ' ध्वनिया मिलती हैं । उघडते हैं>उघरहि (मा वा ५/४), जोड कर>जोरि (मा वा ७ ग), जुडती>जुरइ (मा वा ७/४), थोडे म>थोरेमहै (मा वा ११/३), पर रामचरित मानस में मैंने देखा है कि 'ड' ध्वनि का प्रयोग भी हुआ है वहाँ 'ड' को 'र' नहीं हुआ, यथा—

बड' (मा वा ८), छाडि (मा वा ७/२), बडे (मा वा ५/३) जड (मा वा ११/४) उडाही (मानस वा ११/६) ।

(६) 'ध' ध्वनि अवधी में 'व' की तरह उच्चरित होती है तथा 'उ और ओ' में भी परिवर्तित हो जाता है, यथा—

विधि>विधि (मा वा ५/२), वारि>वारि (मा वा ६),
विवार>बिवार (मा वा ६), वेश>वेष (मा वा ६/३),
विदित>बिदित (मा वा ६/४), वस्तु>वस्तु (मा वा ७),
प्रमाव>प्रभाउ (मा वा १२/१) चाव>चाउ (मा वा १४/४) ।

(७) अवधी में 'य' के स्थान पर 'ज' का आदेश होता है तथा स्वर रूप में 'इ' में परिवर्तित हो जाती है, यथा—

सुयश>सुजस (मा अ ३१२) अछ>अज्ज>आजु (मा अ ३१२/१),
युग>जुग (मा अ ३१५/३), काय>काज (मा अ ३१७/३) ।

रूपात्मक विशेषताएँ—(१) अवधी में प्राय दो लिङ्ग और दो वचनों का प्रयोग किया जाता है । एकवचन से बहुवचन बनाने के लिए 'एँ' प्रत्यय

सगाया जाता है। तिसके रूप एक वचन में 'हि' और 'इ' प्रत्यय जोड़े जाते हैं और बहुवचन भाषा के लिए 'त, न्ह नि, हि' आदि प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है।

(२) अवधी में पुल्लिङ्ग से स्त्रीलिङ्ग ध्यान के लिए 'नि' इति तथा आदि प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। वहीं वहीं इस प्रत्यय का प्रयोग भा दृष्टिगत होता है यथा—मोता > मउतिया।

(३) अवधी में कर्ता 'परगम' रहित सविभक्ति या निविभक्ति रहता है कम के लिए 'या व, कां तथा बहु' करण अपादान के लिए सर्वे सर्वे सर्वे हृत, सम्प्रदाय के लिए चरे, वने सम्बन्ध के लिए के कर, केर के का तथा अधिकरण के लिए म म पर महु, मह माहा माहा आदि परसर्गों का प्रयोग किया जाता है।

(४) वतमानकालिक सहायक क्रिया के लिए आटे बाट है तथा अहे आदि शब्दों का प्रयोग अवधी में किया जाता है।

(५) भूतकालिक सहायक क्रिया के लिए भए रह आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है।

(६) भविष्यत काल के लिए मूल धातु के साथ हिन्दी 'गा गी गी' के स्थान पर 'बूँ व बे वो तथा ह' प्रत्ययों के विभिन्न विकृत रूपों का प्रयोग किया जाता है।

(७) पूर्वकालिक क्रिया के लिए 'बे, बे' का प्रयोग मूल क्रिया के साथ किया जाता है यथा—दख बे देख-बे।

(८) क्रियाधक सज्ञा के लिए मूल धातु के साथ 'व' प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, यथा—देखव, कहव चलव आदि।

(९) प्रेरणाधक क्रिया आव प्रत्ययों की सहायता से निष्पन्न की जाती है, यथा—सुनावहि, चलवाहि डरावाहि आदि। आए और ए प्रत्ययों का प्रयोग भी अवधी में लक्षित किया जा सकता है।

बघेली

बघेलखण्ड में बोली जाने के कारण इसका नाम बघेली या बघेलखण्ड पड़ा। सोलकी राजा व्याघ्रदेव के नाम पर इस क्षेत्र का नाम बघेलखण्ड पड़ा। विद्वान लोग भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से इसे पृथक् बोली न मान कर अवधी की ही दक्षिणी उपशाखा कहते हैं। बघेलखण्ड के बाहर भी बघेली बोली जाती है।

सीमाएँ—इसके उत्तर में मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की सीमा दक्षिण में बाताघाट पश्चिम में दमोह और बाँदा की पूर्वी सीमा तथा पूव में मिर्जापुर, विलासपुर और छोटा नागपुर की पश्चिमी सीमाएँ आती हैं। इस प्रकार बघेली के उत्तर दक्षिण में अवधी भाषा, और भोजपुरी, पूव में छत्तीसगढ़ी,

दक्षिण में मराठी तथा पश्चिम में बुन्देलखण्डी बोली जाती है। इसके बोलने वालों की संख्या लगभग ७० लाख है।

बोलियाँ और साहित्य—बघेली की दो प्रकार की बोलियाँ देखने में आती हैं। एक तो शुद्ध बघेली जो सम्पूर्ण बघेलखण्ड में बोली जाती है और दूसरी मिश्रित बघेली जो समीपस्थ बोलियों से मिलाकर सीमांतक क्षेत्रों में बोली जाती है। पश्चिम में फतेहपुर, बाँदा तथा हमीरपुर में मिश्रित बघेली बोली जाती है। इसमें बुन्देली का मिश्रण हुआ है। दक्षिण की मिश्रित बोली को मण्डला जिले की विभिन्न जातियाँ बोलती हैं इसमें मराठी और बुन्देली का मिश्रण हुआ है। जालौन के आस पास की बोली का नाम निबट्टा है, इसमें बुन्देली की प्रधानता होने के कारण कुछ लोग इसे बुन्देली की बोली मानते हैं। इसमें ललित साहित्य का अभाव है।

ध्वन्यात्मक विशेषताएँ—(१) अवधी में जहाँ 'व का व' उच्चारण मिलता है वहाँ 'व' ध्वनि की सुरक्षा भी अनेक स्थानों पर दृष्टिगत होती है, परन्तु बघेली में उक्त ध्वनि सुरक्षा का प्रायः अभाव ही पाया जाता है, यथा—पावा > पाबा आवा > आबा आदि।

(२) बघेली में आद्य स्वर का लोप देखने में आता है, यथा—घोडा > घ्वाड तुमरे > त्वारे, मोर > म्वार। उक्त नियम की निष्पन्नता यों भी की जा सकती है कि बघेली में उ ओ, वी वा का आदेश हो जाता है। उपयुक्त उदाहरणों में यह नियम अधिक अच्छी तरह घटित होता है।

शेष काय अवधी की तरह ही सम्पन्न होता है।

रूपात्मक विशेषताएँ—(१) बघेली में वचन और लिङ्ग की प्रक्रिया अवधी की तरह ही होती है।

(२) परसर्गों के क्षेत्र में अवधी के परसर्गों के साथ-साथ कम सम्प्रदान में 'कहा और का, करण, अपादान में 'से और तार सम्बन्ध में 'कर' और अधिकरण में 'में' अनुसर्गों का अतिरिक्त प्रयोग लक्षणीय है।

(३) सवनामों में 'म्बा, त्वा, बहि यहि आदि प्रयोग भी बघेली की अपनी विशेषताएँ हैं।

(४) विशेषणों में भी मूल शब्द के साथ 'हा प्रत्यय जोड़ देने की प्रवृत्ति बघेली में पायी जाती है, यथा—निकहा।

(५) हिन्दी क्या' के स्थान पर बघेली में काह का प्रयोग किया जाता है।

(६) भूतकालिक सहायक क्रिया में रहा और रहेन के साथ-साथ बुन्देली ता और तें भी मिलते हैं।

(७) क्रियायक संज्ञा में व प्रत्यय के साथ-साथ में प्रत्यय का प्रयोग भी बघेली में मिलता है, यथा—चराम का।

(८) भविष्यत कालिक प्रिया म 'व' प्रत्यय के साथ 'ह' प्रत्यय वाले प्रयोगों की प्रधानता है, यथा—जइहों कइहों ।

(९) बघेली में अवधी 'होब' को 'भ', 'जाब' को 'ग' का आदेश हो जाता है । इसके अतिरिक्त 'देव' के स्थान पर 'दीह', 'लेव' के स्थान पर 'लीह' और 'करब' के स्थान पर 'कीह' जैसे प्रयोग मिलते हैं ।

छत्तीसगढ़ी

मध्यप्रदेश के निश्चित भूखण्ड को छत्तीसगढ़ कहा जाता है । कुछ विद्वानों का मत है कि इस क्षेत्र में कभी छत्तीस गढ़ थे इसलिए इसे छत्तीस गढ़ कहा जाता है । कुछ का कहना है कि चेदि राजाओं के गढ़ यहाँ पर होने से इसे चेदीशगढ़ कहा जाता था । बाद में यह विकृत होकर छत्तीसगढ़ हो गया । दूसरा मत भाषा विज्ञान के अधिक समीप है । इस क्षेत्र की बोली को ही छत्तीसगढ़ी कहते हैं । इसके अतिरिक्त इसे 'लरिया' और 'खल्दाही' भी कहते हैं । इसमें ललित साहित्य का सवधा अभाव है ।

सीमाएँ—छत्तीसगढ़ी के उत्तर में पलामु दक्षिण में वस्तर, पश्चिम में बघेलखण्ड और पूर्व में उड़ीसा प्रदेश आता है । इस प्रकार इसके उत्तर में भोजपुरी पूर्व में उड़िया पश्चिम में बघेलखण्ड तथा दक्षिण में हलबी बोली आती है । अतः छत्तीसगढ़ी के अंतर्गत, सरगुजा कोरिया विलासपुर, रायगढ़ खरागढ़ रायपुर नदगाँव, बालाघाट का पूर्वीभाग सवित सारगढ़ के कुछ भाग, उदयपुर तथा जशपुर राज्य लिए जा सकते हैं । इसके बोलने वालों की संख्या लगभग ८० लाख है ।

भाषा-वैज्ञानिक विशेषताएँ—(१) छत्तीसगढ़ी में महाप्राण ध्वनियों के प्रति विशेष आकर्षण की प्रवृत्ति लक्षित होती है, यथा—जन > जन जात > जाय दीड > धीड कचहरी > कछेरी ।

(२) स के स्थान पर छत्तीसगढ़ी में छ का आदेश हुआ मिलता है, यथा—सीता > छीता सात > छत ।

(३) क सम्प्रदान में 'का ला, बर' करण अपादान में 'लि से सम्बंध में 'वे' अधिकरण में 'माँ' अनुसर्गों का प्रयोग किया जाता है ।

(४) एकवचन से बहुवचन बनाने के लिए 'मन् श' साथ जोड़ लिया जाता है । इसके लिए अन् प्रत्यय का प्रयोग भी होता है ।

(५) क्रियाधक-सज्ञा व प्रत्यय से भी सम्पन्न होती है और 'अण प्रत्यय से भी ।

उपरिर्लिखित ब्रज अवधी आदि हिन्दी की ही विभाषायें हैं और विस्तृत अर्थ में इन्हें मिलाकर हिन्दी भाषा कहा जाता है ।

नवम अध्याय

हिन्दी का उद्भव और विकास

मध्येश का महत्त्व—राष्ट्रभाषा की समस्या—संस्कृत, पालि, प्राकृत—मध्यदेश से सम्बद्ध—अपभ्रंश में पश्चिमी हिन्दी के उपकरण—ध्वजात्मक उपकरण—रूपात्मक उपकरण—नाम—आभ्यास—उपसर्ग—प्रत्यय—हिन्दी शब्द निवचन—हिन्दी के प्रयोग एवं प्रारम्भ की कहानी—हिन्दी, उर्दू—समानता—विषमता ।

हिन्दी का विकास

एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजमन ।
स्व स्व चरित्र शिदोरन् पृथिव्या सवमानवा ॥'

(मनुस्मृति द्वितीयाध्याय)

(इस दश के ब्राह्मणों से सारे जगत् के लोग अपना अपना जीवन व्यतीत करने की रीति सीख) भारत के ऐसे एक निस्पृह तपस्वी और महान राज नयिक के ये विचार अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। इससे पूव कि इसकी महत्ता पर विचार विमर्श करें यह आवश्यक है कि उस देश की भौगोलिक स्थिति का ज्ञान प्राप्त करल। मनु ने ही इस पुण्यभूमि की सीमाएँ इस प्रकार से दी हैं—

‘हिमवत विन्ध्यधोमध्य यत प्राग् विनशनादपि ।

प्रत्यगोव प्रयागाच्च मध्यदेश प्रकीर्तित ॥’

यही वह मध्य देश है जो शिक्षा और ज्ञान में भारत का अग्रणी रहा है। इस स्थान का भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से अत्यन्त महत्त्व है। आज जन जय सप्तसि धु प्रदेश से फलते फूलने आधुनिक बिहार तक पहुँच गए और इमी बीच वे अनेक अनाय जातियों क सम्पर्क में आए तथा जलवायु के अनापेक्षित प्रभाव से प्रस्त हुये तब आर्यों को महत्त्वपूर्ण भाषा छा'दस' का शुद्ध उच्चारण उनके लिए एक क्लिष्ट काय हो गया। दूसरे, कुछ सांस्कृतिक एवं धार्मिक मत भेदों का भी प्रस्फुटन हुआ। परिणामत एक भाषा की समस्या आय परिवार के सामने आ उपस्थित हुई। यह पहला अवसर था कि आर्यों को एक बिल्कुल नवीन समस्या का साम्मुख्य करना पडा। प्राच्य जन जो छा'दस का शुद्ध उच्चारण करने में असमर्थ थे तथा कुछ सीमा तक अपनी बोली के प्रति अभिमान का प्रशान भी कर रहे थे (सम्भवत ग्लानि को छुपाने हेतु) छा'दस भाषा को स्वीकार करने की तत्पर नहीं थे। इसमें ब्राह्मणों की धार्मिक कट्टरता भी एक कारण हो सकती है, क्योंकि उपनिषदा में उह् ब्राह्म्य कहकर सम्बाधित किया गया है। य व्राह्म्य इसलिए था कि बर्दिक धर्म में दीक्षित नहीं हुए थे। इसलिए कुछ विद्वान् इहे आर्यों से भिन्न प्रजाति के जन मानते है। पर मैं ऐसा समझता हूँ कि य आर्यों की वह शास्ता थी जो आलस्यवश ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित धार्मिक कृत्यों एवं नियमों का पालन नहीं कर पा रही थी तथा अनायों के सम्पर्क ने उनकी इस प्रवृत्ति को बढ़ावा भी दिया था। खर¹ जो कुछ भी हो पर एक सवमाय भाषा की समस्या ता प्रस्तुत हो ही गई थी।

उस समय तक छा'दस भाषा लगभग तीन रूपों में विवक्षित हो चुकी थी जिनके उल्लेख एवं प्रमाण प्राचीन बर्दिक साहित्य में यत्र-तत्र उपलब्ध हो

जाते हैं—१ पश्चिमोत्तरीय बोली, छादस भाषा के नियमों के साथ कर्म से कदम मिलाकर चल रही थी और विकास के चिह्न स कम से कम प्रभावित थी। २ प्राच्या, छादस से पर्याप्त मात्रा में दूर जा चुकी थी। डॉ. चाटुर्ज्या का मत है कि प्राच्यों के लिए पश्चिमोत्तरीय प्रश्न की भाषा काफी दुर्बल हो गई होगी। अनेक ध्व-यात्मक परिवर्तनों की सूचना महाभाष्यकार पतञ्जलि ने अपने ग्रन्थ में दी है। ३ मध्यदेशीय उक्त दोनों के बीच में एक बाली और पनप रही थी जो पश्चिमोत्तरी के समान छादस के समीप होत हुए भी कुछ विकास के चिह्नों से युक्त थी। छादस का त प्राच्या में यदि 'ट्ट' हो जाता है तो इसमें 'त्त' हुआ होगा। कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि जब कभी भी किसी प्रदेश या राष्ट्र में एक से अधिक भाषाएँ प्रकाश में आती हैं तब जनसम्पर्क भाषा का स्थान कौनसी भाषा ले—ऐसा विवाद आता ही है और उनका समाधान भी स्वाभाविक रूप से हो जाता करता है। अतः उपरिर्क्षित विवाद का हल इसी उदीच्य मध्यदेश की बोली से विकसित संस्कृत भाषा के प्रादुर्भाव के साथ ही हो गया।^१ गौतम बुद्ध जो अपने प्रवचनों को प्राच्या के अतिरिक्त किसी भी अन्य भाषा में लिपिबद्ध करने को प्रस्तुत नहीं थे, उनके अनुयायियों ने भी इस नवीन भाषा को सह्य स्वीकार कर लिया। इस भाषा को सम्भवतः ग्रहण करने का एकमात्र कारण मध्यस्थीय विद्वानों के प्रति श्रेष्ठ भारत सण्ड के जना का अमित विश्वास एवं श्रद्धा ही है अथ कुछ नहीं। इसीलिए प्रारम्भ में मनु द्वारा प्रदत्त मध्य दश की प्रशस्ति को अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कहा गया है। क्योंकि उसमें पूण सत्य को उद्घाटित किया गया है काल्पनिक गौरवगान नहीं। संस्कृत की स्वीकृति इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। डा. चाटुर्ज्या के इस विषय पर विचार अत्यन्त विचारणीय हैं—मध्य प्रदेश वास्तव में भारत का हृदय एवं जीवन संचालन का केन्द्र स्थान था। वहाँ के निवासियों के हाथ में एक तरह से अखिल भारतीय ब्राह्मणाय संस्कृति का प्राथमिक सूत्रपात था तथा हिंदू जगत के पवित्रतम देश के रूप में मध्य देश की महत्ता सवत्र सवमाय थी। परम्परा एवं इतिहास द्वारा वर्णित सावभौम साम्राज्यों के केन्द्र मध्यदेश एवं तत्रिकटस्थ आर्यावत्त के अन्य क्षेत्रों में ही रहे हैं।^२

भाषा प्रसार की दृष्टि से मध्य देश का प्रभुत्व आज तक विकास की ओर ही उन्मुख है। कारण चाहे कुछ भी रहा हो, पर मध्य दश की भाषा संस्कृत काल से लेकर आज तक अखिल भारतीय जन सम्पर्क की भाषा के गौरवमय पद से विभूषित होती रही है। समय अपनी अबाध गति से चलता रहा।

^१ डा. चाटुर्ज्या कृत भारतीय आयभाषा और हिन्दी पृष्ठ १८५-८६।

^२ वही पृष्ठ १६१।

संस्कृत ने भारत में ही नहीं, भारत से बाहर जावा सुमात्रा, कम्बोडिया, चीन इण्डोनेशिया बर्मा तथा लका तक प्रवेश प्राप्त कर लिया। वैयाकरणों ने भाषा की शुद्धता की सुरक्षा हेतु कठोर नियमों का विधान किया साहित्यकारों ने शब्दावली का अधिक परिमाण एवं परिष्करण कर सूक्ष्म से सूक्ष्मतर भाषा की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। वैज्ञानिकों ने पारिभाषिक शब्दावली से इसके कोप को अक्षय किया। इन सब से भाषा में नवीन शब्दावली का समावेश हुआ। वहाँ यह विद्वानों की एकमात्र निधि बनकर रह गई तथा जनसाधारण के लिए दुर्बोध होती चली गई और नवीन जन भाषाएँ रगमञ्च पर उपस्थित हुईं। पुनः भाषागत सघन प्रारम्भ हुआ। जैन और बौद्धों ने एक बार फिर प्राच्य भाषाओं को प्रथम दिया और उन्हें अखिल भारतीय भाषा बनाने का असफल प्रयास किया। अशोक के शासन काल तक ऐसा लगता है कि प्राच्य भाषाओं का प्रभुत्व रहा। अशोक के शिलालेखों की भाषाएँ उनके प्रभुत्व का सकेत देती हैं पर अब इनसे काम चलता न देख बौद्ध भिक्षुओं को भगवान् तथागत के प्रवचन को पुनः मध्यदेशीय भाषा पालि में अनूदित करना पड़ा। इस प्रकार मागधी भाषा को मध्यदेशीय भाषा के लिए अपना सिंहासन जो कुछ समय के लिए हस्तगत कर लिया था, छोड़ना पड़ा। मध्यदेशीय पालि भी संस्कृत की तरह भारत की ही नहीं, अपितु लगभग समस्त एशिया (जहाँ जहाँ बौद्ध धर्म फैला) की धार्मिक भाषा स्वीकृत कर ली गई। यह भ्रम अब प्रायः समाप्त हो गया है कि पालि मगध प्रदेश की भाषा थी। अब तक मध्य देश की पठभूमि इतनी सशक्त हो चुकी थी कि सांस्कृतिक क्षेत्र में उसे अपदम्य करना मुश्किल काय न रह गया था। द्वितीय, कोई ऐसा चाहता भी न था क्योंकि अखिल भारतीय हिन्दू समाज की सांस्कृतिक धरोहर उस पुण्यभूमि में समायी हुई थी और है। यही कारण है कि पालि के पश्चात् इसी की पुत्री शौरसेनी प्राकृत पुनः समस्त भारत की साहित्यिक भाषा बनी। जैन समाज, जो अभी तक अधःमागधी का दामन धामे बठा था, इस ओर झुक गया और इस प्रकार शौरसेनी प्राकृत अखिल भारतीय भाषा बन गई। शौरसेनी के पश्चात् महाराष्ट्री, जो इसी का एक पश्चकालीन रूप है जनसम्पर्क की भाषा बनी। आजमल सभी भाषाविद् इस बात पर एक मत हैं कि महाराष्ट्री दक्षिण की कोई प्राकृत विशेष नहीं, बल्कि शौरसेनी का ही विकसित रूप है और मध्यदेशीय भाषा है तथा दक्षिण में यह इसी प्रकार पोषित हुई जिस प्रकार नागरी हिन्दी। इसने याद में भारत की राष्ट्रीय भाषा का पद जिस भाषा ने सुशोभित किया, वह है पश्चिमी अपभ्रंश या परिनिष्ठित अपभ्रंश, जो शौरसेनी प्राकृत का विकसित रूप है। क्या जन क्या बौद्ध क्या हिन्दू सभी ने इसे अपने धर्म साहित्य एवं संहिता की अभिव्यञ्जिका भाषा के रूप में स्वीकार कर लिया। इसी पश्चिमी

(३) सानुनासिकता की जो प्रवृत्ति अपभ्रंश काल में बढ़ गई थी उसका निर्वाह पश्चिमी हिंदी में पाया जाता है। सरलीकरण की स्थिति में भी इसे अपना लिया जाता है—चद्र>चन्>चान् स्वघ>वघ>काघ>काया स्तम्भ>खम्भ>ताम्भ आदि।

उपयुक्त विचारों का विचार की दृष्टि से कहा जा सकता है कि हिंदी (पश्चिमी) अपभ्रंश की ही विशेषताओं का अनुकरण करती है। भाषा का सम्बन्ध ज्ञात करने के लिए ध्वनियाँ ही नहीं भाषा का रूप गठन अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। रूप विचार की दृष्टि से यदि हम पश्चिमी हिंदी पर विचार करें तो स्पष्ट प्रतीत होता है कि उसमें वीज अपभ्रंश में निहित है। रूप विचार दो षणों में विभाजित कर लिया जाता है—१ नाम २ क्रिया। नाम के अन्तगत विभक्ति—प्रत्यय का विचार आता है और क्रिया के अन्तगत तिङन्त प्रत्यय—विचार।

रूपतत्त्व—(१) अपभ्रंश में शब्दों का निविभक्ति प्रयोग प्रारम्भ हो गया था। बिना किसी विभक्ति प्रत्यय और परतय की महायता से शब्द का प्रयोग ही अपना अर्थ व्यक्त करने की सामर्थ्य रखता था उस प्रयोग का निविभक्ति प्रयोग बढ़ा जाता है। पूर्ववर्ती अपभ्रंश में करण और सम्प्रदान में निविभक्ति प्रयोग से सौजन्य में मिल सकते हैं जबकि अन्य कारकों में सरलता से उपलब्ध हो जाते हैं। परवर्ती अपभ्रंश में प्रायः सभी कारकों में निविभक्ति प्रयोग मिल जाते हैं। पश्चिमी हिंदी में विशेषकर सड़ी बोली हिंदी में निविभक्ति प्रयोग का बढ़ते से प्रयोग किया जाता है।

(१) कर्ता कारक एकवचन

- (१) बहउ मगण एहु (हेम-अपभ्रंश व्याकरण पृ० ६७)
- (२) कप विघोइणि हिया (प्रा पं २)
- (३) ठापुर टक्क भए गेल (बी सता २/१०)
- (४) उयो ! मन नाहि दग भीत (सूसा भ्रमरगीत सार २१०)
- (५) राम जाता है (सड़ी बोली)

कर्ता-कारक बहुवचन

- (१) सुगुरित कगुहे अनुदरिदि (हम अपभ्रंश व्याकरण पृ० १२)
- (२) कट्टु पुन भए । (उक्तिध्वनि प्रकरण)
- (३) दुग्गन बोमद मए । (का स १/५)
- (४) धारु य विवम नना । (प क १०६)
- (५) मडक पड रने है । (ग बा)

(२) कर्म कारक एकवचन

- (१) मवि महत्त्व मिनु महदि (हेम अपभ्रंश व्याकरण पृ० १५६)

- (२) बेवट नाव घटाव । (उन्नित व्यक्ति)
- (३) मञ्जरी तज्जइ चूआ । (प्रा पै)
- (४) महुअर बुज्जाइ कुसुम रस । (की ल १/१७)
- (५) जो जिय रावरो प्यार न पावती । (घ क १०८)
- (६) राम पुस्तक पढता है । (ख वो)

कम कारक बहुवचन

- (१) जो गुण गोवइ अप्पणा । (हम अपभ्रंश व्याकरण पृ० १६)
- (२) बह्ण इ पर निवतेसु । (उ व्यक्ति)
- (३) सवक्तय वाणी बृहअन भावइ । (की ल १/२०)
- (४) कवहूँ तो मेरिये पुजार जान लौलिहै । (घ क १०४)
- (५) राम पुस्तकें पढता है । (ख वो)

३ करण कारक एकवचन

- (१) पीण पओहर भार लोलइ मोतिअहार । (प्रा पै)
- (२) महुअर सह मानस मोहिआ । (की ल २/८२)
- (३) रघुवीर वृषा त एकाहि बान निवारौ । (सू सा ६/१४३)

करण-कारक बहुवचन

- (१) यम्म पराअण हियय विपयकम्म नहु दीन जम्पइ । (की ल १/२८)
- (२) अब सोचन लोचन जात जर । (घ० कवित्त १३)

४ सम्प्रदान कारक एकवचन

- (१) दिग्विजय छूट । (की ल ४/२०)
- (२) तेहि विभीषन राई (सू० सा० ६/१४०)

५ अपादान-कारक

- (१) देवनि बदि छुडाई (सू० सा० ६/१४०)

६ सम्बन्ध कारक एकवचन

- (१) असुर कुल मद्दणा (प्राकृत)
- (२) सुरराय नजर गजर रमान । (की० ल० २/६)
- (३) विद्या विरह जु र भारी । (सूर)
- (४) विरह यथा सहन नही होती । (सू० वो०)

७ अधिवरण कारक एकवचन

- (१) केअइ धूलि सब्ब विस पसरइ । (प्राकृत)
- (२) गावि केत चरि (उ० व्यक्ति)
- (३) धप्प वर निज वित्त धरिअ । (की० ल० २/२५)
- (४) मयुरा बाजति आज बघाई । (सूर)
- (५) बठ शिला की शीतल छाँह (कामायनी चिंता सग)

इस प्रकार हम देखते हैं कि पश्चिमी हिन्दी ने इस परम्परा का निर्वाह ही नहीं, विकास भी किया है। निविभक्ति प्रयोगों के अतिरिक्त आधुनिक भारतीय आय भाषाओं में परसर्गों का स्वच्छन्दता से किया जाने वाला प्रयोग द्रष्टव्य है। पूर्ववर्ती अपभ्रंश में परसर्गों की सख्या अधिक नहीं थी, किन्तु पूर्ववर्ती अपभ्रंश में यह सख्या पर्याप्त मात्रा में बढ़ी हुई दिखाई देती है। द्वितीय लक्षणीय बात है विभक्ति प्रत्ययों के बिना ही केवल प्रातिपादिक के साथ परसर्गों का प्रयोग। डा. नामवरसिंह के शब्दों में 'परसर्ग के पूर्व निविभक्ति प्रत्ययों के उदाहरण खोजे हेरे ही मिल सकते हैं।' इससे स्पष्ट है कि अपभ्रंश भाषा में परसर्गों के प्रयोग से पूर्व विभक्ति प्रत्यय लगाने की प्रथा का प्रचलन था। पूर्ववर्ती अपभ्रंश में इसमें शिथिलता आई और न भा आ में आकर यह प्रायः समाप्त ही हो गई। खड़ी बोली हिन्दी ने तो विभक्ति प्रत्ययों का पूर्णतः परित्याग ही कर दिया। ब्रजभाषा और कन्नौजी में ये कुछ मात्रा में अवशिष्ट हैं। बाँगरू में भी विभक्ति प्रत्ययों के दशन नहीं होते। शब्द के अर्थ का ज्ञान परसर्गों की सहायता से प्राप्त हो जाता है। परसर्गों से पूर्व पश्चिमी हिन्दी में बचे हुए कुछ विभक्ति प्रत्ययों पर विचार करके कि उनका उदगम कहा से हुआ है ?

वर्ता कम एकवचन—उ

अपभ्रंश में सु और अम के आने पर शब्द के अंतिम स्वर के स्थान पर उ का आदेश होता है। पूर्ववर्ती अपभ्रंश और उससे ब्रज और अवधी में इसका प्रयोग मिलता है। बाद में सचि नियम के अनुसार ब्रज में ओ तथा औ हो जाते हैं किन्तु अवधी में अब तक उ का प्रयोग ही प्रचलित है

(१) चउ मुहु छमुहु झाइवि एकवि लाइवि णावइ दइने घटिअउ।
(प्रा व्या प २०५)

(२) स्यामु हरित दुति हाइ। (बि रत्नाकर पृष्ठ १)

(३) मौका राम रजायमु नाहीं। (मू सागर ६/१३२)

खड़ी बोली में यह प्रयोग सम्भवतः प्रारम्भ से ही प्रचलन में नहीं था। मूर सागर में ऐसे प्रयोगों की स्वल्पता ब्रजभाषा का भी इस प्रयोग के प्रति अनाकंपण ही व्यक्त करती है। वैसे मूर सागर में सम्बन्ध कारक में इसके प्रयोग उपलब्ध होते हैं—रे कवि ! क्या पितु-वर विस्तारयो। (मू गा ६/१३४) ऐसा प्रयोग कीर्तिलता में भी मिलता है—महामामु खडा।

'हि हि'—य दोना प्रत्यय अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। अपभ्रंश में प्रथम का प्रयोग अधिकरण कारक के एकवचन में और द्वितीय का करण तथा अधिकरण कारक के बहुवचन में प्रयोग किया जाता था। ब्रज और अवधी भाषा में

इन दो कारकों में तो इनका प्रयोग मिलता ही है इनके अतिरिक्त कम और सम्प्रदान में भी इनका प्रयोग बहुलता से पाया जाता है।

अधिकरण एकवचन

- (१) अह विरल पहाउ जि कलिहि घम्मु । (प्राकृत व्या ५, २०६)
- (२) सज्जन चित्तइ मनहि मने मित्त करिअ सब कोए । (की ल १/७)
- (३) केवट थक्या रही अघवीचहि वीन आपदा आई । (सू सा ६/१६)

करण बहुवचन

- (१) गुर्गिहि ण सपइ कित्त पर । (अपभ्रंश व्या २६)
- (२) व घहार मुल्लहि वणिक् विक्कण । (की ल २/६०)
- (३) तात कहो उनहि सो जाई । (सूर सागर, ६/५)

अधिकरण बहुवचन

- (१) भाई रहि जिव भारइ मग्गेहि तिहि वि पयट्टइ ।
(प्राकृत व्याकरण प २७)
- (२) ओर पतित तुम जँस तारे तिनहि में लिख कानी ।
(सू सागर १/१३७)

इसके अतिरिक्त कम करण (एकवचन) सम्प्रदान अपादान तथा सम्यघ कारक में 'हि विभक्ति के प्रयोग परवर्ती अपभ्रंश तथा ब्रजभाषा में पाये जाते हैं—

कम एकवचन

- (१) भीचहि ताड । (उक्ति व्यक्ति)
- (२) सत्तुहि मित्र कए । (की लता, २/२७)
- (३) कहो जो कासहि खण्ड-खण्ड करि टूक-टूक करि काटौ ।
(सू सा ६/१४८)

करण एकवचन

- (१) बज्यहि तिनकहि मारि उडाई । (पद्यावत)
- (२) एकहि वान निवारौ । (सूर सा ६/१३७)

सम्प्रदान

- (१) बरहि कपा दे । (उक्ति व्यक्ति)
- (२) द्विनु रघुनाथ मोहिँ सब फीके । (सू सा ६/१६१) एकवचन
- (३) देहौ तुमहि अवसि करि भाग । (सूर सागर, ६/३) बहुवचन

अपादान

- (१) बापहि डर । (उक्ति व्यक्ति)

(२) दूरिंह ले दुनिया के गंगि उभा, श्योप विचार मग छरि छाव ।

(गूर गागर १९६/१)

सम्बन्ध

(१) राग घट्टि का पुष्प मेग । (की म ४/९१)

(२) अब किहि मरन जाई जाइगी । (गूर गागर १/१९०)

उपयुक्त उदाहरणों के अतिरिक्त गूरगागर में कर्त्ताकारक में भी 'हि' हि दोनों प्रत्ययों का प्रयोग दोनों के विभक्ति है (जब मग और दुष्कृति करी गूरगागर ६/५) । विशेष भाषीय बात यह है कि ब्रजभाषा में विद्यमान गूरगागर में 'हि' हि दोनों प्रत्ययों के प्रयोग बहुवचन में अत्यन्त मात्रा में मिलते हैं । द्वितीय श्रिता अधिक प्रयोग कम कारण में किया गया है उना अन्य कारणों में नहीं । एक यह बात भी विचारणीय है कि ब्रजभाषा में गानुनादिक और विरनुनादिक का कोई अन्तर नहीं रखा गया । वहीं अत्यन्त में 'हि' प्रत्यय का प्रयोग मिलता है तो वहीं बहुवचन में 'हि' मिल जाता है । कहा वहीं का सङ्ग कि इस प्रकार के प्रयोगों का प्रचलन ही हो गया था अथवा यह सिपिकारा एक सम्प्रायों के प्रमाण का परिणाम है । इसी उपयुक्त विभक्तियों का गूरगागर में जो भाषा यथापि विद्यमान के अनुपुक्त ही विस्तृत हुए हैं ब्रजभाषा और अवधी में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने हैं । इन प्रकार के प्रयोगों का प्रचलन वैसे तो अवट्टु भाषा में ही प्रारम्भ हो गया था किन्तु अत्यन्त गूर गागर में ।

उपयुक्त प्रत्ययों के अतिरिक्त 'हि' हि विभक्तियों भी ब्रजभाषा में कम और अवधी में अधिक मात्रा में पाई जाती हैं । डॉ. रामपरसिंह ने पर्याप्त विचार के पश्चात् यह निष्कर्ष निकाला है कि इन प्रत्ययों का विकास प्राकृत नाम् (पट्टी) और करण कारक बहुवचन 'हि' के योग से हुआ है । यह युक्तिगत प्रतीत नहीं होता । मरे विचार में अवट्टु से ही बहुवचन में न, नि का प्रयोग प्रारम्भ हो गया था तथा इसके साथ 'हि' विभक्ति—प्रत्यय का प्रयोग भी प्रारम्भ हो गया था । अतः इन दोनों के मिश्रित रूप ही बाद में 'हि' और 'ह' के रूप में प्रयुक्त होने लगे होंगे । इसकी पुष्टि में यह प्रमाण दिया जा सकता है कि उपयुक्त विभक्तियों का प्रयोग अपभ्रंश में उपलब्ध नहीं होता । यदि प्राकृत और अपभ्रंश के प्रत्ययों के मेल से इसका निर्माण हुआ होता तो निश्चय ही इसके और कुछ नहीं तो कल्पिक प्रयोग तो प्रारम्भ हो ही गए होते । अतः इस तक पर भी विशेष विचार की आवश्यकता है । इन विभक्तियों का प्रयोग अधिकतर कम सम्प्रदान, करण, अधिकरण तथा सम्बन्ध कारकों में परसग रहित और परसग सहित दोनों रूपों में उपलब्ध होता है, किन्तु ब्रजभाषा में कम और अवधी में अधिक । सड़ी बोली में कुछ

सवनाम शब्दों को छोड़ कर, बिल्कुल नहीं। डॉ. नामवरसिंह का तिर्यक में प्रयुक्त होने वाले 'न' की 'युत्पत्ति 'ह' 'हि' से बताना युक्तिसंगत नहीं है। मैं समझता हूँ 'न' का उद्भव 'ह' से पहले ही हो चुका था, क्योंकि 'टा' के स्थान पर तृतीया एकवचन में सनाओ एव सवनामों में अपभ्रंश में 'ण' का विधान किया गया है—आट्टोणानुस्वारी। (हेम, ८/४/३४२)

(१) अगिण दडडा जइ वि धरा तो तें अगि कज्जु। (अपभ्रंश व्या २२)
 (२) जै जलइ जले जलणे। अएण वि कि ण पज्जत (अपभ्रंश व्या, प० ४६),
 (३) भणु कज्जे यवणेण (अपभ्रंश व्या, प० ५२) आदि उदाहरण इस बात के धातक हैं कि न केवल परवर्ती अपभ्रंश, बल्कि पूर्ववर्ती अपभ्रंश में 'ण' (ब्रज भाषा 'न') का प्रचलन प्रारम्भ हो गया था। एक बात अत्यन्त सतर्कता से विचारणीय है कि इस समय 'वचन व्यत्यय' अत्यधिक मात्रा में हुआ है जसाकि 'हि' विभक्ति के सन्दर्भ में ऊपर उल्लेख किया जा चुका है। इनके अतिरिक्त अपभ्रंश की 'हु, हूँ' तथा 'हैं' विभक्तियाँ भी ब्रज और अवधी बोली में अपनी अंतिम सास लेती हुई यत्र तत्र उपलब्ध हो जाती हैं। अधिकतम सवनामों एव क्रिया विशेषणों में इनका प्रयोग देखने को मिलता है—

हुँ, हूँ—चतुर्थी और पंचमी के बहुवचन में अपभ्रंश में हुँ का आदेश होता है। ब्रजभाषा में बहुवचन में तो इनका प्रयोग नहीं मिलता, पर कम, करण, सम्प्रदान, अपादान तथा अविकरण के एक वचनों में इनका प्रयोग मिला है। ये विभक्ति प्रत्यय कहीं पर 'हु' कहीं पर 'हूँ' पर अधिकांश हूँ मिलता है। एकवचन का प्रयोग अवहट्ट में ही आरम्भ हो गया था—विश्व कर्महूँ भल बड प्रयास (की ल २/१२८), मेरहु जेह जरिटठ अछ (की ल २/४२)।

कर्म

- (१) सूर प्रताप वदन न काहू। (सू सा १/१७०)
 (२) कबहुक भोजन लहो। (सू सा १/१६१)

करण

- (१) पावकहूँ न डरत। (सू सा १/५५)
 (२) न डरती काहूँ। (सू सा १/५६)

सम्प्रदान

- (१) विमुख भण अठपा न निमिपहूँ। (सू सा १/८)

अपादान

- (१) रक कौन सुदामाहूँ त। (सू सा १/३५)

सम्बन्ध

- (१) श्याम गरीबनहूँ के गाहक। (सू सा १/१६)

अधिकरण

(१) तिहूँ पुर फिर आई। (सू सा १/६)

(२) स्वप्नहूँ माहि नहि हृदय स्याऊँ। (सू सा १/१६६)

इनके अतिरिक्त 'हैं और हैं' के भी कुछ उदाहरण मिले हैं जो ब्रजभाषा का सम्बन्ध पश्चिमी अपभ्रंश के साथ ध्यवत् करते हैं—

(१) काहैँ सूधी बिसरी। (सू सा १/१६)

(२) जहँ जहँ विपत्ति परी तहँ टारी। (सू सा १/२०)

(३) परहँ जमाई लौँ घट्यौ। (विहारी स)

अतः म यह कहा जा सकता है कि ब्रज आदि भाषाओं में कुछ तो इन विभक्ति प्रत्ययों के रूप घिस गए और नए रूप में आ गए कुछ विल्कुल घिस कर समाप्त ही हो गए और कुछ ने अपने आपको परसगों में समाविष्ट कर दिया।

अपभ्रंश के परसग और उनका हिंदी में प्रयोग

यद्यपि परसगों का अनुसंधान बड़ा ही रोचक है किन्तु संस्कृत में अथतत्त्व और सम्बन्धतत्त्व एकीभूत होकर चलते हैं। इसलिए संस्कृत सयोगात्मक भाषा है। धीरे धीरे शब्द घिसने लगे और सम्बन्धतत्त्व की शक्ति का ह्रास प्रारम्भ हुआ। यद्यपि इसका नाश संस्कृत के उत्तर काल से ही सम्भवतः विद्वानों को होने लगा था इसीलिए उह 'रामाय के स्थान पर रामस्य कृते' तथा 'तस्म' के स्थान पर 'तस्याय' जैसे प्रयोग करने पड़े होंगे, तो भी इसका स्पष्ट अनुभव अपभ्रंश काल में आकर होता है, जब सभी (लगभग) कारकों के लिए हेमचन्द्र को परसगों का विधान करना पड़ा। तत्पश्चात् अवहट्ट में तो इसकी झड़ी ही लग गई और नव्य भारतीय आय भाषाओं में इनका प्रयोग अनिवाय हो गया। खड़ी बोली के तो सम्बन्ध सून ही य परसग हैं। जसा कि हम पूव पृष्ठी में देख चुके हैं कि ब्रज और जवधी में तो फिर भी कतिपय विभक्ति प्रत्यय अवशिष्ट है किन्तु खड़ी बोली में सबनाम उत्तम एव मध्यम पुरुष की पंठी को छोड़ कर, इनके वही पर भी दशन नहीं होते। अतः न भा आ के अध्ययन के साथ परसगों का अध्ययन परमावश्यक हो जाता है।

ब्रजभाषा और खड़ी बोली में जिन परसगों की प्राप्ति होती है उनमें से कर्ता कारक के ने/न उपसग का प्रयोग अपभ्रंश या अवहट्ट में दखन का नहीं मिला है किन्तु यह न भा आ के अत्यन्त महत्वपूर्ण परसग है जो प्रायः सभी आधुनिक भाषाओं में किसी न किसी रूप में उपलब्ध हो जाते हैं।

कम में प्रयुक्त 'को की कूँ' परसगों का प्रयोग भी अपभ्रंश में नहीं हुआ पर सम्प्रदान के लिए प्रयुक्त 'कोहि' के साथ इसका सम्बन्ध जोड़ा जा सकता है। यद्यपि विद्वान् इसका सम्बन्ध 'कस' के साथ जोड़ते हैं।

करण के लिए पश्चिमी हिन्दी में मुख्यतः दो परसग मिलते हैं—(१) से जो बहुत ही महत्वपूर्ण है)। (२) ते, तो आदि। इनमें से प्रथम 'अपभ्रंश' में प्रयुक्त 'सहुँ' का रूपांतर हो सकता है और द्वितीय हेमचन्द्र द्वारा सम्प्रदान के लिए निर्धारित 'तण का। इनके अतिरिक्त के द्वारा का प्रयोग भी हिन्दी में मिलता है जो इसका अपना विकसित किया हुआ परसग है।

सम्प्रदान में 'बी की कू' कम परसगों का प्रयोग होता है तथा साथ ही 'के लिए' तथा 'काज, लागि आदि के प्रयोग भी मिलते हैं जो अपभ्रंश लागि और 'कज्ज' के रूपांतर हैं।

अपादान में से का प्रयोग करण का ही है। हूँत परसग का प्रयोग भी अवधी में मिलता है जो अपभ्रंश होन्तउ का ही विकसित रूप है।

सम्बन्ध कारक में खड़ी बोली में का, के की तथा ब्रजभाषा में इनके साथ साथ 'केर, कर क आदि के प्रयोग भी मिलते हैं। इन सबका उद्गम अपभ्रंश 'केरअ, का' आदि से ही हुआ है।

अधिकरण कारक में खड़ी बोली में से तथा ब्रज-अवधी में उसके साथ साथ अपभ्रंश परसग मज्जे, मज्जु मज्झ, मांश आदि के प्रयोग भी मिलते हैं। अब हम केवल अपभ्रंश में प्रयुक्त कारक परसगों और उनके रूपांतरों को ब्रज तथा खड़ी बोली में खोजने का प्रयत्न करेंगे।

को, कौं, कू ये परसग जैसाकि ऊपर बताया जा चुका है 'केहि' के रूपांतर लगते हैं

(१) हउं द्विज्जउ तउ केहि (हेम अपभ्रंश व्याकरण पृष्ठ १३७)

(२) तव हरि कौं उर घ्याए(हो) (सूर सा १/७) कम कारक

(३) सिव विरचि मारन कौं घाय। (सू सा १/३) सम्प्रदान कारक

(४) रावन अरि कौ अनुज विभीषन। (सू सा १/३) स का (सम्भवत

केर का रूपांतर है)

(५) मैंने राम को पुस्तक दी। (खड़ी बोली)

(६) राम ने रावण को मारा। (खड़ी बोली)

से, सौं, ते, त, तौं

'से' विभक्ति परसग का प्रयोग अपभ्रंश में सहुँ और अवहट्ट में 'सन्न' मिलता है जो खड़ी बोली में से और ब्रजभाषा में 'सौं' हो गया

(१) जइ पवसते सहु न गयअ (हेम अपभ्रंश व्याकरण, पाठांतर, पृष्ठ ११६)

(२) भानिनि जीवन मान सजो वीर पुरस अबतार। (बी ल १/२४)

(३) भुजलता फँसा कर नरतर से। (कामायनी लज्जा), करण कारक

(४) आपो उदर अन्न सौं भरै। (सू सा ३/१३) करण कारक

(५) पवत सौ इहि देहु गिराइ । (सू सा ७/२) अपादान कारक

(६) वृक्ष से पत्ता गिरता है । अपादान कारक

स, ते

(१) ग्रहा वाण तँ गभ उवारथौ । (सू सा १/१४६) वरण कारक

(२) लच्छा गूह त काढि कै पाण्डव गह ल्यावै । (सू सा १/४)

अपादान कारक

(३) साहित्यिक खड़ी बोली में इसके प्रयोग नहीं होते ।

(४) बडड तणहो तणेण । (हेम अपभ्रंश व्या)

का, के, की, कौ

य परसग अपभ्रंश केरअ का कर' आदि क रूपांतर हैं तथा अपभ्रंश में इनका प्रयोग बहुलता से मिलता है

(१) जसु केरअ हुँकार डएँ (हेम अपभ्रंश व्या पृ० १३२)

(२) लोचन केरा बल्लहा । (की ल)

(३) पय करे आकारे ।

(४) घर घर केरे फरके खोलै । (सू सा पन् २८६६)

(५) दात दूधके । (सू सा १०/७६)

(६) भादों की रात । (सू सा १०/१२)

(७) केसरि की तिलक । (सू सा १०/२५)

(८) राम का बेटा राम की बेटी, राम के बटे ।

मज्जे > माँझ, माह, में, मे

(१) जामहि विसमी कज्ज गइ जीबहि मज्जे एइ । (हेम अपभ्रंश व्या पृ० २०२)

(२) युवराजि ह माँझ पवित्र ।

(३) गाइनि माय भए ही ठाढे । (सू सा १०/२४६)

(४) पैठो उदार मँझारि । (सूर सा ६/१०४)

(५) छिनक माहि उर नखनि विदारथौ । (सूर सा १/१४)

(६) कण्ठ में मनियाँ बिना पिरोमे घाग । (सू सा पन् ३६७८)

(७) नगर में आज समा होगी ।

उपरि > उप्पर > ऊपर > पर

(१) सायरू उप्परि तणु घरइ । (हेम अपभ्रंश व्या पृ० ११)

(२) आपनि पौढि अधर सेज्या पर । (सू सा १०/१०२१)

(३) कापी पुस्तक पर रसी है ।

इस प्रकार सज्ञा के क्षेत्र में—कारक रूप, सवनाम तथा विशेषण रूप सभी के प्रयोग अपभ्रंश का अनुसरण करते हैं। कुछ स्थानों पर या

के यो प्रयोग मिलते हैं पर अधिकतर उनसे विकसित रपा का ही प्रयाग किया जाता है। पश्चिमी हिन्दी की बालिया म ब्रज और खड़ी बोली ही मुख्य होने व कारण इनके ही उदाहरण प्रस्तुत किए गए है।

नाम अथवा सुबत्ता क पश्चात पद रचना की दृष्टि से भाषा का महत्त्व पूण तत्त्व क्रिया है। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। क्रिया व्यक्त की स्थिति और समय को स्पष्ट करती है। सस्कृत म क्रियाभा के रूप दो प्रकार के प्रत्ययो के सहयोग से निर्मित होते थे—(१) तिङ् त प्रत्यय और (२) वृदन्त प्रत्यय। छान्दस और पूर्ववर्ती सस्कृत म तिङ् त प्रत्ययो का अत्यन्त महत्त्व था। क्रिया के सूक्ष्म से सूक्ष्म काल को एव स्थिति की अभिव्यञ्जना का विधान इन भाषाभा मे था। इनके सूचक दस लकारो की स्थापना की गई। साथ ही कुछ काम कृदन्ता से भी निकाला जाता था। सस्कृत क अन्तिम समय तक तिङन्ता का महत्त्व कम होने लगा था तथा कृदन्तों का महत्त्व बढन लग गया था। छान्दस के दस लकार सस्कृत मे नी ही रह गये थे। अपभ्रंश तक आते आते काला की सूचक यह सख्या पर्याप्त मात्रा मे कम हो गई। कुछ काल वृदन्तज बने और कुछ सहायक क्रियाभा के सहयोग से निर्मित हुए। हिन्दी ने भी अपभ्रंश की इसी प्रक्रिया को अपनाया।

हिन्दी मे जिस प्रकार तत्सम नाम शब्द उपलब्ध होत है उसी प्रकार तत्सम क्रिया शब्द भी मिलते। समस्त क्रिया शब्द तद्भव हैं और वे प्राकृता की मञ्जिल पार कर के आए है। यदि कुछ क्रिया शब्द के तत्सम रूपो मे दशन होने भी है तो वे क्रियाधन सना के रूप होते हैं और उनके साथ सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है, यथा—योग करो दशन दो हरण करता है आदि आदि।

अपभ्रंश मे तिङन्त उद्भूत काल और उनका हिन्दी मे विकास

(१) सामान्य वर्तमान काल

सस्कृत	अपभ्रंश		हिन्दी (ब्रज अवधी)		
एक व	बहु व	एक व	बहु व	एक व	बहु व
अ य पु करोति	कुर्वति	करइ	करहि	करइ/करै/कर,	करहि/करै
मध्य पु करोसि	कुस्य	करहि	करहु	करहि/करै	करहु/करो
उत्तम पु करोमि	कुम	करउँ	करहुँ	करउँ/करँ	करहुँ/कर
अथ पुरुष बहुवचन					

(१) न मल्ल-जुञ्जु रासि राहू करहि। (प्राकृत 'या', प० २१७)

(२) चौहट्ट वट्ट पलट्टि हेरहि। (की ल २/८८)

(३) कौसिल्या आदिक महतारी आरनि करहि। (सू सा ६/२६)

(४) निसि बोल वाग। (सू सा १/१८६)

मध्यम पुरुष एकवचन

- (१) बर्षीहा पिउ पिउ भणवि कित्तिउ रअहि ह्यास । (प्रा व्या प २१७)
 (२) जाणहि । (प्राकृत पगलम १/१३२)
 (३) तनिक दधि कारन जसौदा इतौ बहा रिसाहि । (सू सा ३५०)
 (४) कत जनम बादि ही हारें । (सू सा १/६३)

उत्तम पुरुष बहुवचन

- (१) खग विसाहिउ जहि लहहुँ । (प्रा व्या प २१८)
 (२) यहै हम तुम सो चहै । (सू सा ३/६)

खड़ी बोली में सामान्य वर्तमान काल के रूप शतृ प्रत्ययात् वर्तमानिक वृद्धत के रूपों से विकसित हुए हैं । ब्रजभाषा और खड़ी बोली में यह मुख्य अंतर है कि ब्रजभाषा में तिङ् प्रत्ययात् और वृद्धत प्रत्ययात् दोनों रूप मिलते हैं जबकि ब्रजभाषा में केवल 'वृद्धत प्रत्ययात् रूप ही उपलब्ध हात है । शत प्रत्ययात् सामान्य वर्तमान काल

में अपभ्रंश में धातु के अन्त में अत लगाकर बनाए जाते हैं और फिर कभी अकेले और कभी सहायक क्रिया की सहायता से सामान्य वर्तमान काल का काम लिया जाता है । यही प्रवृत्ति अवधी ब्रज और खड़ी बोली में प्राप्त होती है

- (१) ज अच्छइ त माणिअइ होसइ परतु म अच्छि । (प्रा व्या २१६)
 (२) बहु होअ अइसनो आस, कइसे लागत आवर वतास ।
 (की ल २/१५०)
 (३) पूछे त तुम वदन दुरावत । (सूर सा १०/२७६)
 (४) कैमे बिखरती हैं मणिराजि । (कामायनी आशा सग)

तिङ्गत प्रत्यय से व्युत्पन्न भविष्यत् काल

अपभ्रंश में तिङ्गत प्रत्ययो से दो प्रकार के रूप बनते हैं । एक तो स्य क विकसित से युक्त रूप और द्वितीय से क स्थान पर ह युक्त रूप

	संस्कृत	अपभ्रंश	हिन्दी
अयं पु	करिष्यति/करिष्यति	करिसहि/करिसहि	एक व करसी/करिहइ/करिहै बहु व करसी/करिहहि/करिहै
मध्य पु	करिष्यसि/करिष्यसि	करिसहि/करिसहु	एक व करमी/करिसहि/ करिहहि/करिहै बहु व करस्यो/करिसहु/ करिहहु/करिहौ
उत्तम पु	करिष्यामि/करिष्यामि	करिसउ/करिसहुँ	एक व करस्यु/करिसहुँ/ करिहउ/करिहौ बहु व करसी/करिसहुँ/ करिहहुँ/करिहै

- (१) ज अच्छइ त माणिअइ होसइ करतु म अच्छि । (प्राकृत व्या २१६)
- (२) होणा होसइ एवक पइ वीर पुरिप उच्छाह । (का ल २/१६)
- (३) बरस चतुरदस भवत न वसिहैं । (सूर सा ६/४३) उत्तम पु बहु व
- (४) त हूँ जो हरि हित तप करिहै । (सूर सा ४/६) मध्म पु एक व
- (५) हरि करिहै कलकि अवतार । (सूर सा १२/३) अय पु एक व

खड़ी बोली में हिंदी में भूतकालिक कृदंत प्रत्यय के साथ 'गा गे गी सहायक क्रिया लगा कर सामान्य भविष्यत काल के रूप निष्पन्न किए जाते हैं। गा ग, गी' की व्युत्पत्ति अभी तक सदेह का विषय बनी हुई है। फिर भी विद्वान इसका विकास हो और 'गा दो भिन्न क्रियाओं से बताते हैं। इसका सतोपजनक हल अभी प्राप्त नहीं हुआ है। इस प्रकार के प्रयोग न तो अपभ्रंश में ही और न अवहट्ट में ही प्राप्त होते हैं। यह केवल पश्चिमी हिंदी की ही विशेषता है।

(१) जो कुछ हो मैं न सम्हाल सकूंगा इस मधुर भार को जीवन के।
(कामायनी)

(२) मैं निज प्राण तजागौ । (सूर सा० ६/१४६)

सामान्य भूत

हिंदी में सामान्य भूत की निष्पत्ति संस्कृत के 'क्त प्रत्यय से युक्त घातु के तदभव रूप से होनी है। यथा गत > गअ > गया, आदि

- (१) अम्बणु लाइवि जे गया । (हेम ४/३७६)
- (२) पुरुष हुअउं बलिराय जासु कर वन्न पसारिअ । (की ल १/४०)
- (३) आया घोप बढो व्यापारी । (भ्रमरगीतमार्)
- (४) राम गया । (खड़ी बोली)

उक्त प्रक्रिया की तरह अवधी में विशेष रूप से और ब्रजभाषा में साधारण तौर से तदव्यत प्रत्ययात् शब्द भी देख जाते हैं जो भविष्यत काल के सूचक होते हैं। इस प्रकार के प्रयोगों को अपभ्रंश में देखा गया है

- (१) महु करिएउं कि । (हेमचंद्र ४/४३८)
- (२) जइ साहसहु न सिद्धि हो जप करिबहुँ काह । (की ल ३/६०)
- (३) रामचंद्र के पुत्र बिना मैं भूजब बयो यह खेत । (सूर सा ६/३६)

इसके अनिश्चित पूर्वकालिक क्रियाओं एवं क्रियाधक सनाओं के क्षेत्र में भी पश्चिमी हिंदी ने अपभ्रंश का ही अनुसरण किया है। अपभ्रंश पूर्वकालिक क्रिया के लिए इ इउ इवि अवि एप्पि एप्पिणु एवि और एविणु प्रत्ययों का विधान मिलता है जिनमें से खड़ी बोली में अ वाला रूप मिलता है उससे साथ 'कर' शब्द का प्रयोग किया जाता है। ब्रजभाषा में इ अत

याले रूप का अत्यधिक मात्रा में प्रयोग किया गया है, 'अ' वाले रूप भी मिलते हैं

(१) राम भोजन करके तथा पुस्तक लेकर पाठशाला गया ।

(२) बीचहिं बालि उठे हलधर । (सूर सा १/७)

क्रियायक सपाआ में 'आ अ, अत और व अत शब्दा के प्रयोग वही बोली ब्रजभाषा में मिलते हैं

(१) आज चलना उचित नहीं है ।

(२) उसने प्रातः गमन किया ।

(३) दोष देन की नीकी । (सूर सा १/१८६)

(४) लंबो को वछु भाभी दीहो । (सूर सा पद ४२५५)

इस तरह स्थूल रूप से पश्चिमी हिंदी और अपभ्रंश की मुख्य मुख्य विधाओं की तुलना के पश्चात् यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पश्चिमी हिंदी का उदभव पश्चिमी अपभ्रंश से हुआ है, जो मध्यदेश की साहित्यिक एवं अखिल भारतीय भाषा थी ।

यह निश्चय हो जान के पश्चात् कि पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी का उदभव परवर्ती पश्चिमी अपभ्रंश से हुआ है जो लगभग २०० वर्षों तक सक्रांत काल की भाषा के रूप में भारतीय जनो की संस्कृति एवं साहित्य की एकमात्र भाषा के रूप में कार्य करती रही । लगभग चौदहवीं एवं पंद्रहवीं शताब्दी की नये भारतीय आर्य भाषाएँ अपने पूर्ण उत्कर्ष के साथ प्रकाश में आई । मध्यदेश एवं पश्चिमी प्रदेशों में ब्रजभाषा नाम से पश्चिमी हिंदी की एक शाखा साहित्य की भाषा के रूप में स्वीकार की गई । अब हमें यह देखना है कि इस भाषा अथवा इस प्रदेश की भाषाओं के लिए हिंदी शब्द का प्रयोग अब किस प्रकार एवं किन परिस्थितियों में प्रारम्भ हुआ ?

'हिंदी' शब्द का निवचन

हिंदी शब्द की निरुक्ति क्या है ? इस बात पर सभी विद्वान् एक मत हैं कि हिंदी शब्द फारस और ईरान के निवासियों की दन है । भारत का सर्वप्रथम नाम सिंधु प्रदेश था । वेदों में सप्तसिंधु प्रदेश की महिमा का गान इस बात का प्रमाण है कि वे इसी प्रदेश को अपना राष्ट्र स्वीकार करते थे । इसी शब्द का प्रयोग हम जैद अवस्ता में भी उपलब्ध होता है । उस नाम में विशेषता यह है कि वहाँ पर 'स' के स्थान पर ह पाया जाता है । भाषा वैज्ञानिकों का अभिमत है कि भारत में जिन शब्दों में आदि एवं मध्य में 'स' मिलता है फारसी में उन्हीं शब्दों में वहाँ पर ह होता है । अतः नियम बना कि 'स' को फारसी में 'ह' आदेश हो जाता है । इसी नियम के अधीन

भारतीय 'सिंधु' शब्द फारसी में हिंदू हो गया और हिंद भी हुआ। 'हिंद' में रहने वाले को वहाँ पर 'हिंदी' कहा जाने लगा और इस प्रकार सर्वप्रथम इस शब्द का उद्भव ईरान अथवा फारस में हुआ और मुसलमान आक्रमणकारी इस शब्द को लेकर लगभग सातवीं अथवा आठवीं शताब्दी में भारत पहुँचे। प्रमाणों तक उपस्थित किया जाता है कि ग्रीक में इसका पर्याप्तवाची 'इन्दिके, इन्दिका' मिलता है तथा निवासियों के लिए 'इंदोई' मिलता है जो लटिन में जाकर 'इण्डिया' और इण्डियन शब्द बने। यह विकास भारतीय भाषा परिवार के लिए ज्ञात किए गए विकास के नियमों के अधीन सही उतरता है। अतः 'हिंदी' शब्द 'सिंधी' का ही फारसी रूपान्तर है जो यहाँ के निवासियों के लिए प्रयोग में लाया जाता था। इस अर्थ में इसका प्रयोग अमीर खुसरो और इकबाल ने किया है। हाब्सन जाब्सन कोष में अमीर खुसरो का एक प्रसङ्ग दिया है, जिसमें लिखा है—बादशाह ने हिंदुओं को तो हाथी से कुचलवा डाला, किंतु मुसलमान, जो हिंदू थे सुरक्षित रहे, (हाब्सन जाब्सन कोष पृष्ठ ३१५)^४ इस प्रकार भारत में उत्पन्न मुसलमानों के लिए 'हिंदी' शब्द का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार इकबाल की यह पंक्ति— हिन्दी हैं हम बतन है हिंदोस्ताँ हमार —अत्यंत लोकप्रिय है। इसमें भी 'हिंदी' शब्द का प्रयोग यहाँ के निवासियों के लिए ही किया गया है भाषा के लिए नहीं।

डा. रामविलास शर्मा ने 'भाषा और समाज' पुस्तक में एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाया है कि 'स' का 'ह' फारसी को देना मानना अनुपयुक्त है। इसके लिए उन्होंने तीन महत्त्वपूर्ण तर्क उपस्थित किए हैं—

(१) फारसी में 'स' से युक्त, आरम्भ एवं मध्य में अनेक शब्द मिलते हैं और आपन ऐसे शब्दों की एक लम्बी सूची भी दी है, तब फिर 'सिंध' के 'स' का उच्चारण ही उनके लिए दुर्बोध क्यों हुआ ?

(२) 'स' के 'ह' में परिवर्तन हो जाने के अनेक उदाहरण बर्दिक भाषा से लेकर आज तक की भारतीय भाषाओं में मिलते हैं। अतः इसका उदगम फारस से क्या माना जाता है यहीं से क्या नहीं ?

(३) आपका तृतीय तर्क निश्चय ही महत्त्वपूर्ण है और भाषा बज्ञानिका को इस पर सहानुभूति के साथ विचार करना चाहिए। वह है—ह का 'स' में परिवर्तन प्राचीन है अथवा 'स' का 'ह' में परिवर्तन। आपन लिखा है—असम शब्द अहम का रूपांतर है—जिसकी सम्भावना अधिक है—या असम का

^४ "हिन्दी भाषा का उदगम और विकास" डॉ. उदयनाराण तिवारी के आधार पर पृ० १८६।

वाले रूप का अत्यधिक मात्रा में प्रयोग किया गया है 'अ' वाले रूप भी मिलते हैं

(१) राम भोजन करने तथा पुस्तक लेकर पाठशाला गया ।

(२) वीरवाहूँ वालि उठे हलधर । (सूर सा १/७)

क्रियाधिक सञ्जाआ म आ, अ अत और य अत शब्दा के प्रयोग खड़ी बोली ब्रजभाषा में मिलते हैं

(१) आग चलना उचित नहीं है ।

(२) उसने प्रातः गमन किया ।

(३) दोष देन कौं नीकी । (सूर सा १/१८६)

(४) खवो को कछु भाभी दीहो । (सूर सा पद ४२५५)

इस तरह स्थूल रूप से पश्चिमी हिन्दी और अपभ्रंश की मुख्य मुख्य विधाओं की तुलना के पश्चात् यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पश्चिमी हिन्दी का उद्भव पश्चिमी अपभ्रंश से हुआ है जो मध्यदेश की साहित्यिक एवं अखिल भारतीय भाषा थी ।

यह निश्चय हो जान के पश्चात् कि पश्चिमी हिन्दी और पूर्वी हिन्दी का उद्भव परवर्ती पश्चिमी अपभ्रंश से हुआ है जो लगभग २०० वर्षों तक सक्रांति काल की भाषा के रूप में भारतीय जनो की संस्कृति एवं साहित्य की एकमात्र भाषा के रूप में कार्य करती रही । लगभग चौदहवीं एवं पंद्रहवीं शताब्दी की नये भारतीय आय भाषाएँ अपने पूर्ण उत्कर्ष के साथ प्रकाश में आई । मध्यदेश एवं पश्चिमी प्रदेशों में ब्रजभाषा नाम से पश्चिमी हिन्दी की एक शाखा साहित्य की भाषा के रूप में स्वीकार की गई । अब हमें यह देखना है कि इस भाषा अथवा इस प्रदेश की भाषाओं के लिए हिन्दी शब्द का प्रयोग कब, किस प्रकार एवं किन परिस्थितियों में प्रारम्भ हुआ ?

'हिन्दी' शब्द का निवचन

हिन्दी शब्द की निवृत्ति क्या है ? इस बात पर सभी विद्वान् एवं मत हैं कि हिन्दी शब्द फारस और ईरान के निवासियों की देन है । भारत का सर्वप्रथम नाम सिन्धु प्रदेश था । वेदा में सप्तसिन्धु प्रदेश की महिमा का गान इस बात का प्रमाण है कि वे इसी प्रदेश को अपना राष्ट्र स्वीकार करते थे । इसी शब्द का प्रयोग हम जेद् अवस्ता में भी उपलब्ध होता है । उस नाम में विशेषता यह है कि वहाँ पर 'स' के स्थान पर 'ह' पाया जाता है । भाषा वैज्ञानिकों का अभिमत है कि भारत में जिन शब्दों में आदि एवं मध्य में 'स' मिलता है फारसी में उन्ही शब्दों में वहाँ पर 'ह' होता है । अतः नियम बना कि 'स' को फारसी में ह आदेश हो जाता है । इसी नियम के अधीन

भारतीय 'मि'धु' शब्द फारसी में 'हि'दू' हो गया और हि'द' भी हुआ। 'हि'द' में रहने वाले को वहाँ पर 'हि'दी' कहा जाने लगा और इस प्रकार सबप्रथम इस शब्द का उदभव ईरान अथवा फारस में हुआ और मुसलमान आक्रमणकारी इस शब्द को लेकर लगभग सातवीं अथवा आठवीं शताब्दी में भारत पहुँचे। प्रमाण में तक उपस्थित किया जाता है कि ग्रीक में इसका पर्याप्तवाची 'इ'दिके, इ'दिका' मिलता है तथा निवासियों के लिए 'इ'दोई' मिलता है जो लटिन में जाकर 'इण्डिया' और 'इण्डियन' शब्द बने। यह विकास भारतीय भाषा परिवार के लिए ज्ञात किए गए विकास के नियमों के अधीन सही उत्तरता है। अतः हि'दी' शब्द सिन्धी का ही फारसी रूपान्तर है जो यहाँ के निवासियों के लिए प्रयोग में लाया जाता था। इस अर्थ में इसका प्रयोग अमीर खुसरो और इकबाल' न किया है। हाब्सन-जाब्सन कोष में अमीर खुसरो का एक प्रसङ्ग दिया है जिसमें लिखा है—बा'शाह ने हि'दुओं का तो हाथी से कुचलवा डाला, किन्तु मुसलमान, जो हि'दू थे, सुरक्षित रहे, (हाब्सन जाब्सन कोष, पृष्ठ ३१५)⁴ इस प्रकार भारत में उत्पन्न मुसलमानों के लिए 'हि'दी' शब्द का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार 'इकबाल' की यह पक्ति—“हि'दी हैं हम वतन है हि'दोस्ताँ हमार” —अत्यंत लोकप्रिय है। इसमें भी 'हि'दी' शब्द का प्रयोग यहाँ के निवासियों के लिए ही किया गया है, भाषा के लिए नहीं।

डा. रामविलास शर्मा ने 'भाषा और समाज' पुस्तक में एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है कि स का ह' फारसी की देन मानना अनुपयुक्त है। इसके लिए उन्होंने तीन महत्वपूर्ण तर्क उपस्थित किए हैं—

(१) फारसी में स से युक्त आरम्भ एवं मध्य में अनेक शब्द मिलते हैं और आपने ऐसे शब्दों की एक लम्बी सूची भी दी है तब फिर 'सि'घ' के स का उच्चारण ही उनके लिए दुर्बोध क्यों हुआ ?

(२) स के ह में परिवर्तन ही जाने के अनेक उदाहरण बर्दिक भाषा से लेकर आज तक की भारतीय भाषाओं में मिलते हैं। अतः इसका उदगम फारस से क्यों माना जाता है यहीं से क्या नहीं ?

(३) आपका तृतीय तर्क निश्चय ही महत्वपूर्ण है और भाषा वैज्ञानिकों को इस पर सहानुभूति के साथ विचार करना चाहिए। वह है—ह का 'स' में परिवर्तन प्राचीन है अथवा स का ह में परिवर्तन। आपने लिखा है—असम' शब्द अहम का रूपांतर है—जिसकी सम्भावना अधिक है—या असम का

⁴ 'हि'दी भाषा का उदगम और विकास' डॉ. उदयनाराण तिवारी के आधार पर पृ० १८६।

रूपांतर अहम् ।^६ एक अय स्थान पर लिखते हैं—‘ह ध्वनि का जमा व्यापक प्रभाव भारत में—वदिक काल से लेकर अब तक—बना हुआ है वंसा योरप के किसी क्षेत्र में नहीं है। यह महाप्राणता भारतीय भाषाभाषा की अपनी विशेषता है ।’^६

उपर्युक्त तीनों कारणों का यदि विवेचन करें तो निष्कप निवृत्तता है कि इनमें प्रथम दो कारण अधिक सबल नहीं हैं क्योंकि सिन्धु का हिन्दु उच्चारण यह नहीं कहता कि अभुक् भाषा में ‘स’ ध्वनि है ही नहीं। भारत की उन भाषाभाषा का, जिनमें स का विकार ‘ह’ मिलता है विश्लेषण करें तो प्रतीत होगा कि उनमें स ध्वनि भी विद्यमान है और स ‘ह’ भी हुआ है। हिन्दी को ही लीजिये। इसमें जहाँ ‘दस’ मिलता है वहाँ ‘दसला’ और ‘दहला’ दोनों शब्द मिलते हैं इसी प्रकार राजस्थानी में यदि ‘सडक’ ‘हडक’ हो जाती है तो किसी किन्हीं नहीं हाता और सगला और ‘सै’ शब्द विद्यमान हैं। दूसरे तक के सम्बन्ध में यह कहना है कि भारतीय भाषाओं में यदि प्राचीनकाल से ‘स’ का विनिमय मिलता है तो इसका यह तात्पर्य कदापि नहीं होगा कि वह विनिमय सिन्धु शब्द में भी हो ही। अनक शब्द ऐसे हैं जिनमें हुआ है और अनक शब्द ऐसे हैं जिनमें नहीं हुआ। तृतीय तक निश्चय ही विचारणीय है। पर डा साहब इसके प्रति अधिक उत्सुक दृष्टिगोचर नहीं होते। इसके दो कारण हो सकते हैं—डाक्टर साहब के मस्तिष्क का यह विचार है कि आय भारत में बाहर से आए और दूसरा यह कि योरोपियन भाषाएँ कुछ मात्रा में छादस की अप्रजा हैं। यदि इन दोनों विचारों से अप्रभावित रह कर विचार किया जाए तो सम्भवतः समस्या का समाधान हो सकता है। अम्मद अ द का विक्रमित रूप अहम् है अथवा ‘अहम्’ शब्द मूल है निश्चय ही विचारणीय है। साथ ही इस बात पर विचार करना असंगत नहीं होगा—कि हिन्दू शब्द ईरान से यहाँ पर आया अथवा ईरान में यहाँ से गया और आजकल के विदेश में गए नवयुवकों की तरह वही पर बस गया। पाणिनि की अष्टाध्यायी का भी इस परिप्रथम में पुन अध्ययन करना अपेक्षित है। मैं इसके लिए यह तक प्रस्तुत करता हूँ कि आधुनिक राजस्थानी गुजराती आदि भाषाभाषा का यदि हम अध्ययन करें तो प्रतीत होता है कि ‘ह’ का उच्चारण शुद्ध न होकर विसंगत होता जा रहा है। डा चाटुर्ज्या ने राजस्थानी भाषा पुस्तिका में काफी विस्तार से इस बात की चर्चा की है। इसी विसंग का मिलान कीजिये। पाणिनि के विसङ्गनीयस्य स सूत्र से विसंगों का ‘स’ में परिवर्तन हो जाता है। मरी दष्टि में वदा की

^६ भाषा और समाज—डा० रामविलास शर्मा ।

^७ वही—डा० रामविलास शर्मा ।

रचना से भी बहुत पहले आय इस प्रदेश के लिए 'हिंदू' शब्द का प्रयोग करते रहे होंगे और कालांतर में उच्चारण की शिथिलता के कारण विसर्गों की मजिल को पार करता हुआ यह ह स में परिवर्तित हो गया होगा। हमारे लिए यह शब्द प्राचीन होने के कारण विस्मृत हो गया और ईरान में सुरक्षित रहा हो जिसे वे अलग होने समय अपना साथ ले गए थे। पुन आक्रमण के समय ये लोग इस शब्द के साथ अपनी मातृभूमि में प्रविष्ट हुए और यह शब्द भारतीय होते हुए भी विदेशी सिद्ध हुआ। हाँ यह तो हुई सैद्धांतिक बात, व्यावहारिक रूप में हम यह स्वीकार करने में किञ्चित भी नहीं सजाना चाहिये कि इस युग में हिंदी शब्द का जो प्रयोग जिस अर्थ में हम कर रहे हैं वह मुसलमान आजाताओं की देन है और उसे प्रसिद्ध करने में अंग्रेज मिशनरियों का महत्त्वपूर्ण हाथ रहा है।

हिंदी के प्रारम्भ एवं प्रयोग की कहानी

भाषाविदों का मत है कि नव्य भारतीय आय भाषाओं का वर्तमान स्वरूप लगभग पंद्रहवीं सोलहवीं शताब्दी में प्रकाश में आया। इससे पूर्व ये जन भाषाओं के रूप में बन रही थीं। अमीर खुसरो पहला व्यक्ति था, जिसने हिंदी के महत्त्व को जाना तथा स्वीकार किया। उन्होंने मुसलमान लेखक मसूद इब्न साद का उल्लेख किया है जिसके पास अरबी फारसी के दीवानों के साथ हिंदी में रचित दीवान (कविता संग्रह) भी थे। लेकिन उन दीवानों की भाषा का स्वरूप क्या रहा होगा कुछ कहा नहीं जा सकता, पर हिंदी का यह प्राचीनतम उल्लेख है। उसकी मृत्यु ११२५ से ११३० ई० के बीच हुई। अमीर खुसरो ने स्वयं और कबीर, नानक आदि कवियों ने अथ भाषाओं के मिश्रण के साथ खड़ी बोली में रचनाएँ की हैं, पर तत्काल ही हिंदू समाज का ध्यान इस भाषा पर से उठ गया। एक ऐसी धार्मिक उत्क्रांति आई कि लगभग समस्त भारत उससे प्रभावित हो गया। कृष्ण भक्ति की मधुरिमा ने द्वापर में चाहे गोपिया को मोहित न किया हो पर इस युग में उसके यशोगान ने पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में गुजरात तक और उत्तर में पंजाब से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र तक क लोगों को विमोहित कर डाला। कृष्ण भक्त कवियों ने भगवान् श्रीकृष्ण की जन्मभूमि 'मथुरा' की भाषा को अपने आराध्य के सकीर्तन की माध्यम भाषा बनाया। इस प्रकार ब्रजभाषा का प्रभाव चारों ओर फलने लगा। यद्यपि इसके समानान्तर अवधी भी उठ खड़ी हुई पर वह अधिक आगे न बढ़ सकी। ब्रज के प्रभाव का सबसे महत्त्वपूर्ण प्रमाण यह है कि भारत के शहशाह अकबर ने स्वयं उसमें वाक्य रचना की। रहीम खानखाना अकबर के दरबार का एक बड़ा अधिकारी ब्रजभाषा का महत्त्वपूर्ण कवि माना जाता है। डा चाटुर्ज्या के मतानुसार ब्रजभाषा सही अर्थों में

शाही भाषा कही जा सकती है। इपर हिंदू लोग और उत्तर भारत के अनन्य मुसलमान ब्रजभाषा का गाजीभूगण कर रहे थे, उपर दक्षिण में उत्तर भारत से गए मुसलमान लोग जो अपना गाय लिप्सी और उसका भाषाण तथा पंजाब की बोली को लगे थे उसका पाठन कर रहे थे। बांग्लादेश में मुसलमान जब भारत में आए तब वे पंजाब के राज्यों से लिप्सी आए थे। अतः इनके दो प्रमुख केंद्र थे—पंजाब में लाहौर और इपर लिप्सी। यहाँ के निवासियों से बातचीत के लिए उनको यहाँ की भाषा सीखनी अनिवार्य थी। अतः उन्होंने फारसी मिश्रित लाहौरी और बिगपा लिप्सी की भाषा का प्रयोग परस्पर में वार्तालाप के लिए करना आरम्भ किया। इसी मिश्रित भाषा को लेकर वे दक्षिण में पहुँचे। अब उनके सामने दो कठिनाइयाँ आई—(१) वह फारसी पढ़ नहीं सकते थे क्योंकि वे अपने देश से दूर आ गए थे। (२) दक्षिण के लोगों में अपने आपका आत्मसात नहीं करना चाहते थे। अतः इन दोनों कठिनाइयों का समाधान अपने साथ लाई भाषा के साथ अपने आपको चिपकाए रखने में ही दिखाई दिया। अतः फारसी लिपि में लिखित बहुत कम फारसी शब्दों से युक्त पश्चिमी हिन्दी की यह शाखा उन लोगों के विचार विनिमय का साधन ही नहीं साहित्य की भाषा भी बन गई। गोलकुण्डा इस भाषा का साहित्यिक केंद्र बना तथा मुल्ता यज्ही ही इसका सबसे बड़े पहले कवि हुए। उनका वाक्यशाली सत्तरहवीं शताब्दी का मध्यकाल रहा है। १६०६ में कुरुव मुशतरी और १६३४ में सब रस गद्य ग्रन्थ का निर्माण उन्होंने किया। वे लोग इसे 'हिन्दूवी या हिन्दुई' कहते थे तथा दक्षिण के लोग उसे मुसलमानी भाषा। क्योंकि दक्षिण में इस भाषा का प्रयोग केवल यहाँ के मुसलमान ही अधिकतर करते थे। उनके साथ-साथ कुली कुल्ब शाह का नाम भी उल्लेखनीय है। कहने का तात्पर्य यह है कि १७वीं शताब्दी के अंत तक देशी छोटी एवं भारतीय संस्कृति के अनुरूप इस भारतीय भाषा में हिन्दी साहित्य की मुसलमान बिना किसी लाग लपेट के उसी प्रकार सेवा कर रहे थे, जिस प्रकार सूफ़ी कवि अवधी भाषा की। उन्हीं दिनों शाह बुरहान भी साहित्य साधना में रहते थे और उन्होंने अकेले ६ ग्रन्थों की रचना की और अपनी भाषा को गूजरी कहा पर डा. चाटुर्ज्या का मत है कि वह खड़ी बोली हिन्दी ही थी तथा गूजरी का प्रभाव स्वरूप वह नाम इसे दे दिया गया था।

औरंगज़ेब के शासनकाल में जब लगातार दक्षिण पर आक्रमण किया गया, तब दक्षिण वालों ने सैनिकों द्वारा प्रयुक्त का जान वाली भाषा को उद्दू कहा। या यों कहिए कि उत्तर भारतीयों ने उन सैनिकों से अपनी भाषा के पाठ्यक्रम को प्रदर्शित करने के लिए उसे उद्दू नाम दिया।

'उद्दू' एक तुर्की शब्द है जिसका अर्थ होता है राजा का किला या सैनिकों

का शिविर या सेना के सबसे बड़े आदमी का तम्बू । इस प्रकार इस अर्थ के साथ साथ उर्दू शिविर के लोगो की भाषा का भी अर्थ द्योतन कराने लगी ।

१८वीं शताब्दी के अंत में उत्तर के मुसलमानों की बोलचाल की भाषा वहाँ पर पहुँची तो वहाँ पर बोलियों का सघन प्रारम्भ हुआ । उनकी भाषा को दक्खिनी हिन्दी तथा उत्तर वालों की बोली को शिमाली उर्दू कहा गया । उत्तर वालों को वहाँ के साहित्यिक उत्कृष्ट ने अत्यंत प्रभावित किया और यही कारण है कि जब उत्तरी बोली अथवा शिमाली उर्दू के प्रथम कवि 'बली' दक्षिण जाकर दिल्ली लौटे तो उनका अत्यन्त स्वागत किया गया । उस समय तक फारसी युक्त दिल्ली की भाषा राज-दरबार की भाषा का स्थान ग्रहण कर चुकी थी । इसके प्रथम कवि बली की रचनाओं का यदि अवलोकन किया जाए तो पात होगा कि उसमें फारसी के शब्द अत्यंत कम मात्रा में कहीं-कहीं बिखरे हुए मिलते हैं । इसीलिए इनकी भाषा को रक्ता या रेक्ती नाम दिया गया ।

बली के दिल्ली में बस जाने के बाद दिल्ली उर्दू साहित्य का एक प्रमुख केन्द्र बन गया । 'सौदा और 'मीर जैसे उच्च कवियों ने अपनी प्रतिभा का योगदान उसमें दिया । कुछ समय बाद लखनऊ और रामपुर भी उसके केन्द्र बने और उर्दू दिन दुगुनी रात चौगुनी उन्नति करने लगी । उसके अनेक परिणाम निकले । फारसी लिपि में होम तथा राजघरानों द्वारा अपना लिए जाने के कारण 'उर्दू मुसलमानों की धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाओं की सूचिका भाषा बन गई । फलतः दक्षिण के मुसलमानों की तरह इसमें भारतीय वातावरण की अवतारणा के स्थान पर फारसी और अरब के वातावरण का चित्रण किया जाने लगा । सापेक्षित रूप में फारसी और अरबी के शब्दों की बहुलता दृष्टिगत होने लगी । शालिब जैसे शायरो की शायरी 'उर्दू के स्थान पर फारसी का सा रूप धारण करने लगी । फिर भी यह कहा जा सकता है कि अब तक इस भाषा में साम्प्रदायिक एवं ईर्ष्यालु रूप धारण नहीं किया था । इधर हिंदू लोग इसे यामनी या जामनी भाषा (लिपि के कारण) समझकर अपना नहीं रहे थे और ब्रज का मोह छोड़ने का भी तत्पर नहीं थे । उधर 'उर्दू फारसी साहित्य के आधार पर समृद्ध होती जा रही थी । इसके लखनऊ केन्द्र ने अवधी भाषा के मिहासन को हिला दिया था ।

१९वीं शताब्दी के प्रारम्भ में हिंदुओं का ध्यान भी अपनी इस आकारांत भाषा की ओर गया और मुन्शी सदासुखलाल ने सुखसागर का १८०३ ई० के लगभग प्रणयन किया और इस प्रकार दक्खिनी हिन्दी का दूसरा रूप साहित्य के रमज्ज पर उपस्थित हुआ । यद्यपि स १७६८ का रामप्रसाद निरजनी वृत योगवासिष्ठ का भाषानुवाद मिलता है, किंतु हिन्दी गद्य का प्रारम्भ

मु० सन्मग्नतात से ही भाषा जाता है। जात गिनकाइस्ट ने फोट विनियम का क्षेत्र में उर्दू और हिन्दी के ११ विभाग स्थापित किए और हिन्दी के लिए सन्त मित्त और सन्मग्नतात को नियुक्त किया था। तरंगराज राजा शिवप्रसाद 'सितारे हिन्दी' और राजा सन्मग्नगिह रगमञ्ज पर उपस्थित हुए। यह समय था जब हिन्दी और 'उर्दू का विवाह' प्रारम्भ हुआ। राजा सन्मग्नगिह को सिंगता पड़ा— हिन्दी और 'उर्दू दो बोली ग्यारी ग्यारी है यह बयान भाषा बर्णनिक तथ्य को नहीं अगिनु तात्कालिक धार्मिक भावना को ही अधिक मात्रा में व्यक्त करता है।

हिन्दी उर्दू विवाद

जता कि पक्ष कहा गया है कि प्रारम्भ में दक्कनी हिन्दी की लिपि और लेखन थाह इस्लाम से सम्बद्ध थे पर उनके द्वारा व्यक्त भावनाएँ पूणत भारतीय थीं। जब अंग्रेज यहाँ पर आए और सन् १८५७ में उन्हें मजदूर विरोध का साम्मुख्य करना पड़ा तो बूटनीतिज्ञ अंग्रेजों की पनी दृष्टि से यह छुड़ा न रह सका कि भारत में शासन करने के लिए हिन्दू मुस्लिम बैमनस्य परमावश्यक है। अतः उन्होंने प्रारम्भ में ही हिन्दी और उर्दू को दो सम्प्रदायों की भाषा करार दे दिया और शिक्षा के क्षेत्र में उर्दू को स्थान दे दिया और हिन्दी को अधिकसित एव गवार बहकर टाल दिया। इससे हिन्दुओं की भावनाएँ अत्यन्त पीडित हुई और वे ससृष्ट शतावली का आशय लेकर नामरी हिन्दी की समृद्धि हेतु जी जान से जुट गए। परिणामतः हिन्दी ससृष्ट बहुला और उर्दू, अरबी फारसी बहुला भाषाएँ हो गई। इस प्रकार एक ही भाषा दो शक्तियाँ वाली होने के कारण दो भाषाओं के रूप में सामने आई।

भारतीय कांग्रेस की स्थापना १८८५ ई० में हुई थी किन्तु उस समय उसका उद्देश्य सामान्य था। धीरे धीरे यह संस्था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की आरंभ प्रसार हुई। इस संघ में सफलता प्राप्त करने के लिए भारत की भावनात्मक एकता की नितांत आवश्यकता थी। भाषा उसमें अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है। अतः महात्मा गांधी के द्वारा कांग्रेस की वागडोर अपने हाथों में सम्भाल लिए जाने के पश्चात् उन्होंने श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन को लिखा था— मेरे लिए हिन्दी का प्रश्न तो स्वराज्य का प्रश्न है। फलतः महात्मा गांधी का हिन्दी साहित्य सम्मेलन में प्रवेश हुआ और उनके प्रयत्नों के फल स्वरूप राष्ट्रभाषा प्रचार समिति का गठन हुआ तथा हिन्दीतर भाषा भाषी प्रदेशों में हिन्दी का प्रचार काय जोरो से प्रारम्भ हो गया। सन् १९२६ में कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन हुआ जिसमें श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन का यह प्रस्ताव कि 'कांग्रेस की समस्त कार्य विधि हिन्दुस्तानी में सम्पन्न हो पारित किया गया। इस प्रकार हिन्दी और उर्दू के धार्मिक विवाद में हिन्दुस्तानी

भाषा का नवीन समावेश हुआ। १९३६ ई० में जब उपरिक्थित समिति का गठन किया गया तो मुसलमानों ने 'अजुमन तरक्किए उलू' की स्थापना दिल्ली में की। कहने का तात्पर्य यह है कि विवाद बढ़ता ही गया तो गांधी जी को हिन्दुस्तानी की नवीन परिभाषा एवम् बनाए रखने के लिए निश्चित करनी पड़ी। बाबर के द्वारा जिस अर्थ में हिन्दुस्तानी भाषा का प्रयोग किया गया था, अब वह उस अर्थ में नहीं रह गई थी। इसका परिणाम यह भी हुआ कि बंगाल की बंगला में मुसलमान लोग अधिक से अधिक फारसी और अरबी के शब्दों का प्रयोग करने लगे थे। स्थिति यह हुई कि हिन्दी और उर्दू एक राजनीतिक प्रश्न बन गया। स्वयं कांग्रेस में इससे सम्बन्धित कार्य को सदेह की दृष्टि से देखा जाने लगा। कुछ व्यक्तियों में यहाँ तक गिरावट आई कि एक एक शब्द के प्रयोग पर आपत्ति की जान लगी। डा० चाटर्ज्या ने घटना उदघट की है जो इस प्रकार है 'राष्ट्रीय भारतीय कांग्रेस द्वारा प्रस्तावित एक प्रचलित शिक्षा पद्धति के विषय में विद्या मन्दिर' शब्द का प्रयोग साम्प्रदायिक मनोभावना का अच्छा उदाहरण है। कट्टरतावादी मुसलमानों द्वारा इसका विरोध किया गया क्योंकि वे इसके स्थान पर बत उल इन्म चाहते थे। फिर बीच का सुझाव पढाई घर लाया गया। आगे अपना मन्तव्य देते हुए डाक्टर साहब ने लिखा है कि पढाई घर' शब्द से व्यक्त होने वाले विचार इतने मामूली तथा साधारण श्रेणी के होते हैं कि उनसे किसी को सतोष नहीं होता।' इस प्रकार का भानुमती का कुनवा भाषा के विकास के लिए श्रेयस्कर नहीं होगा।

उपर्युक्त समस्त विवाद के पीछे पाकिस्तानी मनोभावनाएँ तो काय निरत थीं ही साथ ही अप्रत्यक्ष रूप से आग्ल भाषा को इस विवाद से सर्वाधिक लाभ पहुँच रहा था। यह इसी विवाद का परिणाम है कि आज भी यह शमनाक भाषा हमारे सिर पर सवार है तथा इसके हामी केवल उँगलियाँ पर गिने जाने लायक भी नहीं हैं। अब समय आ गया है कि हिन्दी और उर्दू आपस में गले से मिन जाएँ और राष्ट्र को एक बहुत बड़ी परेशानी से बचा लें।

⁷ भारतीय आय भाषा और हिन्दी, पृष्ठ १७६।

दशम अध्याय

हिन्दी ध्वनियाँ स्वरूप और विकास

ध्वनि से तात्पर्य—ध्वनि और स्फोट—ध्वनि की उचित परिभाषा—हिन्दी की स्वर और व्यञ्जन ध्वनियाँ—स्वर ध्वनियों के वर्गीकरण की प्रणालियाँ—स्वर ध्वनियों का स्वरूप—व्यञ्जन ध्वनियों के वर्गीकरण की प्रणालियाँ—व्यञ्जन ध्वनियों का स्वरूप—स्वर ध्वनियों की उत्पत्ति—व्यञ्जन ध्वनियों की उत्पत्ति ।

ध्वनि

ध्वनि सिद्धांत को लेकर प्राचीन भारतीय वाङ्मय में अत्यंत सूक्ष्म दृष्टिकोण से विचार विमिश्र हुआ है। यद्यपि इस सिद्धांत के अप्रज वयाकरण ही रहे हैं² तथापि काव्य शास्त्रियो एव दाशानिको का भी कम योगदान इसमें नहीं रहा है। इनमें अतएव केवल विषय के दृष्टिकोण का ही है। काव्य शास्त्री इसका सम्बन्ध व्यङ्ग्य के साथ जोड़ते हैं और वैयाकरण अथ के साथ। वयाकरणों के अनुसार 'शब्द भाषा का शरीर है तो अथ उसकी आत्मा है। अतः शब्द और अथ का सम्बन्ध स्वतः सिद्ध हो जाता है। शब्द और अथ का उक्त सम्बन्ध स्थापित हो जाने के पश्चात् वैयाकरणों के समक्ष यह समस्या उत्पन्न हुई कि शब्द से अथ का बोध तो होता है, परन्तु बोध का माध्यम क्या है? फलतः स्फोटवाद का आविर्भाव हुआ। स्फोट का निवचन इस प्रकार किया गया—स्फुटति अथ यस्मात् स स्फोट अर्थात् जिससे अथ का प्रस्फुटन होता है वह स्फोट है। पर्याप्त विचार विमिश्र के पश्चात् वयाकरण इस निणय पर पहुँचे कि वे वण जो स्फोट को उत्पन्न करते हैं, ध्वनि है। भतहरि ने स्फोट के तीन भेद करते हुए 'शब्दज' स्फोट को ध्वनि बताया है—

य सयोगवियोगाभ्या करणैरुपजयते ।

स स्फोट शब्दज शब्दो ध्वनिरित्युच्यते बुध ॥²

अर्थात्—वाग् मन्त्रो के सयोग और वियोग से जो शब्दज शब्द का स्फोट होता है वह ध्वनि है। इस प्रकार स्फोटज शब्द तीन प्रकार के हो जाते हैं—(१) सयोगज शब्द, (२) वियोगज शब्द और (३) शब्दज शब्द। शब्द का प्रारम्भिक रूप या तो सयोगज होता है अथवा वियोगज किन्तु इनका जो अथ रूप हमें सुनाई देता है वह वही वा वही न होकर उससे निसत होना है, अतः शब्दज शब्द अर्थात् शब्द से उत्पन्न शब्द कहलाता है। यहाँ पर प्रयुक्त 'शब्द'

² 'प्रथमे हि विद्वांसो वैयाकरणा व्याकरणभूतत्वात् सर्वविज्ञानाम् । ते च ध्रुवमाणेषु वर्णेषु ध्वनिरिति व्यवहरन्ति । तेषां वायुस्तान् मतानुसारिभिः सूरिभिः काव्यतत्त्वायर्दाशिभिर्वाच्य वाचक—समिध्र शब्दात्मा काव्यमिति व्यपदेशयो व्यञ्जकत्व-साम्याद् ध्वनिरित्युक्तम् इत्यादि ।

(ध्वन्यालोक प्रथम उद्योत तेरहवी कारिका—भाष्य)

² डॉ. अम्बाप्रसाद मुमन वृत्त हिन्दी भाषा, पृष्ठ १४ ।

शब्द का स्पष्टीकरण परमायश्मक है क्योंकि व्याकरण में यह दो अर्थों में प्रयुक्त होता है—एक तो वर्णों के संघात के लिए और दूसरा ध्वनि के लिए। दार्शनिक विवेचन के समय इसका प्रयोग प्रायः ध्वनि के अर्थ में ही होता है। पतञ्जलि ने शब्द का प्रयोग ध्वनि के लिए किया है, यथा— प्रतीतप्रायको लोके ध्वनि शब्द इत्युच्यते।^३ स्वयं भनहरि ने शब्दज शब्दो ध्वनि 'बहु कर शब्द तथा ध्वनि की एनायकता का ध्यान कराया है। पतञ्जलि ने कुछ आगे चलकर ध्वनि को और स्पष्ट करते हुए लिखा है स्फोट शब्द। 'ध्वनि शब्दगुण।'^४ जब हम स्फोटवाद के अन्तस्तल में प्रविष्ट हान हैं तो यह अन्तर केवल स्पष्ट या बाह्य मात्र रह जाता है क्योंकि जब अथ प्रतीति के प्रश्न को लेकर पुनः चिन्ताशील मनोपिया की मनीषा काम निरत होती है और भिन्न भिन्न रचना को लेकर विद्वत्समाज के समक्ष उपस्थित होती है तब विद्वानों ने अथ बोधन की शक्ति वण में स्वीकार की है किन्हीं ने शब्द में जोर किन्हीं ने वाक्य में। फलतः स्फोट के आठ भेद हो जाते हैं— (१) वणगत स्फोट (२) पदगत स्फोट (३) वाक्यगत स्फोट (४) अक्षण्ड पदगत स्फोट (५) अक्षण्ड वाक्यगत स्फोट (६) वणगत जाति स्फोट (७) पदगत जाति-स्फोट (८) वाक्यगत जाति स्फोट।

उपयुक्त विभाजन से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इन सभी में स्फोट तो वतमान रहता है पर उनमें मात्रा की यूनाधिकता रहती है। स्फोट की पूणता अथ की पूणता पर निर्भर करती है। वण, स्फोट की लघुतम ईकाई का एक सिरा है तो वाक्य उसकी पूणता की इकाई का दूसरा छोर है। अथ सब बीच के सोपान कहे जा सकते हैं और इस प्रकार वैयाकरण व्यष्टि (वण) से समष्टि (वाक्य) की ओर अग्रसर होता है तथा भाषा शास्त्री समष्टि से व्यष्टि की ओर।

पाणिनि ने अध्यास का आश्रय लेते हुए वायु की विवृति को ध्वनि का रूप दिया है। पाणिनि के अनुसार आत्मा अपने भावों को व्यक्त करने के लिए बुद्धि का संयोग प्राप्त करती है और मन को अभिव्यक्ति के लिए प्रेरित करती है। प्रेरणा प्राप्त मन शरीरस्थ अग्नि का उद्दीप्त करता है और अग्नि उद्दीप्त के कारण वायु उद्प्रेरित हो उठता है। वह फेफड़ों को स्पन्दित करती हुई बहिर्गमनशीला हो उठती है और मूर्धा पर आघात करती है। इस प्रक्रिया में मुख विवर के अवयवों में वायु की स्थिति के अनुसार हलचल होने लगती है (जिसे वयाकरणों ने प्रयत्न की सज्ञा से अभिहित

^३ पतञ्जलि महाभाष्यम १/१/१।

^४ वही, १/१/६।

किया है) और इस प्रकार वणों का जन्म होता है^५ और श्रोता उसे सुन लेता है। वह ध्रुवण ही ध्वनि है और उसका अथवाष ही स्फोट है। आधुनिक भाषा शास्त्री आत्मा तथा अंत करणों की अपेक्षा करते हुए केवल वायु विकृति को ही ध्वनि की सजा देते हैं। डॉ. बाबूराम सक्सेना ध्वनि की परिभाषा इस प्रकार करते हैं—“मनुष्य जीवन भर निरंतर श्वास लेता है और बाहर फँकता रहता है जिस श्वास को हम बाहर फँकते हैं उसी की विचित्र विकृति से ध्वनियाँ की सृष्टि होती है।”^६ इसी प्रकार प्रसिद्ध ध्वनि वेत्ता श्री के. एल. पाइक लिखते हैं—“मनुष्य के फेफड़ों से निःसृत होने वाली वायु से ध्वनियों की सजना होती है। वास्तव में इस वायु की सहायता से हँसना, छोकना, खासना और सीटी बजाना आदि अनेक प्रकार की ध्वनियाँ निर्मित होती हैं।”^७ प्रायः सभी आधुनिक भाषाविद इसी प्रकार ध्वनि की परिभाषा करते हैं, परन्तु इसमें एक बहुत बड़ा दोष भ्रष्ट रह जाता है कि श्वास तो हम प्रतिक्षण लेते रहते हैं, किन्तु प्रतिक्षण ठीक उसी प्रकार की जिस प्रकार की ध्वनियाँ हमारी विवेच्य हैं उत्पन्न नहीं होती। अतः आत्मा, मन, बुद्धि आदि में से किसी न किसी प्रवृत्ति का अस्तित्व तो हमें स्वीकार करना ही पड़गा जिससे इच्छित ध्वनियों की अभिव्यक्ति की समस्या समाधित हो सके। हाँ स्पूल में यह कहा जा सकता है कि मुख विवर से निष्कासित होती हुई वायु की विकृति (सकारण) ही ध्वनि है।

अतः म. दोना मता को दृष्टिगत रखते हुए ध्वनि की परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है कि जब वायु का सकारण संचरण फेफड़ों में होता हुआ स्वरतन्त्रियाँ के माध्यम से मुख विवर के माग से बाहर निकलता है तब ध्वनि की सृष्टि होती है जो भाषा के क्षेत्र में अपेक्षित है। इसका लघुतम रूप मूल ध्वनि या वण कहलाता है और पूणतम रूप वाक्य की सजा प्राप्त करता है। प्रस्तुत अध्याय में हम हिन्दी भाषा की लघुतम ध्वनि अर्थात् वण पर विचार करेंगे।

^५ आत्मा बुद्ध्या समेत्यर्थान् मना युङ्क्ते विवक्षया ।
मन काग्निमाहति स प्रेरयति मारुतम् ॥
मारुतस्तूरसि चरन् मद्र जनयति स्वरम् ।
सौदीर्णो मूध यभिहतो वस्त्रमापदय मारुत ।
वणञ्जिनयते तेषा विभाग पञ्चधा स्मृत ॥

पाणिनीय शिक्षा ६ ७ ६ ।

^६ डॉ. बाबूराम सक्सेना—सामान्य भाषा विज्ञान पृष्ठ ६३ ।

^७ डॉ. अम्बाप्रसाद सुमन—हिन्दी भाषा पृष्ठ १३ ।

वण या अक्षर का प्रत्येक भाषा में दो रूपों में रखा जाता है—(१) स्वर और (२) व्यञ्जन । आज तक इनका विभेदक तत्त्व उच्चारण की स्थिति को ही स्वीकार किया जाता था, किन्तु अब इस पर विद्वानों का मतभेद पाया जाता है । पहले 'स्वर' उन ध्वनियों को कहा जाता था, जो बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता के उच्चरित हो सकें और 'व्यञ्जन' वे होते थे जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से ही सम्भव हो सक । आजकल विभिन्न प्रयोगों एवं यंत्रों की सहायता से प्रायः सिद्ध सा ही हो गया है कि व्यञ्जनों को भी स्वर की सहायता के बिना उच्चरित किया जा सकता है । डा. बाबूराम सक्सेना ने इसके कुछ उदाहरण भी प्रस्तुत किये हैं । आपके अनुसार स्वरों के उच्चारण करने में वायु अबाध गति से बाहर निकल जाती है किन्तु व्यञ्जनों का उच्चारण करते समय वायु की गति में पूर्ण अथवा किञ्चित् बाधा अवश्य उत्पन्न होती है । अतः वायु की गति की अबाधता को ही स्वर और व्यञ्जनों का स्थूल विभेदक तत्त्व कहा जा सकता है । आप स्वर की परिभाषा इस प्रकार करते हैं— स्वर वह सघोष ध्वनि है जिसके उच्चारण में श्वास नलिका से आती हुई श्वास धारा प्रवाह अबाध गति से निकल जाती है और मुख विवर में ऐसा कोई सकोच नहीं होता कि किञ्चित् मात्र भी सघोष या स्पश हो । स्वर के अतिरिक्त शेष ध्वनियाँ व्यञ्जन हैं । व्यञ्जन वह सघोष या अघोष ध्वनि है जिसके मुख विवर से निकलने में पूर्ण रूप से अथवा कुछ मात्रा में बाधा उत्पन्न होती है ।^६ मेरी दृष्टि में उक्त परिभाषाएँ अधिक उपयुक्त एवं विज्ञान सम्मत हैं ।

हिन्दी भाषा में अधोलिखित ध्वनियाँ मिलती हैं—

स्वर —ह्रस्व—अ इ, उ ।

दीर्घ—आ, आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, औ ।

स्वर=१३

व्यञ्जन—क ख ग घ ङ क ख ग । =८

च छ ज झ, ञ । =५

ट ठ ड ढ, ण ढ ढ । =७

त् थ द ध् न ह । =६

प फ, ब, भ म् म् फ । =७

य र, ल व, व ल्ह, रह । =७

श, स ह । =३

व्यञ्जन=४३

^६ डा. बाबूराम सक्सेना—सामान्य भाषा विज्ञान, पृष्ठ ४६ ।

सूचना—हिन्दी स्वरों में सस्कृत तत्सम शब्दों को लिखने के लिए ऋ का प्रयोग तो किया जाता है किन्तु इसका उच्चारण 'रि' की तरह से किया जाता है। अतः इसे स्वरों में सम्मिलित नहीं किया गया है। इसी प्रकार व्यञ्जना में भी 'अ' का प्रयोग केवल अनुस्वार के लिए तालय स्पष्ट व्यञ्जनो के साथ तत्सम शब्दावली में मिलता अवश्य है, किन्तु इसका उच्चारण भी 'न' की तरह से होने लगा है। 'प' का प्रयोग तत्सम शब्दों में स्वतन्त्र रूप से मिलता है, पर इसका उच्चारण भी 'श' की तरह से ही सुनाई देता है। अतः इन दोनों को व्यञ्जनों में नहीं रखा गया। कुछ स्वर यथा 'आ' और व्यञ्जन, जैसे—'क, ख, ग, ज, फ' विदेशी भाषाओं से हिन्दी ने अपना लिए हैं। अतः अपभ्रंश के स्वर तथा व्यञ्जनों के साथ इन्हें भी सम्मिलित कर लिया गया है।

भाषाविद स्वर ध्वनियों का वर्गीकरण तीन दृष्टियों से करते हैं। प्राचीन व्याकरण उच्चारण काल की दृष्टि से भी स्वरों का विभाजन करते थे जो आजकल इतना प्रचलन में नहीं रह गया है। हम स्वरों को चार दृष्टियों से वर्गीकृत करने में विश्वास रखते हैं—(१) उच्चारण के समय की दृष्टि से (२) जिह्वा की स्थिति की दृष्टि से, (३) मुख-द्वार की स्थिति की दृष्टि से, (४) ओष्ठा की स्थिति की दृष्टि से।

(१) उच्चारण के समय की दृष्टि से—व्याकरणों का विश्वास है कि कुछ स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है कुछ में दो मात्रा का समय और कुछ के उच्चारण में तीन मात्रा का समय लगता है। प्रथम को 'ह्रस्व' द्वितीय को 'दीर्घ' और तृतीय को 'प्लुत' कहा जाता है।^१ स्वरों का विवरण दते समय हमने उन्हीं इसी क्रम से रखा है। हिन्दी में प्लुत स्वर ध्वनियाँ नहीं पाई जाती।

(२) जिह्वा की स्थिति की दृष्टि से—जब वायु किसी स्वर ध्वनि का सृजन करने हेतु मुख विवरण में प्रवेश करती है तब जिह्वा की सामान्य स्थिति में कुछ विशेषता देखी जाती है। कुछ स्वरों के उच्चारण करते समय जिह्वा का अग्रभाग कुछ के उच्चारण में 'मध्यभाग' और कुछ के उच्चारण में 'पश्चभाग' ऊपर की उठ जाता है। जिस स्वर के उच्चारण में जिह्वा का जो भाग ऊपर उठता है उसी के आधार पर उन्हें अग्र मध्य और पश्च स्वरों की संज्ञा से अभिहित करते हैं।

(क) अग्रस्वर—अग्र स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण करते समय जिह्वा का अग्रभाग ऊपर उठ जाता है, यथा इ ई ए ऐ ए॒ ।

^१ ऊकालोऽञ्जस्व-दीर्घ प्लुत । पाणिनि अष्टाध्यायी १।२।२७ ।

(ख) मध्यस्वर—ये वे स्वर होते हैं, जिनके उच्चारण में जिह्वा का मध्यभाग ऊपर का उठता है, यथा अ' ।

(ग) परचस्वर—य वे स्वर हैं जिनके उच्चारण में जिह्वा का पिछला भाग ऊपर को उठता है, यथा—आ, आँ, उ, ऊ, ओ, औ, औ ।

(३) मुल द्वार की स्थिति की दृष्टि से—जब स्वरों का उच्चारण करते हैं तो जिह्वा की सामान्य स्थिति में विशिष्टता तो आती ही है साथ ही उसके उठने की माप का प्रभाव मुख द्वार पर भी पड़ता है । किन्हीं स्वर ध्वनियाँ के उच्चारण में मुख द्वार कम खुलता है तथा किन्हीं के उच्चारण के समय अधिक खुलता है । इस आधार पर स्वरों को चार भागों में विभाजित किया जाता है, यथा—(१) विवृत, (२) अर्धविवृत (३) सवृत और (४) अधसवृत ।

(क) विवृत स्वर—वे स्वर हैं जिनका उच्चारण करते समय जिह्वा का उत्तिष्ठ भाग पूणत नीचाई की स्थिति में रहता है । फलत मुख विवर खुला रहता है और अत्यन्त विस्तीर्ण अवस्था में आ जाता है । ऐसी स्थिति में उच्चरित स्वर विवृत स्वर कहलाते हैं यथा—आँ ।

(ख) अर्ध विवृत स्वर—ये वे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करते समय जिह्वा की इतनी ऊँचाई हा जाती है कि सम्पूर्ण मुख खुला न आया खुला रहता है । डा अम्बाप्रसाद मुमन ने इस इस प्रकार उपस्थित किया है कि अर्धविवृत स्वरों का उच्चारण करते समय जिह्वा विवृतावस्था और सवृतावस्था की कुछ दूरी के १ भाग तक ही उठती है ।^{१०}

(ग) सवृत स्वर—य वे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करते समय जिह्वा इतनी ऊँचाई तक ऊपर उठ जाती है कि मुख विवर अत्यन्त सकीण हो जाता है अर्थात् मुख विवर बन्द हो जाता है यथा ई, ऊ ।

(घ) अध सवृत स्वर—य वे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करते समय जिह्वा आधे से भी अधिक ऊँची उठ जाती है और मुख द्वार आधा बन्द हो जाता है यथा—ए ओ आँ ।

(४) ओष्ठों की स्थिति की दृष्टि से—जब स्वरों का उच्चारण किया जाता है तब जिह्वा की तरह ओंठों की सामान्य स्थिति में भी कुछ विशिष्टता आ जाती है । अन्तर बतल इतना है कि प्रत्येक स्वर के उच्चारण करते समय जिह्वा की स्थिति में तो अवश्य कुछ न कुछ परिवर्तन आया ही पर ओंठों का साथ एसी बात नहीं है । कुछ एम स्वर भी हैं जिनका उच्चारण करते समय ओंठ यथा स्थिति में ही रहते हैं । इन दृष्टि से स्वरों को तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है यथा—(१) विवृताकार स्वर, (२) सवृताकार स्वर तथा (३) उष्णीत स्वर ।

^{१०} डा अम्बाप्रसाद मुमन—हिन्दी भाषा (अन्तर्गत और अनुगत) पृष्ठ ३० ।

(क) विस्तृताकार स्वर—इन स्वरो का उच्चारण करते समय दोनो होठ मुखद्वार के दोना ओर फल जाते हैं और वायु अबाधगति से निसृत होती हुई इन स्वर ध्वनियों का सजन कर देती है, यथा—इ ई, ए ऐ ।

(ख) घतुलाकार स्वर—इन स्वरो का उच्चारण करते समय दोनो होठ मुखद्वार के सामने गोलाकार स्थिति में आ उपस्थित होते हैं, यथा—उ, ऊ, औ औ आँ ।

(ग) उदासीन स्वर—इन स्वरो का उच्चारण करते समय दोनो हाठ यथाम्बिति रहते है, न फलते हैं और न ही गोलाकार रूप ही धारण करते है यथा—अ ।

भारतीय मनीषियो ने स्वरो की इन स्थितिया का पता बहुत पहले ही लगा लिया था । महर्षि पाणिनि ने इन स्थितियों को प्रयत्न' की सज्ञा दी है । तुल्यास्यप्रयत्न सवणम (अष्टाध्यायी १/१/६) । इस पर बलि करते हुए कौमुदीकार ने लिखा है 'यत्नो द्विधा आभ्यन्तरो बाह्यश्च । आद्य पचषा । स्पष्टेपत्तपष्टेपद्विवत्—विषतसवत् भेदात् विवत् स्वराणाम । ह्रस्वस्य अवणस्य प्रयोगे सवत्तम । प्रक्रिया दशाया तु विवत्तमेव ।'¹² इससे स्पष्ट है कि संस्कृत भाषा में 'अ' का छाड़कर प्राय सभी स्वर विवत् उच्चरित होते थे किन्तु आधुनिक भारतीय भाषाओ में स्वरो की ऐसी स्थिति नहीं है । इनमे से कुछ सवत् हो गए है और कुछ अधविवत् और अधसवत् । हिंदी का 'अ' अब न विवत् है और न सवत् बल्कि अधविवत् है । अत उच्चारणगत शक्तिय एव स्वरा ही ऐसी प्रवृत्तियाँ है जो भाषा को विकसित कर उसे नय रूप में उपस्थित कर देती हैं ।

हिन्दी (साहित्यिक खड़ी बोली) भाषा की स्वर ध्वनियों का स्वरूप (उपयुक्त विवेचन के आधार पर) निम्न प्रकारसे प्रस्तुत किया जा सकता है—

'अ'—यह अध विवत्, मध्य, उदासीन, ह्रस्व स्वर है । इसका उच्चारण करते समय मुख द्वार आधे से अधिक खुला रहता है तथा जिह्वा का मध्य भाग कुछ उठता है और होठ यथारूप बने रहते हैं । हिन्दी भाषा में आदि—मध्य तथा अत—सभी स्थानों पर इसका प्रयोग मिलता है, यथा—रमण करण (करने के लिए) आदि । 'अ' का एक रूप और मिलता है जहाँ वह मूल 'अ' की अपेक्षा लघुच्चरित होता है, यथा—स्वरभक्ति के कारण आगम किए हुए सभी अकार । शब्द के मध्य में तथा पदांत में अ का उच्चारण आज कल नहीं के बराबर किया जाता है, किन्तु पदांत में यदि सयुक्त व्यञ्जन के

¹² बरदराजाचार्य कृत लघुसिद्धान्त कौमुदी, पृष्ठ २५ हिन्दी टीका—भीम सेन शास्त्री ।

साथ होता है तो इसका उच्चारण शुद्ध रूप में ही किया जाता है, यथा—साहित्य, धातुय आदि ।

'आ'—यह विवृत, पश्च वतुलाकार दीर्घ स्वर है । इसका उच्चारण करते समय मुख विवर पूणत खुला रहता है । जिह्वा का पश्च भाग कुछ मात्रा में ऊपर उठता है तथा होठ गोलाकार से हो जाते हैं । प्राचीन वयान्तरण इस अकार की दीर्घ रूप मानते हैं ।¹² आधुनिक भाषाविदों के अनुसार आ अ की दीर्घ रूप नहीं है बल्कि या कहते हैं कि इसका ह्रस्व रूप हिन्दी भाषा में नहीं है ।¹³

'आ'—अप्रेजी शब्दों का उच्चारण करने के लिए यह ध्वनि हिन्दी में आई है, यथा—कॉलेज डाक्टर आदि । इसका प्रयत्न स्थान ओ और आ के बीच का है अर्थात् इसका उच्चारण करते समय जिह्वा का पिछला भाग आ की अपेक्षा कुछ ऊँचा और ओ की अपेक्षा कुछ नीचा उठता है ।

'इ'—यह सवत, अग्र विस्तृताकार ह्रस्व स्वर है । इसका उच्चारण करते समय जिह्वा का अग्र भाग उठ कर लगभग कठोर तालु के समीप पहुँच जाता है और मुख विवर प्रायः बन्द सा हो जाता है तथा होठ मुख-द्वार के दोनों ओर फैल जाते हैं । उक्त स्वर का प्रयोग शब्दों के आदि मध्य अंत सभी स्थितियों में मिलता है, यथा—पिया, बहिन आदि । इसका स्थान ई' से कुछ नीचा रहता है ।

'ई'—यह सवत, अग्र विस्तृताकार, दीर्घ स्वर है । इसका उच्चारण करते समय जिह्वा का अग्र भाग कठोर तालु के बहुत समीप पहुँच जाता है । इसकी अपेक्षा इसका उच्चारण करते समय जिह्वा का अग्र भाग कुछ अधिक ऊँचा उठा हुआ होता है । इसका प्रयोग भा श ष के आदि मध्य और अंत में उपलब्ध होता है, यथा—ख, बत्तीस पौषी आदि ।

'उ'—यह सवत पश्च वतुलाकार ह्रस्व स्वर है । इसका उच्चारण करते समय जिह्वा का पिछला भाग कोमल तालु के लगभग समीप पहुँच जाता है पर ऊ के स्थान से कुछ नीचा रह जाता है । अंत मुख विवर बन्द सा हो जाता है । होठ मुख-द्वार के पास गोलाकार से हो जाते हैं तथा उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है । इसका प्रयोग श ड के आदि मध्य और अंत सभी स्थानों पर होता है ।

'ऊ'—यह सवत पश्च वतुलाकार दीर्घ स्वर है । इसका उच्चारण करते समय जिह्वा का पिछला भाग कोमल तालु के बहुत समीप पहुँच जाता है

¹² वही पृष्ठ ७६ (अक सवर्ण दीर्घ ६/१/६८) दत्तारि ।

¹³ डा उदयनारायण तिवारी कृत हिन्दी भाषा का उद्गम और विकास पृष्ठ ३१६ २० ।

और मुख विवर को बन्द कर देता है। होठ पूणतया गोलाकार हो जाते हैं। इसके उच्चारण में दो मात्राओं का समय लगता है। अतः दीघ स्वर है। इसका प्रयोग आदि, मध्य तथा अन्त सभी स्थानों पर मिलता है।

'ए'—यह अर्ध सवत, अग्र, विस्तृताकार, दीघ स्वर है। इसका उच्चारण करते समय जिह्वा का अग्रभाग, सवतावस्था और विवतावस्था की कुल दूरी के $\frac{2}{3}$ भाग तक ऊँचा उठ जाता है और इसी अनुपात से मुख विवर लगभग आधे से कुछ अधिक बन्द हो जाता है। दोनों होठ मुख-द्वार के दोनों ओर फल जाते हैं। इसके उच्चारण में दो मात्राओं का समय लगता है। अतः दीघ स्वर है। अवधी तथा ब्रज आदि भाषाओं में इसका ह्रस्व रूप तथा फुसफुसाहट वाला रूप भी मिलते हैं किन्तु खड़ी बोली हिन्दी में इन दोनों रूपों का प्रायः अभाव ही है।

'ऐ'—संस्कृत व्याकरण के अनुसार यह विवत अग्र, विस्तृताकार, दीर्घ स्वर है। इसे सप्तक्षर कहा जाता है। अतः इसका उच्चारण स्थान कण्ठ और तालु दोनों निश्चित किये गये हैं, परन्तु हिन्दी में यह लगभग अग्रस्वर है। इसका उच्चारण संस्कृत तत्सम शब्दावली के उच्चारण के लिए किया जाता है और किया जाना चाहिए। कुछ लोग शल, कैलाश आदि की ऐ का उच्चारण भी 'ऐसा और कैसा की ऐ ध्वनि के समान सा करते, हैं जो कि उचित नहीं है।

'ऐ'—यह हिन्दी भाषा में विकसित मूल ध्वनि है। संस्कृत के सप्तक्षर ऐ से इसका भेद दिखलाने के लिए नीचे एक चिह्न लगा दिया गया है। समस्त तदभव शब्दावली में इसका उच्चारण मूल स्वर की भाँति ही किया जाता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार और महाराष्ट्र के लोग अभी भी इसका उच्चारण 'यूनाधिक' रूप में सप्तक्षर जैसा करने का यत्न करते हैं जो कि उचित नहीं है। यह अर्धविवत अग्र, विस्तृताकार दीघ स्वर है। इसका उच्चारण करते समय जिह्वा का अग्र भाग सवतावस्था और विवतावस्था की दूरी के $\frac{2}{3}$ भाग तक ही ऊपर उठता है। होठ विस्तृत आकार में हो जाते हैं। यह हिन्दी का मूल दीघ स्वर है। पदांत में इसका प्रयोग नहीं मिलता।

'ओ'—यह अर्धसवत पञ्च वर्तुलाकार दीघ स्वर है। इसका उच्चारण करते समय जिह्वा का पिछला भाग सवतावस्था और विवतावस्था की कुल दूरी के $\frac{2}{3}$ भाग तक ऊपर उठता है और मुख विवर आधे से अधिक बन्द हो जाता है। होठ गोलाकार हो जाते हैं तथा इसके उच्चारण में दो मात्राओं का समय लगता है। इसका प्रयोग आदि मध्य तथा अन्त सभी रूपों में मिलता है, यथा—ओर जाओ करादा आदि।

'औ'—यह संस्कृत की सप्तक्षर ध्वनि है। संस्कृत में इसका उच्चारण (ओदीतो कण्ठघोष्ठम अ० १/२/६) कण्ठ और ओष्ठ माने हैं। हिन्दी में तत्सम

शब्दावली में इसका उच्चारण अधविवृत से कुछ नीचे के स्थाय से होता है और तदभव शब्दावली में उच्चरित ध्वनि से कुछ भिन्न प्रकार से होना चाहिए।

‘औ’—यह हिन्दी में विकसित मूल स्वर है। तदभव शब्दावली में इसका उच्चारण अधविवृत पश्च वतुलाकार, दीर्घ स्वर की तरह होता है। उच्चारण करते समय जिह्वा अधविवृत के समान स्वर से भी कुछ ऊपर उठ जाती है तथा हाँठ वतुलाकार हो जाते हैं। मुख विवर अधविवृत ध्वनि से कुछ कम खुला रहता है। पदान्त में इसका प्रयोग नहीं मिलता।

‘यञ्जन ध्वनियों’—प्राचीन वैयाकरणों ने व्यञ्जन ध्वनियों का वर्गीकरण स्थान तथा प्रयत्न की दृष्टि से किया है, परन्तु संस्कृत भाषा की व्यञ्जन ध्वनियों के आधुनिक भारतीय आय भाषाओं तक पहुँचते पहुँचते कुछ के उच्चारण स्थानों एवं प्रयत्नों में अंतर आ गया है और कुछ उसी रूप में उच्चरित होती हुई आ रही हैं और इनमें से कुछ अपना अस्तित्व ही खो बठी हैं। संस्कृत में आम्यन्तर प्रयत्न की दृष्टि से व्यञ्जनों को तीन भागों में विभाजित किया गया था—(१) स्पृष्ट, (२) ईपत्स्पृष्ट और (३) ईपद्विवृत। इनमें स्पर्शों को ‘स्पृष्ट’ अन्तस्थों को ईपत्स्पृष्ट और ऊष्म ध्वनियों को ईपद्विवृत कहा गया है। स्पर्शा आदि को स्पृष्ट करते हुए लिखा गया है, वाद्यों माधसाना स्पर्शा। यणोऽन्तस्था। शल ऊष्माण १^{१४} हिन्दी में इन्हें या कहा जा सकता है कि क से लेकर म तक के (२५) व्यञ्जन स्पर्श हैं। य र ल, य अन्तस्थ तथा श प स ह^१ ऊष्म हैं। पुन बाह्य प्रयत्न के आधार पर इनका विभाजन किया गया है। बाह्य प्रयत्न ग्यारह प्रकार के बताए हैं—(१) विवार (२) सवार (३) श्वास (४) नास (५) अधोप, (६) धोप (७) अल्पप्राण (८) महाप्राण (९) उन्नात्त (१०) अनुदात्त और (११) स्वरित। अन्तिम तीन बाह्य प्रयत्न केवल स्वरो से सम्बद्ध हैं शेष के आधार पर व्यञ्जनों का विभाजन इस प्रकार है— शरो विवारा श्वासा अधोपाश्च। ह्श सवारा नादा धोपाश्च। वर्गाणा प्रथम-तृतीय पञ्चमा यणश्चाल्पप्राणा। वर्गाणा द्वितीय चतुर्थी शलश्च महाप्राणा।^{११५} उपयुक्त विवरण को इस प्रकार समझा जा सकता है—

विवार श्वास, अधोप व्यञ्जन—क, ख, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, ग, य, स।

सवार नास, धोप व्यञ्जन—ग, घ, ङ, ज, झ, ञ, ढ, ढ, ण, द, ध, न, व, भ, म, य, र, ल, व, ह।

^{११४} तुल्यास्य प्रयत्न सवणम १/१/९ की विवृति, ल गि कीदुग्नी, गगा प्रकरण।

^{११५} वही सनाप्रकरण।

अल्पप्राण व्यञ्जन—क ग, ड च, ज, ङ, ट, ढ, ण त द न, प, ब म,
य र ल, व ।

महाप्राण व्यञ्जन—ख, घ छ झ ठ ढ थ ध फ, म, श, प स ह ।

प्रयत्नों की तरह स्थान की दृष्टि से भा प्राचीन वैयाकरणों ने ध्वनियों का विभाजन किया है जिनमें व्यञ्जन ध्वनियों का विभाजन इस प्रकार है—

कण्ठ्य ध्वनियाँ—क ख, ग घ ङ, ह विसर्ग । (अकुहविसर्जनोयानाम कण्ठ)

तालुय ध्वनियाँ—च, छ ज झ ञ य श । (इचुयशाना तालु)

मूषय ध्वनियाँ—ट ठ, ड ढ, ण र, प । (ऋट्टरपाणा मूर्धा)

दन्त्य ध्वनियाँ—त थ, द ध न ल स । (लतुलसाना दन्ता)

ओष्ठ्य ध्वनियाँ—प फ व, भ, म । (उपूपध्मानीयानामोष्ठी)

नासिक्य ध्वनियाँ—ङ ञ ण न म । (अमडणनाना नासिका च)

दत्तोष्ठ्य ध्वनियाँ—व । (वकारस्य दत्तोष्ठम)

उपयुक्त विवरण में केवल व्यञ्जन ध्वनियाँ को ही गिनाया है, क्योंकि स्वरों का विवेचन पहले ही चुका है । इस आधार पर जब हम हिन्दी की व्यञ्जन ध्वनियों पर दृष्टिपात करते हैं तो अनेक ध्वनियों में परिवर्तन दृष्टिगत होता है उदाहरण के लिए क वग अब कण्ठ्य स्पष्ट न रहकर कोमल तालुजय स्पष्ट है । ड को तो भाषाशास्त्री स्पष्टध्वनि ही स्वीकार नहीं करते । इसी प्रकार ह और विसर्ग भी कण्ठ्य ध्वनियाँ नहीं रहें । इह सधर्षी ध्वनियाँ कहा जाता है । द त्थ ध्वनियाँ में भी न ल तथा स दन्त्य की अपेक्षा दन्त्य ध्वनियाँ मानी जाती हैं । साथ ही अरबी एवं फारसी की भी कुछ ध्वनियाँ को हिन्दी ने अपना लिया है । अतः विभाजन का ढग कुछ बदल गया है । अल्पप्राण महाप्राण घोष तथा अधोष आदि की स्थिति यथा पूर्व है । जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि व्यञ्जनों का विभाजन स्थान एवं प्रयत्न की दृष्टि से किया जाता है । इन दोनों के मूल में अंतर से आती हुई श्वास ही काय करती है जब श्वास स्वर यन्त्रों से निकलकर मुख विवरण में प्रवेश करती है तब उसमें कोई न कोई किसी न किसी प्रकार का विकार अवश्य उत्पन्न होता है । यह विकार जहाँ पर उत्पन्न होता है वही पर किसी भी ध्वनि विशेष का एक रेखाचित्र तैयार हो जाता है ठीक उसी समय मुख के वायु अवयव भी काय निरत हो जाते हैं और उस स्थान विशेष के अनुसार वायु को बाहर निकालने देते हैं । यह प्रक्रिया उस स्थान विशेष पर बन ध्वनि के रेखाचित्र में रूप रंग भरने का काय कर देती है और ध्वनि का पूरा रूप हमारे समक्ष प्रस्तुत हो जाता है । इस प्रकार जिस स्थान पर विकार उत्पन्न हुआ है उसी स्थान की ध्वनि उसे कहा जाता है और अवयवों ने जिस प्रकार का प्रयत्न किया उसी प्रकार की ध्वनि का रूप कहा जा सकता है । ऐसा

गम होने हुए श्वास के बल की मात्रा में म्यूनाधिकता आ जाती है। उसी म्यूनाधिकता के आधार पर व्यञ्जन ध्वनियों की 'प्राणता' निर्दिष्ट की जाती है। इसी प्रकार श्वास की गूँज में भी अन्तर आता है जिसके आधार पर दादा शोषण निर्धारित होता है। इस प्रकार व्यञ्जनों को चार प्रकार से विभाजित किया जा सकता है—(१) स्थात की दृष्टि से (२) मुखावयवों की प्रकिया की दृष्टि से (३) श्वास के बल की दृष्टि से और (४) श्वास की गूँज की दृष्टि से।

(१) स्थात की दृष्टि से—अन्तर में आती हुई श्वास को जहाँ पर मयावयवता विद्युत किया जाता है वही उस ध्वनि का स्थात कहलाता है। इन दृष्टि से हिन्दी ध्वनियाँ (व्यञ्जना) को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है—(१) कोमल तालुगम्य, (२) मूषय (३) तालव्य, (४) वरस्य (५) दार्य (६) दंतोष्ठ्य और (७) ओष्ठ्य। इनके अतिरिक्त अभिजिह्वीय और उपनिजिह्वीय दो भेद और किये जाते हैं।

(क) कोमल तालुगम्य—ये वे ध्वनियाँ होती हैं जिनका उच्चारण करते समय भीतर से आती हुई वायु कोमल तालु पर आवर विद्युत हो जाती है जिसमें हिन्दी की 'क' 'ख' आदि ध्वनियों का सजन होता है।

(ख) मूषय—ये वे ध्वनियाँ हैं जिनका उच्चारण करते समय श्वास कोमल तालु और षटोर तालु के बीच के स्थान पर विद्युत होती है। हिन्दी की ट ठ आदि ध्वनियाँ मूषय हैं।

(ग) तालव्य—ये वे ध्वनियाँ हैं जिनका उच्चारण करते समय भीतर से आती हुई श्वास षटोर तालु पर विद्युत होती है। षटोर तालु को केवल 'तालु शब्द से भी अभिहित करते हैं। हिन्दी की च छ' आदि ध्वनियाँ हैं।

(घ) वरस्य—ये वे ध्वनियाँ हैं जिनका उच्चारण करते समय श्वास वायु मगूँडा के पास विद्युत होती है। हिन्दी की न ल आदि वरस्य ध्वनियाँ हैं।

(ङ) दार्य—य वे ध्वनियाँ हैं जिनका उच्चारण करते समय वायु दाँता के पास आवर विद्युत होती है। हिन्दी की 'त थ' आदि ध्वनियाँ दार्य हैं।

(च) दंतोष्ठ्य—जब वायु (श्वास) म नीचे के होठ और ऊपर के दाँतो के पास विचार आता है तब दंतोष्ठ्य ध्वनियों का सजन होता है जैसे—हिन्दी 'व'।

(छ) ओष्ठ्य—इन ध्वनियों को आजकल द्वयोष्ठ्य कहने का भी प्रचलन है पर सस्कृत के आधार पर इन्हें ओष्ठ्य कहना उचित है। जब भीतर से आती हुई वायु दोनों होठों पर आवर विद्युत होती है तब ओष्ठ्य ध्वनियों का सजन होता है, यथा—हिन्दी प फ आदि।

(२) मुखावयवों की प्रकिया की दृष्टि से—जब अन्तर से श्वास किसी

ध्वनि विशेष का सजन करने हेतु बाहर निकलने का प्रयत्न करती है मुख के अवयव कभी एक दूसरे अवयव का स्पश करते हैं, कभी ये अवयव परस्पर म सघष करते हैं, कभी जिह्वा का पाश्व ऊपर उठ जाता है कभी जिह्वा झिपक कर बलयावर हो जाती है तथा कभी घीरे से तथा कभी झटके से अपनी पूव स्थिति म आ जाती है । इस प्रकार के आधारो पर व्यञ्जनो को निम्न प्रकार से विभाजित किया जाता है—(१) स्पश (२) सघर्षा (३) स्पश सघर्षा (४) पार्श्विक (५) लुठित और (६) उत्क्षिप्त ।

(क) स्पश—भीतर से ध्वनि निर्माण हेतु आती हुई श्वास को जब मुख के कोई नो अवयव उसको कुछ क्षणो के लिए रोव देते हैं तब स्पश ध्वनियो का निर्माण होता है, यथा—क चू ट, त् प आदि ।

(ख) सघर्षा—जब भीतर की श्वास बाहर आने के लिए मुख विवर मे प्रविष्ट होती है, तब यदि इसके कोई दो अवयव एक दूसरे का घषण करने लग जाते हैं तो सघर्षा ध्वनियों का सजन होता है, यथा—फ ज, स आदि ।

(ग) स्पश सघर्षा—इन ध्वनियो का उच्चारण करते समय मुख विवर म पहले तो दो अवयवो का कुछ स्पश होता है और फिर घषण प्रारम्भ हो जाता है, यथा—च छ आदि ।

(घ) पार्श्विक—जब ये ध्वनियाँ उच्चरित होती हैं, तब जिह्वा का एक पाश्व अथवा दोनो पाश्व ऊपर उठकर वायु के निष्क्रमण म बाधा उपस्थित कर देते हैं, यथा—ल ल्ह आदि ।

(ङ) लुठित—इन ध्वनियो का उच्चारण करने समय जिह्वा का यथा सम्भव लपेट किया जाता है तब वायु निष्क्रमित होती है तथा ध्वनि निकलने तक यही स्थिति बनी रहती है यथा—र रह ।

(च) उत्क्षिप्त—लुठित अवस्था को प्राप्त जिह्वा को एक क्षण उग अवस्था मे रखकर फिर झटके के साथ उसे पूव स्थिति पर ले आया जाए तब उत्क्षिप्त ध्वनियो का सजन होता है, यथा—ड, ढ आदि ।

(३) श्वास के बल की दृष्टि से—जब श्वास ध्वनि सजन के हेतु बाहर आने के लिए सन्नद्ध होती है तो उसके बल को सापेक्षिक दृष्टि से आंका जाता है । उस बलन म किसी ध्वनि पर अल्प बल होता है और किसी म महत् बल । इस दृष्टि से इसके दो भेद किये जाते हैं—(१) अल्प प्राण और (२) महाप्राण ।

(४) श्वास की गूज की दृष्टि से—जब श्वास वायु उस स्थान पर पहुँच जाती है जहाँ से सम्बद्ध व्यञ्जन का उच्चारण होना है तब से लेकर ध्वनि का उच्चारण समाप्त होने तक यदि गूज बनी रहती है तो उस सधोप कहते हैं और यदि गूज उच्चारण स्थान पर श्वास के पहुँचने के पश्चात् से अत तक

नहीं सुनाई देती तो उन ध्वनियाँ को अघोष कहा जाता है। इस दृष्टि से इसके दो ही भेद किये जाते हैं—(१) सघोष और (२) अघोष।

हिन्दी व्यञ्जनों का सभी दृष्टियों से किया गया विभाजन पृष्ठ २४० पर दिये गये चक्र से भली प्रकार समझा जा सकता है।

हिन्दी स्वर एव व्यञ्जन ध्वनियों की उत्पत्ति

किसी भी भाषा की ध्वनियाँ की उत्पत्ति के सम्बन्ध में जब हम बात करते हैं तब उसका तात्पर्य होता है कि उस भाषा विशेष में पायी जाने वाली ध्वनियों का उसकी पूवजा भाषाओं में क्या रूप था? कुछ स्थल अथवा यों कहिये कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें कोई ध्वनि विशेष सुरभित चली आती है और किन्हीं में वह अपना रूप सवया बदल लेती है। अतः आलोच्य भाषा की उस ध्वनि का उसी अर्थ को लेने वाले तद् रूप शब्द में प्रयुक्त ध्वनि के साथ मिलान कर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अमुक ध्वनि परिवर्तित होकर अमुक ध्वनि बन गई। दूसरे रूप में—ऐसे कह सकते हैं कि अमुक ध्वनि का विकास या उत्पत्ति अमुक ध्वनि से हुई है। उदाहरण के द्वारा यों समझा जा सकता है सस्कृत 'स्तम्भ' शब्द प्राकृत में 'खम्भो' बनता है और हिन्दी में खभा। अतः हम कह सकते हैं कि सस्कृत स्त विकसित होता हुआ हिन्दी में ख हो गया अथवा या कह सकते हैं कि हिन्दी ख की उत्पत्ति सस्कृत 'स्त' से हुई है। प्रस्तुत अध्याय में हम दूसरी प्रणाली के माध्यम से हिन्दी के स्वरो एव व्यञ्जनों की उत्पत्ति पर विचार करेंगे।

हिन्दी स्वरो का विवरण पूव पृष्ठा पर दिया जा चुका है। उसी क्रम में एक एक स्वर ध्वनि की उत्पत्ति निम्न प्रकार से है

अ' हिन्दी को 'अ' ध्वनि सम्स्कृत अ, आ, इ, ई, उ ऋ ए, आदि स्वरो से विकसित हुई है।

हिन्दी	म भा आ	प्रा भा आ
[अ]	[अ]	[अ]
आखर	अक्खर	अक्षर
अगर	अगर	अगर
अगला	अग्ल	अग्ल
[आ]	[आ]	[आ]
अहीर	आहीर	आभीर
अरब	आरब	आरब (अरब देश का रहने वाला)
असाढ़	आसाढ़	आपाढ़

हिन्दी	स भा आ	प्रा भा आ
अलान	आलाण	आलान
अहेर	आहेर	आखेट
[अ]	[अ]	[आ]
बखान	बखलाण	ब्याख्यान
अडसठ	अट्टसट्टि	अष्टापष्टि
परख	परिख	परोक्षा
[अ]	[अ/इ]	[इ ई]
बहिण	बहिणी	भगिनी
गहर/गहरा	गहिरउ	गभीर
वनारस	वाणारसी	वाराणसी
वाहर	बहिर	बहिर
कूख/कोख	कुखिख	कुक्षि
परख	परिख	परोक्षा
आग	अग्नि	अग्नि
[अ]	[अ, उ]	[उ]
काचली	कचुलिआ	कचुलिका
गेंद	गेंदुअ	कदुक
करेन	करेणु	करेणु
केंवर	कुवार	कुमार
[अ]	[अ इ]	[ऋ]
मट्टी	मट्टिआ	मृत्तिका
भट्ट/भाट	भट्ट/भड	भत
काट	कट्ट	कत
मयक	मियक	मृगाङ्क
बडा	बडडअ	बडक
भगार	भिगार	भृगार
[अ]	[ए]	[ए]
नारियल	नारिएल	नारियेल

‘आ’—हिन्दी भाषा का आ प्राचीन भारतीय आय भाषा ‘अ, आ, उ’ से ही विकसित हुआ है। डॉ. उदयनारायण तिवारी ने ‘आ’ की उत्पत्ति कुछ ऐसे रूपा स मानी है जो उचिन प्रतीत नहीं होती। आपन ‘आ’ की उत्पत्ति उ+अ से बताकर उसका उच्चारण ‘विरूप शब्द प्रस्तुत किया है जिसका मध्यकालीन रूप ‘वुरअ बताकर मुरा’ शब्द सिद्ध किया है। इस

प्रकार 'अ+आ' के भी उदाहरण दिए हैं। इनमें भी 'आ' वर्तमान होने के कारण इसकी उत्पत्ति 'आ' में ही मानी जानी अधिक उचित है।

हिन्दी	म भ आ	प्रा भा आ
[अ]	[आ]	[आ]
बाईस	बावीस	द्वाविंशति
भाई	भाइअ	भ्रातृक
दावण	दामण	दामन
घाड़ी (डाकू)	घाड़ी	घाटी
[आ]	[अ]	[आ]
काज	कज्ज	काय
वात	वत्ता	वार्ता
बाजा	बज्ज	वाद्य
फागुण/फागण	फग्गुण	फाल्गुन
[आ]	[अ]	[अ]
काम	कम्म	कम
चाम	चम्म	चम
पात	पत्त	पत्र
पाटी	पट्टिया	पट्टिका
[आ]	[उ]	[उ]
फरशा	फरसु	परसु
खाज	खज्जु	क्खच्छु
[आ]	[अ]	[ऋ]
नाच	णच्च	नृत्य
काट	कट्ट	कत

'इ'—हिन्दी भाषा में 'इ' का विकास प्राचीन भारतीय आय भाषा अ इ, ई, ऋ तथा ए से हुआ है। 'इ, ए का पारस्परिक परिवर्तन संस्कृत भाषा से ही प्रारम्भ हो गया था।

हिन्दी	म भ आ	प्रा भा आ
[इ]	[अ]	[अ]
अधियार	अधयार/अधआर	अधकार
करिजा	करज	करञ्ज (वृक्ष विशेष)
किरच	करक्च/करक्चय/करअच	कृक्च (आरा)
घिसन	घसण	घयण

हिन्दी	म भा आ	प्रा भा आ
[इ]	[इ]	[इ]
बहिण	बहिणी	भगिनी
गवालिनी/ग्वालिनी	गोवालिणी	गोपालिनी
चुल्ह	चुल्लि	चुल्लि
दखिन/दाहिण	दक्खिण	दक्षिण
[इ]	[इ]	[ई]
मगसिर	मग्गसिर	मागशीप
सिरिस	सिरिस	शिरीष
चाचरिया	चचरीअ	चञ्चरीक
[इ]	[इ]	[ऋ]
सिगार	सिगर/सिणगार	शृगार
खिच्चड	किसर	कृशर
तिस	तिसा	तृपा
तिनका	तिणक	तृणक
[इ]	[ए]	[ए]
इक्कीस	एआईस	एकविंशति
इरड	एरड	एरण्ड
जिमावन	जेमावण	जेमन
जिठानी	जिट्ठानी	ज्येष्ठानी
‘ई’—हिन्दी भाषा में ‘ई’ का विकास ‘इ, ई, ऋ’ से सम्पन्न हुआ है ।		
हिन्दी	म भा आ	प्रा भा आ
[इ]	[इ/ई]	[इ]
इधन	इधण	इधन
ईस	इवग्गु	इसु
इक्कीस	एक्कवीस	एकविंशति
ऊजानी	ऊज्जाणिआ	औद्यानिका
काँचली	कच्चुलिआ	कञ्चुलिका
[ई]	[इ]	[ई]
चीकार	चिवकार	धीरकार
शीणा	श्रिण्ण	शीण
शीण/जीण/जीरन	जिण्ण/जीरण	जीण
तीजा	तिइज्ज	तृतीय
[ई]	[ई]	[ई]
तीमर (तीमन)	तीमण	तीमन

हिंदी	म भा आ	प्रा भा आ
दादुरी	ददूरी	ददुरी
दीवा	दीवअ	दीपक
नीड	णिडड	नीड
[ई]	[इ/ई]	[ऋ]
पीठ	पिट्ठि	पृष्ठ
मीच	मिच्चु	मृत्यु
गीघ	गिद्ध	गध्र
घी	घिअ	घत

'उ—हिंदी भाषा में 'उ ध्वनि का विकास 'उ, ऊ तथा ओ से हुआ है। डॉ. उदयनारायण तिवारी ने अ से भी बताया है और उसका केवल एक उदाहरण विरूप > वूरअ > वुरा दिया है।

हिंदी	म भा आ	प्रा भा आ
[उ]	[उ]	[उ]
कुल्हाडा	कुहाडअ	कुठारक
कुम्हार	कुभार	कुम्भवार
चुल्हू	चुलुअ	चुलुक
ठाकुर	ठकुर	ठकुर
तुझ	तुज्य	तुभ्यम
[उ]	[उ/ऊ]	[ऊ]
कुइया	कूविया	कपिका
कुआ	कुवअ	कूपक
तुरी/तुरइ	तुरिअ/तूर	तय
पुकार	पुक्कार	पूत्कार
[उ]	[उ]	[ओ]
मुझाया	मुज्याविय	बोधिन
मुमना	मुमण	मोपण
लुहार	लोहार	लोहकार

'ऊ—ऊ की उत्पत्ति प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की 'उ ऊ ऋ तथा ओ ओ ध्वनियाँ से हुई है।

हिंदी	म भा आ	प्रा भा आ
[ऊ]	[उ]	[उ]
ऊपर	उप्परि	उपरि
ऊँट	उट्ट	उट्ट

हिंदी	म भा आ	प्रा भा आ
ऊपल	उप्पल	उत्पल
ऊँवर	उवर	उदुम्बर
[ऊ]	[उ/ऊ]	[ऊ]
ऊन	उण्ण	ऊण
धूम	धुम्म	धूण
चून	चुण्ण	चूण
[ऊ]	[उ]	[ऋ]
बूडा	बुडडअ	बृद्धक
झाऊ	झाउ	ध्यातृ
पूछा	पुच्छ	पृष्ट
भाऊ	भाउ	भ्रातृ
[ऊ]	[उ]	[ओ, ओ]
मून	मूण	मौन
सूडा (जाति विशेष)	सुडिअ	शौण्डिक
पूस	पुस्त	पौष
गड्डला	गड्डल	गडोल

'ए'—ए ध्वनि का विकास प्राचीन भारतीय आय भाषा अ इ ऋ, ए ऐ से हुआ है।

हिंदी	म भा आ	प्रा भा आ
[ए]	[ए]	[अ]
गेंद	गेंदुअ	क दुव
सेज	सेज्जा	शय्या
बेल	बल्लि	बल्लि
तेरह	तेरहो	त्रयोदश
[ए]	[ए/ई]	[इ]
सैंदूर	सैंदूर	सिंदूर
केसू	किसुअ	किशुक
कनेर	कणिआर	कणिकार
छेन्	छिद्द	छिद्र
तेपन/तरेपन	तेवण्ण/तरेवण्ण	त्रिपचाशन
तरेसठ/तिसठ	तेसट्टि	त्रिपट्टि
[ए]	[ए]	[ऋ]
गेही (अर्यासमत)	गेहिअ	गृद्धिक

हिन्दी	म भा आ	प्रा भा आ
घेली/गेहली	गहिल्ली	गृहिल्लिका
घट	विट/वट	वृत्
[ए]	[ए]	[ए]
खेत	खेत्त	क्षेप
खेडा	खेडअ	खेटक
गेह	गेह	गह
खेरी	खेड़ी	खटी
जेठ	जेठु	ज्येष्ठ
[ए]	[ए]	[ऐ]
तेल	तेल	तैल
तेली	तलि	तैलिक
देसी	देसिअ	दश्य/दंशिक
बेघट	केघट्ट	कैवत्त

'ओ'—इस ध्वनि का विकास उ ओ तथा औ से हुआ है ।

[ओ]	[आ/उ]	[उ]
ओलभ	उवालभ	उपालम्भ
कोख	कुखिल	कुखि
कापल	कुपल	कुडमल
कोद	कुड्ड	कुष्ठ
[ओ]	[ओ]	[ओ]
कोपल	कोइल	कोकिल
कोठा	कोठुअ	कोष्ठक
गोठ	गोठु	गोष्ठ
गोह	गोहा	गोधा
[ओ]	[ओ अउ]	[ओ]
गोरी	गउरी/गोरी	गोरी
कोल	कउल	कोल
कोमल	कउमल	कौशल
दोवारी	दुवारिअ	दौवारिक

नोट— ऐ और औ का विकास अपभ्रंश 'अइ तथा अउ' से हुआ है स्वर मध्यस्थ व्यञ्जन का लोप होकर हुआ । अतः सीधा प्राचीन भारतीय आद्य भाषाआ से सम्बन्ध न होने के कारण उनके उच्चारण नहीं लिए गए हैं । ए/ओ केवल तरतम शब्दावली में ही प्रयुक्त होते हैं ।

हिन्दी व्यञ्जन ध्वनियों की उत्पत्ति

हिंदी (साहित्यिक राठी बोली) भाषा का शाब्कीय इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हिंदी भाषा का प्रकाश म आने तक आधुनिक भारतीय आय भाषाएँ प्राचीन परम्परा का आधार पर ही विकसित नहीं हो रही थी, अपितु अन्य क्षेत्रों से भी सामग्री का घयन कर रही थीं। यहाँ तक प्राकृतों की उपेक्षा कर इन भाषाओं ने अपना सीधा सम्बन्ध संस्कृत भाषा से जोड़ने का उपक्रम भी कर लिया था। यह प्रयास हिन्दी भाषा में दो रूपों में देखने को मिलता है। एक तो उसके शब्दों को ज्या का त्यो ग्रहण करने के रूपों में जिसको विद्वानों ने 'तत्सम शब्दावली' के नाम से अभिहित किया है और दूसरे संस्कृत का कतिपय शब्दों में अपनी सुविधा के अनुसार परिवर्तन कर ग्रहण करने के रूप में। इस तद्भव शब्दावली कहते हैं। द्वितीय प्रकार के शब्द अपनी पूरी मजिल तय किये बिना ही सीधे हिन्दी भाषा में आ जाने के कारण मध्यकालीन आय भाषाओं के नियमों को चुनौती देते हुए से दिखाई देने लगे। अतः विद्वानों ने ऐसे शब्दों के लिए एक नए वर्ग की स्थापना की, जिसे अथ तत्सम की संज्ञा मिली। इसके साथ साथ अंग्रेजी, उर्दू पोतगोज़ फ्रेंच आदि भाषाओं की शब्दावली ने भी हिन्दी भाषा में प्रवेश प्राप्त किया और अभी तक हिंदी भाषा भाषियों का यह प्रयत्न दिखाई देता है कि उनकी शब्दावली में प्रयुक्त ध्वनियों को उसी रूप में सुरक्षित रखा जाए। अतः उन ध्वनियों के सही उच्चारण को बनाए रखने के लिए हिन्दी के कतिपय ध्वनि चिह्नों का नीचे बिन्दु लगाकर उन ध्वनि चिह्नों का निर्धारण भी किया जा चुका है, किंतु जब भी विद्वानों में मतभेद है कि इन ध्वनियों को यथातथ्य रूप में रखा जाए अथवा इनका हिन्दीकरण कर लिया जाए। मैं डा. देवेन्द्रनाथ स. अक्षरश सहमत हूँ कि इन ध्वनियों का हिन्दीकरण कर लेना ही अधिक श्रेयस्कर होगा।¹⁶ इससे एक तो यह लाभ होगा कि उक्त शब्दों का विदेशीपन समाप्त हो जाएगा और दूसरे उन व्यक्तियों को भी जो फारसी अरबी आदि भाषाओं के ज्ञाता नहीं हैं सन्देश की स्थिति से मुक्ति प्रदान करेगी। अथवा वे शब्दों का अशुद्ध उच्चारण कर उपहास के पात्र बनने के भागी होंगे यथा—जलील (तुच्छ) और जलील (श्रेष्ठ)। हिन्दी में यदि इस चिह्न की स्थिति को हटा दिया जाए और ठीक उर्दू उच्चारण पर बल न दिया जाए तो श्रोता/पाठक यथास्थिति जिस अर्थ की आवश्यकता होगी, ग्रहण कर लेगा और यदि इस पर बल

¹⁶ डा. देवेन्द्रनाथ शर्मा, राष्ट्रभाषा हिन्दी, समस्याएँ और समाधान, पृष्ठ ११८।

दिया गया तो फिर अल्पव्यक्ति जलील के स्थान पर जलील बोल कर सारा गुड़गोबर कर देगा। इसके लिए यह तक दिया जाता है कि वक्ता लेखक को उनका ज्ञान होना चाहिए पर सब भाषाओं का ज्ञान एक व्यक्ति को होना आवश्यक नहीं है, दूसरे हिन्दी एक जीवित भाषा है और उर्दू भी देश में प्रचलित ही है। अतः इसके शब्दों के प्रवेश पर रोक लगाना भी सरल काम नहीं है और सम्भवतः उचित भी नहीं होगा। फिर विशिष्ट उच्चारण और लेखन पर अधिक बल देना कम रचता है। अतः मैं इस समय इन शब्दों से आगत ध्वनियाँ पर विचार करने नहीं जा रहा हूँ। इसे उस समय तक के लिए छोड़ रहा हूँ जब तक कि विद्वान किसी एक मत पर नहीं पहुँच जाते। वैसे पाठकों के ज्ञान के लिये यहाँ ध्वनि रूपा में उनका विवरण प्रस्तुत कर दिया है। नीचे क्रमशः यञ्जना की उत्पत्ति दी जा रही है—

‘क’—हिन्दी की यह ध्वनि अनेक स्रोतों से व्युत्पन्न हुई है। प्राचीन भारतीय आय भाषा की ‘क’ तथा स्क ध्वनियाँ ने इसका रूप निर्माण किया है। यहाँ पर एक बात और स्पष्ट कर देना वाञ्छनीय होगा कि डा उदयनारायण तिवारी तथा अय विद्वानों ने उन संस्कृत ध्वनियों से भी इसकी तथा अय इसी प्रकार के व्यञ्जनो की उत्पत्ति दिखाई है जिस व्यञ्जन ध्वनि विशेष के सहाय के कारण मध्यकालीन भारतीय आय भाषा की द्वित्व कर देने की प्रवृत्ति से व्युत्पन्न हुई है, जैसे ‘क’ वय, क्व > क्व > क। पर यह उचित प्रतीत नहीं होता क्योंकि अतः में अवशिष्ट ‘क’ ध्वनि तो इनमें प्रारम्भ में भी वर्तमान थी, दूसरे इससे समुक्त अय ध्वनि, जैसे प व, य र जो द्वित्वप्रवृत्ति के कारण क्रमशः क क क में बदल गई थी हिन्दी भाषा तक आते आते लुप्त हो गई और प्रारम्भिक मूल ध्वनि केवल मात्र अवशिष्ट रह गई और जब हम यह दिखाते हैं कि प्राचीन आय भाषा की क ध्वनि से हिन्दी में क ध्वनि उत्पन्न हुई है तो फिर इन्हें अलग से गिनाने में कोई औचित्य दृष्टिगत नहीं होता। हाँ ऐसी कोई समुक्त ध्वनि (प्रा भा आ की) जो मध्यकाल में किसी अय ध्वनि में परिवर्तित होकर पुनः उसी रूप में हिन्दी में प्रविष्ट होती है तो उसका निश्चय ही महत्व है और उस पर विचार भी होना चाहिए, जैसे ‘स्व’ ध्वनि है। प्राकृत में यह ‘ख’ ध्वनि में परिवर्तित होती है और अपना मूल स्वरूप पूर्णतः बदल लेती है तथा पुनः केवल क ध्वनि के रूप में हिन्दी में दिखाई देती है। अतः इस क को निश्चय ही पृथक् रूप में उत्पन्न हुआ दिखाया जाना चाहिए। प्रस्तुत शीघ्र में इसी सिद्धांत को अपनाकर विवचना की गई है। हाँ इतना अवश्य है कि स्वर मध्यस्थ अल्पप्राण ध्वनियाँ तभी सुरक्षित रह सकती हैं जब वे समुक्त रहती हैं अन्यथा मध्यकाल में उनका लोप पाया जाता है।

	हिंदी	म भा आ	प्रा भा आ
[आदि क]	कड़ुआ काग	कडुअ काग	कटुक काक
[मध्य क]	तिलकुटनी (चतुर्थीनाप्रत)	तिलकुट्टिणी	तिलकुट्टिनी
[पदान्त क]	काक [क] काघा काघार काद	काक [कक] काघअ काघावार काद	काक [क] स्व-काक स्व-कावार स्व-काद

'खू'—हिंदी ख ध्वनि, प्राचीन भारतीय आय भाषा क ख क्ष, स्क ध्व, घ आदि ध्वनियों से उत्पन्न हुई है। 'प' ध्वनि में 'ख' की व्युत्पत्ति सीधी संस्कृत से हिंदी में कर ली गई है। शेष ध्वनियाँ मध्यकालीन भारतीय भाषाओं के माध्यम से विकसित होती हुई आई हैं।

हिंदी	म भा आ	प्रा भा आ
[आदि ख]	[आदि ख]	[आदि ख]
खाज	खज्जु	खजू
खीज	खिज्ज	खिच
[मध्य ख]	[मध्य ख]	[मध्य ख]
लिखवाया	लिखापित	लेपापित
लेखक	लेखक	लेखक
बखान	बखलाण	व्याख्यान
[पदान्त ख]	[पदान्त ख]	[पदान्त ख]
दुख	दुख	दुख
मुख	मुख	मुख
[ख]	[ख]	[स्क]
खभा	खभअ	स्वम्भक
[ख]	[ख]	[क]
पोखर	पाखर	पुकर
सूखा	सुखअ	शुष्क
[ख]	[ख/ख]	[क्ष]
खेत	खेत	खेत
आखर	अखर	अक्षर
चख	चखु	चक्षु
भखना	भखण	भक्षण

सूचना—जब 'ख' प्राचीन आय भाषाओं में बाद्य में होता है तो मध्य कालीन भारतीय आय भाषाओं में उसे 'ख' आदेश होता है और यदि मध्य में होता है तो उसे 'बख' आदेश होता है।

हिंदी	म भा आ	प्रा भा आ
[ख]	[ख]	[क]
खप्पर	खप्पर	कपर
खाज	खज्जु	बच्छु
खोजा	खुज्जब	कुजक
हिंदी (अधतत्सम)		प्रा भा आ
बरखा		बर्षा
भाखा		भाषा
हरख		हृष

'घ' 'ग'—ध्वनि का विकास प्राचीन भारतीय आय भाषा के 'क, ग' तथा अध तत्सम शब्दों में क से उत्पन्न हुआ है। क् का ग म स्वर आगे होने पर परिवर्तित होना सस्त्रुन में भी पाया जाता है, पर आ भा आ तक स्वर का वचन समाप्त सा कर दिया गया है।

हिंदी	म भा आ	प्रा भा आ
[ग]	[ग]	[ग]
गघा	गईह	गदभ
गेंडा	गडअ	गण्डक
गागर	गगरी	गगरी
अग	अग	अग
[ग]	[ग]	[क]
काग	काग	काक
साग	साग	शाक
सगला	सगल्लअ	सकल
[ग]	×	[ग]
ग्यात	×	गान
आग्या	×	आना
सग्या	×	सना

'घ'—प्राचीन भारतीय आय भाषा में 'घ तथा ग' के साथ 'ह' ध्वनि होने पर 'घ' की उत्पत्ति होती है।

हिन्दी	म भा आ	प्रा भा भा
[घ]	[घ]	[घ]
धी	धिअ	धत
धाव	धाअ	धात
धिन	धिणा	धुणा
[घ]	[घ]	[ग+ट]
घर	घर	गृह

'ड'—यह ध्वनि अब हिन्दी में केवल तत्सम शब्दावली में ही मिलती है और इसका सही उच्चारण भी प्रायः समाप्त हो गया है। इसका स्वतन्त्र प्रयोग तो संस्कृत में ही अत्यल्प हो गया था। जादि में तो इसका प्रयोग मिलता ही नहीं और मध्यकाल में आकर इसे पूरी छुट्टी दे दी गई।

'च'—'च' का विकास प्राचीन आय भाषा च रय तथा बही बही रय से हुआ है।

हिन्दी	म भा आ	प्रा भा भा
[च]	[च]	[च]
चाक	चकर	चक्र
चल	चलगु	चगु
चाँचली	चचुलिअ	चञ्चुलिका
चचनार	चचणार	चञ्चनार
पाँच	पच	पञ्चप्
[च]	[च]	[रय]
साँच/सच	सच्च	सय्य
नाच	नच्च	नूय
[च]	[च]	[रव]
सोच	सोचा	श्रुवा

'छ'—छ की उत्पत्ति प्राचीन भारतीय आय भाषा की छ, च ग तथा दा से हुई है। इनके अतिरिक्त इय बक रय रय तथा इय ग भी छ की उत्पत्ति हुई है।

हिन्दी	म भा आ	प्रा भा भा
[छ]	[छ]	[छ]
छना	छण	छन्न
छवन	छप्रण	छण्ण
छन्न	छण	छोन्न

दी ध्वनियाँ स्वरूप और विकास

दी	म भा आ	प्रा भा आ
[]	[छ]	[श]
डा	छक्कड़अ	शकटक
ल	छाल	शाल (चुरादिगणीय शल + घअ)
[]	[छ]	[प]
ठा	छह	पट
[]	छट्टअ	पठक
मा	[छ]	[क्ष]
च्छन	छमा	क्षमा
लछमी/लच्छी	लच्छण	लक्षण
गार	लछमी/लच्छी	लहमी
[छ]	छार	क्षार
राछ	[च्छ]	[ध्य]
पछ/पच	रच्छ	रध्य
[छ]	पच्छ	पध्य
पछताव	[च्छ]	[श्च]
पच्छिम	पच्छिनअ	प्रायश्चित्तक
पाछै/पीछे	पच्छिम	पश्चिम
बिच्छु	पच्छअ/पच्छइ	पश्चव/पश्चात
[छ]	बिच्छुअ	वश्चिक
इच्छित	[च्छ]	[प्स]
अच्छरा	इच्छित/इच्छिय	ईप्सित
	अच्छरा	अप्सरा
		हुई है।
हिंदो	म भा आ	प्रा भा आ
[ज]	[ज]	[ज]
जवू	जबुअ	जम्बुक
जड	जड	जड
जमाई	जामाईअ	जामातुक
[ज]	[ज]	[य]
जम	जम	यम
जमना	जमुणा	यमुना
जू	जूआ	यूका
सेज	सेज्ज	शय्या

हिंदी	म भा आ	प्रा भा आ
[ज]	[ज्ज]	[य]
बाज	बज्ज	बाय
[ज]	[ज्ज]	[घ]
आज	अज्ज	अघ
जुआ	जुअ	जूत

'श'—आद्य 'श' जो मिलता है उसमें विद्वानों का मत है कि यह प्राकृत प्रभाव है और अपिकाण देशी शब्द हैं जो सस्कृत में अपना लिए गये हैं और हिंदी में भी प्रायः उसी रूप में अपना लिए गये हैं यथा—बज्जा शिल्ली, शकार आदि। हिंदी में 'य तथा घ्य' से 'श' ध्वनि अवश्य आई है।

हिंदी	म भा आ	प्रा भा आ
[क्ष]	[ज्क्ष]	[द/घ]
जूक्ष(ना)	जुज्क्ष	युष्
बूक्ष(ना)	बुज्क्ष	बुघ
[क्ष]	[ज्क्ष]	[घ्य]
सांक्ष	सज्क्षा	सांघ्या
बांक्ष	बज्क्षा	बांघ्या

'ञ'—इस ध्वनि का उच्चारण हिन्दी में समाप्त हो गया है। इसका उच्चारण न की तरह किया जाता है और यह केवल तरसम शब्दावली में ही प्रयुक्त होती है। अनुस्वार के लिए सवर्णों के साथ भी इसका प्रयोग तदभव शब्दावली में देखा जाता है जो कि उचित नहीं है।

'ट'—इसकी उत्पत्ति सस्कृत 'ट' और 'त्' से हुई है। विदेशी शब्दों के साथ भी 'ट' ध्वनि का प्रवेश हिन्दी में हुआ है।

हिंदी	म भा आ	प्रा भा आ
[ट]	[ट्ट]	[ट्ट/ट]
टूट(ना)	टुट्ट	तुट
अटारी/अटाली	अट्टालिका	अट्टालिका
घटना	घट्टण	घटना
कांटा	कट्टअ	कण्टक
[ट]	[ट्ट]	[त/त/त्त]
भट	भट्ट	भत
केवट	केवट्ट	कवत
टल(ना)	टल (इ)	तर
वाट	वट्ट	वत्त

'ठ'—इसकी उत्पत्ति प्राचीन भारतीय आय भाषा के ठ स्थ प्त तथा थ' से हुई है।

हिंदी	म भा आ	प्रा भा आ
[ठ]	[ठ]	[ठ]
कठ	कट्ट	कण्ठ
ठाकुर	ठक्कुर	ठक्कुर
सोठ	सुण्ठिअ	शुण्ठिका
[ठ]	[ठ/ट्ट]	[स्थ]
ठग	ठग	स्थग
ठान (पशुआ का स्थान)	ठाण	स्थान
[ठ]	[ठ]	[-य]
गठि	गँठि	ग्रथि
[ठ]	[ट्ट]	[प्ट]
कोठा	कोट्टअ	कोष्ठक
मीठा	मिट्टअ	मिष्टक
ढीठ	ढिट्ट	पृष्ट

'ड'—ड ध्वनि का विकास मस्कृत 'ट, ड द' से हुआ है।

हिंदी	म भा आ	प्रा भा आ
[ड]	[ड]	[ड]
डायन	डाइण	डाकिनी
निडर	णिडर	निडर
डमरू	डमरूअ	डमरव
[ड]	[ड]	[ट]
कडाह	कडाह	कटाह
कटवा	कट्टुआ	कटुक
[ड]	[ड]	[द]
दस	दस	दश
दसना	दसण	दशन
डोल(ना)	डोल	दोलय
डडा	डडअ	दण्डक
डाम	दडम	दम

नोट—प्राकृतो म प्राप्त अनादि ड हिंदी मे 'ड' हो जाता है—

कौडी	कषडिडअ	कषटिका
घोडा	घोडअ	घोटक
पड(ना)	पड(इ)	पत

'ढ'—संस्कृत 'ठ' तथा घू से इस ध्वनि का विकास हुआ है। देशी शब्दों के माध्यम से उक्त ध्वनि हिन्दी भाषा में आई है।

हिन्दी	म भा आ	प्रा भा आ
[ढ]	[ढ]	[ठ]
पढ(ना)	पढ(इ)	पठ(ति)
[ढ]	[ढ]	[घ]
डढ	द्विडढ	द्वि अघ
बढ(ना)	बडढ	बृष (वधते)
बूढा	बुडढअ	बद्ध
ढीठ	ढिटठ	घुष्ट

नोट—अनादि ढ को छोड़कर मध्यकालीन आयभाषा का ढ' हिन्दी में ढ उच्चरित होता है। अनादि, जैसे—ढीठ।

'ण'—यह अनुनासिक स्पश ध्वनि भी ड और अ की तरह हिन्दी में अपना अस्तित्व खो चुकी है। हा तत्सम शब्दावली में अब इसका शुद्ध मूधय उच्चारण होता है, परन्तु तदभव शब्दों में इसके स्थान पर प्रायः 'न' मिलता है। जब यह स्वर रहित अय मूधय ध्वनियाँ के साथ प्रयुक्त होती है तब तो तत्सम शब्दावली में भी इसका उच्चारण 'न' जसा ही सुनाई देता है यथा—पण्डित'। परन्तु उच्चारण होता है 'पण्डित, पुण्य > पुय।

'त्'—इस ध्वनि का विकास प्राचीन भारतीय आय भाषा 'त्' 'त्र' से माना जाता है।

हिन्दी	म भा आ	प्रा भा आ
[त्]	[त/त्त]	[त]
तेल	तेत्त	तल
साता	तत्तअ	तप्तव
तींद	तुद	तु "
[त्]	[त्त]	[त्र]
गात	गत	गात्र
पात	पत्त	पत्र
पूत	पुत्त	पुत्र

'थ'—प्राचीन भारतीय आय भाषाआ आदि में 'थ' का अभाव है। मध्य में तथा पन्नात में अवश्य मिलता है। हिन्दी थ की उत्पत्ति थ, स्त, स्प, से हुई है।

हिन्दी	म भ आ	प्रा भा आ
[घ]	[त्घ]	[त्घ/घ]
चौघ	चउत्घ	चतुघ
मघनी	मत्घणिअ	म घनिका
[घ]	[त्घ]	[स्त]
पोषी	पुत्घी	पुस्ती
घन	घण	स्तन
हाथी	हत्घी	हस्ती
[घ]	[त्घ]	[स्थ]
घान	घाण	स्थाण
ऊयल/उयला	उत्घल/उत्घलअ	उत्स्थलक
घापना	घप्पणअ	स्थापनक
घूणी	घूणी	स्थूणी

‘द’—इसका विकास सयुक्त एवं असयुक्त द से हुआ है। सयुक्त ‘द’ ध्वनि से द का विकास उसी अवस्था में हुआ है जब दूसरी ध्वनि का विकास किसी अ य में सम्भावित न था।

हिन्दी	म भ आ	प्रा भा आ
[द]	[द/द्]	[द, द्र द द्र]
दुबला	दुबलअ	दुबलक
दुख	दुख	दुख
दीवा	दीवअ	दीपक
दादुर	दददुर	ददुर
दोना	दोणअ	द्रोणक
कादा	कद्दम	कदम
भद्दा	भद्दअ	भद्रक
चाद	चद	चद्र

‘घ’—‘घ’ ध्वनि का असयुक्त और सयुक्त घ ध्वनियों से विकास हुआ है।

हिन्दी	म भ आ	प्रा भा आ
[घ]	[घ/द्ध]	[घ/घ/ग्घ/द्ध/घ]
घाम	घम्म	घम
घाड़ी	घाड़ी	घाटी
घनी	घणिअ	घनिक
आधा	अद्धअ	अधक

हिंदी	म भा आ	प्रा भा आ
दूध	दुग्ध	दुग्ध
गीध	गिद्ध	गध
बधा (हुआ)	बधिअ	बद्ध

'न'—प्राचीन भारतीय आय भाषा के न, ण, ल, तथा ज से इसकी उत्पत्ति हुई है।

हिंदी	म भा आ	प्रा भा आ
[न]	[ण]	[न]
नाक	णक्क	नक्य
निबटना	णिवट्टण	निबनन
नारगी	णारगिआ	नारङ्गिका
[न]	[ण]	[ण]
कान	कण्ण	कण
कनेर	कण्णिआर	कणिकार
नितारना	णित्थारणा	निस्तारणा
[न]	[ल]	[ल]
नोन	लोन/लूण	लवण
नोचा (हुआ)	लुचिअ	लुञ्चित
[न]	[ण]	[ज]
नैहर	णाइहर	णातिगह
आन (महादेवजी की)	आणा	आजा

आन आदि के अथ म)

'प'—प्राचीन भारतीय आय भाषा के असयुक्त एव समुक्त प से इसका विकास हुआ है। संस्कृत के 'त्व' के लिए भी पण का प्रयोग 'त से 'प का विकास सूचित करता है।

हिंदी	म भा आ	प्रा भा आ
[प]	[प्प]	[प त्प प्र म्प, प]
पका	पक्कअ	पक्कव
पाँख	पक्ख	पक्ष
उपल	उप्पल	उत्पल
पैर	पय्यर	प्रदर
काप(ना)	कप	कम्प
साँप	सप्प	सप
खप्पर	खप्पर	क्पर

फ'—इसकी उत्पत्ति भी प्राचीन भारतीय आय भाषाओं के असयुक्त और सयुक्त 'फ' से हुई है।

हिंदी	म भा आ	प्रा भा आ
[फ]	[फ]	[फ स्फ प]
फाग	फगु	फल्गु
फूल	फुरल	फुल्ल
फूकाड़	फुक्कार	फूत्कार
फोड़(ना)	फोड़	स्फोट
फूट(ना)	फुट्ट	स्फुट
फरशा	फरसु	परशु

ब'—इसका विकास मध्यकालीन भारतीय आय भाषा के ब व वृ से हुआ है।

हिंदी	म भा आ	प्रा भा आ
[ब]	[ब]	[ब]
बेर	बयर	बदरी
बाँझ	बझा	बघ्या
बहरा	बहिरा	बधिरक
[व]	[व]	[व]
बाँदर	वाणर	वानर
बनिषा	वणिअ	वणिक
बड़	वड	वट
[बृ]	[बृ]	[बृ]
घरवार	घरवार	गृहद्वार
बारह	वारह	द्वादश

भ'—इसका विकास सयुक्त और असयुक्त भ से हुआ है। डॉ. तिवारी ने 'म, व से भी इसकी उत्पत्ति प्रदर्शित की है, यथा—भेप>वेप>भस>महिष'।

हिंदी	म भा आ	प्रा भा आ
[भ]	[भ]	[भ भ्य]
भीत	भित्ति	भित्ति
भोज	भुज्ज	भूज
भडार	भडाआर	भाण्डागार
भीतर	भितर	आभ्यन्तर

‘म्’—असंगुण और गगुण म स हिन्दी म् म् यु पत्र हुआ है।

हिन्दी	म भा आ	प्रा भा आ
[म्]	[म्/म्]	[म् म अ इम् म्]
मीत	मित	मित्र
माह (उड़ने की दास)	मास	माघ
घाम	धम्म	धम
काम	कम्म	कम
आम	आम्म	आम
राम	रम्म	राम
मसात	मसाण	मसान

य’—प्राचीन भारतीय आय भाषा की य ध्वनि हिन्दी तक आते आते ज रूप में उच्चरित होने लग गई। कुछ तदभव शब्दों में ही इसका रूप देखने को मिलता है। पर उद्भवत स्वरो के साथ आई हुई य ध्वनि लगभग हिन्दी में मुरझित है यथा—लिये पाया गया, अधियारा आदि।

र’—इस ध्वनि का विकास प्राचीन भारतीय आय भाषाओं के र’ से हुआ है। सभ्यतावाचक शब्दों में प्राप्त र की युत्पत्ति के लिए स्पष्ट रूप में कुछ कहना स्वतरे से खाली नहीं है।

हिन्दी	म भा आ	प्रा भा आ
[र]	[र]	[र]
रात	रति	रात्रि
रूपया	रूपय	रूप्यक
रोस	रास	रोष
गहरा	गहिरअ	गभीरव
कवारी	कुआरी	कुमारी

ल’—इसका विकास ल ड र’ तीन ध्वनियों से हुआ है।

हिन्दी	म भा आ	प्रा भा आ
[ल]	[ल]	[ल]
लौंग	लउग/लवग	लवग
लगूर	णागूल	लाङ्गूल
लास	लास्स/लास	लास्य
[ल]	[ल]	[ड]
सोलह	साडस	पोडश
[ल]	[ल]	[र]
चालीस	चालीस	चत्वारिंशत्
रेखा	लेखा/लेहा	रेखा
टल (ना)	टल (इ)	तर

'व'—इसका विकास प्राचीन भारतीय आय भाषा के व तथा म् से हुआ है किंतु साहित्यिक हिंदी म म स व्युत्पन्न शब्दों के प्रयोग का प्रचलन नहीं के बराबर है। उन शब्दों के स्थान पर प्रायः तत्सम शब्दों का प्रयोग अधिक मिलता है। वैसे प्रायः देखा यह जाता है कि कतिपय स्थलों को छोड़कर अधिकांश लोग (विद्वान भी) 'व' का उच्चारण 'ब' सदृश ही करते हैं। कुमार शब्द से बना कँवर तथा कमल से बने कवल का प्रयोग प्रायः नहीं के बराबर है। संस्कृत वन का अच्छे अच्छे विद्वान वन ही कहते सुने जाते हैं। अतः कहा जा सकता है कि व की स्थिति अभी अस्थिर सी ही है।

'स'—हिंदी भाषा में लिखने में श प स तीन का ही प्रयोग दवा जाता है, पर उच्चारण में केवल श म अवशिष्ट हैं। प् का उच्चारण प्रायः श की तरह किया जाता है। श का लेखन एव उच्चारण बस केवल तत्सम शब्दों में ही लेखने को मिलता है। अतः कहा जा सकता है कि हिंदी में स ध्वनि ही उत्पत्ति की दृष्टि से अपना महत्त्व रखती है। इसका विकास असंयुक्त एव समुक्त श प स से सम्पन्न हुआ है।

हिंदी	म भा आ	प्रा भा आ
[स]	[स]	[श, श्व, श्व]
दस	दस	दश
सौ/स	सअ	शन
पास	पस्स	पाश्व
परमेश्वर	×	परमेश्वर
[स]	[स]	[प प]
कसनी	कस्सणी	कषणी
पूस	पोग	पोप
[म]	[स]	[स स्य]
सात	सत्त	सप्त
साँप	सप्प	सप
हास	हस्स	हास्य

'ह'—ह ध्वनि का विकास प्राचीन भारतीय आय भाषा ह श स घ थ घ तथा भ से हुआ है।

हिंदी	म भा आ	प्रा भा आ
[ह]	[ह]	[ह]
हाय	हत्थ	हस्त
हरि	हरि	हरि
हास	हस्स	हास्य

हिंदी	म भा आ	प्रा भा आ
हिगलू	हिगुल	हिङ्गुल
[ह]	[ह]	[श]
वारह	वारह	द्वादश
तेरह	तेरह	त्रयोदश
[ह]	[ह]	[ख घ, य, ध, भ]
सहली	सही + ली	सखी
नूह	णह	नख
रहट	रहट्ट	अरषट्ट
नाह	णाह	नाय
सौह	सवह/सउह	शपय
बहू	बहू	वधू
वीरवहूटिका	वीरवधूटिका	वीरवधूटिका
अहीर	आहीर	आभीर
हुआ	हूआ	भूत

हिंदी भाषा को स्वरूप निर्मात्रो प्रवर्तितो—जैसाकि पूर्व पृष्ठो म देस चुके हैं, हिंदी भाषा का स्वरूप निर्माण ईसा की आठवीं-नवीं शताब्दी से प्रारम्भ हो गया था फिर भी उसका स्पष्ट रूप हम वारहवीं-तेरहवीं शताब्दी के आस पास से मियां अमीर सुसरो और कबीर के साहित्य में देखने को मिलता है पर इसके तुरंत बाद हिंदी साहित्य के सिंहासन पर ब्रजभाषा की आसीन करा गया और सड़ी बोली केवल एक प्रदेश विशेष की ही बोली बन कर रह गई। इसके कुछ समय पश्चात् यह मुमसमान सोगा के साथ दक्षिण में बसी गई और वहाँ पर रहना के नाम से पलती रही और फिर साहित्य में उर्दू के नाम से प्रादुर्भूत हुई। जब यन् 'उर्दू' के नाम से प्रख्यात हुई उस समय इसका स्वरूप अरबी फारसी की शब्दावली से इतना आवृत्त हो गया था कि हा धीरे-धीरे वमा की यह कहना पडा कि सड़ी बोली न जब बुर्जा पहन लिया तो उर्दू बहसाई। इपर विग्रम का उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरायण में, अथवा या कहिए कि अन्तिम वर्षों में उत्तर भारत की इन समय भाषा की आर विद्वाना का ध्यान आकृष्ट हुआ और इन साहित्यिक सिंहासन पर आसक्त करन का उद्यम इन्होंने प्रारम्भ किया।

विग्रम की बीसवां शताब्दी भारत के सांस्कृतिक, सामाजिक एवं राज नीतिक उत्थान की शताब्दी है। इसी मनी में राजा राममोहन राय के शवचन्द्र मन, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर जैन ममात्र मुपारक बगाम में और स्वामी दयानन्द मरस्वती जन प्रकाशक पण्डित एवं मनीषी पुत्रराज में अवनति हुए और इन्होंने

क्रमशः ब्रह्मसमाज एवं आयसमाज की स्थापना की, जिसके माध्यम से विस्मृत जनता को उनके गौरवमय अतीत का प्रत्यभिज्ञान कराना ही इनका परमोद्देश्य था। अतः संस्कृत भाषा व अध्ययन और अध्यापन का कार्य तीव्रता के साथ प्रारम्भ हुआ। इधर शृंगार की रसिकता से आलिप्त ब्रजभाषा को आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी ने, साहित्य के आसन से व्युत्थ कर खड़ी बोली का साहित्याभियेक किया। खड़ी बोली को साहित्य की भाषा बनाने का एकमात्र उद्देश्य था—सोयी हुई जनता को जगाना क्योंकि खड़ी बोली में पौरुष की झलक थी और मानव हृदय की शिथिल तन्त्रियों को झकृत करने की शक्ति। अतीत के प्रति आस्था न खड़ी बोली के कोप को संस्कृत शब्दावली से आपूरित कर दिया और परिणाम स्वरूप आज की साहित्यिक हिन्दी में ७५% तत्सम शब्द आ गये। बुद्धिजीवी वर्ग की इस संस्कृत प्रियता का प्रभाव जनसाधारण पर भी पड़ा और ये लोग अपने प्रतिदिन के जीवन में संस्कृत शब्दावली का प्रयोग करने में गौरव का अनुभव करने लगे। यह बात दूसरी है कि वे लोग अपनी अनता अथवा अशिक्षा के कारण उन शब्दों का शुद्ध उच्चारण नहीं कर पा रहे थे। परिणामतः हिन्दी आदि आधुनिक भाषाओं में इस प्रकार की शब्दावली का भी जाने अनजाने में प्रवेश होने लगा और विद्वानों ने इन्हें अथ तत्सम शब्द कहा। कुछ अथ तत्सम शब्द सीधे प्राकृत से भी इन भाषाओं में आये हैं परन्तु बाह्य रूप प्रथम प्रकार की शब्दावली का ही है। इस विवेचन से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हिन्दी भाषा को विकसित करने में हमारी सांस्कृतिक पुनरुत्थान की प्रवृत्ति भी सत्रिय रही है।

सांस्कृतिक पुनरुत्थान की प्रवृत्ति ने संस्कृत भाषा के प्रति जो अनुराग की भावना जागरित की, उसका प्रभाव भाषा पर भी पड़ा और उसके दो परिणाम हमारे सामने आये—(१) व्यञ्जन ध्वनियों के प्रति अनुराग। (२) पास-पास में आये स्वरों का ममीकरण। यदि अथ तत्सम शब्दावली का हमें सूक्ष्म अध्ययन करें तो प्रतीत होगा कि उनमें स्वरों के लोप, आगम आदि तो हुए पर व्यञ्जन ध्वनियों को सुरक्षित रखा गया, यथा—तीक्ष्ण शब्द लीजिये। प्राकृत भाषा के नियमों के अनुसार तीक्ष्ण > तीक्ष्ण > तीक्ष्ण बनना चाहिए पर इमका तिलिण रूप भी हिन्दी में प्रचलित हो गया। इसी प्रकार चन्द्र शब्द का चाँद और इन्द्र का इन्द/इन्द बनना चाहिए पर प्रयुक्त होते हैं चन्दर इन्दर आदि। कृष्ण शब्द का किशन पर्याप्त मात्रा में प्रचलित है। बरसा विसणु, मुरसती आदि अनेक शब्द उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

संस्कृत भाषा में व्यञ्जनों की सुरक्षित रखने तथा दो स्वरों को साथ-साथ न आने देने की प्रवृत्ति इस भाषा की सचनान प्रवृत्ति है। यद्यपि संस्कृत-प्रियता की इस प्रवृत्ति का उद्देश्य तो मुगल शासनकाल से ही प्रारम्भ हो गया

था, क्याकि यह काल भी सांस्कृतिक सघन का काल कहा जा सकता है तथापि इसकी दुर्बलता यह रही कि राजनैतिक दृष्टि से हम अति शीघ्र ही घराशाही हो गए और यह प्रवृत्ति जनसाधारण तक न पहुंच सकी। फलतः उदीयमान भाषाओं पर जो उचित प्रभाव उस समय पड़ना चाहिए था, वह नहीं पड़ सका। बीसवीं शताब्दी की कहानी इससे पूर्णतः भिन्न रही। एक तरफ साहित्यकार एवं समाज सुधारक सांस्कृतिक पुनरुत्थान में तल्लीन थे दूसरी ओर बालगंगाधर तिलक और महात्मा गांधी जैसे महापुरुष पूर्ण स्वराज्य की मांग प्रस्तुत कर रहे थे। उस युग में और इस युग जो सद्भातिक अंतर था, वह यह था कि मध्यकाल धार्मिक सघन का युग था और उसके प्रतिनिधि थे केवल आभिजात्य वर्ग के लोग, जो जनसाधारण को स्वयं कोई महत्त्व देने का तयार न थे परन्तु इस युग के महापुरुष समस्त जनता में एक नई चेतना की लहर दौड़ा देना चाहते थे। प्रत्येक व्यक्ति को समान स्तर पर ले आना चाहते थे। संक्षेप में कहा जा सकता है कि हम समस्त दबावों से मुक्त होना चाहते थे और इस मुक्ति का सबसे बड़ा अस्त्र था प्राचीन गौरव। उपरिर्कथित दोनों महापुरुष ससृष्ट प्रथो एवं उसकी ससृष्टि का लेकर ही आगे बढ़ रहे थे। गीता व प्रति इनकी श्रद्धा इसका सबल प्रमाण है। अतः सांस्कृतिक पुनरुत्थान की इस प्रवृत्ति को आधुनिक भाषाओं के ध्वनि विकास का मूल कारण कहा जा सकता है। इस प्रवृत्ति ने भाषा की ध्वनियां को विकसित करने की निम्न प्रणालियों को जन्म दिया—(१) द्वित्व को समाप्त करना, (क) पूर्व स्वर को दीर्घ बनाकर, (ख) बिना पूर्व स्वर को दीर्घ किये ही। (२) महाप्राण ध्वनियों की सुरक्षा (केवल उन भाषाओं में जो विशेषकर बीसवीं शताब्दी में अत्यधिक मात्रा में विकसित हुई)। (३) स्वरभक्ति (विशेषकर अधतत्सम शब्दावली में)। (४) समीकरण की प्रणाली। (५) विषय की प्रणाली।

हिन्दी भाषा का रूपात्मक विकास

प्राचीन भारत में भाषा-अध्ययन के प्रकार—नाम, भाष्यात, उपसर्ग, निपात—सज्ञा, यच्चन, लिङ्ग, कारक परसर्ग—सर्व नाम—विशेषण—भाष्यात—घातु—सिद्ध और साधित—अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणापक और नामघातुओं का विकास—काल विस्तार—कृदन्त काल और तिङन्त काल—पूर्वकालिक क्रियायें, क्रियात्मक सज्ञायें, सयुक्त क्रियायें, उपसर्ग से तात्पर्य, तदभव उपसर्ग—अव्यय—क्रिया विशेषण, और अन्य अव्यय ।

प्राचीन भारत में भाषा अध्ययन के प्रकार

प्राचीन भारत में भाषा के अध्ययन का तीन भागों में विभाजित किया गया था (१) शिक्षा (२) निरुक्त और (३) व्याकरण। शिक्षा में भाषा की ध्वनियाँ पर, निरुक्त में शब्दों की व्युत्पत्ति पर और व्याकरण में शब्द के रूपों पर विचार किया गया है। आज की पद्धति के अनुसार शिक्षा का ध्वनि विज्ञान, निरुक्त को व्युत्पत्ति विज्ञान और व्याकरण को रूप विज्ञान की संज्ञा दी जा सकती है। भाषा के रूपात्मक अध्ययन में उसके प्रकृति और प्रत्यय का, अथवा यों कहिये कि उसके अथतत्त्वों एवं सम्बन्धतत्त्वों का अध्ययन प्रस्तुत किया जाता है। इन्हीं तत्त्वों का संयोग और वियोग भाषा के रूप का निर्माण करता है। किन्हीं भाषाओं में दोनों तत्त्व मिले हुए होते हैं और किन्हीं में ये पथक पथक रहते हैं अथवा कुछ सम्बन्धतत्त्व अथतत्त्व से मिल जाते हैं कुछ पथक ही रहते हैं। इन सब बातों एवं इनके कारणों का विश्लेषण करना ही भाषा का रूपात्मक अध्ययन होता है। इसे दो रूपों में प्रस्तुत किया जाता है (१) विश्लेषण और (२) विकास। विश्लेषण में आलोच्य भाषा के उक्त तत्त्वों की उस भाषा में क्या स्थिति है? उनका पारस्परिक सम्बन्ध तथा उनके स्थान का विवेचन प्रस्तुत किया जाता है। विकास में इन तत्त्वों के मूल रूपों का अध्ययन कर यह भी देखा जाता है कि इन्हें प्रस्तुत रूप में स्थिति एवं स्थान प्राप्त करने में कितने उत्थान पतन का साम्मुख्य करना पड़ा है। प्रस्तुत अध्ययन में हम हिन्दी भाषा के रूप का इन दोनों दृष्टिकोणों से ही विवेचन प्रस्तुत करने का प्रयत्न करेंगे।

महर्षि यास्क ने समस्त शब्दों को चार भागों में विभाजित किया है, यथा—नामाख्याते चोपसगनिपाताश्च अथात् (१) नाम (२) आख्यात, (३) उपसग, और (४) निपात। नाम के अन्तर्गत तीन प्रकार के शब्दों की गणना की जाती है—(१) संज्ञा (२) संज्ञानाम, और (३) विशेषण। आख्यात के अन्तर्गत क्रियापद आते हैं। उपसग शब्द के आदि में लग कर अर्थ में परिवर्तन प्रस्तुत करते हैं। निपात के अन्तर्गत अव्यय शब्द लिये जाते हैं। नाम के अन्तर्गत शब्द के दो रूप बनाये गये हैं—(१) प्रातिपदिक और (२) पद। प्रातिपदिक वे शब्द होते हैं जो अथवान् हैं, पर न धातु हैं और न प्रत्यय। इसके साथ माय वृद्धत तद्धितान्त तथा समन्त (समास युक्त) शब्द भी प्रातिपदिक ही होते हैं। महामुनि पाणिनि ने इसके लिए दो सूत्र प्रस्तुत किये हैं—(१) अथवदधातुरप्रत्यय

प्रातिपत्तिकम् ।^१ (२) वृत्तादिगमागाद्यम् ।^२ भाषुनिकं लसी म प्रातिपत्तिकं
को अपाहरं कहा जा सकता है। पर उस कहते हैं जब प्रातिपत्तिक व साय
गुप् (विभक्ति प्रत्यय) प्रत्यय जोड़ दिए जाते हैं। इसी प्रकार धातु व
साय गि प्रत्यय जोड़ देना पर धातु की भी पर गता हो जाती है।^३
पूर्व हिन्दी प्रयोगात्मक भाषा है इसलिए हममें पर का यही व्यवस्था
गयी है जमी सस्कृत भाषा में। अतः हममें गभी व लिए शब्द शब्द का प्रयोग
किया जाता है। ताम शब्द का प्रयोग तीन वचना तीन लिङ्गा एव आठ
कारका में किया जाता है। सज्ञा शब्द में प्रत्यय शब्द का लिङ्ग विभक्ति है,
यथा—देव (पुल्लिङ्ग) सज्ञा (स्त्रीलिङ्ग) फल (नपुंसकलिङ्ग) प्रत्यय
लिङ्ग व शब्द एकवचन द्विवचन और बहुवचन में यथास्थिति प्रयुक्त होत है।
आठ कारका में भिन्न भिन्न विभक्ति प्रत्ययों व सहयोग से इनका रूप निर्माण
होता है और प्रत्यय कारक तीन वचना में प्रयुक्त होता है। इस प्रकार एव
शब्द के कुल मिलाकर '२४' रूप बनते हैं। सवनाम एव विशेषण शब्दों की
स्थिति इनसे कुछ भिन्न है। अस्मद् तथा युष्मद् साय नाम शब्दों को छोड़कर जो
तीनों लिङ्गा में समान रूप रहते हैं, शेष सवनाम एव विशेषण शब्दों की
अर्थात् एक शब्द के रूप पुल्लिङ्ग स्त्रीलिङ्ग और नपुंसकलिङ्ग तीनों लिङ्गा में
चलते हैं यथा तद् शब्द लीजिये—

	एकवचन	द्विवचन	बहुवचन
पुल्लिङ्ग—कर्ताकारक	स	तो	ते
स्त्रीलिङ्ग—कर्ताकारक	सा	ते	ता
नपुंसकलिङ्ग—कर्ताकारक	तत	ते	तानि

इसी प्रकार सस्कृत में विशेषण शब्दों का लिङ्ग और वचन विशेष्य के
अनुसार चलता है।

उपयुक्त विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि नाम शीपक
के अंतगत (१) वचन, (२) लिङ्ग, और (३) कारको का अध्ययन भी
अपेक्षित है।

सज्ञा—सज्ञा शब्द किसी व्यक्ति जाति और उनके समूह तथा भाव का
घोटन कराते हैं। प्राचीन भारतीय आय भाषाभाषा में सज्ञा शब्द दो रूपों में
उपलब्ध होते हैं, एक तो स्वरात्त और दूसरे व्यञ्जनात्त। मध्यकालीन
भाषाओं में, जसा कि पहले बताया जा चुका है, स्वरो के प्रति अनुराग और

^१ जप्ताध्यायी १/२/४५।

^२ वही, १/२/४६।

^३ मुत्तिङ्गत्त पदम्—पाणिनि अष्टाध्यायी १/४/१४।

व्यञ्जना के प्रति विरक्ति का भाव आ गया था इसलिए केवल स्वरान्त प्रातिपदिक ही मिलते हैं। इन भाषाओं ने संस्कृत प्रातिपदिकों के अर्य-व्यञ्जन का लोप कर अथवा उनमें स्वर का आगम कर सभी प्रातिपदिकों को स्वरान्त बना डाला। यह स्थिति अपभ्रंश काल के अन्तिम समय तक प्रचलन में रही, परन्तु आधुनिक भारतीय आय भाषाओं में पुनः व्यञ्जन प्रियता का उभय हुआ और पदान्त स्वर (अ) के लोप की प्रवृत्ति चल पड़ी। यद्यपि लेखन में अभी इस प्रवृत्ति के दशन नहीं हुए हैं किन्तु उच्चारण एवं प्रयोग से इसकी पुष्टि भली प्रकार हो रही है और हिंदी भाषा को इनकी अग्रणी कहा जा सकता है। अतः हिंदी के प्रातिपदिकों को भी दो भागों में बाँटा जा सकता है (१) स्वरान्त और (२) व्यञ्जनांत। अकारान्त शब्दों (लेखन में) को छोड़कर अर्य समस्त शब्द स्वरान्त कहे जा सकते हैं, यथा—

(१) स्वरान्त शब्द

आकारान्त—घोड़ा, माता, पिता, कुल्हाड़ा, जनता आदि।

इकारान्त—भक्ति, शक्ति, रीति, नीति आदि (इकारान्त शब्द प्रायः तत्सम ही मिलते हैं)।

ईकारान्त—चाची, चक्की, गड़ी, रानी, दही, मयानी आदि।

उकारान्त—धेनु, भानु आदि (उकारान्त शब्द भी प्रायः तत्सम ही मिलते हैं)।

ऊकारान्त—कालू, थगडाल, नक्कू, उल्लू आदि।

एकारान्त—चौदे, पाण्डे, दुबे आदि।

सूचना—ऐकारान्त, ओकारान्त शब्दों का प्रायः अभाव सा ही है। हा कतिपय शब्द, जैसे क (वसन) प्यानी (अप्रेजी शब्द) आदि दशज और विदेशज शब्दों का प्रयोग अवश्य देखने में आता है।

ओकारान्त—जो, सो, वो आदि कुछ शब्द ही मिलते हैं।

(२) व्यञ्जनांत शब्द

हिंदी के समस्त अकारान्त शब्द व्यञ्जनांत कहे जा सकते हैं, यथा—
नाक, राज, साग, बाध, छाछ, आँच आदि।

वचन—प्राचीन भारतीय आय भाषाओं में तीन वचनों का प्रयोग मिलता है। प्राचीन समय में दो सख्याओं को बहुवचन कथो नहीं माना जाता था और तीन सख्या से ही बहुवचन का प्रारम्भ कथो होता था? इस पर अभी तक विद्वानों का ध्यान सम्भवतः नहीं गया है। यह त्रिपथ अवश्य ही विचारणीय है। इसके पीछे अवश्य कोई रहस्य रहा होगा जो अभी तक हमारी दृष्टि से

अलक्षित है। मध्यकाल में आते-आते द्विवचन का अस्तित्व समाप्त हो गया और केवल 'एकवचन और बहुवचन' दो वचन ही शेष रह गये। हिन्दी भाषा ने मध्यकालीन भाषाओं का ही अनुसरण कर दो वचनों (एकवचन, बहुवचन) की स्थिति को ही बनाये रखा। वचना के क्षेत्र में एक बात और विचारणीय है। प्राचीन काल में कुछ मात्रा में मध्यकाल में भी वचना का भाग्य विभक्ति प्रत्ययों के साथ अधिक जुड़ा हुआ था, यथा—कर्ता कारक के बहुवचन का रूप कुछ और होता था और कम कारक का कुछ और। हाँ! सम्प्रदान और अपादान कारकों में अवश्य ही इनका रूप समान रहता था। प्राकृतों में यह केवल तीन वर्गों में विभाजित हो गया और हिन्दी तक आते-आते वचन' ने अपना रूप स्थिर कर लिया और कुछ ऐसे प्रत्ययों का निर्माण हो गया, जो प्रत्येक कारक में उपस्थित रहने लगे। संक्षेप में कह सकते हैं कि 'वचन ने सरलीकृत रूप धारण कर लिया।

प्राचीन भारतीय आय भाषाओं के वचनों की कुल मिलाकर २० की औसत निकाली जा सकती है जो घिसती पिटती आधुनिक भारतीय आय भाषाओं तक ४/५ तक ही रह गई। हिन्दी इसमें सब से सरल है। हिन्दी में वचन सूचक केवल पाँच प्रत्यय हैं जिनका प्रयोग भी अत्यन्त सरल है। वचन के दो रूप हैं एक ऋजु और दूसरा तियक। इन दोनों आधारों पर इन प्रत्ययों का प्रयोग निम्न प्रकार से हो सकता है—

प्रातिपदिक	ऋजु रूप		तियक रूप	
	एकवचन	बहुवचन	एकवचन	बहुवचन
आकारात् } पुल्लिङ्ग	शूय	ए	ए	आ (अत्य आ' का लोप हो जाता है)
ईकारात् पुल्लिङ्ग	शूय	शूय	शय	यो
स्वरात् व यञ्जनात् (पुल्लिङ्ग)	शूय	शूय	शूय	ओ (अत्य आ का लोप हो जाता है)

सूचना—इकारात् और उकारात् प्रातिपदिक जब बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं तब अमश इकारात् और उकारात् हो जाते हैं, यथा—हाथी का 'हाथियों' (व व) उल्लू का उल्लुओं आदि। स्त्रीलिङ्ग में भी यही नियम लागू होता है।

प्रातिपदिक

ऋजु रूप

तियक रूप

एकवचन

बहुवचन

एकवचन

बहुवचन

इकारान्त, ईका

रात—स्त्रीलिङ्ग

शून्य

याँ

शून्य

यों

ऐकारान्त ओका

रात—स्त्रीलिङ्ग

शून्य

शून्य

शून्य

ओं

शेष स्वरांत—

स्त्रीलिङ्ग

शून्य

एँ

शून्य

ओं

पञ्जनांत—

स्त्रीलिङ्ग

शून्य

ए

शून्य

ओं(अ लोप)

(अ लोपहो जाता है
लेखन के अनुसार)

उपर्युक्त चक्र को दृष्टि में रखते हुए विशुद्ध भाषा वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार हम कह सकते हैं कि हिन्दी में केवल पाँच प्रत्यय वचन सूचक हैं, यथा—(१) ण (२) एँ, (३) आ (४) ओ (५) ए/य श्रुति का आगम प्रातिपदिक में वर्तमान ई ई के कारण हो जाने से इनमें यो, या दिखने लगते हैं और इसी आधार पर इहे पाँच कहा गया है।

प्रत्ययों का विकास—एकवचन का सूचक प्रत्यय केवल 'ए' है जो तियक रूप में प्रयुक्त होता है और शेष शून्य प्रत्यय होते हैं।

शून्य प्रत्यय—प्राचीन भारतीय आय भाषा के 'सु' प्रत्यय से इसका विकास हुआ है। प्राचीन भारतीय आय भाषा में कर्ता कारक एकवचन में 'सु' की विसर्ग हो जाती है। यही विसर्ग प्राकृत काल में ओ और अपभ्रंश काल में 'उ' के रूप में सामने आती है। आधुनिक भारतीय आय भाषाओं में पदांत स्वर लोप के नियम के अधीन 'उ' का लोप कर दिया जाता है और इस प्रकार शून्य प्रत्यय निष्पन्न होता है। वैसे कर्ता कारक एकवचन में व्यञ्जनांत शब्दों में तथा आकारान्त और ईकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दों में शून्य प्रत्यय का प्रारम्भ हो गया था, जो अपभ्रंश काल में आकर अपनी चरम परिणति में दृष्टिगत होता है। आधुनिक भारतीय आय भाषाओं में विशेषकर हिन्दी में प्रायः सभी प्रातिपदिकों और कारकों के एकवचन में शून्य प्रत्यय का प्रयोग इस प्रवृत्ति की लोक प्रियता का सूचक है।

'ए'—हिन्दी में आकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दों के एकवचन में तियक रूप के लिए 'ए' प्रत्यय का प्रयोग मिलता है। इसकी व्युत्पत्ति विद्वान लोग सप्तमी

के सवनाम रूप 'स्मिन्' से मानते हैं। मध्यकालीन भारतीय आय भाषा काल में 'कर्म, सम्प्रदान, अपादान तथा अधिकरण' आदि कारकों में 'हि' का प्रयोग होने लगा था। आगे चल कर 'ह' लोप की प्रवृत्ति ने अकारान्त शब्दों के साथ 'इ' का प्रयोग ही प्रारम्भ कर दिया और यही 'अइ' आगे चल कर 'ए' प्रत्यय के रूप में सामने आया, यथा—स्मिन् > हि/हि > इ > अ + इ = ए। बहुवचन प्रत्यय

'ए'—इस प्रत्यय का विकास नपुंसक रूप 'आनि (कर्ता कर्म बहुवचन) से हुआ है, यथा—(स) आनि > म भा आ आइ > हि ए।

'आ'—इसका विकास भी नपुंसक लिङ्ग के बहुवचन रूप 'आनि' से हुआ है। (स) आनि > (म भा आ) आइ > (हि) आ।

'ओ'—इसका विकास संस्कृत सम्बंध कारक बहुवचन के प्रत्यय 'आनाम्' से बताया जाता है। मध्यकालीन भारतीय आय भाषाओं को इसके धिसे हुए रूप के साथ 'हु' भी लगाया जाने लगा और इस प्रकार हिन्दी का ओ प्रत्यय सामने आया, यथा—

(स) आनाम् > (म भा आ) आन > आण + हु > अउ > (हि) ओ।

'ए'—इस प्रत्यय के विकास में विद्वांसों का मतभेद है। हानले ने विकारी एकवचन के प्रत्यय 'ए' का ही बहुवचन में प्रयुक्त माना है, परंतु डा. चाटुर्ज्या इसकी 'युत्पत्ति' करण कारक के बहुवचन प्रत्यय 'एभि' से करते हैं यथा—

(स) एभि > (म भा आ) अहि/अही > (अप) अइ > (हि) ए।

'लिङ्ग'—प्राचीन भारतीय आय भाषाओं में तीन लिङ्ग पाये जाते हैं, (१) पुल्लिङ्ग (२) स्त्रीलिङ्ग और (३) नपुंसकलिङ्ग। मध्यकालीन भारतीय आय भाषाओं में भी तीन ही लिङ्ग हैं, परंतु ऐसा लगता है कि अपभ्रंश काल तक आते आते लिङ्ग व्यवस्था कुछ शिथिल हो गई थी। प्रसिद्ध वैयकरण हेमचंद्र ने इसका संकेत दिया है।^४ अपभ्रंश में पुल्लिङ्ग शब्दों का प्रयोग नपुंसकलिङ्ग और स्त्रीलिङ्ग में होने लगा था और इन लिङ्गों का पुल्लिङ्ग में। इस प्रकार कुछ आपसी घोल-मेल होने लग गया था इस पारस्परिक मिश्रण ने ही सम्भवतः नपुंसकलिङ्ग की जड़ें हिला दीं और गुजराती मराठी आदि भाषाओं को छोड़ कर शेष आधुनिक भारतीय आय भाषाओं में नपुंसकलिङ्ग का पत्ला छाड़ दिया। हिन्दी में केवल दो लिङ्ग हैं—

(१) पुल्लिङ्ग और (२) स्त्रीलिङ्ग।

^४ लिङ्गमतत्रय हेमचंद्रानुशासन सूत्र सरयो ४८५।

हिन्दी भाषा की लिङ्ग व्यवस्था को लेकर विद्वत्समाज में बड़ी आलोचना एवं प्रत्यालोचना होती है। उनका कहना है कि हिन्दी की लिङ्ग व्यवस्था ठीक नहीं है। इसमें एक शब्द पुल्लिङ्ग है और उसका पर्यायवाची दूसरा शब्द स्त्रीलिङ्ग। इसी प्रकार समान घम का सूचक एक शब्द पुल्लिङ्ग और दूसरा स्त्रीलिङ्ग। साथ ही यह भी कहना है कि हिन्दी की क्रियाओं में भी लिङ्ग घुसा हुआ है। अथ भाषाओं में ऐसा नहीं है। इन तीनों तर्कों को यदि हम युक्ति की कसीटी पर बसते हैं तो खरे नहीं उतरते। कारण स्पष्ट है कि ये तक अध्ययन के आधार पर नहीं, बल्कि हिन्दी भाषा का मजाक उड़ाने के लिये कहे जाते हैं। इससे पूर्व कि इन तर्कों का उत्तर दिया जाय, एक बात स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि 'लिङ्ग' का अर्थ होता है चिह्न। इन चिह्नों का निर्धारण दो प्रकार से होता है एक प्रवृत्ति के द्वारा और दूसरा व्याकरण के द्वारा। पहले को लौकिक लिङ्ग व्यवस्था और दूसरे को 'व्याकरणिक लिङ्ग व्यवस्था' कहते हैं। लोक के अनुसार पुंन्य चिह्नों से युक्त चेतन तत्त्व पुल्लिङ्ग और स्त्री चिह्नों से युक्त चेतन तत्त्व स्त्रीलिङ्ग और अचेतन पदार्थ नपुंसक लिङ्ग होता है। लेकिन भाषाएँ इस व्यवस्था से निर्देशित नहीं हो सकतीं। अतः उसमें व्याकरणिक लिङ्ग व्यवस्था को महत्त्व मिलता है। व्याकरण लोक व्यवस्था को दृष्टि में रखता हुआ अथ दूसरे उपादानों से भी संचालित होता है यथा—(१) व्याकरणिक प्रत्यय (२) वस्तुओं का घम (३) अथ भाषाओं का प्रभाव। इन सब का सम्यक ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात् भी यदि भाषा में लिङ्ग निर्धारण ठीक नहीं बैठता है तो कहा जा सकता है कि अमुक भाषा में कहीं न कहीं कोई न कोई अव्यवस्था है। हिन्दी भाषा के लिये कहा जा सकता है कि इसमें कहीं पर लिङ्ग व्यवस्था दूषित नहीं है।

अब उपर्युक्त तर्कों पर विचार कीजिये कि वे कहाँ तक युक्तिसंगत हैं। दो शब्द हैं एक पुस्तकम् और दूसरा 'ग्रन्थ'। एक नपुंसक लिङ्ग है दूसरा पुल्लिङ्ग। क्या कारण है कि एक ही अर्थ को यथत करने वाले ये दो शब्द भिन्न लिङ्गी हैं। उत्तर स्पष्ट है कि प्रथम म वन प्रत्यय लगा है जो नपुंसक लिङ्ग शब्दों का भी निर्माण करता है और दूसरे में घञ् प्रत्यय है, जो पुल्लिङ्ग शब्दों का निर्माण करता है और यही कारण है कि दोनों शब्दों का एक अर्थ होते हुए भी लिङ्ग भिन्न भिन्न है। अब ये शब्द मजिल तय करते हुए हिन्दी में भी आए। 'ग्रन्थ' शब्द का लिङ्ग वहीं रहा, पर पुस्तक स्त्रीलिङ्ग बन बठी। संस्कृत में उक्त अर्थ के लिए एक शब्द और आता है और यह है पुस्ती, जिसे मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं ने 'पुष्ठी' रूप में स्वीकार किया और हिन्दी में 'पोथी' बना। उक्त शब्द संस्कृत में स्त्रीलिङ्ग था। अतः इसका तदभव रूप भी स्त्रीलिङ्ग ही रहा और इसके पश्चात् सांस्कृतिक

पुनरुत्थान ने 'पुस्तक' शब्द दिया तो हिन्दी में नपुंसक लिङ्ग के अभाव के कारण इसे पोथी के यहाँ आश्रय मिला और स्त्रीलिङ्ग बन बैठा। इसी प्रकार अय शब्द को भी समझा जा सकता है। यही स्थिति समानधर्मो शब्दों की भी है। जहाँ तक क्रियाओं में लिङ्ग व्यवस्था की बात है वह तो विल्कुल ही स्पष्ट है। हिन्दी भाषा सस्कृत भाषा का विकसित रूप है। सस्कृत में क्रियाओं के दो रूप प्रचलित थे एक तिङ्गत् और दूसरा कृदन्त। सस्कृत में तिङ्गत् रूपों के साथ लिङ्ग व्यवस्था नहीं है अर्थात् व सभी लिङ्गों में एकरूप रहते हैं यथा—स चलति सा चलति आदि। कृदन्त रूपों के साथ तिङ्ग व्यवस्था है यथा—तन खादित तथा पक्वालु (जालू की टिकिया) द्वाशा च (अगूर) खादिता। ठीक यही स्थिति हिन्दी की भी है। जो शब्द (क्रिया) तिङ्गत् रूपों से विकसित होकर आये हैं उनके लिए लिङ्ग का झगडा नहीं है और जो कृदन्तों से विकसित होकर आये हैं उनके लिए लिङ्ग का ध्यान रखना परमावश्यक है, यथा—सीता खाये, राम खाये। इनमें खाये क्रिया सस्कृत की खाद् घातु के विधिलिङ्ग का विकसित रूप है, अतः लिङ्ग की उल्लेख नहीं है। परन्तु जब हम कहते हैं सीता खाती है तो कहना पड़ेगा कि 'राम खाता है'। खाना क्रिया में लिङ्ग का निर्धारण कर्ता के अनुसार हो गया। कारण स्पष्ट है कि इसका विकास सस्कृत के शतृ प्रत्ययों से कृदन्त शब्दों से हुआ है। अब तुलना कीजिये—

हिन्दी	सस्कृत
सीता गाय	सीता खादेत्
राम खाये	राम खादत्
सीता गाती हुई है	सीता खात्ती अस्ति (यद्यपि अय में कुछ भिन्नता अवश्य रहेगी)

राम गाता हुआ है राम खात्न् अस्ति।

हिन्दी में लिंग निर्धारण की प्रणाली—हिन्दी भाषा में लिङ्ग निर्धारित करार के पूर्व हम उसके शब्दकोश पर विचार करना चाहिये। हिन्दी में मुख्यतः पाँच प्रकार के शब्द मिलते हैं—(१) तत्सम, (२) अपभ्रंश (३) तद्भव (४) देशज और (५) विदेशज—

- (क) अरबी फारसी, तुर्की
(ख) अफ़ेडी एवं पुनर्गामी।

(१) तत्सम शब्द—तत्सम शब्दों का लिङ्ग वही है जो उसका सस्कृत में था। केवल नपुंसक लिङ्ग शब्द हिन्दी में पुल्लिङ्ग हो गए हैं। कुछ नपुंसक लिङ्ग शब्द अवश्य एम हैं, जो हिन्दी में आकर स्त्रीलिङ्ग भी हुए हैं, जस—बम्बू शरण दपि आदि। इन परक्रमशः अन्य शब्दों का प्रभाव दिखाई देता है,

यथा—'वस्तु' पर 'चीज का, 'शरण पर 'पनाह का और 'दधि' के विकसित रूप दही पर 'छाछ' का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। अथवा सस्मृत तत्सम शब्दावली में प्राकृतिक लिङ्ग को छोड़कर आकारात् ईकारात्, 'वितन्' प्रत्ययान्त तथा 'ता' प्रत्ययात् शब्द हिंदी में स्त्रीलिङ्ग होंगे, शेष सब शब्द पुल्लिङ्ग। सस्मृत के 'घञ्' प्रत्ययात् तथा ल्यु (अन) प्रत्ययान्त शब्द पुल्लिङ्ग होंगे, यथा—हास नाश, लाभ, काल और करण मरण, तरण आदि।

अथ तत्सम शब्द—इन पर भी उपर्युक्त नियम ही लागू होगा, किन्तु तब तक, जब तक उनके साथ हिंदी का कोई श्रुत अथवा तद्धित प्रत्यय न लगाया गया हो, क्योंकि इन प्रत्ययों के लगने पर लिङ्ग परिवर्तन का अवसर उपस्थित हो सकता है। यथा—(स) चातुय (नपुंसक) (हि) चतुराई (स्त्रीलिङ्ग)। यहाँ पर हिंदी का तद्धित आई प्रत्यय लगने से उक्त शब्द स्त्रीलिङ्गवाची हो गया।

तदभव—तद्भव शब्दों ने [जहाँ तक अय भाषाओं का प्रभाव और हिंदी तदभव प्रत्ययों के योग से दूर रहे हैं वहाँ तब] अपने तत्सम रूपा के लिङ्गों को ही बनाये रखने का प्रयत्न किया है। हिंदी प्रत्ययों के अनुसार लिङ्ग व्यवस्था इस प्रकार हो सकती है—जिस शब्द के साथ तद्धित प्रत्यय पन, पाना अत इला, अन अता अवकड' आदि का प्रयोग होगा, वे पुल्लिङ्ग होंगे। इनके क्रमशः उदाहरण इस प्रकार हो सकते हैं, यथा—लडकपन बुढापन डकना, गढन्त रगीला चलन, उडता घुमक्कड आदि। इसी प्रकार जिन शब्दों के साथ, अती, ती, वट हट आई आरी, आल, आवनी, आस आदन, इन अक, इक, उक जी डी ती थी आदि प्रत्यय युक्त शब्द प्रायः स्त्रीलिङ्ग होंगे। ऐसे ही अय प्रत्ययों को भी लिङ्गानुसारी उपस्थित किया जा सकता है।

देशज/विदेशज—इन शब्दों का लिङ्ग भी इनकी मूल प्रवृत्ति के अनुसार ही हिंदी में अपनाया गया है। अय शब्दों के प्रभाव से युक्त शब्दों को छोड़ कर।

उपर्युक्त विवरण से इतना अवश्य स्पष्ट है कि हिंदी भाषा में अनेक स्रोतों से शब्दों का आगमन हुआ है और वे अपने साथ, रूप के साथ साथ अपने लिङ्ग और वचन भी लेकर आये और हिंदी भाषा ने अपनी उदारनीति के कारण उन्हें उसी रूप में स्वीकार भी कर लिया। अतः हिंदी भाषा के विद्यार्थियों को इन बातों का ध्यान भी रखना पड़ेगा।

स्त्रीलिङ्ग निर्माता प्रत्यय—स्त्रीलिङ्ग बनाने वाले केवल सात प्रत्यय हिंदी में पाये जाते हैं। (१) आ (२) ई (३) आनी, (४) नी (५) इन (६) आइन और (७) इया।

आ'—यह प्रत्यय अधिकतर तत्सम शब्दों में पाया जाता है। सस्मृत में

पुनरुत्थान ने 'पुस्तक' शब्द दिया तो हिन्दी में नपुंसक लिङ्ग के अभाव के कारण इसे 'पोथी' के यहाँ आश्रय मिला और स्त्रीलिङ्ग बन बैठा। इसी प्रकार अन्य शब्दों की भी समझा जा सकता है। यही स्थिति समानार्थी शब्दों की भी है। जहाँ तक क्रियाओं में लिङ्ग व्यवस्था की बात है यह तो विल्कुल ही स्पष्ट है। हिन्दी भाषा सस्कृत भाषा का विकसित रूप है। सस्कृत में क्रियाओं के दो रूप प्रचलित थे एक तिङन्त और दूसरा कृदन्त। सस्कृत में तिङन्त रूपों के साथ लिङ्ग व्यवस्था नहीं है अर्थात् वे सभी लिङ्गों में एकरूप रहते हैं यथा—स चलति सा चलति आदि। कृदन्त रूपों के साथ लिङ्ग व्यवस्था है, यथा—तेन खादित, तथा पक्वालु (आलू की टिकिया) द्राक्षा च (अगूर) खादिता। ठीक यही स्थिति हिन्दी की भी है। जो शब्द (क्रिया) तिङन्त रूपों से विकसित होकर आये हैं, उनके लिए लिङ्ग का झगडा नहीं है और जो कृदन्त से विकसित होकर आये हैं उनके लिए लिङ्ग का ध्यान रखना परमावश्यक है, यथा—सीता खाये राम खाये। इनमें 'खाये' क्रिया सस्कृत की 'खाद' धातु के विधिलिङ्ग का विकसित रूप है, अतः लिङ्ग की उलझन नहीं है। परन्तु जब हम कहते हैं सीता खाती है तो कहना पड़ेगा कि 'राम खाता है'। खाना क्रिया में लिङ्ग का निर्धारण कर्ता के अनुसार हो गया। कारण स्पष्ट है कि इसका विकास सस्कृत के शतृ प्रत्ययान्त कृदन्त खादन्त से हुआ है। अब तुलना कीजिये—

हिन्दी	सस्कृत
सीता खाये	सीता खादेत्
राम खाये	राम खादत्
सीता खाती हुई है	सीता खादती अस्ति (यद्यपि अयं भ्रष्ट भिन्नता अवश्य रहेगी)

राम खाता हुआ है राम खान् अस्ति।

हिन्दी में लिंग निर्धारण की प्रणाली—हिन्दी भाषा में लिङ्ग निर्धारित करने से पूर्व हम उसके शब्दकोश पर विचार करना चाहिये। हिन्दी में मुख्यतः पाँच प्रकार के शब्द मिलते हैं—(१) तत्सम (२) अथ तत्सम (३) तद्भव (४) देशज और (५) कर्षज—

(क) अरबी, फारसी, तुर्की

(ख) अफ़ेज़ी, फ़्रेंच पुनर्गामी।

(१) तत्सम शब्द—तत्सम शब्दों का लिङ्ग वही है जो उनका सस्कृत में था। कबल नपुंसक लिङ्ग शब्द हिन्दी में पुल्लिङ्ग हो गये हैं। कुछ नपुंसक लिङ्ग शब्द अवश्य ऐसे हैं जो हिन्दी में आकर स्त्रीलिङ्ग भी हुए हैं, जस—वस्तु शरण दधि आदि। इन पर क्रमशः अन्य शब्दों का प्रभाव निर्गमित हो रहा है

यथा—'वस्तु' पर 'चीड़' का, 'शरण' पर 'पनाह' का और 'दधि' के विकसित रूप 'दही' पर 'छाछ' का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। अथवा सस्कृत तत्सम शब्दावली में प्राकृतिक लिङ्गों को छोड़कर आकारात् ईकारात्, 'कितन्' प्रत्ययान्त तथा 'ता' प्रत्ययात् शब्द हिंदी में स्त्रीलिङ्ग होंगे, शेष सब शब्द पुल्लिङ्ग। सस्कृत के 'घञ्' प्रत्ययात् तथा ल्यु (अन्) प्रत्ययान्त शब्द पुल्लिङ्ग होंगे, यथा—हास नाश लाभ काल और वरण भरण, तरण आदि।

अथ तत्सम शब्द—इन पर भी उपयुक्त नियम ही लागू होगा किन्तु तब तक, जब तक उनके साथ हिंदी का कोई वृद्धत अथवा तद्धित प्रत्यय न लगाया गया हो, क्योंकि इन प्रत्ययों के लगने पर लिङ्ग परिवर्तन का अवसर उपस्थित हो सकता है। यथा—(स) चातुय (नपुंसक) (हि) चतुराई (स्त्रीलिङ्ग)। यहाँ पर हिंदी का तद्धित 'आई' प्रत्यय लगने से उक्त शब्द स्त्रीलिङ्गवादी हो गया।

तदभव—तदभव शब्दों ने [जहाँ तक अय भाषाओं का प्रभाव और हिंदी तदभव प्रत्ययों के योग से दूर रहे हैं वहाँ तक] अपने तत्सम रूपों के लिङ्गों को ही बनाये रखने का प्रयत्न किया है। हिंदी प्रत्ययों के अनुसार लिङ्ग व्यवस्था इस प्रकार हो सकती है—जिस शब्द के साथ तद्धित प्रत्यय पन, पा ना आत्, इसा अन अता जबकड' आदि का प्रयोग होगा वे पुल्लिङ्ग होंगे। इनके क्रमशः उदाहरण इस प्रकार हो सकते हैं, यथा—लडकपन बुढापा डकना, गडन्त, रगीला चलन उडता घुमकड आदि। इसी प्रकार जिन शब्दों के साथ अती ती घट हट आई आरी आल, आवनी, आस आइन, इन, अक इक उक जी डी ती यी आदि प्रत्यय युक्त शब्द प्रायः स्त्रीलिङ्ग होंगे। ऐसे ही अय प्रत्ययों को भी लिङ्गानुसारी उपस्थित किया जा सकता है।

देशज/विदेशज—इन शब्दों का लिङ्ग भी इनकी मूल प्रवृत्ति के अनुसार ही हिंदी में अपनाया गया है, अ य शब्दों के प्रभाव से युक्त शब्दों को छोड़कर।

उपयुक्त विवरण से इतना अवश्य स्पष्ट है कि हिंदी भाषा में अनेक स्रोतों से शब्दों का आगमन हुआ है और वे अपने माथ रूप के साथ साथ अपन लिङ्ग और वचन भी लेकर आये और हिंदी भाषा ने अपनी उदारनीति के कारण उन्हें उसी रूप में स्वीकार भी कर लिया। अतः हिंदी भाषा के विद्यार्थियों को इन बातों का ध्यान भी रखना पड़ेगा।

स्त्रीलिंग निर्माता प्रत्यय—स्त्रीलिङ्ग बनाने वाले केवल सात प्रत्यय हिंदी में पाये जाते हैं। (१) आ (२) ई (३) आनी, (४) नी (५) इन (६) आइन जीर (७) इया।

'आ'—यह प्रत्यय अधिकतर तत्सम शब्दों में पाया जाता है। सस्कृत में

पुनरुत्था ने 'पुस्तक' शब्द दिया तो हिन्दी में नपुंसक लिङ्ग के अभाव के कारण इसे 'पोथी' के यहाँ आश्रय मिला और स्त्रीलिङ्ग बन बैठा। इसी प्रकार अन्य शब्दों को भी समझा जा सकता है। यही स्थिति समानधर्मी शब्दों की भी है। जहाँ तक क्रियाओं में लिङ्ग व्यवस्था की बात है वह तो बिल्कुल ही स्पष्ट है। हिन्दी भाषा सस्कृत भाषा का विकसित रूप है। सस्कृत में क्रियाओं के दो रूप प्रचलित थे, एक तिङ्गत और दूसरा वृद्धत। सस्कृत में तिङ्गत रूपों के साथ तिङ्ग व्यवस्था नहीं है अर्थात् वे सभी लिङ्गों में एकरूप रहते हैं, यथा—स चलति सा चलति आदि। वृद्धत रूपों के साथ लिङ्ग व्यवस्था है, यथा—तेन खादित तथा पनवानु (आसू की टिकिया) द्राशा च (अमूर) खादिता। ठीक यही स्थिति हिन्दी की भी है। जो शब्द (क्रिया) तिङ्गत रूपों से विकसित होकर आय हैं उनके लिए लिङ्ग का झगडा नहीं है और जो वृद्धतों से विकसित होकर आय हैं उनके लिए लिङ्ग का ध्यान रखना परमावश्यक है, यथा—सीता खाये राम खाये। इनमें खाये क्रिया सस्कृत की खाद धातु के विधिलिङ्ग का विकसित रूप है अतः लिङ्ग की उलझन नहीं है। परन्तु जब हम कहते हैं सीता खाती है तो कहना पड़ेगा कि राम खाता है। खाना क्रिया में लिङ्ग का निर्धारण कर्ता के अनुसार हो गया। कारण स्पष्ट है कि इसका विकास सस्कृत के शतृ प्रत्ययात् वृद्धत खादत् से हुआ है। अब तुलना कीजिये—

हिन्दी	सस्कृत
सीता खाये	सीता खादेत्
राम खाये	राम खादेत्
सीता खाती हुई है	सीता खादती अस्ति (यद्यपि अयं में कुछ निम्नता अवश्य रहेगी)

राम खाता हुआ है राम खादेत् अस्ति।

हिन्दी में लिंग निर्धारण की प्रणाली—हिन्दी भाषा में लिङ्ग निर्धारित करने से पूर्व हम उसके शब्दकोश पर विचार करना चाहिये। हिन्दी में मुख्यतः पाँच प्रकार के शब्द मिलते हैं—(१) तत्सम (२) अथ तत्सम (३) तदभव (४) देशज और (५) विदेशज—

- (क) अरबी, फारसी, तुर्की
(ग) अंग्रेजी फ्रेंच पुतगाली।

(१) तत्सम शब्द—तत्सम शब्दों का लिङ्ग वही है, जो उनका सस्कृत में था। केवल नपुंसक लिङ्ग शब्द हिन्दी में पुल्लिङ्ग हो गये हैं। कुछ नपुंसक लिङ्ग शब्द अवश्य ऐसे हैं, जो हिन्दी में आकर स्त्रीलिङ्ग भी हुए हैं जैसे—वस्तु शरण दधि आदि। इन पर क्रमशः अन्य शब्दों का प्रभाव दिखाई देता है,

यथा—'वस्तु' पर 'बीज' का 'शरण' पर 'पनाह' का और 'दधि' के विकसित रूप 'दही' पर 'छाछ' का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। अथवा संस्कृत तत्सम शब्दावली में प्राकृतिक लिङ्गा को छोड़ कर आकारात् ईकारात्, क्तिन् प्रत्ययान्त तथा 'ता' प्रत्ययात् शब्द हिंदी में स्त्रीलिङ्ग होंगे, शेष सब शब्द पुल्लिङ्ग। संस्कृत के 'घञ्' प्रत्ययात् तथा ल्यु (अन) प्रत्ययान्त शब्द पुल्लिङ्ग होंगे, यथा—हास, नाश, लाभ, काल और वरण, भरण, तरण आदि।

अथ तत्सम शब्द—इन पर भी उपयुक्त नियम ही लागू होगा, किन्तु तब तक, जब तक उनके साथ हिंदी का कोई कृदन्त अथवा तद्धित प्रत्यय न लगाया गया हो, क्योंकि इन प्रत्ययों के लगने पर लिङ्ग परिवर्तन का अवसर उपस्थित हो सकता है। यथा—(स) चातुय (नपुंसक) (हि) चतुराई (स्त्रीलिङ्ग)। यहाँ पर हिंदी का तद्धित आई प्रत्यय लगने से उक्त शब्द स्त्रीलिङ्गवाची हो गया।

तदभव—तद्भव शब्दों ने [जहाँ तक अय भाषाओं का प्रभाव और हिंदी तदभव प्रत्ययों के योग से दूर रहे हैं वहाँ तक] अपने तत्सम रूपों के लिङ्गों को ही बनाये रखने का प्रयत्न किया है। हिंदी प्रत्ययों के अनुसार लिङ्ग व्यवस्था इस प्रकार ही सकती है—जिस शब्द के साथ तद्धित प्रत्यय 'पन' पा ना अत् इत्ता अत् अना अक्कड' आदि का प्रयोग होगा, वे पुल्लिङ्ग होंगे। इनके क्रमशः उदाहरण इस प्रकार हो सकते हैं, यथा—लटकपन बुढापन ढकना, गढत रगीला चलन उढता घुमक्कड आदि। इसी प्रकार जिन शब्दों के साथ अती ती, वट हट आई आरी आल आवनी आस आइन इन अक् इक् उक् जी, डी ती घी आदि प्रत्यय युक्त शब्द प्रायः स्त्रीलिङ्ग होंगे। ऐसे ही अय प्रत्ययों को भी लिङ्गानुसारी उपस्थित किया जा सकता है।

देशज/विदेशज—इन शब्दों का लिङ्ग भी इनकी मूल प्रवृत्ति के अनुसार ही हिंदी में अपनाया गया है, अय शब्दों के प्रभाव से युक्त शब्दों को छोड़ कर।

उपयुक्त विवरण से इतना अवश्य स्पष्ट है कि हिंदी भाषा में अनेक स्रोतों से शब्दों का आगमन हुआ है और वे अपने साथ रूप के साथ साथ अपने लिङ्ग और वचन भी लेकर आये और हिंदी भाषा ने अपनी उदारनीति के कारण उन्हें उसी रूप में स्वीकार भी कर लिया। अतः हिंदी भाषा के विद्यार्थी को इन बातों का ध्यान भी रखना पड़ेगा।

स्त्रीलिंग निर्माता प्रत्यय—स्त्रीलिङ्ग बनाने वाले केवल सात प्रत्यय हिंदी में पाये जाते हैं। (१) आ, (२) ई (३) आनी, (४) नी (५) इन, (६) आइन और (७) इया।

आ—यह प्रत्यय अधिकतर तत्सम शब्दों में पाया जाता है। संस्कृत में

इस प्रत्यय को 'टाप' की सजा दी है। अजाद्यतस्टाप' सूत्र पुस्तिलङ्ग शब्दों में 'आ' बढ़ा कर स्त्रीलिङ्ग शब्दों का निर्माण करता है। हिन्दी में अय उदगम से भी यह प्रत्यय आया है, जो विशेषण शब्दों का निर्माण करता है, यथा—प्यासा भूखा, रुखा, सूखा आदि स्त्रीलिङ्ग शब्द यथा—वाला अजा अध्यापिका आदि।

'ई'—यह भी सस्कृत का ङीप प्रत्यय है जो सस्कृत ई के रूप में प्रयुक्त होता है। हिन्दी में यह सबसे अधिक लोक प्रिय प्रत्यय है। तत्सम शब्दों के साथ साथ तद्भव शब्दों में भी इसका प्रयोग घटले के साथ किया जाता है। क्रियाओं का तो एकमात्र प्रत्यय यही है, यथा—खाती जाती रोती बठती आदि। तद्भव शब्द, यथा—कुल्हाड़ी चाची मामी, दादी कुबड़ी (स कुब्जा) घोड़ी आदि। अय उदगम से आया हुआ 'ई' प्रत्यय पुस्तिलङ्ग शब्दों का निर्माण करता है यथा—माली, घोवी तेली आदि यापार सूचक शब्द।

'आनी'—यह प्रत्यय भी सस्कृत से निसृत है। सस्कृत में भवानी रुद्राणी इन्द्राणी आदि अनेक शब्द स्त्रीलिङ्गवाची मिलते हैं। अतः इन तत्सम शब्दों के आधार पर तद्भव शब्दों में भी इसका प्रयोग चल पड़ा यथा—देवरानी, जेठानी, कुवरानी आदि।

'नी'—सस्कृत में 'इनी' प्रत्यय का प्रयोग बहुलता से मिलता है और उन तत्सम शब्दों का प्रयोग मध्यकाल में भी कुछ विकास के साथ चलता रहा, पर अपभ्रंश तक आते-आते 'इ' अपनी सत्ता खो बैठी और केवल 'नी' शेष रह गया। 'इ' ध्वनि के लोप के उदाहरण 'वृत्' 'वत्' प्रत्यय में भी लक्षित किये जा सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि 'नी' 'इनी' का ही विकसित रूप है। तत्सम शब्द, यथा—भट्टिनी विस्तिनी भामिनी कामिनी लेखिनी आदि। तद्भव शब्द, यथा—भोरनी ऊँटनी, जाटनी, शेरनी कुलच्छनी।

'इन'—यह प्रत्यय भी सस्कृत 'इनी' के अत्यन्त स्वर का लोप होकर हिन्दी में आया है। इसका तद्भव रूप भी मिलता है और हिन्दी में अपनी ओर से भी लगा दिया जाता है। तात्पर्य यह है कि सस्कृत में जिस शब्द के साथ 'इनी' न लगकर कोई और प्रत्यय लगा हुआ है वही हिन्दी में इन लगा दिया गया है। तद्भव रूप में विकसित शब्द, यथा—(स) भगिनी > (प्राकृत) बहिणी > (अपभ्रंश) बहिणी > (हिन्दी) बहिन, (स) योगिनी > (प्रा) जोगिणी > (अपभ्रंश) जोगिणी > (हि) जोगिन आदि। सस्कृत स भिप शंली में प्रयुक्त प्रत्यय वाले शब्द—(स) नापिती > (हि) नाइन (स) धीतिका > (हि) धीविन (स) साधिका > (हिन्दी) साधण/साधनी।

'आइन'—यह प्रत्यय भी 'इनी' का ही विकसित रूप है जो हिन्दी में जाति

धाचक शब्दों में प्रयुक्त होता है, यथा—ठकुराइन, पण्डिताइन (स पण्डिता), बनियाइन आदि ।

इया'—इया प्रत्यय भी स्त्रीलिङ्ग शब्द बनाने में काम आता है । इसका विकास सम्भवतः संस्कृत प्रत्यय 'इका' से हुआ है । संस्कृत में यह लघुता सूचक प्रत्यय था, जो स्त्रीलिङ्गवाची रहा है, (इका > इया > इया) यथा—घटी > घटिका, मक्षी > मक्षिका वाटी > वाटिका आदि । हिन्दी में ऐसा क्रम है पर इसके साथ कोमलता का भाव भी जोड़ दिया गया है । हिन्दी 'बाछा (गाय का बच्चा) के दो स्त्रीलिङ्ग रूप प्रचलित हैं (१) बाछी, (२) बछिया । इसी तरह गाय के लिए गइया (गया) शब्द भी चलता है । मटका > (१) मटकी, (२) मटकिया आदि । लघुता के बोधन में, पर पुल्लिङ्ग रूप में ही, घडा > घडिया (छोटा मटका), भाई > भइया (भया), पुल्लिङ्ग से स्त्रीलिङ्ग, यथा—गढ > गढइया लोटा > लुटिया आदि । ये शब्द लघुता का बोध भी कराते हैं ।

'कारक'—प्राचीन भारतीय आय भाषाओं में कारकों की सरया आठ थी । अपभ्रंश तक आते-आते यह सख्या तीन रह गई । हिन्दी में केवल दो ही कारक हैं, (१) ऋजु (२) तियक । प्रथम व कारक जिनमें कारक चिह्नो का प्रयोग नहीं होता और दूसरे व जिनमें कारक चिह्नो का प्रयोग होता है, यथा—राम खाता है (ऋजु) । राम ने खाया (तियक) । प्राचीन भारतीय आय भाषाओं और मध्यकालीन भारतीय आय भाषाओं में किसी न किसी रूप में कारक विभक्तियाँ वतमान थीं पर हिन्दी तक आते आते इनका स्थान कुछ शब्दांशों ने ले लिया और भाषाविदों ने उन शब्दांशों को परसर्ग की सजा दी । इन परसर्गों का स्थूल रूप उत्तरकालीन संस्कृत में दिखाई पड़ने लगता है, यथा—नापस्य कृत रामस्यार्ये अस्मात् कारणात् आदि । धीरे धीरे ये विकसित होते रहे और अपभ्रंश भाषा के 'याकरण' में हेमचन्द्राचार्य का इसकी पर्याप्त लम्बी सूची देनी पड़ी । संस्कृत एव अपभ्रंश (विशेषकर) के व्याकरण इस बात के साक्षी हैं कि इन परसर्गों का प्रयोग प्रारम्भ में सविभक्तिक शब्दों के साथ किया जाता था । इसका कारण यह हो सकता है कि प्रारम्भ में विभक्ति प्रत्यय पूर्णतः घिस तो नहीं गए थे पर वे अपना पूर्ण अर्थ व्यक्त कराने में असमर्थ हो लगे थे । इस प्रकार एक ओर तो ये प्रत्यय अपनी अर्थबोधन शक्ति से हाथ धोते जा रहे थे और दूसरी ओर इनके रूप का भी क्षय होता जा रहा था । हिन्दी भाषा तक आते-आते कुछेक स्थानों की छोड़कर ये प्रत्यय पूर्णतः लुप्त हो गए और कारकों का बोधन पूर्णतः परसर्गों के हाथ में आ गया । अथ आधुनिक भारतीय आय भाषाओं की तुलना में हिन्दी न कम से कम परसर्गों

⁵ कारक चिह्नो का विवरण एव विकास नवम अध्याय में दे दिया गया है ।

को अपनाया। हिन्दी में दा परसर्ग का प्रयोग प्रातिपदिक के साथ भी होता है और विभक्ति प्रत्ययों के साथ भी। इससे स्पष्ट है कि हिन्दी में कुछ विभक्ति प्रत्यय अब भी अवशिष्ट हैं। ऋजु रूपा में बहुवचन में केवल आकारान्त पुलिङ्ग शब्दों के साथ ही विभक्ति प्रत्यय अवशिष्ट है और वह भी कर्ता और कर्म कारक के योग्य में। त्रियक् रूपा में केवल आकारान्त एकवचन में ही विभक्ति प्रत्यय के साथ परसर्ग प्रयुक्त होने हैं। शेष प्रातिपदिकों के साथ विभक्ति के स्थान पर परसर्गों का ही काम लिया जाता है, यथा—सड़के ने, सड़के को सड़क से सड़के के लिए आदि। अय रूप यथा—राम ने मुनि को मानु से, पाण्डे के लिए आदि। पुलिङ्ग बहुवचन में समस्त प्रातिपदिक विभक्ति होकर परसर्ग का आश्रय लेते हैं और सब अर्थबोध कराते हैं। स्त्रीलिङ्ग शब्दों में ऋजु रूप के एकवचन में सभी शब्द प्रातिपदिक रूप में ही रहते हैं, पर बहुवचन में ऐकारान्त और ओकारान्त शब्दों को छोड़कर शेष सभी प्रातिपदिक विभक्ति प्रत्यय के साथ वाच्य में प्रयुक्त होते हैं। जहाँ तक त्रियक् रूपों का सम्बन्ध है, समस्त स्त्रीलिङ्ग शब्द एकवचन में प्रातिपदिक रूप रहते हैं और परसर्गों की सहायता से कारक बोध कराते हैं। बहुवचन में समस्त स्त्रीलिङ्ग शब्द विभक्ति प्रत्यय के साथ होते हैं और परसर्ग के माध्यम से कारक का बोध कराते हैं। गद्यों में यह कहा जा सकता है कि प्राचीन भारतीय आय भाषा काल और मध्यकालीन भारतीय आय भाषा काल में जो विभक्ति प्रत्यय कारक और वचन दोनों का बोध कराते थे उन प्रत्ययों के घिसे हुए रूप जो हिन्दी में मिलते हैं वे अब केवल मात्र वचन का बोध कराने की ही सामर्थ्य रखते हैं। कारक का बोध या तो स्थान के द्वारा अथवा परसर्ग के द्वारा और कभी-कभी क्रिया रूपा के द्वारा ही हिन्दी भाषा में होता है।

परसर्गों के लिखने की समस्या—हिन्दीजगत में एक समस्या बड़े जोरों से चल रही है कि परसर्गों को शब्द के साथ जोड़कर लिखा जाए अथवा मूल शब्द से हटाकर पृथक् लिखा जाए। इसमें भिन्न भिन्न विद्वानों के तीन मत हैं। एक तो वे जो परसर्गों को शब्द से सटाकर लिखने के हामी हैं दूसरे वे जो परसर्गों को शब्द (मूल) से हटाकर पृथक् रूप में लिखने के समर्थक हैं और तीसरे वे जो सज्ञा शब्दों के साथ सटाकर और सवनाम शब्दों से हटाकर लिखना चाहते हैं। इन तीनों मतों में दूसरा मत मेरी बुद्धि में अधिक समीचीन है। जहाँ तक पहले मत का सम्बन्ध है इस मत के मानने वालों के अस्तित्व में संस्कृत के विभक्ति प्रत्ययों का प्रभाव है और वे परसर्गों को भी विभक्ति प्रत्ययों की तरह प्रत्यय ही मानकर चलते हैं जो कि उचित नहीं है। इन विद्वानों का तक है कि यदि हम परसर्गों को हटाकर पृथक् रूप में लिखेंगे तो सवनाम 'हमारा' को भी हम आराम 'मेरा' को 'मेरा' और 'इसे' को 'इस ए' लिखना

पड़ेगा, जो कि अधबोध की दृष्टि से ठीक नहीं है। सम्भवतः यही डर तीसरे मत के समर्थकों को भी है इसलिए वे सर्वनाम शब्दों में परसर्गों को सटाकर लिखने की बात करते हैं। किन्तु यह तब अत्यंत खोखला है। उपयुक्त शब्दा में प्रयुक्त आर तथा ए परसर्ग नहीं हैं अपितु आर तो सम्बन्ध-सम्बन्धी प्रत्यय है^६ और ए विभक्ति प्रत्यय है जो आकारात् पुल्लिङ्ग शब्दात् म वतमान है। अतः इह मूल शब्द से पृथक् लिखने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। उपर परसर्ग प्रत्यय नहीं है अपितु मूल शब्दों के घिस हुए रूप हैं। अनक परसर्ग तो अब भी अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व रखते हैं। अतः ऐसे शब्दों एक शब्दांशों के समागम का छोड़कर कभी भी सटाकर नहीं लिखा जा सकता और न ही लिखना चाहिये। हटाकर क्या लिखे जाएँ? इसके लिए एक सबल तर्क यही है कि अनेक बार मूल शब्द और परसर्ग के बीच में हम अय शब्द का भी प्रयोग करते हैं और यह प्रयोग इस बात की पुष्टि करता है कि परसर्ग स्वतंत्र मूल शब्द का अभिन्न अंग नहीं। यथा—'राम ने कहा', राम ही ने कहा। राम से पूछा' तथा राम ही से पूछा आदि। मरी दृष्टि में परसर्गों को मूल शब्दों से हटाकर स्वतंत्र शब्द के रूप में ही लिखा जाना चाहिये और हिन्दी भाषा की व्यागात्मक प्रवृत्ति भी इसका ही समर्थन करती है।

ने' तथा 'को' परसर्गों का प्रयोग—हिन्दी में अय परसर्ग तो सर्वत्र प्रयुक्त होता है किन्तु 'न जोर को परसर्ग सर्वत्र प्रयुक्त नहीं होता। अतः हिन्दी भाषा पर दापारोपण किया जाता है कि हिन्दी में अजीब बात है कि कहीं य परसर्ग प्रयुक्त हो जाते हैं और कहीं नहीं होते पर यह थोड़ा-सा समझ का ही फेर है अथवा इनके प्रयोग में कोई उन्नयन नहीं है। जहाँ तक न परसर्ग के प्रयोग की बात है यह केवल अपूर्ण भूत का छोड़कर भूत काल के सभी भेदों में सक्रमक क्रिया के साथ प्रयुक्त होता है और अय स्थानात् पर कर्ता कारक म न का प्रयोग नहीं होना। यथा—राम खाता है राम खायगा, राम खाएँ, पर भूतकाल में—राम न खाया, राम न खाया था राम न खाया होगा आदि रूप होना है। सक्रमक क्रिया होने पर भूतकाल में भी न का प्रयोग नहीं होगा, यथा—राम हँसा राम गया आदि। सक्रमक क्रिया में भी बोलना भूलना, बचना क्रियाओं के साथ न नहीं लगना।

को क्रम कारक का सूचक प्रत्यय है। सम्प्रदान के लिए भी इसका प्रयोग होता है। को परसर्ग के आधार पर डॉ. उदयनारायण तिवारी ने हिन्दी में नपुंसकलिङ्ग का अवशय देखा है पर यह उचित नहीं प्रतीत होता। डा. तिवारी ने उदाहरण दिये हैं—धोबी का बुलाओ, गाय को खोल दो आदि

^६ गुप्तदादेरीयस्य डार ह्रस्वदानुशासन ८४३४।

को अपनाया। हिंदी में इन परसगों का प्रयोग प्रातिपदिक के साथ भी होता है और सविभक्तिव शब्दा के साथ भी। इससे स्पष्ट है कि हिंदी में कुछ विभक्ति प्रत्यय अब भी अवशिष्ट हैं। ऋजु रूपों में बहुवचन में केवल आकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दा के साथ ही विभक्ति प्रत्यय अवशिष्ट है और वह भी कर्ता और क्रम कारक के छोटन में। त्रिक रूपों में केवल आकारान्त एकवचन में ही विभक्ति प्रत्यय के साथ परसग प्रयुक्त होते हैं। शेष प्रातिपदिकों के साथ विभक्ति के स्थान पर परसगों से ही काम लिया जाता है, यथा—लडके ने लडके को लडके से, लडके के लिए आदि। अय रूप, यथा—राम ने मुनि को, भानु से, पाण्डे के लिए आदि। पुल्लिङ्ग बहुवचन में समस्त प्रातिपदिक सविभक्ति होकर परसग का आश्रय लेते हैं और तब अश्रय करारते हैं। स्त्रीलिङ्ग शब्दों में ऋजु रूप के एकवचन में सभी शब्द प्रातिपदिक रूप में ही रहते हैं पर बहुवचन में ऐकारान्त और ओकारान्त शब्दा को छोड़कर शेष सभी प्रातिपदिक विभक्ति प्रत्यय के साथ वाक्य में प्रयुक्त होते हैं। जहाँ तक त्रिक रूपों का सम्बन्ध है, समस्त स्त्रीलिङ्ग शब्द एकवचन में प्रातिपदिक रूप रहते हैं और परसगों की सहायता से कारक बोध कराते हैं। बहुवचन में समस्त स्त्रीलिङ्ग शब्द विभक्ति प्रत्यय के साथ होते हैं और परसग के माध्यम से कारक का बोध कराते हैं। संक्षेप में या कहा जा सकता है कि प्राचीन भारतीय आय भाषा काल और मध्यकालीन भारतीय आय भाषा काल में जो विभक्ति प्रत्यय कारक और वचन दोनों का बोध कराते थे, उन प्रत्ययों के धिते हुए रूप जो हिंदी में मिलते हैं, वे अब केवल मात्र वचन का बोध कराने की ही सामर्थ्य रखते हैं। कारकों का बोध या तो स्थान के द्वारा अथवा परसग के द्वारा और कभी-कभी क्रिया रूपों के द्वारा ही हिन्दी भाषा में होता है।

परसगों के मिलने की समस्या—हिन्दीजगत में एक समस्या बड़े जोरों से खल रही है कि परसगों को शब्द के साथ जोड़कर सिगा जाए अथवा मूल शब्द से हटाकर पृथक् सिगा जाए। इसमें भिन्न भिन्न विद्वानों का तीन मत है। एक तो वे जो परसगों को शब्द से गटाकर सिगने के हामी हैं, दूसरे वे जो परसगों का शब्द (मूल) से हटाकर पृथक् रूप में मिलने का समर्थक हैं और तीसरे वे जो तत्ता शब्दों के साथ गटाकर और गवनाम शब्दों से हटाकर सिगना चाहते हैं। इन तीनों मतों में दूसरा मत परी बुद्धि में अधिक गम्भीर है। जहाँ तक पहला मत का सम्बन्ध है इस मत के मानने वालों का मताधिकार में तात्कालिक विभक्ति प्रत्ययों का प्रभाव है और वे परसगों का भी विभक्ति प्रत्ययों की तरह प्रत्यय ही मानकर समझते हैं जो कि उचित नहीं है। इन विद्वानों का एक है कि यदि हम परसगों को हटाकर पृथक् रूप में मिलेंगे तो गवनाम हमारा को भी हम आरा, मेरा को मेरा और इन को इन में सिगना

पड़ेगा, जो कि अधबोध की दृष्टि से ठीक नहीं है। सम्भवतः यही डर तीसरे मत के समर्थकों को भी है इसलिए वे सवनाम शब्दों में परसगों को सटाकर लिखने की बात करते हैं। किन्तु यह तक अत्यन्त खोपला है। उपयुक्त शब्दों में प्रयुक्त आर तथा ए परसग नहीं हैं अपितु 'आर तो सम्बन्ध-सम्बन्धी प्रत्यय है' और 'ए विभक्ति प्रत्यय है जो आकारात् पुल्लिङ्ग शब्दा में वर्तमान है। अतः इन्हें मूल शब्द से पृथक् लिखने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। उधर परसग प्रत्यय नहीं हैं अपितु मूल शब्दों के घिस हुए रूप हैं। अनेक परसग तो अब भी अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व रखते हैं। अतः ऐसे शब्दों एवं शब्दांशों के समान को छोड़कर कभी भी सटाकर नहीं लिखा जा सकता और न ही लिखना चाहिये। हटाकर क्या लिखे जाएँ? इसके लिए एक सबल तर्क यही है कि अनेक बार मूल शब्द और परसग के बीच में हम अर्थ शब्द का भी प्रयोग करते हैं और यह प्रयोग इस बात की पुष्टि करता है कि परसग स्वतंत्र मूल शब्द का अभिन्न अंग नहीं। यथा—'राम ने कहा, राम ही ने कहा। राम से पूछा तथा राम ही से पूछा आदि। मेरी दृष्टि में परसगों को मूल शब्दा से हटाकर स्वतंत्र शब्द के रूप में ही लिखा जाना चाहिये और हिन्दी भाषा की वियोगात्मक प्रवृत्ति भी इसका ही समर्थन करती है।

ने तथा 'को' परसगों का प्रयोग—हिन्दी में अर्थ परसग तो सर्वत्र प्रयुक्त होते हैं किन्तु 'न और को परसग सर्वत्र प्रयुक्त नहीं होते। अतः हिन्दी भाषा पर दापारोपण किया जाता है कि हिन्दी में अजीब बात है कि वही य परसग प्रयुक्त हो जाते हैं और कहीं नहीं होते पर यह थोड़ा सा समझ का ही फेर है अथवा इनके प्रयोग में कोई उलझन नहीं है। जहाँ तक न परसग का प्रयोग की बात है यह केवल अपूर्ण भूत का छाड़कर भूत काल के सभी भेदों में सक्रमक क्रिया के साथ प्रयुक्त होता है और अर्थ स्थानात् पर कर्ता वारक में न का प्रयोग नहीं होता। यथा—राम खाता है राम खायेगा, राम खाएँ, पर भूतकाल में—राम ने खाया राम न खाया था राम न खाया होगा आदि रूप प्राप्त हैं। अक्रमक क्रिया होने पर भूतकाल में भी न का प्रयोग नहीं होगा, यथा—राम हँसा राम गया आदि। सक्रमक क्रिया में भी बोलना भूलना, बनना क्रियाओं के साथ न नहीं लगेगा।

को क्रम कारक का सूचक प्रत्यय है। सम्प्रदान के लिए भी इसका प्रयोग होता है। को परसग के आधार पर डॉ. उदयनारायण तिवारी ने हिन्दी में नपुंसकलिङ्ग का अवशेष देखा है पर यह उचित नहीं प्रतीत होता। डॉ. तिवारी ने उदाहरण दिये हैं—घोड़ी का गुलाबी गाय को खोल दा आदि

७ युष्मदादेरीयस्य डार हेमशदानुशासन, ८४३४।

को अपनाया। हिन्दी में इन परसर्गों का प्रयोग प्रातिपदिक होता है और सविभक्तिक शब्दों के साथ भी। इससे स्पष्ट कुछ विभक्ति प्रत्यय अब भी अवशिष्ट है। श्रुजु रूपा में व आकारात् पुल्लिङ्ग शब्दों के साथ ही विभक्ति प्रत्यय अर्वा भी कर्ता और कम कारक के द्योतन में। त्रियक रूपा में एकवचन में ही विभक्ति प्रत्यय के साथ परसर्ग प्रयुक्त होते हैं पदिकों के साथ विभक्ति के स्थान पर परसर्गों से ही काम लिया—लड़के ने, लड़के को लड़के से लड़के के लिए आदि। राम ने मुनि को भानु से पाण्डे के लिए आदि। पुल्लिङ्ग बहु प्रातिपदिक सविभक्ति होकर परसर्ग का आश्रय लेते हैं और कराते हैं। स्त्रीलिङ्ग शब्दों में श्रुजु रूप के एकवचन में सभी रूप में ही रहते हैं, पर बहुवचन में ऐकारात् और ओकारात् शब्दों में सभी प्रातिपदिक विभक्ति प्रत्यय के साथ वाच्य में प्रयुक्त। तक त्रियक रूपों का सम्बन्ध है, समस्त स्त्रीलिङ्ग शब्द एकवचन रूप रहते हैं और परसर्गों की सहायता से कारक बोध कराते हैं समस्त स्त्रीलिङ्ग शब्द विभक्ति प्रत्यय के साथ होते हैं और परसर्गों में कारक का बोध कराते हैं। संक्षेप में यो कहा जा सकता है भारतीय आय भाषा काल और मध्यकालीन भारतीय आय भाषा विभक्ति प्रत्यय कारक और वचन दोनों का बोध कराते थे, उन प्रयुक्त रूप जो हिन्दी में मिलते हैं, वे अब केवल मात्र वचन का बोध ही सामर्थ्य रखते हैं। कारकों का बोध या तो स्थान के द्वारा के द्वारा और कभी-कभी क्रिया रूपा के द्वारा ही हिन्दी भाषा में परसर्गों के लिखने की समस्या—हिन्दीजगत् में एक समस्या चल रही है कि परसर्गों को शब्द के साथ जोड़कर लिखा जाए अथवा हटाकर पृथक् लिखा जाए। इसमें भिन्न भिन्न विद्वानों के तीन मतों के जो परसर्गों को शब्द से सटाकर लिखने के हामी हैं, दूसरे वे जो शब्द (मूल) से हटाकर पृथक् रूप में लिखने के समर्थक हैं और तीसरा शब्दों के साथ सटाकर और सवनाम शब्दों से हटाकर लिखना इन तीनों मतों में दूसरा मत मरी बुद्धि में अधिक समीचीन है। पहले मत का सम्बन्ध है इस मत के मानने वालों के मस्तिष्क में विभक्ति प्रत्ययों का प्रभाव है और वे परसर्गों का भी विभक्ति तरह प्रत्यय ही मानकर चसते हैं जो कि उचित नहीं है। इन तक है कि यदि हम परसर्गों को हटाकर पृथक् रूप में लिखेंगे तो 'हमारा' को भी हम आरा, मेरा' का म रा और 'इस' को इस

पड़ेगा, जो कि अद्यबोध की दृष्टि से ठीक नहीं है। सम्भवतः यही डर तीसरे मत के समयको को भी है इसलिए वे सबनाम शब्दों में परसगों को सटाकर लिखने की बात करते हैं। किन्तु यह तक अत्यन्त खोखला है। उपयुक्त शब्दों में प्रयुक्त आर तथा ए परसग नहीं हैं अपितु 'आर तो सम्बन्ध-सम्बन्धी प्रत्यय है^६ और 'ए विभक्ति प्रत्यय है जो आकारात् पुल्लिङ्ग शब्दा में वर्तमान है। अतः इह मूल शब्द से पृथक् लिखन का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। उक्त परसग प्रत्यय नहीं हैं अपितु मूल शब्दों के घिमे हुए रूप हैं। अनेक परसग तो अब भी अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व रखते हैं। अतः एस शब्दों एवं शब्दांशों के समान को छोड़कर कभी भी सटाकर नहीं लिखा जा सकता और न ही लिखना चाहिये। हटाकर क्या लिखे जायें? इसके लिए एक सबल तक यहाँ है कि अनेक बार मूल शब्द और परसग के बीच में हम अर्थ शब्द का भी प्रयोग करते हैं और यह प्रयोग इस बात की पुष्टि करता है कि परसग स्वतंत्र मूल शब्द का अभिन्न अंग नहीं। यथा—'राम ने कहा, राम ही ने कहा। राम से पूछा तथा राम ही से पूछा आदि। भरी दृष्टि में परसगों को मूल शब्दों में हटाकर स्वतंत्र शब्दों के रूप में ही लिखा जाना चाहिये और हिंदी भाषा की व्यापारत्मक प्रवृत्ति भी इसका ही समर्थन करती है।

'ने' तथा 'को' परसगों का प्रयोग—हिंदी में अर्थ परसग तो सबत्र प्रयुक्त होते हैं किन्तु न और न परसग सबत्र प्रयुक्त नहीं होते। अतः हिंदी भाषा पर दोषारोपण किया जाता है कि हिंदी में अजीब बात है कि कहीं य परसग प्रयुक्त हो जाते हैं और कहीं नहीं होते पर यह थोड़ा सा समझ का ही फर है अथवा इनके प्रयोगों में कोई उलझन नहीं है। जहाँ तक न परसग के प्रयोग की बात है यह केवल अपूर्ण भूत का छाड़कर भूत काल के सभी भेदों में सक्रमक क्रिया के साथ प्रयुक्त होता है और अर्थ स्थानों पर कर्ता कारक में न का प्रयोग नहीं होना। यथा—राम खाता है राम खायेगा, राम खाए, पर भूतकाल में—राम ने खाया राम न खाया था राम न खाया होगा आदि रूप होते हैं। अक्रमक क्रिया होने पर भूतकाल में भी 'ने' का प्रयोग नहीं होगा यथा—राम हँसा राम गया आदि। सक्रमक क्रिया में भी बोलना, भूलना, बचना क्रियाओं के साथ न नहीं लगेगा।

को क्रम कारक का सूचक प्रत्यय है। सम्प्रदान के लिए भी इसका प्रयोग होता है। को परसग के आधार पर डा उदयनारायण तिवारी ने हिंदी में नपुंसकलिङ्ग का अवशेष देखा है पर यह उचित नहीं प्रतीत होता। डा तिवारी ने उदाहरण दिये हैं—घोड़ी को बुलाओ, गाय को खाल दो आदि

^६ गुप्तादेशरीयस्य आर ह्रमशादानुशासन ८ ४३४।

को अपनाया। हिन्दी में इन परसगों का प्रयोग प्रातिपदिक के साथ भी होता है और सविभक्तिव शब्दों के साथ भी। इससे स्पष्ट है कि हिन्दी में कुछ विभक्ति प्रत्यय अब भी अवशिष्ट हैं। ऋजु रूपा में बहुवचन में केवल आकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दों के साथ ही विभक्ति प्रत्यय अवशिष्ट हैं और वह भी कर्ता और क्रम कारक के घातन में। त्रियक रूपा में केवल आकारान्त एकवचन में ही विभक्ति प्रत्यय के साथ परसग प्रयुक्त होते हैं। शेष प्रातिपदिकों के साथ विभक्ति के स्थान पर परसगों से ही काम लिया जाता है, यथा—लड़के ने लड़के को लड़के से लड़के के लिए आदि। अय रूप यथा—राम ने, मुनि को भानु से पाण्डे के लिए आदि। पुल्लिङ्ग बहुवचन में समस्त प्रातिपदिक सविभक्ति हाकर परसग का आश्रय लेते हैं और तब अर्थबोध कराते हैं। स्त्रीलिङ्ग शब्दों में ऋजु रूप के एकवचन में सभी शब्द प्रातिपदिक रूप में ही रहते हैं, पर बहुवचन में एकारान्त और जाकारान्त शब्दों को छाड़कर शेष सभी प्रातिपदिक विभक्ति प्रत्यय के साथ वाक्य में प्रयुक्त होते हैं। जहाँ तक त्रियक रूपों का सम्बन्ध है, समस्त स्त्रीलिङ्ग शब्द एकवचन में प्रातिपदिक रूप रहते हैं और परसगों की सहायता से कारक बोध कराते हैं। बहुवचन में समस्त स्त्रीलिङ्ग शब्द विभक्ति प्रत्यय के साथ होते हैं और परसग के माध्यम से कारक का बोध कराते हैं। संक्षेप में या कहा जा सकता है कि प्राचीन भारतीय आय भाषा काल और मध्यकालीन भारतीय आय भाषा काल में जो विभक्ति प्रत्यय कारक और वचन दोनों का बोध कराते थे उन प्रत्ययों के घिसे हुए रूप जो हिन्दी में मिलते हैं वे अब केवल मात्र वचन का बोध कराने की ही सामर्थ्य रखते हैं। कारक का बोध या तो स्थान के द्वारा अथवा परसग के द्वारा और कभी-कभी क्रिया रूपा के द्वारा ही हिन्दी भाषा में होता है।

परसगों के लिखने की समस्या—हिन्दीजगत में एक समस्या बड़े जोरों से चल रही है कि परसगों को शब्द के साथ जोड़कर लिखा जाए अथवा मूल शब्द से हटाकर पृथक् लिखा जाए। इसमें भिन्न भिन्न विद्वानों के तीन मत हैं। एक तो वे जो परसगों को शब्द से सटाकर लिखने के हामी हैं दूसरे वे जो परसगों को शब्द (मूल) से हटाकर पृथक् रूप में लिखने का समर्थक हैं और तीसरे वे जो सज्ञा शब्दों के साथ सटाकर और सवनाम शब्दों से हटाकर लिखना चाहते हैं। इन तीनों मतों में दूसरा मत बेरी बुद्धि में अधिक समीचीन है। जहाँ तक पहले मत का सम्बन्ध है इस मत के मानन वालों के मस्तिष्क में सस्कृत के विभक्ति प्रत्ययों का प्रभाव है और वे परसगों का भी विभक्ति प्रत्ययों की तरह प्रत्यय ही मानकर चलते हैं जो कि उचित नहीं है। इन विद्वानों का तर्क है कि यदि हम परसगों को हटाकर पृथक् रूप में लिखेंगे तो सवनाम हमारा जो भी हम आरा, मेरा जो मेरा और 'हम जो हम ए लिखना

पडेगा, जा कि अपबोध की दृष्टि से ठीक नहीं है। सम्भवत यही डर तीसरे मत के समर्थकों को भी है, इसलिए वे सबनाम शब्दों में परसर्गों को सटाकर लिखने की बात करते हैं। किन्तु यह तक अत्यंत सोपला है। उपयुक्त शब्दों में प्रयुक्त आर तथा ए परसर्ग नहीं हैं, अपितु आर तो सम्बन्ध-सम्बन्धी प्रत्यय है^० और 'ए' विभक्ति प्रत्यय है जो आकारात् पुल्लिङ्ग शब्दों में वर्तमान है। अतः इह मूल शब्द से पृथक् लिखने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। उधर परसर्ग प्रत्यय नहीं है, अपितु मूल शब्दों के घिस हुए रूप हैं। अनेक परसर्ग तो अब भी अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व रखते हैं। अतः ऐसे शब्दों एवं शब्दांशों के समाम का छोड़कर कभी भी सटाकर नहीं लिखा जा सकता और न ही लिखना चाहिए। हटाकर क्या लिखे जाएँ? इसके लिए एक सबल तर्क यही है कि अनेक आर मूल शब्द और परसर्ग के बीच में हम अय शब्द का भी प्रयोग करते हैं और यह प्रयोग इस बात की पुष्टि करता है कि परसर्ग स्वतंत्र मूल शब्द का अभिन्न अंग नहीं। यथा—'राम ने कहा राम ही न कहा। 'राम से पूछा तथा राम ही में पूछा आदि। मरी दृष्टि में परसर्गों को मूल शब्दों से हटाकर स्वतंत्र शब्दों के रूप में ही लिखा जाना चाहिये और हिंदी भाषा की वियोगात्मक प्रवृत्ति भी इसका ही समर्थन करती है।

ने' तथा 'को' परसर्गों का प्रयोग—हिंदी में अन्य परसर्ग तो सबत्र प्रयुक्त होते हैं किन्तु 'न' और 'को' परसर्ग सबत्र प्रयुक्त नहीं होते। अतः हिन्दी भाषा पर साधारण वियोग किया जाता है कि हिन्दी में अजीब बात है कि वही ये परसर्ग प्रयुक्त हो जाते हैं और वही नहीं होते पर यह थोड़ा सा समझ का ही फेर है अथवा इनके प्रयोगों में कोई उलझन नहीं है। जहाँ तक 'न' परसर्ग के प्रयोग की बात है यह केवल अपूर्ण भूत का छोड़कर भूत काल के सभी भेदों में सर्वत्र क्रिया के साथ प्रयुक्त होता है और जय स्थानों पर कर्ता कारक में 'न' का प्रयोग नहीं होता। यथा—राम खाता है राम खाएगा, राम खाए, पर भूतकाल में—राम ने खाया राम न खाया था राम न खाया होगा आदि रूप होते हैं। अकर्मक क्रिया होने पर भूतकाल में भी 'न' का प्रयोग नहीं होगा, यथा—राम हँसा राम गया आदि। सर्वत्र क्रिया में भी बोलना भूलना बरना क्रियाओं के साथ 'न' नहीं लगता।

'को' कर्म कारक का सूचक प्रत्यय है। सम्प्रदान के लिए भी इसका प्रयोग होता है। 'को' परसर्ग के आधार पर डॉ. उदयनारायण तिवारी ने हिन्दी में नपुंसकलिङ्ग का अवशेष देखा है पर यह उचित नहीं प्रतीत होता। डा. तिवारी ने उदाहरण दिये हैं—घोड़ी को बुलाओ, गाय को खोल दो आदि

^० युष्मदादेरीयस्य डार ह्मशब्दानुशासन ८४३४।

तो कहा जाता है पर धाम को बाटो और कपडो को साओ नहीं कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों शब्द नपुंसकलिङ्ग के शोतक हैं। यहाँ विचारणीय है कि उपयुक्त घास और 'कपडा' शब्द नपुंसकलिङ्ग नहीं है। घास' सस्कृत के 'घास' से विकसित पुल्लिङ्ग शब्द है। प्राकृत म भी 'घास पुल्लिङ्ग है, फिर हिन्दी म जहाँ नपुंसकलिङ्ग है ही नहीं तो फिर यह नपुंसकलिङ्ग कैसे है? इसी प्रकार कपट शब्द सस्कृत म 'पुल्लिङ्ग है और प्राकृत म भी इसका तदभव रूप कप्पड पुल्लिङ्ग है। जहाँ तक को परसग के प्रयोगाभाव का सम्बन्ध है, वह श्रिया कारण है, जैसे—मैंने एक लडकी देखा या मैंने एक लडकी देखी' दोनों वाक्यो मे 'को परसग का प्रयोग नहीं है पर ये नपुंसकलिङ्ग भी नहीं हैं। को न होन का कारण है 'हिन्दी का कर्मणि प्रयोग। जब इसका वत प्रयोग होगा तो को आ जायेगा, यथा—हरि न एक लडकी को देखा—वतु प्रयोग। हरि ने लडकी देखी—कर्मणि प्रयोग। अत वह सकते हैं कि कर्मणि प्रयोग और द्विकर्मक क्रिया के दूसरे कर्म को छोडकर सबत्र 'को का प्रयोग होना चाहिये।


सवनाम—प्राचीन भारतीय आय भाषा मे सवनामो की संख्या ३५ थी जो घटते घटते हिन्दी म केवल दस रह गयी। हिन्दी के सवनाम सबसे सरल हैं। सस्कृत म अस्मद और युष्मद को छोडकर सब सवनाम प्राय त्रिलिङ्गी हैं, जबकि हिन्दी मे सवनामो म लिङ्ग उलङ्घन है ही नहीं यथा—मैं जाता हूँ मैं जाती हूँ, तुम जाते हो तुम जाती हो यह जाता है और यह जाती है, आदि।

हिन्दी म सवनाम शब्दो को निम्नलिखित प्रकार से विभाजित किया गया है—

(१) पुरुषवाचक (२) सम्बन्धवाचक, (३) प्रश्नवाचक, (४) अनिश्चय वाचक और (५) निजवाचक।

(१) पुरुषवाचक सवनाम—व्यक्ति के साम्मुख्य और असाम्मुख्य को लेकर पुरुषवाचक सवनाम के तीन भेद किये जाते हैं—(१) उत्तम पुरुष (२) मध्यम पुरुष तथा (३) अय पुरुष।

उत्तम पुरुष—जो व्यक्ति किसी को कुछ कहता है उस कहने वाले का अपने लिए प्रयुक्त शब्द उत्तम पुरुष वाचक सवनाम कहलाता है, यथा मैं। इसका बहुवचन होता है हम। इसके भी दो रूप होते हैं (१) ऋजु और (२) तियक।



'मैं'—मैं की व्युत्पत्ति संस्कृत मया शब्द से हुई है। अपभ्रंश में तृतीया एकवचन का रूप मया के स्थान पर मइ मिलता है, जो हिन्दी में मैं बन जाता है। अपभ्रंश में यह कारण कारक के साथ-साथ कम तथा अधिकरण कारक में भी प्रयुक्त होने लगा और हिन्दी में यह कर्ता कारक के लिए ही स्वीकृत हो गया।

'हम'—हम की उत्पत्ति संस्कृत वय से न होकर वैदिक संस्कृत के अस्मे शब्द से हुई है, यथा—(छा) अस्म > (म भा आ) अम्ह > हम। बीच में एक रूप 'हम्भ' को भी विद्वान् स्वीकार करते हैं पर यह रूप कभी प्रयुक्त हुआ ही यह सदिग्ध है।

'मुझ'—'मुझ की उत्पत्ति संस्कृत 'मह्यम से हुई है, यथा (स) मह्यम > (म भा आ) मज्ज > (हि) मुझ।

'मेरा'—मेरा की उत्पत्ति मम केर से की जाती है। पर मेरी दृष्टि में इसकी व्युत्पत्ति महार से की जाए तो उत्तम रहे क्योंकि 'मम केर में प्रथम संस्कृत शब्द है और दूसरा अपभ्रंश। इस प्रकार से शब्द निर्माण का प्रचलन पाया नहीं जाता। अतः इसकी व्युत्पत्ति यो सम्भव हो सकती है कि संस्कृत के सम्बन्ध-सम्बन्धी 'ईय प्रत्यय के स्थान पर अपभ्रंश में डार' प्रत्यय होता है। ड का लोप होने पर आर बच जाता है और जब इसे पचमी के साथ लगाते हैं तो महार बनता है और ह के लोप पर मेआर' बनेगा जिससे स्वर विषय से मआरा 'मेरा' बन जायगा। ए के आदेश का जहां तक सम्बन्ध है यह प्रवृत्ति आधुनिक भारतीय आय भाषाओं में प्रचलित हो गयी थी। आधुनिक भारवाडी में सबत्र ह' के लोप के पश्चात् उसके पूर्ववर्ती अ को ऐ कर दिया जाता है। कहीं-कहीं ए भी मिलता है। यह मेरी दृष्टि में अधिक वनानिक है क्योंकि द्वितीया और तृतीया में इसका प्रयोग विशेषणवत् भी होता है।

'हमारा'—इसकी व्युत्पत्ति विद्वान् लोग 'अस्मकेर स करते आये है जो उचित नहीं। जब हम की व्युत्पत्ति—अम्ह से मानी जाती है—तो हमारा की व्युत्पत्ति अपभ्रंश अम्हार से मानी जानी चाहिये। (अप) अम्हार > हममार > (हि) हमारा।

मध्यम पुरुष—मध्यम पुरुष वहा होता है जहाँ चक्ता श्रोता के लिए सब नाम शब्द का प्रयोग करता है, यथा—तू। बहुवचन होगा तुम और तियक रूप हागे तुझ और तुम्ह तथा तेरा और तुम्हारा।

'तू'—'तू' की उत्पत्ति संस्कृत 'स्व > (म भा आ) तुअ > (अप) तुह > (हि) तू > (सा हि) तू' से हुई है। 'ह' के लोप के कारण उ का दीर्घ हो जाना अधिक वैज्ञानिक है।

'तुम'—'तुम' की व्युत्पत्ति प्राकृत तुम्ह से ह' के लोप होन पर निष्पन्न होती है।

'तुम'—तुम की व्युत्पत्ति संस्कृत 'तुम्यम' से स्पष्ट रूप में हो सकती है, यथा—(स) तुम्यम् > (म भा आ) तुज्ज > (हि) तुम।

'तेरा'—तेरा की व्युत्पत्ति 'तवकेर' से दिखाई जाती है, पर मरी दृष्टि में इसकी व्युत्पत्ति भी 'तुहार > तहार > तेरा' इस प्रकार होनी चाहिए।

'तुम्हारा'—इसकी व्युत्पत्ति तुम्हकेर से की जाती है। इसकी व्युत्पत्ति 'तुम्हार' (अपभ्रंश) से अधिक उपयुक्त है।

अय पुरुष—जिसके सम्बन्ध में वक्ता और श्रोता मार्तालाप करते हैं उसके लिए प्रयुक्त किया गया सबनाम शब्द अय पुरुषवाचक सबनाम कहलाता है। यह दो प्रकार का होता है, (१) समीपवर्ती और (२) दूरवर्ती। समीपवर्ती—यह दूरवर्ती—वह। इनके बहुवचन क्रमशः ये और व होते हैं और तिमक् रूप—इस (एकवचन), इन (बहुवचन) उस (एकवचन), उह उन (बहुवचन) होते हैं।

'यह'—यह की उत्पत्ति संस्कृत एष से हुई है। संस्कृत एष प्राकृत में एसा तथा अपभ्रंश में एहो' से ए का य हाकर पदान्त स्वर लोप से यह बना है। (स) एष > (प्रा) एसा > (अप) एहो > (हि) यह।

'ये'—ये की व्युत्पत्ति संस्कृत एते से हुई है। संस्कृत एते प्राकृत में एए मिलता है और अपभ्रंश में 'एह' इसमें सम्भवतः य' श्रुति का आगम हुआ है और 'ह' लोप से ये निष्पन्न हुआ होगा। यह व्युत्पत्ति कुछ सदिग्ध ही है। इतना अवश्य है कि मध्यकालीन हिन्दी में एकवचन में एहा^७ मिलता है और बहुवचन में ए^८। अतः अनुमान लगाया जा सकता है कि पाश्चव्य दिखाने के लिए 'बहुवचन' के 'ह' का लोप कर दिया गया है।

'इस'—इस की व्युत्पत्ति संस्कृत एतस्य^९ से निम्न प्रकार से हुई है (स) एतस्य > (प्रा) एअस्य > (हिन्दी) इस।

'इन/इह'—इन दोनों शब्दों की व्युत्पत्ति संस्कृत एतेषाम् से हुई है (अनुमानित) एतानाम् (म भा आ) एआण > (अप) एण्ह (हि) इह/इन।

'वह'—वह की व्युत्पत्ति संस्कृत असौ से निम्न प्रकार से की जाती है (स) असौ > (प्रा) असो > (अप) अहो > (हिन्दी) वह।

^७ सब कर फल एहा। डा. सरनामसिंह शर्मा—हिन्दी भाषा रूप विकास पृष्ठ ३०३ से उद्धृत।

^८ ए विचरहि मग विष त्राना। वही पृष्ठ ३०४ से उद्धृत।

'उस'—'उस की व्युत्पत्ति 'अमुष्य से सम्पन्न होती है, (स) अमुष्य > (प्रा) अमुस्स > (हिन्दी) उस।

'वे'—अपभ्रंश में अदस को ओई रूप [करण कारक में] मिलता है। बहुत सम्भव है जोई से व श्रुति का आगम होकर वे शब्द बना हो।

'उन/उह'—इसकी व्युत्पत्ति प्राकृत अउण से सम्भावित है, यथा—
(प्रा) अउण (अप/का) उण्ह > (हि) उन/उह।

(२) सम्बन्धवाचक—ये दो वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का सम्बन्ध बताते हैं। इसके ऋजु रूप में 'जो' (एकवचन) जो' (बहुवचन) बनते हैं और त्रियक रूप में 'जिस (एकवचन) जिन/जिह (बहुवचन) में बनते हैं।

'जो'—जो का विकास संस्कृत य से हुआ है, (स) य > (प्रा) जो > (हि) जो।

'जिस'—व्युत्पत्ति—(स) यस्य > (प्रा) जस्स > (हि) जिस।

'जिन'—(स) येषा से बतानी जाती है। जिह की भी येषा से है। मेरी दृष्टि में ये व्युत्पत्तियाँ सन्निग्ध हैं।

(३) प्रश्नवाचक—जो सवनाम शब्द व्यक्त के सम्बन्ध में जिज्ञासा की सूचना देते हैं वे प्रश्नवाचक सवनाम कहलाते हैं। इसके ऋजु रूप 'कौन (एकवचन) कौन (बहुवचन) त्रियक रूप—किस (एक वचन) किन/किह (बहुवचन) आदि बनते हैं।

'कौन'—इस शब्द की व्युत्पत्ति 'क पुन' संस्कृत शब्द से मानी जाती है, यथा—(स) क पुन > (प्रा) कवुण > (अप) कउण > (हि) कौन।

'किस'—इसकी व्युत्पत्ति संस्कृत 'कस्य स निष्पन्न होती है, यथा—(स) कस्य > (म भा आ) कस्स/किस्स > (हि) किस।

'किन/किह'—इसकी व्युत्पत्ति संस्कृत केपाम से बतलाते हैं पर यह अभी सन्निग्ध है।

(४) अनिश्चयवाचक—जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की अनिश्चयता सूचित की जाती है, वहाँ पर इस सवनाम का प्रयोग किया जाता है। इसका ऋजु रूप एकवचन और बहुवचन में 'कोई' होता है और त्रियक रूप किसी' (एकवचन), 'किही' (बहुवचन) होता है।

'कोई'—इसकी उत्पत्ति संस्कृत क अपि को'पि' से हुई है, यथा—
(स) कोऽपि > (प्रा) कापि > (अप) कोवि > (हि) कोई।

'किसी'—इस शब्द की व्युत्पत्ति निम्नप्रकार से मानी जाती है यथा—
(स) कस्यापि > (प्रा) कस्सवि > (अप) कस्सई > (हि) किसी।

'किही'—इसकी व्युत्पत्ति 'केपामपि से बतलाई जाती है।

(१) निजवाचक सवनाम—अपने लिए जब सवनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है तब उ-ह निजवाचक सवनाम कहते हैं। संस्कृत के हल्त 'आत्मन' शब्द का प्रयोग हिन्दी में सवनाम की तरह प्रयुक्त होने लग गया। संस्कृत 'आत्मन' शब्द के प्राकृत में दो रूप मिलते हैं एक अत्त' और दूसरा अप्प', अपभ्रंश में अप्पण भी बनता है। हिन्दी में प्राकृत अप्प' से आप और अपभ्रंश अप्पण से अपना' शब्द बने हैं। 'अप्पण' शब्द का सम्बन्ध प्राकृत 'अप्पणअ' और संस्कृत 'आत्मानक' से जोड़ा जा सकता है।

(स) आत्मन > (म भा आ) अप्प > (हि) आप।

(स) आत्मानक > (प्रा) अप्पणअ > (हि) अपना।

विशेषण—जो शब्द सज्ञाओं की विशेषता प्रकट करते हैं, उ-ह विशेषण कहा जाता है। ये शब्द कभी किसी वस्तु के गुण को कभी उसके परिमाण को तो कभी सख्या को प्रकट करते हैं। अतः इ-हे गुणवाचक परिमाणवाचक और सख्यावाचक विशेषण आदि तीन भागों में बाँट सकते हैं। परिमाणवाचक विशेषण में भी प्रयोग तो सख्या शब्दों का ही होता है पर विशेष्य के आधार पर पात होता है कि इसकी गणना नहीं हो सकती बल्कि नाप या तोल होता है। अतः कुछ विद्वान् मूलतः विशेषण को सख्यावाचक बनाकर उसके दो भेद करते हैं—(१) गणना मूलक सख्यावाचक विशेषण और (२) परिमाण मूलक सख्यावाचक विशेषण। उपर्युक्त तीनों भेदों का अनिश्चयात्मक रूप भी होते हैं यथा—कसा लडका, एसा लडका, वसा लडका आदि। ऐसे वाक्यों में गुण का बोध तो होता है किन्तु उस गुण के निश्चित रूप की प्रतीति नहीं होती। इसी प्रकार इतना दूध कितने लडके जितनी पुस्तक आदि में भी सख्या की निश्चयात्मकता का ज्ञान नहीं होता। अतः उ-धन तीनों भेदों में से प्रत्येक का निश्चयात्मक और अनिश्चयात्मक रूप में और विभाजित कर सकते हैं और इस प्रकार व्याकरण की दृष्टि से विशेषण में छ भेद हो जाते हैं परन्तु भाषा वैज्ञानिक विवेचन के लिए हम तीन ही भेद लेकर चलते हैं—(१) गुणवाचक विशेषण यथा—काला गोरा आदि, (२) सख्यावाचक विशेषण, दो तीन चार तीसरा तीनों, चौगुना आदि, (३) सावनामिक विशेषण अर्थात् जिन विशेषण शब्दों के मूल में सवनाम शब्दों की स्थिति पायी जाती है।

प्राचीन भारतीय आय भाषाओं और मध्यकासीन आय भाषाओं में विशेषण के लिङ्ग वचन और कारक उसके विशेष्य के अनुसार चलते थे पर आधुनिक भारतीय आय भाषाओं में इस प्रवृत्ति का परित्याग कर दिया गया है। डॉ० उदयनारायण तिवारी की यह बात उचित प्रतीत नहीं होती कि कवच साहित्यिक हिन्दी ने प्राचीन भारतीय आय भाषाओं की इस प्रवृत्ति को सुरक्षित

रखा है।^१ प्रायः समस्त आधुनिक भारतीय आय भाषाओं में केवल लिङ्ग के क्षेत्र में ओकारात् एव आकारात् भाषाओं के ओकारात् विशेषण और आकारात् विशेषण शब्द विशेष्य के लिङ्ग के अनुसार बदल जाते हैं। हाँ पञ्जाबी भाषा तो साहित्यिक हिन्दी से एक कदम और आगे बढ़ती है कि उसके स्त्रीलिङ्ग विशेषण शब्द विशेष्य के वचन का भी अनुसरण करते हैं। उपयुक्त इस वचन की पुष्टि उदाहरण के द्वारा इस प्रकार हो सकती है आकारात् भाषाएँ (हिन्दी)

	शुद्ध रूप एकवचन	शुद्ध रूप बहुवचन	तियक रूप एकवचन	तियक रूप बहुवचन
पुल्लिङ्ग—	अच्छा लडका	अच्छे लडके	अच्छे लडके	अच्छे लडकों
स्त्रीलिङ्ग—	अच्छी लडकी	अच्छी लडकियाँ	अच्छी लडकी	अच्छी लडकियों

आकारात् पञ्जाबी भाषा

	शुद्ध रूप एकवचन	शुद्ध रूप बहुवचन	तियक रूप एकवचन	तियक रूप बहुवचन
पुल्लिङ्ग—	अच्छा मुडा	अच्छे मुडे	अच्छे मुडे	अच्छे मुडा
स्त्रीलिङ्ग—	अच्छी कुडी	अच्छियाँ कुडियाँ	अच्छी कुडी	अच्छियाँ (या) कुडियाँ

आकारात् मराठी भाषा

	शुद्ध रूप एकवचन	शुद्ध रूप बहुवचन	तियक रूप एकवचन	तियक रूप बहुवचन
पुल्लिङ्ग—	काला घोडा	काले घोडे	काल्या घोड्या	काल्या घोड्या
स्त्रीलिङ्ग—	काली घोडी	काली घोड्या	काला घोडी	काली घोड्या

उपयुक्त उदाहरणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि आकारात् प्रधान भाषाओं के विशेषण शब्द (केवल आकारात्) विशेष्य के लिङ्ग और वचन के अनुसार चलते हैं पर तियक रूप के बहुवचन में विशेषण शब्द विशेष्य की प्रणाली से नहीं चलकर तियक रूप के एकवचन में ही रहता है अथवा या कहिये कि शुद्ध रूप के बहुवचन की स्थिति में ही रहता है। स्त्रीलिङ्ग में विशेषण सबध वचन की दृष्टि से एक रूप रहता है केवल पञ्जाबी भाषा को छोड़ कर।

ओ/ओकारात् भाषाएँ (मारवाड़ी)

	शुद्ध रूप एकवचन	शुद्ध रूप बहुवचन	तियक रूप एकवचन	तियक रूप बहुवचन
पुल्लिङ्ग—	भली छोरी	भला छोरा	भला छारा	भला छोरों
स्त्रीलिङ्ग—	भली छोरी	भली छोरियाँ	भली छोरी	भली छारियाँ

^१ डा उदयनारायण तिवारी—हिन्दी भाषा का उदगम और विकास पृ० ४३५।

(५) निजवाचक सवनाम—अपने लिए जब सवनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है तब उक्त निजवाचक सवनाम बढ़ते हैं। सस्युत के हस्तान् 'आरमन्' शब्द का प्रयोग हिन्दी में सवनाम की तरह प्रयुक्त हो सक गया। सस्युत 'आरमन्' शब्द का प्राकृत में दो रूप मिलते हैं एक अस्त और दूसरा 'अप्य', अपभ्रंश में अप्यण भी बनता है। हिन्दी में प्राकृत 'अप्य' से आप और अपभ्रंश 'अप्यण' से अपना शब्द बन है। 'अप्यण' शब्द का साम्यय प्राकृत 'अप्यणञ' और सस्युत 'आरमानञ' से जोड़ा जा सकता है।

(स) आरमन् > (म भा आ) अप्य > (हि) आप।

(स) आरमानञ > (प्रा) अप्यणञ > (हि) अपना।

विशेषण—जो शब्द समास की विशेषता प्रकट करते हैं, उन्हें विशेषण कहा जाता है। ये शब्द कभी किसी वस्तु का गुण को कभी उसके परिमाण को तो कभी सख्या को प्रकट करते हैं। अतः इन्हें गुणवाचक परिमाणवाचक और सख्यावाचक विशेषण आदि तीन भागों में बाँट सकते हैं। परिमाणवाचक विशेषण में भी प्रयोग तो सख्या शब्दों का ही होता है पर विशेष्य के आधार पर ज्ञात होता है कि इसकी गणना नहीं हो सकती बल्कि नाप या तोल होता है। अतः कुछ विद्वान् मूलतः विशेषण को सख्यावाचक बनाकर उसके दो भेद करते हैं—(१) गणना मूलक सख्यावाचक विशेषण और (२) परिमाण मूलक सख्यावाचक विशेषण। उपयुक्त तीनों भेदों के अनिश्चयात्मक रूप भी होते हैं, यथा—कसा लडका ऐसा लडका, बसा लडका आदि। ऐसे वाक्यों से गुण का बोध तो होता है किन्तु उस गुण के निश्चित रूप की प्रतीति नहीं होती। इसी प्रकार इतना दूध, कितना लडके जितनी पुस्तकें आदि में भी सख्या की निश्चयात्मकता का ज्ञान नहीं होता। अतः उक्त तीनों भेदों में से प्रत्येक को निश्चयात्मक और अनिश्चयात्मक रूप में और विभाजित कर सकते हैं और इस प्रकार व्याकरण की दृष्टि से विशेषण के छ भेद हो जाते हैं परन्तु भाषा वैज्ञानिक विवेचन के लिए हम तीन ही भेद लेकर चलते हैं—(१) गुणवाचक विशेषण, यथा—काला, गोरा आदि, (२) सख्यावाचक विशेषण, दो, तीन चार तीसरा तीनों चौगुना आदि, (३) साधनात्मक विशेषण अर्थात् जिन विशेषण शब्दों के मूल में सवनाम शब्दों की स्थिति पायी जाती हो।

प्राचीन भारतीय आय भाषाओं और मध्यकालीन आय भाषाओं में विशेषण के निज्ज वचन और कारक उसके विशेष्य के अनुसार चलते थे पर आधुनिक भारतीय आय भाषाओं में इस प्रवृत्ति का परित्याग कर दिया गया है। डॉ० उदयनारायण तिवारी का यह बात उचित प्रतीत नहीं होती कि केवल साहित्यिक हिन्दी ने प्राचीन भारतीय आय भाषाओं की इस प्रवृत्ति को सुरक्षित

गया है।^{१०} प्रायः समस्त आधुनिक भारतीय आय भाषाओं में केवल लिङ्ग के क्षेत्र में ओकारात् एव आकारात् भाषाओं के ओकारात् विशेषण और आकारात् विशेषण शब्द विशेष्य के लिङ्ग के अनुसार बदल जाते हैं। हाँ, पञ्जाबी भाषा तो साहित्यिक हिन्दी से एक कदम और आगे बढ़ती है कि उसके स्त्रीलिङ्ग विशेषण शब्द विशेष्य के वचन का भी अनुसरण करते हैं। उपयुक्त इस कथन की पुष्टि उदाहरण के द्वारा इस प्रकार हो सकती है

	ऋजु रूप एकवचन	ऋजु रूप बहुवचन	तियक रूप एकवचन	तियक रूप बहुवचन
पुलिनङ्ग—	अच्छा लडकी	अच्छे लडके	अच्छे लडके	अच्छे लडको
स्त्रीलिङ्ग—	अच्छी लडकी	अच्छी लडकिया	अच्छी लडकी	अच्छी लडकियों

आकारात् पञ्जाबी भाषा

	ऋजु रूप एकवचन	ऋजु रूप बहुवचन	तियक् रूप एकवचन	तियक रूप बहुवचन
पुलिनङ्ग—	अच्छा मुडा	अच्छे मुडे	अच्छे मुडे	अच्छे मुडा
स्त्रीलिङ्ग—	अच्छी कुडी	अच्छियाँ कुडियाँ	अच्छी कुडी	अच्छियाँ (या) कुडिया

आकारान्त मराठी भाषा

	ऋजु रूप एकवचन	ऋजु रूप बहुवचन	तियक रूप एकवचन	तियक रूप बहुवचन
पुलिनङ्ग—	काला घोडा	काले घोडे	काल्या घोड्या	काल्या घोडया
स्त्रीलिङ्ग—	काली घोडी	काली घोडया	काली घोडी	काली घोडया

उपयुक्त उदाहरणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि आकारात् प्रधान भाषाओं के विशेषण शब्द (केवल आकारात्) विशेष्य के लिङ्ग और वचन के अनुसार चलते हैं पर तियक रूप के बहुवचन में विशेषण शब्द विशेष्य की प्रणाली से नहीं चलकर तियक रूप के एकवचन में ही रहता है, अथवा यों कहिये कि ऋजु रूप के बहुवचन की स्थिति में ही रहता है। स्त्रीलिङ्ग में विशेषण सब वचन की दृष्टि से एक रूप रहता है केवल पञ्जाबी भाषा को छोड़ कर।

ओ/ओकारात् भाषाएँ (भारवाडी)

	ऋजु रूप एकवचन	ऋजु रूप बहुवचन	तियक रूप एकवचन	तियक रूप बहुवचन
पुलिनङ्ग—	भली छोरी	भला छोरा	भला छारा	भला छोरा
स्त्रीलिङ्ग—	भली छोरी	भली छार्या	भली छोरी	भली छारया

^{१०} डॉ. उदयनारायण तिवारी—हिन्दी भाषा का उद्गम और विकास पृ० ४३५।

वज्रभाषा

	शृजु रूप	शृजु रूप	तियक रूप	तियक रूप
	एकवचन	बहुवचन	एकवचन	बहुवचन
पुल्लिङ्ग—	अच्छी/छा	अच्छे	अच्छे	अच्छे
	पामरो/रो	पामरे	पामरे	पामरे न्
स्त्रीलिङ्ग—	अच्छा	अच्छी	अच्छी	अच्छी
	पामरी	पामरी	पामरी	पामरिन/रीन्

गुजराती

पुल्लिङ्ग— सारो छोकरो सारा छोकरा सारा छोकरा सारा छोकराओ

स्त्रीलिङ्ग— सारी छाकरी सारी छोकरीओं सारी छोकरी सारी छोकरीओ

उपयुक्त उदाहरणों में भी आकारात् प्रधान भाषाओं की प्रणाली का ही अनुगमन किया गया है। आकारात् विशेषण क अतिरिक्त सभी विशेषण शब्द हिन्दी में एक रूप रहते हैं विशेष्य के लिङ्ग और वचन के अनुसार परिवर्तित नहीं होते, यथा—सुन्दर बालक, सुन्दर बालिका सुन्दर बालका सुन्दर बालिकाओ/बालिकाएँ आदि। सस्कृत भाषा के अनुकरण पर तथा सौम्य की दृष्टि से कहीं कहीं मतुप्, इन, विन् क्त ईयस तथा मय आदि प्रत्ययात् तत्सम विशेषण शब्द अपने विशेष्य के लिङ्ग के अनुसार बदल जाते हैं यथा—मनोहारी पुरुष और मनोहारिणी स्त्री बलवान भाव और बलवती इच्छा आदि किन्तु हिन्दी में इसके लिए कट्टरता नहीं बरती जाती, यथा—राम विद्यार्थी है और सीता विद्यार्थी है राम घनी पुरुष है और सीता घनी स्त्री है आदि।

सख्यावाचक विशेषण—सख्यावाचक विशेषण में ग्यारह, बारह तेरह और पंद्रह को छोड़कर सभी सख्यावाचक शब्दों की उत्पत्ति सस्कृत सख्याओं से सम्पन्न हो जाती है। यद्यपि उक्त तीनों शब्दों की व्युत्पत्ति भी विद्वान् लोग सस्कृत एकादश, द्वादश और त्रयोदश से ही करत हैं तो भी उनका 'र' की व्युत्पत्ति के लिए दिया गया तक मले नहीं उतरता। कुछ लोग द के लिए र् का आदेश बताते हैं कुछ लोग द का लाप कर र का आगम करते हैं पर यह क्लिष्ट कल्पना ही है, क्योंकि र् का ड का आदेश तो प्राकृतों में मिलता है पर द को र् का आदेश केवल इन तीन स्थलों को छोड़कर कहीं नहीं मिलता। पाली भाषा में हम देखते हैं कि उसके ध्वनि नियम के अनुसार 'द्वादश' का 'दुवादस' तो मिलता ही है साथ ही बारस भी मिलता है यह रूप एकत्र कहीं में आ गया? विचारणीय विषय है और स्मरणीय बात यह है कि आगे की भाषाओं ने इसी रूप को सर्वाधिक मात्रा में अपनाया भी है। उसी आपार पर ग्यारह और तेरह का भी रूप निर्धारित हुआ जान होता है। उक्त व्युत्पत्ति में ग का ह तो गचना है पर द् का 'र' विलुप्त समझ में नहीं

जाता। हा 'त' के साथ 'र' आगम (मुख्यतया और सम्भवत 'त्र' के मिथ्या सादृश्य के आधार पर) के उदाहरण मध्यकालीन राजस्थानी में बहुतायत से मिलते हैं। अतः बहुत सम्भव है कि 'त' के साथ 'र' के आगम की प्रवृत्ति प्राचीन भारतीय आय भाषाओं की किसी बोली विशेष में रही हो और उस बोली में सबसे प्रथम 'सप्तदश' के स्थान पर 'सत्तरह' का प्रयोग प्रारम्भ हुआ हो और फिर अन्य ये चार शब्द भी वही से आ गए हों, पर इसमें 'चौदह' की समस्या बनी रह जाती है। अतः इस पर कुछ अधिक सूक्ष्मता और तुलनात्मक शैली से अध्ययन की आवश्यकता है। शेष शब्द निम्न प्रकार से व्युत्पन्न हैं—

हिंदी	स० भा० आ०	प्रा० भा० आ०
एक	एक	एक
दो	दु ^{१०} (द्वि पालि)	द्वि
तीन	तिणि	त्रीणि
चार	चत्तारो/चत्तारि	चत्वारि
पाँच	पच	पञ्च
छ	छह	षट् (षप)
सात	सत्त	सप्त
आठ	अटठ	अष्ट
नौ	नउ	नव
दस	दस	दश
बीस	बीसअ/बीसइ	विंश
तीस	तीसअ	त्रिंशत
चालीस	चत्तालीसा	चत्वारिंशत
पचास	पचासा	पञ्चाशत
साठ	सटिठ	षष्टि
सत्तर	सत्तरि	सप्तति
अस्सी	असीइ	अशीति
नब्बे	नवए	नवति
सौ	सउ	शतम्
लाख	नवख	लख
नरोड	कोडि	कोटि
अरब	×	अबुद
खरब	×	खब

(ख) कमवाचक विशेषण—कमवाचक बनाने के लिए प्रथम में 'ला', द्वितीय, तृतीय में सरा, चतुर्थ में 'चा', छठे में 'आ' और शेष सब में 'वा' प्रत्यय लगाये जाते हैं। 'ला' की व्युत्पत्ति सदृश है, 'सर' 'सूत' से, 'आ' 'अ' से 'वां' संस्कृत 'म' से अ के स्थान पर 'आं' बढ़ाकर व्युत्पन्न किये जाते हैं।

(ग) समानुपाती सख्यावाचक—इन विशेषण शब्दों के साथ प्रायः 'गुना' शब्द जोड़कर निष्पन्न कर लिया जाता है, यथा—दुगुना त्रिगुना, दसगुना आदि। गुना शब्द संस्कृत गुणक >(म भा आ) गुणज>(हि) गुना से व्युत्पन्न हुआ है।

सावनामिक विशेषण—सावनामिक विशेषण वे शब्द होते हैं जिनका मूल सवनाम शब्दों में निहित होता है। ये दो प्रकार के होते हैं—(१) गुणवाचक (२) अनिश्चित सख्यावाचक, जो गणना और परिमाण दोनों में प्रयुक्त हो सकते हैं। डा उदयनारायण तिवारी का इह केवल परिमाणवाचक कहना उचित प्रतीत नहीं होता क्योंकि 'इतना दूध कह सकते हैं तो इतने लडके' भी कहा जा सकता है।

(क) गुणवाचक सावनामिक विशेषण—गुण को व्यक्त करने वाले सावनामिक विशेषण शब्दों में लगभग पाँच हैं—(१) ऐसा (२) वसा (३) वैसा (४) तसा और (५) जसा।

व्युत्पत्ति

(१) ऐसा—ऐसा शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत एतादृशक से हुई है यथा—(स) एतादृशक >(म भा आ) एदसअ>(अप) अदसअ>(हि) ऐसा।

(२) वसा—(स) वीशक >(प्रा) वइगअ (अप) वइसअ >(हि) वसा।

(३) वैसा—(म) वीनाशक >(म भा आ) वइगअ >(हि) वसा।

(४) तसा—(म) तादृशक >(म भा आ) तइसअ >(हि) तसा।

(५) जसा—(स) जाशक >(म भा आ) जइमअ >(हि) जसा।

(ख) अनिश्चित सख्यावाचक सावनामिक विशेषण—य शब्द गणना परिमाण को सूचित करते हैं जिनकी मर्यादा निश्चित नहीं है। य भी सख्या में पाँच ही हैं। इनका रूप ता अत वाता है पर हिन्दी में ना प्रथम^{११} और जोड़ दत्त में इनके रूप—(१) इतना (२) उतना (३) जितना (४) कितना (५) तितना (यह शब्द साहित्यिक हिन्दी में प्रयुक्त नहीं जाते) यत्र जाते हैं।

^{११} ना प्रथम का बोध न उपनावाचक प्रथम माना है पर यह अपना अर्थ तो बैठा है। [डा उदयनारायण तिवारी वृत्त हिन्दी भाषा का उद्गम और विकास पृष्ठ ४५७ क अनुसार]।

(१) इतना—(स) इयत्तक > (म भा आ) एत्तिअ > (हिन्दी) इत्ता + ना = इतना ।

(२) उतना—(स) उयत्तक > (म भा आ) उत्तिअ > (हिन्दी) उत्ता + ना = उतना ।

(३) जितना—(म भा आ) जेत्तिअ > (हि) जित्ता + ना = जितना ।
पिशल ने इसके लिए 'यमत्तक' शब्द की संस्कृत भाषा में होने की कल्पना की है।^{१२}

(४) कितना—(स) कियत्तक > (म भा आ) केत्तिअ > (हि) कित्ता + ना = कितना ।

(५) तितना—(स) तित्तक (कल्पित) > (म भा आ) तेत्तिअ > (हि) तित्ता + ना = तितना ।

आख्यात—आख्यात के मूल रूप को घातु कहते हैं। प्राचीन भारतीय आय भाषाओं में दो प्रकार की घातुएँ उपलब्ध होती हैं—(१) सिद्ध घातुएँ अर्थात् मूल घातुएँ, (२) साधित/साध्य घातुएँ अर्थात् प्रत्यय इत्यादि लगाकर बनाई गई घातुएँ। सिद्ध घातुओं के अन्तर्गत संस्कृत में भाषा की अकर्मक, सकर्मक तथा द्विकर्मक घातुएँ आती हैं। संस्कृत में घातुएँ मूलतः अकर्मक, यथा—हृस्, स्वप्, विश, चल आदि। सकर्मक, यथा—खाद, वृ, स्त्री, तन् आदि तथा द्विकर्मक, यथा—दुह्, जि, द्रू शास आदि होती हैं। इनमें कोई भी प्रत्यय लगाकर सकर्मक अथवा द्विकर्मक बनाने की प्रणाली संस्कृत में नहीं है। साधित घातुओं से तात्पर्य है किसी सिद्ध घातु या नाम के साथ प्रत्यय आदि जोड़कर भिन्नायक घातु का निर्माण करना, यथा—प्रेरणायक सघ्नत तथा यदलुङ्गत आदि।

हिन्दी भाषा में इस प्रक्रिया को कुछ परिवर्तित कर दिया दिखाई देता है। अनेक विद्वानों—हानले प्रियसन, डा चाटुर्ग्या, डा तिवारी तथा डा सरनाम सिंह ने हिन्दी घातुओं को भी दो भागों में ही विभाजित किया है—(१) सिद्ध घातुएँ, (२) साधित घातुएँ। डॉ उदयनारायण तिवारी ने इनका विकरण निम्न प्रकार से दिया है—

वर्गीकरण

(१) सिद्ध घातुएँ

- (१) संस्कृत से आई हुई तद्भव सिद्ध घातुएँ—(क) साधारण घातुएँ
(ख) उपसर्गयुक्त घातुएँ ।

^{१२} पिशल—प्राकृत ध्याकरण नियम स १४५ अनुवादक हेमचन्द्र जोशी की लिटि। पिशल ने अनेक काल्पनिक शब्दों से विश्वास दिखलाया है। जैसे—उपयुक्त औरादशक' संस्कृत में नहीं मिलता। इसी प्रकार अय शब्द (उयत्तक) भी दृश्यनीय है।

- (२) सस्कृत निजंत से आई हुई सिद्ध धातुएँ ।
 (३) सस्कृत से पुन व्यवहृत तत्सम और अधतत्सम धातुएँ ।
 (४) सदिग्ध व्युत्पत्ति वाली देशी धातुएँ ।

(२) साधित धातुएँ

(१) आकारान्त निजंत (प्रेरणायक)

(क) तदभव—(१) प्राचीन (उत्तराधिकार मूत्र से प्राप्त) ।

(२) नवीन (पुराना तथा आधुनिक हिन्दी में बनी हुई) ।

(२) नामधातु—

(ख) तत्सम

(ग) तदभव ।

(३) मिश्रित अथवा संयुक्त एव प्रत्यय युक्त (तदभव) ।

(४) ध्वंसारमक अथवा अनुकार ध्वनिज धातुएँ ।

(५) सदिग्ध व्युत्पत्ति की धातुएँ ।

उपयुक्त वर्गीकरण यद्यपि संवभाष्य सा हो गया है तथापि इसमें एक कमी दृष्टिगत हाती है । जसा कि सस्कृत धातुओं के विभाजन में निवेदन किया गया है कि सस्कृत भाषा में सक्रमक और द्विक्रमक धातुएँ सिद्ध धातुएँ हैं वहाँ इनके लिए साधित प्रणाली का प्रावधान नहीं है । कारण स्पष्ट है कि सस्कृत भाषा की प्रवृत्ति ही ऐसी है । हिन्दी भाषा में अक्रमक धातुओं को सक्रमक बनाया जाता है तथा सक्रमक को द्विक्रमक । अतः साधित धातुओं में उक्त धातुओं का प्रावधान भी होना चाहिये । उदाहरण के द्वारा इहे या स्पष्ट किया जा सकता है—हिन्दी में 'हँस' अक्रमक धातु है इसका सक्रमक रूप बनेगा 'हँसा' यथा—(१) बच्चा हँसता है । (२) माँ बच्चे को हँसाती है । श्री विशोरीदास वाजपेयी इस द्विकृत अथवा प्रेरणा कहते हैं और (३) माँ बच्चे को नौकर से हँसवाती है' को कहें प्रेरणा की प्रेरणा । यदि कोई कहे 'हँसवावती है' तो इस वाजपेयी जी कहे प्रेरणा की प्रेरणा की प्रेरणा और इस प्रकार इस प्रेरणा का कोई अंत न होगा । यहाँ वाक्य न० २ में बक्ता का अभिप्राय 'हँसने के कर्तृत्व को बताना नहीं है, अपितु 'हँसाने का कर्तृत्व बताने की अभिलाषा है । फलतः कर्ता माँ होगी न कि बच्चा । जब कि वाजपेयीजी 'माँ को गौण कर्ता का स्थान देते हैं । इसका एक मात्र कारण वाजपेयी जी की दृष्टि का सिद्ध धातु पर टिके रहना ही है । वस्तुतः 'प्रेरणा' में किसी से काम करवाने की इच्छा मात्र निहित होती है और वह प्रेरक कर्ता केवल प्रेरणा का काम मात्र करता है और मूल क्रिया से संवधा असम्भूत हो जाता है, जबकि सक्रमक प्रयोग में वह किसी न किसी रूप में क्रिया के साथ

सम्पृक्त रहता है। उदाहरण से इसे यो समझा जा सकता है—‘राम रोता है का अर्थ होगा कि उसकी आँखों में से आँसू आ रहे हैं अथवा उसका मुख ऐसा बना हुआ है जिससे लगता है कि वह रोने की क्रिया कर रहा है। इसमें कर्ता ‘राम’ है। अब मान लीजिए कि एक बच्चा माँ को शिकायत कर रहा है ‘अशोक पप्पू को रुलाता है’ तो उक्त वाक्य में बच्चा माँ को यह बताने में इतना उत्सुक नहीं है कि ‘पप्पू रो रहा है बल्कि यह बताने में अधिक उत्कट है कि ‘अशोक’ ‘पप्पू को किन्हीं चेष्टाओं के द्वारा रोने के लिए बाध्य कर रहा है। अतः ‘अशोक’ का कर्तृत्व स्वतः सिद्ध हो जाता है। अब प्रश्न यह शेष रह जाता है कि ‘पप्पू’ को क्या मानें? क्या यह विशुद्ध कम है? वास्तव में पप्पू विशुद्ध कम है। चलाने का फल ‘पप्पू’ को ही मिल रहा है। अस्तु उपर्युक्त वर्गीकरण में इतना सशोधन अपेक्षित कि आकारात् अकर्मक से यनी सकर्मक धातुएँ तथा सकर्मक से यनी द्विकर्मक धातुएँ भी साधित धातुओं में सम्मिलित की जानी चाहियें और प्रेरणायक धातुओं को उपरिस्थित सकर्मक द्विकर्मक आदि धातुओं से अंतर स्पष्ट करने के लिए अब/अवा प्रत्ययान धातुएँ कहना चाहिये न कि आकारात् गिजत।

(१) सिद्ध धातुएँ^{१३}—वे अकर्मक सकर्मक एवं द्विकर्मक धातुएँ जो अपने मूल रूप में प्रयुक्त होती हैं सिद्ध धातुएँ कहलाती हैं। इन्हें पूरक पृष्ठा* में पाँच भागों में विभाजित किया गया है—

(१) साधारण तदभव सिद्ध धातुएँ—✓वाप ✓काढ ✓गल ✓चल ✓काट ✓कह आदि।

(२) उपसर्ग युक्त सिद्ध धातुएँ—✓उपज ✓उजड़ ✓उतर ✓निरख ✓परत ✓पखाल आदि।

(३) गिजत में आई सिद्ध धातुएँ—✓मार ✓उखाड़ ✓तार ✓ताप ✓पसार, ✓हार आदि।

(४) अघतत्सम शब्दों में आई हुई—✓गरज ✓जरज ✓तज ✓दुह ✓रच आदि।

(५) सदिग्ध युत्पत्तिवाली धातुएँ—✓टोह, ✓टोक ✓लोट ✓लड, ✓फडक आदि।

(२) साधित धातुएँ—सिद्ध धातुओं तथा नाम आदि के साथ प्रत्यय लगाकर जिन धातुओं का निर्माण किया जाता है उन्हें साधित धातुएँ कहा

^{१३} विस्तार के लिए देखें—हार्नले कृत हिन्दी धातुएँ और डा उदयनारायण कृत हिन्दी भाषा का उदगम और विकास पृष्ठ ४६७ से ४७२ तक।

* वर्गीकरण—उदयनारायण तिवारी द्वारा प्रदत्त।

जाता है। हिन्दी में साधित धातुएँ प्रमश इस प्रकार विवेचित की जा सकती हैं।

(१) आकारात् सक्रमक और द्विक्रमक तथा प्रेरणायक धातुएँ—हिन्दी में अक्रमक धातुओं और सक्रमक धातुओं को प्रमश सक्रमक, द्विक्रमक और प्रेरणायक बनाया जाता है। इसके लिए मूल धातु के साथ आ तथा वा प्रत्यय लगाये जाते हैं। 'आ तथा वा' प्रत्ययों का विकास संस्कृत के निजन्त रूप से हुआ ज्ञात होता है। डा उदयनारायण तिवारी^{१४} और डा सरनामसिंह शर्मा^{१५} निजन्त धातुओं में आय प्रत्यय की बात कही है पर संस्कृत के निजन्त में 'आय्' प्रत्यय कहीं पर भी दृष्टिगत नहीं होता। संस्कृत में निच् के ण और च का लोप हाकर इ बनता है और प्रत्यय के बाद भ्वादि गण के अ' विकरण को रखा जाता है और इ को गुण (ए) हो जाता है। आगे पड़े हुए ज के कारण ए को अय हो जाता है और इस प्रकार निच् का अय रूप होता है, पर आय कदापि नहीं। विद्वानों का आय का भ्रम सम्भवत बहुत सी धातुओं में आय अक्षर म आ होने के कारण अथवा आद्य अक्षर के अ को आ कर देने के कारण हुआ लगता है पर संस्कृत में आद्य' अक्षर के अ को हुए आ के और अय प्रत्यय के बीज में कोई न कोई स्वर या व्यञ्जन अवश्य रहता है जहाँ आ के पश्चात् एकदम अय प्रत्यय आ भी जाता है वहाँ संस्कृत की प्रकृति के अनुसार प या ल का आगम हो जाता है। अत यह प्रश्न पूणत विचारणीय है तथा मननीय भी। उसे उदाहरणों से यो स्पष्ट किया जा सकता है—

(क) जहाँ आद्य अक्षर के 'अ को आ कर दिया जाता है— $\sqrt{\text{षद्}} + \text{निच्} = \sqrt{\text{वादय}} \quad \sqrt{\text{सद्}} + \text{निच्} = \sqrt{\text{सादय}} \quad \sqrt{\text{अद्}} + \text{निच्} = \text{आय्}$
 $\sqrt{\text{तद्}} + \text{निच्} = \sqrt{\text{ताडय}}$ आदि।

(ख) जहाँ 'अ को आ' नहीं होता— $\sqrt{\text{रक्ष}} + \text{निच्} = \sqrt{\text{रक्षय}} \quad \sqrt{\text{कथ}} + \text{निच्} = \sqrt{\text{कथय}} \quad \sqrt{\text{भक्ष}} + \text{निच्} = \sqrt{\text{भक्षय}} \quad \sqrt{\text{गम}} + \text{निच्} = \text{गमय}$ ।

(ग) आद्य अक्षर में 'आ अथवा ऐ होने पर जबकि धातु में केवल एक व्यञ्जन या समुक्त व्यञ्जन के साथ उक्त स्वर हो यथा—दा पा, लै आदि। इनमें 'प या ल' का आगम होता है, यथा—

^{१४} उदयनारायण तिवारी कृत हिन्दी भाषा का उदगम और विकास पृष्ठ ४७३ (द्वितीय संस्करण)।

^{१५} डॉ सरनामसिंह शर्मा 'अद्य कृत हिन्दी भाषा रूप विकास पृष्ठ ३२४।

‘प’— $\sqrt{\text{स्था}} + \text{णिच्} = \sqrt{\text{स्थापय}}$ $\sqrt{\text{ना}} + \text{णिच्} = \sqrt{\text{ज्ञापय}}$ $\sqrt{\text{दा}} + \text{णिच्} = \sqrt{\text{दापय}}$, $\sqrt{\text{पा}} (\text{पीना}) + \text{णिच्} = \sqrt{\text{पायय}}$ ।

‘ल’— $\sqrt{\text{पा}} + \text{णिच्} = \sqrt{\text{पालय}}$

संस्कृत भाषा में सामान्यतः यह भी देखा जाता है कि धातु के साथ णिच् प्रत्यय लगाने पर आद्य अक्षर को ‘इ’ को ‘ए’, ‘ई’ का आद्य, ‘उ’ को जो तथा आव, ऋ को ‘अर’ और ‘आर’ ‘ए’ को ‘आ’ हो जाता है। (आ हो जाने से प का आगम हो जाता है।) कुछ धातुओं को इ, ई को भी आ हो जाता है और फिर ‘प’ का आगम। कही-कही उ को ‘ऊ’ भी होता है। यथा—

इ को ए’— $\sqrt{\text{इप}} + \text{णिच्} = \sqrt{\text{एपय}}$ $\sqrt{\text{विलश}} + \text{णिच्} = \sqrt{\text{विलेशय}}$
 $\sqrt{\text{क्षिप्}} + \text{णिच्} = \sqrt{\text{क्षेपय}}$ ।

ई को आय— $\sqrt{\text{नी}} + \text{णिच्} + \sqrt{\text{नायय}}$, $\sqrt{\text{शी}} + \text{णिच्} = \sqrt{\text{शायय}}$
 $\sqrt{\text{भी}} + \text{णिच्} = \sqrt{\text{भायय}}$ ।

‘उ’ को ओ— $\sqrt{\text{चुर}} + \text{णिच्} = \sqrt{\text{चोरय}}$ $\sqrt{\text{मुष्ट}} + \text{णिच्} = \sqrt{\text{मोदय}}$,
 $\sqrt{\text{मुप}} + \text{णिच्} = \sqrt{\text{मोपय}}$ $\sqrt{\text{युज}} + \text{णिच्} = \sqrt{\text{योजय}}$ ।

उ को आय— $\sqrt{\text{हु}} + \text{णिच्} = \sqrt{\text{हावय}}$ $\sqrt{\text{स्तु}} + \text{णिच्} = \sqrt{\text{स्तावय}}$
 $\sqrt{\text{थ्र}} + \text{णिच्} = \sqrt{\text{थ्रावय}}$ $\sqrt{\text{सु}} + \text{णिच्} = \sqrt{\text{सावय}}$ ।

ऋ को अर/आर— $\sqrt{\text{वृष}} + \text{णिच्} = \sqrt{\text{वधय}}$ $\sqrt{\text{वृत}} + \text{णिच्} = \sqrt{\text{वतय}}$
 $\sqrt{\text{भृ}} + \text{णिच्} = \sqrt{\text{भारय}}$ $\sqrt{\text{कृ}} + \text{णिच्} = \sqrt{\text{कारय}}$ ।

ऐ को आ(+प)— $\sqrt{\text{ग्लै}} + \text{णिच्} = \sqrt{\text{ग्लापय}}$, $\sqrt{\text{गै}} + \text{णिच्} = \sqrt{\text{गापय}}$
 $\sqrt{\text{म्ल}} + \text{णिच्} = \sqrt{\text{म्लापय}}$ $\sqrt{\text{ध्यै}} + \text{णिच्} = \sqrt{\text{ध्यापय}}$ ।

इ ई’ को आ— $\sqrt{\text{जी}} + \text{णिच्} = \sqrt{\text{जापय}}$ $\sqrt{\text{क्री}} + \text{णिच्} = \sqrt{\text{क्रापय}}$
 $\sqrt{\text{अधि}} + \text{इ} + \text{णिच्} = \sqrt{\text{अध्यापय}}$ ।

‘उ’ को ऊ— $\sqrt{\text{गुह}} + \text{णिच्} = \sqrt{\text{गूहय}}$ ।

उपर्युक्त उदाहरणों का अध्ययन करने पर एक बात ध्यानपूर्वक स्पष्ट हो जाती है कि संस्कृत भाषा में धातु को णिच् त बनाते समय आ ध्वनि का बहुत बड़ा योग रहता है। किसी न किसी रास्ते से जैसे-तैसे करके अधिकांश णिच् त धातुओं के आद्य अक्षर में आ’ जा ही जाता है और आ के आने पर अथवा पूर्वस्थिति आ’ के कारण प का आगम भी हो जाता है। इस प्रकार जा अकेले और आप ने आधुनिक भारतीय आय भाषाओं में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यदि यह कहा जाय कि इनका प्रभाव इतना बढ़ गया कि मुख्य प्रत्यय ‘अय’ को भी मुह की खानी पड़ी और मध्यकाल में ही णिच् त धातुओं में आव या अव का प्रयोग प्रारम्भ हो गया जो ‘आप’ का स्पष्ट विकसित रूप ही कहा जा सकता है जो आज तक हिंदी भाषा में सुरक्षित है

तथा इसका प्रयाग 'णिच्' प्रत्यय के स्थान पर घटले से होने लगा। भाषा वज्ञानिक विकास को दृष्टि में रखते हुए 'आव' का विकास 'अय्' की अपेक्षा 'आप' से अधिक सटीक बैठता है। हिन्दी में यह स्थिति दो रूपों में आई— एक स्वतंत्र 'आ' के रूप में और दूसरी 'आव' के रूप में। 'आ' न अकर्मक धातुओं को सकर्मक बनाया और सकर्मक धातुओं को द्विकर्मक तथा 'आव' ने प्रेरणायक क्रियाओं का निर्माण किया। प्राकृतों का यह 'आव' स्थान विषयय से अवा हो जाता है तथा ग्रामीण प्रयोगों में 'आव' भी मिलता है। इसकी व्याख्या यों भी कर सकते हैं कि 'आव्' के 'आ' का लोप होकर पूर्व प्रत्यय आ आगे आ बठा और इस प्रकार दो प्रत्ययों से प्रेरणायक का निर्माण हुआ। इनमें प्रथम व्याख्या ही अधिक ठीक लगती है, क्योंकि भाषाओं में इस प्रकार का विकास प्रथम अय स्थानों पर भी देखने को मिलता है। विकास का एक रूप हिन्दी में यह भी है जिसका संकेत पहले दिया जा चुका है कि सस्वृत में यह आगम धातु के क्लेवर में होता था और हिन्दी में यह धातु के अंत में लगाया जाता है। इसीलिए सस्कृत के इस आगम को प्रत्यय की सजा दी गई है। ल की स्थिति हिन्दी में भी सस्वृत के समान ही है। वहाँ भी इसका आगम होता था और हिन्दी में भी कुछ धातुओं में इसका आगम ही होता है, जैसे $\sqrt{\text{खा}} + \text{आ} = \sqrt{\text{खिला}}$ $\sqrt{\text{नहा}} + \text{आ} = \sqrt{\text{नहला}}$ $\sqrt{\text{दे}} + \text{आ} = \sqrt{\text{दिला}}$ आदि।

इस विषय में एक बात और कहनी है कि हिन्दी में प्रेरणायक धातु बनाते समय आद्य यञ्जन व स्वर का विकास सस्वृत से बिल्कुल विपरीत दिशा में होता है। उपयुक्त उदाहरणों में आप देखेंगे कि सस्वृत में इ को 'ए' और 'उ' को 'ओ' तथा इ को 'आ' होता है पर हिन्दी में ए को 'इ' 'ओ' को 'उ' और आ को 'इ' किया जाता है—

ए को इ— $\sqrt{\text{भिज}} + \text{वा} = \sqrt{\text{भिजवा}}$ (प्रा भिजाव) $\sqrt{\text{दे}} + \text{वा}$ ('ल का आगम) $= \sqrt{\text{दिलवा}}$ ।

ओ को उ— $\sqrt{\text{रो}} + \text{वा} = \sqrt{\text{रुलवा}}$ $\sqrt{\text{फोड}} + \text{वा} = \sqrt{\text{फुडवा}}$ $\sqrt{\text{रोड}} + \text{वा} = \sqrt{\text{रुडवा}}$ ।

आ को इ— $\sqrt{\text{खा}} + \text{वा}$ (ल का आगम) $= \sqrt{\text{खिलवा}}$ ।

मन्त्रों में कह सकते हैं कि सस्कृत की प्रकृति ह्रस्व को दीर्घ करने की थी और हिन्दी की प्रवृत्ति दीर्घ को ह्रस्व कर देने की ओर है यथा $\sqrt{\text{नहा}} + \text{वा} = \sqrt{\text{नहलवा}}$ आदि।

(२) नामधातु—सज्ञाओं एवं क्रियामूलक विशेषणों के साथ जब धातु मूलक प्रत्यय लगाकर उनका क्रियाधा की तरह प्रयोग किया जाता है, तब उन क्रियाओं का मूल रूप को धातु कहा जाता है। (१) कुछ तो मध्यकालीन

भारतीय आयभाषाओं से उत्तराधिकार में प्राप्त हुई हैं, यथा—बठना (उपविष्ट), पीटना (पिष्ट), काटना (कृष्ट) आदि प्राकृतों से मिली हुई हैं। (२) नवीन नामधातुओं का निर्माण—हिन्दी नवीन नामधातुओं का निर्माण ससृष्ट के दो प्रत्ययों के आधार पर हुआ है। ससृष्ट में नामधातु बनाने के लिए अनेक प्रत्ययों का प्रयोग होता था। उनमें से दो को लीजिये—(१) क्यच् और (२) णिच्। 'क्यच्' प्रत्यय की मुख्य विशेषता है कि इसमें क्वल 'य' शेष रहता है और जब य प्रत्यय को अकारान्त अथवा आकारान्त नामों के साथ जोड़ा जाता है तब अन्तिम अ/आ के स्थान पर ई' हो जाता है। इस प्रकार रूप बनता है—पुत्र+क्यच्=पुत्रीय। णिच् का आ पहले से ही सुरक्षित था। अतः वहीं अकेले जा से काम लिया गया है और कहीं क्यच्' के 'ईय' को 'इय' बनाकर तथा उसके साथ 'आ' जोड़कर। इस प्रकार नामधातु सजक दो प्रत्यय हिन्दी में चलते हैं—(१) आ' और (२) इया।

उपरिक्थित, बठना पीटना आदि मध्यकालीन आयभाषाओं से आई हुई उन नामधातुओं को छोड़कर जो हिन्दी में सिद्ध धातुओं जैसी लगती हैं शेष हिन्दी की नामधातुओं का सजन इन्हीं प्रत्ययों से हुआ है।

(क) 'आ' प्रत्ययात् नामधातुएँ—चपत+आ=√चपता(ना) गव+आ=√गरवा(ना), लहर+आ=√लहरा(ना), लोभ+आ=√लुभा(ना) आदि।

(ख) 'इया' प्रत्ययात् नामधातुएँ—लात+इया=√लतिया(ना), हाथ+इया=√हथिया(ना) बाध+इया=√बैधिया(ना), साठा+इया=√सठिया(ना) बात+इया=√वतिया(ना)।

(३) तत्सम शब्दों से बनी नामधातुएँ—(स) आकुल+आ=√अकुला (स) आलाप, √अलाप आदि।

(४) विदेशी शब्दों से बनी नामधातुएँ—शम+आ=√शरमा/शर्मा(ना) गम+आ=√गर्मा(ना) आदि।

(३) सयुक्त एव प्रथमयुक्त धातुएँ—ये वे धातुएँ हैं जो या तो दो धातुओं के मेल से बनी हैं या फिर कोई प्रत्यय उनके साथ जोड़कर निर्मित की गई हैं—

(१) सयुक्त धातुएँ—दो समानार्थी धातुओं ने एक साथ मिलकर एक धातु का रूप धारण कर लिया हो, वहाँ उसे सयुक्त धातु कहा जाता है।

(२) प्रथमयुक्त धातुएँ—इन धातुआ के साथ कोई न कोई प्रत्यय लगा हुआ मिलता है। इन प्रत्ययों के विकास का अभी पूरा पता नहीं हो सका है। ऐसे प्रत्यय जो हिन्दी धातुओं के साथ मिलते हैं सख्या में पाँच हैं—(१) क (२) ट, (३) ड (४) र और (५) ल।

वाच्य परिवर्तन होता है। सस्कृत में कमवाच्य के लिए धातु में 'य' जोड़ा जाता है। मध्यकाल में यह इय्य बना अपभ्रंश में 'इज्ज' जो राजस्थानी में आज भी ईज के रूप में वर्तमान है। हिंदी में कमवाच्य के लिए 'भूतकालिक कृदन्त' के साथ कालानुसार जाना क्रिया को जोड़ा जाता है वर्तमानकाल—जाया जाता है रोया जाता है। भूतकाल—रोया गया खाया गया। भविष्यत काल—राया जायेगा खाया जायेगा आदि।

काल रचना—प्राचीन भारतीय आय भाषाओं में काल तथा प्रकारों की रचना को लकार कहा जाता था। इसे यह नाम वस्तुतः पाणिनि ने दिया था। इससे पूर्व सम्भवतः काल रचना का लकार के नाम से अभिहित नहीं किया जाता था। ये लकार सत्या में दस हैं जिनका प्रयोग तीन कालों (१) भूतकाल, (२) वर्तमानकाल और (३) भविष्यतकाल के लिये और दो प्रकारों— (१) आनाथक और (२) विध्यधक के लिये किया जाता था। आशीर्वाद आदि के लिये आशीर्लिङ लकार का प्रयोग मिलता है। 'लट'¹⁶ लकार का प्रयोग वर्तमानकाल का सूचक है। लट'¹⁷ लुट'¹⁸ और लिट'¹⁹ तीनों लकारों का प्रयोग कुछ कुछ भिन्नताओं के साथ भूतकाल के लिये होता है। लुट'²⁰ और लट'²¹ भविष्यतकाल के सूचक हैं। लोट'²² आज्ञा, विनय आदि भावप्रकार के लिये प्रयोग में लाया जाता है। लिङ्ग'²³ का प्रयोग विधि निमन्त्रण, आमन्त्रण आदि के भावप्रकार के लिये होता है। आशीर्वाद आदि के लिये आशीर्लिङ'²⁴ का प्रयोग किया जाता है। लृट'²⁵ क्रिया की अतिपत्ति के लिये काम में लाया जाता है और लेट'²⁶ लकार, इच्छा की तीव्रता के लिए, ऋग्वेदों में प्रयुक्त हुआ है।²⁷ इनमें प्रत्येक लकार के तीन पुरुष और प्रत्येक पुरुष के तीन वचन होते हैं। इस प्रकार एक लकार में एक-एक नौ रूप बनते हैं और इस प्रकार ग्यारहों लकारों के ९९ रूप हो जाते हैं। इन रूपों की रचना के लिए ९ आत्मनेपद के प्रत्ययों और ९ परस्मैपद के प्रत्ययों का विधान है

¹⁶ वर्तमाने लट ३/२/१२३। ¹⁷ अनद्यतने लट ३/२/१११।

¹⁸ अद्यतने (भूतार्थे) लुट ३/२/११५। ¹⁹ परोक्षे लिट ३/२/११५।

²⁰ अनद्यतने लुट ३/३/१५। ²¹ लट शेष च ३/३/१३।

²² लोट च ३/४/१८।

²³ विधिनिमन्त्रणामन्त्रणाधीष्टसम्प्रश्नप्रायनपु लिङ ३/३/१६१।

²⁴ लिङाशिषि ३/४/११६। ²⁵ लट क्रियातिपत्तौ।

²⁶ लिङर्थे लेट ३/४/७।

²⁷ लट वर्तमाने लेट वेदे भूत लुट लृट लिटस्तथा।

विद्ययाशिषोऽस्तु लिङलोटी—लुट लट लृट च भविष्यति ॥

जिन्हें तिङ् प्रत्यय कहा जाता है। जब धातु के साथ इन प्रत्ययों को जोड़ दिया जाता है, तब धातु की आख्यात सजा हो जाती है।

तिङ्न्त कालों के अतिरिक्त प्राचीन भारतीय आद्य भाषाओं में कृत्कालों का भी प्रचलन था। ये कृत्काल भी भूतकाल, वतमानकाल और भविष्यत्काल का सूचन कराते थे। भूतकाल के लिए 'बन और कतवत प्रत्ययों का, वतमान के लिए शतृ और शानच् प्रत्ययों का तथा भविष्यत्काल के लिए तभ्य, अनीय र आदि प्रत्ययों का विधान है। तिङ्न्त रूपों में वचन और पुरुष का अनुसरण किया जाता है और कृदन्त रूपों में कारक, वचन और तिङ्न्त के अनुसार क्रिया के रूप की रचना हाती है यथा—स गत, सा गता, ते गता ता गता आदि।

मध्यकालीन भारतीय आद्य भाषाओं में भूतकाल के सूचक तिङ् प्रत्ययों का सर्वथा महिष्कार कर दिया और भूतकाल का सूचन कृदन्त रूपों से किया जाने लगा। भविष्यत्काल के लिए 'लृट्' के रूपों को अपनाया और लृट् को छुट्टी दे दी गई। सेट लकार तो संस्कृत में ही अवकाश ग्रहण कर चुका था और प्रकारों में भी विधिलिङ् का पल्ला हल्का हो चला था अथवा या कहिये कि लोट लिट् और आशीलिङ् आपस में घुलने मिलन लग गए थे। इस प्रकार अपभ्रंश काल के अंतिम चरण तक केवल तीन ही लकारों की सत्ता अवशिष्ट रह पाई थी। हिन्दी भाषा ने कुछ विशेष विकास का परिचय दिया है। भविष्यत्काल के जो स परक या 'ह परक रूप राजस्थानी, ब्रज, अवधी ने अपभ्रंश भाषा से ग्रहण कर लिए हिन्दी ने उन्हें भी छोड़ दिया और अपनी प्रकृति के अनुसार भविष्यत्काल की रचना की। इसके साथ वतमानकाल के सूचन के लिए अपभ्रंश ने जिन शतृ आदि प्रत्ययों को ग्रहण किया था, हिन्दी भाषा ने उन्हें सम्मान स्वीकार किया और भूतकाल के लिए भी अपभ्रंश ग्रहीत कृदन्त रूपों को ही अपनाया।

उपरोक्त विवेचन से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हिन्दी ने काल रचना के लिए परम्परागत तिङ् और कृत् दोनों रूपों को अपनाया। इन रूपों के साथ साथ काल रचना का विस्तार हिन्दी ने अपनी प्रकृति के अनुसार सहायक क्रियाओं के माध्यम से किया। इस प्रकार 'यु पत्ति' की दृष्टि से हिन्दी काल रचना को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है—(१) तिङ्न्त काल, (२) कृदन्त काल, (३) यौगिक काल अथवा सहायक क्रियाओं से युक्त कृदन्त काल।

इससे पूर्व कि हम काल रचना विवेचन में प्रविष्ट हो, यह आवश्यक होगा कि हम सहायक क्रियाओं के सम्बन्ध में कुछ विचार विमर्श कर लें। हिन्दी में सहायक क्रियाओं का बहुत प्रचलन है। प्रायः सभी भाषाओं में सहायक क्रियाएँ

होती हैं, संस्कृत में भी हैं पर हिंदी इस क्षेत्र में इनसे कुछ आगे है। हिन्दी में दो प्रकार की सहायक क्रियाएँ, प्रयुक्त होती हैं। एक तो वे जिन्होंने मूल क्रिया के लिए अपना सबस्व त्याग दिया और केवल काल सूचन का भार अपने ऊपर ले लिया। जैसे है था, गा आदि और दूसरी वे जो अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं या बनाए रखती हैं और आवश्यकता पड़ने पर केवल उस प्रयोग विशेष में अपना स्वायत्त त्याग भी देती हैं, यथा—जा, आ, सक, चुक, पा आदि। अतः इनमें एक तात्त्विक अंतर दृष्टिगत होता है। इनके अन्तर को स्पष्ट करने के लिए पहले वग की क्रियाओं को सहायक क्रियाएँ और दूसरे वग की क्रियाओं को सयोगी क्रियाएँ कहा जाए तो अधिक उत्तम रहेगा। इसी सिद्धान्त के आधार पर इन पर विचार भी किया जायगा।

वर्तमानकालिक सहायक क्रिया है की व्युत्पत्ति संस्कृत 'अस्मि' से मानी जाती है। संस्कृत का यह 'अस्ति' शब्द 'अस' धातु का लट लकार में बना प्रथम पुरुष का एकवचन है, जिसका प्राकृत में अत्य और अपभ्रंश में 'अहि' रूप बनता है। इसी की इ को वृद्धि होकर अहै बनता है और अ लोप से हिन्दी में बन जाता है।

(स) अस्ति > (प्रा) अत्य > (अप) अहि > (आ भा आ) अहइ/अहै > (हि) है।

'है'—हिंदी का बहुवचन रूप है। बहुवचन बनाने के लिए हिन्दी में अनुस्वार का प्रयोग एक प्रमात लक्ष्य है। अतः इसकी उत्पत्ति के लिए प्रा भा आ में लोप से कोई लाभ नहीं है।

हो—मध्यम पुरुष बहुवचन के इस रूप की व्युत्पत्ति भी 'अस' धातु से की जाती है, परन्तु इसका विकास यदि भू धातु में लोप जाए तो अधिक उत्तम रहेगा। प्राकृत भाषाओं में 'भवति' का एक रूप होति/होदि भी बनता है और अपभ्रंश में मध्यम पुरुष एकवचन में होहि' और होइ दो रूप बनते हैं। इसमें इ का लोप होकर 'हो' व्युत्पन्न होता है, यथा—

(स) भवति > (प्रा) होति > (अप) होहि/होइ > (हि) हो।

उत्तम पुरुष एकवचन की वर्तमानकालिक सहायक क्रिया 'हूँ' की व्युत्पत्ति संस्कृत की 'अस' धातु के उत्तम पुरुष के (वर्तमानकाल) एकवचन रूप अस्मि से की जाती है। 'अस्मि' का प्राकृत में अग्नि रूप बनता है। इससे हिन्दी का 'हूँ' बन गया पर यह व्युत्पत्ति सदिग्ध है। 'इ' का ऊँ बन जाना कुछ समझ में नहीं आता। यदि स्म के साथ इसका सम्बन्ध जोड़ा जाए, तो हम वस्तुस्थिति के अधिक समीप होंगे। 'स्म' का प्राकृतों में म्ही बनता है और

अपभ्रंश म नियमानुसार 'म्है' बनेगा, जिसम 'म लोप और 'उ व दीर्घीकरण से हू बन जायगा।

(स) स्म > (प्रा) म्हो > (अप) म्है > (हि) हू।

'भूतकालिक सहायक क्रिया 'घा' का सम्बन्ध भाषाविद 'स्या' से जोड़ते हैं। यह तो सबमाय है कि हि दी का 'या' किसी कृत् त क्रिया का विकसित रूप है क्योंकि इसम लिङ्ग परिवर्तन होता है। अत इसकी व्युत्पत्ति हम किसी कृत् त रूप म ही खोजनी चाहिए, पर 'स्या' तो घातु है इसका कृद त (भूतकालिक) रूप बनता है स्पष्ट। इससे घा का विकास सिद्ध नहीं होता। कुछ इसकी व्युत्पत्ति सस्कृत शब्द असत् से बताते हैं पर असत् वहाँ से आया इसका उनके पास कोई उत्तर नहीं है। अत मेरे विचार से इसकी व्युत्पत्ति सस्कृत भूत से माननी चाहिए। हेमचन्द्र शब्दानुशासन २ ६६ के अनुसार प्राकृत म 'भूत का हूत' तथा हूत बनते हैं जिनके अपभ्रंश म हुब/हुअ बनते हैं जिनसे हिन्दी 'हुआ' और हुवा' का विकास हुआ है। उधर अपभ्रंश म 'हूत' भी चलता रहा होगा जिसका ब्रजभाषा म हूतो बनता है—'एक हूतो सो गयो स्याम सग को आराधे ईस'। यही 'हूतो आगे चलकर हूतो (एक व) हूता (बहु व) और हूती' स्त्रीलिङ्ग म प्रयुक्त होने लगा। ऊ का लोप होकर ज का आगम होगया अथवा ऊ को अ का आदेश हो गया। आगे चलकर आधुनिक भारतीय आय भाषाओं मे इसके दो रूप हो गए, यथा—
हो हा, ही और ता ता ती। तीसरा रूप 'हू' के प्रभाव के कारण है जो आधुनिक भाषाओं का एक प्रमुख ध्वन्यात्मक विशेषता है—अल्पप्राण + ह = महाप्राण-व्यञ्जनविषय के प्रभाव के साथ साथ 'त का महाप्राणीकरण होकर था बन गया। बहुवचन और एकवचन का व्ययय भी अपभ्रंश तथा आधुनिक भारतीय आय भाषाओं की एक विशेषता है। अत इसका विकास निम्न प्रकार से दिखाया जा सकता है—

(स) भूत > (प्रा) हूतो > (अप) हूतो > (या भा या) हूतो
(बहु व) हूता > (हि) हा।

भविष्यत्कालिक प्रत्यय अथवा सहायक क्रिया गा की व्युत्पत्ति विद्वान लोग भूतकालिक कृन्त गत से करते हैं यह भी उचित प्रतीत नहीं होती। इसम दो आपत्तियाँ आती हैं एक तो भूत और भविष्यत का क्या सम्बन्ध ? क्या एसी प्रवृत्ति कही भाषा म मिलती है जहाँ भूत का प्रयोग भविष्यत म किया गया हो ? दूसरे गत्ययक गम घातु बबल भविष्यवाची प्रत्यय का रूप भाषा के कौनसे स्तर पर पारण करती है स्पष्ट नहीं है। अत गा की व्युत्पत्ति 'गन' से मानना मुश्किलमय नहीं हो सकता। अभा तक यह भी स्पष्ट नहीं है कि इसकी उत्पत्ति कसे हुई, किन्तु मन् किन्सी शब्द की व्युत्पत्ति स्पष्ट

नहीं है तो इसका तात्पर्य यह भी नहीं है कि उसकी गलत उत्पत्ति स्वीकार कर ली जाए। हाँ यह एक ध्रुव सत्य है कि हिन्दी में भविष्यतकाल का बोध कराने के लिए वतमान इच्छायक कं साथ गा गे, गी' आदि प्रत्यय लगाये जाते हैं।

महायक क्रियाओं की व्युत्पत्ति पर विचार कर लेने के पश्चात् अब हम हिन्दी भाषा के काल रूपों की व्युत्पत्ति पर विचार करेंगे। जसाकि बताया जा चुका है, हिन्दी में कालों की रचना तीन प्रकार की पायी जाती है। (१) सस्कृत के तिङ्गत रूपा से विकसित काल (२) सस्कृत के कृदन्त रूपों से विकसित काल और (३) सस्कृत के कृदन्त रूपों के साथ सहायक क्रियाओं को लगा कर बनाए गए यौगिक काल।

तिङ्गन्तों से विकसित प्रकार तथा काल—तिङ्गत रूपों से अवशिष्ट दो प्रकार के वाच्य हिन्दी भाषा में उपलब्ध होते हैं एक तो विशुद्ध तिङ्गत और दूसरे प्रत्यय संयोगी तिङ्गत काल। प्रथम का प्रकार की दृष्टि से तीन भागों में बाँटा जा सकता है—(१) निर्देशक (२) इच्छायक और (३) आना। निर्देशक और आना में कवल वक्ता के बहने के ढंग का ही अंतर हिन्दी में पाया जाता है कोई विकासात्मक अंतर नहीं है। इनका विकास सस्कृत 'लट लकार के रूपा और मध्यम पुरुष एकवचन का विकास सस्कृत 'लोट लकार के मध्यम पुरुष एकवचन से सम्पन्न हुआ है। विकासात्मक दृष्टि से इन रूपा को निम्न प्रकार से दिखाया जा सकता है—

	हिन्दी		प्राकृत	सस्कृत
	उत्तम पुरुष	उत्तम पुरुष	उत्तम पुरुष	उत्तम पुरुष बहुवचन (लट लकार)
एकवचन	चलू	चलहुँ	चलमु	चलाम
बहुवचन	चलें	चलइ/चलमि/ चलउँ (बहुवचन)	चलमि(एक व)	चलामि (एकवचन)
मध्यम पुरुष		मध्यम पुरुष	मध्यम पुरुष	मध्यम पुरुष (लोट लकार)
एकवचन	चल	चल	चल	चल (लट)
बहुवचन	चलो	चलउ/चलहु	चलह	चलय
अन्य पुरुष		अन्य पुरुष	अन्य पुरुष	अन्य पुरुष (लट लकार)
एकवचन	चले	चलइ	चलदि	चलति
बहुवचन	चलें	चलइ/चलहि	चलदि/चलति	चलति

आदरसूचक भाषा का विकास सस्त्रुत भाषा के विधिलिङ के रूपों से हुआ है। हिन्दी भाषा में इसके रूप केवल मध्यम पुरुष बहुवचन में ही उपलब्ध होते हैं। हिन्दी भाषा में इसका विकास प्राचीन भारतीय आम भाषा के आशीलिङ के 'या' प्रत्यय से हुआ है। या का मध्यकालीन भाषाओं में 'एय्य' और 'एज्ज' में विकास हुआ है। अपभ्रंश में यह 'इय' तथा 'इज्ज' में विकसित हो गया था। हिन्दी भाषा में केवल कुछ ही शब्दों में 'ईज' का प्रयोग मिलता है, यथा—कीजिये दीजिये लीजिये और पीजिये। राजस्थानी भाषा में इसका सर्वाधिक प्रचार है। एक बात ध्यान में रखनी है कि 'प्राकृतों में एज्ज' को प्रत्यय न मानकर लिङ प्रत्यय के स्थान पर आदेश विबल्य से माना है। उपयुक्त शब्दों के अंत का इय प्रत्यय मस्कृत के कमवाच्य के य प्रत्यय से विकसित है। सस्त्रुत कमवाच्य 'य' प्रत्यय प्राकृतों में इय/इय/ईय और अपभ्रंश में 'इज्ज' बन गया जो मारवाड़ी, सिंधी आदि में सुरक्षित है। हिन्दी भाषा ने इसके 'इय' रूप को ही सुरक्षित रखा है और इस प्रकार कीजिये आदि शब्दों का 'लट लकार' के विकसित प्रत्यय के योग से निर्माण हो जाता है। हिन्दी में चलिय, करिये बठिये आदि में इसी का योग दृष्टिगत होता है। वैसे इन्हें 'आशीलिङ' के प्राकृत प्रत्यय 'एय्य + इय' से भी 'युत्पन्न' हुआ माना जा सकता है।

प्रकारों के अतिरिक्त वर्तमान इच्छायक और वर्तमान आज्ञायक काल की व्युत्पत्ति भी उपयुक्त प्रणाली से ही हुई है। सम्भाव्य भविष्यत की उत्पत्ति भी सस्त्रुत 'लट' लकार से ही हुई है। डा. देवेन्द्र नाथ शर्मा सम्भाव्य भविष्यत की व्युत्पत्ति सस्त्रुत के विधिलिङ रूपों से करत हैं। इन का सम्बन्ध हिन्दी के अय पुरुष एवं मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष बहुवचन के रूपों के साथ ठीक बैठता है पर उत्तम पुरुष एकवचन में फिर वही कठिनाई उपस्थित होती है। इसके अतिरिक्त प्राकृत वयाकरण के अनुसार प्राकृत भाषाओं में भी विधिलिङ के रूप लट लकार के अनुरूप चलने लग गये। अतः डा. देवेन्द्र नाथ का ए (विधिलिङ की) के प्रति जो मोह है वह निमूल सिद्ध हो जाता है। अइ से हिन्दी ए की व्युत्पत्ति अधिक वनानिक है। अतः मेरी दृष्टि में उक्त शब्द रूपों की व्युत्पत्ति 'लट लकार' के रूपों से ही सम्पन्न हुई है।

सामान्य भविष्यत काल के सूचक हिन्दी रूपों की व्युत्पत्ति वर्तमान आज्ञायक के रूपों के साथ गाये गो आदि प्रत्यय लगा कर की जाती है। अतः इसे भी तिङ्गत काल ही कहा जाता है।

शुद्ध काल—सस्त्रुत व शुद्ध रूपों में हिन्दी में सामान्य भूतकाल और सामान्य भूतकाल के रूपों का विकास हुआ है। सामान्य भूतकाल के रूप सस्त्रुत के काल शुद्ध रूपों से विकसित हुए हैं, यथा—

(स) पठित > (म भा आ) पठित > (हिंदी) पढा । बहुवचन सूचक प्रत्यय 'ए' से 'पढे' और स्त्री प्रत्यय 'ई' के योग से 'पढी' शब्द व्युत्पन्न होते हैं ।

सम्भाव्य भूतकाल के रूपों का विकास संस्कृत के 'शतृ' प्रत्ययान्त कृदन्तों के रूपों से हुआ है । संस्कृत में जब धातु के साथ 'शतृ' प्रत्यय का योग होता है तब 'शतृ' का केवल 'अत्' शेष रहता है और प्रातिपदिक बनता है 'पठ्-अत् = पठत । इसी रूप के प्रथमा विभक्ति के बहुवचन रूप 'पठन्त' से हिंदी में पढता बनता है, यथा—(स) पठन्त > (म भा आ) पठत > (हि) पढता ।

योगिक काल—उपयुक्त इन रूपों के साथ हिंदी में विकसित 'है' और 'था' तथा इनके विकृत रूपों का पुष्टपानुमारी प्रयोग कर हिंदी के विभिन्न कालों की रचना की जाती है । सामान्य वर्तमान काल के लिए 'शतृ' प्रत्यय से विकसित सम्भाव्य भूतकाल के शब्द 'पढता' के साथ 'है', 'हो' आदि का प्रयोग होता है यथा—पढता है पढता हूँ आदि । अपूर्ण भूतकाल के लिए उक्त शब्द रूप के साथ 'था', 'थे', 'थी' आदि लगा दिये जाते हैं, यथा—पढता था पढती थी, पढते थे आदि । अपूर्ण भविष्यत्काल अथवा सदिग्ध वर्तमानकाल के लिए सहायक क्रिया के भविष्यत्कालीन रूप 'होगा', 'हूँगा', 'होगे' आदि को सम्भाव्य भूतकाल के रूप के साथ जोड़ दिया जाता है, यथा—पढता होगा पढता हूँगा आदि । इसी प्रकार सम्भाव्य वर्तमानकाल के लिए सम्भाव्य भूतकाल के रूप के साथ 'होउं', 'होवे' आदि जोड़ दिये जाते हैं, यथा—पढता होउं पढता होवे । आसन्न भूतकाल के लिए उक्त रूप के साथ 'होते' आदि जोड़े जाते हैं, यथा—पढता होता खेलेते होते आदि ।

'शतृ' प्रत्ययान्त रूपों के साथ जिस प्रकार सहायक क्रियाओं का जोड़कर भिन्न भिन्न कालों का बोध करवाया जाता है, ठीक उसी प्रकार सहायक क्रियाओं के उन्ही रूपों की उसी प्रकार 'वर्तमान' प्रत्यय वाले शब्दों से विकसित शब्दों के साथ जोड़कर कालों की पूणता इत्यादि का बोध करवाया जाता है ।

सम्भाव्य वर्तमान का बोध कराने वाली सहायक क्रियाएँ संस्कृत 'भू' धातु के लट लकार के रूपों से व्युत्पन्न हुई हैं । प्राकृत में 'भू' को 'हव' आदेश हो जाता है और अपभ्रंश में 'हो' और इनके साथ लगे तिट् प्रत्ययों के कारण 'होऊ' 'होवे' आदि की उत्पत्ति होती है ।

सम्भाव्य भूतकाल की सहायक क्रिया संस्कृत की शत प्रत्ययान्त 'भू' धातु के भवन्त से 'युत्पन्न' है, यथा (स) भवन्त > (म भा आ) होतो > (हि) होता ।

सम्भाव्य भविष्यत्काल की सहायक क्रियाएँ सम्भाव्य वर्तमान के क्रिया रूपों के साथ 'गा', 'गे', 'गी' लगाकर निष्पन्न की जाती हैं, यथा—होउँगा/हूँगा होगा 'होगे' आदि ।

भविष्यत्काल आशायक का केवल एक ही रूप 'नान्त' मध्यम पुरुष बहुवचन में मिलता है यथा—बलना, पढना खाना आदि । हिन्दी क्रिया का औत्सर्गिक रूप ही इसे कहा जा सकता है ।

पूर्वकालिक क्रियाएँ—प्राचीन भारतीय आय भाषा की छान्दस की भाषा में क्रिया के इस रूप को व्यक्त करने के लिए अनेक प्रत्ययों को काम में लाया जाता था । संस्कृत में इसके लिए केवल दो प्रत्ययों—(१) क्त्वा और (२) ल्यप् का ही विधान कर दिया गया और उसमें भी अनुपसर्ग धातु के साथ क्त्वा और उपसर्ग सहित धातु के साथ 'ल्यप्' को निश्चित कर दिया गया । छान्दस में इस प्रकार के नियम का पालन नहीं मिलता । प्राकृतों में उक्त प्रत्ययों के लिए महाराष्ट्रों में तुम् अत्, तूण और तुभाण, शौरसेनी में इय और दूण और मागधी अवन्ती में 'तूण' आदेश होने लगे । अपभ्रंश में इसके लिए आठ प्रत्ययों का विधान मिलता है, यथा—इ इउ इवि अवि एपि एपिणु एवि तथा एविणु । आधुनिक भारतीय आय भाषाओं ने इनमें से केवल इ को विशेष महत्त्व दिया । साथ ही क्रिया के मूल रूप का भी प्रयोग इस अर्थ में किया जाने लगा । हिन्दी भाषा ने उपमुक्त प्रणाली से भिन्न रूप में अपना विकास किया और क्रिया के मूल रूप के साथ 'कर' शब्द जोड़कर इस अर्थ का धोतन कराने लगी यथा—लाकर जाकर, रहकर आदि । प्रामाणिक रूप में इस अर्थ के लिए 'के' का प्रयोग होता है यथा—माके । हिन्दी के साहित्यिक रूप में भी 'कर' के साथ 'के' का ही प्रयोग किया जाता है । सम्भवतः द्विरक्ति से बचने के लिए । राजस्थानी में 'करि' मिलता है । 'कर' की व्युत्पत्ति सम्युक्त कृत से की जाती है ।

हेत्वयक् क्रियाएँ—हेतु का बोध कराने के लिए संस्कृत भाषा में तुमुन् प्रत्यय धातु के साथ जोड़ा जाता है । प्राकृतों में इसके लिए अय प्रत्ययों के साथ-साथ अण प्रत्यय जोड़ा जाना लगा । अपभ्रंश में यह पर्याय मात्रा में लोहप्रिय हुआ । इसमें साथ साथ अपभ्रंश में हेतु बोध के लिए, एव अणह अणहि एपि एपिणु एवि और एविणु का विधान मिलता है । इसमें एवि के विकसित रूप की राजस्थानी भाषा में अपनाया । हिन्दी भाषा ने प्रत्ययों का सहाय्य छोड़कर क्रिया के औत्सर्गिक रूप के साथ 'के लिए' जोड़कर क्रिया के हेतु का बोध कराना प्रारम्भ किया । हिन्दी की भगवता का यह सर्वोपरि प्रमाण है ।

सपुञ्ज क्रियापद—हिन्दी में दो-तीन-तीन क्रियाएँ एक साथ लाकर

^{२२} हाँ उपन्यासप्रण विवागी कृत हिन्दी भाषा का उद्गम और विकास पृष्ठ ४२-४३ ।

भिन्न भिन्न अर्थों का बोध कराया जाता है। विद्वानों ने विकास क्रम की दृष्टि में रखकर इनके पाँच भेद किये हैं—

(१) पूर्वकालिक कृदन्त पदयुक्त, यथा—फाड़ देना जा सक्ना।

(२) आकारान्त क्रिया मूलक विशेष्य पद युक्त, यथा—जाया करना, बजा चाहना, बोला चाहना।

(३) असमापिका पद युक्त, यथा—जाने देना खाने देना, आदि।

(४) वर्तमानकालिक कृदन्त युक्त—जाता रहना, घटता रहना, आदि।

(५) विशेष्य अथवा विशेषण पद युक्त—भोजन करना, सुख देना, आदि।

अध्यय—संस्कृत भाषा में अव्यय का विधान पाया जाता है। महाभूति यास्क के द्वारा प्रस्थापित उपसर्ग^{२९} और निपात^{३०} की पाणिनि ने अव्यय सना की है। अव्यय शब्द का निवचन विद्वानों लौग इस प्रकार करते हैं—नास्ति व्यय = विनाश = विवृत्तियस्य, यस्मिन् वा तद् अव्ययम्' अर्थात् जिस शब्द में लिङ्ग, वचन और कारक के अनुसार कोई विवृत्ति न हो—प्रत्येक अवस्था में एक रूप रहता हो—उसे अव्यय कहते हैं। इसीलिए प्राचीन दार्शनिकों ने ब्रह्म को अव्यय कहा है। गोपय ब्राह्मण में ब्रह्म परक स्तुति में 'अव्यय की विस्तृत व्याख्या इस प्रकार से की है—

'सदृश त्रिषु निङ्गेषु सर्वासु च विभक्तिषु।

वचनेषु च सर्वेषु यत्र व्येति तदव्ययम् ॥ ३१

हिन्दी भाषा में इनका अध्ययन दो वर्गों में विभाजित कर किया जाता है—(१) उपसर्ग और (२) अव्यय। अव्ययों को भी क्रिया विशेषण सम्बन्ध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक आदि वर्गों में विभाजित किया जाता है। हिन्दी में एक दूसरा प्रकार भी प्रचलित है जिसके अनुसार शब्दों के रूप की दृष्टि से दो भाग किये जाते हैं—(१) विकारी और (२) अविकारी। विकारी के अंतर्गत, सज्ञा सवनाम विशेषण तथा क्रिया की गणना की जाती है और अविकारी के अंतर्गत अव्ययों (उपरिक्थित चारों भाग) को लेते हैं। पहले यहाँ हिन्दी उपसर्गों और तत्पश्चात् अव्ययों का विकासात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जा रहा है।

उपसर्ग—हिन्दी भाषा में विद्वानों ने तीन प्रकार के उपसर्गों को चिह्नित

^{२९} प्रादय उपसर्गा क्रियायोगे। पाणिनि अष्टाध्यायी १/४/५८। प्रागरीश्वरान्निपाता १/४/५६ तथा चादयो सत्वे १/४/५७।

^{३०} श्वरादिनिपातमव्ययम् १/१/३६ तथा चादयो सत्वे १/४/५७।

^{३१} भीमसेन शास्त्री कृत हिन्दी टीका लघुसिद्धांत कीमुदी पृष्ठ ६३२ से उद्धृत।

क्रिया है, (१) सत्त्व, (२) तद्भव और (३) विन्शी। जहाँ तक सत्त्वम उपसर्गों का सम्बन्ध है, य ससृत्त भाषा से जमा क र्था ग्रहण कर लिए गये हैं परन्तु उनका प्रयोग भी, एक दो उपसर्गों को छोड़कर सत्त्वम शब्दा के साथ ही किया जाता है। पाणिनि के अनुसार 'प्रादिव' शब्दा का प्रयोग, जब क्रिया के साथ किया जाता है तब उनकी उपसर्ग सज्ञा होती है। इसमें यह भी सदिश होता है कि जब य क्रिया के योग में नहीं आते हैं तब उनकी उपसर्ग सज्ञा नहीं होती और उपसर्ग सज्ञा नहीं होगी तो उनकी अव्यय सज्ञा भी नहीं होगी और जब अव्यय सज्ञा नहीं होगी तो उनके साथ कारक लिङ्ग, वचन का भी प्रयोग होगा यथा—'वि प्रादिकों में आता है और क्रिया के साथ योग होने पर यह उपसर्ग बन जायेगा और इससे निपात सज्ञा के कारण अव्यय हो जायगा। तब इसके साथ विभक्ति प्रत्यय नहीं लगेंगे और यह इसी रूप में क्रिया के साथ युक्त हो जायगा, वि+कस+घञ् = विकास।

महर्षि पतञ्जलि ने इसमें सुधार कर पाणिनि के उक्त सूत्र के दो भाग कर क्रिया भाग में भी प्रादिकों की निपात सज्ञा की है। अतः प्रादिव निपात सत्त्व शब्द हैं केवल असत्त्व अर्थ को छोड़कर। जब प्रादिकों में स को शब्द द्रव्याथ (सत्त्व) देता है तब उसकी निपात सज्ञा नहीं होती है यथा— वि = पक्षी। वि पश्य (पक्षी को देखो) अतः सिद्ध हुआ कि ससृत्त के उक्त प्रादिकों की उपसर्ग सज्ञा क्रिया के ही योग में असत्त्व अर्थ में प्रयुक्त होते समय होती है अ यथा नहीं। प्रादिव सख्या में २२ हैं। यथा—(१) प्र (२) परा (३) अप (४) सम (५) अनु (६) अव (७) निस (८) निर, (९) दुस (१०) दुर (११) वि (१२) आड (१३) नि (१४) अधि (१५) अभि (१६) अति, (१७) सु (१८) उत (१९) अभि (२०) प्रति (२१) परि और (२२) उप।

हिन्दी भाषा में भी उपसर्ग की परिभाषा लगभग इसी प्रकार से की जाती है। उपसर्ग उस अक्षर या अक्षर समूह को कहते हैं जो शब्द रचना के निमित्त शब्द के पहले लगाया जाता है।^{३१} उपसर्ग के साथ यह तथ्य भी जुड़ा हुआ होता है कि वह शब्द के मूल अर्थ में परिवर्तन सा देता है। ससृत्त में इससे सबद्ध तीन मत प्रचलित थे।^{३२} प्रथम मत के लोग यह मानते थे कि अनेकार्था घातक के कारण घातु के अनेक अर्थ होते हैं पर उपसर्ग के योग से पूर्व वे गुप्त रहते हैं और उपसर्ग का योग हो जाने पर प्रकाश में आ जाते हैं। वस्तुतः उपसर्ग अपना कोई अर्थ नहीं रखते। दूसरे मत के अनुसार उपसर्ग

^{३१} डा धीरे द्र वर्मा कृत हिन्दी भाषा का इतिहास पृष्ठ २२३।

^{३२} वामन शिवराम आप्टे कृत ससृत्त हिन्दी कोश पृष्ठ २१२।

अपना स्वतंत्र अर्थ रखते हैं वे धातुओं के अर्थों में सुधार करते हैं बढ़ाते हैं और कई उनके अर्थों को लिल्कुल बल देते हैं। तीसरे मत के अनुसार कुछ उपसर्ग धातु के मूल अर्थ में वाधा उपस्थित करते हैं, कुछ धातु के अर्थ का ही अनुगमन करते हैं और कुछ अर्थ ही विशिष्ट अर्थ प्रकट कर देते हैं। इन सब को मिलाकर संक्षेप में कहा जा सकता है कि उपसर्ग शब्द के मूल अर्थ में वैशिष्ट्य लाते हैं और इसीलिए शब्द से पूर्व इनका योग किया भी जाता है।

हिन्दी के तदभव उपसर्ग निम्नलिखित हैं—

‘अ’—इस उपसर्ग का विकास संस्कृत ‘अ (नञ्) से ही हुआ है। अन्तर केवल इतना है कि इसका प्रयोग तदभव शब्दा के साथ भी किया जाता है, अथाह, अजान।

‘ओ’—इसका विकास संस्कृत के ‘अव उपसर्ग से हुआ है। संस्कृत ‘अव प्राकृतों में अउ और हिन्दी में ‘ओ हो जाता है। अर्थ होता है हीन। प्रयोग—औघट औसुन।

‘अन’—इसका उदभव संस्कृत ‘अन’ (नञ्) से हुआ है। संस्कृत भाषा में स्वरो से पूर्व ‘अ’ को ‘अन आदेश हो जाता है, यथा—अनास्था, अनाथ आदि। इसी अन को स्वरांत कर हिन्दी में तदभव की तरह प्रयुक्त किया जाता है और इसका प्रयोग व्यञ्जन से पूर्व भी होने लगा। स्वर के साथ, यथा—अनाडी (अनाथ) अनाखर (अनखर) आदि। व्यञ्जन के साथ यथा—अनहोनी अनसखरी (पवित्र) अनसमझ आदि।

‘डु’—‘डु’ उपसर्ग का विकास संस्कृत ‘दुर/दुस्’ से व्युत्पन्न हुआ है। इसका अर्थ होता है बुरा। अभाव अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है। डाँ धीरेन्द्र वर्मा ने ‘दुबला शब्द में डु का बुरे अर्थ में प्रयोग माना है। मेरे विचार से यहाँ पर इसका अभाव अर्थ में प्रयोग है। जिसमें बल का अभाव हो गया हो, वह है दुबला (स दुबलक) संस्कृत कोश में भी दुबल का अर्थ शक्तिहीन या बलहीन दिया है। दुबाल में इसका प्रयोग बुरे अर्थ में है यथा—बुरा है जो समय वह है ‘दुबाल। डाँ धीरेन्द्र वर्मा और डाँ सरनार्मसिंह शर्मा ने डु (दो के अर्थ में) को उपसर्ग मानते हुए ‘दुधारा दुमहाँ आदि उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। मेरे विचार में यहाँ ‘डु उपसर्ग नहीं है बल्कि द्विगु समास मूलक बहुव्रीहि समास के लिए प्रयुक्त हुआ है और इसी कारण इसकी अर्थय सज्ञा हो गई है अथवा यों कहिये कि विभक्ति का लोप हो गया है।

‘नि’—‘नि’ उपसर्ग का विकास संस्कृत ‘निर से हुआ है। निर युक्त शब्दों के र का द्वित्व प्राकृतों से ही प्रारम्भ हो गया था और हिन्दी तक आते आते उस द्वित्व हुए व्यञ्जना में से र से बने हुए व्यञ्जन का लोप भी

हो गया और इस प्रकार केवल 'नि' ही उपसग रूप में अवशिष्ट रह सका, यथा—निवम्मा निहरया, निकाली और निखटट्ट, आदि ।

'कु'—संस्कृत गत्ययक शब्दों में परिगणित उपसग प्रतिरूपक 'कु' से इसका विकास हुआ है । संस्कृत में स्वर सामने आने पर कु को ब्द आदेश हो जाता है, यथा—कदाचार । हिन्दी में सबत्र कु ही रहता है । कु उपसग का प्रयोग घुरा अथ में किया जाता है, यथा—कुचाल कुपूत, कुजात, आदि ।

'स'—संस्कृत सु से हिन्दी स उपसग का विकास हुआ है । इसका प्रयोग उत्तम' या अच्छे' अथ में किया जाता है । वही वही मूल संस्कृत सु का प्रयोग भी तदभव शब्दों के साथ उपलब्ध होता है । प्रमश उदाहरण इस प्रकार हैं—सकुल सपूत, सुवस सुलयाँ आदि ।

उपयुक्त उपसगों के अतिरिक्त डा धीरेन्द्र वर्मा न^{२४} विन भर अथ और उन शब्दों को भी उपसग माना है । डा बाहरी न^{२५} प्रारम्भ के दा छोड़ दिये हैं । मरे विचार में ये चारा ही उपसग नहीं हैं अपितु स्वतंत्र शब्द हैं और समस्त पदा में इनका प्रयोग निपात की तरह होता है । अतः इन्हें उपसग की सजा नहीं देनी चाहिए ।

विदेशी उपसगों में प्रायः अरबी और फारसी के प्राप्त हैं, पर इनका प्रयोग प्रायः अरबी फारसी शब्दों के ही साथ होता है । ये उपसग हिन्दी की अपनी सम्पत्ति नहीं बन पाये । ये उपसग निम्न हैं—कम खुश बद् बा वे त्वा ना, सर, आदि । इनमें से कुछ का प्रयोग तदभव शब्दों में प्रचलित हुआ था पर यह प्रवृत्ति शीघ्र ही बन्द हो गयी । इसका कारण सम्भवतः हिन्दी का संस्कृत भाषा की ओर अधिक झुकाव ही होना है । कुछ स्वतंत्र शब्द भी हैं यथा—कम खुश बद् आदि । मरे विचार में इन्हें उपसग नहीं माना जाना चाहिए ।

क्रियाविशेषण—हिन्दी भाषा में कुछ इस प्रकार के शब्द हैं जो क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं । कुछ क्रिया के स्थान कुछ समय और कुछ रीति आदि का बोध कराते हैं । इनका प्रयोग सबत्र अ यय रूप में होता है । अतः इन्हें अव्यय शीपक के अन्तर्गत लिया जाता है । इन शब्दों का विकास प्रायः संस्कृत सनाओ एव सवनामो से हुआ है । विद्वान् लोग इन शब्दों को दो भागों में विभक्त करते हैं—(१) सना पदों से निमित्त क्रिया—विशेषण और (२) सवनाम पदों से निमित्त क्रिया विशेषण

^{२४} डा धीरेन्द्र वर्मा कृत हिन्दी भाषा का इतिहास पृष्ठ २२४ ।

^{२५} डॉ हर्देव बाहरी कृत हिन्दी उद्भव विकास और रूप, पृष्ठ १५० ।

(१) सज्ञा पदों से निर्मित—सज्ञा पदा से निर्मित क्रिया—विशेषण काल वाची हैं—

(हि) खण/छन/छिन > (प्राकृत) खण/छण > (स) क्षण (हि) समय/समै > (म भा आ) समय > (स) समय, (हि) घड़ी > (म भा आ) घड़िआ > (स) घटिका (हि) फुर्ती/ति > (म भा आ) फुत्ति/फुत्ती > (स) स्फूर्ति आदि। इन शब्दा के साथ कारक चिह्नो का प्रयोग किया जाता है, यथा—घड़ी मे, छण मे फुर्ति से आदि।

(२) सबनामजात क्रियाविशेषण—इन क्रिया विशेषणा को पाच भागो मे विभाजित किया जाता है (क) काल वाचक, (ख) स्थान वाचक, (ग) दिशा वाचक (घ) रीति वाचक और (ङ) परिमाण वाचक।

(क) काल वाचक—अब जब, तब कब आदि चार शब्द हैं। इनकी व्युत्पत्ति अभी सदिग्ध है। वीम्स इनकी व्युत्पत्ति 'बेला' शब्द से पूव सबनाम अग जोड़कर करते हैं यथा—एते बले या एता बेला > अब। आपके अनुसार उडिया का एते बसे/एवे आदि शब्द इसक प्रमाण हैं। डा चाटुर्ग्या इसका विकास वदिक एव स जोड़ते हैं यथा—(वँ स) एव > (स) एवम > (म भा.आ) एव्व/एव्व > (हि) अब। डा चाटुर्ग्या वस्तुस्थिति के अधिक समीप प्रतीत होते हैं—

अब—(स) एव > (म भा आ) एव > (हि) अब।

कब—(स) कँच (का + एव) > (म भा आ) कबँ > (हि) कब।

तब—(स) ता + एव > (म भा आ) तबँ > (हि) तब।

जब—(स) या + एव > (म भा आ) जवँ > (हि) जब।

(ग) स्थान वाचक—यहाँ, वहाँ, वहाँ जहाँ, तहाँ आदि शब्द स्थान वाचक क्रिया विशेषण हैं।

यहाँ—(स) एनस्मात् > (प्रा) एअम्हा > (अप) एअहाँ > (हि) यहाँ।

वहाँ—(स) अमुष्मात् > (प्रा) अउम्हा > (अप) वहाँ > (हि) वहाँ।

कहाँ—(स) कस्मात् > (प्रा) कम्हा > (अप) कहाँ > (हि) कहीं।

जहाँ—(स) यस्मात् > (प्रा) जम्हा > (अप) जहाँ > (हि) जहाँ।

तहाँ—(स) तस्मात् > (प्रा) तम्हा > (अप) तहाँ > (हि) तहाँ।

जब इन शब्दों का अधिकरण अथ मे प्रयोग होता है तब इनकी व्युत्पत्ति सस्मृत क सबनामा के सप्तमी के प्रत्यय स्मिन् से होगी जिनस हिन्दी मे वही वही आदि का निर्माण होता है। कालांतर मे पचमी के सूचक वहाँ वहाँ आदि का भी सप्तमी ने अथ मे प्रयोग होन लग गया दिखाई देता है। इनके साथ स (अपादान कारक सूचक) और म, पर आदि परसर्गों का प्रयोग ही इस बात का प्रमाण है।

(ग) दिशा वाचक—हिन्दी में दिशावाचक क्रिया विशेषण पाँच हैं, यथा—इपर, उपर, निपर, त्रिपर तथा त्रिपर। त्रिपर व प्रयोग का प्रथम नम हिन्दी में नहीं के बराबर है। बीजग ने इन शब्दों के पर अर्थ का सम्बन्ध संस्कृत 'गुणर' शब्द के साथ जोड़ने का प्रयत्न किया है जो कि उचित प्रतीत नहीं होता। अब तक उक्त शब्दों की सम्पादननव श्रुतिगत जान नहीं हो पायी है।

(घ) रीति वाचक—रीति वाचक क्रिया विशेषण 'ज्यो, तथा या क्यों' ऐसे होते, जैसे, जैसे, जैसे तथा जैसे भाँति (१) शब्द हैं। इनकी श्रुतिगत निम्न प्रकार से है—

ऐसे—(स) श्रुति > (अप) अइगइ > (हि) ऐते।

जैसे—(स) अगुदुनी > (अप) अगुगइ > (हि) जैसे।

जैसे—(स) यादुनी > (अप) जइगइ > (हि) जैसे।

जैसे—(स) बीदुनी > (अप) बीइगइ > (हि) जैसे।

तैसे—(स) तादुनी > (अप) तइगइ > (हि) तैसे।

(ङ) परिमाण वाचक—परिमाण वाचक क्रिया विशेषण शब्द सख्या घ पाँच हैं—इतना, उतना, बिना, जितना, जितना। इनकी श्रुतिगत संस्कृत व मनुष्य प्रत्ययान्त गवातम शब्दों से हुई है। इनका विकास विशेषण शीघ्र व अतगत दिया जा चुका है।

संस्कृत भाषा व कुछ अव्यय शब्दों का प्रयोग भी हिन्दी में क्रिया विशेषण की तरह किया जाता है, जो श्रुतिगत सहित नीचे दिये जा रहे हैं—

आज—(स) अद्य > (म भा आ) अज्ज > (हि) आज।

बस—(स) बन्धु > (म भा आ) बल्ल > (हि) बस/बाले (या प्र)

परसों—(स) परश्वत् > (म भा आ) परस्मत् > (हि) परसों।

तुरन्त—(स) त्वरित > (म भा आ) तुरत > (हि) तुरन्त/तुरत।

घट—(स) घटिति > (हि) घट।

भीतर—(स) अभ्यन्तर > (म भा आ) भितर > (हि) भीतर।

बाहर—(स) बहिर > (म भा आ) बहिर > (हि) बाहिर।

आगे—(स) अग्ने > (म भा आ) अग्ने > (हि) आगे।

पीछे—(स) पश्चे > (म भा आ) पश्चे > (हि) पीछे पीछे।

ऊपर—(स) उपरि > (म भा आ) उपरि > (हि) ऊपर।

नीचे—(स) नीचत > (म भा आ) निचैद > (हि) नीचे।

सम्बन्ध वाचक अव्यय—हिन्दी में सम्बन्ध वाचक अव्यय के रूप में,

'और एव तथा, कि, मानो जसा आदि शब्दा का प्रयोग मिलता है जिनकी व्युत्पत्ति निम्न प्रकार से है—और—(स) अपर>(म भा आ) अवर>(अप) अउर>(हि) और। (एव और तथा तत्सम श द है)।

कि—(स) किम>(म भा आ) कि>(हि) कि। (फारसी में भी 'कि' मिलता है)।

मानो—(स) मा यतु>(म भा आ) मणउ>(हि) माना।

जैसा—(स) यादशक >(जपभ्रश) जइसअ>(हि) जसा।

समुच्चय बोधक अर्थात्^{३७}—य शब्द कुछ विभाजक होते हैं कुछ प्रतिपेधात्मक होते हैं और कुछ परिणामात्मक होते हैं, जिनसे वाक्यों में योग हो जाता है।

(क) विभाजक—हिंदी में विभाजक के रूप में वा अथवा और या का प्रयोग मिलता है। इनमें से क्रमश दो तत्सम श द हैं और एक फारसी श द है। निपेधात्मक शब्द भी विभाजक का कार्य करते हैं। इसके लिए न, नहीं का प्रयोग होता है। न तत्सम श द है। नहीं संस्कृत न हि का तदभव रूप है।

चाह, तो भी आदि का प्रयोग भी इसी अर्थ में किया जाता है। चाह—(स) चक्षते>(म भा आ) चाहइ>(हि) चाह।

तो भी—(स) तदपि>(हि) ता भी। (प्राकृत में सम्भवत तउहि)।

विस्मयादि बोधक अर्थात्—स्थिति विशेष के अनुसार भाषा के बोधक शब्द होते हैं। इनमें जघिकाश दशज होते हैं और भाषानुसार इनका निर्माण नये सिरे से होता रहता है, यथा—छि छि, हे ह, आदि। कुछ पुराने शब्द का परिवर्तित रूप में भी प्रयोग होता है यथा—ओहो संस्कृत अहो का तदभव रूप है। 'काँव-काँव भन भन चड चड आदि अनुरणनात्मक शब्द हैं।

^{३७} 'किन्तु परन्तु दोनों ही तत्सम शब्द हैं, पर हिंदी में इनका प्रयोग स्वच्छ-दता से किया जाता है।

परिशिष्ट १

हिन्दी राष्ट्रभाषा क्यों ? (एक विमर्श)

शीपक मे विषय-सामग्री उसी प्रकार सन्निहित होती है जिस प्रकार एक सूक्ष्म वटयीज मे विशालकाय वरगद का वक्ष । अतएव विषय-सामग्री की सुस्पष्ट अभिव्यक्ति के लिए उसके शीपक का विश्लेषण परमावश्यक हो जाता है । भाषाएँ मानवीय चिन्ता अनुभव एवं अर्जित ज्ञान की अभिव्यक्ति साक्षरता हुआ करती है । अतः भाषा वैज्ञानिक इनकी तुलना भाषा शास्त्रीय कसौटी पर कर करता है कला ममन उनका परीक्षण काव्य शास्त्रीय प्रणाली के आधार पर करता है समाज शास्त्री उनमें निहित सामाजिक रीति रिवाजों का अवलोकन कर अपना मत स्थिर करता है और इसी प्रकार विद्वान् वेत्ता उसमें उपस्थित वैज्ञानिक चिन्तन को व्यक्त करने वाली सामग्री का नाप-जोख कर उन्हें अपने अध्ययन का विषय बनाता है, किन्तु आज यह विषय जिन परिस्थितियों में आया है इससे इसका सम्बन्ध उपयुक्त बातों से न रहकर कुछ भिन्न हो गया है । आज हमारा विचारणीय पक्ष उपर्युक्त भाषाओं की गान गरिमा नहीं, अपितु उनका पद है जिसका विश्लेषण उनमें निहित ज्ञान की सामग्री और उसके उपासका एवं व्यवहारकर्ताओं की सख्या के आधार पर किया जाता है और वह पद है भारत जैसे विशाल देश की राजभाषा का । अतः इसी आधार पर प्रस्तुत विषय का विश्लेषण किया जा रहा है ।

भारत एक विशाल देश है । यह अनेक जातियों सम्प्रदायों मतो प्रान्तों एवं भाषाओं की सगम भूमि है । इस अकेले देश में चौदह ऐसी उन्नत भाषाएँ प्रचलित हैं जो अपना अभूतपूर्व साहित्य रखती हैं । जिनमें से दस भाषाओं को तो विश्व में किसी राष्ट्र की भाषा के साथ तुलनाय उपस्थित किया जा सकता है किन्तु जहाँ यह बात एक और गौरव का विषय है वहाँ दूसरी ओर अनेक समस्याओं की प्रदाता भी । इसी कारण से आज राजभाषा के प्रश्न ने एक उग्र रूप धारण कर लिया है ।

१५ अगस्त १९४७ से पूर्व जब हम फिर्गियों की दासता की शृंखलाओं से आबद्ध थे तब हमारी राजभाषा आंग्ल भाषा थी और उस समय हम अपने गौराङ्ग महाप्रभुओं की भाषा के अध्ययन और अध्यापन में एक अभूतपूर्व गौरव का अनुभव करते थे, किन्तु आज स्वतंत्र होने के पश्चात् भी हम कुत्ते की हडडी की तरह उसका साथ छोड़ने को तत्पर नहीं हैं । मैं अंग्रेजी भाषा का विरोधी नहीं हूँ विरोधी हूँ उसके उस अधिकारहीन पद का जिसे वह

भारत में प्राप्त किया हुए है। किसी भी भाषा का ज्ञान के आधार पर किया गया अध्ययन तो उचित है, किन्तु जब उसके प्रति आसक्ति किन्हीं निहित स्वार्थों के कारण होती है तब वह मानव आत्मा की सबसे गहरी प्रवृत्ति का द्योतक होती है व उसका बलव्य का सूचक होती है। कापुरुषा के चरित्र की यह सबसे बड़ी पहचान होती है कि वह किसी भी वाय को अपनी आत्मिक शक्ति के उत्थान के लिए नहीं करता, अपितु बलिष्ठ की पूजा के लिए करता है। अंग्रेजी की उपासना हमारी इस प्रवृत्ति का सजीव उदाहरण है। अंग्रेजों को प्रसन्न करने के लिए सात समुद्र पार से आई हुई भाषा को जिसके साथ हमारा कोई भी तथा किसी भी प्रकार का निष्कटवर्ती लगाव न था उस हम पढ़ सकते थे, किन्तु राष्ट्रीय एकता को बनाय रखने वाली अपने ही देश की भाषा को पढ़ना हम अपनी मानहानि समझते हैं, जिसकी विचित्र रूप सज्जा न भारतीयों में बमनस्य का बीज बपन कर दिया है।

मैं यह मानता हूँ कि अंग्रेजी एक समृद्ध भाषा है, उसका विपुल साहित्य है तथा वह एक अंतरराष्ट्रीय भाषा भी है और उसके लिए वह हमारे सम्मान एवं श्रद्धा की पात्री है किन्तु इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि वह हमारी मा का आसन ग्रहण करे। उसकी चकाचौंध में हम अपनी मा की सादगी को भुला दें और यदि हम ऐसा करने का दुस्साहस करते हैं तो यह हमारे देश एवं जाति के लिए अत्यन्त अशोभनीय एवं लज्जाजनक कृत्य है। यदि हमारी माता में कतिपय त्रुटियाँ हैं यदि वह वाडमय के कुछ क्षत्रों को अपने में सजोय हुए नहीं है तो उसके सशक्त एवं प्रतिभाशाली पुत्रों का यह पावन कृतव्य है कि वे इसकी पूति करें अपने अनयक परिश्रम के द्वारा उसकी ऐसी साज सज्जा करें जिससे उसके सामने आज हमको लुभाने वाली विदेशी भाषा को भी दाँतो तल अगुली दबानी पड़े। हमें रूस, चीन, फ्रांस जमनी के पथ का अनुसरण करना चाहिये न कि लका और इण्डोनेशिया का। फिर यह भी ध्रुव सत्य है कि जो वास्तविक एवं हार्दिक वात्सल्य हम अपनी मा से प्राप्त कर सकते हैं वह सीतेली मा से नहीं, वह हमारी आँखा को चौंधिया तो सकती है किन्तु हृदय प्रदान नहीं कर सकती। यदि इस चकाचौंध से प्रभावित होकर हम अपनी ही माताओं का तिरस्कार कर बैठते हैं तो निश्चय ही हम कापुरुष है क्योंकि हम में अपनी मा के अभावा की क्षति-पूति करने की सामर्थ्य नहीं है। हाँ! अंग्रेजी भाषा को उसकी समृद्धि के आधार पर हम शिक्षिका का पद तो दे सकते हैं किन्तु राष्ट्रभाषा का पवित्र पद जो हमारी अपनी भाषाओं के लिए सुरक्षित है समर्पित नहीं कर सकते और इस प्रकार शिक्षिका का पद तो हम विभव की किसी भी समृद्ध भाषा को प्रदान करने के लिए तयार है अंग्रेजी को विषय महत्ता केवल इसलिए प्राप्त है कि वह इस देश में पहले से प्रचलित है।

राजभाषा विधेयक के लिए लचीली नीति का आश्रय तथा आंग्ल भाषा के सदभ्रम उस पर विचार विमर्श करना एक ऐसी राजनीतिक भूल होगी जो भारत के प्राचीन गणमाय पवित्र अपन खोलखले अहं की तुष्टि के लिए या मिथ्या उत्तारता के नाम पर कर चुके हैं तथा जिनका परिणाम हम आज तक भोग रहे हैं। हाँ भारतीय भाषाओं पर हम एक बार नहीं, हजार बार विचार करने को तैयार हैं पर उसमें देश की एकता का प्रश्न और जनहित की भावना आँखों से ओझल न होना पाए। आंग्ल भाषा को राजभाषा के पद से अपदस्थ करने वाले सधपस हमारे प्रधान मंत्री को उतनी सुदृढ़ता का परिचय देना चाहिए जितनी सुदृढ़ता का परिचय अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने देश की एकता को खण्डित करने वाले अमेरिका के दक्षिणी राज्य को दिया था। मैं नहीं समझ पाया कि जिस दश में एक से एक अधिक गुणागरी, बला-ममज्ञा एवं नान-सयुक्ता चौदह माताएँ उपस्थित हैं तो इस देश के कतिपय निवासी एक विदेशी भाषा के प्रति इतने उत्कण्ठ क्यों हैं? कमाल की बात तो यह है कि वह हमसे चिढ़ती है हमसे दूर भागती है और हम उससे चिपकना चाहते हैं। आप इसे चाहे भावुकता ही कहें पर मैं राजस्थान के भू प्र राज्यपाल डॉ. सम्पूर्णानन्द के साथ अक्षरशः सहमत हूँ। उन्होंने कहा था—

‘हिन्दी से सबको चिढ़ है तो किसी दूसरी भारतीय भाषा को उसका स्थान दे दिया जाय, किन्तु अंग्रेजी को सर पर लौना तो डूब मरने के बराबर है। (हिन्दी दिवस के अवसर पर एक विशेष लेख डा. सम्पूर्णानन्द। घमयुग १६ सितम्बर, १९६२)।

प्राचीन वाङ्मय उस दश की सामाजिक राजनीतिक एवं धार्मिक अनुभूतियों का कोप हाता है जो दश उससे लाभ नहीं उठाता, वह अपनी हठ-वादिता एवं जड-बुद्धिता का परिचय देता है। भारत का इतिहास यह रहा है कि उसने किसी युग में अखण्ड भारतीय राष्ट्रियता का परिचय नहीं दिया और परिणाम-स्वरूप अपनी अपनी ढफली और अपना-अपना राग जलापने की स्थिति में विश्व के अनेक देशों की तुलना में यह देश अधिक बार और अधिक समय तक दासता की शृंखलाओं में आबद्ध रहा। प्राचीन युग में भारतीय अखण्डता का भेदक प्रान्तीयतावाद तथा विनोना धार्मिक प्रमाद रहा और आज उनका स्थान प्रान्तीय भाषाओं को दिया जा रहा है। राष्ट्रभाषा के प्रश्न पर यदि आज गांधार के आम्बोक सुल्तान के अजयपाल लोहकोट के भीमपाल जालौर के बाकपतिराज, कन्नौज के जयचन्द और सामनाथ मन्दिर के रुद्रभद्र की गृहित एवं बीभत्स नीतियों का अनुसरण किया गया तो देश के लिए वह अत्यन्त भयानक सिद्ध होगा।

१४ सितम्बर १९४६ को देश के विचारशील राजनीतिज्ञों ने अत्यन्त

विचार विमर्श के पश्चात् राजभाषा के सम्मानित पद पर हिन्दी को मुशाभित किया था। ज्या-ज्यो सविधान की इस धारा को कार्यान्वित करने का समय समीप आता गया, ज्यों-ज्या कतिपय निहित स्वार्थी राजनीतिज्ञा ने इस प्रश्न को उलझाना प्रारम्भ कर दिया और परिणाम यह हुआ कि २६ जनवरी १९६५ को जब सरकार ने हिन्दी भाषा को राजभाषा घोषित किया तो दक्षिण भारत के प्रान्तीयतावादी विचार वाले व्यक्तिया ने इसका विरोध किया और दो नादान भावुक नवयुवकों को भड़का कर मृत्यु की गोत्र में सुला दिया जो अत्यन्त अशाशनीय काय था।

मैं तो यह कहूँगा कि वर्तमान सरकार न अंग्रेज़ी का राजभाषा के पद से अपदस्थ कर अत्यन्त बुद्धिमानी का परिचय दिया है किन्तु मुझे यह भी आशा है कि भारत शाक्षणिक दृष्टि से इस महान भाषा का सम्मान करता रहेगा और इसके साथ उसी प्रकार सम्पर्क बनाए रखेगा जिस प्रकार आज वह राष्ट्रमण्डल के माध्यम से अंग्रेज़ों से सम्पर्क बनाए हुए है। हम उससे ज्ञान ग्रहण करते रहेंगे और उसके भण्डार को अपनी प्रतिभा से भरते रहेंगे किन्तु हमारे घरेलू मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार कभी नहीं दगे। काका कालेलकर ने भारत की राष्ट्रीय विचारधारा का बड़ी ही सुन्दर वाणी दी है जब उन्होंने कहा था—

राज्य का सब काम अंग्रेज़ी में चलाना प्रजा पर एक बोझ डालना है वह भी प्रशासकों की सुविधा के लिए। लेकिन हम याद रखना चाहिए कि स्वराज्य प्रजा के लिए है, शासन अधिकारियों के लिए नहीं। यदि यह अस्वाभाविक स्थिति देर तक बनी रही तो हम बिगड़ उठेंगे। (साप्ताहिक हिन्दुस्तान २ सितम्बर, १९६२ से उद्धृत)

दक्षिण भारत में हिन्दी का विरोध कर अंग्रेज़ी की स्थिति को वैसी ही बनाये रखने वाली म उन लोगों की कमी नहीं है जो महात्मा गांधी की पुर्हाई देते हुए नहीं धकते हैं किन्तु जब राष्ट्रभाषा का प्रश्न आता है अंग्रेज़ी को अपदस्थ करने का प्रश्न आता है, तो व अपने आदर्श नेता के उन शब्दों को भूल जाते हैं जो उन्होंने यम इण्डिया में प्रकट किए थे—

That crores of men should learn a foreign tongue for the convenience of a few hundreds of officials is the height of absurdity (Young India 21 4 1920)

उस समय उन्होंने मद्रास के लागा स उनके कतब को भी पृछा था—

'What is the duty of the thirtyeight million inhabitants of that Presidency? Should India for their sake learn English?'

or Should they for the sake of two hundred seventy seven million inhabitants of India learn Hindustani

(*Young India* 21 4 1920)

अब प्रश्न उपस्थित होता है कि फिर प्रशासन काय भारत में प्रचलित सभी भाषाओं में चलाया जाए या उन भाषाओं में से किसी एक भाषा को समस्त भारत के प्रशासन के लिए रखा जाए। इसका उत्तर एक वाक्य में यों रखा जा सकता है कि जनता का प्रशासन जनता की भाषा में संचालित किया जाए। तामिलनाडु की जनता का प्रशासन तमिल में और बंगाल की जनता का प्रशासन बंगाली में तथा इसी प्रकार अन्य प्रान्तों में भी। इसके अतिरिक्त केंद्र से सम्बन्ध रखने वाली सभी विद्याओं के लिए तथा अन्तर प्रादेशिक व्यवहार एवं वातालाप के लिए एक भाषा का प्रयोग हो जिससे भारत की भावनात्मक एकता सुदृढ़ हो और केंद्रीय मंत्रालयों के कार्यालय भाषाओं के अजायबघर न बन जाए। अब वह भाषा कौनसी हो? इस प्रश्न का समाधान हमें खोजना है। यह घरेलू मामला है कि हम सब एक स्थान पर बैठ कर प्रांतों की भावना से ऊपर उठ कर समग्र भारत में हित साधना के लिए उसके विशाल जनसमूह की सुख-दुख के लिए तथा उसके समुचित कल्याण के लिए उस महान् देश में प्रचलित १४ भाषाओं में से किसी एक को जो सभी का सही प्रतिनिधित्व कर सकती हो उसकी एकता को सुबल न बना कर सुन्दर आधार भित्ति प्रदान करने में समर्थ हो, इस पद से सुशोभित करें। इसके लिए हम दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा—(१) कम से कम परिश्रम और अधिक से अधिक लाभ और (२) भाषा का सामर्थ्य।

उपयुक्त प्रश्न भारत के लिए नवीन नहीं है। पुरातन युग से ही ऐसे प्रश्न उपस्थित होते रहे हैं और भारतीय मनीषियों ने उसका हल खोजा है। पहले में प्रश्न धर्मोपदेश के लिए उठते थे जो उस समय राष्ट्रहित विधायक समझे जाते थे और आज ये प्रश्न राष्ट्र के प्रशासन के लिए उठा जो उसी सीमा तक हमारा हितसाधक है। अत्यन्त प्राचीन काल में इसी प्रकार का प्रश्न इस देश के समक्ष उपस्थित हुआ था। जब वैदिक सस्कृत से निरगत तीन बोलियाँ—प्राच्या उड़ीच्या तथा मध्य देशीया—इस भू भाग में प्रचलित थीं। भगवान् बुद्ध प्राच्या का मोह त्यागने को तत्पर नहीं थे और ब्राह्मण लोग वैदिक सस्कृत नहीं छोड़ना चाहते थे किन्तु उस समय भी ईश्वर चिन्तन में तीन श्रद्धियों ने इसका निणय किया और उड़ीच्या एवं मध्यदेशीय के सम्मिलित रूप सस्कृत को राष्ट्र भाषा का गौरवमय पद प्रदान किया, जिसे अन्त में बुद्ध सम्प्रदाय ने भी स्वीकार कर लिया। इसके पश्चात् भी अनेक प्रांतों में से महाराष्ट्री की और अनेक प्राकृतजा बोलियों में से अपभ्रंश को

अन्तर प्रादेशिक भाषा माना गया। अब भारत में प्रचलित चौदह भाषाओं में से हिन्दी को अत्यन्त विचार विमर्श के पश्चात् सविधान में राज भाषा के पद से सुशाभित किया गया। भारत के अनेक भाषाविदों, पूव, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण के चिन्तनशील मनीषियों एवं राजनीति विशारदों ने यह सुझाव दिया है कि भारत के अन्तर प्रादेशिक भाषा के पद को ग्रहण करने का सामर्थ्य केवल मात्र हिन्दी भाषा में ही निहित है। बंगाल के विश्व प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक डॉ. सुनीतकुमार चटर्जी ने बताया कि हिन्दी या हिन्दुस्थानी आज के भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ा रिक्थ है। यह हमारे भाषा विषयक प्रकाश का बृहत्तम साधन है तथा भारतीय एकता एवं राष्ट्रीयता का प्रतीक बन सकता है। वास्तव में हिन्दी ही भारतीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व कर सकती है। (भारतीय आमभाषाएँ और हिन्दी पृष्ठ २०४)

पूर्वी भारत के महान विचारक श्री केशवचन्द्र सेन ने इससे भी बहुत बड़े पक्षों को सचेत करने हुए समस्त देश के लिए एक भाषा की आवश्यकता को बताते हुए उसके लिए हिन्दी का ही नाम लिया है—

मदि भारतवर्ष एकना हयले भारतवर्ष एकता नहय तब ताहार उपाय कि ? समस्त भारतवर्षों एक भाषा व्यवहार कराई उपाय। एखन भाषा भारतमें प्रचलित आछे ताहार मध्ये हिन्दी भाषा प्राय सबचहू प्रचलित। एइ हिन्दी भाषा के यदि भारतवर्षों एकमात्र भाषा करा जाय तबे अनायासे शीघ्र सम्पन्न हवति पारे। (समाचार सुलभ चक्र ५, १२८०)

पश्चिम में गुजरात के ही नहीं अपितु समस्त भारतवर्ष की आत्मा महारामा गांधी ने भी वही अनुभव किया था कि भारत की राष्ट्र भाषा बनने का सामर्थ्य केवल मात्र हिन्दी में ही निहित है—

I have attended all the Congress sessions, but one since 1915 I have studied them specially in order to study the utility of Hindustani compared to English for the conduct of its proceedings. I have spoken to hundreds of delegates and thousands of visitors and I have perhaps covered a large area and seen a much larger number of people, literate and illiterate than any public man not excluding Mrs Besant and Lokmanya Tilak and I have come to the deliberate conclusion that no language except Hindustani can possibly become a national medium for exchange of ideas or for the conduct of National Proceedings (Young India 21 1 1920)

इसके साथ ही दक्षिण के कृष्ण स्वामी की चर्चा करते हुए गांधीजी ने बताया कि वे भी इसी विचार धारा के पोषक थे—

That late Justice Krishna Swami with his unerring instinct recognised Hindustani as the only possible medium of expression between the different parts of India'

(*Young India* 21 1 1920)

आजकल भी दक्षिण में ऐसे विद्वानों का अभाव नहीं है, जो इस तथ्य को भली भाँति स्वीकार करते हैं। अधशास्त्र के परम विद्वान डा वी के आर वी राव का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अतएव हमें उपयुक्त विद्वानों का अनुभव से लाभ उठाना चाहिए और हिन्दी भाषा के विरोध का काय जो राष्ट्रीय विराघ के तुल्य कहा जा सकता है छोड़ देना चाहिए। दक्षिण में इसके प्रमुख विरोधियों में श्री राजगोपालाचारी और द्रविड मुनेत्रकपगम के नेताओं का नाम प्रमुख रूप से लिया जा सकता है और मज्जेदार बात यह है कि ये लोग दक्षिण की भाषाओं की समृद्धि और प्रसार के प्रति इतने उत्सुक नहीं हैं जितने प्राणप्रिया आंग्ल भाषा को अब से चिपकाए रखने में सतक हैं। विचित्र विद्वम्बना है। राजाजी का ही उदाहरण लीजिए एक बार आप ने अंग्रेजी के समर्थन में एक लेख भाला का प्रारम्भ किया था, जिसमें उन्होंने मुख्य रूप से तीन प्रश्न उठाए हैं—¹

(१) हिन्दी अंग्रेजी के समान समस्त भारत में न ही समझी जाती है और न ही पढ़ी जाती है।

(२) वह एक प्रदेश की भाषा है।

¹ कहा जाता है कि हिन्दी जनता की भाषा है और सरकार और जनता की भाषा एक होनी चाहिए। प्रश्न यह है कि हिन्दी किसकी भाषा है— इस देश में रहने वाले सब की तो नहीं? निश्चय ही दक्षिण के करोड़ों लोगों की तो नहीं। दक्षिण का कोई भी पठित या अपठित न उसे बोलता है और न समझता है। उत्तर के चार प्रांतों में वह बोली जाती है जो एक दूसरे के समीप हैं अथवा आजू बाजू में है। उन बोलने वाले इस देश में प्रतिशत के हिसाब से कुछ भी क्यो न हो वे देशभर में फले हुए नहीं हैं। वे प्रदेश विशेष में ही सीमित हैं। उनकी भाषा को राजभाषा मानने में उन्हें अधिक गौरव प्राप्त होगा। शायद वह हिन्दी भाषियों से सग्या में अधिक होंगे। अंग्रेजी देश भर में बराबरी से पनी हुई है। अंग्रेजी के राजभाषा बनने में देश का कोई भी भाग अथवा भागों से प्रतिकूल या अति का अनुभव न करेगा। राजकाज में सबको समता प्राप्त होगी और हिन्दी को लादने से यह समता नष्ट हो जायगी। (धर्मयुग १ सितम्बर, १९६३ में श्री शिवदे द्वारा उद्धृत)।

(३) हिन्दी के राजभाषा होने से दक्षिण का महत्व कम हो जाता है—

यदि इन तीनों प्रश्नों का सूक्ष्म विश्लेषण करें तो लगता है कि इनकी आधारशिलाएं अत्यन्त ही निबल हैं। जहाँ तक प्रथम प्रश्न का सम्बन्ध है, वह किसी भी प्रकार मान्य नहीं है। यद्यपि हिन्दी उत्तर भारत के अधिकांश जनता की मातृभाषा है फिर भी वह समस्त भारत में अंग्रेजी से अधिक मात्रा में लोग द्वारा बोली और समझी जाती है। सरकार द्वारा प्रस्तुत आंकड़े इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों की सख्या समस्त भारतवर्ष में ११ प्रतिशत है जबकि मद्रास इसमें तीसरे स्थान पर आता है। जनसख्या की दृष्टि से मद्रास में अंग्रेजी जानने वालों की सख्या केवल ११२ प्रतिशत है और इसकी तुलना में पंजाब और पश्चिमी बंगाल में उक्त भाषा के जानने वालों की संख्या क्रमशः २२५ प्रतिशत और २३७ प्रतिशत है, जबकि स्वयं अकेले मद्रास में हिन्दी जानने और समझने वालों की संख्या १० प्रतिशत से कम नहीं है। समस्त प्रदेशों में अंग्रेजी जानने वालों और साक्षरों की संख्या निम्न प्रकार है—

प्रदेश	जनसंख्या	साक्षर प्रतिशत	अंग्रेजी जानने वालों की संख्या प्रतिशत
असम	११,८६०,०५६	२५.८	—
आंध्र	३५,६७७,६६६	२०.८	१२
उड़ीसा	१७,५६५,६४५	२१.५	०.४३
उत्तर प्रदेश	७३,८५२,६६८	१७.५	—
केरल	१६,८७५,१६६	४६.२	१५
गुजरात	२०,६२२,२८३	३०.३	१००
पश्चिमी बंगाल	३४,६६७,६३४	२६.१	२३१
पंजाब	२०,२६८,१५१	२३.७	२२५
बिहार	४६,४५७,०४२	१८.२	—
मद्रास	३३,६५०,६१७	२०.२	१५२
मध्य प्रदेश	३२,३६४,३७५	१६.६	—
महाराष्ट्र	२६,५०४,२६४	२६.७	१०
ममूर	२३,५४७,०८१	२५.३	११
राजस्थान	२०,१४६,१७३	१६.७	—

इस प्रकार दक्षिण के लोगों को जबकि अनेक आश्वासनों के-द्वारा सरकार द्वारा दिये जा चुके हैं कि उन पर हिन्दी थोपी नहीं जायेगी फिर भी अपने राजनैतिक स्वार्थों को लेकर इस प्रकार के आन्दोलन सदा कर देना वहाँ तक समीचीन है, समझ में नहीं आता।

हिन्दी के विस्तार के सम्बन्ध में डा. चाटुर्ज्या ने अपने अनुभव के आधार पर बताया है कि हिन्दी न केवल समस्त भारतवर्ष में पारस्परिक वार्तालाप की अन्तर प्रादेशिक भाषा है, अपितु विदेशों में भी भारतीयों के साथ बातचीत करने के लिए हिन्दी का ही आश्रय लिया जाता है। आपने लिखा है कि रास्ते में एकत्रित हुए लोगों के ऐसे झुण्ड हमें मिलेंगे जिनकी आपस में बोली जाने वाली स्थानीय बोली हम बिल्कुल भी न समझें, परन्तु उनमें से दस प्रतिशत लोग ऐसे निकल ही आयेंगे जो सहज हिन्दुस्तानी में किए गए प्रश्न का उत्तर समझ में आ जाने लायक हिन्दुस्तानी से मिलती-जुलती भाषा में अवश्य दे देंगे। यह बात आपको सबत्र मिलेगी। चाहे आप कुमिल्ला जाएँ चाहे दार्जिलिंग, नौआखाली या बारिसाल, चौवासा या पूना, पुरी या पेशावर, जो सारे हिन्दी या हिन्दुस्तानी क्षेत्र से बिल्कुल बाहर पड़ते हैं। लन्दन में चटपाँव कलकत्ता मद्रास आदि भारतीय बन्दरगाहों पर काम करके गए हुए मलय देशी नाविक ने तथा भारतवर्ष में तीन वर्ष तक मऊ पेशावर, कलकत्ता के छावनियों में रहकर गए हुए एक अंग्रेज सैनिक ने स्काटलण्ड के मुद्गर उत्तर के ओकत नगर में हैदराबाद दक्खन की एक रेल कम्पनी में काम करके लौटे हुए एक स्काच मजदूर ने तथा ग्रीस की राजधानी एथेंस में भारत के ग्रीक फर्म वाली ब्रदर्स के रगून एवं कलकत्ता स्थित आफिस में कमचारी का काम करके लौटे हुए ग्रीक सैनिक आफिसर ने समय समय पर भारत के बाहर भिन्न भिन्न जगहों पर लेखक को हिन्दुस्तानी में सम्बोधित किया है। (भारतीय आश्रय भाषा और हिन्दी पृष्ठ १६६-६७)।

अब बताइये राजाजी की बात को सही माने अथवा भाषाशास्त्र के पारखी परम विद्वान् डॉ. चाटुर्ज्या के वक्तव्य को ठीक कहे। एक वह भाषा जिसके समझने बोलने वालों की संख्या सारे भारतवर्ष में ११ प्रतिशत है और एक वह भाषा है जिसके समझने बोलने वाले प्रत्येक प्रदेश में ही नहीं प्रत्येक झुण्ड में १० प्रतिशत है किसे राजभाषा का गौरवमय पद प्रदान करें? इस प्रकार की विचारधारा की पुष्टि महात्मा गांधी ने भी एक स्थान पर की है—

'The Hindi speaking man speaks Hindi wherever he goes and no one is surprised at this. The Hindi speaking Hindu Preacher and Urdu speaking Mowlā make their religious speeches in Hindi and Urdu and even the illiterate masses understand them even an unlittered Gujrati when he goes to the north attempts to speak a few Hindi words but the northern Bhaiya who works as a gate keeper to the Bombay Seth declines to speak in Gujrati and it is the Seth his employer, who

is obliged to speak to him in broken Hindi. I have heard Hindi is spoken even in the far off Southern Provinces. It is not correct to say that in Madras one cannot do without English. I have successfully used Hindi there for

In the trains, I have heard Madras passenger speaking to another passenger in Hindi. Besides the Muslims of Madras, I have heard enough Hindi to use it successfully well, and this has been already established as national language of India.

इस प्रकार हम देखते हैं कि राजाजी द्वारा उठाया गया निराधार है।

जहाँ तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है, वह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। भारतीयों का यह सस्कार रहा है कि वे बहुत समीप से सोचते हैं, उनमें विशाल दृष्टि का सबका अभाव रहा है। जब तक हम इस श्रुति को दूर नहीं करेंगे, देश बनना नहीं सकेगा। यह ठीक है कि यह एक प्रदेश की भाषा है पर वह प्रदेश किसका अंग है? भारत नाम के राष्ट्र का। फिर दूरी क्या? क्या एक शरीर के दो हाथ अपने को परस्पर भिन्न मानकर एक दूसरे हाथ से चिढ़ने लगेगा? मैं समझता हूँ कि कदापि नहीं और इस भावना की समाप्ति का ही तो यह उपचार है कि देश की एक भाषा हो, जो चाहे प्रारम्भ में एक प्रदेश की हो किन्तु आने वाली सत्तान के लिए वह समग्र भारतीय राष्ट्र की भाषा हो जो उन्हें एक सूत्र में आवद्ध करने में समय सिद्ध हो। देश की एकता के सूचक कुछ प्रतीक हुआ करते हैं जिन पर प्रत्येक देशवासी निछावर होने को तत्पर रहता है। वे प्रतीक राष्ट्रध्वज राष्ट्रगीत तथा राष्ट्रभाषा हैं। अतः हमें उस दिन की आशा में रहना चाहिए, जिसकी आशा श्री टी० विजयराघवाचारी ने की थी —

We are all eagerly looking forward to the day when we shall all be Indians first and Madrasis and Bengalis next

(*Young India*, 8 4 1931)

अंग्रेजी को धनाये रखने से दक्षिण के लोगों को चाहे सरकारी नौकरी का बेशक लाभ हो, जो विशुद्ध रूप में क्षणिक एवं व्यक्तिगत है उन्हें भारतीय एकता का गौरव एवं दक्षिण के अतिरिक्त देशवासियों का सौहार्द प्राप्त नहीं हो सकता जो उनके लिए बहुमूल्य और देश के लिए एक स्याई सम्पदा बन सकता है। इसलिए गाँधीजी ने कहा था — 'आज अंग्रेजी पर प्रभुत्व प्राप्त करने के लिए वे (दक्षिण वाले) जितनी मेहनत करते हैं यदि उसका आठवाँ हिस्सा भी वे हिन्दी सीखने में करें तो बाकी हिन्दुस्तान के जो दरवाजे आज तक उनके लिए बन्द हैं वे खुल जायें और वे इस तरह हमारे साथ एक हो जायें'

जसे वे पहले कभी न थे। कोई भी द्रविड यह न साचे कि हिंदी सीखना जरूरी भी कठिन है। मैं अनुभव से कह सकता हूँ कि द्रविड बालक अद्भुत सरलता से हिंदी सीख सकते हैं।" (यग इण्डिया १६२२०, धर्मयुग, १६६३ से उद्धृत)।

तृतीय प्रश्न केवल मात्र मानसिक प्रश्न है। हिन्दी चाहे उत्तरी भारत की मातृभाषा है, पर दक्षिण भारत के लोगों के परिश्रम के समक्ष शेष भारत नगण्य है जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण वे अंग्रेजी के अध्ययन और अध्यापन में देखे हैं और वह दिन दूर नहीं है कि दक्षिण भारत के विद्यार्थी हिंदी पर बसा ही अधिकार कर लेंगे जसा अंग्रेजी पर और उनका महत्त्व उसी प्रकार बना रहेगा जिस प्रकार का आज बना हुआ है, बल्कि उससे अधिक। क्योंकि हिंदी सीखने में अंग्रेजी से कम परिश्रम करना पड़ेगा। अतः हम राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत हो अपने देश के लिए इतना त्याग करना ही पड़ेगा कि हम इन महत्त्व और अमहत्त्व के पंचडो में न पड़ें।

अतः मे यह कहूँगा कि काश ! राजाजी और इनके अग्र सहयोगियों ने जितना परिश्रम आंग्ल भाषा की जड़ें भारत में दृढ़ करने में लगाया उतना या उससे भी कम परिश्रम किसी दक्षिण भारत की भाषा का विशेषकर तमिल का उत्तर भारत में प्रचार करने में लगाया होता तो वे देश की बहुत बड़ी सेवा करते और आगे आने वाली सतत देश की एकता के इन कणधारों की मदिरा में प्रतिमाएँ बना बना कर पूजती। किन्तु तथ्य इससे सवधा भिन्न है। ये लोग आज भी नहीं समझते कि देश का कल्याण आंग्ल भाषा के भीत जाने में नहीं, अपितु भारतीय भाषाओं के सर्वांगीण विकास में निहित है। श्री विश्वनाथन भी दक्षिण के ही निवासी हैं किन्तु उनकी वाणी में एक सौहाद है मंत्री भाव है तथा राष्ट्रीय भावना है —

“आखिर हिंदी किसी की भाषा है ? अपने ही सहोदर सहबांधव और सहमार्गी, जीवन और रक्त से अपने से सम्बन्धित, अपनी ही माँ के लालों की और उसका विरोध करना अपनी ही आत्मवचना और आत्मद्रोह का परिचय देना है।” (धर्मयुग १ सितम्बर १९६३ — शा० विश्वनाथन)

अब इसने लिए केवल इतना ही कहना अवशिष्ट रह जाता है कि देश की एकता बनाये रखने के लिए इतिहास की पुनरावृत्ति रोकने के लिए विदेशी पुनः हमारी फुट से लाभ न उठा लें इसके लिए दक्षिण के भाइयों को थोड़ा त्याग अवश्य करना पड़ेगा और वह त्याग इस देश के लिए इतना मूल्यवान् सिद्ध होगा कि आगे आने वाली सतत उसे स्वर्णाक्षरों में लिखकर अत्यन्त गौरव प्रदान करेगी अथवा जल मध्यकालीन रजवाडों की बुद्धि पर हम ज़ार ज़ार रोकर आँसू बहाते हैं वैसे ही वह भी हमारे नाम पर धूब दिया करेगी

कि हमारे मूखर्जा में राष्ट्रीयता नाम की कोई वस्तु नहीं थी ने स्वार्थी ने राष्ट्रिय मूर्ति धारण से तुच्छ से ।

अब हम इसके मूखरे पत्र पर विचार करेंगे । भारत में प्रचलित सभी उच्च भाषाओं में जिन्हें सविद्या में स्थान प्राप्त है हिन्दी सर्वाधिक सरल भाषा है । इसे सरलता से सीख महीने में सीखा जा सकता है और एक वर्ष में उम्र पर अधिकार प्राप्त किया जा सकता है । इतनी सरलता से किसी भी अन्य भाषा को नहीं सीखा जा सकता । इसका पढ़ना कारण तो यह है कि इसका व्याकरण अन्य सभी भाषाओं से सरल है । आज अष्टाष्टम विद्यमान ने भारत के भाषा सर्वेक्षण में सभी भाषाओं का व्याकरण किया है जिसमें हिन्दी भाषा का व्याकरण ने सबसे कम स्थान ग्रहण किया है । डॉ. पटवर्गी ने तो इस भाषा के व्याकरण को बेसत एक पोस्टकार्ड पर लिगे जा करने की बात कही है । अतः यह विवाद सिद्ध है कि जिस भाषा का व्याकरण जिना मक्षिप्त एक सरल होगा वह भाषा उतनी ही सरल होगी । यदि यह स्थान किसी अन्य प्रान्तीय भाषा को देने का उपक्रम किया जाय तो हमारे सामने दो बड़ी कठिनाईयाँ उपस्थित हो जायेंगी—(१) भारत की अन्य प्रांतीय भाषाओं को बोलन वाला की संख्या सीमित है, अतः उन्हे सीखने के लिए भारत की बहुत अधिक जनसंख्या को प्रयत्न करना पड़ेगा जो उचित नहीं है । (२) अन्य प्रांतीय भाषाएँ हिन्दी की तुलना में कम सरल हैं अतः उन्हें सीखने में अधिक प्रयास करना पड़ेगा । हम सभी एक देश के वासी, एक संस्कृति के अनुकर्ता और एक माँ के साथ हैं । अतः हम वही करना चाहिए जिससे कम से कम लोगो की प्रयास करना पड़े और अपना काम भी सिद्ध हो जाये अर्थात् अराष्ट्रीयता का फूट रूपी साँप भी मर जाये और जनतन्त्र रूपी साठी भी न टूटे । हमें केवल मात्र यही करना है कि हम प्रसन्नता के साथ हिन्दी को राजभाषा अथवा लिख भाषा के रूप में स्वीकार कर लें । मैं तो यह भी कहूँगा कि इसका श्रीगणेश दक्षिण वालो को करना चाहिए और आज ही । आज भारत को ऐसे लोकसभा के समस्या की आवश्यकता है जिनकी चर्चा घमयुग में श्री नन्दन ने की है । दुर्भाग्य है कि श्री नन्दन ने ऐसी महान् आत्मा का नाम नहीं दिया । प्रसन्न इस प्रकार है—

‘जय सदन में हिन्दी को राज काय में प्रतिष्ठित करने के लिए पन्द्रह वर्ष का समय प्रस्तावित किया गया तो एक अहिन्दी भाषी ने तुरन्त उठकर प्रतिवाद किया—हम एक मिनट की भी देरी बरदाश्त नहीं करना चाहते हिन्दी को देवनागरी लिपि और हिन्दी अक्षरों के साथ प्रतिष्ठित करने में तनिक भी देरी नहीं करनी चाहिए (घमयुग १५ सितम्बर १९६३) ।’ निश्चय ही उस व्यक्ति के हृदय में उस समय हिन्दी के प्रति प्रेम ही नहीं अपितु राष्ट्र भक्ति की पावन धारा ठाठें मार रही होगी । वे देश को एकता के सूत्र में आवद्ध

देखना चाहते हामे और वह सूत्र है सारे दश की एक भाषा । भारत तथा विदेश मे रहने वाले साढ़े चौबीस करोड़ जना की एक सूत्र मे बांधने वाली मौलिक आन्तरदेशिक या आन्तरदेशीय या आन्तरजातीय भाषा हो (भारतीय आय भाषा और हिन्दी, पृष्ठ १६४) । यदि हम समस्त भारत के निवासियों की मातृभाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन करें तो पात होगा कि भारत मे हिन्दी बोलने वाले ४२ प्रतिशत है जबकि इसके विपरीत आंग्ल भाषा बोलने वालों की संख्या ११ प्रतिशत है तथा दक्षिण भारत की भाषा को बोलने वाला की संख्या क्रमशः तेलगु तामिल वन्नड और मलयालम ९७ प्रतिशत, ८ प्रतिशत एवं ६ प्रतिशत है । अतः मैं नहीं समझता कि दक्षिण भारत के लोग केवल ११ प्रतिशत अंग्रेजी पाताया को देखकर ही क्या चलते हैं ? मातृ भाषाओं के आधार पर तैयार किये गये आँकड़ों का विवरण १९५१ की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित रूप मे प्रस्तुत है—

हिन्दी—	१४ ६६ ४४ ३१०
तेलगु—	३,२१,११,६१६
मराठी—	२ ७०,४६,५२८
तामिल—	२ ६५,४६,७६४
बंगाली—	२,५७,२१,६७४
गुजराती—	१,६३,१०,७७१
कन्नड—	१,४४,७१,७६४
मलयालम—	१,३३,८०,१०६
उडिया—	१,३१,५३,१०६
आसामी—	८६,८६,२२६
कश्मीरी—	५०५६
संस्कृत—	५५५

इस प्रकार हम देखते हैं कि कुल जनसंख्या का ४२ प्रतिशत तो ब्रे लाग है जिनकी मातृभाषा हिन्दी है । इसके अतिरिक्त कम से कम १० प्रतिशत डा चाटुज्या के अनुसार ऐस आदमी मिल जायेंगे जो हिन्दी समझ सकते हैं और टूटे पूटे रूप मे बोल भी सकते हैं । इस प्रकार समस्त जनसंख्या के ५२ प्रतिशत लोग हिन्दी भाषा भाषी हो जाते हैं । ऐसी स्थिति मे हिन्दी ही केवल एक ऐसी भाषा है जो इस स्थान के लिए सबसे उपयुक्त है । जहाँ तक इस सादने का प्रश्न है यह तो एक मानसिक ग्रन्थि है समझ का फेर है । लादी जाती है—दूसर की वस्तु । यह सभी भारतीयों की अपनी वस्तु है । अतः इसे हम हृदय से अपनाता चाहिये । अपनी वस्तु को ग्रहण करने मे हमे बठिनाई हो सकती है किन्तु उसे सादना कभी नहीं कहा जा सकता ।

यदि सवधानिक दृष्टिकोण से भी सोचें तो मैं कह सकता हूँ कि एक प्रजातन्त्र देश के सुयोग्य नागरिक का परम कर्तव्य है कि वह सविधान का सम्मान करे। उसमें उल्लिखित धाराओं को काय रूप में परिणत करने में सहयोग दें, फिर उस में सब से महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस समय सविधान अपने स्वरूप को ग्रहण कर रहा था, उस समय भारत के प्रभुसत्ता का प्रमुख अधिकारी दक्षिण भारत का ही महापुरुष था। इसका तात्पर्य यह है कि उन्हें उस समय इससे विरोध न था। विरोध की यह भावना तो उनका बाद का चिन्तन है जो केवल विरोधात्मक विचार धारा में बह जाना मात्र है।

विषय का द्वितीय एवं अत्यधिक महत्वपूर्ण पक्ष है राष्ट्रभाषा का विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के शिक्षा में स्थान और जहाँ तक अध्ययन का सम्बन्ध है राष्ट्रभाषा को विश्वविद्यालय स्तर तक एक अनिवार्य विषय के रूप में पढाया जाना चाहिये। क्योंकि वह भाषा जो केन्द्र के कार्यों की विधायिनी हो, अन्तरप्रदेशिक वार्तालाप का साधन बनाई जा रही हो, उसका अध्ययन परमावश्यक हो जाता है और कुछ समय के पश्चात् एक समय आयेगा जब हम यह अनुभव करेंगे कि हर देशवासी भारतीय पहले है और मद्रासी बंगाली बाद में। किन्तु इसके लिए एक प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण है और वह यह है कि हिन्दी भाषा का अध्ययन विद्यार्थियों को किस कक्षा से प्रारम्भ करना चाहिए और कौनसी कक्षा तक करना चाहिए? इसका अध्यापन किस लिपि के माध्यम से करवाया जाना चाहिये?

जहाँ अध्ययन प्रारम्भ करने का प्रश्न है सबसे सम्मत धारणा यह है कि विद्यार्थी को अपनी मातृभाषा से प्रारम्भ करना चाहिये और जब यह देखें कि विद्यार्थी अपनी भाषा को पढ़ने और लिखने की ओर रुचि लेने लगा है तो उसे राष्ट्रभाषा पढ़ने के लिए दी जानी चाहिये। जब विद्यार्थी राष्ट्रभाषा को भी भली प्रकार समझने पढ़ने और लिखने लग जाए तब उस आग्ल भाषा पढ़ने को दी जानी चाहिये। इसे क्रमबद्ध यो रखा जा सकता है कि प्रारम्भ में मातृभाषा तृतीय श्रेणी से राष्ट्रभाषा और कम से कम आठवीं श्रेणी से आग्ल भाषा का अध्ययन विद्यार्थी करें और विश्वविद्यालय की स्नातक परीक्षा तक धालू रखें। इससे उनके मस्तिष्क पर आवश्यक भार भी नहीं पड़ेगा और भारत के लिए परमावश्यक तीनों भाषाओं का अध्ययन भी सम्भव हो सकेगा।

परिशिष्ट २

निर्देशिका

पारिभाषिक शब्दावली^१

(१) अक्षर—वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खण्ड न हो सक। अक्षर अर्थात् जो घिसते नहीं। वण भी इसे ही कहते हैं।

(२) अधोप—वे ध्वनियाँ होती हैं जिनका उच्चारण करत समय स्वरतन्त्रिया एक-दूसरे से दूर रहती हैं तथा ध्वनि में किसी प्रकार का कम्पन नहीं सुनाई देता। वग का प्रथम और द्वितीय व्यञ्जन, ष, प स, आदि अधोप हैं।

(३) अधोपीकरण—ध्वनि परिवर्तन में अधोप ध्वनि का अधोपवत उच्चारण होना, यथा—राजस्थानी गुजराती आदि भाषाओं में अधोप महा प्राण ध्वनियों एवं 'ह' का उच्चारण।

(४) अधिकरण—वह स्थल या स्थिति जिसमें या जिस पर क्रिया घटित होती है। पवत पर वर्षा हो रही है।

(५) अनुनासिक—अधचन्द्र बिन्दु। वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण नाक से होना है, यथा—चाँद, हँसना आदि। आंग्ल—Incomplete Nasal

(६) अनुस्वार—वह ध्वनि, जिसका उच्चारण नाक से होता है तथा जो नित्य स्वर के पश्चात् आती है, यथा—हस, बस, ससार। आंग्ल—Pure Complete Nasal

(७) अन्तस्थ—स्वर और व्यञ्जन के बीच की ध्वनि। इन्हें अधस्वर भी कहते हैं। ये ध्वनियाँ यथास्थिति स्वर और व्यञ्जन में परिवर्तित होती रहती हैं, यथा—य्, र ल व। यदि+अपि—यद्यपि, सु+आगतम्—स्वागतम्।

(८) अय पुरुष—पुरुष वाचक सवनाम का एक भेद या प्रकार। जब वक्ता और श्रोता किसी तृतीय व्यक्ति के सम्बन्ध में वार्तालाप करते हैं तब व्याकरण में उस व्यक्ति को अय पुरुष कहते हैं, यथा—यह, वह।

(९) अपादान—दो वस्तुओं अथवा स्थितियों के पृथक्त्व का भाव।

(१०) अल्प प्राण—जिस व्यञ्जन के उच्चारण करने में वायु का कम

^१ यहाँ मूलग्रन्थ में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दों का अकारादि क्रम से विश्लेषण उपस्थित किया गया है।

निष्पाता होता है। यम का पहला तीसरा पाँचवाँ व्यञ्जन तथा अन्त्य व्यञ्जन (य, र, ल, व) अल्पप्राण है। यथा—य, य इ आदि।

(११) अविकारी—जिन शब्दों में सिकृ, यषन अथवा विभक्ति के कारण कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता। क्रिया विशेषण और अन्त्य शब्द इसके अन्तर्गत आते हैं।

(१२) अन्त्य—वे शब्द जो प्रत्यय स्थिति में समान आकृति वाले रहते हैं। अविकारी शब्दों की ही अन्त्य भी कहते हैं। यथा तथा आदि।

(१३) आख्यात—छान्दास एव संस्कृत में क्रिया की आख्यात कहते हैं।

(१४) उत्तम पुरुष—पुरुष वाक्य सवनाम का एक भेद अथवा प्रकार। यकता के लिए प्रयुक्त शब्द उत्तम पुरुष सवनाम कहलाते हैं। मैं, हम, आदि।

(१५) उपसर्ग—वे शब्द अथवा शब्दों का जो शब्द से पूर्व जुड़ कर शब्द का अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। प्र, परा, आदि।

(१६) ऊष्म—सघर्षी ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में घषण के कारण ऊष्मा पैदा होती है। श, घ से ध्वनियाँ ऊष्म ध्वनियाँ हैं।

(१७) वरण—क्रिया के साधन का अर्थ देने वाले शब्दों का शब्द।

(१८) वर्ता—क्रिया के करने वाले को वर्ता कहते हैं।

(१९) वम—वर्ता का अभीष्टतम कारण को वम कहते हैं। राम रोटी खाता है।

(२०) कारक—वाक्य में दो अर्थ-तत्त्वा का सम्बन्ध बताने वाला शब्द या शब्दों का कारक कहलाता है।

(२१) कृत्वत्—वे शब्द जो क्रिया के साथ प्रत्यय लगा कर बनाए जाते हैं, यथा—गत, खादिरवा, चलइ रख आदि।

(२२) क्रिया विशेषण—वे शब्द जो क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं।

(२३) क्षति पूरक दीर्घीकरण—संयुक्त व्यञ्जन विशेषकर द्वित्व व्यञ्जन के किसी एक अवयव (व्यञ्जन) की क्षति हो जाने पर पूर्व ह्रस्व स्वर का दीर्घ हो जाना, यथा—कम्म > काम।

(२४) घोष—व ध्वनियाँ जिनके उच्चारण करते समय स्वरतन्त्रियाँ एक दूसरे के समीप आकर विशेष कम्पन उत्पन्न करती हैं घोष कहलाती हैं।

(२५) तद्धित—क्रिया से भिन्न शब्दों के साथ लगने वाले प्रत्यय।

(२६) तद्भव—संस्कृत शब्दों के विकृत अथवा यों कहिये कि उनसे विकसित रूप।

(२७) तिङ्गत—वे क्रिया शब्द जो काल सूचना हेतु ति त आदि प्रत्ययों से युक्त होकर उपस्थित होते हैं।

(२८) त्रियक—वे शब्द जो परसर्गों के लगाने पर विकृत रूप वाले हो जाते हैं। ये सज्ञा, सवनाम अथवा विशेषण शब्द हाते हैं।

(२९) दीघ—जिनके उच्चारण में दो मात्रा का समय लगे वे वण दीघ कहलाते हैं। आ ई, ऊ आदि।

(३०) द्वित्व—अपभ्रंश की मुख्य विशेषता जहाँ समुक्त व्यञ्जनो में से एक व्यञ्जन उससे समुक्त दूसरे व्यञ्जन का रूप धारण कर लेता है, यथा —कम > कम्म, काय > कज्ज।

(३१) नपुंसक लिङ्ग—संस्कृतादि भाषाओं के व शब्द जो किसी वस्तु आदि के स्त्रीत्व और पुरुषत्व को व्यक्त करने में असमर्थ हो।

(३२) नामधातु—वे सज्ञा आदि शब्द जो कुछ निश्चित प्रत्ययों के जोड़ देने पर धातु का अर्थ देने लगते हैं।

(३३) परसर्ग—वे शब्द जो सम्बन्ध बताने के हेतु विभक्ति प्रत्ययों के स्थान पर दो अथ-तत्त्वों के मध्य प्रयुक्त होते हैं। ने, को में, से पर, आदि।

(३४) पुल्लिङ्ग—पुरुषवाची शब्द।

(३५) पूर्वकालिक क्रिया—वह क्रिया जो प्रधान क्रिया से पूर्व ही सम्पन्न हो चुकी हो। खाकर, पीकर, आदि।

(३६) प्रत्यय—वे शब्द या शब्दांश जो मूल शब्द के अन्त में जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं। नीति > नतिक।

(३७) बलाघात—शब्द या वाक्य के किसी अंश पर बल देकर उच्चारण करना।

(३८) बहिरग—मध्यदेश के चारों ओर की भाषाओं का ङों प्रियसने ने बहिरग सज्ञा प्रदान की है।

(३९) मध्यम पुरुष—पुरुषवाचक सवनाम का एक भेद अथवा प्रकार, जो श्रोता के लिए प्रयुक्त हो।

(४०) महाप्राण—जिन ध्वनियाँ के उच्चारण में जब अधिक मात्रा में श्वास का निस्सरण होता है तब वह ध्वनि महाप्राण कहलाती है। वग का द्वितीय, चतुर्थ, श प, स वण तथा 'ह' महाप्राण ध्वनियाँ होती हैं।

(४१) 'य' धृति—एक स्वर में दूसरे वण की उच्चारण स्थिति तक पहुँचने के लिए अथवा 'पदान्त' में 'य' ध्वनि को और बढ़ा लिया जाता है उसे 'य' धृति कहते हैं।

(४२) लकार—बालों की मिश्रता को सूचित करने वाले लकार होते हैं।

(४३) लिङ्ग—सज्ञा क्रिया आदि के जिस विधान से किसी वस्तु व्यक्ति अथवा स्थान की जाति (पुरुष स्त्री जड़) का बोध हो।

(४४) 'व' धृति—स्वर के साथ 'व' का आगमन कर लेना।

(४५) विकारी—तित्, वचन और विभक्ति के कारण जिन शब्दों के रूप में विकृति आ जाती है, उन्हें विकारी कहते हैं।

(४६) विपर्यय—व्यंगियों का परस्पर स्थान बदल लेना।

(४७) व्युत्पद्य—जहाँ पर एक विधान के स्थान पर दूसरे विधान का प्रयोग होता है।

(४८) सहायक क्रिया—कुछ ऐसे प्रत्यय जिनके सगुण पर क्रिया शब्दों का संज्ञा आदि शब्दों जसा अर्थ देना।

(४९) सन्धि—किन्हीं दो शब्दों या शब्दों के प्रथम के अन्तिम वण और द्वितीय का आदि वण जब आपस में मिलकर विकार उत्पन्न करते हैं वही सन्धि होती है।

(५०) सम्प्रदान—जिस वस्तु अथवा व्यक्ति के लिए क्रिया की जाती है उसे सम्प्रदान कहते हैं।

(५१) सहायक क्रिया—वे क्रिया शब्द जो किसी क्रिया शब्द के साथ किसी काल विशेष का बोध कराने हेतु जोड़े जाते हैं, यथा—है, था, गा आदि।

(५२) स्त्रीलिङ्ग—वे शब्द जो किसी वस्तु व्यक्ति अथवा स्थान के स्त्रीत्व का बोध कराते हैं।

(५३) स्वर—वे ध्वनियाँ जो बिना किसी अन्य वण की सहायता के उच्चरित हो सकती हैं।

(५४) स्पर्श—वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में जिह्वा मुस के किसी न किसी स्थान का स्पर्श करती है। प वग मे ओष्ठ एक दूसरे का स्पर्श करते हैं।

(५५) स्वरभक्ति—संयुक्त व्यञ्जनों का सरलता से उच्चारण करने के लिए जहाँ पर स्वर का आगम कर लिया जाता है—प्रसाद > परसाद। पंजाबी भाषा की यह मुख्य विशेषता है।

(५६) ह्रस्व—जिन ध्वनियों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता हो।

(५७) सम्बन्ध—कारक का वह रूप, जो दो वस्तुओं के सम्बन्ध का बोध कराता है।

संकेत-विवरण

का सू	—काम सूत्र
बि स	—बिहारी सतसई
प्रा पै	—प्राकृत पैगलम
स रा	—सदेश रासक
व र	—वण रत्नाकर
की ल	—कीर्ति लता
उ य प्र	—उक्ति व्यक्ति प्रकरण
सू सा	—सूर सागर
घ क	—घनानन्द कवित्त
सू पू व	—सूर पूर्व राजभाषा काव्य

ग्रन्थ-सूची

१ अपभ्रंश काव्यत्रयो	—स एल वी गाधी
२ अपभ्रंश व्याकरण	—स केशवराम शास्त्री
३ अष्टाध्यायी	—पाणिनि
४ आर्यों का आदि देश	—डॉ सम्पूर्णानन्द
५ उक्ति व्यक्ति प्रकरण	—दामोदर पण्डित
६ ऋग्वेद	
७ औपपातिक सूत्र	—जैन घम ग्रथ
८ कल्याण (हिन्दू सस्कृति विशेषांक)	—गीता प्रेस, गोरखपुर
९ काव्यादश	—दण्डी
१० का-यालकार	—भामह
११ कामसूत्र	—वात्स्यायन
१२ कीर्तिलता	—विद्यापति
१३ कामायनी	—जयशंकर प्रसाद
१४ कौपीतकी ब्राह्मण	
१५ गद्य पारिजात	—स डॉ सुयकांत
१६ काव्य मीमांसा	—राजशेखर
१७ गउड वही	—वाक्पतिराज
१८ घनानन्द कवित्त	—स विश्वनाथ प्रसाद मिश्र
१९ जय सोमनाथ	—कहैयालाल भाणवलाल मुशी
२० ताण्डय ब्राह्मण	
२१ धम्मपद	—राहुल साहृत्यायन
२२ नाटय शास्त्र	—भरतमुनि
२३ पाणिनीय शिक्षा	—पाणिनि
२४ पालि जातकावली	—स बटुकनाथ शर्मा
२५ पालि साहित्य और समीक्षा	—डा सरनामसिंह शर्मा अग्रण
२६ पालि प्रबोध	—आधादत्त ठाकुर
२७ पालि महा व्याकरण	—वात्स्यायन
२८ पुरातत्त्व निबन्धावली	—राहुल साहृत्यायन

२६	प्राकृत भाषाओं का व्याकरण	—प मधुसूदन मिश्र
३०	प्राकृत प्रकाश	—वरसचि
३१	प्राकृत सवस्व	—माकण्डेय
३२	प्राकृत पगसम्	—स डा भोलाशंकर व्यास
३३	बिहारी सतसई	—स लाला भगवानदीन
३४	ब्रजभाषा	—डॉं धीरेन्द्र वर्मा
३५	ब्रजभाषा और खड़ी बोली का तुलनात्मक अध्ययन	
३६	भारतीय आयभाषा और हिंदी	—डा सुनीतिकुमार चाटुर्ज्या
३७	भाषा और समाज	—डा रामविलास शर्मा
३८	भाषा विज्ञान	—डा भोलानाथ तिवारी
३९	भ्रमरगीत सार	—स आचार्य रामचन्द्र शुक्ल
४०	महाभाष्य	—पतञ्जलि
४१	भोगलान व्याकरण	—भोगलान
४२	राज प्रथनीय सूत्र	—जैन धर्म ग्रन्थ
४३	रामचंद्रिका	—आचार्य केशव
४४	वाक्यपदीयम्	—भतहरि
४५	वाग्भटालंकार	—वाग्भट
४६	विपाक सूत्र	—जन धर्म ग्रन्थ
४७	विष्णुधर्मोत्तर पुराण	—स डा भनमोहन घोष
४८	वदिक व्याकरण	—उमेशचन्द्र पाण्डेय
४९	वण रत्नाकर	—ज्योतिरीश्वर ठाकुर
५०	संदेश रासक	—स डॉं हजारीप्रसाद द्विवेदी
५१	संस्कृत साहित्य का इतिहास	—डा रामजी उपाध्याय
५२	सांख्य कारिका	
५३	सामान्य भाषा विज्ञान	—डॉं बाबूराम सबसेना
५४	सिद्धांत कौमुदी	—भट्टोजी दीक्षित
५५	सूर सागर	—सूरदास
५६	सूर पूर्व ब्रजभाषा का	—शिवप्रताप सिंह
५७	हिंदी भाषा का उदगम और विकास	—डा उदयनारायण तिवारी
५८	हिंदी भाषा और साहित्य	—डॉं श्यामसुंदर दास
५९	हिन्दी साहित्य का मूल इतिहास	—आदिगुरु

- ६० हिन्दी भाषा रूप विकास —डॉ सरनामसिंह शर्मा 'अरुण'
 ६१ हिन्दी के विकास में अपभ्रंश
 का योग —डॉ नामवर सिंह
 ६२ हिन्दी की उदभव शब्दावली —डा सरनामसिंह शर्मा 'अरुण'
 ६३ हिन्दी काव्यधारा —राहुल सांकृत्यायन
 ६४ हिन्दी भाषा उदभव, रूप और
 विकास —डॉ हरदेव बाहरी
 ६५ हिन्दी भाषा (अतीत और वर्तमान) —डॉ अम्बाप्रसाद 'सुभन'
 ६६ हेम शब्दानुशासन —हेमचन्द्राचार्य
 अप्रेजी भाषा के ग्रन्थ
- 1 Historical Grammar of
 Apbhransh —Dr G V Tagare
 - 2 Linguistic Survey of India —Dr Grearson
 - 3 General Anthropology —Frang Bous
 - 4 Man in Primitive Age —Heebel
 - 5 The Future of India —Swami Vivekanand
 - 6 The Vedic Age —Ed Dr R C Majumdar

